चतुर्दश माला, खंड 5, अंक 1

बुधवार, 1 दिसम्बर, 2004
10 अग्रहायण, 1926 (शाक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

(खण्ड 5 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

नत्थू सिंह
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द दत्त
सम्पादक

नारद प्रसाद किमोठी
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।

विषय सूची 1

चतुर्दश माला, खंड 5, तीसरा सत्र, 2004/1926 (शक)

अंक 1, बुधवार, 1 दिसम्बर, 2004/10 अग्रहायण, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
चौदहवीं लोक सभा के सदस्यों की अद्यतन वर्णानुक्रम सूची	v-xxvi
लोक सभा के पदाधिकारी	xxvii
मंत्रिपरिषद	xxix-xxxii
राष्ट्रगान	1
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1
निधन संबंधी उल्लेख	1-10
मंत्री का परिचय	12
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 3	17-41
प्रश्नों के लिखित उत्तर	41-436
तारांकित प्रश्न संख्या 4 से 20	46-92
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 230	92-436
सभा पटल पर रखे गये पत्र	437-443
देश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के बारे में	443-451, 462-465
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के धराशायी होने से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गए कदम	469-495
श्री अजय चक्रवर्ती	470
श्री पी. चिदम्बरम	470-474, 488-494
श्री गुरूदास दासगुप्त	474-482
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	482-485

---

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
श्री बसुदेव आचार्य	485-486
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी	486-488
सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित	495-499
(एक) न्यायालय अवमान (संशोधन) विधेयक, 2004	495-496
(दो) बैंककारी विनियमन (संशोध्न) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2004	496-499
बैंककारी विनियमन (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अध्यादेश द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला विवरण	
श्री पी. चिदम्बरम	499
नियम 377 के अधीन मामले	499-507
(एक) संसद सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन किए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रशेखर साहु	500
(दो) पूर्वोत्तर क्षेत्र के मणिपुर, असम और नागालैंड राज्यों में विद्रोही संगठनों के साथ बातचीत शुरु करने के लिए पहल किये जाने की आवश्यकता	
डा. टोकचोम मैन्या	500
(तीन) रियाद और दम्माम से हैदराबाद के लिए सीधी उड़ानें शुरु किए जाने की आवश्यकता	
श्री के. एस. राव	501
(चार) उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में मुख्य डाकघर स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री पंकज चौधरी	501
(पांच) राजस्थान के अजमेर शहर के लिए हवाई सेवा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
प्रो. रासा सिंह रावत	501-502
(छह) मध्य प्रदेश में विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए धनराशि का केन्द्रीय अंश जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी	502
(सात) गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक संस्थानों में दाखिलों का विनियमन करने के लिए केन्द्रीय विधान बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री पी. राजेन्द्रन	502-503

विषय कॉलम

(आठ) उत्तर प्रदेश के चायल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में महेवा घाट में यमुना नदी पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार 503-504

(नौ) भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, पटना को रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन लाए जाने की आवश्यकता

श्री विजय कृष्ण 504

(दस) उत्तर प्रदेश के शाहाबाद फल पट्टी में आम अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री इलियास आजमी 504-505

(ग्यारह) तमिलनाडु के नागापट्टिनम और तिरूवरूर जिलों में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को पर्याप्त सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री ए. के. एस. विजयन 505

(बारह) उड़ीसा में महानदी पर दूसरे रेल पुल का निर्माण कार्य शीघ्र किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब 505-506

(तेरह) पंजाबी को संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ की राजभाषा घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल 506-507

सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विधि (निरसन) विधेयक, 2004 507-510

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम 507-508, 509-510

प्रो. रासा सिंह रावत 508

श्री मोहन सिंह 508-509

खंड 2, 3 और 1 510

पारित करने के लिए प्रस्ताव 510

नियम 193 के अधीन चर्चा 511-540

जूट उद्योग के समक्ष आ रही समस्याएं

श्री सांताश्री चटर्जी 511-513

विषय	कॉलम
श्री शैलेन्द्र कुमार	513-514
श्री अनवर हुसैन .	514-516
श्री अजय चक्रवर्ती	516-518
श्री रूपचंद पाल	518-521
श्री आलोक कुमार मेहता .	521-524
श्री ब्रह्मानंद पंडा	524-525
प्रो. रासा सिंह रावत	525-529
श्री नारायण चन्द्र वरकटकी	529-530
श्री शंकर सिंह वाघेला .	530-539
अनुबंध–I .	541-546
तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका	
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका	
अनुबंध–II .	547-550
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका	
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका	

चौदहवीं लोक सभा के सदस्यों की
अद्यतन वर्णानुक्रम सूची

अं

अंगड़ि, श्री सुरेश (बेलगाम)

अंतुले, श्री ए. आर. (कुलाबा)

अंसारी, श्री फुरकान (गोड्डा)

अ

अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र (चतरा)

अजगल्ले, श्री गुहाराम (सारंगढ)

अजनाला, डा. रतन सिंह (तरनतारन)

अजय कुमार, श्री एस. (ओट्टापलम)

अटवाल, श्री चरणजीत सिंह (फिल्लौर)

अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा (बुलढाना)

अतिथन, श्री धनुषकोडी आर. (तिरूनेलवेली)

अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)

अनसारी, श्री अफजाल (गाजीपुर)

अप्पादुरई, श्री एम. (तेनकासी)

अबदुल्लाकुट्टी, श्री (कन्नानौर)

अब्दुल्लाह, श्री उमर (श्रीनगर)

अम्बरीश, श्री (मांडया)

अय्यर, श्री मणिशंकर (मयिलादुतुरई)

अर्गल, श्री अशोक (मुरैना)

अहमद, डा. शकील (मधुबनी)

अहमद, श्री अतीक (फूलपुर)

अहमद, श्री ई. (पोन्नानी)

अहीर, श्री हंसराज जी. (चन्द्रपुर)

आ

आचार्य, श्री प्रसन्न (सम्बलपुर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजमी, श्री इलियास (शाहाबाद)

आठवले, श्री रामदास (पंढरपुर)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आडीकेसावुलु, श्री डी.के (चित्तूर)

आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)

आरुन रशीद, श्री जे. एम. (पेरियाकुलम)

इ

इंग्ती, श्री बिरेन सिंह (स्वशासी जिला — असम)

इलेंगोवन, श्री ई.वी.के.एस. (गोविचेट्टिपालयम)

उ

उरांव, डा. रामेश्वर (लोहरदगा)

ओ

ओराम, श्री जुएल (सुन्दरगढ़)

ओला, श्री शीश राम (झुंझुनू)

ओवेसी, श्री असादूद्दीन (हैदराबाद)

ओसमानी, श्री ए. एफ. जी. (बारपेटा)

क

कटारा, श्री बाबूभाई के. (दोहद)

कथीरिया, डा. वल्लभभाई (राजकोट)

कनोडीया, श्री महेश (पाटन)

कमलनाथ, श्री (छिंदवाड़ा)

करूणाकरन, श्री पी. (कासरगोड)

कलमाडी, श्री सुरेश (पुणे)

कश्यप, श्री बलीराम (बस्तर)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)

कादर मोहिदीन, प्रो. के. एम. (वेल्लौर)

कामत, श्री गुरूदास (मुम्बई उत्तर–पूर्व)

किन्डिया, श्री पी. आर. (शिलांग)

कुन्नुर, श्री मंजुनाथ (धारवाड़ दक्षिण)

कुप्पुसामी, श्री सी. (मद्रास उत्तर)

कुमार, श्रीमती मीरा (सासाराम)

कुमारी सैलजा (अम्बाला)

कुरूप, श्री सुरेश (कोट्टायम)

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह (मण्डला)

कुशवाहा, श्री नरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर)

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण (खजुराहो)

कृपलानी, श्री श्रीचन्द (चितौड़गढ़)

कृष्ण, श्री विजय (बाढ़)

कृष्णदास, श्री एन. एन. (पालघाट)

कृष्णन, डा. सी. (पोल्लाची)

कृष्णास्वामी, श्री ए. (श्रीपेरूम्बुदूर)

केरकेटा, श्रीमती सुशीला (खूँटी)

कोन्यक, श्री डब्ल्यू वांग्यू (नागालैण्ड)

कोया, डा. पी.पी. (लक्षद्वीप)

कोरी, श्री राधेश्याम (घाटमपुर)

कोल, श्री लालचन्द्र (राबर्टसगंज)

कोली, श्री रामस्वरूप (बयाना)

कौर, श्रीमती परनीत (पटियाला)

कौशल, श्री रघुवीर सिंह (कोटा)

ख

खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र (गढ़वाल)

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार (बेतूल)

खन्ना, श्री अविनाश राय (होशियारपुर)

खन्ना, श्री विनोद (गुरदासपुर)

खां, श्री सुनील (दुर्गापुर)

खारबेनथन, श्री एस. के. (पलानी)

खैरे, श्री चंद्रकांत (औरंगाबाद, महाराष्ट्र)

ग

गंगवार, श्री संतोष (बरेली)

गढ़वी, श्री पी. एस. (कच्छ)

गणेशन, श्री एल. (तिरुचिरापल्ली)

गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर (अहमदनगर)

गद्दीगउडर, श्री पी.सी. (बागलकोट)

गमांग, श्री गिरिधर (कोरापुट)

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव (वाशिम)

गांधी, श्री प्रदीप (राजनंदगांव)

गांधी, श्री राहुल (अमेठी)

गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)

गांधी, श्रीमती सोनिया (रायबरेली)

गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव (मुम्बई उत्तर–मध्य)

गाव, श्री तापिर (अरुणाचल पूर्व)

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)

गिल, श्री आत्मा सिंह (सिरसा)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रत्नागिरि)

गुढ़े, श्री अनंत (अमरावती)

गुप्त, श्री श्यामा चरण (बांदा)

गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर (भटिंडा)

गेहलोत, श्री थावरचन्द (शाजापुर)

गोगोई, श्री दीप (कलियाबोर)

गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश (हापुड़)

गोविन्दा, श्री (मुम्बई उत्तर)

गोहेन, श्री राजेन (नौगांव)

गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द (मंगलोर)

च

चक्रवर्ती, डा. सुजान (जादवपुर)

चक्रवर्ती, श्री अजय (बसीरहाट)

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश (हावड़ा)

चटर्जी, श्री सांताश्री (सेरमपुर)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)

चन्देल, श्री सुरेश (हमीरपुर, हि. प्र.)

चन्द्र कुमार, प्रो. (कांगड़ा)

चन्द्रप्पन, श्री सी. के. (त्रिचूर)

चन्द्रशेखर, श्री (बलिया, उ.प्र.)

चर्चील, श्री अलीमाऊ (मारमुगाओ)

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र (मालेगाँव)

चारेनामै, श्री मणि (बाहरी मणिपुर)

चालिहा, श्री किरिप (गुवाहाटी)

चावड़ा, श्री हरिसिंह (बनासकांठा)

चित्तन, श्री एन. एस. वी. (डिंडीगुल)

चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)

चिन्ता मोहन, डा. (तिरुपति)

चौधरी, डा. तुषार अमर सिंह (मांडवी)

चौधरी, श्री अधीर (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल)

चौधरी, श्री ए. बी. ए. गनी खाँ (मालदा)

चौधरी, श्री निखिल कुमार (कटिहार)

चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज, उ. प्र.)

चौधरी, श्री विकास (आसनसोल)

चौधरी, श्रीमती अनुराधा (कैराना)

चौधरी, श्रीमती रेनुका (खम्माम)

चौबे, श्री लाल मुनी (बक्सर)

चौरे, श्री बापू हरी (धुले)

चौहान, श्री नंद कुमार सिंह (खंडवा)

चौहान, श्री शिवराज सिंह (विदिशा)

ज

जगदीशन, श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी (तिरुचेन्गोडे)

जगन्नाथ, डा. एम. (नगर कुरनूल)

जटिया, डा. सत्यनारायण (उज्जैन)

जय प्रकाश, श्री (मोहनलाल गंज)

जय प्रकाश, श्री (हिसार)

जयाप्रदा, श्रीमती (रामपुर)

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)

जार्ज, श्री के. फ्रांसिस (इदुक्की)

जालप्पा, श्री आर. एल. (चिकबलपुर)

जावमा, श्री वनलाल (मिजोरम)

जोहेदी, श्री महबूब (कटवा)

जिन्दल, श्री नवीन (कुरूक्षेत्र)

जीगजीणगी, श्री रमेश चंदप्पा (चिक्कोडी)

जेना, श्री मोहन (जाजपुर)

जैन, श्री पुष्प (पाली)

जोगी, श्री अजीत (महासमुन्द)

जोगैया, श्री हरि राम (नरसापुर)

जोशी, श्री कैलाश (भोपाल)

जोशी, प्रहलाद (धारवाड़ उत्तर)

झ

झा, श्री रघुनाथ (बेतिया)

ट

टाइटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)

ठ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी. (वडोदरा)

ठुम्मर, श्री वी. के. (अमरेली)

ड

डांगावास, श्री भंवर सिंह (नागौर)

डेलकर, श्री मोहन एस. (दादरा और नागर हवेली)

डोम, डा. रामचन्द्र (बीरभूम)

ढ

ढिल्लों, श्री शरनजीत सिंह (लुधियाना)

ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह (संगरूर)

त

तंगबालु, श्री के. वी. (सेलम)

तस्लीमुद्दीन, श्री (किशनगंज)

तीरथ, श्रीमती कृष्णा (करोलबाग)

तोपदार, श्री तरित बरण (बैरकपुर)

त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि (रीवा)

त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर (पुरी)

थ

थामस, श्री पी. सी. (मुवत्तुपुजा)

थुपस्तन, श्री छेवांग (लद्दाख)

द

दत्त, श्री सुनील (मुम्बई उत्तर–पश्चिम)

दरबार, श्री छतर सिंह (धार)

दास, श्री अलकेष (नवद्वीप)

दास, श्री खगेन (त्रिपुरा पश्चिम)

दासगुप्त, श्री गुरूदास (पंसकुरा)

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन (रायगंज)

दिलेर, श्री किशन लाल (हाथरस)

दीक्षित, श्री सन्दीप (पूर्वी दिल्ली)

दूबे, श्री चन्द्र शेखर (धनबाद)

देव, श्री बिक्रम केशरी (कालाहांडी)

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र एस. (पार्वतीपुरम)

देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)

देवरा, श्री मिलिन्द (मुम्बई–दक्षिण)

देवेगौडा, श्री एच. डी. (हसन)

देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र (शोलापुर)

ध

धनराज, डा. के. (टिंडिवनाम)

धर्मेन्द्र, श्री (बीकानेर)

धारावत, श्री रविन्दर नाइक (वारंगल)

धोत्रे, श्री संजय (अकोला)

न

नन्दी, श्री अमिताभ (दमदम)

नम्बाडन, श्री लोनाप्पन (मुकुन्दपुरम)

नरबुला, श्री ड़ी (दार्जिलिंग)

नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश (उस्मानाबाद)

नरेन्द्र, श्री ए. (मेडक)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (पणजी)

नागपाल, श्री हरीश (अमरोहा)

नायक, श्री अनन्त (क्योंझर)

नायक, श्री ए. वेंकटेश (रायचूर)

नायक, श्रीमती अर्चना (केन्द्रपाड़ा)

नायडु, श्री कोंडापल्ली पैडीथल्ली (बौब्बिली)

नायर, श्री पी.के. वासुदेवन (तिरूअनन्तपुरम)

निखिल कुमार, श्री (औरंगाबाद, बिहार)

निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर (हिन्दुपुर)

निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद (फतेहपुर)

निहाल चन्द, श्री (श्रीगंगानगर)

नीतीश कुमार, श्री (नालन्दा)

प

पंडा, श्री ब्रह्मानन्द (जगतसिंहपुर)

पटेल, श्री किसनभाई वी. (बलसाड़)

पटेल, श्री जीवाभाई ए. (मेहसाना)

पटेल, श्री दाह्याभाई वल्लभभाई (दमण और दीव)

पटेल, श्री दिन्शा (कैरा)

पटेल, श्री सोमाभाई जी. (सुरेन्द्र नगर)

पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई (पोरबंदर)

पटैरिया, श्रीमती नीता (सिवनी)

पानाबाका, श्रीमती लक्ष्मी (नेल्लौर)

परस्ते, श्री दलपत सिंह (शहडोल)

परांजपे, श्री प्रकाश (ठाणे)

पलनिसामी, श्री के. सी. (करूर)

पलानीमनिक्कम, श्री एस. एस. (तंजावूर)

पवार, श्री शरद (बारामती)

पाटले, श्री शिशुपाल एन. (भन्डारा)

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा आर. (बीजापुर)

पाटिल, श्री डी. बी. (नांदेड़)

पाटिल, श्री प्रकाशबापू वी. (सांगली)

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम. के. (इरन्दोल)

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड़ (बीड)

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब (जालना)

पाटील, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)

पाटील, श्री लक्ष्मणराव (सतारा)

पाटली, श्री श्रीनिवास दादासांहेब (कराड़)

पाटील, श्रीमती रूपाताई डी. (लातूर)

पाटील, श्रीमती सूर्यकांता (हिंगोली)

पाठक, श्री ब्रजेश (उन्नाव)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)

पाण्डा, श्री प्रबोध (मिदनापुर)

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण (मंदसौर)

पायलट, श्री सचिन (दौसा)

पॉल, डा. सिबैस्टियन (एर्णाकुलम)

पाल, श्री राजाराम (बिल्हौर)

पाल, श्री रूपचंद (हुगली)

पासवान, श्री रामचन्द्र (रोसड़ा)

पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)

पासवान, श्री वीरचन्द्र (नवादा)

पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)

पिंगले, श्री देविदास (नासिक)

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. (बापतला)

पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)

पोन्नुस्वामी, श्री ई. (चिदंबरम)

प्रधान, श्री अशोक (खुर्जा)

प्रधान, श्री धर्मेन्द्र (देवगढ़)

प्रधान, श्री प्रशान्त (कोंटई)

प्रभु, श्री आर. (नीलगिरि)

प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर (राजापुर)

प्रसाद, कुंवर जितिन (शाहजहाँपुर)

प्रसाद, श्री लालमणि (बस्ती)

प्रसाद, श्री हरिकेवल (सलेमपुर)

फ

फर्नान्डीज, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)

फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ (दरभंगा)

फैन्थम, श्री फ्रान्सिस (नामनिर्दिष्ट)

ब

बंगरप्पा, श्री एस. (शिमोगा)

बंसल, श्री पवन कुमार (चण्डीगढ़)

बखला, श्री जोवाकिम (अलीपुरद्वार)

बघेल, प्रो. एस. पी. सिंह (जलेसर)

'बचदा', श्री बची सिंह रावत (अल्मोड़ा)

बब्बर, श्री राज (आगरा)

बर्क, डा. शफीकुर्रहमान (मुरादाबाद)

बर्मन, प्रो. बसुदेव (मथुरापुर)

बर्मन, श्री रनेन (बलूरघाट)

बर्मन, श्री हितेन (कूच बिहार)

बसु, श्री अनिल (आरामबाग)

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता (विष्णुपुर)

बादल, श्री सुखबीर सिंह (फरीदकोट)

'बाबा', श्री के. सी. सिंह (नैनीताल)

बारकू, श्री शिंगाडा दामोदर (दहानु)

बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई (जूनागढ़)

बालू, श्री टी. आर. (मद्रास दक्षिण)

बिश्नोई, श्री कुलदीप (भिवानी)

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह (जोधपुर)

बिसेन, श्री गौरीशंकर चतुर्भुज (बालाघाट)

बुधौलिया, श्री राजनरायन (हमीरपुर, उ. प्र.)

बेल्लारमिन, श्री ए. वी. (नागरकोइल)

बैठा, श्री कैलाश (बगहा)

बैनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता दक्षिण)

बैस, श्री रमेश (रायपुर)

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर (कोकराझार)

बोस, श्री सुब्रत (बारासाट)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)

भगोरा, श्री महावीर (सलूम्बर)

भडाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)

भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)

भूरिया, श्री कांति लाल (झाबुआ)

म

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)

मनोज, डा. के. एस. (अलेप्पी)

मनोज कुमार, श्री (पलामू)

मरन्डी, श्री सुदाम (मयूरभंज)

मरांडी, श्री बाबू लाल (कोडरमा)

मल्लिकार्जुनैया, श्री एस. (तुमकुर)

मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार (दक्षिण दिल्ली)

मसूद, श्री रशीद (सहारनपुर)

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)

महतो, श्री टेक लाल (गिरिडीह)

महतो, श्री बीर सिंह (पुरूलिया)

महतो, श्री सुनिल कुमार (जमशेदपुर)

महरिया, श्री सुभाष (सीकर)

महाजन, श्री वाई. जी. (जलगांव)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

महावीर प्रसाद, श्री (बांसगांव)

मांझी, श्री राजेश कुमार (गया)

माकन, श्री अजय (नई दिल्ली)

माझी, श्री परसुराम (नवरंगपुर)

माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई (जामनगर)

माधवराज, श्रीमती मनोरमा (उदुपी)

मान, श्री जोरा सिंह (फिरोजपुर)

माने, श्रीमती निवेदिता (इचलकरांजी)

मायावती, कुमारी (अकबरपुर)

मारन, श्री दयानिधि (मद्रास मध्य)

माहेश्वरी, श्रीमती किरण (उदयपुर)

मिडियम, डा. बाबू राव (भद्राचलम)

मिस्त्री, श्री मधुसूदन (साबरकंठा)

मिश्रा, डा. राजेश (वाराणसी)

मीना, श्री नमोनारायन (सवाई माधोपुर)

मुन्शी राम, श्री (बिजनौर)

मुकीम, मो. (डुमरियागंज)

मुखर्जी, श्री प्रणब (जंगीपुर)

मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)

मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)

मुफ्ती, सुश्री महबूबा (अनंतनाग)

मुर्मू, श्री रूपचन्द (झाड़ग्राम)

मुर्मू, श्री हेमलाल (राजमहल)

मूर्ति, श्री ए. के. (चेंगलपट्टू)

मेघवाल, श्री कैलाश (टोंक)

मेहता, श्री आलोक कुमार (समस्तीपुर)

मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद (हजारीबाग)

मैन्या, डा. टोकचोम (आंतरिक मणिपुर)

मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड (नामनिर्दिष्ट)

मोघे, श्री कृष्णा मुरारी (खरगौन)

मो. ताहिर, श्री (सुल्तानपुर)

मोदी, श्री सुशील कुमार (भागलपुर)

मोल्लाह, श्री हन्नान (उलूबेरिया)

मोहन, श्री पी. (मदुरै)

मोहले, श्री पुन्नूलाल (बिलासपुर)

मोहिते, श्री सुबोध (रामटेक)

य

यादव, कुंवर देवेन्द्र सिंह (एटा)

यादव, डा. करण सिंह (अलवर)

यादव, प्रो. राम गोपाल (संभल)

यादव, श्री अखिलेश (कन्नौज)

यादव, श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु (गोपालगंज)

यादव, श्री उमाकान्त (मछलीशहर)

यादव, श्री एम. अंजनकुमार (सिकन्दराबाद)

यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह (चन्दौली)

यादव, श्री गिरिधारी (बांका)

यादव, श्री चन्द्रपाल सिंह (झांसी)

यादव, श्री जय प्रकाश नारायण (मुंगेर)

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)

यादव, श्री पारसनाथ (जौनपुर)

यादव, श्री बालेश्वर (पडरौना)

यादव, श्री भाल चन्द्र (खलीलाबाद)

यादव, श्री मित्रसेन (फैजाबाद)

यादव, श्री रमाकान्त (आजमगढ़)

यादव, श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू (मधेपुरा)

यादव, श्री राम कृपाल (पटना)

यादव, श्री सीता राम (सीतामढ़ी)

यास्खी, श्री मधु गौड (निजामाबाद)

येरननायडु, श्री किन्जरपु (श्रीकाकुलम)

र

रंजन, श्रीमती रंजीत (सहरसा)

रघुपति, श्री एस. (पुडुकोट्टई)

रठवा, श्री नारनभाई (छोटा उदयपुर)

राई, श्री नकुल दास (सिक्किम)

राजगोपाल, श्री एल. (विजयवाड़ा)

राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद (घोसी)

राजा, श्री ए. (पैरम्बलूर)

राजू, श्री एम. एम. पल्लम (काकीनाड़ा)

राजेन्तीरन, श्रीमती एम. एस. के. भवानी (रामनाथपुरम)

राजेन्द्र कुमार, श्री (हरिद्वार)

राजेन्द्रन, श्री पी. (क्विलोन)

राठौड़, श्री हरिभाऊ (यवतमाल)

राणा, श्री काशीराम (सूरत)

राणा, श्री गुरजीत सिंह (जालंधर)

राणा, श्री रबिन्दर कुमार (खगड़िया)

राणा, श्री राजू (भावनगर)

राधाकृष्णन, श्री वरकला (चिरायिंकिल)

रानी, श्रीमती के. (रासीपुरम)

रामकृष्णा, श्री बाडिगा (मछलीपत्तनम)

रामचन्द्रन, श्री जिन्जी एन. (वन्डावासी)

रामदास, प्रो. एम. (पांडिचेरी)

राव, श्री के. एस. (एलूरू)

राव, श्री के. चन्द्रशेखर (करीमनगर)

राव, श्री डी. विट्टल (महबूब नगर)

राव, श्री पी. चलपति (अनकापल्ली)

राव, श्री रायापति सांबासिवा (गुंटूर)

रावत, प्रो. रासा सिंह (अजमेर)

रावत, श्री अशोक कुमार (मिसरिख)

रावत, श्री कमला प्रसाद (बाराबंकी)

रावत, श्री धनसिंह (बांसवाड़ा)

रावले, श्री मोहन (मुम्बई दक्षिण–मध्य)

रिजीजू, श्री खीरेन (अरुणाचल पश्चिम)

रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)

रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव (परभनी)

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन (विशाखापतनम)

रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन (नरसारावपेट)

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु (ओंगोले)

रेड्डी, श्री एस. जयपाल (मिरयालगुडा)

रेड्डी, श्री एस. पी. वाई. (नांदयाल)

रेड्डी, श्री के. जे. एस. पी. (कुरनूल)

रेड्डी, श्री जी. करूणाकर (बेल्लारी)

रेड्डी, श्री मधुसूदन (आदिलाबाद)

रेड्डी, श्री वाई. एस. विवेकानन्द (कुडप्पा)

रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर (नालगौंडा)

ल

लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारु (जालौर)

'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह (बेगूसराय)

लालू प्रसाद, श्री (छपरा)

लाहिरी, श्री समिक (डायमंड हार्बर)

लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह (रोपड़)

व

वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र (मंगलदोई)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (कैसरगंज)

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह (जालौन)

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)

वर्मा, श्री रवि प्रकाश (खीरी)

वर्मा, श्री राजेश (सीतापुर)

वर्मा, श्रीमती ऊषा (हरदोई)

वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी (तेनाली)

वसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरूच)

वाघमारे, श्री सुरेश (वर्धा)

वाघेला, श्री शंकर सिंह (कपड़वंज)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)

विजयन, श्री ए. के. एस. (नागापट्टिनम)

विजयशंकर, श्री सी. एच. (मैसूर)

विनोद कुमार, श्री बी. (हनमकोंडा)

विरूपाक्षप्पा, श्री के. (कोप्पल)

वीरेन्द्र कुमार, श्री (सागर)

वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी. (कालीकट)

वुन्डावल्ली, श्री अरूण कुमार (राजामुंदरी)

वेंकटपति, श्री के. (कुड्डालोर)

वेंकटस्वामी, श्री जी. (पेद्दापल्ली)

वेणुगोपाल, श्री डी. (तिरूपत्तूर)

वेलु, श्री आर. (अर्कोनम)

श

शर्मा, डा. अरविन्द (करनाल)

शर्मा, डा. अरूण कुमार (लखीमपुर)

शर्मा, श्री मदन लाल (जम्मू)

शहाबुद्दीन, डा. मो. (सिवान)

शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम (शिमला)

शाक्य, श्री रघुराज सिंह (इटावा)

शाह, ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)

शाहिद, मोहम्मद (मेरठ)

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद (बारामूला)

शिवनकर, प्रो. महादेवराव (चिमूर)

शिवन्ना, श्री एम. (चामराजनगर)

शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील (खेड़)

शीरमेश, श्रीमती तेजस्विनी (कनकपुरा)

शुक्लवैद्य, श्री ललित (करीमगंज)

शुक्ला, श्रीमती करूणा (जाँजगीर)

शेरवानी, श्री सलीम (बदायूं)

शौलेन्द्र कुमार, श्री (चायल)

श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी. (चिकमगलूर)

स

संगमा, श्री पी. ए. (तुरा)

संगलिअना, डा. एच. टी. (बंगलौर उत्तर)

सईदा, श्रीमती रूबाब (बहराइच)

सज्जन कुमार, श्री (बाहरी दिल्ली)

सतीदेवी, श्रीमती पी. (बडागरा)

सर, श्री निखिलानन्द (बर्दवान)

सरडगी, श्री इकबाल अहमद (गुलबर्गा)

सरोज, श्री तूफानी (सैदपुर)

सरोज, श्री दरोगा प्रसाद (लालगंज)

सत्पथी, श्री तथागत (ढेंकानाल)

सत्यनारायण, श्री सर्वे (सिद्दीपेट)

सलीम, मोहम्मद (कलकत्ता उत्तर–पूर्व)

सहाय, श्री सुबोध कांत (रांची)

सांगवान, श्री किशन सिंह (सोनीपत)

साई प्रताप, श्री ए. (राजमपेट)

साय, श्री नन्द कुमार (सरगुजा)

साय, श्री विष्णु देव (रायगढ़)

साहु, श्री चंद्रशेखर (बरहामपुर, उड़ीसा)

साहू, श्री ताराचंद (दुर्ग)

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव (गुना)

सिंह, कुंवर मानवेन्द्र (मथुरा)

सिंह, कुंवर सर्व राज (आंवला)

सिंह, चौधरी लाल (उधमपुर)

सिंह, चौधरी विजेन्द्र (अलीगढ़)

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद (वैशाली)

सिंह, डा. राम लखन (भिण्ड)

सिंह, राव इन्द्रजीत (महेन्द्रगढ़)

सिंह, श्री अक्षय प्रताप (प्रतापगढ़)

सिंह, श्री अखिलेश प्रसाद (मोतिहारी)

सिंह, श्री अजित (बागपत)

सिंह, श्री अजीत कुमार (बिक्रमगंज)

सिंह, श्री उदय (पूर्णिया)

सिंह, श्री कल्याण (बुलन्दशहर)

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन (गोंडा)

सिंह, श्री गणेश (सतना)

सिंह, श्री गणेश प्रसाद (जहानाबाद)

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप (सीधी)

सिंह, श्री चन्द्रभान (दमोह)

सिंह, श्री चन्द्रभूषण (फरुखाबाद)

सिंह, श्री दुष्यंत (झालावाड़)

सिंह, श्री प्रभुनाथ (महाराजगंज, बिहार)

सिंह, श्री बृजभूषण शरण (बलरामपुर)

सिंह, श्री मानवेन्द्र (बाड़मेर)

सिंह, श्री मोहन (देवरिया)

सिंह, श्री राकेश (जबलपुर)

सिंह, श्री रामसेवक (ग्वालियर)

सिंह, श्री रेवती रमन (इलाहाबाद)

सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)

सिंह, श्री विजयेन्द्र पाल (भीलवाड़ा)

सिंह, श्री विश्वेन्द्र (भरतपुर)

सिंह, श्री सरताज (होशंगाबाद)

सिंह, श्री सीताराम (शिवहर)

सिंह, श्री सुग्रीव (फूलबनी)

सिंह, श्री सूरज (बलिया, बिहार)

सिंह, श्रीमती कान्ति (आरा)

सिंह, श्रीमती प्रतिभा (मंडी)

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी (बोलनगीर)

सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी (कृषनगर)

सिद्दीश्वर, श्री जी. एम. (दावणगेरे)

सिद्धू, श्री नवजोत सिंह (अमृतसर)

सिप्पीपाराई, श्री रविचन्द्रन (शिवकाशी)

सिब्बल, श्री कपिल (चांदनी चौक)

सील, श्री सुधांशु (कलकत्ता उत्तर–पश्चिम)

सुगावनम, श्री ई. जी. (कृष्णागिरि)

सुजाता, श्रीमती सी. एस. (मवेलीकारा)

सुब्बा, श्री मणी कुमार (तेजपुर)

सुब्बारायण, श्री के. (कोयम्बटूर)

सुमन, श्री रामजीलाल (फिरोजाबाद)

सुम्बरूई, श्री बागुन (सिंहभूम)

सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा (अडूर)

सूर्यवंशी, श्री नरसिंहराव हु. (बीदर)

सेठ, श्री लक्ष्मण (तामलुक)

सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेनथिल, डा. आर. (धर्मपुरी)

सेन, श्रीमती मिनाती (जलपाईगुड़ी)

सेलवी, श्रीमती वी. राधिका (तिरूचेन्दूर)

सोनोवाल, श्री सर्वानन्द (डिब्रुगढ़)

सोरेन, श्री शिबु (दुमका)

सोलंकी, श्री भरतसिंह माधवसिंह (आनन्द)

सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह (गोधरा)

स्वाईं, श्री खारबेल (बालासोर)

स्वाईं, श्री हरिहर (आस्का)

ह

हनुमनथप्पा, श्री एन.वाई. (चित्रदुर्ग)

हमज़ा, श्री टी. के. (मंजेरी)

हर्ष कुमार, श्री जी. वी. (अमलापुरम)

हसन, श्री मुनव्वर (मुजफ्फरनगर)

हान्डिक, श्री विजय (जोरहाट)

हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह (रोहतक)

हुसैन, श्री अनवर (धूबरी)

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान (मुर्शिदाबाद)

हेगड़े, श्री अनंत कुमार (कनारा)

लोकसभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

भारत सरकार

मंत्रिपरिषद्

मंत्रिपरिषद स्तर के मंत्री

डा. मनमोहन सिंह	प्रधानमंत्री तथा उन मंत्रालयों / विभागों के भी प्रभारी जो विनिर्दिष्टतया किसी अन्य मंत्री को आबंटित नहीं किए गए हैं जैसे : 1. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय 2. योजना मंत्रालय 3. परमाणु ऊर्जा विभाग; तथा 4. अंतरिक्ष विभाग
श्री प्रणब मुखर्जी	रक्षा मंत्री
श्री अर्जुन सिंह	मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री शरद पवार	कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
श्री लालू प्रसाद	रेल मंत्री
श्री शिवराज वि. पाटील	गृह मंत्री
श्री रामविलास पासवान	रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री
श्री गुलाम नबी आजाद	संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री
श्री एस. जयपाल रेड्डी	सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री
श्री शीश राम ओला	खान मंत्री
श्री पी. चिदम्बरम	वित्त मंत्री
श्री महावीर प्रसाद	लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री
श्री पी.आर. किन्डिया	जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री
श्री टी. आर. बालू	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
श्री शंकर सिंह वाघेला	वस्त्र मंत्री
श्री के. नटवर सिंह	विदेश मंत्री

श्री कमल नाथ	वाणिज्य और उद्योग मंत्री
श्री हंस राज भारद्वाज	विधि और न्याय मंत्री
श्री पी. एम. सईद	विद्युत मंत्री
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	ग्रामीण विकास मंत्री
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	जल संसाधन मंत्री
श्री मणि शंकर अय्यर	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री
श्री सुनील दत्त	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री
श्रीमती मीरा कुमार	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
श्री के. चन्द्रशेखर राव	श्रम और रोजगार मंत्री
श्री शिबु सोरेन	कोयला मंत्री
श्री ए. राजा	पर्यावरण और वन मंत्री
श्री दयानिधि मारन	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
डा. अंबुमणि रामदास	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री संतोष मोहन देव	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री जगदीश टाइटलर	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री ऑस्कर फर्नांडीस	सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्रीमती रेनुका चौधरी	पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री सुबोध कांत सहाय	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री कपिल सिब्बल	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री
श्री विलास मुत्तेमवार	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री
कुमारी सैलजा	शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री प्रफुल पटेल	नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री प्रेमचंद गुप्ता	कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री ई. अहमद	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुरेश पचौरी	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री विजय हान्डिक	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. दासरि नारायण राव	कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. शकील अहमद	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
राव इन्द्रजीत सिंह	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री नारनभाई राठवा	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के. एच. मुनियप्पा	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एम. वी. राजशेखरन	योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री कांतिलाल भूरिया	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री माणिकराव होडल्या गावित	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री पृथ्वीराज चव्हाण	प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
श्री तस्लीमुद्दीन	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ए. नरेन्द्र	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री आर. वेलु	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस. रघुपति	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के. वेंकटपति	विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती कान्ति सिंह	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री नमोनारायन मीना	पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जय प्रकाश नारायण यादव	जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. अखिलेश प्रसाद सिंह	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा

बुधवार, 1 दिसम्बर, 2004/10 अग्रहायण, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान की धुन बजाई गई)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब महासचिव, हाल ही में हुए उप चुनावों में निर्वाचित सदस्यों तथा नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान करने के लिए पुकारेंगे।

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री नरसिंग हुल्ला सूर्यवंशी (बीदर)

श्री फ्रांसिस फैन्थम (नामनिर्दिष्ट)

सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड (नामनिर्दिष्ट)

पूर्वाह्न 11.05 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को संयुक्त अरब अमीरात के प्रेसीडेंट, महामहिम शेख जैयद बिन सुल्तान अल नहयान, फिलस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण के प्रेसीडेंट और फिलस्तीनी मुक्ति संगठन के चेयरमैन, महामहिम यासीर अराफात तथा अपने नौ भूतपूर्व साथियों यथा श्री एन. वेंकट रत्नम, श्री मीठा लाल मीणा, श्री कृष्णानंद राय, श्री सुबोध चन्द्र हंसदा, श्री बी.पी. मोर्या, श्री किशन पटनायक, श्री नीलमणि राउतराय, श्री श्यामनंदन मिश्र और श्री वी.वी. राघवन के दुखद निधन की सूचना देनी है।

शेख जैयद बिन सुल्तान अल नहयान के निधन से संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पिता तुल्य महापुरुष, अरब विश्व ने एक भविष्यद्रष्टा एवं एक बुजुर्ग राजनयिक तथा भारत ने एक अत्यंत प्रिय मित्र खो दिया है।

शेख जैयद की विवेकशीलता और दूरदर्शी दृष्टिकोण के चलते संयुक्त अरब अमीरात का विकास एक स्थिर, संपन्न और आधुनिक राष्ट्र राज्य के रूप में हुआ। आधुनिकता एवं परंपरा के उनके प्रशंसनीय समन्वय, संयुक्त अरब अमीरात की जनता की शिक्षा में उनकी गहरी रुचि, पर्यावरणीय संरक्षण और मरूभूमि के हरितकरण संबंधी उनके प्रयासों और उग्रवाद के विरुद्ध उनके कड़े रुख ने एक अमिट छाप छोड़ी है। शेख जैयद के प्रेसीडेंट रहते भारत और संयुक्त अरब अमीरात के सम्बन्ध बड़े मधुर रहे। हमें आशा है कि आने वाले वर्षों में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच विशेष सम्बन्ध और प्रगाढ़ होंगे।

यह सभा शेख जैयद के निधन से होने वाली अपूरणीय क्षति में अबू धाबी के शासक परिवार, नेतृत्व और संयुक्त अरब अमीरात की जनता के शोक में शामिल है।

प्रेसीडेंट यासीर अराफात का निधन गुरुवार, 11 नवम्बर, 2004 को हुआ। वह अरब विश्व के एक शीर्षस्थ नेता थे और फिलस्तीनी राष्ट्रीयता के सतत् प्रतीक के रूप में पूरी दुनिया में उनकी पहचान बनी। उनके एकल नेतृत्व और आजीवन बलिदान तथा अपनी जनता की आशा और आकांक्षाओं की प्राप्ति हेतु संघर्ष ने उन्हें अपने जीवन काल में ही किवदंती बना दिया था। मध्य–पूर्व शांति प्रक्रिया की शुरूआत द्वारा शांतिपूर्ण संकल्प की राह का निर्माण और पश्चिम एशिया एवं फिलस्तीन पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निरंतर दृष्टि प्रेसीडेंट अराफात के अदम्य साहस, दूरदर्शिता और अथक प्रयासों के परिणाम हैं, हालांकि उन्हें उन दिशाओं में भारी कठिनाइयों और व्यक्तिगत कष्टों का सामना करना पड़ा। उन्हें नोबल शांति पुरस्कार से ठीक ही सम्मानित किया गया। वह फिलस्तीनी मुद्दे, फिलस्तीन

के नए नेतृत्व, फिलस्तीनी जनता और दुनिया भर के सभी शांतिप्रिय लोगों के लिए प्रेरणास्रोत बने रहेंगे।

प्रेसीडेंट अराफात भारत की जनता और हमारे नेताओं के घनिष्ठ मित्र और एक अत्यंत प्रतिष्ठित राजनयिक थे। फिलस्तीनी मुद्दे के साथ हमारा संबंध हमारी अपनी आजादी की लड़ाई के समय सह ही जुड़ा हुआ है। भारत फिलस्तीनी जनता और फिलस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण के नेताओं को उनके स्वतंत्र देश के लिए चल रहे संघर्ष में राष्ट्रपति अराफात की आशाओं और आकांक्षाओं का समर्थन करता रहेगा। यह सभा प्रेसीडेंट अराफात की मृत्यु पर अत्यंत शोक व्यक्त करती है।

सभा श्रीमती अराफात, फिलस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण के नेताओं और फिलस्तीनी जनता को अपनी हार्दिक संवेदना प्रेषित करती है।

श्री एन. वेंकट रत्नम 1984 से 1989 तक आंध्र प्रदेश के तेनाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

इसके पूर्व, श्री वेंकट रत्नम 1972 से 1978 तक और 1983 से 1984 तक आंध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। वह 1983 से 1984 तक आंध्र प्रदेश सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 1984 में उनका चुनाव विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में हुआ।

श्री वेंकट रत्नम एक कुशल सांसद थे और वह 1985 और 1986 के दौरान विशेषाधिकार समिति और प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे। वह जनवरी, 1988 में जिम्बावे गये तथा भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य भी थे।

पेशे से वकील श्री वेंकट रत्नम पंचायत न्यायालय, गुंटूर के अध्यक्ष और गुंटूर बार एसोसिएशन के सचिव रहे। वह एक प्रख्यात समाज सेवक थे। और उन्होंने पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया।

ललित कलाओं में भी उनकी गहरी रुचि थी।

श्री एन. वेंकट रत्नम का निधन 77 वर्ष की आयु में 6 अगस्त, 2004 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में हुआ।

श्री मीठा लाल मीणा राजस्थान के सवाई माधोपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 1967 से 1970 और 1977 से 1979 तक क्रमशः चौथी और छठी लोक सभा के सदस्य रहे।

श्री मीणा एक समर्पित सांसद के रूप में 1968 से 1970 तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति और छठी लोक सभा में विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे। वह 1967 से 1969 तक राष्ट्रीय रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति; 1968 से 1970 तक भारत सरकार के पिछड़ा वर्ग सुधार आयोग और वर्ष 1970 के दौरान केन्द्रीय विक्रय कर जांच आयोग के सदस्य रहे।

श्री मीणा 1972 से 1977 तक राजस्थान विधान सभा के भी सदस्य रहे। वह 1976 के दौरान राजस्थान विधान सभा की पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष रहे।

पेशे से कृषक और उद्योगपति श्री मीणा एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने ग्रामीण जनता के कल्याण और पिछड़े समुदायों के सामाजिक सुधार के लिए अथक कार्य किया।

वह 1969–70 के दौरान विवेकानंद स्मारक समिति, सवाई माधोपुर के उपाध्यक्ष और 1968 के दौरान अखिल भारतीय मीणा जाति संघ के कोषाध्यक्ष भी रहे।

श्री मीठा लाल मीणा का निधन 66 वर्ष की आयु में 11 अगस्त, 2004 को राजस्थान के करौली में हुआ।

श्री कृष्णानंद राय 26 जनवरी, 1950 से 17 अप्रैल, 1952 तक उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतिनिधि के रूप में अंतरिम संसद के सदस्य रहे।

श्री राय उत्तर प्रदेश विधान सभा में 1962, 1967 और 1969 के तीन कार्यकालों के लिए भी चुने गए थे। उन्होंने राज्य सरकार में स्वास्थ्य और सहकारिता मंत्री के रूप में भी काम किया।

व्यवसाय से वकील श्री राय "हिन्दी साहित्य सम्मेलन" की कार्यकारी समिति के सदस्य रहे।

श्री राय एक सुविख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थे। नाटक मंचन और वाद–विवाद में उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने "पीपल्स क्लब" के महासचिव के रूप में भी कार्य किया। वह "नागरी प्रचार ड्रेमैटिक एसोसिएशन" के संयोजक और "डिबेटिंग क्लब, गाजीपुर" के आयोजक भी रहे।

श्री राय साहित्यिक मनोवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने "हिस्ट्री

ऑफ गाजीपुर" और "इंडिया एंड डेमोक्रेसी" नामक पुस्तकें लिखी। वह एक स्थानीय हिन्दी साप्ताहिक, "लोक सेवक" के संपादक भी रहे।

श्री कृष्णानंद राय का निधन कुछ दिन बीमार रहने के बाद 12 सितम्बर, 2004 को 83 वर्ष की आयु में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ।

श्री सुबोध चन्द्र हंसदा 1954 से 1967 तक और 1971 से 1977 तक पहली, दूसरी, तीसरी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे। वह झाड़ग्राम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पहली और तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे। वह पश्चिम बंगाल के मिदनापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

एक सक्रिय सांसद के रूप में श्री हंसदा 1963 से 1964 तक प्राक्कलन समिति और 1965 के दौरान सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य रहे।

श्री हंसदा एक कुशल प्रशासक थे और उन्होंने 1973 से 1974 तक इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री के रूप में भी कार्य किया।

श्री हंसदा एक कृषक और सुविख्यात समाजसेवी थे। वह अनुसूचित जनजातियों के कल्याण कार्य में सतत् रूप से लगे रहे। वह अनेक कल्याणकारी समितियों से सम्बद्ध थे। वह वर्ष 1966 में पश्चिम बंगाल की राज्य अनुसूचित जनजाति समिति के अध्यक्ष और पूर्व रेलवे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने 1960 में भारत सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

वह 1958 से 1960 तक केन्द्रीय अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद् और अनेक वर्षों तक अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद् पश्चिम बंगाल के सदस्य भी रहे।

श्री हंसदा ने उल्लेखनीय रूप में झाड़ग्राम अशोक विद्यापीठ और राणारानी के हाई स्कूल अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह कगपगरी कॉलेज के शासी निकाय के सदस्य और झाड़ग्राम के निखिल भारत बनवासी पंचायत के सचिव भी रहे।

खेलकूद में गहरी रुचि होने के कारण श्री हंसदा ने 1949 से 1952 तक जिला आदिवासी खेलकूद संघ के सचिव और पुनः 1953 से 1954 तक उसके उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

श्री सुबोध चन्द्र हंसदा का निधन 26 सितम्बर, 2004 को कुछ दिन बीमार रहने के बाद 77 वर्ष की आयु में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के झाड़ग्राम में हुआ।

श्री बी.पी. मौर्या 1962 से 1967 तक और 1971 से 1977 तक क्रमशः उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और हापुड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से तीसरी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

श्री मौर्या एक कुशल सांसद थे। उन्होंने 1966 से 1967 तक लोक लेखा समिति और 1973 से 1974 तक विशेषाधिकार समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।

श्री मौर्या आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में 1978 से 1984 तक राज्य सभा के भी सदस्य रहे। उन्होंने 11 जनवरी से 10 अक्तूबर, 1974 तक केन्द्रीय मंत्रिमंडल में कृषि राज्य मंत्री; 10 अक्तूबर, 1974 से 9 अगस्त, 1976 तक उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री और 9 अगस्त, 1976 से 24 मार्च, 1977 तक उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

व्यवसाय से शिक्षक और वकील श्री मौर्या 1946 से 1957 तक अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण में लगा दिया। वह विभिन्न समाज कल्याण संस्थाओं से भी जुड़े हुए थे।

श्री मौर्या ने अनेक विदेश यात्राएं की तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। वह 1972–73 के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ की यात्रा पर गए भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य थे तथा उन्होंने 1974 एवं 1975 में अल्जीरिया और बुलगारिया में हुए यूनिडो सम्मेलनों में भारतीय शिष्टमंडलों के नेता के रूप में भाग लिया। वह 1981 में हवाना में हुए अंतर–संसदीय संघ सम्मेलन के भारतीय शिष्टमंडल के भी सदस्य थे।

श्री बी. पी. मौर्या का निधन कुछ दिन बीमार रहने के बाद 27 सितम्बर, 2004 को 76 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ।

श्री किशन पटनायक, 1962 से 1967 तक तीसरी लोक

सभा के सदस्य थे। उन्होंने उड़ीसा के सम्बलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक कुशल सांसद श्री पटनायक 1966 से 1967 तक सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे। श्री पटनायक डा. राम मनोहर लोहिया के समर्पित अनुयायी थे। बिहार और उत्तर प्रदेश में उन्हें छोटे लोहिया के नाम से जाना जाता था। उन्होंने किसानों और श्रमिकों के उत्थान के लिए अथक कार्य किए। कर्नाटक रैथा राज्य संघ सहित देशभर में किसानों के आन्दोलनों में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। समाज के पददलित वर्गों एवं गरीबों की समस्याओं के निदान हेतु उन्होंने लोक सभा के विभिन्न नियमों के तहत अपनी भावनाएं व्यक्त कीं।

एक प्रख्यात सामाजिक चिन्तक, कार्यकर्ता एवं लेखक श्री पटनायक ने हिन्दी, अंग्रेजी और उड़िया भाषा में गहन लेखन कार्य किया। वह हिन्दी पत्रिका 'जन' के संयुक्त सम्पादक तथा डा. लोहिया द्वारा प्रकाशित अखबार 'मैनकाइंड' के सम्पादकीय बोर्ड के सदस्य थे और बाद में इसके सम्पादक भी रहे। उन्होंने उड़िया अखबार 'सम्यक वार्ता तथा विकल्प' के सम्पादक के पद पर भी कार्य किया।

श्री किशन पटनायक का निधन कुछ दिन बीमार रहने के पश्चात् 27 सितम्बर, 2004 को भुवनेश्वर, उड़ीसा में 74 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री नीलमणि राउतराय 1989 से 1991 तक नौवीं लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने उड़ीसा के पुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इसके पूर्व वे वर्ष 1976 से 1977 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। एक कुशल प्रशासक श्री राउतराय ने वर्ष 1989–90 के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालयों में केन्द्रीय मंत्री के पद पर कार्य किया।

श्री राउतराय वर्ष 1948 से 1967, 1971 से 1973 एवं पुनः 1977 से 1980 तक उड़ीसा विधानसभा के भी सदस्य रहे। उड़ीसा सरकार में वह मंत्री पद पर रहे और 1952 से 1967 के दौरान अनेक मंत्री पदों का कार्यभार संभाला। वह 1964 से 1967 तक तथा पुनः 1971 से 1973 तक उड़ीसा के उपमुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1977 में वह उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने और 1980 तक इस पद पर सुशोभित रहे।

श्री राउतराय एक अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी थे तथा उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया और जेल गए।

एक सुविख्यात सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता श्री राउतराय अनेक सामाजिक और राजनैतिक संगठनों से सक्रिय रूप से सम्बद्ध रहे। वर्ष 1944 में उत्तर बालासोर के चक्रवात और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में उनका सराहनीय योगदान रहा। वर्ष 1946 में कोलकाता में दंगा प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास हेतु उनका सक्रिय योगदान रहा।

उन्होंने देश–विदेश का काफी भ्रमण किया और 1963 में जेनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

श्री राउतराय उड़िया भाषा के दैनिक अखबार 'प्रजातंत्र' के सम्पादक थे। वह एक सुविख्यात लेखक थे। वर्ष 1988 में उन्हें उड़ीसा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

श्री नीलमणि राउतराय का निधन 4 अक्तूबर, 2004 को कटक, उड़ीसा में 84 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री श्यामनंदन मिश्र 1950 से 1962 तथा 1977 से 1979 तक अंतरिम संसद, पहली, दूसरी एवं छठी लोकसभा के सदस्य रहे और उन्होंने बिहार के क्रमशः दरभंगा उत्तर, जयनगर तथा बेगुसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

श्री मिश्र एक विख्यात सांसद के साथ–साथ बिहार राज्य से दिसम्बर, 1962 से मार्च 1971 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे। वह 1969 से 1971 तक राज्य सभा में विपक्ष के नेता रहे। छठी लोकसभा की सदस्यता के दौरान वे लोकपाल विधेयक संबंधी संयुक्त समिति, 1977 के सभापति भी रहे।

वह एक कुशल प्रशासक थे और उन्होंने 1951 से 1952 तक भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री के संसदीय सचिव के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1954 से 1962 तक योजना मंत्रालय में उपमंत्री एवं 1979 से 1980 तक संचार मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार सहित विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया।

व्यवसाय से शिक्षक श्री मिश्र ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय

रूप से भाग लिया और 1942–43 के भारत छोड़ो आन्दोलन में जेल गए। एक सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता श्री मिश्र अनेक सामाजिक और राजनैतिक संगठनों से सम्बद्ध थे। वह 'लिब्रेटर' और 'बिहार वैभव' के सम्पादक थे।

उन्होंने देश–विदेश का व्यापक भ्रमण किया। वह विदेशों में गए अनेक भारतीय संसदीय शिष्टमंडलों के सदस्य भी रहे और अनेक अंतर्राष्ट्रीय अवसरों पर उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें वर्ष 1954 में श्रीलंका में कैन्डी में आयोजित 'इकोनोमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फारईस्ट' के दसवें अधिवेशन; 1954 में न्यूयार्क में 'युनाइटेड नेशन्स एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल आर्गेनाइजेशन, के सत्रहवें अधिवेशन; 1965 में डबलिन में हुई 'अन्तर–संसदीय परिषद' की बैठक; 1965 में तत्कालीन संयुक्त सोवियत गणराज्य में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल और 1973 में लंदन में हुए उन्नीसवें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में भेजा गया था।

श्री श्यामनंदन मिश्र का निधन 25 अक्तूबर, 2004 को पटना, बिहार में 84 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री वी.वी. राघवन, 1996 से 1999 तक ग्यारहवीं और बारहवीं लोकसभा के सदस्य रहे और उन्होंने केरल के त्रिचूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक सक्रिय सांसद, श्री राघवन 1996 से 1997 तक वाणिज्य समिति, वर्ष 1998–99 के दौरान रेल संबंधी समिति; संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति और रेल मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे।

श्री राघवन जुलाई, 2000 से अपने निधन तक केरल राज्य से राज्यसभा के वर्तमान सदस्य थे। राज्यसभा के सदस्य के रूप में वह अनेक संसदीय समितियों से सम्बद्ध रहे।

उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया और जेल भी गए।

वह 1948 से 1963 तक त्रिचूर म्युनिसिपल काउंसिल के सदस्य रहे। वर्ष 1987 से 1996 तक वह केरल विधान सभा के सदस्य रहे। एक कुशल प्रशासक श्री राघवन वर्ष 1987 से 1991 तक केरल सरकार में कृषि मंत्री के पद पर रहे। एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता श्री राघवन ने कृषि समुदाय के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं शुरू की, जैसे कि केरल में ग्रुप फार्मिंग प्रणाली का लागू किया जाना, सम्पूर्ण राज्य में कृषि हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग एवं प्रसार हेतु पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में कृषि विकास समितियों की स्थापना किया जाना।

श्री राघवन ने अपना सम्पूर्ण जीवन समाज के निर्धन, पददलित और कामकाजी वर्गों के उत्थान एवं कल्याण हेतु समर्पित किया।

लेखक के रूप में उन्होंने मलयाली भाषा में दो पुस्तकें लिखीं।

वर्ष 1977 में उन्हें सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड तथा 1997 में उत्कृष्ट सांसद हेतु 'शंकर नारायण थम्पी अवार्ड' से पुरस्कृत किया गया। श्री राघवन ने 1996 में न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक में भी भाग लिया था।

श्री वी.वी. राघवन का निधन 27 अक्तूबर, 2004 को तिरूवनन्तपुरम, केरल में कुछ दिन बीमार रहने के पश्चात् 81 वर्ष की आयु में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मैं अपनी ओर से तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ।

पूर्वाह्न 11.23 बजे

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ क्षण के लिए मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय प्रधानमंत्री बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में मो. ताहिर, जो हमारी पार्टी के सांसद हैं, उन पर हमला किया गया है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव) : उन्हें रिहा किया जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने हमला किया है, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिये। हमारी पार्टी के सांसद को रिहा किया जाना चाहिये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय प्रधानमंत्री को बुलाया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप सूचना दीजिए, मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। अभी बैठ जाइए। कुछ नियम और प्रक्रियाएं हैं हमें यह सत्र इस प्रकार से शुरू नहीं करना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.24 बजे

(इस समय श्री इलियास आजमी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह उत्तर प्रदेश की विधान सभा नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको अपने–अपने स्थान पर वापस जाना होगा अन्यथा मुझे आपको दण्डित करना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको दण्डित करूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय प्रधानमंत्री बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए। आप गैर–जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको समय दूंगा। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.25 बजे

मंत्री का परिचय

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, मैं हाल ही में परिषद में सम्मिलित किए गए कोयला मंत्री, श्री शिबु सोरेन का परिचय इस सभा से कराता हूँ।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अपने–अपने स्थान पर जाइए।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको दण्डित करूंगा। आप क्या चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सब अपनी–अपनी सीट पर जाइये और जब मैं कहूं, तभी बोलिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उनके नाम लिख लीजिए। मैं उन्हें नाम लेकर चेतावनी देता हूँ।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप तो एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। आपके सभी नेताओं ने वायदा किया है। अपने स्थान पर जाइए और बैठिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री एम. अप्पादुरई, प्रश्न संख्या–एक।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप वहां जाइए और बैठ जाइए। मैं आपके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपको नाम लेकर चेतावनी देनी पड़ेगी। मैं आपको नाम लेकर चेतावनी देता हूं। आप क्या कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या बात कर रहे हैं? इस संबंध में आपने कोई नोटिस नहीं दिया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात को सुनूंगा लेकिन आप सब अपनी–अपनी सीटों पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अपने–अपने स्थान पर नहीं जाते हैं तो मैं आपको सदन से आज के लिए निलम्बित कर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी को निलम्बित करूंगा।

[हिन्दी]

मुझे आप बोलने का मौका नहीं देते।

[अनुवाद]

आप क्या कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने इसका कोई नोटिस दिया है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री राजेश वर्मा, श्री राजाराम पाल, श्री ब्रजेश पाठक, श्री इलियास आज़मी, श्री मित्रसेन यादव, मो. मुकीम, श्री भाल चन्द्र यादव, श्री कमला प्रसाद रावत, श्री अशोक कुमार रावत और मोहम्मद शाहिद को चेतावनी देता हूँ।

मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। यह अन्तिम चेतावनी है। कृपया अपने–अपने स्थान पर वापस जाइए। मैं आपकी बात सुनूंगा। आप क्या कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सब अपनी–अपनी सीटों पर जाइए। अगर आप अपनी सीट पर जाएंगे तो हम बात करेंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी से अपने–अपने स्थान पर वापस जाने का अनुरोध कर रहा हूं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कृपया अपने–अपने स्थान पर वापस जाइए।

[हिन्दी]

आप पहले वहां जाकर बैठिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको निलम्बित करूंगा। आसन के पास आने वाले को निलम्बित किया जाएगा। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं।

[हिन्दी]

आप वहां जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जो पहले नहीं हुआ, वह आज से होगा। आप जाकर बैठिये। ये संसद है और आप सांसद हैं इसलिए आप सांसद की तरह काम कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : किसने कहा कि हम बात नहीं सुनेंगे? आपने नोटिस भी नहीं दिया है। आप अपनी सीटों पर जाकर बैठिये।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.32 बजे

(इस समय श्री इलियास आज़मी और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर वापस चले गए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या संसद सदस्य को ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए? कृपया बैठ जाइए। आपको सही व्यवहार करना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए। आपको अभी बोलने की अनुमति नहीं दी गई है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे अप्रिय कार्यवाही करने के लिए बाध्य न करें। मैं अब और इसे स्वीकार नहीं करूंगा। आप सबने सभा को सुचारु रूप से चलाने के लिए मुझे सहयोग देने का भरोसा दिलाया है। मुझे आपकी कोई सूचना नहीं मिली है। यह प्रश्न काल है। आप ऐसा मामला उठा रहे हैं जिसका किसी को पता नहीं है। क्या भारत की संसद में ऐसे व्यवहार किया जाना चाहिए?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मोहम्मद शाहिद (मेरठ) : अध्यक्ष महोदय, हमारे मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट को जेल भेज दिया गया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको शर्म आनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप फिर खड़े हो रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कह रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थान पर बैठेंगे या नहीं? आप संसद का तमाशा बना रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यह तमाशा नहीं चलेगा।

अब, हम प्रश्न काल शुरू करते हैं। श्री एम. अप्पादुरई।

पूर्वाह्न 11.35 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

'एड्स' की रोकथाम

\+

*1. **श्री एम. अप्पादुरई :**

श्री भाल चन्द्र यादव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एच आई वी/एड्स से ग्रस्त रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में एड्स रोगियों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिऐ एक विशेषज्ञ दल नियुक्त करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस रोग के सर्वाधिक खतरे की संभावना वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(च) इन राज्यों में इस रोग को नियंत्रित करने के लिए कौन से विशेष उपाय किए जा रहे हैं;

(छ) क्या सरकार को भारत में एच आई वी/एड्स का उपचार और रोकथाम संबंधी विश्व बैंक की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ज) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है/की जा रही है;

(झ) क्या सरकार का विचार एच आई वी ग्रस्त लोगों और बच्चों को स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में एक विशेष केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ञ) यदि हां, तो इस रोग की रोकथाम के लिए क्या कार्ययोजना अपनायी गयी है/अपनायी जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ञ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचित किए गए एड्स के रोगियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न अनुबंध–I में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने देश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का एक स्वतंत्र मूल्यांकन करने और एक स्वतंत्र व्यावसायिक परामर्शी एजेंसी के माध्यम से एच आई वी/एड्स के आकलन का पुनरीक्षा–सह–मूल्यांकन भी करने का निर्णय लिया है।

(ङ) कुछ राज्यों में मौजूदा अति संवेदनशीलता की स्थितियों जैसे अधिक जनसंख्या, प्रवासी मजदूरों और स्वास्थ्य संबंधी कमजोर अवसंरचना को देखते हुए कम व्याप्तता वाले 14 राज्यों को अत्याधिक अतिसंवेदनशील राज्यों के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। उनकी सूची संलग्न अनुबंध–II में दी गई है।

(च) इन राज्यों में रोग नियंत्रण के लिए निम्नलिखित विशेष उपाय किए जा रहे हैं:

- कार्यक्रम को पुनः संरचित करने के लिए सभी विभागों के कार्यक्रमं में एच आई वी/एड्स को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की बहुक्षेत्रीय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एड्स संबंधी राज्य परिषद बनाने का विचार है। राष्ट्रीय नीतियों और दिशा–निर्देशों को अपनाते

हुए एच आई वी/एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयंन के लिए राज्य स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य एड्स शासी समिति बनाने का भी प्रस्ताव है। राज्य स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी बोर्ड द्वारा भी राज्य एड्स नियंत्रण कार्यकलापों में मार्गदर्शन करने, उनका पर्यावलोकन करने और उन्हें मानीटर करने का प्रस्ताव है।

- पूरे मीडिया को शामिल करते हुए एक गहन जन जागरूकता अभियान कार्यान्वित किया जाएगा।
- लक्षित कार्यकलाप द्वारा उच्च जोखिम वाले सभी समूह कवर किए जायेंगे।
- राज्य के प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित सुविधाएं स्थापित की जाएंगी नामतः निःशुल्क स्वैच्छिक परामर्श और जांच केन्द्र, यौन संचारित संक्रमण क्लिनिक, मां से बच्चे को होने वाले संचरण के निवारण हेतु केन्द्र और आधुनिक रक्त बैंक।

(छ) जी, हां। विश्व बैंक ने सरकार के साथ "भारत में एच आई वी/एड्स का उपचार और निवारण" नामक रिपोर्ट में योगदान दिया है।

(ज) सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:–

- चुनिंदा सरकारी संस्थाओं के माध्यम से एंटी–रिट्रोवायरल थिरेपी कार्यान्वित करते समय कार्यक्रम के निवारण घटक को कम नहीं किया जाएगा।
- सूचना, शिक्षा, संचार कार्यकलापों के लिऐ समग्र आबंटन में बढ़ोत्तरी की जाएगी। एच आई वी पर मीडिया के धुआंधार प्रचार (ब्लिट्ज) के लिए एक गहन संचार अभियान की योजना बनाई गई है ताकि पूरा देश 6 महीने के भीतर एड्स/एच आई वी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके।
- काफी बड़े स्तर पर कंडोम इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई गई है।
- 15–25 वर्ष के आयु समूह के परामर्श के लिए ग्रामीण क्षेत्र में मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों में युवा अनुकूल (यूथ फ्रैंडली) सूचना केन्द्र स्थापित करना प्रस्तावित है।
- एड्स नियंत्रण पर राष्ट्रीय भागीदारी में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, गैर सरकारी संगठनों, निजी एजेंसियों, कारपोरेट सेक्टर, मीडिया, विधिवेता समूह (लीगल फ्रेटरनिटी), मेडिकल एसोसिएशनों आदि को शामिल करने की योजना है।
- विश्व बैंक से सहायता के तीसरे चरण की तैयारी भी शुरू कर दी गई है।

(झ) और (ञ) सरकार का प्रत्येक जिले में एक स्वैच्छिक परामर्श और जांच केन्द्र, मां से बच्चे को होने वाले संचरण के निवारण हेतु केन्द्र और यौन क्लिनिक खोलने तथा प्रत्येक जिले में एक आदर्श रक्त बैंक स्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिनका चरणबद्ध तरीके से जिला स्तर से नीचे तक विस्तार किया जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा 745 स्वैच्छिक परामर्श और जांच केन्द्रों, मां से बच्चे को होने वाले संचरण के निवारण हेतु 273 केन्द्रों, 645 यौन संचारित रोग क्लिनिकों और 1040 रक्त बैंकों की सहायता की जा रही है। राज्यों को बाकी जिलों जहां पर वर्तमान में सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, में इन केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है।

अनुबंध-I

पिछले तीन वर्षों और अक्तूबर, 2004 तक सूचित एड्स रोगियों की संख्या

क्रमांक	राज्य	2001 में सूचित	2002 में सूचित	2003 में सूचित	अक्तूबर, 2004 तक संचयी
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5	6	5	33
2.	आंध्र प्रदेश	732	1085	4123	9549

1	2	3	4	5	6
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
4.	असम	47	16	50	225
5.	बिहार	63	28	9	155
6.	चंडीगढ़	189	223	161	991
7.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
8.	दमण और दीव	0	0	0	1
9.	दिल्ली	158	106	119	925
10.	गोवा	48	68	174	463
11.	गुजरात	902	1108	1124	5152
12.	हरियाणा	76	53	54	385
13.	हिमाचल प्रदेश	51	29	28	199
14.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	2
15.	कर्नाटक	541	294	259	2043
16.	केरल	259	385	626	1769
17.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
18.	मध्य प्रदेश	156	156	145	1260
19.	महाराष्ट्र	2043	3818	5072	18494
20.	मणिपुर	307	582	1187	2866
21.	मेघालय	0	0	0	8
22.	मिजोरम	5	14	18	97
23.	नागालैंड	131	87	84	645
24.	उड़ीसा	47	15	1	128
25.	पांडिचेरी	21	140	0	302
26.	पंजाब	40	59	28	292

1	2	3	4	5	6
27.	राजस्थान	98	292	289	1089
28.	सिक्किम	2	2	2	8
29.	तमिलनाडु	7354	9101	7130	40214
30.	त्रिपुरा	0	5	0	5
31.	उत्तर प्रदेश	229	359	405	1383
32.	पश्चिम बंगाल	207	969	611	2397
	कुल	13711	19000	21704	91080

अनुबंध-II

उच्च अतिसंवेदनशील राज्यों की सूची

1. असम
2. बिहार
3. दिल्ली
4. हिमाचल प्रदेश
5. केरल
6. मध्य प्रदेश
7. पंजाब
8. राजस्थान
9. उत्तर प्रदेश
10. पश्चिम बंगाल
11. छत्तीसगढ़
12. झारखंड
13. उड़ीसा
14. उत्तरांचल

***श्री एम. अप्पादुरई** : महोदय, तिरुवल्लूवर के अनुसार पहले और प्रमुख सृजक 'भगवान' की भांति और पृथ्वी के लिए प्रथम वर्ण 'अ' तमिल में पहला अक्षर होता है।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मैं अप्पादुरई हूं और माननीय मंत्री अंबुमणि हैं और हमारे नाम की स्वर ध्वनि 'अ' से शुरू होते हैं। इस दिन अर्थात 'विश्व एड्स दिवस' पर मैंने एड्स के बारे में यह प्रश्न उठाया है। महोदय 1990 के शुरू में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक चेतावनी दी थी कि अफ्रीका के बाद भारतीय उपमहाद्वीप को एच आई वी तथा एड्स से खतरा है। हालांकि हमें सावधान किया गया था परन्तु हमने पर्याप्त कदम उठाने की सावधानी नहीं बरती। अब मंत्री द्वारा प्रस्तुत ब्यौरा भारत में एड्स नामक इस फैलते हुए संकट की चिंताजनक तस्वीर प्रस्तुत करता है। एड्स के मामलों की संख्या माननीय मंत्री जी के उत्तर में दी गई है और एच आई वी ग्रस्त लोगों की संख्या और अधिक हो सकती है। हमारे देश में विशेषकर तमिलनाडु में एड्स के मामलों की संख्या अधिक है। यह किसी अन्य राज्य से अधिक है। माननीय मंत्री भी उसी राज्य के हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस घातक बीमारी से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर गम्भीर प्रयास करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाएंगे?

अध्यक्ष महोदय : हां, बैठ जाइए।

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, हम माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हैं। वास्तव में वह कह रहे हैं कि पहला राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992 से चल रहा है और दूसरा कार्यक्रम 1999 से चल रहा है और आज तक हमारे देश में दक्षिण अफ्रीका के बाद दूसरे स्थान पर यानी लगभग 5.1 मिलियन मामले हैं। सरकार एड्स के प्रसार को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है।

राज्यों के बारे में उनकी चिंता के बारे में हमारे देश में छः राज्य ऐसे हैं जहां ज्यादा मामले हैं। वे हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैण्ड और मणिपुर। हम बहुत सक्रिय कदम उठा रहे हैं। चूंकि एड्स को केवल रोका जा सकता है इसलिए हम रोकथाम, जागरूकता के लिए कदम उठा रहे हैं जिसके द्वारा हम वैश्विक भागीदारी कर रहे हैं जिससे केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें, गैर–सरकारी संगठन, निगम, सभ्य समाज और हरेक सक्रिय रूप से रुचि ले रहा है।

***श्री एम. अप्पादुरई :** महोदय, मैं अपने दूसरे पूरक प्रश्न में रोकथाम के उपायों और दुर्बल वर्गों के लिए अभियान के बारे में कुछ और जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि माता–पिता से बच्चे में एच आई वी के प्रसार को रोकने जैसे उपाय किए जाते हैं तथा परामर्श दिए जाते हैं। किंतु मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस वायरस को सर्वाधिक संवेदनशील समूह अर्थात इस देश के युवाओं में कम करने तथा इसका प्रसार कम करने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं?

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, अधिक खतरे वाले समूह हैं 15 से 40 वर्ष के बीच के युवा समूह। हम 15 से 25 वर्ष के बीच के युवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इसके लिए एच आई वी/एड्स के बारे में संसदीय मंच के माध्यम से माननीय सदस्यों के सक्रिय सहयोग सहित बहुत से कदम उठाये जा रहे हैं। वास्तव में गत माह हमने युवा संसदीय मंच बनाया था जहां सम्पूर्ण देश से 4000 से अधिक युवा दिल्ली में एकत्र हुए थे। वे युवाओं में प्रचार करने के लिए हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय केवल यही नहीं कर रहा है बल्कि हम युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा पंचायती राज मंत्रालय के बीच समन्वित प्रयास कर रहे हैं। सभी मंत्रालय एक साझे उद्देश्य के लिए एक साथ आ गए हैं। यह एक ऐसा मामला है जिस पर विपक्ष तथा सत्ता पक्ष दोनों एड्स के बारे में प्रचार करने तथा इसका प्रसार रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे याद दिलाया गया है कि आज विश्व एड्स दिवस है।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। अध्यक्ष की बात में व्यवधान डालने की आदत छोड़ दी जानी चाहिए। कृपया इस बुरी आदत को छोड़ दीजिए। मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे का उल्लेख कर रहा हूं और आप इसमें व्यवधान डाल रहे हैं।

आज विश्व एड्स दिवस है, मुझे ठीक ही याद दिलाया गया है। मेरे विचार से, संसद सदस्य होने के नाते हमें भी इसके प्रति अपनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि सरकार तथा विभिन्न संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रयास सफल हों।

श्री बालचन्द्र यादव – उपस्थित नहीं हैं।

श्री चंद्रशेखर साहु : महोदय, एड्स प्रभावित 14 राज्यों की सूची में उड़ीसा भी सम्मिलित है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार, उड़ीसा के गंजम जिले में, जिसका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, वहां लगभग 47 मामलों का पता लगा है। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं परन्तु आज तक भी उन जिलों में कुछ भी नहीं किया गया है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से तत्काल कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि दिनप्रतिदिन एड्स के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अतः मैं मंत्री जी से इस मुद्दे पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

डा. अंबुमणि रामदास : मैं माननीय संसद सदस्य द्वारा प्रकट की गई चिंता की सराहना करता हूं। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे यहां छह बहुत अधिक प्रभावित राज्य हैं, तीन कुछ कम प्रभावित राज्य हैं और अन्य तथाकथित रूप से बहुत कम प्रभावित राज्य हैं, जिन्हें हमने बहुत संवेदनशील राज्यों के रूप में श्रेणीबद्ध किया है।

महोदय, मैंने 'नाको' (राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन) को छह माह का समय दिया है। इस अवधि में उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत की शत–प्रतिशत जनसंख्या एड्स, उसकी जटिलताएं तथा दुष्परिणामों के बारे में जान ले। हम सभी प्रयास कर रहे हैं तथा मुझे इससे सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति से सक्रिय सहयोग मिला है।

[हिन्दी]

श्री राजेन गोहेन : अध्यक्ष महोदय, हमें समय–समय पर

एड्स के बारे में जो आंकड़े मिलते हैं, उनमें हम काफी फर्क देखते हैं।

[अनुवाद]

श्री एस.बी. चव्हाण की अध्यक्षता में गठित मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के वर्ष 1999 के प्रतिवदेन में

[हिन्दी]

एड्स इन्फैक्टेड लोगों की संख्या 8.13 मिलियन बताई गयी थी। उसके बाद योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के इनोगरल प्रोग्राम के फेज टू में 2002 में 3. 524 मिलियन एड्स इन्फैक्टेड लोगों की संख्या बताई थी। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कॉफी अन्नान ने अनाउंस किया था कि इस देश में एड्स इन्फैक्टेड लोगों की संख्या 8.5 मिलियन है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आइए। आपको अपना अनुपूरक प्रश्न पूछना है।

[हिन्दी]

श्री राजेन गोहेन : मेरा प्रश्न यह है कि हमें जो अलग-अलग संख्या दिखाई देती है, उनमें सही संख्या क्या है और क्या भारत सरकार ने इस बारे में कभी सर्वे कराया है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि "सही संख्या क्या है?"

डा. अंबुमणि रामदास : वर्ष 1998 से पूर्व केवल ज्ञात मामलों की सूचना ही प्राप्त होती थी। ज्ञात मामलों तथा अनुमानित मामलों के बीत अंतर है। आज, ज्ञात मामलों की संख्या 91,000 है तथा अनुमानित मामलों की संख्या लगभग 51 लाख है। ताजा आंकड़ों के अनुसार आज 51 लाख मामले हैं और मैं ये आंकड़े पढ़ कर सुना सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको आंकड़े पढ़कर सुनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप पहले ही ब्योरा दे चुके हैं।

श्री पी. करुणाकरन : ऐसी बहुत सी रिपोर्टें प्राप्त होती हैं कि देश के विभिन्न भागों में छोटे बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश देने से इन्कार कर दिया गया। मैंने इस सभा के पिछले सत्र में इस मामले को उठाया था और माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया था कि सरकार एक व्यापक विधान बनाने जा रही है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर कोई कदम उठाए हैं या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी किए हैं।

डा. अंबुमणि रामदास : हम इस मुद्दे को ले रहे हैं और विधि मंत्रालय में यह पुनरीक्षा की प्रक्रिया में है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के पश्चात् हम शीघ्र ही वह विधान लेकर आऐंगे।

अध्यक्ष महोदय : इसे किसी निर्धारित समयावधि में ही किया जाना चाहिए।

डा. अंबुमणि रामदास : हम शीघ्रातिशीघ्र वह विधान लेकर आऐंगे।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, सरकार लोगों को सरलतापूर्वक कंडोम उपलब्ध कराने के स्थान पर अनिच्छुक जनसंख्या को यौन संयम और वफादार रहने का प्रवचन देने पर अधिक जोर दे रही है। दूसरे, हमारे देश में इसके निदान की सुविधाएं बहुत अपर्याप्त हैं। देश भर में मुश्किल से 25 सामुदायिक एच.आई.वी./एड्स परिचर्या केन्द्र हैं।

मेरे दो प्रश्न हैं। पहला है कि क्या एच.आई.वी./एड्स का सामना करने हेतु सही रणनीति चुनने के मामले में आम सहमति का अभाव है या दूसरे, लोगों को आसानी से कंडोम उपलब्ध कराने व निदान हेतु समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, माननीय सदस्य ने सरकार की नीति, ए.बी.सी. नीति की बात की है जिसे अब और आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। हम कंडोमों के उपयोग को शत-प्रतिशत बढ़ावा देने जा रहे हैं। इस वर्ष हमारी जनसंख्या में एच.आई.वी./एड्स के प्रसार को रोकने हेतु 1.5 बिलियन कंडोमों का वितरण करने की योजना है। सामुदायिक केन्द्रों के संबंध में इनकी वास्तविक संख्या 25 न होकर वर्तमान में 51 है और एच.आई.वी. रोगियों के सहायतार्थ नाको (एन.ए.सी.ओ.) ने देशभर में 1020 रक्त बैंकों को समर्थन प्रदान किया है।

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

*2. **श्री अलीमाऊ चर्चील** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के प्रयोजन, लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जिन कंपनियों को प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता दी गयी उनके वर्ष–वार नाम क्या हैं; और

(ग) उन निबंधन और शर्तों का ब्योरा क्या है जिनके आधार पर प्रत्येक कंपनी को वित्तीय सहायता दी गयी?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारत सरकार ने एकीकृत उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उद्योग तथ अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं के प्रयासों को इकट्ठा कर देश में प्रौद्योगिकी विकास को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त निधि के साथ प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) का गठन किया है।

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा–

(i) स्वदेशी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक अनुप्रयोग अथवा आयातित प्रौद्योगिकी के व्यापक घरेलू अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलन का प्रयास करने वाली औद्योगिक इकाइयों तथा अन्य एजेंसियों को इक्विटी पूंजी अथवा कोई अन्य वित्तीय सहायता विनियमों द्वारा आधारित शर्तों के अधीन उपलब्ध करायी जाती है;

(ii) केन्द्र सरकार की स्वीकृति दिये जाने पर स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास अथवा वाणिज्यिक अनुप्रयोग के लिए आयातित प्रौद्योगिकी के अनुकूलन में संलग्न अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है;

(iii) केन्द्र सरकार द्वारा सौंपे गए ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन किया जाता है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान टीडीबी ने वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिन कम्पनियों के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं, उनके नाम निम्नलिखित हैं:–

क्र. सं.	2001–02
1.	मेक कंट्रोल एण्ड सिस्टम्स (प्राईवेट) लिमिटेड, कोयम्बतूर
2.	ओमेगा इकोटेक प्रोडक्ट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, कोयम्बतूर
3.	मैम्ब्रेन फिल्टर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, पुणे
4.	ट्रांसवे (इंडिया) लिमिटेड, मुम्बई
5.	क्लच ऑटो लिमिटेड, नई दिल्ली
6.	श्रीराम एनर्जी सिस्ट्म्स लिमिटेड, हैदराबाद
7.	विनती ऑर्गेनिक लिमिटेड, मुम्बई
8.	सेलको इंटरनेशनल लिमिटेड, हैदराबाद
9.	फिल्ट्रा केटालिस्ट्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, थाणे
10.	रेडियन्ट केबल्स प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद
11.	ग्लैण्ड फार्मा लिमिटेड, हैदराबाद
12.	आईशर मोटर्स लिमिटेड, पिथमपुर
13.	टाटा मोटर्स लिमिटेड, मुम्बई

क्र. सं.	2002–03
1	2
1.	गुजरात ओलिओ कैम लिमिटेड, पनोली
2.	स्टील स्ट्रीप्स व्हील्स लिमिटेड, डापर
3.	वरदान एग्रो टेक प्राईवेट लिमिटेड, दिल्ली
4.	बायोकोन इंडिया लिमिटेड, बंगलौर
5.	एग्रोसर्ज इरेडियेटर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई
6.	पिकोपेटा सिम्प्यूटर्स प्रा. लिमिटेड, बंगलौर
7.	ई–लोजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड, चेन्नई

1	2
8.	इन्नोवेशन कम्यूनिकेशंस सिस्टम्स लिमिटेड, हैदराबाद
9.	इस्सार फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद
10.	एन–लौग कम्यूनिकेशंस प्राईवेट लिमिटेड, चेन्नई
क्र. सं.	2003–04
1.	उगर सुगर वर्क्स लिमिटेड, सांगली
2.	सिलगेट टेक्नोलोजिज प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई
3.	कोरल टेलीकोम लिमिटेड, सोलन
4.	रविन्द्रनाथ जीई मेडिकल एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद
5.	सोफब्लू इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
6.	गुंजन पेन्ट्स लिमिटेड, अहमदाबाद
7.	श्रीराम एनर्जी सिस्ट्म्स लिमिटेड, हैदराबाद
8.	इंड–स्विफ्ट लेबोरेटरीज लिमिटेड, चण्डीगढ़
9.	ग्लैण्ड फार्मा लिमिटेड, हैदराबाद
10.	विनती आर्गेनिक्स लिमिटेड, मेहाड
11.	राजरतन गुस्तव वोल्फ लिमिटेड, इन्दौर
12.	नैचुरल रिमैडीज प्राईवेट लिमिटेड, बंगलौर
13.	बायोलोजिकल ई लिमिटेड, हैदराबाद
14.	यशराज बायोटेक्नोलोजी लिमिटेड, मुम्बई
15.	रविन्द्रनाथ जीई मेडिकल एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद
16.	पोवाई लैब्स टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई
17.	विष्णु फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड, श्रीविल्लीपुत्तुर
18.	करिश्मा साफ्टवेयर लिमिटेड, सिकन्दराबाद
19.	मिक इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, हैदराबाद
20.	स्ट्राइड्स एक्रोलेब लिमिटेड, बंगलौर
21.	डोरवेन एग्रो–इको–बायो वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड, चेन्नई
22.	स्ट्रेण्ड जिनोमिक्स प्राईवेट लिमिटेड, बंगलौर

(ग) ऋण, इक्विटी अथवा अनुदान के रूप में बोर्ड वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। ऋण सहायता की राशि कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक सीमित है जबकि इक्विटी भागीदारी कुल परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तक सीमित है। बोर्ड अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं/औद्योगिक इकाइयों को अनुदान भी उपलब्ध कर सकता है।

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई ऋण सहायता पर प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज लगाया जाता है। ऋण की अदायगी तथा उस पर लगने वाला ब्याज परियोजना के पूरा होने के एक वर्ष के बाद शुरू किया जाता है। ऋण की राशि तथा ब्याज की वसूली 5 वर्षों में की जाती है। इसकी शर्तों में आम तौर पर समपार्श्विक गारंटियाँ, बंधक (हाइपोथिकेशन) रखना तथा/अथवा परिसम्पत्तियों को बंधक रखना, मानीटरण, निरीक्षण आदि शामिल है।

श्री अलीमाऊ चर्चील : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या जो कम्पनियां पहले ही यह अनुदान प्राप्त कर चुकी हैं उन्होंने पुनः इन्हीं अनुदानों के लिए अनुरोध किया है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, क्या आप कृपया अपना प्रश्न दोहराएंगे?

श्री अलीमाऊ चर्चील : मैं संबंधित मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या जो कंपनियां पहले ही ये अनुदान प्राप्त कर चुकी हैं उन्होंने पुनः इन्हीं अनुदानों के लिए अनुरोध किया है।

श्री कपिल सिब्बल : नहीं, यह मेरी जानकारी में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा अनुपूरक प्रश्न।

श्री अलीमाऊ चर्चील : क्या मंत्रालय निधियों के सही उपयोग किए जाने के सम्बन्ध में इन कम्पनियों को वितरित की गई निधियों पर निगरानी रखता है?

श्री कपिल सिब्बल : हां, मंत्रालय निधियों के समुचित उपयोग हेतु उनकी बहुत निकट से निगरानी करता है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आपके संक्षिप्त उत्तर के लिए आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन

+

*3. **श्री पारसनाथ यादव :**

प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उदारीकरण के समय में छोटे उद्योगों को बचाने हेतु कोई योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) वर्ष 2002–03 और 2003–04 में कुल उत्पादन और निर्यात में इन उद्योगों का कुल कितना और कितने प्रतिशत योगदान रहा;

(घ) क्या इन उद्योगों के उत्पादन और निर्यात में कमी आई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार इन उद्योगों के लिए कोई विशेष पैकेज देने और उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (छ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार ने उदारीकरण के मद्देनजर लघु उद्योगों को विश्वव्यापी तौर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण, कलस्टर विकास के माध्यम से बुनियादी संरचना ("इन्फ्रास्ट्रक्चर") सहायता, ऋण की समय पर उपलब्धता, आधुनिक प्रबन्धन प्रणाली को अपनाना, इलैक्ट्रानिकी बुनियादी संरचना तथा अन्य सूचना प्रौद्योगिकी (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) के उपयोग आदि क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जाना सम्मिलित है ताकि उदारीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में लघु उद्योगों को सहायता मिल सके। इसके अलावा, लघु उद्योगों को सीमाशुल्क को बाउन्ड लेवल तक बढ़ाया जाना, पाटनरोधी शुल्क लगाना, आयातों में आई तीव्र बढ़ोत्तरी के लिए सुरक्षा उपाय करना, इत्यादि संरक्षण भी उपलब्ध है।

(ग) लघु उद्योगों का वर्ष 2002–03 तथा 2003–04 के दौरान अनुमानित उत्पादन वर्तमान मूल्यों पर क्रमशः 3,11,993 करोड़ रुपये तथा 3,57,733 करोड़ रुपये था। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2002–03 में लघु उद्योग क्षेत्र का उत्पादन देश के पूर्ण औद्योगिक उत्पादन का 39.5 प्रतिशत था जबकि 86,013 करोड़ रुपये मूल्य के इस क्षेत्र द्वारा निर्यात उस वर्ष में राष्ट्रीय निर्यात का 34 प्रतिशत थे। तुलना के उद्देश्य से (2003–04 के तत्सम आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण), 2001–02 के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत हैं: (i) लघु उद्योगों का 2,82,270 करोड़ रुपये का उत्पादन पूर्ण औद्योगिक उत्पादन का 39.6 प्रतिशत था तथा (ii) 71,244 करोड़ रुपये का लघु उद्योगों द्वारा निर्यात राष्ट्रीय निर्यात का 34.3 प्रतिशत था।

(घ) लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा उत्पादन और निर्यात की मात्रा कम नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) सरकार लघु उद्योग क्षेत्र के लिए एक प्रमुख संवर्धनात्मक पैकेज तैयार करने की कार्यवाही कर रही है। लघु उद्योग क्षेत्र को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के तहत 10,000 करोड़ रुपये की लघु एवं मझौले उद्यम (एसएमई) निधि की स्थापना की है। इस निधि के तहत, जो कि 1 अप्रैल, 2004 से कार्यचालित हो गई है, लघु एवं मझौले उद्यमों को सिडबी के प्रचलित प्राइम लेंडिंग दर से 2 प्रतिशत कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय बैंक संघ ने अपने सभी सदस्य बैंकों को लघु उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों के लिए अपने प्राइम लैंडिंग दर से 2 प्रतिशत अधिक और कम की ब्याज दर सीमा ("बैंड") अपनाने की सलाह दी है।

श्री पारसनाथ यादव : माननीय अध्यक्ष जी, उदारीकरण की नीति के कारण देश में मझोले और लघु उद्योगों के सामने

जो चुनौती पैदा हो गयी है, खतरा पैदा हो गया है, उसी के बारे में यह प्रश्न पूछा गया है। इन छोटे और मझोले उद्योगों का अस्तित्व बना रहे और इनका काम चलता रहे, उसके लिए जो विशेष पैकेज की बात की गयी है, जैसा प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सरकार लघु उद्योग क्षेत्र के लिए एक प्रमुख संवर्धनात्मक पैकेज तैयार करने की कार्यवाही कर रही है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस कार्यवाही की क्या रूपरेखा है और कब तक पैकेज देने की इनकी कार्यवाही चलती रहेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक अनुपूरक प्रश्न है।

जी हां, माननीय मंत्री जी।

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद : अध्यक्ष जी, उदारीकरण से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए, छोटे और मझोले उद्योगों की रक्षा के लिए हमारी सरकार विभिन्न प्रकार के उपाय करने जा रही है। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात हम यह करने जा रहे हैं कि जितने हमारे लघु और मझोले उद्योग हैं उनके संबंध में हमारी सरकार राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक बिल लाने जा रही है। उसमें सारा विवरण होगा कि किस प्रकार से हम लघु और मझोले उद्योगों की रक्षा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उदारीकरण से संबंधित पैकेज तैयार करने में हमारा मंत्रालय इंडिविजुअल इकाइयों को ऐसी मदद करेगा जिसमें उनकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ सके। हमारा मंत्रालय किसी राज्य को पैकेज न देकर यदि राज्यों में, किसी जगह कोई छोटे या मझोले उद्योग लगते हैं तो उन उद्योगों की इन सारे दृष्टिकोणों से मदद करता है। इस संदर्भ में हम प्रस्तावित पैकेज की पूर्ण रूप रेखा नहीं दे रहे हैं क्योंकि ब्योरा विचाराधीन है।

श्री पारसनाथ यादव : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सीधा सवाल यह था कि उदारीकरण की नीति से कोई खतरा छोटे और मझोले उद्योगों को न हो, इस से संबंधित कार्यवाही की रूपरेखा क्या है और कब तक इनकी कार्यवाही चलती रहेगी। इन्होंने कहा कि ये पैकेज नहीं देते बल्कि उद्योग की सहायता करते हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने अब तक कितने लघु और मझोले उद्योगों को कितनी सहायता दी है। यदि इनके पास कोई इस बारे में सूची हो तो सदन के समक्ष रखें।

श्री महावीर प्रसाद : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य यदि पहले नोटिस दे देते तो मैं जरूर बता देता कि किस-किस राज्य में कहां-कहां सहायता दी गयी है।

...(व्यवधान)

श्री पारसनाथ यादव : माननीय मंत्री जी वरिष्ठ मंत्री हैं, इनका उत्तर क्या है, आप देखें।

श्री महावीर प्रसाद : मैं आपको ब्योरा भेज दूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम माननीय मंत्री महोदय की बात सुनें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हम माननीय मंत्री जी का उत्तर सुनें। इस तरह से लगातार बीच में टीका-टिप्पणी क्यों करते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय संसद सदस्य, यह आप दोनों के बीच का मामला नहीं है। आप इस पर आधे-घंटे की चर्चा की सूचना दे सकते हैं।

प्रो. महादेवराव शिवनकर – उपस्थित नहीं।

श्री सांताश्री चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को घोषित किए गए राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कुछ उपाय करने पर धन्यवाद देने के साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे इस तथ्य से अवगत हैं कि अधिकतर मामलों में बैंक छोटे और मध्यम दर्जे के उद्यमियों को ऋण जारी करने में सहयोग नहीं देते जिससे कि इस उद्योग को भारी हानि हो रही है। इस बात को देखते हुए माननीय मंत्री जी ऐसे क्या कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं जिससे कि इन छोटे उद्यमियों को ऋण जारी करने में आ रही इन रुकावटों को दूर किया जा सके?

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात

मेरे संज्ञान में भी है कि लघु और मंझोले उद्योगों के लिए हम बैंकों से जिस सहयोग की आशा रखते हैं, वैसा सहयोग वे नहीं देते हैं। इस संदर्भ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप–गवर्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है जिसमें हमारे मंत्रालय के सचिव के साथ बैंकिंग सचिव भी सदस्य हैं। यदि इस प्रकार का कोई साझा मामला आता है, तो हम उस मामले को इस समिति के द्वारा जांच करवाते हैं। यदि माननीय सदस्य के पास इस प्रकार का कोई मामला हो तो हमें लिखकर भेज दें, हम उसकी जांच करवा लेंगे।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, सामान्यतः प्रश्नों की सूचना देने हेतु 21 दिन का समय दिया जाता है। लेकिन इस बार केवल दस दिन का समय दिया गया है। यह बहुत आश्चर्यजनक है कि प्रश्नों की सूचना देने हेतु इतना कम समय दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, पूर्ववर्ती रा.ज.ग. सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन लघु उद्योग मंत्री ने सभी संसद सदस्यों को एक पत्र लिखकर यह कहा था कि वे लोक सभा के अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में पांच रुग्ण उद्योगों का पुनरुद्धार हेतु चयन करें तथा पांच नए लघु उद्योगों की भी सिफारिश करें। तत्कालीन लघु उद्योग मंत्री सरकार की ओर से इन उद्योगों को हर संभव सहायता देना चाहते थे। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वर्तमान सरकार इसी नीति को आगे भी जारी रखना चाहती है या नहीं। यदि हां, तो सरकार इस संबंध में इन उद्योगों को किस प्रकार की सहायता प्रदान करना चाहती है?

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि तत्कालीन मंत्री महोदय ने इस प्रकार का कोई पत्र माननीय सदस्यों को लिखा था, तो मैं उसे देख लेता हूं। यदि उसमें इस प्रकार की कोई बात है, तो मैं अवश्य उस पर विचार करूंगा।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, सरकार एक सतत् प्रक्रिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इस मुद्दे पर आधे–घंटे की चर्चा कराए जाने की सूचना दे सकते हैं।

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, आपको हमें संरक्षण प्रदान करना चाहिए। जब भी हम प्रश्न पूछते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप आधे घंटे की चर्चा कराए जाने की सूचना दे सकते हैं और हम इस पर आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, लघु उद्योगों के माध्यम से हमारे देश के करोड़ों नौजवानों को रोज़गार मिलता है। मैं मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूं कि 1998 से लेकर 2004 तक हमारे देश में जितने लघु उद्योग थे, उन में से कितने लघु उद्योग बंद हो गये हैं? देश में जितने लघु उद्योग सिक हो रहे हैं या बंद हो रहे हैं, उनको ताकत देने का काम इस नई सरकार की जिम्मेदारी है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि लघु उद्योगों के विकास के लिए नई सरकार ने क्या योजना बनाई है? गत एन.डी.ए. सरकार ने 6 साल के कार्यकाल में जितने लघु उद्योग बंद हो गये थे, उसका क्या कारण था?

श्री महावीर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की सूचना कि कितने सिक यूनिट्स हैं, इनकी गणना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा होती है। यदि माननीय सदस्य इस प्रकार की सूचना चाहते हैं तो वह सूचना हमारे मंत्रालय में एकत्रित नहीं होती है। इस प्रकार की रिपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हमारे मंत्रालय में आती है। यदि माननीय सदस्य इस प्रकार की सूचना चाहते हैं कि ऐसी रुग्ण यूनिट्स की कितनी संख्या है, यदि वे लिखकर देंगे तो मैं उन्हें यह सूचना दे दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं पहले ही यह कह चुका हूं कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है। आप इस पर आधे घंटे की चर्चा की सूचना दे सकते हैं। आपके मुद्दों की प्रशंसा की गई है।

[हिन्दी]

बैठिये, रनिंग कमेंटरी से काम नहीं चलेगा।

चौधरी लाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने बताया कि कई इंडस्ट्रीज पहले से कम्पीटीशन में हैं, नई इंडस्ट्रीज में, जैसे रेलवे के क्षेत्र में एक इंडस्ट्री हमारे क्षेत्र में खुली हैं, लेकिन उस इंडस्ट्री को कम्पीटीशन में लाने के लिए मान्यता नहीं दी जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप कौन सी प्रोटैक्शन स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को देने जा रहे हैं। मेरे क्षेत्र में कई इंडस्ट्रीज इसी वजह से आज चक्की में पिस रही हैं, जिसमें एक इंडस्ट्री का नाम चिंतपूर्णी इंडस्ट्री है। मैं जानना चाहता हूं कि उसके लिए आप क्या करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे इस प्रश्न विशेष पर अलग से एक सूचना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद : माननीय सदस्य नोटस दें, उसके बाद मैं इस विषय पर विशेष रूप से जवाब दे पाऊंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी ओर से उत्तर दे दिया है।

श्री श्रीनिवास दादा साहेब पाटिल। वे यहां नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में करोड़ों एस.सी., एस.टी., और ओ.बी.सी. जातियां हैं, जिनके अपने पुश्तैनी धंधे हैं। इन लघु उद्योगों से उन्हें रोजगार मिल रहा है। इस उदारीकरण के समय में, उनके छोटे उद्योगों को बचाने के लिए क्या आपके पास कोई प्लान है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, जो छोटे उद्योग उदारीकरण के कारण नष्ट हो रहे हैं, उनके लिए हमारी सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों या और जो कोई भी हैं, उनके लिए हमने उपाय किये हैं। सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण काम सिडबी के तहत दस हजार करोड़ रुपये की एक निधि स्थापित की गई है, जिसके द्वारा दो प्रतिशत कम इंटरेस्ट रेट पर, पी.एल.आर. प्राइम लैन्डिंग रेट से ऋण दिया जाता है। हमारे पास जो दस हजार करोड़ रुपये की निधि संचित है, उसमें से 600 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। बाकी पब्लिक की अवेयरनैस के लिए, जानकारी के लिए, हमारा मंत्रालय इसका प्रचार कर रहा है। इस तरह से हम अधिक से अधिक उद्योगों की, अधिक से अधिक गरीबों, दलितों और इसके अंतर्गत सबकी मदद करना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्य श्री शैलेन्द्र जी से कहूंगा कि यदि इस प्रकार की कोई सूचना हो तो वह मुझे दें, मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग दीजिए। हमारे पास बहुत कम समय है। प्रश्न—काल समाप्त होने में केवल दो मिनट ही शेष हैं।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : अध्यक्ष महोदय, जहां तक लघु उद्योगों का सवाल है, ऐसे उद्योग लगातार बंद हो रहे हैं। अकेले झारखंड में लगभग दो हजार लघु उद्योग बंद हो गये हैं और पांच हजार सिक हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो लघु उद्योग बंद हो रहे हैं और जो बीमार हैं, क्या आप उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, ताकि उनका रिवाइवल हो सके और वे उद्योग चालू किये जा सकें। पिछले चार साल में झारखंड में उद्योगों के बंद होने से डेढ़ लाख लोग बेरोजगार होकर सड़कों पर आ गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपा प्रश्न कीजिए, क्या जानना चाहते हैं, वह पूछिये।

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो उद्योग बीमार हैं, क्या मंत्री जी उनकी मदद के लिए तैयार हैं, ताकि वे उद्योग चालू रहें।

श्री महावीर प्रसाद : इस प्रकार की सूचना पर हम विचार करेंगे और जितना भी हो सकेगा, झारखंड की इंडस्ट्रीज की मदद करने के लिए तैयार हैं।

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कहते हैं कि हम विचार करेंगे। लेकिन कब तक विचार करेंगे। आप लघु उद्योग मंत्री हैं। आप उनकी सूची अपने पास क्यों नहीं रखते हैं?

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी : महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव है जिसमें पिछड़े राज्यों जैसे उड़ीसा, असम, बिहार व अन्य राज्यों में छोटे और मध्यम दर्जे के रुग्ण उद्योगों का सर्वेक्षण करने हेतु अग्रणी बैंकों के प्रबन्धकों को सम्मिलित किया जाए और सभी बैंकों को सम्मिलित करके कार्यवाही की जाए। क्या मंत्रालय का ऐसा कोई प्रस्ताव है?

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि वे इस बात पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद : उनकी भावना को मैं देखूंगा और इस प्रकार जो बैंक मैनेजर्स को शामिल करने की बात है, उस पर विचार करूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

दसवीं योजना का पुनरनुकूलन

*4. **श्री रायापति सांबासिवा राव :**

श्री मधुसूदन मिस्त्री :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने सितम्बर, 2004 में हुई बैठक में नई सरकार के राष्ट्रीय सांझा न्यूनतम कार्यक्रम के अनुरूप चालू दसवीं योजना का पुनरनुकूलन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या चालू दसवीं योजना के पुनरनुकूलन हेतु योजना आयोग की सहायता करने हेतु बैठक में कुछ विदेशी विशेषज्ञों को भी बुलाया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार को योजना आयोग के सलाहकार समूहों में विदेशी सलाहकारों को शामिल करने के कदम का विरोध करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) योजना आयोग में अन्य बातों के साथ-साथ, दसवीं योजना (2002-2007) के मध्यावधि मूल्यांकन के दृष्टिकोण के संबंध में विचार करने के लिए दिनांक 9 सितम्बर, 2004 को एक बैठक हुई थी। योजना आयोग द्वारा अनुमोदित दसवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के दृष्टिकोण में उन मुद्दों को प्रस्तुत किया गया, जिनका मध्यावधि मूल्यांकन में समाधान करने की आवश्यकता है, तथा जिन पर राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में उल्लिखित प्राथमिकताओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किए जाने वाले नीतिगत सुधार और नई पहल करने की आवश्यकता है।

(ख) योजना आयोग की इस बैठक के लिए किसी भी विदेशी परामर्शदाता को नहीं बुलाया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) योजना आयोग ने दसवीं पचंवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन की प्रक्रिया में गैर-सरकारी प्रेक्षकों से योजना कार्यक्रमों और नीतियों की प्रभावोत्पादकता के संबंध में विचार और जानकारी प्राप्त करने के सीमित उद्देश्य से परामर्श ग्रुपों के गठन की घोषणा की थी। इन ग्रुपों में बहुत से शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधि, सुविख्यात गैर-सरकारी संगठन, श्रमिक संघ, और भारत में कार्यरत विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के कुछ व्यक्ति विशेष भी शामिल थे। योजना आयोग को इसके बाद "विदेशी परामर्शदाताओं" अर्थात् अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से सम्बद्ध व्यक्तियों और अंतरराष्ट्रीय परामर्शदात्री फर्मों को भी परामर्शक ग्रुपों में शामिल किए जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन/पत्र प्राप्त हुए थे। इन अभ्यावेदनों में परामर्शक ग्रुपों में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किए जाने का विरोध किया गया था किन्तु, अलग से इनसे परामर्श करने का विरोध नहीं किया गया था। मामले की समीक्षा की गई और परामर्शक ग्रुपों को भंग करने का निर्णय लिया गया।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं

*5. **श्री सुरेश चन्देल :**

डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा दूरसंचार विभाग को निगम में परिवर्तित करने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर पर्वतीय राज्यों के दुर्गम क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने में कठिनाइयां आ रही हैं;

(ख) क्या निगम के अधिकारियों द्वारा ऐसे दुर्गम क्षेत्रों, जहां दूरसंचार विभाग ने टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना के लिए पहले से ही योजनाओं को अनुमोदित कर दिया है, के संबंध में ये अनुदेश दिए जा रहे हैं, कि कम आय प्राप्ति वाले क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना न की जाए;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा वर्ष 2004 की समाप्ति तक सभी गांवों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) से (घ) दूरसंचार सेवा विभाग और दूरसंचार प्रचालन विभाग का 1.10.2000 को निगम के रूप में गठन किए जाने के समय से ही, भारत संचार निगम लिमिटेड बेतार प्रौद्योगिकियों की उपलब्ता/संस्थापना को ध्यान में रख कर और तकनीकी–आर्थिक पहलुओं के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध करता आ रहा है।

जिन क्षेत्रों के मामले में दूरसंचार विभाग ने टेलीफोन एक्सचेंजों की संस्थापना पहले ही अनुमोदित की हुई थी वहां संस्थापना कार्य पूरा हो गया है। 2003–2004 के दौरान, बीएसएनएल द्वारा, पुनरीक्षण करने के पश्चात, नए एक्सचेंजों की स्थापना के कुछ प्रस्तावों को अनुमोदित नहीं किया गया क्योंकि वे तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता के मानदण्डों के अनुरूप नहीं पाए गए।

आज की तिथि के अनुसार, आबादी रहित, नक्सल/उग्रवाद प्रभावित, सौ व्यक्तियों से कम जनसंख्या वाले गांवों तथा घने वन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गांवों को छोड़कर, देश के 66,822 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी पी टी) की सुविधा नहीं है। बीएसएनएल को प्रशासक सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के कार्यालय द्वारा इन शेष गांवों में सेटलाइट मीडिया या अन्य किसी माध्यम पर ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। कार्य को तीन वर्षों के भीतर अर्थात् नवंबर, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

बीएसएनएल ने सभी गांवों को सुविधा प्रदान करने के लिए सेटलाइट आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन और डब्ल्यूएलएल उपस्कर हेतु निविदा को अंतिम रूप दे दिया है। बीएसएनएल ने यूएसओ निधि की आर्थिक–सहायता से पहाड़ी राज्यों के अधिकांश गांवों को सुविधायुक्त बनाने के उद्देश्य से सेटलाइट आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन तथा डब्ल्यूएलएल उपस्कर की आपूर्ति हेतु अग्रिम क्रय आदेश जारी कर दिए हैं।

[अनुवाद]

भारत-म्यांमार संबंध

*6. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**

श्री किरिप चालिहा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या म्यांमार के राष्ट्राध्यक्ष ने अक्तूबर 2004 में भारत की यात्रा की थी और इस यात्रा के दौरान आर्थिक संबंधों और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बारे में विचार–विमर्श किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या म्यांमार के अधिकारी भारत की चिंताओं पर गौर करने के लिए सहमत हो गए हैं और उन्होंने पूर्वोत्तर राज्य में उत्पन्न स्थिति से निपटने में पूरा सहयोग और सहायता देने का आश्वासन दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोनों सरकारों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर संयुक्त कार्यवाही करने के संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) भारत सरकार और म्यामां सरकार ने अपनी सीमाओं पर शांति, स्थायित्व और अमन–चैन कायम रखने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराया। म्यामां पक्ष ने दोहराया कि वह अपनी भूमि से भारत–विदेशी गतिविधियाँ चलाने की अनुमति नहीं देगा।

(घ) दोनों सरकारें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित पर कार्य करने के लिए सहमत हुएः (i) बुनियादी ढाँचे से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के जरिए भारत–म्यामां सीमावर्ती क्षेत्र का आर्थिक विकास; (ii) दोतरफा व्यापार को बढ़ाकर वर्ष 2006 तक एक बिलियन अमरीकी डालरों तक करना; और (iii) शैक्षिक और सांस्कृतिक संपर्कों के द्वारा दोनों देश की जनता के बीच संपर्कों को बढ़ाना।

[हिन्दी]

बीएसएनएल और एमटीएनएल का विलय

*7. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**

श्री थावरचन्द गेहलोत :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या निकट भविष्य में बीएसएनएल और एमटीएनएल के कार्यों का विलय करने अथवा उन्हें संयुक्त रूप से चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सबंध में कार्यविधि तैयार की गई है;

(ग) इस विलय से जनता को सस्ती सेवा उपलब्ध कराने में सरकारी क्षेत्र के इन दोनों उपक्रमों की कार्यकुशलता को सुधारने में कितनी सहायता मिलेगी; और

(घ) इन दोनों उपक्रमों के कामगारों के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) सरकार एमटीएनएल और बीएसएनएल के प्रचालन कार्यों में अधिकाधिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से उनके पुनर्गठन संबंधी विभिन्न विकल्पों की जांच कर रही है।

(ख) सरकार ने पुनर्गठन कार्य में सलाह और सहायता देने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति की है। इस कार्य के पहले चरण में, परामर्शदाता सरकार को पुनर्गठन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विलल्प पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(ग) और (घ) संभावित व्यावसायिक सह–कार्यों, संचालन लागतों, शेयरधारकों, प्रबन्धकों और कर्मचारियों आदि के मामलों जैसे सभी महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित विकल्पों का आकलन करने के बाद अंतिम निर्णय लिया जायेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों उपक्रमों के पुनर्गठन से उनकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत होगी और शेयरधारकों का महत्व बढ़ेगा।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय "कॉलों" की अवैध "रूटिंग"

*8. **श्रीमती सी.एस. सुजाता :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड ने स्थानीय लाइनों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय "कॉलों" की अवैध "रूटिंग" को नियंत्रित करने हेतु कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान स्थानीय लाइनों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय "कॉलों" की अवैध "रूटिंग" के कारण हुए राजस्व घाटे का वर्षवार, श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान अवैध "रूटिंग" में संलिप्त फर्मों/कंपनियों/इंफोकॉम कंपनियों का वर्षवार, श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में किसी फर्म, कंपनी अथवा "इंफोकॉम" कंपनी पर आरोप लगाया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) और (ख) बीएसएनएल द्वारा नेटवर्क में विभिन्न प्वाइंटों पर अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार ट्रैफिक की अवैध रूटिंग की निगरानी करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं। एक्सचेंजों में पासवर्ड एवं रूटिंग प्रबंधन, निजी प्रचालकों के साथ प्वाइंट ऑफ

इंटरकनेक्शन पर ट्रैफिक की निगरानी, नेटवर्क एवं प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन में कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन (सीएलआई) की निगरानी एवं पारेषण आदि के संबंध में समय–समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं। अन्य निजी दूरसंचार प्रचालकों के साथ प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन पर अवैध कॉलें डिलीवर करने के मामले में, इंटरकनेक्ट करारों में निवारक उपबंधों की व्यवस्था है जैसे दण्ड प्रभार लगाना और प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन को डिसकनेक्ट करना।

(ग) अभी तक पता लगाए गए मामलों के आधार पर, स्थानीय लाइनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कॉलों की अवैध रूटिंग के कारण, विगत दो वर्षों के दौरान, उपलब्ध कॉल डाटा रिकार्ड से यथा परिकलित नोशनल राजस्व घाटे का वर्ष–वार ब्यौरा निम्नलिखित है। कुछ मामलों में, नोशनल राजस्व घाटे की रकम का पता, कॉल डाटा रिकार्ड की उपलब्धता और प्रक्रिया के आधार पर, अभी लगाया जाना है।

2002–2003	11.43 करोड़
2003–2004	10.83 करोड़

(घ) से (च) वर्ष 2002–03, 2003–04 और 2004 में आज तक के दौरान अवैध, रूटिंग में संलिप्त फर्म/कंपनी/इन्फोकॉम का ब्यौरा संलग्न विवरण–I, II और III में दिया गया है। इस बारे में अभी तक आरोपित अन्य सेवा प्रदाताओं का ब्योरा संलग्न विवरण–IV में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2002–03 के दौरान अवैध रूटिंग में संलिप्त फर्म/कंपनी/इनफोकॉम का ब्योरा

क्र.सं.	फर्म/कम्पनी/इनफोकॉम का नाम	अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी का दुरुपयोग	छापा मारने की तारीख
1	2	3	4
1	कैपीटल ऑन लाइन प्रा. लि. एफ–56 एवं 61, महेश मार्ग, सी स्कीम, जयपुर	इंटरनेट	01.07.02
2	मै. फ्लोएटैल ट्रैवल्स एवं कम्यूनिकेशंस प्रा. लि., साल्टलेक सिटी, कोलकाता	इंटरनेट	08.04.02
3	मै. 2/3 गार्वा रोड़, कोलकाता	वीएसएटी	28.08.02
4	मै. साइबर नेटवर्क, 2/2 सी बैलीगंग प्लेस (ई) प्रथम तल, कोलकाता–19	वीएसएटी	09.11.02
5	श्रीमान माजिद, 99/4 सी, कराया रोड़, कोलकाता–19	वीएसएटी	09.11.02
6	मै. ई–कॉमर्स, 510, कॉमर्स हाऊस कनिंग हैम रोड़ (मै. करोब्ट एक्सपोर्ट प्रा. लि.) बैंगलोर	वीएसएटी	04.07.02
7	मै. एचटीएम, 9वां हेयस रोड़, क्रॉस रिचमांड टाऊन, बैंगलोर	वीएसएटी	30.11.02
8	मै. स्पाइडर नैट कम्यूनिकेशंस, दूसरा तल, ममता बिल्डिंग, शास्त्री बाग, नजदीक एलएमपी डिस्प्ले सैंटर, सयोगी गंज, बड़ोदरा	इंटरनेट	04.06.02
9	मै. शारदा इंटरप्राइजेज आफिस 409, अनाना मिलाना कॉम्पलेक्स, नीयर जैन डेरेसा, नवरंगपुरा, अहमदाबाद	इंटरनेट	17.07.02
10	मै. शाह नलिन एस, 114, आनंद मिलान कॉम्पलेक्स, नवरंगपुरा, अहमदाबाद	इंटरनेट	17.07.02

1	2	3	4
11	मै. श्री पटेल तुषार कांतिलाल दुकान नं. 687, अपर लेवल, रत्नामणी कॉम्प्लेक्स	इंटरनेट	17.02.02
12	सैक्टर 4, श्री तरुण मोहम, मै. नार्थ वैस्टर्न मार्किटिंग इंटरप्राइजेज, वैशाली, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश (मिनि स्कूल बिल्डिंग)	वीएसएटी	16.05.02
13	मै. मैडपारा इनफोटेक प्रा. लि., 905 आदर्श नगर, अन्धेरी (वैस्ट), मुम्बई	इंटरनेट	03.05.02
45	मै. यू.के. इम्पैक्स, 210, दूसरा तल, मिलैनियम प्लाजा, साकीनाका, अंधेरी मुम्बई	इंटरनेट	18.06.02
15	मैं वर्ल्ड टैक सर्विसस, डी 125, अंसा इंडस्ट्रीयल एस्टेट, साकी विहार रोड़ अन्धेरी (ईस्ट), मुम्बई 72	इंटरनेट	10.07.02
16	मै. कम्पूसॉफ्ट, 5, चूनावाला एस्टेट, एम आई डी सी, मारोल, मुम्बई	इंटरनेट	28.08.02
17	मै. एम बी एस सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस ए–245, प्रथम तल वाशी प्लाजा, सैक्टर 17, वाशी, नवी मुम्बई	इंटरनेट	08.10.02
18	श्री ए बहराम एवं वाशिम पटेल, फ्लैट 701–बी, गोल्डन वैले को–ओपरेटिव हाऊसिंग मीरा रोड़, (ई), ठाणे	वीएसएटी	18.10.02
19	1101, 11वां तल, 27 एन आर आई कॉम्पलैक्स, सीवुड, नवी मुम्बई	इंटरनेट	30.11.02
20	मै. एक्सेस नेटवर्क प्रा. लि., नावल्टि प्लाजा, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, फिरोजपुर रोड़, लुधियाना	वीएसएटी	18.06.02
21	मै. कैपीटल कम्यूनिकेशंस, एस सी ओ – 266, सैक्टर 32, चंडीगढ़ (मै. सी ओ एस सी ओ कम्युनिकेशंस को डी आई डी ई पी ए बी एक्स लाइनें प्रदान की गईं)	आईएसडीएन	19.06.02
22	मै. ग्लोबल सिस्टम एवं सोल्यूशंस प्रा. लि. नया नं. 43, जोसीयर स्ट्रीट, नंगमबक्कम, चेन्नई	इंटरनेट	09.05.02
23	एल.के. बालकृष्णन एवं अन्य, दूसरा तल, ए ब्लॉक, श्री मुगुंदन/श्री गोपाल पिल्लई दूसरा तल, मल्लिस बिल्डिंग, 262 अन्ना सलाय, चेन्नई 600002	वीएसएटी	17.10.02
24	श्री गोपाल पिल्लई, थाऊजैंडस लाइट्स एरिया, चेन्नई	वीएसएटी	17.10.02
25	श्री गोपाल पिल्लई/मिस्टर हीरो/मि. वेंकट यूनीनैट, 46/13, तीसरा तल, गिरि रोड़, टी. नगर, चेन्नई	वीएसएटी	18.10.02
26	श्री गोपाल पिल्लई/मै. ऊषा राघवन, 72 हॉल्स रोड, किलपौक, चेन्नई 6000010	आईएसडीएन	21.10.02
27	श्री गोपाल पिल्लई, कावेरी कॉम्पलेक्स, नंगमबक्कम, चेन्नई	आईएसडीएन	22.10.02
28	श्री गोपाल पिल्लई, नं. 22, सी वी कोली स्ट्रीट, वालासरावक्कम, चेन्नई	आईएसडीएन	22.10.02

1	2	3	4
29	श्री गोपाल पिल्लई, जे आर जी एक्सपोर्ट्स, अन्नाई फ्लैट्स, पाड़ीकुप्पम रोड, तिरुमंगलम, चेन्नई	आईएसडीएन	22.10.02
30	श्री गोपाल पिल्लई, 345 नवां तल, फाऊन्टेन प्लाजा, एगमौरे, चेन्नई 600008	आईएसडीएन	22.10.02
31	मै. मारुती टेलीकॉम, बेसमैंट दुकान नं. 17, गोकुल अर्केड नं. 2, सरदार पटेल रोड, चेन्नई एवं मै. ट्राईडेन्ट नेटकॉम सोल्यूशंस प्रा. लि. दुकान नं. 4, दूसरा तल, चेन्नई	इंटरनेट	18.11.02
32	एस. के. शर्मा बिजनेस एवं अन्य, 10, सीरी फोर्ट रोड, नई दिल्ली एवं 6, अरावली अपार्टमेंट्स, अलकनंदा कालकाजी, नई दिल्ली	इंटरनेट	08.05.02
33	बी.एस. वधवा, 1सी–4/3, रोहिणी, सैक्टर 11, नई दिल्ली	आईएसडीएन	27.05.02
34	बी.एस. वधवा, 11, ए–104 तीसरा तल मेन बाजार, मधु विहार, नई दिल्ली	आईएसडीएन	27.05.02
35	मै. नैट कनैक्ट इंडिया लि. एस डी चैम्बर्स – 11 बीसीपी, नई दिल्ली	इंटरनेट	30.07.02
36	मै. हरक्यूलेस नेटवर्क्स इंक ए–30 कैलाश कालोनी, नई दिल्ली	वीएसएटी	02.08.02
37	मै. वर्ल्ड कॉलनैट/क्लियरटेल, एफ–67, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	आईएसडीएन	12.09.02
38	मै. बाबा वैब सर्विस/ए शिवा कुमार, पी–77, साऊथ एक्सटेंशन पार्ट–II, नई दिल्ली	आईएसडीएन	12.09.02
39	मै. एम.एल इंडिया सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस एवं मै. बालाजी इंटरनेशनल ट्रेडर्स, 3 एस, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली	आईएसडीएन	01.10.02
40	मै. गगन ग्रीन फॉरेस्ट, ई–12, ग्रेटर कैलाश पार्ट–1, नई दिल्ली	इंटरनेट	14.10.02
41	मै. आनन्द कौशिक, सी–124, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली	आईएसडीएन	11.12.02
42	मै. वी 2 टेक्नोलाजीज एवं मै. इन्नोवेटिव साईबर सोल्यूशंस 27/30 लम्मी रतन इंडस्ट्रीयल कॉम्पलेक्स, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा	आईएसडीएन	02.02.03
43	गली नं. 2 प्रथम तल, वीर सावरकर नगर नजदीक शिव प्रमा सी एच एस, आशाल्फा विलेज, मुम्बई 400072	वीएसएटी	10.01.03
44	मै. एन.बी. इंटरनेशनल ट्रेडिंग, सीए–106 डी, डीडीए फ्लैट्स, हरी नगर, नई दिल्ली	वीएसएटी	27.02.03
45	मै. इंडोसॉफ्ट, क्यूपी–58, मौर्या एन्कलेव, पीतमपुरा, नई दिल्ली	इंटरनेट	27.02.03
46	मै. प्राईम्स नेटवर्क, 320 जी एफ, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली	इंटरनेट	02.02.03

विवरण-II

वर्ष 2003–04 के दौरान कालों की अवैध रूटिंग में संलिप्त फर्म/कंपनी/इनफोकॉम का ब्योरा

क्र.सं.	फर्म/कम्पनी/इनफोकॉम का नाम	दुरुपयोग की अन्तर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी	छापा मारने की तारीख
1	2	3	4
1	मै. पारिख – मै. प्राइमस टेलीकॉम इंडिया लि.	इंटरनेट	18.7.03
2	39 बी बल्ली गौंज टेरेस, कोलकाता	इंटरनेट लीज्ड लाइन (आईएलएल)	01.08.03
3	मै. आरएनबी डिजीट्रोनिक्स प्रा. लि. पार्क स्ट्रीट, कोलकाता, मै. एस.आर. इनकोर्पोरेटेड (इंडिया) लि. पार्क स्ट्रीट, कोलकाता तथा मै. ओलिम्पस बुक्स प्रा. लि. बकुल बागान, रोड, कोलकाता	आईएलएल	12.09.03
4	मै. रेडिक्स इन्टीग्रेटेड सिस्टम्स, रूसतम बाग रोड़, बंगलौर	आईएलएल	25.09.03
5	मै. थारंग, सं. 41, 59वां क्रॉस, राजाजी नगर, 5वां ब्लॉक, बंगलौर	आईएलएल	14.10.03
6	मकान नं. 29, विशवारा पुरम, एनएच–4, नेजमंगला, बंगलौर	आईपीएलसी	02.12.03
7	मै. ग्लोबल टेलीमार्केटिंग सर्विसेज, सं. 139/3, ऑक्सफोर्ड टॉवर्स, 415 एयरपोर्ट रोड, कोडेहल्ली, बंगलौर – 8	इंटरनेट	09.07.03
8	मै. जेड कम्युनिकेशन्स, सं. 173/5 लक्ष्मी चैम्बर्स, 8वां एफ मेन तीसरा ब्लॉक, जयनगर, बंगलौर	इंटरनेट	18.10.03
9	के–ब्लॉक, अंसल फॉर्च्यून अरकेड, सेक्टर–18, नौएडा, उत्तर प्रदेश	वीएसएटी	02.09.03
10	मै. मानस कम्यूनिकेशन्स 12/56/5, सुई कटरा, आगरा	वीएसएटी	17.12.03
11	कमरा नं. 19, द्वितीय तल, ट्रांसवल टेरेस, फॉकलैंड लेन, ग्रांट रोड़, मुम्बई	इंटरनेट	29.04.03
12	मै. सी अप्पी टेलीकम्यूनिकेशन्स (आई) प्रा. लि., प्लाट नं. 6, प्रेशियस इंडस्ट्रीज, एमआईडीसी क्रास रोड, अंधेरी (पूर्व) मुम्बई	नकली प्री–पेड कार्ड इंटरनेट	07.05.03
13	मै. पायोनियर इन्फोविजन टेक्नोलोजिज प्रा. लि., 302 रिजीर मैंसन एल.जे. रोड़, महीम, मुम्बई	इंटरनेट	22.05.03
14	मै. आईबीएस कम्प्यूटर अकादमी, लक्ष्मी टेरेस, प्लाट नं. 73, रानाडे रोड, दादर (पश्चिम), मुम्बई–400028	इंटरनेट	17.04.03

1	2	3	4
15	राकेश कुमार शर्मा, एसएलएफ–18, सेक्टर 9 डी, चंडीगढ़	इंटरनेट	14.06.03
16	मै. श्योर इंटरप्राइजेज, एससीओ, सं. 2419, दूसरा तल, सेक्टर 22 सी, चंडीगढ़	आईपीएलसी	25.11.03
17	मै. जीवी टेक्नोलोजिज ओल्ड नं. 9/1, नया नं. 12/1, 18 वां एवेन्यू, 80वां स्ट्रीट, अशोक नगर, चेन्नई–83	इंटरनेट	21.05.03
18	मैसर्स टचटोन टैली मार्केटिंग और इंटरनेट सर्विसेज के श्री राजशेखर, सोकरपेट, चेन्नई–79	आईएलएल	05/09/03
19	मैसर्स इन्फोसॉफ्ट कम्युनिकेशन्स, डी–1035, न्यू फ्रेंडस कालोनी नई दिल्ली	इंटरनेट	07/04/03
20	23 डीईएल के मालिक डा.एच.के. श्रीवास्तव का परिसर, डी–3/3522, वंसत कुंज, नई दिल्ली	इंटरनेट	11/06/03
21	मकान नं. 33/42, पंजाबी बाग, नई दिल्ली	वी–सेट	02/09/03
22	मैसर्स डाटासॉफ्ट सोल्यूशन, 705, ग्रीनवुड बिल्डिंग, हीरानन्दानी कॉम्प्लेक्स, थाणे, मुम्बई ने मैसर्स कानसन कम्युनिकेशन्स, पोलराइज बिल्डिंग, हीरानन्दानी काम्प्लेक्स, थाणे मुम्बई से 24 डीआईडी लाइनें प्राप्त कीं।	आईएलएल (512 के बीपीएस मैसर्स आरपीजी इन्फोटेक लि., 24 डीआईजी एक्सटेंशन्स)	15/03/04
23	श्री राम भुवन, अभ्युदया को–ऑप बैंक के सामने, बफीना नगर ऑफिस मार्वे रोड, मल्लाड (पश्चिम) मुम्बई।	आईएलएल (512 के बीपीएस मैसर्स पेसनेट तथा 24 ऑरेंज मोबाइल फोन्स	31/01/04
24	नेट–4 इंडिया लिमिटेड, 210, शाह एंड नाहर इंडस्ट्रीयल एस्टेट, डा. ई' मोसिज रोड, वर्ली नाका, वर्ली, मुम्बई – 18	इंटरनेट	11.02.2004
25	हरेन नारायण खत्री शॉप नं. 5, भू–तल हरि भवन सोसाइटी, एसएल रोड, मुलंड (प.), मुम्बई – 400080	इंटरनेट (हॉटफून)	06.03.2004
26	आर भुनशाली फ्लैट 28, 5वां तल मीराश्याम सीएचएस, गोशाला रोड मुलंड (प.) मुम्बई 400080	इंटरनेट (हॉटफून)	06.03.2004
27	बी–1, महावरी आशीष, गोशाला रोड, मुलंड (प.), मुम्बई – 400080	इंटरनेट (हॉटफून)	06.03.2004
28	32 गीतांजली मयुरेश, प्लॉट नं. 109, देवी दयाल रोड, मुलंड (प.),. मुम्बई–400080	इंटरनेट (हॉटफून)	06.03.2004
29	34 ओम मयूरेश, मीठा नगर रोड, मुलंद (पूर्व), मुम्बई	इंटरनेट (हॉटफून)	06.03.2004
30	मै. जेनीव डी' सूजा, 37 एग्नेल्लो एबोड, कार्मेल सीएचएस, 15 वां जॉन बैप्टिस्ट रोड, बंद्रा मुम्बई	इंटरनेट (हॉटफून)	06.03.2004

1	2	3	4
31	मै. स्टेलर वैब स्टुडियो पुणे	आईपीएलसी	07.03.2004
32	मै. क्लासिक कम्युनिकेशन, श्री जसप्रीत सिंह, एन 13, शॉप नं. 5 और 6, साऊथ एक्सटेंशन – 1, नई दिल्ली	आईपीएलसी	23.03.2004
33	डब्ल्यू – III, दूसरा तल, ग्रेटर कैलाश– I, नई दिल्ली मि. गौरी	आईपीएलसी	23.03.2004

विवरण-III

वर्ष 2004 के दौरान अब तक अवैध रूटिंग में संलिप्त फर्म/कंपनी/इनफोकॉम के ब्योरे

क्र.सं.	फर्म/कम्पनी/इनफोकॉम का नाम	अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी का दुरुपयोग	छापा मारने की तारीख
1	2	3	4
1	एडी 6 ए. देवी मार्ग, बनी पार्क, जयपुर	आईएलएल	16.10.2004
2	मै. माइक्रो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स, कमरा नं. 316, एसडीएफ बिल्डिंग, दूसरा तल, कोलकाता – 700091	इंटरनेट लीज्ड लाइन (आईएलएल)	16.06.2004
3	श्री एसएस कदारी, बिल्डिंग नं. 151, कमरा नं. 4142, प्रभात सीएचएसएल, नया पंत नगर, घाटकोपर (पूर्व), मुम्बई–75	इंटरनेट (हॉटफून)	05.04.2004
4	मि. परमिंदर सिंह, शॉप नं. 209, दूसरा तल, लोटस टावर, जालंधर	आईपीएलसी	02.07.2004
5	मि. जसपाल सिंह, शॉप नं. 406, दूसरा तल, पाम रोज बिल्डिंग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जालंधर	आईपीएलसी	02.07.2004
6	मि. नरेश कुमार गुप्ता, गौशादे मार्केट, जालंधर	आईपीएलसी	07.08.2004
7	एससीओ 81–82, सेक्टर–34, चंडीगढ़	आईपीएलसी	19.08.2004
8	एससीओ 371–373, तीसरा तल, सेक्टर 34, चंडीगढ़	आईपीएलसी	19.08.2004
9	फ्लैट सं. 606, महावीर अपार्टमेंट्स, किंग कोठी रोड, हैदराबाद	आईएलएल	10.11.2004
10	श्री टी. सुमीत्रान, 6/334 बी, पलक्कल, थाजेवीदू, सेंट थॉमस स्कूल रोड, कल्लयम, त्रिवेंद्रम	इंटरनेट	07.04.2004
11	श्री वी. शिवकुमार, टीसी 39/695, पांडुरंगा लेन, शिवानिलायम, चलई, त्रिवेंद्रम	इंटरनेट	08.04.2004
12	मि. नवीन ग्रोवर, एफ –212 मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली	डिशनेट से आईएलएल	17.05.2004
13	मि. नवीन ग्रोवर, मै. ऐस पोलि वेरीकॉन, इलैक्ट्रोनिक्स, 57, फ्लैटिड फैक्ट्रीज झंडेवालान, नई दिल्ली।	वीएसएनएल से आईएलएल और डिशनेट से आईएलएल	17.05.2004

1	2	3	4
14	मि. नवीन ग्रोवर, 321, उद्योग विहार फेज–II, गुडगाँव	बीएसएनएल से पीआरआई	17.05.2004
15	मि. नवीन ग्रोवर, 62, ईटीपीएच, सेक्टर 34, गुडगांव	भारती से आईएलएल और बीएसएनएल से पीआरआई	17.05.2004
16	मै. बीएसपी मार्केटिंग, 119/दूसरा तल, गोविंदपुरी	रिलायंस (मै. गेटवे) से आईएलएल	05.08.2004
17	मै. क्रिश्चियन एकेडमी, नानकपुरा, नई दिल्ली	बीएसएनएल से आईपीएलसी	08.09.2004
18	सागर टेंट हाऊस, दूसरा तल, अवाना बिल्डिंग, आटा मार्केट, , सेक्टर–27, नोयडा, उत्तर प्रदेश	वर्ल्ड वेब फोन से आईएलएल	18.09.2004
19	संजीव सोलंकी, डी–49, पालम गांव, नई दिल्ली	प्राइम नेट ग्लोबल से आईएलएल	07.10.2004
20	द्वितीय तल, कमरा नं. 203, मकान नंबर 25/34, आनंद चैंबर्स, पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली	स्पेक्ट्रानेट से आईएलएल	26.10.2004
21	बी–27, रामप्रस्थ, साहिबाबाद, उ.प्र. गाजियाबाद	मै. रीच से आईएलएल	10.11.2004
22	ऋषभ विहार, एलएससी–2, शॉप नंबर, 103, नई दिल्ली	मै. रीच से आईएलएल	10.11.2004
23	मै. रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड (आरआईएल)	सरकार द्वारा मै. आरआईएल को लाइसेंस करारों के उल्लघंन के मामले में 150 करोड़ रु. का दंड लगाने हेतु 24.11.2004 को नोटिस भेजा गया। बीएसएनएल ने मै. आरआईएल को 257 करोड़ रु. के भुगतान के लिए नोटिस जारी किया है। मै. आरआईएल ने दिल्ली उच्च न्यायालय की शरण ली है और प्वांइट आफ इन्टरकनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने के विरुद्ध अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया गया है। मै. आरआईएल ने अब तक इस मांग के संबंध में लगभग 100 करोड़ रु. का भुगतान किया है। एमटीएनएल ने मै. आरआईएल पर 341.27 करोड़ रु. का दावा किया है। इस दावे के संबंध में मै. आरआईएल ने एमटीएनएल को लगभग 67 करोड़ रु. का भुगतान किया है।	

विवरण-IV

सरकार द्वारा आरोपित लाइसेंसशुदा सेवा प्रदाता फर्म/कंपनी/इनफोकॉम का ब्योरा

क्र.सं.	फर्म/कम्पनी/इनफोकॉम का नाम	सरकार द्वारा लगाए गए आरोप/वसूली गई दंड राशि
1	2	3
1	स्पेक्ट्रानेट	2.34 करोड़, पार्टी द्वारा दूरसंचार विवाद निपटान अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) में मामला दर्ज किया गया, आदेश प्रतीक्षित है।
2	प्राइमनेट ग्लोबल	0.23 करोड़,
3	डिशनेट	2.27 करोड़, पार्टी द्वारा दूरसंचार विवाद निपटान अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) में मामला दर्ज किया गया, आदेश प्रतीक्षित है।
4	प्राइमस	0.08 करोड़, पार्टी द्वारा दूरसंचार विवाद निपटान अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) में मामला दर्ज किया गया, आदेश प्रतीक्षित है।
5	ट्रैकोनलाइन	0.72 करोड़, पार्टी द्वारा दूरसंचार विवाद निपटान अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) में मामला दर्ज किया गया, आदेश प्रतीक्षित है।
6	वर्टेक	0.10 करोड़, पार्टी द्वारा दूरसंचार विवाद निपटान अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) में मामला दर्ज किया गया, आदेश प्रतीक्षित है।
7	वीएसएनएल	0.12 करोड़, पार्टी द्वारा दूरसंचार विवाद निपटान अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) में मामला दर्ज किया गया, आदेश प्रतीक्षित है।
8	रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड	सरकार द्वारा मै. आइआईएल को लाइसेंस करारों के उल्लघंन के मामले में 150 करोड़ रु. का दंड लगाने हेतु 24.11.2004 को नोटिस भेजा गया। बीएसएनएल ने मै. आरआईएल को 257 करोड़ रु. के भुगतान के लिए नोटिस जारी किया है। मै. आरआईएल ने दिल्ली उच्च न्यायालय की शरण ली है और प्वाइंट आफ इन्टरकनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने के विरुद्ध अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया गया है। मै. आरआईएल ने अब तक इस मांग के संबंध में लगभग 100 करोड़ रु. का भुगतान किया है। एमटीएनएल ने मै. आरआईएल पर 341.27 करोड़ रु. का दावा किया है। इस दावे के संबंध में मै. आरआईएल ने एमटीएनएल को लगभग 67 करोड़ रु. का भुगतान किया है।
9	विप्रो लिमिटेड	मामले में कार्रवाई की जा रही है, पार्टी ने उच्च न्यायालय में एक मामला दर्ज किया है।

1	2	3
10	एसएबी इन्फोटेक	मामले में कार्रवाई की जा रही है।
11	ट्राइडेन्ट नेटकॉम इन्फोटेल	मामले में कार्रवाई की जा रही है।
12	एचएफसीएल इन्फोटेल	मामले में कार्रवाई की जा रही है।
13	शिवम डेटाटेक	मामले पर कार्रवाई की गई और लाइसेंस निरस्त कर दिया गया।
14	सिग्मा ऑनलाइन	मामले पर कार्रवाई की गई और लाइसेंस निरस्त कर दिया गया।
15	मैग्ना कोर्प	मामले पर कार्रवाई की गई और लाइसेंस निरस्त कर दिया गया।
16	कैपिटल ऑनलाइन	मामले पर कार्रवाई की गई और लाइसेंस निरस्त कर दिया गया।

ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

*9. **श्री चन्द्रभूषण सिंह :**

श्री मुनव्वर हसन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में स्वास्थ्य देख-रेख को सुधारने हेतु ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक इस प्रयोजनार्थ निर्धारित/जारी की गयी निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अक्तूबर महीने में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का इस संबंध में एक सम्मेलन हुआ था;

(ङ) यदि हां, तो किन मुख्य मुद्दों पद चर्चा की गई और इसके क्या परिणाम निकले;

(च) क्या सभी राज्यों ने इस कार्यक्रम को अपनाने पर सहमति व्यक्त की है तथा अपेक्षित स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत अवसंरचना का भी निर्माण किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) जी, हां। ऐसा एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इसके अन्तर्गत, लोगों विशेषकर ग्रामीण गरीब लोगों को व्यापक समेकित स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए देश भर में एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या मिशन शुरू करने का प्रस्ताव है। आरंभ में इस मिशन का विचार 8 ई ए जी राज्यों (उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, झारखण्ड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़), 8 पूर्वोत्तर राज्यों (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा) तथा जम्मू और कश्मीर सहित 17 राज्यों पर ध्यान केन्द्रित करने का है। इस मिशन का लक्ष्य अन्तः तथा अन्तरक्षेत्रीय समाभिरूपता (कनवर्जेंस), नियोजन तथा जन स्वास्थ्य संबंधी कर्त्तव्यों के निर्वहन की निगरानी करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की अपेक्षाकृत अधिक भूमिका; जनस्वास्थ्य अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण; स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी; तथा स्वयंसेवी महिला प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के एक संवर्ग के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के बढ़ते सामुदायिक स्वामित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रणालीबद्ध तथा संरचनात्मक सुधार लाना है।

(ग) यह योजना तैयार की जा रही है। इस योजना के अर्न्तगत अभी तक कोई भी निधि जारी नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिनांक 2 नवम्बर, 2004 को 22 राज्यों के साथ परामर्श किया गया, जिनमें से 12 राज्यों का प्रतिनिधित्व मंत्री स्तर पर किया गया। चर्चा किए गए मुख्य मुद्दे पर इस मिशन के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यकलापों विशेषकर ग्राम स्तरों पर स्वयंसेवी महिला प्रत्यायित

सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के एक नए संवर्ग; उप–केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सुदृढ़ीकरण; अपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उप–केन्द्र स्तर पर लचीली निधियों की व्यवस्था; सामान्य रोगों के लिए अतिरिक्त जेनरिक औषधों (आयुष तथा एलोपैथी) की आपूर्ति; ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की उपलब्धता तथा प्रथम रेफरल यूनिटों के प्रचालन में सुधार लाने के लिए उठाने जाने वाले कदमों, जिला तथा राज्य स्तरों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों की शीर्ष निधियों तथा सोसाइटियों का विलय; उन्नत कार्यक्रम प्रबंधन क्षमताओं; मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या मिशन की स्थापना; तथा जिला स्तरों पर जिला स्वास्थ्य विकास एजेन्सी के सृजन से संबंधित थे। मिशन की व्यापक कार्यनीतियों पर सहमति थी। तथापि, राज्यों ने समग्र नीतिगत दिशानिर्देशों के अंदर विशिष्ट कार्यकलापों का ब्यौरा तैयार करने हेतु अधिक लचीलेपर का अनुरोध किया।

(च) और (छ) सभी 17 राज्यों ने इस कार्यक्रम को अपनाने हेतु सिद्धान्ततः सहमति दे दी है। स्वास्थ्य अवसंरचना का सृजन कार्यक्रम को शुरू करने की पूर्व–शर्त नहीं है। कार्यक्रम की शुरूआत के साथ ही अवसंरचना का संवर्धन किया जाएगा।

शिशु मृत्यु दर

*10. **श्री भर्तृहरि महताब : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'डिप्थिरिया' एवं खसरे के कारण शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो शिशु मृत्यु दर को शून्य स्तर पर लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या पोलियो–कार्यक्रम पर अत्याधिक ध्यान देने के कारण देश में अन्य बीमारी रोधी टीकों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो शिशु मृत्यु दर में कमी न आने के क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि डिप्थीरिया और खसरे के कारण बाल मृत्यु–दर बढ़ गई है। वास्तव में भारत के महापंजीयक की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार कुल शिशु मृत्यु–दर वर्ष 1990 में 26.3 थी जो 1999 में कम होकर 20.4 रह गई है।

(ख) से (ङ) भारत के महापंजीयक की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार शिशु मृत्यु दर वर्ष 1990 में 80 थी जो वर्ष 2002 में कम होकर 63 रह गई है। शिशु मृत्यु–दर के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं :–

(i) निर्धारित समय से पहले जन्म

(ii) न्यूमोनिया

(iii) श्वसनीय संक्रमण

(iv) जन्मजात विकृत रूप

(v) रक्ताल्पता

(vi) नवजात–अतिसार

(vii) जन्म के समय घाव

(viii) टेटनस नीयो–नेटोरम

(ix) अतिसार और जठरान्त्र शोथ

(x) ऐंठन

पोलियो उन्मूलन के लिए किए गए अतिरिक्त उपायों से देश में अन्य बीमारी रोधी–टीकों संबंधी कार्यकलापों की कोई उपेक्षा नहीं हुई है। भारत के महापंजीयक की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 में शिशु मृत्यु–दर 80 थी जो वर्ष 2002 में कम होकर 63 रह गई है।

देश में शिशु मृत्यु–दर कम करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां चलाई जा रही हैं:

मातृ स्वास्थ्य के अन्तर्गत कार्यकलाप

1. प्रसवपूर्व जांच, सुरक्षित प्रसव सेवाओं और प्रसवोत्तर परिचर्या सहित अनिवार्य प्रसूति परिचर्या।
2. आपाती प्रसूति परिचर्या
3. प्रयोगशाला तकनीशियन, जन स्वास्थ्य नर्सों और अतिरिक्त सहायक नर्स अर्धधात्री जैसे संविदीय स्टाफ की व्यवस्था।

4. आपाती प्रसूत परिचर्या और सुरक्षित गर्भपात सेवाओं इत्यादि की व्यवस्था के वास्ते एनिस्थेटिस्टों और सुरक्षित मातृत्व परामर्शदाताओं को भाड़े पर रखना।

5. उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्रथम रेफरल एककों में औषधों और उपकरणों की व्यवस्था।

6. चुनिन्दा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चौबीसों घंटे प्रसव सेवाओं की योजना।

7. पंचायतों के माध्यम से निर्धन परिवारों से संबंधित गर्भवती महिलाओं के लिए रेफरल परिवहन के वास्ते धन की व्यवस्था।

8. सुरक्षित गर्भपातों के लिए गर्भ के चिकित्सीय समापन के वास्ते सुविधाएं और प्रशिक्षण।

9. जनन–मार्गीय संक्रमणों/यौन संचारित संक्रमणों का निवारण, उपचार और नियंत्रण।

10. जन प्रचार के साधनों और सबसे निचले स्तर पर विकेन्द्रीकृत स्थानीय विशिष्ट कार्यकलापों के माध्यम से भी मातृ एवं बाल स्वास्थ्य संबंधी सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण कार्यक्रम को तेज करना।

11. जहां पर सरकारी सेवाएं पर्याप्त नहीं हैं, वहां पर जागरूकता उत्पन्न करने और सेवा प्रदाय में गैर–सरकारी संगठनों की सहभागिता।

12. चिकित्सीय/अर्ध–चिकित्सीय और अन्य सेवा–प्रदायकों का प्रशिक्षण।

13. राष्ट्रीय प्रसूति लाभ योजना।

14. दाईयों का प्रशिक्षण।

15. विशेषतौर से अधिकार प्राप्त कार्यदल वाले राज्यों में दूर–दराज के केन्द्रों और उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों जिनका कम उपयोग किया जा रहा हो, में प्रजनन एवं बाल स्वस्थय शिविर।

बाल स्वास्थ्य के अन्तर्गत कार्यकलाप

1. बच्चों को खसरे का वैक्सीन लगाने और गर्भवती महिलाओं को टेटनस टाक्सायड वैक्सीन लगाने पर ध्यान केन्द्रित करने सहित नेमी रोग प्रतिरक्षण का सुदृढ़ीकरण करना।

2. स्तनपान को बढ़ावा देना।

3. अतिसार रोगों के नियंत्रण के लिए ओरल रिहाईड्रेशन थिरेपी को बढ़ावा देना।

4. तीव्र श्वसनीय संक्रमणों के उपचार सहित नवजात परिचर्या।

पोतों का कार्य-निष्पादन

*11 **श्री जसुभाई दानाभाई बारड़** : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के प्रमुख पोतों के कार्य–निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2002–03, 2003–04 एवं 2004–05 में अब तक का पोत–वार तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) पोतों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए क्या–क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) देश के महापत्तनों के कार्य–निष्पादन की समीक्षा लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है। वर्ष, 2002–03, 2003–04 और 2004–05 (अप्रैल, 2004 से अक्तूबर, 2004 तक) के दौरान संचालित किए गए कार्गो–यातायात का पत्तन–वार ब्योरा निम्नलिखित है :–

(मिलियन टन में)

पत्तन का नाम	वर्ष, 2002–03	वर्ष, 2003–04	वर्ष, 2004-05 (अप्रैल, 2004 से अक्तूबर, 2004 तक)
1	2	3	4
कोलकाता	35.80	41.05	23.78
पारादीप	23.90	25.31	16.92

1	2	3	4
विशाखापट्टणम	46.01	47.74	27.68
इन्दौर	8.49	9.28	5.49
चेन्नई	33.69	36.71	23.95
तूतीकोरिन	13.29	13.68	9.19
कोचीन	13.00	13.57	8.26
नव मंगलूर	21.43	26.67	18.59
मुरगांव	23.65	27.88	13.12
जवाहरलाल नेहरू	26.84	31.18	18.95
मुम्बई	26.80	29.96	19.91
कांडला	40.63	41.52	23.75
योगः	313.53	344.55	209.59

(ग) महापत्तनों की कार्य–कुशलता में सुधार लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है। महापत्तनों की कार्यकुशलता बढ़ाने की दृष्टि से समय–समय पर निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

(i) नए घाटों/टर्मिनलों का निर्माण और उन्हें उपस्करों से सज्जित करना;

(ii) मौजूदा घाटों पर मौजूदा उपस्करों को अत्याधुनिक उपस्करों से बदलना;

(iii) बेहतर कार्यकुशलता हासिल करने की दृष्टि से श्रमिकों के प्रशिक्षण और प्रबंध–प्रक्रियाओं में सुधार;

(iv) बेहतर कार्यकुशलता हासिल करने की दृष्टि से अतिरिक्त निवेश आकृष्ट करने और आधुनिक तकनीकें विकसित करने की दृष्टि से पत्तन–सुविधाओं के विकास तथा संचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी;

(v) पत्तन के कार्य–संचालन का कम्प्यूटरीकरण और इलैक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज को आंशिक रूप से अपनाना; तथा

(vi) पोत–यातायात–प्रबंधन–प्रणाली कायम करना।

[हिन्दी]

प्रतियोगी परिक्षाओं में भारतीय भाषाओं का उपयोग

*12. **श्री गिरिधारी यादव :**

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपनी विभिन्न सेवाओं में भर्ती के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं में उत्तर लिखने का विकल्प प्रदान किया है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी सभी सेवाओं और भाषओं की विस्तृत सूची क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में दिनांक 18 जनवरी, 1968 को संसद द्वारा पारित संकल्प को पूरी तरह से कार्यान्वित किया जा चुका है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने का विचार है; और

(ङ) इस संकल्प के कार्यान्वयन की दिशा में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित राजभाषा संकल्प, 1968 में, अन्य बातों के साथ–साथ, यह संकल्प किया गया कि परीक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रिया संबंधी पहलुओं एवं समय के विषय में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात् अखिल भारतीय एवं उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी। इस संकल्प के अनुसरण में, संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से किसी भी भाषा में प्रश्नों के उत्तर लिखने का विकल्प, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा के संबंध में ही प्रदान किया गया है।

(ख) वे सेवाएं जिनके लिए भर्ती संघ लोक सेवा

आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है, निम्नलिखित हैं :–

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा
2. भारतीय विदेश सेवा
3. भारतीय पुलिस सेवा
4. भारतीय डाक और तार लेखा तथा वित्त सेवा, समूह 'क'
5. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा–सेवा, समूह 'क'
6. भारतीय सीमा–शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा, समूह 'क'
7. भारतीय रक्षा लेखा सेवा, समूह 'क'
8. भारतीय राजस्व सेवा, समूह 'क'
9. भारतीय आयुध फैक्ट्री सेवा, समूह 'क' (सहायक निर्माण प्रबंधक गैर तकनीकी)
10. भारतीय डाक सेवा, समूह 'क'
11. भारतीय सिविल लेखा सेवा, समूह 'क'
12. भारतीय रेल यातायात सेवा, समूह 'क'
13. भारतीय रेल लेखा सेवा, समूह 'क'
14. भारतीय रेल कार्मिक सेवा, समूह 'क'
15. रेल सुरक्षा बल में सहायक सुरक्षा अधिकारी, समूह 'क' के पद
16. भारतीय रक्षा संपदा सेवा, समूह 'क'
17. भारतीय सूचना सेवा, समूह 'क'
18. भारतीय व्यापार सेवा, समूह 'क'
19. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उप अधीक्षक, समूह 'क' के पद
20. दिल्ली, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली सिविल–सेवा, समूह 'ख'
21. दिल्ली, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली पुलिस–सेवा, समूह 'ख'
22. सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा, समूह 'ख' (अनुभाग अधिकारी ग्रेड)
23. पांडिचेरी पुलिस सेवा, समूह 'ख'
24. पांडिचेरी सिविल सेवा, समूह 'ख'
25. रेल बोर्ड सचिवालय सेवा, समूह 'ख' (अनुभाग अधिकारी ग्रेड)
26. सीमाशुल्क मूल्यांकक (समूह 'ख')

संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाएँ निम्नलिखित हैं :–

1. असमिया
2. बँगला
3. गुजराती
4. हिन्दी
5. कन्नड़
6. कश्मीरी
7. कोंकणी
8. मलयालम
9. मणिपुरी
10. मराठी
11. नेपाली
12. उड़िया
13. पंजाबी
14. संस्कृत
15. सिंधी
16. तमिल
17. तेलुगु
18. उर्दू
19. बोडो
20. डोगरी
21. मैथिली
22. संथाली

(ग) से (ङ) इस सुविधा को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित अन्य परीक्षाओं के संबंध में लागू किए जाने से संबद्ध प्रश्न, डॉ. सतीश चन्द्र समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिए जाने हेतु सरकार के विचाराधीन है। इस मसले के महत्त्व और संवेदनशीलता तथा इस विषय में अलग-अलग मत होने के मद्देनजर, राष्ट्रीय स्तर पर कोई स्वीकार्य नीति तैयार करने से पूर्व राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधितों से व्यापक परामर्श करने के उपरांत सरकार का प्रयास आम राय कायम करने का है, जिसके लिए प्रयत्न जारी हैं।

[अनुवाद]

वियना सम्मेलन के मानदंडों का उल्लंघन

*13. **श्रीमती किरण माहेश्वरी :**

श्री के. एस. राव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ विदेशी मिशन देश के कानून का पालन न करके राजनयिक संबंधों से संबंधित वियना सम्मेलन के मानदण्डों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मिशनों का ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) से (ग) अगस्त, 2003 के बाद वियना सम्मेलनों के संबंध में किसी तरह के उल्लंघन के मामले की जानकारी मंत्रालय को नहीं मिली है।

हालांकि मंत्रालय में पिछले तीन वर्षों के दौरान जुलाई, 2003 तक दूतावास के अधिकारियों तथा उनके रिश्तेदारों के भागीदारी से वियना सम्मेलनों के उल्लंघन की 20 घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है।

इन 20 मामलों में से, 16 मामलों में पाकिस्तानी राजनयिक/अधिकारी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाये गये थे। दो मामले रूस के राजनयिकों से संबंधित थे जो खराब और लापरवाही से गाड़ी चलाने से संबंधित थे जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक मामलें में एक एक व्यक्ति मारे गये थे। एक मामला सिनेगल के राजदूत के पुत्र से संबंधित था जो राजदूतावास के एक भारतीय ड्राइवर के साथ कहा-सुनी से संबंधित था जिसमें ड्राइवर की अचानक मृत्यु हो गई। अंतिम मामला केन्या के रक्षा सलाहकार और दो अन्य राजनयिकों से संबंधित था जो शुल्क रहित शराब के भंडारण और बिक्री जैसी गैर-कानूनी गतिविधियों में संलग्न थे और ऐसा कुछ भारतीय नागरिकों के सहयोग से हो रहा था।

पाकिस्तानी राजनयिकों के मामलें में, उन्हें अस्वीकार्य व्यक्ति घोषित कर दिया गया था। बाकी मामलों में, मंत्रालय ने शामिल व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए उनकी प्रतिरक्षा को समाप्त करने के लिए कहा है। हालांकि संबंधित देशों ने राजनयिकों को वापिस बुला लिया है।

भारत-वियना सम्मेलन के लिए एक हस्ताक्षर-कर्त्ता है। राजनयिक संबंधों संबंधी वियना सम्मेलन के अनुच्छेद 31 के अनुसार, एक राजनयिक अपने प्राप्तकर्त्ता देश के आपराधिक सीमाक्षेत्र से राजनयिक उन्मुक्तियां हासिल करता है। अनुच्छेद 37 में राजनयिक के परिवार के सदस्यों पर ये उन्मुक्तियां प्रभावी होंगी बशर्ते कि वे प्राप्तकर्त्ता देश के राष्ट्रिक न हों। अनुच्छेद 32 के अनुसार राजनयिक उन्मुक्तियों को भेजने वाले देश द्वारा समाप्त किया जा सकता है। हमारे नीति हमारे अंतर्राष्ट्रीय संधि दायित्वों, अंतर्राष्ट्रीय परंपरा और व्यवहार पर निरंतर कायम हैं।

राजमार्गों की लंबाई

*14. **मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी :**

श्री जी. करुणाकर रेड्डी :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम को जोड़ने के लिए राज्यवार चार लेनों वाला राजमार्ग बनाने की योजना थी;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्य मार्गवार लंबाई तथा इसके पूरा होने की तारीख तथा वर्तमान स्थिति क्या है, राज्य मार्गवार निर्माणाधीन मार्ग की लंबाई कितनी है, तथा इनके निर्माण कार्य को आरंभ करने और पूरा होने की लक्ष्य की तिथियां क्या हैं; और

(ग) बकाया राजमार्गों के निर्माण कार्य के आरंभ होने और पूरा होने की कोरिडोर-वार निर्धारित समयावधि क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री

टी. आर. बालू) : (क) जी हां। उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम महामार्गों की राज्यवार लंबाई संलग्न **विवरण-I** में दी गई है।

(ख) उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम महामार्गों के अंतर्गत खंडवार पूरे हो चुके राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति और उन्हें पूरा किए जाने की तारीख संलग्न **विवरण-II** में दी गई है। उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम महामार्गों के अंतर्गत ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों की खंडवार स्थिति, जिनपर कार्य चल रहा है उनपर कार्य शुरू किए जाने की तारीख और उन्हें पूरा किए जाने की लक्ष्य तारीख संलग्न **विवरण-III** में दी गई हैं।

(ग) उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम महामार्गों के अंतर्गत शेष लंबाई में जून, 2005 तक निर्माण कार्य सौंपे जाने हैं और इस संपूर्ण कार्य को दिसम्बर, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

विवरण-I

उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम महामार्गों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार लंबाई

सभी आंकड़े कि.मी. में

क्रम सं.	राज्य	उत्तर–दक्षिण महामार्ग	पूर्व–पश्चिम महामार्ग
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	763.00	0
2.	असम	0	732.00
3.	बिहार	0	511.00
4.	दिल्ली	21.00	0
5.	गुजरात	0	634.00
6.	हरियाणा	183.00	0
7.	हिमाचल प्रदेश	11.00	0
8.	जम्मू–कश्मीर	448.00	0
9.	कर्नाटक	92.00	0
10.	केरल	168.00	0
11.	मध्य प्रदेश	547.00	110.00
12.	महाराष्ट्र	276.00	0
13.	पंजाब	270.00	0
14.	राजस्थान	30.00	526.00
15.	तमिलनाडु	772.00	0
16.	उत्तर प्रदेश	202.00	647.00
17.	पश्चिम बंगाल	0	331.00
	जोड़	3783	3491

विवरण - II

उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम महामार्ग की पूर्णतः पूरी हो चुकी परियोजनाओं में पूरे हो चुके खंड।

31 अक्तूबर, 2004 के अनुसार स्थिति

क्र. सं.	खंड	रा रा	लंबाई (कि.मी.)	पूरा होने की तारीख
1	2	3	4	5
1.	भोगपुर से जालंधर (एनएस–16/पीबी) 26–4.23 कि.मी.	1ए	21.77	अक्टूबर, 2004
2.	सरलचोला से मुरैना (एनएस–20/एमपी) 70.00–85.00 कि.मी.	3	15.00	अगस्त, 2004
3.	अंगमाली से अलूवा (एनएस–28/केएल) 332.06–316.70 कि.मी.	47	16.00	जून, 2004

1	2	3	4	5
4.	गुवाहाटी बाइपास (ईडब्ल्यू–14/एएस) 156.00–146.00 कि.मी.	37	10.50	जून, 2004
5.	जालंधर बाइपास (एनएस–1) रा रा 1 का 387.1 कि.मी., रा रा 1 ए का 4.23 कि.मी.	1	14.40	जून, 2004
6.	बंगलौर – सलेम – मदुरै (एनएस–27/टीएन) 248.0–259.6 कि.मी.	7	8.40	अप्रैल, 2004
7.	डलखोला–इस्लामपुर (ईडब्ल्यू/5) 470–447 कि.मी.	31	23.00	मार्च, 2004
8.	गुवाहाटी बाइपास (ईडब्ल्यू/7) 163.895–156.00 कि.मी.	37	8.00	दिसम्बर, 2003
9.	पालनपुर–डीसा (ईडब्ल्यू–11/जीजे) 350.00–372.70 कि.मी.	14	22.70	फरवरी, 2003
10.	म.प्र./राज. सीमा से सराय चोला (एनएस/6) 61–70 कि.मी.	3	9.00	जनवरी, 2003
11.	टोंडापल्ली से फारुखनगर (एनएस/9) 20.3–34.8 कि.मी.	7	12.50	जनवरी, 2003
12.	सलेम बाइपास (एनएस/12) 199.2–207.6 कि.मी.	7	8.40	जनवरी, 2003
13.	रिबड़ा से कोंडल खंड (ईडब्ल्यू–10/जीजे) 160–143 कि.मी.	8बी	17.00	अक्तूबर, 2002
14.	करुर बाइपास को 4 लेन का बनाना और अमरावती नदी पर अतिरिक्त पुल	7	9.36	सितम्बर, 2002
15.	करुर आर ओ बी का निर्माण	7	0.84	सितम्बर, 2002
16.	लखनऊ–कानपुर खंड (ईडब्ल्यू/2) 11.38–21.8 कि.मी.	25	10.42	अगस्त, 2002
17.	तोपूरगढ़ खंड (एनएस–14) 156–163.4 कि.मी.	7	7.40	अप्रैल, 2002
18.	कलकल्लू गांव से गुंडला पोचमपाली (एनएस/8) 447–464 कि.मी.	7	17.00	अप्रैल, 2002

1	2	3	4	5
19.	चिंचभुवन – बूटीबोरी – बोरखेड़ी (एनएस/7) 9.2–22.85 कि.मी. व 24.65–36.6 कि.मी.	7	25.60	मार्च, 2002
20.	आगरा – राजस्थान/उत्तर प्रदेश सीमा (एनएस/4) 8–24 कि.मी.	3	16.00	नवंबर, 2001
21.	कसमपुर से हरियाणा/दिल्ली सीमा को 6 लेन का बनाना (एनएस/2) 44.3–29.3 कि.मी.	1	15.00	नवंबर, 2001
22.	अवतीगांव से नंदीहिल्स क्रास और देवनहल्ली मीनूकुंटे तक 6 लेन बनाना (एनएस/10) 524–527 कि.मी. व 535–539 कि.मी.	7	7.00	जुलाई, 2001
23.	पालनपुर के समीप आबू रोड डीसा खंड (ईडब्ल्यू/1) 340–350 कि.मी.	14	10.00	अप्रैल, 2001
24.	मनला – धौलपुर (एनएस/5) 41–51 कि.मी.	3	10.00	मार्च, 2001
25.	बोवनपल्ली (हैदराबाद सिटी) से शिवरामपल्ली 0.00–9.200 कि.मी.	7	9.20	अप्रैल, 98
26.	नागपुर– चिंचबगुवन 0.00–9.200 कि.मी.	7	9.20	अप्रैल, 98
27.	जालंधर – अंबाला 372.7–212 कि.मी.	1	160.70	अप्रैल, 2001
28.	राजकोट – रिवडा 175–160 कि.मी.	8बी	15.00	जुलाई, 2002
29.	त्रिशूर–कोची खंड 332.0–349.0 कि.मी.	47	17.00	मार्च, 99
30.	अंबाला–पानीपत 212–96 कि.मी.	1	116.00	जुलाई, 2001
31.	बामनबोर–रोजकोट 216–185 कि.मी.	8बी	31.00	जुलाई, 2002
	कुल जोड़		674.00	

विवरण-III

31 अक्तूबर, 2004 की स्थिति के अनुसार उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम महामार्ग पर चल रहे ठेकों के ब्योरे।

क्रम सं.	खंड	राज्य	रा रा	लंबाई (कि.मी.)	शुरू होने की तारीख	पूरा होने की तारीख
1	2	3	4	5	6	7
पूर्व–पश्चिम महामार्ग						
1.	डलखोला – इस्लामपुर उपखंड 2 (ईडब्ल्यू/6) 500–476.15 कि.मी.	पश्चिम बंगाल	31	23.85	अप्रैल, 2000	मार्च, 2005
2.	पूर्णिया–गयाकोटा (ईडब्ल्यू/4) 476.15 से 470 कि.मी. और 419 से 410 कि.मी.	बिहार	31	15.15	दिसम्बर, 1999	मार्च, 2005
3.	पूर्णिया–गयाकोटा (ईडब्ल्यू–12/बीआर) 447 से 419 कि.मी.	बिहार	31	28	सितम्बर, 2001	दिसम्बर, 2005
4.	रा रा 25 और लखनऊ शहर से गुजरते हुए वाया रा रा 56 रा रा 28 को जोड़ते हुए लखनऊ बाइपास. (ईडब्ल्यू–15/यूपी)	उत्तर प्रदेश	25, 28 व 56	22.85	सितम्बर, 2001	जून, 2005
5.	लखनऊ–कानपुर खंड (ईडब्ल्यू–8/यूपी) 21.80 से 44.00 कि.मी.	उत्तर प्रदेश	25	22.2	सितम्बर, 2001	मार्च, 2005
6.	लखनऊ–कानपुर खंड (ईडब्ल्यू–9/यूपी) 44 से 59.5 कि.मी.	उत्तर प्रदेश	25	15.5	सितम्बर, 2001	मार्च, 2005
7.	लखनऊ–कानपुर खंड (ईडब्ल्यू/3) 59.5 से 75.5 कि.मी.	उत्तर प्रदेश	25	16	दिसम्बर, 2003	दिसम्बर, 2005
उत्तर दक्षिण महामार्ग						
8.	कुंजवानी से विजयपुर (एनएस–15/जे एंडके) 97–80 कि.मी.	जम्मू और कश्मीर	1ए	17.2	जनवरी, 2002	अगस्त, 2005
9.	पंची गुजरान से कमसपुर (सोनीपत) तक 6 लेन का बनाना (एनएस–17/हरियाणा) 66.00–44.30 कि.मी.	हरियाणा	1	21.7	अगस्त, 2001	दिसम्बर, 2005

1	2	3	4	5	6	7
10.	हरियाणा–दिल्ली सीमा से मुकरबा चौक तक 8 लेन बनाना (एनएस–18/दिल्ली) 29.3–16.5 कि.मी.	दिल्ली	1	12.9	अगस्त, 2001	दिसम्बर, 2005
11.	मुकरबा चौक से माल रोड (दिल्ली) तक 8 लेन बनाना (एनएस–3/दिल्ली) 16.2–8.2 कि.मी.	दिल्ली	1	8.5	नवंबर, 2001	जून, 2005
12.	राजस्थान/उ.प्र. सीमा से मनिया (एनएस–19/यूपी/राज.) 24–41 कि.मी.	उत्तर प्रदेश (7) राजस्थान (10)	3	17	अगस्त, 2001	दिसम्बर, 2004
13.	मुरैना–रैरु (ग्वालियर बाइपास से शुरू) (एनएस–21/एमपी) 85.00–103.00 कि.मी.	मध्य प्रदेश	3	18	अगस्त, 2001	फरवरी, 2005
14.	गुंडला–पोचमल्ली से बोवनपल्ली शिवरामपल्ली से टोडापल्ली (एनएस–23/एमपी) 464.00–474 व 9.20 से 22.30 कि.मी.	आंध्र प्रदेश	7	23.1	सितम्बर, 2001	जून, 2005
15.	नंदीहिल्स क्रास से देवनहल्ली और मीनूकुंटे से हबल तक 6 लेन बनाना (एनएस–24/केएन) 539–556 कि.मी. व 527–535 कि.मी.	कर्नाटक	7	25	सितम्बर, 2001	जून, 2005
16.	तुमपीपाड़ी से सलेम (एनएस–26/टीएन) 180.00–199.20 कि.मी.	तमिलनाडु	7	19.2	सितम्बर, 2001	अप्रैल, 2005
17.	सिल्चर–उदरबंद 309–275.00 कि.मी.	असम	54	34	सितंबर, 2004	सितंबर, 2007
18.	श्रीनगर बाइपास (सड़क खंड) (एनएस–30) 286–303.8 कि.मी.	जम्मू और कश्मीर	1ए	17.8	नवंबर, 2003	मई, 2006
19.	कन्याकुमारी–पनगुड़ी (एनएस–32) 203–233.6 कि.मी.	तमिलनाडु	7	30.6	मार्च, 2004	सितंबर, 2006

विवाद निपटान तंत्र की स्थापना

*15. **श्रीमती मनोरमा माधवराज :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं की शिकायतों/समस्याओं के निवारण के लिए किसी विवाद निपटान तंत्र की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग का विचार सरकारी और

निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए तकनीकी अड़चन मुक्त एकीकृत बिलिंग फार्मेट प्रारंभ और लागू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) और (ख) जी, हां।

दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं की शिकायतों/समस्याओं के निवारण हेतु दूरसंचार विभाग में और सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् बीएसएनएल और एमटीएनएल में एक सुव्यवस्थित विवाद निवारण तंत्र विद्यमान है।

(i) निर्धारित निःशुल्क नंबरों पर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा के अलावा दूरसंचार विभाग, बीएसएनएल और एमटीएनएल में संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारी के नियंत्रण में लोक शिकायत सेल कार्य कर रहे हैं। दूरसंचार सर्किलों में निगमित कार्यालय से लेकर गौण स्विचन क्षेत्र तक प्रत्येक स्तर पर लोक शिकायत सेल कार्य कर रहे हैं।

(ii) शिकायतों तथा याचिकाओं के निवारण हेतु गौण स्विचन क्षेत्र तथा सर्किल स्तर पर आवधिक रूप से टेलीफोन अदालतों तथा खुले सत्रों का आयोजन किया जा रहा है।

(iii) उपर्युक्त के अलावा कोई उपभोक्ता किसी विवाद के निपटान हेतु उपभोक्ता फोरम से संपर्क कर सकता है।

(iv) उपभोक्ताओं का समूह सेवा प्रदाता के विरुद्ध किसी विवाद के निवारण हेतु दूरसंचार विवाद समाधान तथा अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) से भी संपर्क कर सकता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं होता।

राष्ट्रीय राजमार्गों की खस्ता हालत

*16. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सड़कों की अपर्याप्त क्षमता और खराब स्थिति के कारण भारत को प्रति वर्ष लगभग 10,000 करोड़ रुपए की हानि उठानी पड़ रही है, जैसा कि 21 अक्तूबर, 2004 के "टाइम्स ऑफ इण्डिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या 50 प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति अत्याधिक खस्ता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा सड़कों की उपयोगिता क्षमता को बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/करने का विचार है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) समाचार पत्र की रिपोर्ट, 1996 में गठित एक विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट पर आधारित प्रतीत होती है। मुख्य सड़कों की खराब स्थिति के कारण आर्थिक घाटे की सही मात्रा बात पाना संभव नहीं है।

(ख) जी नहीं। राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों की क्षमता और गुणता में सुधार के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, सड़क गुणता सुधार कार्यक्रम और अन्य विकास कार्य जैसे अनेक उपाय/कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

*17. **श्री जुएल ओराम :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरसंचार क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है;

(ख) इन प्रस्तावों में निवेश की कुल कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) राज्यवार किन-किन स्थानों पर यह निवेश किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) और (ख) सितम्बर, 2004 तक दूरसंचार क्षेत्र में

41369.11 करोड़ रुपए की राशि के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कुल 930 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।

(ग) और (घ) ब्योरे संलग्न **विवरण** में दिए गए हैं।

विवरण

अगस्त, 1991 से सितम्बर, 2004 के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों का राज्य-वार विवरण — दूरसंचार क्षेत्र।

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की राशि (करोड़ रुपए)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	15	12.34
2.	बिहार	02	2.38
3.	गुजरात	10	437.90
4.	हरियाणा	21	145.60
5.	हिमाचल प्रदेश	05	810.83
6.	कर्नाटक	63	760.30
7.	केरल	04	1.03
8.	मध्य प्रदेश	03	0.32
9.	महाराष्ट्र	134	1873.97
10.	उड़ीसा	02	11.28
11.	पंजाब	11	169.98
12.	राजस्थान	03	59.80
13.	तमिलनाडु	53	619.69
14.	उत्तर प्रदेश	10	46.71
15.	पश्चिम बंगाल	31	562.04
16.	उत्तरांचल	01	73.50
17.	चंडीगढ़	05	64.55
18.	दिल्ली	208	15757.79
19.	गोवा	08	55.20
20.	पांडिचेरी	03	0.49
21.	राज्य का उल्लेख नहीं किया गया	338	19903.42
	कुल	930	41369.11

दर्द निवारक 'रोफेकोसिब' के इस्तेमाल को बंद करना

*18. **श्रीमती मिनाती सेन :**

श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लोकप्रिय दर्द निवारक 'रोफेकोसिब' दवा के इस्तेमाल को बंद करने के लिए गम्भीर कदम नहीं उठाए हैं जबकि वैज्ञानिकों ने इसके सुरक्षित होने के बारे में आपत्ति की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रमाणिक चिकित्सा पत्रिका 'लानसेट' के नवीनतम संस्करण में इस औषधि के इस्तेमाल के दुष्प्रभावों के बारे में खुलासा किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या कई देशों के बाजारों से इस औषधि को पहले से ही हटा लिया गया है;

(च) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं; और

(छ) भारतीय बाजार से इस औषधि को शीघ्र हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (छ) प्रवर्तक फर्म मैसर्स मर्क, यू.एस.ए.

द्वारा स्वेच्छा से रोफेकोसिब को वापिस लेने संबंधी रिपोर्ट के बारे में 30 सितम्बर, 2004 को पता चलाने के तत्काल बाद ही भारत में जिन स्थानों पर इस औषध का फर्मों द्वारा विनिर्माण एवं विपणन किया जा रहा है, वहां सुरक्षा की दृष्टि से इस औषध की समीक्षा करने हेतु कदम उठाए गए।

प्रवर्तक फर्म मैसर्स मर्क, यू.एस.ए. द्वारा उक्त औषध को स्वेच्छापूर्वक वापिस लेने के कारण उत्पन्न स्थिति पर विचार करने हेतु 11 अक्तूबर, 2004 को राष्ट्रीय भेषज–संहिता निगरानी सलाहकार समिति की एक आपात बैठक बुलाई गई थी। 'लेन सेट' पत्रिका में प्रकाशित लेख सहित उपलब्ध सूचना की जांच करने के बाद इस समिति द्वारा देश में रोफेकोसिब के प्रयोग को बंद करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में 12 अक्तूबर, 2004 को एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी। देश में इस औषध के विनिर्माण एवं बिक्री पर औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 की धारा 26 ए के तहत अधिसूचना जारी करके रोक लगाई जानी है। यह अधिसूचना जारी की जा रही है।

मैसर्स मर्क, यू.एस.ए. द्वारा इस औषध को अपनी स्वेच्छा से वापिस लेने से पूर्व किसी भी देश के नियामक अभिकरण द्वारा इस औषध को वापिस लेने के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

डाक्टरों/नर्सों का पलायन

*19. **श्री हरिभाऊ राठौड़ :**

श्री राजनरायन बुधौलिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश से डॉक्टरों और नर्सों के पलायन पर रोक लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश से कितने डॉक्टरों ने पलायन किया है; और

(घ) देश से डॉक्टरों और नर्सों के पलायन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (घ) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार मार्च 2003 तक कुल 6,04,489 एलोपैथिक डाक्टरों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के लगभग 6 लाख डाक्टर अपने संबंधित परिषदों में पंजीकृत हैं। भोर समिति ने देश में प्रति 2000 जनसंख्या के लिए एक डाक्टर की उपलब्धता संबंधी मानदण्ड की सिफारिश की है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद में उपलब्ध सूचना के अनुसार इस समय 1800 लोगों में एक एलोपैथिक डाक्टर उपलब्ध है। यदि भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी में प्रेक्टिस कर रहे डाक्टरों का हिसाब लगाया जाए तो लोगों की तुलना में डाक्टरों की संख्या और अधिक बढ़ सकती है। यद्यपि कुल तैयार (प्रोड्यूस्ड) डाक्टरों की संख्या कम नहीं है तथापि डाक्टरों की उपलब्धता में भौगोलिक एवं विशेषज्ञता की दृष्टि से असंतुलन है।

इस समय देश में 229 मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें कुल 25,682 एम बी बी एस छात्रों के नामांकन की क्षमता है।

इस समय देश में लगभग 745 डिप्लोमा नर्सिंग स्कूल और 254 बी. एससी (नर्सिंग) कॉलेज चल रहे हैं। सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 40,000 नर्स प्रत्येक वर्ष अर्हता प्राप्त करती हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश से पलायन करने वाले डाक्टरों एवं नर्सों की संख्या के बारे में केन्द्रीय स्तर पर कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

इस समय डॉक्टरों और नर्सों का विदेशों में पलायन रोकने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

बी एस एन एल और एम टी एन एल का कार्यनिष्पादन

*20. **श्री सुरेश अंगड़ि :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान एम टी एन एल और बी एस एन एल का लाभ तेजी से घटा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीने वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ का वर्ष–वार ब्योरा क्या है;

(ग) इनके लाभ में तेजी से कमी आने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि सरकारी क्षेत्र के ये उपक्रम रुग्ण न होने पाएं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा अर्जित लाभ का ब्योरा निम्नवत है:–

(आंकड़े करोड़ रु. में)

विवरण	201–02	2002–03	2003–04
कर पश्चात लाभ, बी.एस.एन.एल.	6312.17	1444.45	5976.52
कर पश्चात लाभ, एम.टी.एन.एल.	1300.67	877.15	1150.48

एमटीएनएल और बीएसएनएल के कर पश्चात लाभों में वर्ष 2003–04 के दौरान वृद्धि हुई है जबकि इसके पूर्व वर्ष में इनके द्वारा अर्जित लाभ में कमी दर्ज की गई थी।

(ग) वर्ष 2002–03 के दौरान, लाभ में कमी मुख्यतः प्रशुल्क में कटौती, उपभोक्ताओं द्वारा लैंड लाइन फोनों को वापस करने, अत्याधिक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण और कतिपय सांविधिक मदों के लिए अपेक्षाकृत अधिक व्यय का प्रावधान करने के कारण हुई।

(घ) अत्याधिक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बावजूद, सार्वजनिक क्षेत्र की इन दोनों कंपनियों अर्थात एमटीएनएल और बीएसएनएल के लाभों में वृद्धि का रुझान रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की ये दोनों कंपनियां अच्छा कार्य–निष्पादन बनाए रखने, अपने व्यवसाय में वृद्धि करने, नई–नई सेवाएं शुरू करने और ग्राहकों को अधिकाधिक संतुष्ट रखने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही हैं।

लैंडलाइन और सेल्यूलर कनेक्शन

1. **श्री पी. मोहन** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003 और 2004 के अंत में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कुल कितने लैंड लाइन और सेल्यूलर कनेक्शन प्रदान किए गये हैं;

(ख) क्या "टेली डेनसिटी" बढ़ाने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) लैंड लाइन और सेल्यूलर कनेक्शनों का ब्योरा नीचे दिया गया है :–

क्र.सं.	लैण्ड लाइन + डब्ल्यूएलएल (लाख में)		सेल्यूलर (सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के + निजी क्षेत्र के) (लाख में)		लैण्ड लाइन + सेल्यूलर (लाख में)		जोड़ (लाख में)
	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	
मार्च, 2003	305.23	114.07	126.87	0	432.10	114.07	546.17
मार्च, 2004	381.13	122.72	261.55	0	642.68	122.72	765.40

(ख) जी, हां। एन टी पी 1999 के अनुसार टेलीफोन घनत्व हासिल करने का लक्ष्य 2005 तक 7% और 2010 तक 15% निर्धारित किया गया था।

(ग) भारत संचार निगम लि. ने वर्ष 2004–05 में 1 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनायी है। इसमें 7.5 लाख लैण्ड लाइन कनेक्शन, 22.5 लाख डब्ल्यूएलएल

कनेक्शन और 70 लाख सेल्यूलर मोबाइल कनेक्शन शामिल हैं और एमटीएमएल ने 5 लाख टेलीफोनों का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त प्राइवेट प्रचालक भी तेजी से टेलीफोन प्रदान कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, टेलीफोन घनत्व मार्च, 2003 में 5.11% से बढ़कर मार्च, 2004 में 7.02% हो गया और इस प्रकार से 2005 के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति काफी पहले ही हो गयी।

उन्नत प्रौद्योगिकी वाला इलेक्ट्रॉनिक सामान

2. **श्री एस. पी. वाई. रेड्डी :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सेल फोन, मदरबोर्डस आदि जैसे उन्नत प्रौद्योगिकी वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान की निमार्ण करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करने की काई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी/सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुओं, जिनमें उच्च प्रौद्योगिकी की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ शामिल हैं, के विनिर्माताओं को प्रोत्साहन उपलब्ध कराए हैं। प्रदान किए गए प्रोत्साहनों के ब्योरे संलग्न **विवरण** में दिए गए हैं।

विवरण

इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर क्षेत्र के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेसर सहित विनिर्माण उद्योग के विकास को शक्ति प्रदान करने और कायम रखने पर जोर दिया गया है।

2. हार्डवेयर विनिर्माण के क्षेत्र में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी पूँजीनिवेश के अनुमोदन स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत हैं।

3. कंप्यूटर पर 60% की दर से मूल्यह्रास की अनुमति है।

4. सीमा शुल्क की उच्चतम दर 20% पर बनी हुई है। कम से कम 5 करोड़ रुपए के पूँजीनिवेश वाले संयंत्र तथा मशीनरी में परियोजना आयात पर सीमा शुल्क 10% की दर से है। कम्प्यूटरों तथा पेरिफरलों पर सीमा शुल्क 10% की दर से है। सभी भण्डारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, माइक्रोप्रोसेसरों, डेटा प्रदर्श ट्यूबों तथा रंगीन मॉनीटरों के विक्षेपण संघटक पुर्जों पर 0% जारी है। सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए–1) में शामिल वस्तुओं पर सीमा शुल्क प्रतिबद्धता के अनुसार है। इलेक्ट्रॉनिक संघटक पुर्जों अथवा प्रकाशिक तंतु/केबलों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली विशिष्ट कच्ची सामग्रियों/उपादानों पर सीमा शुल्क 0% है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले विशिष्ट पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क 0% है। मूलभूत/सेल्यूलर/इंटरनेट,वीसेट रेडियो पेजींग तथा सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवाओं के लिए विशिष्ट मूलसंरचनात्मक उपस्कर तथा ऐसा उपस्करों के पुर्जे मूलभूत सीमा शुल्क से छूट प्राप्त हैं। सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदानकर्ताओं को इस समय उपलब्ध मोबाइल स्वीचिंग केन्द्रों से सीमा शुल्क की छूट का दायरा बढ़ाकर सार्वत्रिक अभिगम सेवा प्रदानकर्ताओं द्वारा आयात पर लागू किया गया है। सेलफोनों पर सीमा शुल्क 5% की दर से जारी है। आसबाब के रूप में लाए गए लेपटॉप को सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है।

5. कम्प्यूटरों पर उत्पाद शुल्क 0% है। माइक्रोप्रोसेसरों, हार्ड डिस्क ड्राइवों, फ्लॉपी डिस्क ड्राइवों, सीडी रॉम ड्राइवों को उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है। पीसी पर पहले से डाले गए सॉफ्टवेयर, श्रव्य सीडी, रिकोर्ड किए गए वीसीडी तथा डीवीडी, सेल्यूलर फोन, रेडियो ट्रंकिंग ट्रमिनल, कॉल करने, चेतावनी देने तथा पेजिंग के लिए सुवाह्य रिसीवर, सेल्यूलर फोन सहित मोबाइल हैंड सेटों के पुर्जे, संघटक पुर्जे तथा सहायक सामग्रियों को उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है।

6. निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी) में 5% के सीमा शुल्क के भुगतान पर पूंजीगत वस्तुओं की अनुमति है। इस योजना के अंतर्गत निर्यात की बाध्यता बचत किए गए शुल्क से जुड़ी है और आयात की गई

पूंजीगत वस्तुओं पर बचत किए गए शुल्क का 8 गुना है, जिसे 8 वर्षों में पूरा करना है। इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष पुरानी पूंजीगत वस्तुओं के आयात तथा उत्पादन पूर्व और उत्पादन पश्चात् सुविधाओं के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति है। विद्यमान संयंत्र तथा मशीनरी का दर्जा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पुर्जों के आयात की भी अनुमति है।

7. इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी)/ निर्यात उन्मुखी इकाईयों (ईओयू) द्वारा घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीडीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए-1) की वस्तुओं तथा अधिसूचित शून्य शुल्क दूरसंचार/इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की आपूर्ति को धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय (एनएफई) को पूरा के प्रयोजन से गिना जाता है।

8. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है। घरेलू शुल्क क्षेत्र से एसईजेड को बिक्री वास्तविक निर्यात माना जा रहा है इसके परिणामस्वरूप देशीय आपूर्तिकर्ताओं को शुल्क वापसी/डीईपीबी के लाभ, केन्द्रीय बिक्री कर से छूट तथा सेवा कर से छूट के लाभ प्राप्त हो रहे हैं।

9. ईओयू/ईएचटीपी इकाइयों के मामले में कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफरलों पर मूल्यहास 5 वर्ष की अवधि में 100% उपलब्ध है।

10. सीमा शुल्क की अनुमति स्वमूल्यांकन तथा चुनिंदा जांच पर आधारित है।

11. पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

12. ईओयू/ईएचटीपी इकाइयों को उनके द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के अनुपात में सेवा कर से छूट दी गई है।

13. निर्यातोन्मुखी इकाइयों/इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की इकाइयों को निर्यात लाभ पर आयकर अधिनियम की धारा 10A तथा 10B के तहत वर्ष 2010 तक आयकर के भुगतान से छूट प्राप्त है।

14. लघु उद्योग, अति लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, पूर्वोत्तर राज्यों/सिक्किम/जम्मू एवं कश्मीर स्थित इकाइयों, लैटिन अमेरिका/सीआईएस/उप सहारा अफ्रीका को निर्यात करने वाले निर्यातकर्ताओं और आईएसओ 9000 (श्रृंखला) रखने वाली इकाइयों के मामले में निर्यात गृहड का दर्जा प्राप्त करने के लिए देहरी सीमा को 15 करोड़ रु. से घटाकर 5 करोड़ रु. कर दिया गया है। यह दर्जा प्राप्त इकाइयाँ निम्नलिखित नई/विशेष सुविधाएँ प्राप्त करने की पात्र हैं:

- विदेशी मुद्रा अर्जनकर्ता के विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में विदेशी मुद्रा की 100% धारिता।
- सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 360 दिन किया जाना।

15. जिन स्टार निर्यातगृहों (स्थिति धारक सहित) ने पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान 10 करोड़ रुपए के निःशुल्क विदेशी मुद्रा का न्यूनतम कारोबार हासिल किया है, वे सभी क्रमवृद्धिमान निर्यात के आधार पर शुल्क क्रेडिट के पात्र हैं जो निर्धारित वार्षिक निर्यात के सामान्य लक्ष्य से काफी अधिक है।

16. भारत में उद्योगों को पुनः स्थापित करने के लिए उन मामलों में संयंत्र तथा मशीनरी का आयात किसी लाइसेंस के बिना करने की अनुमति दी जाएगी जहाँ ऐसे पुनःस्थापन संयंत्रों की मूल्यह्रासित कीमत 25 करोड़ रु. से अधिक हो।

17. अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलापों में और अधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए किसी विश्वविद्यालय, विद्यालय या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को वैज्ञानिक, सामाजिक या सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से दी गई रकम पर 125 $ की भारित कटौती उपलब्ध कराई गई है।

लिंक राष्ट्रीय राजमार्ग

3. **श्री कैलाश मेघवाल : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने दिनांक 19 मार्च, 2004 के अपने पत्र संख्या एफ (डी.एस.) एनएच/सी.एम.एस. /59/2003/डी 3260 में 'लिंक राष्ट्रीय राजमार्ग' घोषित करने वाले छः प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी हां।

(ख) मंत्रालय ने फरवरी, 2004 में 7457 कि.मी. लंबी राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है जिनमें राजस्थान की 988 कि.मी. लंबी सड़कें शामिल हैं। धनराशि की कमी के कारण केंद्र सरकार अब और राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की स्थिति में नहीं है।

लंबित आश्वासन

4. **श्री कैलाश बैठा : क्या प्रधानमंत्री** द्वारा दिए गए आश्वासनों के बारे में दिनांक 29.7.2003, 20.11.2002, 11.3.2003, 5.8.2003, 4.12.2002, 20.11.2002, 21.7.2004, 7.7.2004 और 8.4.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या क्रमशः 1241, 237, 2926, 2140, 2447, 21, 1951, 475 और 3844 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या दिनांक 7.7.2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 475 का उत्तर दिए जाने के बावजूद अतारांकित प्रश्न संख्या 3844 का दिया गया आश्वासन दिनांक 8.4.2003 से लंबित है कि गेटवे ब्रांड टाइपिंग और डुप्लीकेटिंग पेपर की बिक्री के मामले की जाँच केन्द्रीय भंडार के सतर्कता–विभाग द्वारा की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विभाग ने जाँच पूरी कर ली है और मामले पर कोई कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ङ) इस बारे में जानकारी सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर बाइपास

5. **श्री दुष्यंत सिंह :** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री 25.8.2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4124 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजस्थान के धोलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर बाइपास निर्माण के बारे में अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में कंसलटेंट को कोई लक्षित तिथि दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने में कोई प्रगति हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) जी हां। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में काफी हद तक प्रगति हुई है। परामर्शदाता के समक्ष अंतिम रूप से तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट फरवरी, 2005 तक प्रस्तुत करने का लक्ष्य रखा गया है।

सेवानिवृत्ति की आयु कम करना

6. **श्री बालासाहिब विखे पाटील :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार केन्द्र–सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु कम करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) जी, नहीं। केन्द्र–सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु कम किए जाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

पुणे-शिरवाल खंड पर कार्य

7. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील :** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर पुणे–शिखाल खंड का कार्य लंबे समय से रुका पड़ा है जो कि प्रधान मंत्री स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कार्य में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के सतना–कोल्हापुर खंड पर भूमिगत पैदल पार पथ संपर्क सड़क के स्तर से नीचा है जिसके कारण वर्षा ऋतु में जल भराव होता है; और

(ङ) क्या प्रस्तावित राजमार्गों पर मिट्टी कार्य को कम करने के लिए भूमिगत पैदल पार पथ को जानबूझकर डुबोया गया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) पुणे–शिखाल खंड पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। कार्य की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :–

(i)	पश्चिमी विपथन (पुणे बाइपास)	–	पहले ही पूरा हो चुका है
(ii)	कटराज घाट पुनर्संरेखण	–	64% कार्य पूरा हो चुका है
(iii)	कटराज–सरोल खंड जिस पर शिरवाल पड़ता है	–	54% कार्य पूरा हो चुका है

(ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सभी चालू परियोजनाओं की प्रगति पर कड़ी निगरानी रख रहा है।

(घ) और (ङ) जी नहीं।

सरकारी अस्पतालों में अप्रयुक्त पड़े उपकरण

8. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में केन्द्र सरकार के अस्पतालों में बहुत से उपस्कर/उपकरण अप्रयुक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में तत्संबंधी अस्पताल–वार ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन चिकित्सा उपस्करों को चालू हालत में रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी अनियमितताओं के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में बी.एस.एन.एल. सुविधा

9. **श्री रनेन बर्मन :**

श्री सुब्रत बोस :

श्री जोवाकिम बखला :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के बलुरघाट, बसारत, और जलपाईगुड़ी जिलों में बी.एस.एन.एल. सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन क्षेत्रों के सभी जिलों में बी.एस.एन.एल. सुविधा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है;

(घ) इन क्षेत्रों में कुल कितने "सिम कार्ड्स" प्रदान किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार इन जिलों के शहरी क्षेत्रों में डब्ल्यू. एल.एल. सुविधा बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो उक्त सेवा के कब तक शुरु किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) बलूरघाट (दक्षिणी दिनाज पुर जिला में), बरासत उत्तरी 24 परगना जिला में) और जलपाईगुड़ी (जलपाईगुड़ी जिला में) सहित पश्चिम बंगाल के सभी जिलों को भारत संचार निगम लि. की सेल्यूलर मोबाइल सेवा द्वारा कवर कर लिया गया है।

(ग) उपर्युक्त भाग "क" और "ख" के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इन क्षेत्रों में प्रदान किए गये सिमकार्डों की कुल संख्या नीचे दी गयी है :–

बलुरघाट	15934 अदद
जलपाईगुड़ी	17350 अदद
बरासत	बरासत कलकत्ता दूरसंचार जिले का हिस्सा है और कलकत्ता दूरसंचार जिले में प्रदान किये गये सिमकार्डों की कुल संख्या 228264 है।

(ङ) उपर्युक्त जिलों के शहरी क्षेत्रों में डब्ल्यूएलएल सुविधा का विस्तार करने की तत्काल कोई योजना नहीं है।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु ऊर्जा इकाइयों की स्थापना

10. **श्री कुलदीप बिश्नोई** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाभिकीय ऊर्जा निगम ने देश में नई परमाणु ऊर्जा इकाइयों की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके लिए पहचान किए गए स्थानों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन नई परियोजनाओं पर कार्य के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) इस समय देश में नौ परमाणु विद्युत यूनिट निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से आठ का निर्माण न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) द्वारा किया जा रहा है जबकि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी) द्वारा किया जा रहा है आगे और अधिक यूनिटों के बारे में योजना बनाई गई है लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) ये नौ परियोजनाएं हैं, महाराष्ट्र, तारापुर में (2X540 मेगावाट), कर्नाटक, कैगा में (2X220 मेगावाट), राजस्थान, रावतभाटा में (2X220 मेगावाट), तमिलनाडु, कुडनकुलम में (2X1000 मेगावाट) और कलपाक्कम, तमिलनाडु में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (1X500 मेगावाट)।

(ग) इन सभी परियोजनाओं पर काम शुरु हो गया है।

जूट उद्योग

11. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जूट उद्योग के संबंध में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार जूट उद्योग के पुनरुद्धार विकास और विविधीकरण हेतु कोई कार्रवाई करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार एक 'राष्ट्रीय जूट नीति' पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(छ) उक्त नीति की घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार ने जूट उद्योग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से तीन पत्र प्राप्त किए हैं, जिनमें पहला दिनांक 23.04.2004 का है, तथा प्रधान मंत्री जी को संबोधित है, दूसरा दिनांक 22.06.2004 का है, तथा केन्द्रीय कपड़ा मंत्री को संबोधित है, तथा तीसरा दिनांक 16.07.2004 का है तथा केन्द्रीय वित्त मंत्री को संबोधित है।

(ग) और (घ) सरकार ने जूट उद्योग की सहायता के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(i) जूट पैकेजिंग मैटीरियल (कम्पलसरी यूज इन पैकिंग कमोडिटीस) एक्ट, 1987 के तहत 30 जून, 2005 को समाप्त होने वाले जूट वर्ष 2004—05, के दौरान, अनाजों और चीनी को क्रमशः 100% एवं 90% की मात्रा तक जूट के थैलों में पैक करने का आदेश दिया गया है।

(ii) जूट उद्योग को सहयोग देने और पुनर्जीवित करने के लिए कई योजनाएं हैं, जैसे कि जूट उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए जूट विनिर्माता विकास परिषद् (जे एम डी सी) प्रोत्साहन योजना, विदेशी बाजार सहयोग (ई एम ए) योजना, जूट सेवा केन्द के लिए केन्द्रीय जूट विविधीकरण केन्द्र (एन सी जे डी) की योजना, रॉ जूट मैटीरियल बैंक योजना, उत्पाद विकास तथा विपणन सहयोग योजनाएं, जूट उद्यमी सहायता योजना (जे ई ए एस), गैर सरकारी संगठन सहायता योजना, आदि। कपड़ा मंत्रालय की अपनी प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण फंड योजना (टी यू एफ एस) की फ्लैगशिप योजना है, जिसमें जूट उद्योग शामिल है।

(iii) वस्त्र मंत्रालय, भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संघ (आई जे आई आर ए) को अनुसंधान एवं विकास सहयोग के माध्यम से जूट उद्योग के विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण को, एवं जूट प्रौद्योगिकी संस्थान (आई जे टी) को सहयोग के माध्यम से क्षमता निर्माण तथा कुशलता विकास के लिए प्रोत्साहित करता है।

(ङ) से (छ) सरकार एक व्यापक जूट नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है। सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स से विचार जानने के उद्देश्य से तथा विषय पर विस्तृत विचार—विमर्श करने के लिए, कोलकाता में 19 और 20 नवम्बर, 2004 को जूट पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। मामले पर सिफारिशें प्राप्त कर ली गई हैं। चूंकि नीति निर्माण एक लम्बी परामर्शी प्रक्रिया है, इस चरण पर जूट नीति की घोषणा करने के लिए समय—सीमा तय करना उपयुक्त नहीं होगा।

महाराष्ट्र में पथ कर

12. **श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे** : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में नए पथ कर लगाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य द्वारा केंद्र सरकार को कुल कितनी राशि का पथ कर दिया गया; और

(घ) वर्ष 2004—05 में कुल कितनी राशि पथ कर के रूप में प्राप्त होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) सड़क कर लगाना और उनकी वसूली राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है।

(ग) राज्य सरकार, सड़क कर का कोई हिस्सा केंद्र सरकार के पास जमा नहीं करती है और यह मंत्रालय विभिन्न राज्यों द्वारा एकत्रित सड़क कर के संबंध में सूचना संकलित नहीं करता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

डाक सेवाओं में निजी क्षेत्र का कार्यनिष्पादन

13. **श्रीमती करूणा शुक्ला** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कुरियर, स्पीड पोस्ट और पार्सल सेवाओं के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान डाक विभाग द्वारा उक्त सेवाओं में कितनी वृद्धि दर्ज की गयी है;

(ग) क्या उक्त सेवाओं में निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र से बेहतर कार्य कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) प्रतिस्पर्धा के इस दौर में निजी क्षेत्र पर बढ़त बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी हां।

(ख) डाक विभाग द्वारा मेल सेवाओं के लिए प्रदान किए गए स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट और बिजनेस पोस्ट जैसे प्रीमियम उत्पादों में पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्ज की गई वृद्धि की मात्रा संलग्न **विवरण** में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रीमियम डाक उत्पादों में निशुल्क पिक–अप सुविधा, घर–घर वितरण, इंटरनेट आधारित ट्रैक एवं ट्रेस, मात्रा आधारित छूट तथा क्रेडिट सुविधा जैसी अनेक खूबियां शामिल की गई हैं। ऐसे बुकिंग काउंटरों और कार्यालयों की संख्या बढ़ाई गई है जिनमें देर तक बुकिंग होती है। इसके अतिरिक्त, प्रीमियम उत्पादों के विपणन एवं संवर्द्धन पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

विवरण

मेल सेगमेंट्स के प्रीमियम उत्पादों से पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित किए गए राजस्व की मात्रा को दर्शाती तालिका

(रुपये करोड़ में)

उत्पाद का नाम	2001–02	2002–03	2003–04
स्पीड पोस्ट	196.53	243.01	298.35
बिजनेस पोस्ट	170.29	276.86	365.11
एक्सप्रेस पोस्ट	19.31	26.09	31.45

केन्द्रीय भंडार में वस्तुओं की कमी/अधिकता

14. **श्री विजय कृष्ण :** क्या **प्रधानमंत्री** केन्द्रीय भंडार में सामान की कमी/अधिकता के बारे में दिनांक 12.12.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3683 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह पता लगाने के लिए इस प्रणाली की अब तक समीक्षा की गई है कि क्या किसी सुधारात्मक कार्रवाई को करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) जी हाँ।

(ख) स्टॉक रजिस्टर के रख–रखाव और वस्तुओं की अधिकता/कमी का लेखा–जोखा रखने के बारे में संशोधित अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 पर दुर्घटनाएं

15. **श्री सुनील खां :** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 पर विशेषतः दुर्गापुर के भिरिंजी मोड़, डीवीसी मोड़ और मुछीपारा पर दुर्घटनाएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछली सरकार ने दुर्गापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 के उद्घाटन के समय चार सड़क उपरिपुल का विनिर्माण करने का वचन दिया था;

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस कार्य के कब तक पूर्ण होने की संभावना है और धनराशि का उचित उपयोग करते हुए सड़क की मरम्मत का कार्य कब तक पूरा किया जाएगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 पर दुर्गापुर के भिरिंजी मोड़, गांधी मोड़, डीवीसी मोड़ और मुछीपारा पर दुर्घटनाओं की सूचना मिली हैं।

(ख) से (घ) जी नहीं। सरकार ने चार सड़कोपरि पुलों के निर्माण का कोई वचन नहीं दिया है। तथापि, इस राजमार्ग को यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

आरक्षण नीति

16. **श्री लालमणि प्रसाद :**

श्री मोहन जेना :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में आरक्षण मुद्दे को शामिल करने तथा आरक्षण पर 'आल इंडिया एसोसिएशन फार एससी/एसटी एंड फिजिकली हैण्डीकैप्ड पीपुल्स अपलिफ्टमेंट से 1.7.2003 से आज की तिथि तक प्राप्त अभ्यावेदनों/अनुरोधों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त (क) पर कोई कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो की गई कार्रवाई और ऐसोसिएशन को दिए गए उत्तर का ब्योरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मुद्दे को निपटाने के लिए कब तक कार्रवाई की जाएगी?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यथानिर्धारिति आरक्षण नीति के कार्यान्वयन, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद भरने तथा आरक्षण पर कानून बनाने के बारे में "ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर एस.सी./एस. टी. एण्ड फिजिकली हैण्डीकैप्ड पीपुल्स अपलिफ्टमेंट से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) सीधी भर्ती कोटे और पदोन्नति कोटे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है। सेवाओं में आरक्षण संबंधी एक विधेयक भी तैयार किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपर्युक्त (ख) और (ग) के संबंध में कार्रवाई शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी।

बी.एस.एन.एल. के शुल्क दर में कमी

17. **श्री परसुराम माझी** : क्या **संचार और सूचना प्रोद्यौगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड ने बुनियादी टेलीफोन उपभोक्ताओं के लिए अपने शुल्क दर में कमी की है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष कितने चरणों में शुल्क दर में कमी लायी गयी है;

(ग) चरणों में शुल्क दर में कमी लाने के क्या कारण हैं;

(घ) प्रत्येक चरण में शुल्क में कुल कितनी कमी लायी गयी; और

(ङ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी हां।

(ख) मुख्यतः प्रशुल्क दर में तीन चरणों में कमी की गई है।

(ग) **चरण-I**

प्रतिस्पर्धा और कमी मुख्यतः नए आई यू सी के कारण हुई है। आई एस डी दरों में कमी मुख्य रूप से विदेशी वाहकों द्वारा प्रभावित टर्मिनेशन प्रभारों के कारण हुई है।

चरण-II

बाजार में प्रतिस्पर्धा पर आधारित।

चरण-III

टर्मिनेशन प्रभारों में कमी।

(घ) और (ङ) ब्योरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2004 के दौरान स्थिर लाइन के प्रशुल्क में कमी

(राशि रुपए/प्रति मिनट में)

मद	पुरानी दर		संशोधित दर		कमी का प्रतिशत	
	व्यस्त	अव्यस्त	व्यस्त	अव्यस्त	व्यस्त	अव्यस्त
1	2	3	4	5	6	7
चरण-I (10.04.2004 से प्रभावी)						
आईएसडी प्रशुल्क						
अमेरिका	24.00	21.18	7.20	7.20	70%	66%
कनाडा	24.00	21.18	7.20	7.20	70%	66%
ब्रिटेन	24.00	21.18	7.20	7.20	70%	66%
यूरोप (ब्रिटेन को छोड़कर)	24.00	21.18	9.60	9.60	60%	54.67%

1	2	3	4	5	6	7
सिंगापुर, थाइलैण्ड मलेशिया, इण्डोनेशिया और हांगकांग	21.18	18.00	9.60	9.60	54.67%	46.66%
सार्क और अन्य पड़ोसी देश	21.18	18.00	18.00	18.00	15%	शून्य
शेष विश्व	24.00	21.18	18.00	18.00	25%	15%
एसटीडी प्रशुल्क						
अन्तर सर्किल						
*200–500 कि.मी.	4.80	2.40	3.60	2.40	25%	शून्य
*500 कि.मी.	4.80	4.80	3.60	3.60	25%	25%
चरण-II (10.09.2004 से प्रभावी)						
अन्तर सर्किल						
*100	1.80	1.80	1.20	1.20	33.33%	33.33%
अन्तर सर्किल						
*200–500 कि.मी.	3.60	2.40	2.40	2.40	33.33%	शून्य
*500 कि.मी.	3.60	3.60	2.40	2.40	33.33%	33.33%
चरण-III (21.10.2004 से प्रभावी)						
आईएसडी प्रशुल्क						
श्री लंका	18.00	18.00	12.00	12.00	33.33%	33.33%

*प्रति मिनट दरें 1.20 रु. प्रति पल्स पर आधारित है।

*उपरोक्त प्रशुल्क बुनियादी सेवा से बुनियादी सेवा के लिए लागू है।

इन्फर्टीलिटी क्लीनिक

18. **श्री अविनाश राय खन्ना : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत में "इन्फर्टीलटी क्लीनिक" कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र द्वारा ऐसे क्लीनिक चलाने के लिए कोई दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या इन दिशानिर्देशों के उल्लंघन का कोई मामला सामने आया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है;

(च) क्या सरकार इस संबंध में कोई कानून बनाने की योजना बना रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भारतीय आयुर्विज्ञान अकादमी के सहयोग से भारत में ए आर टी

के प्रत्यायन, पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए राष्ट्रीय दिशा–निर्देश तैयार किए हैं जिनकी इस समय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में जांच की जा रही है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण टेलीफोन

19. **श्री अनन्त नायक : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में क्योंझर जिला में अधिकांश ग्रामीण टेलीफोन बार–बार खराब पड़े रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन ग्रामीण टेलीफोनों के सुचारु कार्यकरण हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, नहीं। उड़ीसा स्थित क्योंझर जिले में अधिकांश ग्रामीण टेलीफोन संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं। तथापि, कभी–कभी डब्ल्यूएलएल (वायरलैस इन लोकल लूप) टेलीफोन, गांवो में अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति के कारण प्रभावित हो जाते हैं।

(ग) ग्रामीण टेलीफोनों के कार्यकारण में और सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :–

(i) एसबीएम (सिंगल बेस मोड्यूल) एक्सचेंजों को आरएसयू (रिमोट स्विचिंग यूनिट) में बदलना।

(ii) सी–डॉट 256 पोर्ट एक्सचेजों को एएन–आरएएक्स (एकसेस नेटवर्क–ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज) में बदलना।

(iii) आई वी आर एस (इन्टरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम) के माध्यम से अल्प दूरी प्रभारण केन्द्र (एसडीसीसी) में केन्द्रीय रूप से दोष–शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था।

(iv) अनुरक्षण रहित बैटरी सैटों की व्यवस्था।

(v) सभी एक्सचेंजों में डिटिजल रिलाइएबल मीडिया की व्यवस्था।

(vi) एक्सचेंजों में इंजन आल्टरनेटरों की व्यवस्था।

इन्सुलिन सुई की आपूर्ति

20. **श्री बालेश्वर यादव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को "पेनफिल" में उपलब्ध इन्सुलिन सुई की आपूर्ति को रोकने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्तमान संसद सदस्यों के लिए स्वास्थ्य केन्द्र, संसदीय सौध द्वारा उक्त आपूर्ति को बनाए रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को भूतपूर्व संसद सदस्यों और किशोर मधुमेह रोगियों से उन्हें इस निर्णय की परिधि से बाहर रखने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके अनुरोध पर विचार किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो सरकार इस संबंध में कब तक निर्णय लेगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। यह निर्णय प्रचलित मानव इन्सुलिन शीशियों के मुकाबले इन्जेक्शन पेनफिल इन्सुलिन की खरीद में शामिल उच्च लागत के कारण लिया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) यह अंतिम निर्णय लिए जाने तक एक अंतरिम उपाय है।

(ङ) जी, हां।

(च) से (ज) इस मुद्दे पर विशेषज्ञों की एक समिति ने विचार–विमर्श किया है और विशेषज्ञों की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

पश्चिम बंगाल में एन एच ए आई के कार्य में प्रगति

21. **श्री हितेन बर्मन** : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल के उत्तर बंगाल में एन एच ए आई के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार को उत्तर बंगाल में एन एच ए आई परियोजना में किसी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उत्तर बंगाल में एन एच ए आई हेतु पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति ले ली है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार की इस संबंध में कार्य योजना क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) पश्चिम बंगाल के उत्तरी बंगाल में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है :–

(i) कुल लंबाई 330.85 कि.मी.

(ii) चार लेन बनाई गई – 23 कि.मी.

(iii) चार लेन बनाने का कार्य चल रहा है – 23.85 कि. मी.

(iv) कार्य शुरू किए जाने के लिए शेष – 284 कि.मी. जिसमें से 83 कि.मी. के लिए विस्तृत परियोजना पूरी कर ली गई है।

(ख) से (च) उत्तरी बंगाल में पूर्व–पश्चिम महामार्ग के अंतिम रूप दिए जा चुके संरेखण के रा.रा.–31 (551 से 634 कि.मी.) और रा.रा.–31सी (105 से 223 कि.मी.) के शेष खंडों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया था, किंतु पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति न मिलने के कारण पूरी नहीं की जा सकी। रा.रा.–31 और 31सी के विद्यमान संरेखण के लिए सर्वेक्षण और जांच का एक प्रस्ताव स्वीकृति के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है।

आंध्र प्रदेश में दूरभाष केन्द्र

22. **श्री बी. विनोद कुमार** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में इस समय जिले–वार कितने दूरभाष केन्द्र काम कर रहे हैं और उनकी क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 2004–05 के दौरान नए दूरभाष केन्द्र स्थापित करने और वर्तमान केन्द्रों की क्षमता को बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्योरा क्या है;

(घ) इस पर कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है; और

(ङ) राज्य में किन–किन स्थानों पर दूरभाष केन्द्र भवन बनाए गए हैं और इस समय उनका प्रयोग किया जा रहा है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) आंध्र प्रदेश में इस समय 3325 टेलीफोन एक्सचेंज अपनी क्षमता सहित कार्य कर रहे हैं। उनके नंबरों और क्षमता का जिला–वार ब्योरा संलग्न **विवरण-I** में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) नए एक्सचेंजों का स्थान–वार ब्योरा और जिन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाई जानी है उनका ब्योरा **विवरण-II** में दिया गया है।

(घ) वित्तीय वर्ष 2004–2005 के दौरान इस पर लगभग 125.09 करोड़ रु. की राशि खर्च होने का अनुमान है।

(ङ) जिन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज भवनों का निर्माण किया गया है तथा जिन्हें इस समय उपयोग में लाया जा रहा है, उनका ब्योरा संलग्न **विवरण-III** में दिया गया है।

विवरण-I

31.10.2004 को एक्सचेंजों और सुसज्जित क्षमता की जिला–वार संख्या–आन्ध्र प्रदेश सर्किल

क्र.सं.	जिला का नाम	एक्सचेंजों की संख्या	सुसज्जित क्षमता
1.	आदिलाबाद	109	98399
2.	अनंतपुर	160	139003
3.	चित्तूर	190	203783
4.	कुड्डापा	118	114855
5.	पूर्वी गोदावरी	155	253486
6.	गुंटूर	190	256414
7.	हैदराबाद	76	653116
7.क	रंगारेड्डी	129	321070
8.	करीमनगर	156	183428
9.	खम्माम	152	121438
10.	कृष्णा	180	282194
11.	कुरनूल	188	127006
12.	महबूबनगर	179	113123
13.	मेडक	127	109802
14.	नालगोण्डा	176	135828
15.	नेल्लोर	159	149740
16.	निजामाबाद	130	112796
17.	प्रकाशम	160	129980
18.	श्रीकाकुलम	94	67256
19.	विशाखापटनम	98	217148
20.	विजियानगरम	95	77494
21.	वारंगल	131	146886
22.	पश्चिमी गोदावरी	173	227982
	जोड़	3325	4242227

विवरण-II

नए ग्रामीण एक्सचेंज

क्र.सं.	जिले का नाम	एक्सचेंज के स्थान का नाम
1.	अनंतपुर	मरूतला–II
2.	चित्तूर	महल
3.	पूर्वी गोदावरी	वाई. रामावरम
4.	महबूबनगर	मदूगुला
5.	विशाखापत्तनम	जी के वीधी
6.	खम्माम	गुंडाला
7.	मेडक	वीरारेड्डीपल्ली
8.	नालगोण्डा	जलालपुर

निम्नलिखित स्थानों पर मियाद समाप्त ई 10 बी को ईडब्ल्यूएसडी/ओसीबी प्रौद्योगिकी से बदलने की योजना है

क्र.सं.	स्टेशन	क्षमता परिवर्द्धन	प्रकार (टाइप)
1.	हैदराबाद	5000	ईडब्ल्यूएसडी
2.	विजयवाड़ा	9000	ईडब्ल्यूएसडी
3.	विशाखापत्तनम	5000	ईडब्ल्यूएसडी
4.	विशाखापत्तनम	4000	ओ सी बी

एसबीएम–आरएसयू, सी 256–एएनआरएएक्स एक्सचेंजों का विस्तार

क्र.सं.	जिले का नाम	आरएसयू में परिवर्तन हेतु योजित एसबीएम की संख्या	एएनआरएएक्स में परिवर्तन हेतु योजित सी 256 बोर्डों की संख्या
1	2	3	4
1.	आदिलाबाद	4	63
2.	अनंतपुर	5	91
3.	चित्तूर	24	143
4.	कुड्डापा	19	72
5.	पूर्वी गोदावरी	30	59
6.	गुंटूर	33	175

1	2	3	4
7.	करीमनगर	36	82
8.	खम्माम	11	85
9.	कृष्णा	7	149
10.	कुरनूल	3	196
11.	महबूबनगर	13	170
12.	मेडक	6	103
13.	नालगोण्डा	15	162
14.	नेल्लोर	16	129
15.	निजामाबाद	9	115
16.	प्रकाशम	17	109
17.	रंगारेड्डी	8	62
18.	श्रीकाकुलम	10	69
19.	विशाखापटनम	9	61
20.	विजियानगरम	3	52
21.	वारंगल	9	72
22.	पश्चिमी गोदावरी	18	85
23.	हैदराबाद	0	0
	जोड़	305	2304

विवरण-III

31.03.04 के अनुसार आन्ध्र प्रदेश दूरसंचार में विभागीय टेलीफोन एक्सचेंज भवनों की स्थिति

क्र.सं.	एसएसए	31.03.2004 के अनुसार उपयोग किए जा रहे विभागीय टेलीफोन एक्सचेंज भवन
1	2	3
1.	आदिलाबाद	19
2.	अनंतपुर	28
3.	चित्तूर	44
4.	कुड्डापा	26
5.	पूर्वी गोदावरी	44
6.	गुंटूर	28
7.	हैदराबाद	41
7.क	रंगारेड्डी	44
8.	करीमनगर	23
9.	खम्माम	21
10.	कृष्णा	44
11.	कुरनूल	28
12.	महबूबनगर	29
13.	मेडक	23
14.	नालगोण्डा	23
15.	नेल्लोर	41
16.	निजामाबाद	28
17.	प्रकाशम	15
18.	श्रीकाकुलम	11
19.	विशाखापटनम	17
20.	विजयानगरम	13
21.	वारंगल	26
22.	पश्चिमी गोदावरी	40
	जोड़	656

मानव क्लोनिंग

23. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश ने संयुक्त राष्ट्र विधायी समिति में मानव क्लोनिंग की संकल्पना को नैतिक रूप से अस्वीकार कर दिया है और उस समिति में स्टेम सेल के विकल्प का समर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में देश-वार प्रस्तुत किए गए तर्कों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हाँ। देश ने प्रजनन क्लोनिंग को स्वीकृति प्रदान नहीं की है। तथापि, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति/मार्गनिर्देशों के अनुसार चिकित्सीय उद्देश्य के लिए स्टेम सेल अनुसंधान को अनुमति दी गई है।

(ख) नीति के अनुसार, इसके चिकित्सीय प्रयोग को देखते हुए देश में स्टेम सेल अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वयस्कों, बोन मैरो या फोटल कॉर्ड रक्त से प्राप्त स्टेम कोशिकाओं के संबंध में कोई विशेष कानूनी या नैतिक समस्याएं नहीं है। तथापि, भ्रूण स्टेम कोशिकाओं के संबंध में, केवल स्टेम कोशिकाओं को प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए भ्रूणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल पंजीकृत सहायता प्राप्त प्रजनन तकनीक (ए.आर.टी.) क्लिनिकों से प्राप्त अधिक या फालतू या अतिरिक्त भ्रूणों का प्रयोग दम्पत्तियों की आज्ञा से किया जा सकता है।

(ग) देशों के विचारों को दो मार्गों में बांटा गया है। एक दल ने प्रजनन और चिकित्सीय क्लोनिंग दोनों के लिए रोक की सिफारिश की है। दूसरे दल ने प्रजनन क्लोनिंग रोक पर सहमति प्रकट करते हुए चिकित्सीय अनुसंधान को समर्थन प्रदान किया है। मतैक्य को प्राप्त करने के लिए अगला विचार – विमर्श फरवरी, 2005 में निर्धारित किया गया है।

रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को सहायता

24. **श्री चंद्रशेखर साहु :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में सभी पंजीकृत रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन्स को संबंधित कालोनियों में कल्याण कार्यों को करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा सभी पंजीकृत रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन्स को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु क्या मानदंड/दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा नियुक्त क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी ऐसी रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन्स विशेषकर वसंत विहार में, उनकी चुनाव प्रक्रिया में मंत्रालय को सूचना दिए बिना/पूर्व अनुमति के बिना स्वयं वहाँ के निवासियों को एक परिपत्र जारी करने/समितियों के कार्य में हस्तक्षेप करने हेतु प्राधिकृत है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी स्वशासी वेलफेयर एसोसिएशन्स के कार्य में हस्तक्षेप करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार ऐसी एसोसिएशन्स के कार्यकरण में हस्तक्षेप करने के लिए क्षेत्रीय कल्याण अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के केवल ऐसे आवासीय कल्याण संघ, जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत हैं और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित मानक संविधान को अंगीकार करने जैसी शर्तें पूरी करते हैं, को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा मान्यता दी जाती है और ऐसे संघ वित्तीय सहायता के लिए पात्र समझे जाते हैं।

(ग) क्षेत्र कल्याण अधिकारी, आवासीय/मान्यता प्राप्त आवासीय कल्याण संघों और विभिन्न अभिकरणों जैसे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् इत्यादि के बीच सम्पर्क अधिकारी का कार्य करता है। क्षेत्र कल्याण अधिकारी आवासीय कल्याण संबंधी मामलों पर मान्यता प्राप्त आवासीय कल्याण संघों से पत्र व्यवहार करने के लिए सामान्यतः प्राधिकृत होता है। क्षेत्र कल्याण अधिकारी, संघों की प्रबंधन समितियों के

चुनाव में भी भूमिका अदा करता है। वह प्रबंधन समिति द्वारा सुझाए गए निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन करता है अथवा इस संबंध में निर्णय लिए जाने हेतु इसे मुख्य कल्याण अधिकारी के पास भेजता है। वह चुनाव में प्रेक्षक के रूप में भी कार्य करता है और अपनी रिपोर्ट मुख्य कल्याण अधिकारी को भेजता है। वसंत विहार का आवासीय कल्याण संघ मान्यता प्राप्त नहीं है।

(घ) क्षेत्र कल्याण अधिकारियों द्वारा अपने सामान्य कार्यों के निष्पादन को सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं माना जाता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का पुनरुद्धार

25. **श्री सुरेश कलमाडी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का पुनरुद्धार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम में निजी क्षेत्र को शामिल किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) नवीन प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के मुख्य सिद्धान्तों में निम्नलिखित शामिल होंगेः

– क्षेत्र व्यापक दृष्टिकोण को अपनाना

– कार्यक्रम के विकास में आरम्भ से ही राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करके राज्य का स्वामित्व स्थापित करना;

– आवश्यकता आधारित राज्य योजनाओं के विकास के जरिए विकेन्द्रीकरण;

– लचीला कार्यक्रम तैयार करना;

– उन्नत कार्यक्रम कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिला, राज्य तथा केन्द्र स्तर पर क्षमता निर्माण; तथा

– संसाधनों तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं का इष्टतम उपयोग करने हेतु समाभिरूपता, अन्तर–क्षेत्रीय तथा अन्तःश्रेत्रीय, दोनों।

(ग) और (घ) सार्वजनिक निजी भागीदारी संबंधी ढांचे के आधार पर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं के सामाजिक विपणन तथा सामाजिक विशेषाधिकार के जरिए शहरी तथा ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी की अपेक्षा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

नए मेडिकल कालेजों की स्थापना

26. **श्री तुकाराम गंगाधर गदाख :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश के प्रत्येक जिले में नए मेडिकल कालेज स्थापित करने पर विचार कर रही है और इस प्रयोजनार्थ दिशानिर्देशों की समीक्षा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या निजी, निगमित भागीदारी द्वारा ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में मेडिकल कालेज स्थापित करने हेतु कुछ छूट/रियायत दी जाएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस संबंध में कार्ययोजना क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) देश के प्रत्येक जिले में नए मेडिकल कालेजों की स्थापना करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने नए मेडिकल कालेजों की स्थापना करने के लिए मौजूदा विनियमों की समीक्षा करने का प्रस्ताव किया है, जिसका ब्योरा तैयार किया जा रहा है। अतः सरकार द्वारा अभी भी इसे अनुमोदित किया जाना है।

आधार पत्तन के रूप में कोलाचेल बंदरगाह

27. **श्री ए. वी. बेल्लारमिन :** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कन्याकुमारी जिले में 55 फीट की गहराई वाला कोलाचेल बदंरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस ऐतिहासिक और प्राकृतिक पत्तन को अंतर्राष्ट्रीय मानदंड वाले एक आधार कंटेनर पत्तन के रूप में उन्नत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) महापत्तनों के सिवाय अन्य पत्तनों के विकास का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य–सरकारों का है और भारतीय पत्तन–अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे पत्तनों पर प्रशासनिक नियंत्रण भी संबंधित राज्य–सरकारों का ही है। तमिलनाडु में अवस्थित एक लघु पत्तन, कोलाचेल–पत्तन के विकास का उत्तरदायित्व भी तमिलनाडु राज्य की सरकार का है।

[हिन्दी]

उत्तरांचल में कृषि और ग्रामीण उद्योग

28. **श्री राजेन्द्र कुमार** : क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तरांचल में कितने कृषि और ग्रामीण उद्योग काम कर रहे हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य में विशेष रूप से हरिद्वार में और अधिक कृषि और ग्रामीण उद्योग स्थापित करने हेतु कोई योजना बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 2003–04 और 2004–05 के दौरान ऐसे उद्योगों को कितनी राशि आबंटित की गई?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के द्वारा कार्यान्वित ग्रामीण रोजगार सजृन कार्यक्रम (आरईजीपी) के तहत उत्तरांचल राज्य में 1794 कृषि तथा ग्रामीण उद्योग स्थापित किए गए हैं।

(ख) और (ग) हरिद्वार सहित देश में कृषि तथा ग्रामीण उद्योग के संवर्धन के लिए, सरकार केवीआईसी के माध्यम से आरईजीपी कार्यान्वित कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत, एक उद्यमी अधिकतम 2 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए, केवीआईसी से मार्जिन मनी सहयोग प्राप्त करके तथा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ऋण लेकर एक ग्रामोद्योग स्थापित कर सकता है। 10 लाख रुपये तक की परियोजनाएं परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तक की मार्जिन मनी सहयोग की हकदार हैं। 10 लाख रुपये से अधिक तथा **25 लाख** रुपये तक की परियोजनाओं के लिए, उद्यमियों की सामान्य श्रेणी के लिए मार्जिन मनी सहयोग की दर 10 लाख रुपये का 25 प्रतिशत, साथ ही परियोजना की शेष लागत का 10 प्रतिशत है। कमजोर वर्गों, जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा महिलाओं, शारीरिक विकलांगों, भूतपूर्व सेवाकर्मियों, अल्पसंख्यक समुदाय आदि श्रेणियों के उद्यमियों के मामले में, मार्जिन मनी की दर 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत का 30 प्रतिशत है, जबकि 19 लाख रुपये से अधिक तथा 25 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए, मार्जिन मनी सहयोग की दर 10 लाख रुपये का 30 प्रतिशत, साथ ही परियोजना की शेष लागत का 10 प्रतिशत है।

(घ) उत्तरांचल राज्य में 2003–04 के दौरान आरईजीपी को कार्यान्वित करने के लिए जारी राशि तथा वर्ष 2004–05 के लिए आबंटित राशि का विवरण निम्नलिखित है:

वर्ष	आबंटित राशि (लाख रु. में)
2003–04	979.70*
2004–05	570.00

*पिछले वर्ष के लंबित दावों के निपटारे के लिए अधिक आबंटन था।

दक्षिण कोरिया के साथ प्रत्यर्पण संधि

29. **श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दक्षिण कोरिया के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या रक्षा क्षेत्र में भी कोई करार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान दोनों देशों ने 5 अक्टूबर 2004 को नई दिल्ली में एक प्रत्यर्पण संधि सम्पन्न की। इस संधि से भगौड़े अपराधियों को प्रत्यर्पित करने में एक कानूनी आधार मिलेगा।

(ग) और (घ) रक्षा क्षेत्र में कोई करार सम्पन्न नहीं किया गया।

आयुर्वेदिक/भारतीय चिकित्सा पद्धति

30. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में आयुर्वेदिक/भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2002, 2003 और 2004 के दौरान वर्षवार इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण को बढ़ावा देने हेतु कोई पृथक् प्राधिकरण सृजित किया गया है/किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ शुरू की गई योजनाओं और चालू योजनाओं का अलग-अलग ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) की प्रथम प्राथमिकता आयुर्वेद सहित भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के विकास कार्यों को संवर्धित एवं प्रचारित करना है। वर्ष 2002-2003 और 2004 के दौरान आयुष विभाग को मूल रूप से आबंटित धनराशियां निम्नवत् हैं।

(करोड़ रु. में)

	योजना	योजनेतर
2002 :	150.00	50.86
2003 :	150.00	51.47
2004 :	181.00	52.76

(ग) से (ङ) आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किसी पृथक् प्राधिकरण का सजृन नहीं किया जा रहा है। तथापि, आयुष विभाग के अधीन एक लोक क्षेत्रक विनिर्माण एकांश अर्थात् इंडियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन, (आई एम पी सी एल) जून, 1983 से आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के व्यापारिक उत्पादन में लगा हुआ है। आई एम पी सी एल में केंद्र सरकार की 51% भागीदारी है। जबकि 49% भागीदारी उत्तरांचल सरकार से संबंधित है। यह संयुक्त नियंत्रक कंपनी बहुत-सी औषधियों का उत्पादन करती है जिनकी आपूर्ति मुख्यतः केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना सहित सरकारी अस्पतालों और औषधालयों को की जा रही है।

केंद्र सरकार अच्छी विनिर्माण पद्धति उपबंधों के अनुपालनार्थ अंतर्गृह गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं और अवसंरचना के सृजन हेतु प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना का कार्यान्वयन भी कर रही है। आयुर्वेदिक औषधियों के विनिर्माताओं को इस योजना के अधीन अधिकतम 3.00 लाख रुपये के निवेश पर 10% तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।

बिहार के लिए आर्थिक पेकैज

31. **श्री सुशील कुमार मोदी** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने झारखंड के सृजन के पश्चात् केन्द्र सरकार से 40,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पेकैज की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने अब तक कितनी राशि का आर्थिक पैकेज दिया है और तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पैकेज के अंतर्गत अब तक बिहार को कितनी राशि प्रदान की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) बिहार के विभाजन के बाद, बिहार सरकार ने समय–समय पर 40,143 करोड़ रुपये की 116 परियोजनाओं को अनुमोदन हेतु केन्द्र सरकार के पास भेजा है।

(ख) राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और बिहार राज्य के जनप्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार–विमर्श के पश्चात् 2531.35 करोड़ रुपये की लागत वाली सात परियोजनाओं की राष्ट्रीय सम विकास योजना के विशेष बिहार योजना घटक के अंतर्गत शत प्रतिशत अनुदान सहायता से कार्यान्वयन हेतु पहचान की गई है। **विवरण** संलग्न है।

(ग) इन परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर, अब तक 621.1219 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

विवरण

राष्ट्रीय सम विकास योजना के विशेष बिहार योजना घटक के अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु पहचान की गई परियोजनाओं की सूची

	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (रुपये करोड़ में)
1.	मिलियन शैलो ट्यूबवेल कार्यक्रम (सब्सिडी घटक)	578.28
2.	उप–पारेषण पद्धति को मजबूत बनाना	365.00
3.	पूर्वी गण्डक नहर का पुनरुद्धार	294.00
4.	राज्य राजमार्गों का विकास	846.29
5.	बागवानी विकास (सब्सिडी घटक)	36.78
6.	एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम	60.00
7.	एकीकृत समुदाय आधारित वन प्रबंधन	351.00
	कुल	2531.35

[अनुवाद]

अफ्रीकी देशों में भारतीय किसानों का भेजा जाना

32. **श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ अफ्रीकी देशों ने अपनी खस्ताहाल कृषि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय किसानों को अपने देशों में ले जाने हेतु प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) लगातार सूखे की स्थिति के कारण आंध्र प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं को देखते हुए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) किसी अफ्रीकी देश ने अब तक भारत सरकार से संपर्क नहीं किया है। तथापि, समाचार पत्रों ने इस संबंध में जानकारी छापी है, जिसकी जाँच की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यदि कोई देश इस विषय पर सरकार से संपर्क करता है तो उचित निर्णय लिया जाएगा।

नकली औषधियां

33. **श्री महबूब जाहेदी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में 20,000 करोड़ रुपए मूल्य की औषधियां निर्मित की जाती हैं जबकि 4,000 करोड़ रुपए मूल्य की औषधियों का आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सन फार्मास्यूटिकल इण्डस्ट्रीज और ग्लैक्सो जैसी बड़ी कंपनियां भी कथित रूप से जीवन रक्षक औषधियों की मियाद समाप्त होने के बावजूद उन पर पुनः लेबल लगाने और विटामिन मिलाने जैसे कदाचार में लिप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने दिल्ली, गुजरात, मुम्बई और महाराष्ट्र में भारी मात्रा में ऐसी नकली औषधियों को बरामद किया है;

(घ) क्या यू एफ एस डी के मानदंडों से हटकर स्तन कैंसर और बांझपन में सन फार्मा की औषधि लिट्रोवल/लिट्रोजोल, व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कदाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) रसायन एवं पैट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से उपलब्ध फीडबैक के अनुसार भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग 3.1 बिलियन यूएस डालर के निर्यात के अलावा अब 4 बिलियन यूएस डालर का उद्योग है। जहां तक औषधीय तथा भेषजीय उत्पादों का संबंध है, देश में वर्ष 2000–01, 2001–02, 2002–03 तथा 2003–04 की अवधि के दौरान क्रमशः 1701.46 करोड़ रुपए, 2026.58 करोड़ रु. तथा 2865.20 करोड़ रु. तथा 2955.63 करोड़ रु. (अनंतिम) मूल्य के औषधीय तथा भेषजीय उत्पादों का आयात किया गया है।

(ख) और (ग) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बने नियमों के अधीन राज्य सरकारों को बाजार में संचलित औषधों की गुणवत्ता का विनियमन तथा मानिटरिंग करने का अधिकार प्राप्त है। मियाद समाप्ति के बाद जीवन रक्षक औषधों की बिक्री सहित नकली औषधों के संभावित विनिर्माण अथवा बिक्री के लिए किसी शिकायत के विरुद्ध राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने औषध नियंत्रण संगठनों के माध्यम से कार्रवाई की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के औषध नियंत्रण प्राधिकारियों के पास शिकायतों का ब्योरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। तथापि, भारत सरकार नकली औषधों की समस्या से निपटने के लिए समान तथा सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न पहल करती रही है। ऐसी विशिष्ट पहलों में से कुछ पहलें इस प्रकार हैं;

(i) नकली औषधों की कथित बिक्री से संबंधित मामलों को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के सम्मेलन में राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उठाया गया।

(ii) फार्मा उद्योग और व्यापार संगठनों के साथ–साथ राज्य औषध नियंत्रक की बैठक की व्यवस्था की गई थी।

(iii) औषध जांच सुविधाओं के संवर्धन के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(iv) केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा अक्तूबर, 2002 में सभी मुख्य मंत्रियों के साथ नकली औषधों की बिक्री और राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली पहलों से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई।

(v) अक्तूबर, 2003 से विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त खाद्य निरापदता और औषध गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी क्षमता निर्माण परियोजना शुरू की गई है। अन्य बातों के साथ–साथ इस परियोजना का लक्ष्य, उपस्करों, सिविल कार्यों, स्टाफ और उपभोज्यों को प्रदान करके औषध विनियामक/गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी प्राधिकारियों तथा उद्योग में संलग्न कार्मिकों को गहन प्रशिक्षण प्रदान करके औषध जांच सुविधाओं के संवर्धन द्वारा देश में औषध विनियामक अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण करना है। वार्षिक औषध जांच क्षमता को 36,000 से 38,000 नमूनों के मुकाबले बढ़ाकर 1,00,000 नमूने तक करना है।

(vi) राज्य प्राधिकारियों के लिए जांच विधिपरक दक्षताओं के उन्नयन के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) मैसर्स सन फार्मास्युटिकल्स के लिए लैट्रोजोल को महिलाओं में विकसित स्तन कैंसर के सेकिंड लाइन उपचार के रूप में अनुमोदित कर दिया गया है। चूंकि इसका जननक्षमता औषध के रूप में प्रयोग करने के लिए कोई औपचारिक अनुमोदन जारी नहीं किया गया था, इसलिए इस फर्म को लैट्रोजोल को एक जननक्षमता औषध के रूप में उनके तथाकथित उन्नयन को स्पष्ट करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था। इस फर्म को किसी भी उन्नयन संबंधी कार्यकलाप, जो जनक्षमता में वृद्धि के लिए कैंसर रोधी औषध के आफ–लेबल प्रयोग में सहायक है, में संलिप्त न रहने की चेतावनी दी गई।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी औषध नियंत्रकों को यह परामर्शी सूचना भी दी गई है कि लैट्रोजोल को बांझपन के उपचार के रूप में स्वीकृति नहीं दी गई है।

[हिन्दी]

कोयला कंपनियों को लाभकारी बनाने हेतु योजना

34. **श्री सूरज सिंह** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयला मंत्रालय के अंतर्गत

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को लाभकारी बनाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं, इसमें कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों को बंद करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(च) क्या घाटे में चल रहे इन एककों का विलय अथवा विनिवेश करने की कोई योजना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) से (ग) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) तथा भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) को छोड़कर कोल इंडिया लि. की सभी सहायक कंपनियां लाभ अर्जित कर रही हैं। वर्ष 2003–04 के दौरान ईसीएल तथा बीसीसीएल द्वारा दर्ज किया गया घाटा निम्नानुसार है:–

कंपनी का नाम	लाभ (+) हानि (–) (कर पूर्व तथा लाभांश) करोड़ रु. में
ईसीएल	(–) 326.38
बीसीसीएल	(–) 569.85

ईसीएल तथा बीसीसीएल के घाटे के कारण नीचे दिए गए हैं :–

(i) निजी क्षेत्र द्वारा पूर्व में पिछली गहराई में विस्तृत खनन के परिणामस्वरूप खानों का अवैज्ञानिक विकास हुआ।

(ii) खानों का छोटा आकार।

(iii) रानीगंज की कोयला सीमें स्वतः ऊष्मन से संवेदनशील है।

(iv) वर्तमान में उपलब्ध कोयला सीमें अत्यन्त गैसीय है तथा गहराई में स्थित है।

(v) बहुविध सीम स्थितियां।

(vi) सामाजिक – राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र।

(vii) पश्चिम बंगाल में प्रतिकर की उच्च दर।

(viii) बीसीसीएल में कोयला स्वतः ऊष्मा प्रणव है जिसकी वजह से 70 अनियंत्रणीय आग लगी;

(ix) जटिल भू–खनन परिस्थितियां तथा सतही विशेषताओं की उपस्थिति;

(x) निकट में बसाव की मौजूदगी की वजह से ओपनकास्ट खनन प्रचालनों में कठिनाई;

(xi) ओवेरियन सीम में पुरानी जलमग्न गोव्सों का मौजूदा होना;

(xii) कंपनी की भुगतान क्षमता के अलावा कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करके उसे बढ़ाना।

ईसीएल के एक रुग्ण कम्पनी होने के कारण इसे औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को भेज दिया गया है। कई दौर की चर्चाओं के बाद औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड ने अपने 2 नवम्बर, 2004 के आदेश के जरिए कम्पनी के पुनरुद्धार और सुधार के लिए एसआईसीए के अन्तर्गत ईसीएल की प्रारूप पुनर्वास योजना की मंजूरी दी है। एक रुग्ण कम्पनी के रूप में बीसीसीएल के प्रबंधन ने बीसीसीएल के पुर्नरुद्धार के लिए एक पुर्नरुद्धार पैकेज में कम्पनियों की इक्विटी की पुनर्संरचना करना तथा उन अन्य बातें, जिनमें केन्द्रीय सरकार के निर्णयों से पहले डीआरएस में प्रस्तावित उपायों पर वित्त मंत्रालय के विचारों की जानकारी लेना है, शामिल हैं।

(घ) से (छ) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठते।

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार प्रणाली

35. **डा. चिन्ता मोहन :**

श्रीमती जयाप्रदा :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को लाइसेंस प्रदान करते समय उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार प्रणाली स्थापित करने का कार्य सौंपा था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गांवों की संख्या कितनी है और इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय–सीमा निर्धारित की गई और इन कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ग) सितम्बर, 2004 तक इन कंपनियों द्वारा कितना लक्ष्य प्राप्त किया जाना था; और

(घ) बकाया लक्ष्य को पूरा करने हेतु क्या समय–सीमा निर्धारित की गई थी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (घ) जिन छः निजी बुनियादी टेलीफोन सेवा लाइसेंसधारकों को 1997–98 में लाइसेंस दिये गये थे, उन्हें अपने–अपने सेवा–क्षेत्र में निर्धारित संख्या में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान करने थे। इन छः निजी आपरेटरों द्वारा जितने गांवों को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी थी वह संख्या, समय–सीमा और 31 अक्तूबर, 2003 तक उनकी उपलब्धि का ब्योरा **विवरण** के रूप में संलग्न है। सरकार ने सेवा की शुरुआत और सीधी एक्सचेंज लाइनों (डीईएलएस) एवं ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था के संदर्भ में रॉल आउट दायित्वों को पूरा न कर पाने के लिए, छः निजी बुनियादी टेलीफोन सेवा आपरेटरों से परिनिर्धारित नुकसानी के रूप में 53.75 करोड़ रुपये तक की राशि वसूल कर ली है। एकीकृत अभिगम्यता सेवा लाइसेंस प्रणाली की घोषणा के पश्चात्, ये छः निजी बुनियादी टेलीफोन सेवा लाइसेंसधारक नवम्बर, 2003 में एकीकृत अभिगम्यता सेवा लाइसेंस प्रणाली में अंतरित हो गये और इससे उनके रॉल आउट दायित्व निर्धारित संख्या में सीधी एक्सचेंज लाइनों और ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था करने की बजाए जिला मुख्यालयों की कवरेज में तबदील हो गये।

विवरण

निजी बुनियादी सेवा आपरेटरों की ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के संबंध में स्थिति

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन	भारती टेलीनेट लि., मध्य प्रदेश	टाटा सर्विसेज, आंध्र प्रदेश	टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लि.	रिलायंस टेलीकॉम, गुजरात	श्याम टेलीलिंक, राजस्थान	एचएफसीएल इन्फोटेल, पंजाब	जोड
सेवा शुरू करने का महीना	जून, 1998	मार्च, 1999	अक्तूबर, 1998	मई, 2000	जून, 2000	सितम्बर, 2000	
प्रभावी तिथि* से पहले तीन वर्षों में वचनबद्ध ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या	16500	9635	25760	8635	31834	5442 **	97806
31.10.2003 तक प्रदान किये गये ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की संचयी संख्या	611	1408	2643	4114	3010	879	12665

*ये वचनबद्धताएं आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब के मामले में 30.9.1998 तक और महाराष्ट्र के मामले में 30.9.1999 तक की पूरी की जानी थीं।

आंकडे लाइसेंसधारकों द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार है।

**चूंकि भारत संचार निगम लि. द्वारा पंजाब के सभी गांवों को वीपीटी से कवर किया जा चुका है, अतः एमएआरआर आधारित दोषयुक्त वीपीटी निजी लाइसेंसधारकों द्वारा बदले जा रहे हैं।

[अनुवाद]

इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर

36. **श्री पी. सी. थामस** : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास तिरूवनंतपुरम के समीप अक्कूलम में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) केरल सरकार को विशेष प्रयोजन तंत्र तैयार करना होगा और तिरुवनंतपुरम के समील अकूलम में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र से संबंधित परियोजना के निष्पादन के लिए निजी भागीदार का पता लगाना होगा।

इन शर्तों को पूरा किए जाने पर प्रचुर राजस्व अर्जित करने वाली परियोजनाओं के लिए सहायता हेतु पर्यटन मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत सहायता के लिए इस परियोजना पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

पारपत्र निर्गमन प्रक्रिया को सुचारु बनाना

37. **श्री रामदास आठवले :**

श्री बीर सिंह महतो :

श्री सुनिल कुमार महतो :

श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में राज्यवार पारपत्र कार्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) इन कार्यालयों में प्रतिमाह औसतन कितने आवेदनों की संवीक्षा की गई;

(ग) क्या पारपत्र जारी करने में कोई विलंब हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो पारपत्र निर्गमम प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या पारपत्र की लागत में निरंतर वृद्धि हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और लागत में वृद्धि को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) देश में कुल 30 पासपोर्ट कार्यालय हैं। इनकी राज्यवार सूची विवरण में दी गई है।

(ख) ये पासपोर्ट कार्यालय औसतन लगभग 2,86,000 आवेदनों की प्रतिमाह जांच करते हैं।

(ग) पासपोर्ट प्राप्त करने वालों को उत्कृष्ट एवं समय सीमा में सेवा उपलब्ध कराने का सरकार का सदैवा प्रयास रहता है। तथापि, अत्याधिक रूप से पासपोर्टों की मांग, पुलिस जांच रिपोर्टों के विलम्ब से प्राप्त होने और आवेदकों द्वारा अधूरी सूचना अधूरे दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब होता है।

(घ) पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें, अन्य पासपोर्ट कार्यालयों से अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती, कम्प्यूटरीकरण, पासपोर्ट आवेदन–पत्रों को जिला स्तर पर प्रस्तुत करने का विकेन्द्रीकरण, पासपोर्टों की मशीन द्वारा लिखाई और पुलिस जांच को शीघ्र करवाना, शामिल है।

(ङ) और (च) पासपोर्ट फीस का अंतिम रूप से अप्रैल 2002 में संशोधित किया गया था। वर्तमान में पासपोर्ट फीस में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

भारत में राज्यवार पासपोर्ट कार्यालयों का ब्योरा

क्र.सं	राज्य	पासपोर्ट कार्यालय
1	2	3
1.	गुजरात	अहमदाबाद
		सूरत
2.	कर्नाटक	बंगलौर
3.	उत्तर प्रदेश	बरेली
		लखनऊ
		गाजियाबाद
4.	मध्य प्रदेश	भोपाल
5.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
6.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
7.	संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ	चंडीगढ़

1	2	3
8.	तमिलनाडु	चेन्नई
		त्रिचुरापल्ली
9.	केरल	कोचीन
		कोज़ीकोड
		त्रिवेन्द्रम
10.	दिल्ली	दिल्ली
11.	असम	गुवाहाटी
12.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
		विशाखापटनम
13.	राजस्थान	जयपुर
14.	पंजाब	जालंधर
15.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू
		श्रीनगर
16.	महाराष्ट्र	मुंबई
		नागपुर
		पुणे
		ठाणे
17.	गोवा	पणजी
18.	बिहार	पटना
19.	झारखंड	रांची

[अनुवाद]

रिलायंस इन्फोकाम द्वारा इंटरकनेक्ट समझौते का उल्लंघन

38. **श्री शैलेन्द्र कुमार :**

श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिलायंस इन्फोकाम लिमिटेड द्वारा एन एस डी सर्विस इन्टरकनेक्ट समझौते का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत रूप से रूटिंग किए जाने के कारण बीएसएनएल को भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या बीएसएनएल प्राधिकारियों द्वारा उपरोक्त समझौते के उल्लंघन के मामले में हुई चूक के लिए सरकार द्वारा कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और सरकार द्वारा दोषी प्राधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) बीएसएनएल ने यह पता लगाया था कि मै. रिलायंस इन्फोकॉम लि. (आरआईएल) द्वारा देश के भीतर परियात हेतु आशयित स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार परियात सौंपा गया था। उपलब्ध सूचना के अनुसार, बीएसएनएल ने मैसर्स आरआईएल को उनके साथ हुए इंटरकनेक्ट करार के प्रावधानों के अनुसार 257 करोड़ रु. का भुगतान करने हेतु उन्हें 512 नोटिस जारी किए थे। मैसर्स आरआईएल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने "प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन" (पी ओ आई) के डिसकनेक्शन तथा बीएसएनएल को 40 करोड़ रुपए का और भुगतान करने के संबंध में यथापूर्व स्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश जारी किया। मैसर्स आरआईएल द्वारा 40 करोड़ रु. की इस राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा इस प्रकार उसके द्वारा भुगतान की गई कुल राशि लगभग 100 करोड़ रु. हो गई है। बीएसएनएल ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा "प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन" (पी ओ आई) के डिसकनेक्शन के बारे में यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के अंतरिम आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। मामला न्यायाधीन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सेल्यूलर टेलीफोन आपरेटरों की काल दरें

39. **श्री बीर सिंह महतो :**

श्री काशीराम राणा :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सेल्यूलर आपरेटरों द्वारा लगायी जाने वाली प्रतिकाल दर कितनी है;

(ख) क्या जिस तरीके से ये काल दरें प्रभारित की जाती हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय दरों की तुलना में प्रतिस्पर्धी हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में लाइसेंस देने से पहली काल दर की कोई सीमा निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ), 1999 सेल्यूलर टेलीफोन आपरेटरों की टैरिफ निर्धारित करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है। आपरेटर अपने-अपने उपभोक्ताओं के लिए भिन्न-भिन्न टैरिफ योजनाओं की पेशकश कर रहे हैं और ये योजनाएं मासिक किराया, काल प्रभार और निःशुल्क काल में छूट इत्यादि के संयोजन के संदर्भ में भिन्न-भिन्न होती हैं। दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ और इस प्रकार की सेवाओं की पल्स दर की अन्तर्राष्ट्रीय तुलना करना कठिन है और विदेशों में अनेक टैरिफ पैकेजों, भिन्न-भिन्न एक्सचेंज दरों, क्रय शक्ति और टेलीफोन घनत्व में भिन्नताओं के कारण यह तुलना युक्तिसंगत नहीं हो सकती। तथापि, भारत में दूरसंचार टैरिफ सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय रूप से कमतर ही माना जाता है।

(ग) मौजूदा लाइसेंस, जिसके अन्तर्गत सेल्यूलर आपरेटर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, में काल प्रभार के लिए कोई सीलिंग निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सड़क की गुणवत्ता में सुधार

40. **श्री एस. के. खारवेनथन** : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग 209 – डिंडीगल–पलनी–कोयम्बटूर–बंगलौर रोड में यात्रा की गुणवत्ता में सुधार हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 209 की संपूर्ण लंबाई में गुणता सुधार कार्य किया जा चुका है।

[हिन्दी]

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन के बारे में शिकायतें

41. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजस्थान में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन योजना के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हाँ।

(ख) राजस्थान के सुविधा रहित गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) उपलब्ध न कराने तथा खराब एमएआरआर वीपीटी के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। भारत संचार निगम लिमिटेड ने राजस्थान सर्किल में अपने हिस्से के वीपीटी प्रदान कर दिए हैं। शेष वीपीटी, निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों द्वारा उपलब्ध कराए जाने थे।

(ग) सार्वभौमिक सेवा निधि प्रशासक के कार्यालय द्वारा तैनार निविदा शर्तों के अनुसार, बीएसएनएल को हाल ही में आबंटित इन सुविधा रहित गांवों में तीन वर्ष के भीतर अर्थात् नवम्बर, 2007 तक निविदा के आधार पर दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है। सर्किल के सभी एमएआरआर आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रौद्योगिकी तथा लैण्ड लाइन प्रौद्योगिकी से

बदलने की योजना है। 3899 एमएआरआर वीपीटी 31.10.2004 तक बदले जा चुके हैं तथा सभी शेष एमएआरआर वीपीटी के जून, 2006 तक बदलने की योजना है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में मेडिकल सीटों को रद्द किया जाना

42. **श्री एस. पी. वाई. रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 790 मेडिकल सीटें और 450 डेंटल सीटें रद्द की हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में भारतीय चिकित्सा परिषद् के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से कोई निवेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में किसी भी मेडिकल कालेज या डेंटल कालेज की सीटों को निरस्त नहीं किया है। तथापि, आंध्र प्रदेश में शैक्षिक वर्ष 2004–05 के दौरान एक निजी मेडिकल कालेज और एक निजी डेंटल कालेज में प्रत्येक 100 विद्यार्थियों के नए बैच को प्रवेश देने संबंधी अनुमति नहीं दी गई क्योंकि सम्बद्ध प्रोफेशनल परिषदों की रिपोर्ट के अनुसार इन कालेजों में सुविधाओं का अभाव था। इसके अतिरिक्त, एक कालेज 150 विद्यार्थियों के द्वितीय बैच को प्रवेश देने संबंधी अनुमति के लिए अपेक्षित सुविधाएं नहीं जुटा सका जिसके अनुरोध पर वर्ष 2004–05 के लिए कालेज में प्रवेश संख्या को 100 तक सीमित रखा गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एम.टी.एन.एल. की डॉल्फिन सेवा

43. **श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों में सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्र की मोबाइल और टेलीफोन कंपनियों की सेवाओं की गुणवत्ता में आयी गिरावट के बावजूद उपभोक्ताओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है;

(ख) क्या एम.टी.एन.एल., दिल्ली की डॉल्फिन सेवा देश में अपनी घटिया सेवा के लिए बदनाम है;

(ग) यदि हां, तो क्या सेवा मानदंड लागू कराने वाले प्राधिकरण–भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का कार्य निष्पादन भी खराब है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) कार्य–निष्पादन मॉनिटरिंग रिपोर्टों से ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या में निरंतर वृद्धि का पता चलता है जो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा प्रदत्त मोबाइल सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं।

(ख) सितंबर, 2004 को समाप्त तिमाही की कार्य–निष्पादन रिपोर्ट के आधार पर, "ट्राई" द्वारा मूल्यांकित डॉल्फिन एमटीएनएल के कार्य–निष्पादन से यह पता चला है कि यह, कॉल सफलता दर (कॉल एक्सेस रेट) को छोड़कर, अधिकांश निर्धारित बैंचमार्क पूरे कर रहा है। 99 प्रतिशत से अधिक के बैंचमार्क की तुलना में, इस अवधि के दौरान एमटीएनएल दिल्ली की कॉल सफलता दर 98.45 प्रतिशत थी।

(ग) और (घ) तिमाही निष्पादन रिपोर्ट और व्यक्तनिष्ठ सर्वेक्षण रिपोर्ट के पुनरीक्षण के पश्चात, "ट्राई" नेटवर्क संकुलन, कॉल सफलता दर, बिलिंग समस्याओं आदि जैसे निर्णायक पैरामीटरों में कमी के कारणों का पता लगाने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ विचार–विमर्श करता है। ट्राई ने इन पैरामीटरों में कमी दिखाने वाले प्रचालकों से अपने कार्य–निष्पादन में सुधार करने संबंधी कार्य–योजना प्रस्तुत करने को कहा है।

विदेशों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आरंभ किया गया खनन कार्य

44. **श्री रामजीलाल सुमन :**

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को विदेशों में कोयला निकालने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो कौन–कौन से उपक्रमों को ऐसी अनुमति प्रदान की गयी है; और

(ग) इससे देश को अनुमानतः कितनी आयु प्राप्त होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लिंगापुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग

45. **श्री एस. मल्लिकार्जुनैया** : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तुमकुर जिले के लोग राष्ट्रीय राजमार्ग को तुमकुर में लिंगापुर तक जोड़ने की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय आयोग की संरचना

46. **श्री प्रबोध पाण्डा** : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र के समक्ष आ रही समस्याओं की जांच करने हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के सदस्यों का ब्योरा क्या है और उनके कार्य क्या हैं; और

(ग) इस आयोग द्वारा कब तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत किए जाने की संभावना हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) आयोग में कैबिनेट मंत्री के रैंक में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष/दो पूर्णकालिक सदस्य एवं एक सदस्य सचिव जो कि भारत सरकार के सचिव के रैंक में है। आयोग में दो अंशकालिक सदस्य के साथ, एक 11–सदस्यीय सलाहकार बोर्ड भी है।

आयोग अन्य बातों के साथ–साथ, अव्यवस्थित/अनौपचारिक क्षेत्र की स्थिति की समीक्षा करेगा; इन इकाइयों द्वारा सामना की जा रही बाधाओं को इंगित करेगा; तथा उनके विकास, रोजगार, निर्यात और संवर्धनन के लिए कानूनी एवं नीतिगत सुझाव देगा; इस क्षेत्र में रोजगार सृजन से संबंधित वर्तमान कार्यक्रमों की समीक्षा करेगा और उन्हें पुनः तैयार करने के लिए सुझाव देगा; क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए अभिनव विधिक और वित्तपोषण लिखतों को इंगित करेगा; क्षेत्र में रोजगार और बेरोजगारी का अनुमान करने के लिए वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेगा; और अनौपचारिक क्षेत्र हेतु रोज़गार संबंधी कार्यनीति के अवयवों का सुझाव देगा; श्रम अधिकारों के संगत और विशेषकर अनौपचारिक क्षेत्र में उद्योग और सेवाओं के विकास का विस्तार करने की आवश्यकताओं और उत्पादकता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता सुधारने के अनुरूप भारतीय श्रम कानूनों की समीक्षा करेगा तथा श्रमिकों के लिए उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा करेगा तथा श्रमिकों के लिए उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा करेगा तथा उनके सीमाक्षेत्र के विस्तार के लिए सिफारिशें करेगा।

(ग) आयोग का कार्यकाल एक वर्ष का होगा। आयोग सरकार को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत का अंशदान

47. **श्री मिलिन्द देवरा : क्या विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों से भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ को कितने वार्षिक अंशदान का भुगतान किया जा रहा है;

(ख) इस अंशदान के निर्धारण का आधार क्या है;

(ग) क्या इसके निर्धारण के समय देश की प्रति व्यक्ति आय और ऋण भार तथा गरीबी की स्थिति को ध्यान में रखा जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार लोगों और देश की वित्तीय स्थितियों के मद्देनजर अंशदान को कम कराने का है; और

(च) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) गत पांच वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में भारत के अंशदान के सम्बन्ध में ब्योरा **विवरण** के रूप में संलग्न है।

(ख) से (घ) अंशदान से सम्बद्ध समिति से परामर्श के आधार पर महासभा द्वारा अनुमोदित आंकलन के अनुपात से सदस्य राज्यों के अंशदान निर्धारित किए जाते हैं। यह अनुपात सदस्य राज्यों के भुगतान की क्षमता के आधार पर होता है, जो उनके कुल राष्ट्रीय उत्पाद के संगत अंश को ध्यान में रखते हुए, उनके प्रति व्यक्ति आय सहित, कई तथ्यों को मद्दे नज़र रखते हुए समायोजित किया जाता है। इस अनुपात के आधार पर, वर्तमान (2004), में संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में भारत का अंशदान 0.421% है। अंशदान समिति, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आंकलन उचित और सही हो, राष्ट्रीय आय के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक तीन वर्ष में अनुपात के आंकलन का पूर्णतया पुनरीक्षण करती है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों, जो चार्टर के दायित्वों का एक हिस्सा हैं के लिए अंशदान अनिवार्य है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट को भारत का अंशदान

वर्ष	अंशदान
2004	27,98,68,571/– रुपए (61,22,699, अमरीकी डालर)
2003	22,12,18,692/– रुपए (46,03,927 अमरीकी डालर)
2002	18,59,79,902/– रुपए (38,64,919 अमरीकी डालर)
2001	16,03,14,998/– रुपए (34,13,136 अमरीकी डालर)
2000	13,71,49,289/– रुपए (31,39,146 अमरीकी डालर)

[हिन्दी]

डॉल्फिन / गरूड़ सेवा

48. **मो. मुकीम : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.टी.एन.एल. दिल्ली के विभिन्न संचार हाटों में "डॉल्फिन" कनैक्शनों के लिए नवम्बर, 2004 में आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को ओ.बी. जारी किए जाने के बाद एक सप्ताह तक अपने फोन चालू करवाने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन कनैक्शनों को चालू करने में विलंब करने वाले अभियंताओं के विरुद्ध सरकार क्या कदम उठा रही है तथा "डॉल्फिन" और "गरूड़" को आवेदन की तिथि से चालू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्योरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) डॉल्फिन कनेक्शन सामान्यतः आवेदन करने के 24 घंटों के भीतर एक्टीवेट किए जा रहे हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विलंब नहीं हुआ है, जैसा कि ऊपर भाग (क) के उत्तर में उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार, गरूड़ सेवा के मामले में ग्राहकों को "प्रि-एक्टिवेटिड हैंडसेट" दिए जाते हैं, जिन्हें शीघ्र प्रचालनात्मक बनाया जा सकता है।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक संस्थानों की कार्यप्रणाली

49. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विज्ञान संस्थान को खराब तरीके से चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अनुसंधान परियोजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाने के बावजूद वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं, अनुसंधान परियोजनाओं पर निवेश की गई धनराशि को रुपयों में मापा नहीं जा सकता। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां छोटे-छोटे निवेशों से महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं। अनुसंधान के कई ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां बड़ी रकम के निवेश का कोई उल्लेखनीय लाभ नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारियों को वेतन और भत्तों का भुगतान

50. **श्री रघुनाथ झा** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भंडार ने नियमों के अनुसार अपने कर्मचारियों से पुनर्बहाली के पश्चात् आवश्यक बेरोजगारी प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बगैर पूरे वेतन और भत्तों का भुगतान कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो बेरोजगारी प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना पुराने पारिश्रमिक के भुगतान को प्राधिकृत करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारियों के विरुद्ध अप्राधिकृत भुगतान की वसूली के अलावा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) केन्द्रीय भण्डार ने सूचित किया है कि न्यायालय द्वारा भुगतान के विशिष्ट आदेशों तथा लम्बी मुकदमेबाजी के बाद हाल में केवल एक मामले में ही बेरोजगारी प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना भुगतान किया गया है।

सेवाओं का विस्तार

51. **श्री प्रकाशबापू वी. पाटील** :

श्री किरिप चालिहा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत छह माह के दौरान सरकार को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों की सेवाओं के विस्तार के लिए प्राप्त सिफारिशों का ब्योरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन मामलों का ब्योरा क्या है जिनमें इन निवेदनों को मंजूरी प्रदान की गई;

(ग) क्या सरकार ने अब अधिवर्षिता के पश्चात् सेवा अवधि में विस्तार को अनुमति न देने का नीतिगत निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (घ) इस बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

झारखंड में मोबाइल सेवा

52. **श्री हेमलाल मुर्मू : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड में विशेषकर बी.एस.एन.एल. मोबाइल सेवा से जुड़े जिलों और प्रखण्डों की संख्या कितनी है और कितने जिले और प्रखण्ड भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल सेवा से वंचित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष में झारखंड में मोबाइल सेवा का विस्तार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या क़ारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) झारखण्ड में बीएसएनएल मोबाइल सेवा सुविधा–युक्त/सुविधा–रहित जिलों/प्रखण्डों की संख्या निम्नलिखित है :–

	कुल संख्या	मोबाइल सेवा सुविधा युक्त	मोबाइल सेवा सुविधा रहित
जिले	22	22	शून्य
प्रखण्ड	211	92	119

(ख) से (घ) जी, हां। बीएसएनएल ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान 45,700 अतिरिक्त लाइनों के द्वारा राज्य में क्षमता का विस्तार पहले ही कर दिया है और वर्ष 2005 में 2,50,000 लाइनों से और विस्तार करने की योजना है।

दूरसंचार बाजार का विकास

53. **श्री सीताराम सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत विश्व के सर्वाधिक विकासशील दूरसंचार बाजार में से एक है;

(ख) यदि हां, तो क्या चीन और जापान के बाद भारत के सेलुलर बाजार को एशिया–पैसिफिक बाजार के वृहत् समूह में शामिल किये जाने की कोई सम्भावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) देश के दूरसंचार क्षेत्र में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार किया जा रहा है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां। दूरसंचार के क्षेत्र में, भारत, विश्व में तेजी से उभरते हुए बाजारों में से एक है।

(ख) और (ग) दूरसंचार उपस्कर के निर्माण में वृद्धि होने पर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होने की संभावना है।

(घ) देश में दूरसंचार क्षेत्र के निम्नलिखित पहलुओं को उन्नत बनाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं :–

(i) ग्रामीण संपर्कता में सुधार लाना।

(ii) इंटरनेट तथा ब्रॉडबैण्ड को और अधिक प्रभावी बनाना।

(iii) प्रचालकों को पर्याप्त स्पैक्ट्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

[अनुवाद]

कॉयर बोर्ड में कर्मचारियों की छंटनी

54. **श्री पी. करूणाकरन : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कॉयर बोर्ड में कर्मचारियों की छंटनी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (घ) व्यय सुधार आयोग (ई.आर. सी.) ने अपनी रिपोर्ट सं. 4 दिनांक 20 सितम्बर, 2000 में सिफारिश की है कि (क) कॅयर बोर्ड के शो–रूम–सह–बिक्री

डिपो को महानगरीय शहरों में कुछेक शोरूम जोकि प्रदर्शन प्रयोजनों के लिए रखे जाएं, को छोड़कर, उन्हें प्रगामी तौर पर अभिकरण या कमीशन आधार पर ट्रेडिंग हाउसिज को सौंप दिया जाए, तथा (ख) हिन्दुस्तान कॅयर फैक्टरी को भी प्राइवेट कर दिया जाए या को–आपरेटिव तौर पर सौंप दिया जाए। सरकार ने व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों को 'सिद्धांत रूप में' स्वीकार कर लिया है।

बाद में, भारतीय प्रशासनिक स्टॉफ कालिज, (ए.एस.सी. आई.), हैदराबाद, जिसे 'कॅयर बोर्ड की भूमिका, उद्देश्य तथा संरचना' पर अध्ययन सौंपा गया था, ने भी ई.आर.सी. की सिफारिशों की लाईन पर ई. आर. सी. की सिफारिशों को पृष्ठांकित कर दिया है।

कॅयर–बोर्ड की बैठक में ई. आर. सी. की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लेने की दृष्टि से, मामले पर विचार–विमर्श किया गया था। कॅयर बोर्ड की सिफारिशों पर, अन्त में 2 सितम्बर, 2004 को मंत्रालय द्वारा विचार–विमर्श किया गया था तथा कॅयर बोर्ड से अनुरोध किया गया था कि वे की गई कार्यवाही सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

सरकार द्वारा की गई कार्यवाही रिपोर्ट पर प्रक्रिया के तहत विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श करने के उपरांत विचार–विमर्श किया जाएगा तथा इसे अन्तिम रूप दिया जाएगा।

पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीज़ा मानकों में ढील

55. **श्री लक्ष्मण सेठ :**

डा. एम. जगन्नाथ :

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों विशेषकर प्रत्यायित पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, वृद्ध आगन्तुकों एवं प्रतिष्ठित अस्पतालों में इलाज के लिए रोगियों के साथ आने वाले चिकित्सकों के लिए वीज़ा प्रणाली में ढील दी है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इन श्रेणियों के अन्तर्गत कितने पाकिस्तानी नागरिकों ने भारत का दौरा किया है;

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार ने भी भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मानकों में ऐसी ही छूट दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) लोगों से लोगों के बीच संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए और मानवीय पहलुओं पर ध्यान देते हुए सरकार ने 18 सितम्बर, 2004 को निम्नलिखित श्रेणियों के पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के लिए वीजा जारी करने में एकपक्षीय रियायत की घोषणा की जिसमें प्रत्यायित पत्रकार जो राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मीडिया के साथ कम से कम तीन वर्षों के लिए प्रत्यायित है; शिक्षाविद एवं प्रोफेसर, कुलपति तथा प्रतिष्ठित/प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के आमंत्रण पर आने वाले व्यक्ति; भारत के प्रमुख/प्रतिष्ठित अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के साथ आने वाले चिकित्सक; 65 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी पाकिस्तानी राष्ट्रिक शामिल हैं। पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को प्रत्येक यात्रा के दौरान अधिकतम बारह स्थान जाने की भी अनुमति दी गयी है।

(ख) इन रियायतों का क्रियान्वयन उपयुक्त तरीके से किया जा रहा है। इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग प्रति माह लगभग 6000–7000 वीजा जारी कर रहा है। इनमें भारत की यात्रा पर आने वाले शिक्षाविद, पत्रकार, चिकित्सक और अन्य पाकिस्तानी राष्ट्रिक शामिल हैं।

(ग) और (घ) पाकिस्तान की सरकार ने भारत द्वारा 18 सितम्बर, 2004 को घोषित वीजा उदारीकरण उपायों के प्रतिदान संबंध में अब तक ऐसी भावना व्यक्त नहीं की है।

अन्तर्राष्ट्रीय कॉल की निगरानी

56. **श्री निखिल कुमार :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने महानगर टेलीफोन निगम को भारत से नेपाल के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कॉलों की निगरानी नेपाल स्थित सरकारी उपक्रमों की सहायक कंपनी के माध्यम से करने के लिए कहा है क्योंकि आई.एल.डी. कॉल स्थानीय कॉल के रूप में जा रहे थे, जैसाकि दिनांक 16 नवम्बर, 2004 के "टाइम्स ऑफ इण्डिया" में छपा है;

(ख) यदि हां, तो तथ्य एवं तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या आई.एल.डी. ऑपरेटर महानगर टेलीफोन निगम/भारत संचार निगम लिमिटेड की साठ–गांठ से सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं एवं सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि नेपाल में कुछ गुप्त प्रचालक/अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा भारत से नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी (आईएलडी) कॉल के बायपास करने का अवैध कार्य किया जा रहा है। इसलिए दूरसंचार विभाग ने मामले को महानगर टेलीफोन निगम लि. के साथ उठाया है ताकि भारत से छद्म (डिकॉय) कॉल भेजकर और नेपाल में ऐसे अवैध संस्थापनों का पता लगा कर नेपाल स्थित महानगर टेलीफोन निगम लि. की सहायक कम्पनी अर्थात् मै. यूनाइटेड टेलीकॉम लि. (यूटीएल) के माध्यम से इन अवैध कॉलों की निगरानी की जा सके। मै. यू.टी.एल. ने इस मामले को पहले ही संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नेपाल दूरसंचार प्राधिकारियों के साथ उठाया है।

(ग) इस तरह की कोई सूचना सरकार की जानकारी में नहीं है।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं की संख्या में कमी

57. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में विशेषकर पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या महिलाओं की संख्या में कमी कन्या भ्रूण के पूर्व निर्धारण एवं उसकी हत्या के कारण हुई है तथा ऐसे अपराध को रोकने के लिए लागू कानून के बावजूद भी गर्भपात हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस कानून को सख्ती से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) 2001 की जनगणना के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 1000 पुरुष जनसंख्या पर महिलाओं की संख्या (लिंग अनुपात) जो 1991 में 927 थी, बढ़कर 2001 में 933 हो गई है। तथापि, पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में इसमें गिरावट दिखाई दी है। 0–6 वर्ष के आयु वर्ग के बाल लिंग अनुपात के मामले में यह स्थिति और भी बुरी है, जहां इसमें राष्ट्रीय स्तर पर तथा इन राज्यों, दोनों में कमी आई है।

(ख) 1991 की जनगणना के आंकड़ों की तुलना में 2001 की जनगणना में 0–6 वर्ष के आयु वर्ग में लिंग अनुपात तथा बाल लिंग अनुपात के राज्यवार आंकड़े संलग्न **विवरण** में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) पुत्र की प्राथमिकता, कन्या शिशु की उपेक्षा जिसके कारण कम उम्र के बच्चों की उच्चतर मृत्यु, कन्या शिशु हत्या, कन्या भ्रूण हत्या तथा जनसंख्या की परिगणना में पुरुषों के साथ पक्षपात होता है, कुछ ऐसे कारण हैं जिन्हें बाल लिंग अनुपात के निरन्तर निम्न स्तरों को स्पष्ट करने हेतु सामान्यतया प्रस्तुत किया जाता है।

कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा जो महिलाओं की जनसंख्या के प्रतिकूल लिंग अनुपात में कमी होने के मुख्य कारणों में से एक है, को रोकने के लिए दिनांक 1.1.1996 से प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 प्रभाव में लाया गया। उपर्युक्त अधिनियम में इसे और ज्यादा कठोर बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य, जिला और उप–जिला स्तर पर अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त किए गए उपयुक्त प्राधिकारियों के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से इस अधिनियम तथा इसके नियमों के उपबंधों का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करने तथा इन्हें पूर्णतया प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

तथापि, ऐसा माना जाता है कि केवल विधान ही इस समस्या, जिसकी सामाजिक व्यवहार तथा पूर्वग्रहों में पैठ है, से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। रेडियो, टेलीविजन और प्रिंट मीडिया एककों के माध्यम से प्रसव–पूर्व लिंग निर्धारण और

कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप चलाए गए हैं। इस सामाजिक बुराई के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य/क्षेत्रीय/जिला/ब्लाक स्तरों पर स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन भी किया जाता है। इस प्रथा को रोकने के लिए धार्मिक नेताओं और चिकित्सकीय समुदाय से भी सहयोग मांगा गया है।

भारत सरकार ने हाल ही में लड़कियों की उपलब्धियों को उजागर करते हुए लड़कों की प्राथमिकता को कम करने के दृष्टिकोण से 'कन्या शिशु बचाओ अभियान' शुरु किया है।

विवरण

वर्ष 1991 तथा 2001 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार लिंग अनुपात तथा बाल लिंग अनुपात

भारत तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*/जिला	लिंग अनुपात		बाल लिंग अनुपात	
	1991	2001	1991	2001
1	2	3	4	5
भारत	**927**	**933**	**945**	**927**
जम्मू और कश्मीर	896	892	अनुपलब्ध	941
हिमाचल प्रदेश	976	968	951	896
पंजाब	882	876	875	798
चंडीगढ़*	790	777	899	845
उत्तरांचल	936	962	948	908
हरियाणा	865	861	879	819
दिल्ली*	827	821	915	868
राजस्थान	910	921	916	909
उत्तर प्रदेश	876	898	927	916
बिहार	907	919	953	942
सिक्किम	878	875	965	963
अरुणाचल प्रदेश	859	893	982	964
नागालैंड	886	900	993	964
मणिपुर	958	978	974	957
मिजोरम	921	935	969	964
त्रिपुरा	945	948	967	966

1	2	3	4	5
मेघालय	955	972	986	973
असम	923	935	975	965
पश्चिम बंगाल	917	934	967	960
झारखंड	922	941	979	965
उड़ीसा	971	972	967	953
छत्तीसगढ़	985	989	974	975
मध्य प्रदेश	912	919	941	932
गुजरात	934	920	928	883
दमन एवं दीव*	969	710	958	926
दादरा और नगर हवेली*	952	812	1013	979
महाराष्ट्र	934	922	946	913
आंध्र प्रदेश	972	978	975	961
कर्नाटक	960	965	960	946
गोवा	967	961	964	938
लक्षद्वीप*	943	948	941	959
केरल	1,036	1,058	958	960
तमिलनाडु	974	987	948	942
पांडिचेरी*	979	1,001	963	967
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह*	818	846	973	957

स्रोतः जनगणना 1991 तथा 2001, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

*संघ राज्य क्षेत्र

लिंग अनुपात का अर्थ प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है

बाल लिंग अनुपात का अर्थ 0–6 वर्ष के आयु वर्ग में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या है।

औषधियों की खरीद में हुई अनियमितताओं की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच

58. **श्री गुरूदास दासगुप्त :**

श्री सी. के. चन्द्रप्पन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 1998 में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों को आपूर्ति करने के लिए औषधियों की खरीद में हुई अनियमितताओं की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं एवं दोषी व्यक्तियों, यदि कोई हो, के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 1998 में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों को आपूर्ति करने हेतु औषधों की खरीद में हुई अनियमितताओं के संबंध में दिल्ली में 2 मामलों और भुवनेश्वर में एक मामले की जांच की थी।

निष्कर्षों के अनुसार, दिल्ली के दो स्थानीय केमिस्टों और भुवनेश्वर के एक केमिस्ट द्वारा कुछ केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों को बढ़ाई गई दरों पर औषधों की आपूर्ति की गई है। यह आरोप लगाया गया था कि दिल्ली और भुवनेश्वर में संबंधित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के कुछ चिकित्सकों और फार्मासिस्टों ने आपूर्ति की गई औषधों के अधिकतम खुदरा मूल्य को बढ़ा कर औषधों की स्थानीय खरीद करने के मामले में संबंधित केमिस्टों से सांठ–गांठ की थी। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए और केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श करके एक चिकित्सक तथा पांच फार्मासिस्टों के विरुद्ध बड़े दण्ड के लिए तथा छह अन्य फार्मासिस्टों के विरुद्ध मामूली दण्ड के लिए विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा एक फार्मासिस्ट और दिल्ली के दो स्थानीय केमिस्टों के विरुद्ध मुकद्दमा चलाने संबंधी कार्यवाही भी की गई है। संबंधित स्थानीय केमिस्टों को भी काली सूची में डाला गया है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों की पदोन्नति

59. **श्री ब्रजेश पाठक** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को विधि, न्याय एवं पेंशन, कार्मिक एवं लोक शिकायतों से संबंधित स्थायी समितियों से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में अधिकारियों की बाहर से भर्ती के बजाय केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में से ही भर्ती/पदोन्नति के बारे में सुझाव/सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्राप्त सुझावों/सिफारिशों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र–सरकार ने स्थायी समिति से प्राप्त सुझावों/सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए अब तक कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तांबा, सीसा एवं जिंक की शिलिकाओं की उत्पादन क्षमता

60. **श्री सुग्रीव सिंह** : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में तांबा, सीसा और जिंक की शिलिकाओं की उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार इन इकाइयों में उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) देश में प्राथमिक तांबा, सीसा और जस्ता शिलिकाओं की कुल उत्पादन क्षमता क्रमशः 4,62,500, 1,99,000 और 67,000 टन प्रति वर्ष है।

(ख) और (ग) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एच सी एल), जो प्राथमिक तांबा उत्पादन करने वाला केन्द्र का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, को छोड़कर तांबा, सीसा और जस्ते के अन्य सभी प्राथमिक उत्पादक निजी क्षेत्र के अधीन हैं। जहां तक एच सी एल का संबंध है सरकार हर तरह की संभव सहायता मुहैया कराती रही है जिसमें इसकी उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग करने हेतु, संयत्र और मशीनरी का पुनर्स्थापन और नवीनीकरण संबंधी अनुदान शामिल है।

नए रोजगारों का सजृन

61. **श्री डी. विट्टल राव** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक वर्ष नए रोजगार सृजित करने के लिए ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्षेत्र–वार तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) और (ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन (एमटीए) के दृष्टिकोण में योजना के इन उद्देश्यों को दुहराया गया कि बेरोजगारी के बोझ को कम करने के लिए रोजगार वृद्धि को श्रम बल वृद्धि से अधिक करना होगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सुझाई गई कार्यनीतियों में शामिल हैं :–

– गामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना।

– लघु एवं मध्यम उद्यमों में उच्च निवेश हेतु वित्तीय क्षेत्र में सुधार करना।

– निर्माण क्षेत्रक, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन की संभाव्यता तलाशना।

– निजी निवेश में विस्तार हेतु अवसंरचना में सुधार करना।

– साफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी वाली सभी सेवाओं, व्यापार, वितरण, परिवहन, दूरसंचार, वित्त एवं पर्यटन सहित सेवा उद्योग को सहायता देना

– कृषि प्रसंस्करण और ग्रामीण सेवाओं पर व्यापक ध्यान केन्द्रित करना।

इन क्षेत्रों में प्रति परिवार कम–से–कम 100 दिन का रोजगार सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से 153 पिछड़े जिलों में दिनांक 14.11.2004 को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम–काम के बदले अनाज भी शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

निजी अस्पतालों, क्लिनिकों एवं नर्सिंग होम को लाइसेंस

62. **श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल :**

श्री मुन्शी राम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में निजी अस्पतालों, क्लिनिकों एवं नर्सिंग होम की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे क्लिनिकों, नर्सिंग होम एवं अस्पतालों को लाइसेंस देने के लिए अपनाए जा रहे मौजूदा मानदण्ड पर्याप्त हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का निजी अस्पतालों, क्लिनिकों एवं नर्सिंग होम के लिए पंजीकरण योजना संबंधी विधेयक लाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(च) क्या ये अस्पताल, क्लिनिक एवं नर्सिंग होम मरीजों से मनमाने ढंग से अपनी फीस लेने के लिए स्वतंत्र हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार इन अस्पतालों, क्लिनिकों एवं नर्सिंग होम के लिए शुल्क संरचना निर्धारित करने वाला कोई कानून बनाने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ज) भारतीय संविधान के तहत स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे अपने राज्य में स्थित विभिन्न अस्पतालों, क्लिनिकों, नर्सिंग होम आदि द्वारा स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करें। तथापि, भारत सरकार एक विधेयक तैयार करने की प्रक्रिया में लगी है जिसमें अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य क्लिनिकल प्रतिष्ठानों के लिए न्यूनतम मानक और विनिर्देश निर्धारित किए जाएंगे।

विदेशों में भारतीयों का अपहरण

63. **श्री देविदास पिंगले :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदेशों में भारतीयों के अपहरण के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो 2003–04 से आज की तारीख तक विदेशों में कितने भारतीयों का अपहरण हुआ है; और

(ग) अपहृत व्यक्तियों को मुक्त कराने के लिए संबंधित अधिकारियों से वार्ता शुरू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) जी हां। सरकार को अभी हाल ही में विदेश में एक भारतीय राष्ट्रिक श्री हरीश हितांगे के अपहरण के मामले की जानकारी है।

(ग) श्री हितांगे की रिहाई के लिए मामले को मंत्री स्तर सहित तत्काल और नियमित रूप से संबंधित पोलिश प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है। वार्सा में भारतीय दूतावास समन्वित कार्रवाई के लिए श्री हितांगे के परिवार और भारतीय संघ के साथ सम्पर्क में भी है।

[अनुवाद]

पुराने कानून

64. **श्री उदय सिंह :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जाँच ब्यूरो पुराने कानूनों के कारण पंगु हो गई है जैसा कि 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' के दिनांक 14 नवम्बर, 2004 के अंक में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो पुराने पड़ गए कानूनों के कारण केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के सामने अनेक कठिनाइयाँ आ रही हैं जिसके फलस्वरूप कई दशकों से बहुत से मामले लंबित हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इसमें तथ्य क्या हैं तथा दोषियों को दंड देने हेतु पुराने कानूनों में संशोधन के लिए सरकार और क्या कदम उठा रही है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 52 के लिए आबंटन

65. **डा. अरूण कुमार शर्मा :** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा सड़क संगठन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए 10वीं योजना के दौरान 1863 करोड़ रु. के अनुमानित व्यय की तुलना में अनुमोदित राशि 950 करोड़ रु. है;

(ख) यदि हां, तो इस अंतर को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या 10वीं योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 52 का कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया;

(घ) यदि हां, तो क्या इसकी खराब हालत को देखते हुए न्यूनतम संपर्क सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 52 के लिए कितनी अतिरिक्त राशि के आबंटन को अनुमोदन किया गया है;

(ङ) क्या अपर्याप्त आबंटन तथा कार्यकारी एजेंसी में बदलाव के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 52 के विकास में बाधा आई है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) दसवीं योजना के दौरान सीमा सड़क संगठन के पास राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए अनुमोदित परिव्यय 950 करोड़ रु. है जबकि सीमा सड़क संगठन द्वारा 1640.03 करोड़ रु. की आवश्यकता पेश की गई थी। धनराशि का आबंटन संसाधनों की समग्र उपलब्धता और निर्माण कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) से च) सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए रा.रा.–52 सहित सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए धनराशि का आबंटन संसाधनों की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाता है। सीमा सड़क संगठन द्वारा सुधार कार्य उपलब्ध संसाधनों के अंदर और निर्माण कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता को ध्यान में रखकर किया जाता है। सीमा सड़क संगठन 2004 के भारी मानसून के बावजूद रा.रा.–52 को यातायात योग्य

स्थिति में रख रहा है। राज्य के स्थान पर सीमा सड़क संगठन को कार्यान्वयन एजेंसी बनाए जाने से इसका सुधार प्रभावित नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

म.प्र. में स्वास्थ्य सेवाएं और बालचिकित्सा अस्पताल

66. **श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी और गुना जिलों में मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं और बालचिकित्सा अस्पताल स्थापित करने के लिए जापान सरकार की ओर से सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इसे कब तक अनुमति मिल जाने की संभावना है; और

(ङ) कब तक वित्तीय सहायता प्राप्त होगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी और गुना जिलों में मातृ और शिशु अस्पताल तथा मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन के लिए 90 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाला मध्य प्रदेश राज्य सरकार का एक संशोधित प्रस्ताव अगस्त, 2004 में आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से जापान सरकार को भेजा गया है। वर्तमान में, यह प्रस्ताव जापान सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

रिलायंस द्वारा पी.सी.ओ. व्यवसाय

67. **श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिलायंस इंफोकॉम द्वारा पी.सी.ओ. क्षेत्र में बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. के साथ प्रतिस्पर्धा में पी.सी.ओ. व्यवसाय में बड़े पैमाने पर उतरने के संबंध में सरकार को जानकारी है;

(ख) क्या सरकार इस बात से भी अवगत है कि रिलायंस अपना कारोबार बढ़ाने के लिए मौजूदा पी.सी.ओ. प्रचालक को अपनी ओर खींचने के लिए प्रोत्साहन तथा बडा कमीशन दे रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने देश में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रिलायंस तथा अन्य कम्पनियों से पी.सी.ओ. व्यवसाय में आने वाली चुनौतियों का सामना करने तथा अपनी पी.सी.ओ. सेवाएं बढ़ाने के लिए किस प्रकार के कदम तथा रणनीति पर विचार किया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) बीएसएनएल द्वारा चुनौती का सामना करने हेतु निम्नलिखित उपायों पर विचार किया गया है :–

(i) उद्यमशील व कारगर विपणन।

(ii) वित्तीय व्यवहार्यता के अध्यधीन समय–समय पर प्रशुल्क को युक्तिसंगत बनाना।

(iii) बेहतर ग्राहक सुविधा।

(iv) प्रक्रिया सरल बनाना तथा पंजीकरण होने पर सुविधा शीघ्र प्रदान करना।

एमटीएनएल द्वारा चुनौती का सामना करने हेतु निम्नलिखित उपायों पर विचार किया गया है :–

(i) पीसीओ फ्रेन्चाइजियों का कमीशन बढ़ा दिया गया है।

(ii) कमीशन के आधार पर विभिन्न सेवाओं से संबंधित बिक्री हेतु पीसीओ धारकों को प्रत्यक्ष विक्रय एजेन्ट (डीएसए) के रूप में नियुक्त किया गया है।

(iii) एसटीडी/आईएसडी/स्थानीय पीसीओ की आबंटन संबंधी प्रक्रिया सरल बना दी गई है।

(iv) कमीशन के आधार पर मोबाइल पीसीओ प्रणाली भी शुरू की गई है।

[हिन्दी]

डाक सेवाओं के उपयोग में कमी

68. **श्री संतोष कुमार :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत दो वर्षों में लोगों द्वारा संदेश भेजने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय तथा लिफाफे के उपयोग में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इससे घाटा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा तथा उपर्युक्त स्थिति का सामना करने के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रक्त बैंकों का उन्नयन

69. **श्रीमती मेनका गांधी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के सभी जिलों में रक्त बैंकों के उन्नयन के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्नयन के लिए प्रस्तावित विशिष्ट क्षेत्रों सहित तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) आबंटित राशि तथा अब तक खर्च की गई राशि के साथ-साथ इस उद्देश्य के लिए निर्धारित निधि का ब्योरा क्या है;

(घ) उन रक्त बैंकों का राज्य-वार ब्योरा क्या है जिनका अब तक पूर्णतः या अंशतः उन्नयन किया गया है; और

(ङ) क्या देश में एड्स, एच.आई.वी. पॉजीटीव, हेपेटाइटिस-बी आदि घातक संदूषण की घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए, इनके रख-रखाव तथा रक्त बैंकों में नैतिक नार्म्स के पालन के लिए कोई तंत्र विकसित किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) देश में नागरिकों को सुरक्षित एवं गुणयुक्त रक्त उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-II में देश के प्रत्येक जिले में कम-से-कम 1 रक्त बैंक का आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया है। रक्त बैंकों के आधुनिकीकरण की योजना के अनुसार जिला स्तर के रक्त बैंकों को उपकरणों की खरीद के लिए 1.25 लाख रुपए तक का एकमुश्त अनुदान अनुमत है। इसके अतिरिक्त, एक तकनीशियन के वेतन और उपभोज्य सामग्रियों की खरीद के लिए भी 2.03 लाख रुपए का वार्षिक अनुदान अनुमत है। इनके अतिरिक्त, रक्त बैंकों को निम्नलिखित वित्तीय सहायता भी दी जाती है : (i) प्रमुख रक्त बैंक (3.19 लाख रुपए का एकबारगी अनुदान तथा 3.78 लाख रुपए का वार्षिक अनुदान) (ii) रक्त तत्व पृथक्करण यूनिट (27.69 लाख रुपए का एकबारगी अनुदान तथा 14.00 लाख रुपए का वार्षिक अनुदान) और (iii) क्षेत्रीय रक्त जांच केन्द्र (1.86 लाख रुपए का वार्षिक अनुदान)।

राज्यों में आधुनिकीकरण किए गए रक्त बैंकों और वर्ष 2004-05 में इस प्रयोजन हेतु नियत की गई धनराशि का ब्योरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है।

(ङ) रक्त बैंकों की कार्यप्रणाली औषध और प्रसाधन नियमावली के तहत भारत के औषध महानियंत्रक और राज्य औषध प्राधिकरण द्वारा विनियमित होती है। केवल उन्हीं रक्त बैंकों को लाइसेंस दिया जाता है जो औषध और प्रसाधन नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन करें अर्थात् एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी वायरस (एचबीवी), हेपेटाइटिस सी वायरस (एचसीवी), सिफिलिस और मलेरिया की जांच की सुविधा से युक्त हों। रक्त बैंकों के लाइसेंसों का नवीनीकरण आवधिक निरीक्षण के अध्यधीन तथा औषध और प्रसाधन नियमावली में यथा-निर्धारित रक्त बैंकों में अपेक्षित अवसंरचना की उपलब्धता की पर्याप्त जांच करने के बाद किया जाता है।

विवरण

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा आधुनिकीकृत रक्त बैंकों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य	राज्य स्तर के रक्त बैंक	प्रमुख रक्त बैंक	क्षेत्रीय रक्त जांच केन्द्र	रक्त तत्व पृथक्करण यूनिट	वर्ष 2004–05 के दौरान दी गई राशि (लाख रुपए)	वर्ष 2003–04 के दौरान उपयोग में लाई गई राशि (लाख रुपए)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2	0	0	1	18.84	24.87
2	आंध्र प्रदेश	39	21	14	4	229	229
3	अरुणाचल प्रदेश	14	1	1	0	33.28	23.28
4	असम	23	1	2	1	86.11	72.96
5	बिहार	37	4	3	1	113	159.14
6	झारखंड	16	3	1	2	40	8.12
7	चंडीगढ़	0	2	0	1	21.56	28.45
8	दादरा और नगर हवेली	2	0	0	0	4.06	4.06
9	दमण और दीव	1		0	0	2.03	6.09
10	दिल्ली	0	6	6	2	53.62	57.7
11	गोवा	1	1	2	1	22.58	25.75
12	गुजरात	36	8	5	4	164.12	181.73
13	हरियाणा	17	2	2	1	63.09	81.95
14	हिमाचल प्रदेश	5	3	1	1	36.57	53.68
15	जम्मू और कश्मीर	7	7	2	3	84.23	88.61
16	कर्नाटक	·40	10	9	5	184	215.07
17	केरल	21	11	5	6	173.01	106
18	लक्षद्वीप	1	0	0	0	2.03	2.03

1	2	3	4	5	6	7	8
19	मध्य प्रदेश	44	2	3	5	148	228.01
20	छत्तीसगढ़	10	1	2	1	39.94	31.25
21	महाराष्ट्र	35	10	8	7	214.59	228
22	मणिपुर	7	2	1	1	36.85	38.88
23	मेघालय	2	0	1	1	15.92	15.92
24	मिजोरम	4	1	0	1	25.9	18.51
25	नागालैंड	8	1	3	0	23.26	21.1
26	उड़ीसा	43	6	0	1	120.7	132.07
27	पांडिचेरी	0	3	0	1	23	31.62
28	पंजाब	24	6	3	2	102.04	98.23
29	राजस्थान	32	6	6	2	93.88	100.18
30	सिक्किम	1	1	1	0	8.92	8.92
31	तमिलनाडु	56	16	4	4	233.4	280
32	त्रिपुरा	3	2	0	1	33.46	33.46
33	उत्तर प्रदेश	45	19	12	5	246.01	285.68
34	उत्तरांचल	10	2	2	0	40.02	56.04
35	पश्चिम बंगाल	59	15	9	5	256	256
36	अहमदाबाद नगर निगम	4	2	1	2	44.46	50.57
37	चैन्नई नगर निगम	6	8	6	2	79.24	86.62
38	मुम्बई नगर निगम	0	15	8	2	94.9	102.89
	कुल	655	198	123	76	3211.62	3472.44

[हिन्दी]

शिक्षा हेतु सैटलाइट का प्रक्षेपण

70. **श्री पंकज चौधरी :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने हाल ही में शिक्षा को समर्पित प्रथम सैटलाइट का प्रक्षेपण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) प्रक्षेपित सैटलाइट के परिणाम तथा लाभ क्या हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) "एडुसैट" उपग्रह 20 सितम्बर 2004 को प्रमोचित किया गया था। यह उपग्रह पांच के.यू.-बैण्ड उच्च शक्ति के क्षेत्रीय प्रेषानुकर, एक के.यू.-बैण्ड राष्ट्रीय प्रेषानुकर और छह विस्तृत सी-बैण्ड राष्ट्रीय बीम प्रेषानुकर ले गया है।

(ग) एडुसैट उपग्रह शैक्षिक सेवाओं के लिए अनन्य रूप में एक समर्पित उपग्रह है। इसे श्रृव्य-दृश्य माध्यम द्वारा देश के लिए एक अनोन्यक्रियाशील उपग्रह आधारित दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए विशेष रूप से सरूपित किया गया है। एडुसैट द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के उपयोग के संबंध में सम्पूर्ण देश में शैक्षिक संस्थानों ने पर्याप्त रुचि प्रकट की है। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एडुसैट के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पायलट आधार पर अनेक पहलें शुरू की हैं। तीन पायलट योजनाएं विश्वश्रैया तकनीकी विश्वविद्यालय, बेलगाम, कर्नाटक, यशवंत राव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नाशिक, महाराष्ट्र और राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय, भोपाल मध्यप्रदेश की भागीदारी में शुरू की गई हैं। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सभी साझेदारों के साथ परामर्श किया जा रहा है तथा एडुसैट उपग्रह की पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने के लिए उपकुलपतियों का एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया है।

प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना

71. **श्री मुन्शी राम** : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने "प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना" का नाम बदलकर "राष्ट्रीय राजमार्ग विकास चरण – तीन" कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार का उपर्युक्त परियोजना को केवल कुछ ही राज्यों में चलाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इसके लिए कोई विशेष पैकेज बना रही है; और

(च) यदि हां, तो उपर्युक्त परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) जी हां। "प्रधान मंत्री भारत जोड़ो परियोजना" का नाम बदलकर "राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण – III" कर दिया है। यह नाम परिवर्तन इस तथ्य को ध्यान में रखकर किया गया है कि यह परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जाएगी और यह राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण – I और II का विस्तार होगी।

(ग) जी नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण – III में 28 राज्य और 2 संघ राज्य क्षेत्र आते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) यह परियोजना अभी सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं की गई है। इसलिए इसके कार्यान्वयन में विलंब का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

बी.एस.एन.एल. द्वारा लेखा रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण

72. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :**

श्री तथागत सतपथी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "ट्राई" ने बी.एस.एन.एल. को सभी सर्किलों के वर्ष 2003-04 की लेखा रिपोर्टों को प्रस्तुत करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) "ट्राई" को बी.एस.एन.एल. द्वारा लेखे प्रस्तुत करने की पूर्व प्रक्रिया क्या है;

(घ) क्या "ट्राई" को यथा निर्देशित रूप से बी.एस.एन.एल. ने अपनी रिपोर्टें सौंप दी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 2003–04 के लिए प्रत्येक सर्किल के उत्पाद–वार पृथक लेखाओं के संबंध में लेखा पृथक्करण रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण हेतु भारत संचार निगम लि. को निर्देश जारी किये हैं।

(ग) और (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा जब भी इच्छा व्यक्त की जाती है भारत संचार निगम लि. वार्षिक लेखा परीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करता रहा है और वर्ष 2003–04 के लिए भारतीय दूरसंचार विनिमायक प्राधिकरण को लेखा परीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत किया जा चुका है। जहां तक लेखा पृथक्करण पर रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण का संबंध है, निर्धारित तिथि 31 दिसम्बर, 2004 है।

(ङ) यद्यपि, भारत संचार निगम लि. ट्राई द्वारा निर्धारित समय–सीमा का पालन करने का भरसक प्रयास कर रहा है, तथापि ट्राई के मार्गनिर्देशों के अनुरूप अपने लेखाओं का पुनः रूपांतरण करने में बीएसएनएल के समक्ष आ रही असीम कठिनाई को ध्यान में रखते हुए उसने ट्राई से समय बढ़ाने का अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

हरियाणा सरकार के लंबित प्रस्ताव

73. **श्री अवतार सिंह भडाना** : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार को हरियाणा सरकार की ओर से आगरा राजमार्ग खंड को चौड़ा करने, बदरपुर बॉर्डर पर फ्लाई ओवर बनाने तथा फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने के लिए मझवाली और दनकौर के बीच के यमुना फ्लाई ओवर के निर्माण का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) उपर्युक्त प्रस्तावों पर अब तक कार्रवाई करने में हुए विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) प्रस्ताव को कब तक अनुमति मिलने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रा.रा.–2 पर बदरपुर बॉर्डर पर फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराई गई है। तथापि, आगरा राजमार्ग के फरीदाबाद खंड को चौड़ा करने तथा फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने के लिए मझवाली और दनकौर के बीच यमुना फ्लाई ओवर के निर्माण के संबंध में हरियाणा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

लघु उद्योग इकाइयों को प्रोत्साहन

74. **श्री अधीर चौधरी** : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड ने विभिन्न लघु उद्योगों से 3 करोड़ रुपए से अधिक के दुर्गलनीय ईंटें खरीदने के पश्चात, चीन से वैसी ही ईंटें खरीदने हेतु इन कम्पनियों से ऐसी ईंटों की खरीद आदेश को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बाल्को की ऐसी कार्रवाई की वजह से भारी वित्तीय संकट होने के कारण ये लघु उद्योग अब बन्द होने के कगार पर हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार की नीति लघु उद्योग इकाइयों को सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की है; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है कि बाल्को लघु उद्योग इकाइयों को प्रोत्साहित करने की सरकार की स्थापित नीति से नहीं भटके?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) खान मंत्रालय के माध्यम से मामले के बारे में बाल्को से प्राप्त सूचना के अनुसार बाल्को ने राजस्थान में तीन यूनिटों के संबंध में इन्सूलेटिंग ईंटों की आपूर्ति का आर्डर दिया था। ईंटों को उपयोग में लाने पर यह

पाया गया कि वह कान्ट्रेक्ट में उल्लिखित विनिर्देशों के अनुरूप नहीं थी तथा इसलिए इनके उपयोग से कार्यनिष्पादन गंभीर रूप से प्रभावित हो जाता। कम्पनी ने ईंटों को (विनिर्देशों के अनुरूप न होने के कारण) अस्वीकृत कर दिया तथा उसने ईंटों के अस्वीकृत होने के कारण आपूर्तिकर्ता को कंपनी को देय राशि अदा करने को कहा है। आपूर्ति की गई दोषपूर्ण ईंटों की अस्वीकृति तथा कम्पनी का दावा आपूर्तिकर्ता के साथ दिए गए कान्ट्रेक्ट की शर्तानुसार है। उपरोक्त उल्लिखित आपूर्तिकर्ताओं ने दोषयुक्त ईंटों को नहीं बदला है तथा कम्पनी ने ईंटों को चीन से आयातित किया जोकि तकनीकी विनिर्देशों के अनुरूप हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) लघु उद्योग मंत्रालय ने खान मंत्रालय सहित, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, जोकि बाल्कों के मामले से संबंधित है, को यह सुनिश्चित करने के लिए लिखा है कि मंत्रालय तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जोकि उनके प्रशासनिक न्यायक्षेत्र के अधीन हैं, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए केन्द्र सरकार की मूल्य तथा खरीद वरीयता नीतियों का पालन करें।

दिल्ली में अवैध दूरभाष केन्द्र

75. **डा. एम. जगन्नाथ :**

श्री किन्जरपु येरननायडु :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने दिल्ली में अक्तूबर 2004 में एक अवैध दूरभाष केन्द्र का भंडाफोड़ किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी कार्यप्रणाली क्या है और इससे दूरसंचार विभाग को कितना घाटा हुआ; और

(ग) दोषी पाये गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां। एक पालमगांव में दूसरा ईस्ट पटेलनगर, दिल्ली में।

(ख) अक्तूबर, 2004 माह में भण्डाफोड़ किये गये दोनों मामलों की कार्य प्रणाली यह रही कि अपराधी ने उच्च तकनीक का उपकरण इस्तेमाल करते हुए एक अवैध दूरभाष केन्द्र स्थापित कर लिया और यह केन्द्र इन्टरनेट के मार्फत आवक अनर्राष्ट्रीय कालें प्राप्त कर रहा था और इन कालों का वितरण लोकल पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन)/मोबाइल/वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) कनेक्टिविटी, का इस्तेमाल करते हुए आगे कर रहा था। यह पाया गया कि इन ढांचों में रिलायंस और एयरटेल के कनेक्शनों और मेसर्स प्राइमनेट ग्लोबल और मैसर्स पेक्ट्रानेट की इन्टरनेट लीज्ड लाइनों (आईएलएल) का इस्तेमाल किया गया है। इन दोनों ढांचों की वजह से 45,75,280/– रुपये की काल्पनिक क्षति हुई है।

(ग) छापा मारने के पश्चात् दोनों परिसरों में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और दोनों मामलों में सभी उपकरण जब्त कर लिये गये हैं।

[हिन्दी]

औषधालयों में आयुर्वेदिक दवाइयां

76. **श्री महेश कनोडीया :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न आयुर्वेदिक औषधालयों और डिसपेन्सरियों में दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनमें दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) केंद्र सरकार के अधीन विभिन्न आयुर्वेदिक औषधालयों और डिस्पेंसरियों को छोड़कर उनमें औषधियों की उपलब्धता से संबंधित सूचना केंद्र सरकार द्वारा अनुरक्षित नहीं की जाती है। केंद्र सरकार की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 6 के अनुसार "सार्वजनिक स्वास्थ्य अस्पताल और डिस्पेंसरियां" राज्य का विषय हैं। अपने आयुर्वेदिक औषधालयों और डिस्पेंसरियों के कार्यों को उचित रूप से निष्पादित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। जहां

तक केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों का संबंध है वहां कुल मिलाकर औषधियां उपलब्ध रहती हैं।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों के प्रयासों को आगे बढ़ाने के प्रयोजनार्थ ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित डिस्पेंसरियों को आवश्यक औषधियों की आपूर्ति करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित स्कीम चल रही है। इस स्कीम के अधीन ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित प्रति डिस्पेंसरी, प्रति वर्ष 25,000 रुपये की दर से आवश्यक औषधियों की आपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में प्रतीक्षा सूची

77. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बासिरहाट, पश्चिम बंगाल में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं;

(ख) क्या कुछ आवेदक नए कनेक्शनों हेतु दो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) प्रतीक्षारत आवेदकों को कनेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) 31.10.2004 की स्थिति के अनुसार, बासिरहाट (पश्चिम बंगाल) टेलीफोन एक्सचेंज की प्रतीक्षा सूची में 78 आवेदक दर्ज हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केबल बिछाने का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा, डब्ल्यूएलएल कॉर्डेक्ट प्रणाली भी संस्थापित की जा रही है। आशा है कि 31.3.2005 तक अधिकांश लम्बित प्रतीक्षा सूची निपटा दी जाएगी।

भारत और म्यांमार के बीच सीधा दूरसंचार सम्पर्क

78. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराज सिंधिया** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और म्यांमार के बीच नए और सीधे दूरसंचार (माइक्रोवेव) संपर्क का उद्घाटन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सीधे सम्पर्क को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है और उसकी अनुमानित लागत तथा तत्संबंधी अन्य विवरणों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

माल्टा नाव त्रासदी जांच मिशन

79. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में माल्टा नाव त्रासदी जांच मिशन केन्द्र प्रतिनिधि मंडल ने प्रधान मंत्री से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा था;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन का ब्यौरा क्या है और उसमें क्या मांग की गई है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है/किए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) जी हां।

(ख) सरकार को दिए गए ज्ञापन में निम्नलिखित के लिए अनुरोध किया गया, दुर्घटना की व्यापक जांच; समुद्र तल से मृतकों के शवों को निकालना और उनके लिए उपयुक्त स्मारक बनाना; इटली, ग्रीस, माल्टा और भारत में चल रहे न्यायिक मामलों में सरकार को पक्ष बनाना; शोकसंतप्त परिवारों को उपयुक्त मुआवजा; इस मामले में लिप्त अंतर्राष्ट्रीय इन्सानों

की खरीद फरोख्त करने वालों और उनके स्थानीय गुर्गों को कड़ी सजा; मारे गए युवा व्यक्तियों की सूची और राज्य सरकारों द्वारा उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना।

(ग) ऊपर कही गई बातों पर वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक **विवरण** संलग्न **है**

विवरण

घटना की व्यापक जांच

मामला अभी दिल्ली के मुख्य मैट्रोपोलिटिन मैजिस्ट्रेट, की अदालत में न्यायाधीन है।

समुद्र तल से शवों का निकाला जाना :

चूंकि शवों को समुद्र में काफी लम्बा समय बीत चुका है अतः शवों की पहचान अत्यंत कठिन है। मृतकों की राष्ट्रीयता, जातीयता अथवा धर्म की भी स्पष्ट रूप से पहचान नहीं हो सकती है।

मामले में केन्द्रीय सरकार को एक पक्ष बनाया जाना

इटली, ग्रीस और माल्टा की अदालतों में चल रहे मामलों में केन्द्रीय सरकार को एक पक्ष बनाए जाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि मृतक अवैध उत्प्रवासन का गैर कानूनी कार्य कर रहे थे। तथापि, माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के सम्मुख एक मामला (श्री बलबंत सिंह खेड़ा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, 1998 की सी डब्ल्यू पी सं. 10666) लंबित है। इस मामले में विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पंजाब राज्य और सी बी आई को सह प्रत्यर्थी बनाया गया है। श्रम मंत्रालय ने भी याचिका में प्रत्यर्थी नंबर 5 बनाए जाने के लिए न्यायालय से अनुमति मांगी है।

शोक संतप्त परिवारों को मुआवजा

इसे प्राथमिक रूप से अवैध उत्प्रवासन का जिसमें मृतक उपयुक्त यात्रा दस्तावेजों के बिना यात्रा कर रहे थे, मामला माना जाएगा। इसलिए इस मामले में न तो केन्द्र और न ही राज्य सरकार द्वारा कोई मुआवजा देय है। तथापि, मामले के मानवीय पहलू के मद्देनजर पंजाब सरकार ने 79 मृतकों में से प्रत्येक के परिवारों को 50,000 रु. की अनुकम्पा सहायता दी है, जिसके विवरण इस त्रासदी में बचने वालों द्वारा उपलब्ध कराए गए थे।

दोषियों के लिए कड़ी सजा

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पहले ही मामले की जांच पूरी कर ली है और 24 ट्रेवल एजेंटों और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के दो अधिकारियों के विरुद्ध इस मामले में उनकी संलिप्तता के लिए चार्ज शीट दाखिल की है। फिलहाल, मामला दिल्ली के मुख्य मैट्रोपोलिटिन मैजिस्ट्रेट की अदालत में न्यायाधीन है। दोषियों को उपयुक्त सजा देना न्यायालय का काम है।

मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी करना

आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पंजाब सरकार मृत्तकों की सूची और उनके मृत्यु के प्रमाण पत्र जारी करेगी।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य संबंधी मानकों का अनुपालन

80. **श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में कई चिकित्सालय स्वास्थ्य संबंधी मानकों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) चूंकि भारत के संविधान के अन्तर्गत स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए यह संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि वह स्वास्थ्य मानदण्ड निर्धारित करे तथा अपने राज्यों में उनका अनुपालन सुनिश्चित करे। तथापि, भारत सरकार एक विधेयक तैयार कर रही है जिसमें अस्पतालों, नर्सिंग होमों तथा अन्य नैदानिक प्रतिष्ठानों के लिए न्यूनतम मानदण्डों तथा विनिर्देशों का निर्धारण किया गया है।

[अनुवाद]

आतंकवाद से मुकाबले के लिए अमरीकी सहायता

81. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने पूर्वोत्तर में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सहायता की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को कोई लिखित अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) जी हां।

(ख) गृह मंत्रालय को अमरीकी राजदूत द्वारा दिनांक 04 अक्तूबर, 2004 के लिखित पत्र के रूप में सहायता की पेशकश की गई थी।

(ग) इस प्रकार के मामलों के लिए सहयोग के मौजूदा ढाँचे में आतंकवाद से निपटने के क्षेत्र में सहयोगात्मक प्रयासों पर विचार–विर्मश किया जाएगा।

[हिन्दी]

पेटेन्ट

82. **श्री अजीत जोगी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी अविष्कारों के संबंध में पेटेन्ट प्राप्त कर लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पेटेन्ट प्राप्त करने के लिए अलग–अलग व्यक्तियों और लघु संगठनों से सहायता प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हाँ।

(ख) भारतीय पेटेन्ट कार्यालय द्वारा भारतीय आवेदकों को पेटेन्ट मंजूर किए गए हैं जिसकी सूचना नीचे दी गई है:

वर्ष	प्रमाणित किए गए पेटेन्टों की संख्या
1990–2000	557
2000–2001	399
2001–2002	654
2002–2003	494

भारतीय वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों/संस्थाओं द्वारा भी दूसरे देशों में पेटेन्ट दर्ज करने में वृद्धि हुई है। उदाहदण के लिए यू.एस. पेटेन्ट एण्ड ट्रेडमार्क ऑफिस की सरकारी वेबसाइट के अनुसार, इस कार्यालय द्वारा भारतीय आवेदकों को प्रदान किए गए पेटेन्टों की संख्या 1999 से बढ़ोतरी पर है, इसकी संख्या 1999 में 73 से बढ़कर 2003 में 237 हो गई है।

(ग) सरकार व्यक्तिगत वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, अध्यापकों आदि तथा लघु स्तर के उद्योगों सहित विश्वविद्यालयों, उद्योगों के बीच काफी वर्षों से पेटेन्ट के बारे में जागरूकता पैदा करती आ रही है ताकि वे पेटेन्ट कराकर अपने आविष्कारों को सुरक्षित रखने के उपाय कर सकें। वैज्ञानिक विभागों द्वारा भी पेटेन्ट सुविधा केन्द्रों की स्थापना की गई है ताकि वैज्ञानिक भारत तथा विदेशों में पेटेन्ट दर्ज कर सकें।

[अनुवाद]

निजी वाहनों हेतु फिटनेस प्रमाणपत्र

83. **श्री के. एस. राव :**

श्रीमती किरण माहेश्वरी :

श्री कुलदीप बिश्नोई :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने निजी वाहनों हेतु फिटनेस प्रमाण पत्र के संबंध में सुझाव देने हेतु राज्य सरकारों को कोई दस्तावेज परिचालित किया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है;

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उक्त योजना कब तक लागू हो जाएगी?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) मोटरयानों के लिए निरीक्षण एवं अनुरक्षण के संबंध में जून, 2003 में मंत्रालय द्वारा दो कार्यादल गठित किए गए थे जिनमें राज्य सरकारों के कई प्रतिनिधि शामिल थे। कार्यदलों की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ निजी वाहनों के लिए उपयुक्तता प्रमाणन प्रणाली संबंधी सुझाव भी शामिल थे। यह रिपोर्ट सितंबर, 2004 में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों को परिचालित कर दी गई थी।

(ग) और (घ) दिनांक 19.10.2004 को उपर्युक्त राज्यों की बैठक में इस विचार पर सभी की समान राय थी कि सर्वप्रथम परिवाहन वाहनों के लिए विद्यमान निरीक्षण एवं अनुरक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करना ही साध्य एवं व्यावहारिक होगा। इसे सुव्यवस्थित करने के बाद ही निजी वाहनों के कवरेज के मुद्दे पर विचार किया जा सकता है। इसलिए, इस मामले में कोई समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

डाकघरों में ए.टी.एम. सुविधा

84. **श्री पी. मोहन** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाकघर बचत खाते में ए.टी.एम. सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) डाकघर बचत बैंक खाताधारकों को एटीएम सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव केवल वैचारिक स्तर पर है और अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

माइक्रोसॉफ्ट नीति

85. **श्री एस. पी. वाई. रेड्डी** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि माइक्रोसॉफ्ट थाइलैन्ड में विंडोज एक्सपी का "सात्रिप्ड डाउन" रूपांतरण बहुत कम मूल्यों पर बेचती है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार की योजना माइक्रोसॉफ्ट से इसी तरह की प्रथा यहाँ भी अपनाने के लिए कहने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस संबंध में माइक्रोसॉफ्ट की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, हाँ। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सपी स्टॉर्टर संस्करण का विमोचन थाइलैंड में किया है। विंडोज एक्सपी स्टार्टर संस्करण को इस प्रकार तैयार किया गया है कि वह विंडोज समुदाय के उत्पादों को स्थानीय देश की आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय भाषाओं में आरम्भिक स्तर कम मूल्य पर एवं आसानी से प्रयोग किए जाने वाले रूप में उपलब्ध हो सके और वह व्यापक श्रेणी के विंडोज़ आधारित अनुप्रयोगों एवं युक्तियों के साथ काम करने के उपयुक्त है।

(ग) और (घ) माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी स्टार्टर संस्करण का विमोचन दिल्ली में सितम्बर, 2004 में हो चुका है। भारत के लिए एक्सपी स्टार्टर संस्करण में हिन्दी इन्टरफेस शामिल है और इसे वर्ष 2005 के आरम्भिक भाग में बाजार में उपलब्ध कराए जाने का कार्यक्रम है। एक्सपी स्टार्टर संस्करण की विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

विंडोज एक्सपी स्टार्टर संस्करण की विशेषताएं

– स्थानीय एवं आवश्यकता अनुरूप समर्थन : विंडोज एक्सपी स्टार्टर संस्करण में माइ सपोर्ट नामक एक पुनःनामित सहायता प्रणाली की विशेषताएँ हैं जिसमें एक अन्तर्निर्मित विस्तृत कार्य आरम्भ दिग्दर्शिका शामिल है।

इसके अतिरिक्त, विंडोज एक्सपी स्टार्टर संस्करण के साथ एक अनुपूरक सीडी होती है जिसमें स्थानीय भाषा में अनुदेशात्मक वीडियो होते हैं जो विशेष रूप से पीसी का प्रयोग पहली बार करने वाले प्रयोजनाकर्ताओं के लिए तैयार किए जाते हैं।

– स्थानीय विशिष्टीकरणः विंडोज एक्सपी स्टार्टर संस्करण से प्रयोजनकर्ता देश के अनुसार परिचित भू–दृश्यों, पताकाओं तथा भूगोल विशिष्ट परम्परागत डिजाइन के वॉलपेपर तथा स्क्रीन सेवर का चयन कर सकते हैं।

– पूर्व निर्धारित सेटिंगः विंडोज एक्सपी स्टार्टर संस्करण पूर्व निर्धारित उन्नत सेटिंग के जरिए आरम्भिक स्तर के प्रयोगकर्ताओं के लिए सेटअप संबंधी विकल्पों की भ्रांतियों को कम करने तथा विंडोज फायरवॉल को स्वतः ही कार्यान्वित करने में सहायता करेगा।

– सरल कार्य प्रबंधः विंडोज एक्सपी स्टार्टर संस्करण से पहली बार के घरेलू प्रयोक्ता तीन प्रोग्राम तक और प्रति प्रोग्राम तीन विंडोज एक साथ चला सकते हैं। प्रचालन प्रणाली को और अधिक सरल बनाने में अधिकतम 800X600 की स्पष्टता का प्रदर्शन शामिल है तथा इसमें पीसी–से–पीसी तक होम नेटवर्किंग, किसी नेटवर्क पर लगे प्रिंटरों का उपयोग करने अथवा किसी एक पीसी पर एकाधिक प्रयोगकर्ता लेखे तैयार करने की क्षमता जैसी अधिक उन्नत विशेषताएँ शामिल नहीं हैं।

– विंडोज एक्सपी स्टार्टर संस्करण प्रणाली की आवश्यकताएँ: सेलेरॉन, डूरॉन, जियोड, सेम्प्रॉन अथवा इसी प्रकार के प्रोसेसर युक्त डेस्कटॉप, क्लॉक स्पीड 233 मेगाहर्टज प्रोसेसर आवश्यक तथा 300 मेगाहर्टज अथवा उससे अधिक संस्तुत। 128 एमबी रैम तथा अधिक से अधिक 40जीबी के हार्ड डिस्क स्थान का समर्थन करता है, तथा सुपर वीजीए 800X600 स्पष्टता वीजीए एडेप्टर एवं मॉनीटर का समर्थन करता है।

जम्मू और कश्मीर में दूरभाष केन्द्र

86. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन** : क्या **संचार और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक जम्मू और कश्मीर के बारामुला और कूपवाड़ा जिलों में किन–किन दूरभाष केन्द्रों का आधुनिकीकरण किया गया है;

(ख) वर्ष 2004–05 के दौरान राज्य में विशेषकर बारामूला और कुपवाड़ा जिले में कितने नए दूरभाष केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इन जिलों में टेलीफोन खराब रहते हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जम्मू और कश्मीर के बारामुला और कुपवाड़ा जिलों में पिछले तीन वर्षों से आज तक के दौरान आधुनिकीकृत टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्योरा नीचे दिया गया है :–

वर्ष	बारामुला जिला	कुपवाड़ा जिला
2001–02	–	त्रेहगाम
2002–03	सोगाम	कुपवाड़ा
2003–04	–	–
2004–05 (31.10.2004 तक)	गुलमर्ग, बोमई, सिंहपोरा, सुम्बल, रोहामा	त्रेहगाम

(ख) जम्मू और कश्मीर दूरसंचार सर्किल में 2004–05 के दौरान 14 नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है।

बारामुला और कुपवाड़ा जिलों में 2004–05 के दौरान कोई नया टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अनधिकृत किरायेदारों की बेदखली

87. **श्री आंनद राव विठोबा अडसूल** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या डाक विभाग ने अपने कर्मचारियों के कल्याण हेतु स्टॉफ क्वार्टरों का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ग) अनधिकृत किरायेदारों ने डाक और तार विभाग के 20 प्रतिशत क्वार्टरों पर कब्जा कर रखा है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा डाक और तार विभाग के क्वार्टरों से अनधिकृत लोगों को बेदखल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी हां। डाक विभाग द्वारा कर्मचारियों के कल्याण के लिए स्टाफ क्वार्टरों का और कुछ मामलों में, पद के साथ संबद्ध क्वार्टरों का निर्माण किया जाता है।

(ख) देश को 22 डाक सर्किलों में विभाजित किया गया है और डाक स्टाफ क्वार्टरों की उपलब्धता की सर्किलवार सूचना संलग्न **विवरण** में दी गई है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

डाक कर्मचारियों के लिए उपलब्ध स्टाफ क्वार्टरों का ब्योरा

क्रम सं.	डाक सर्किल का नाम	क्वार्टरों का टाइप						
		टाइप I	टाइप II	टाइप III	टाइप IV	टाइप V एवं VI	पद से संबद्ध संबद्ध	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आंध्र प्रदेश	335	509	141	8	11	254	1258
2	असम	225	250	70	7	1	144	697
3	बिहार	319	501	139	31	6	67	1063
4	छत्तीसगढ़	125	225	78	10	2	255	695
5	दिल्ली	398	822	278	29	5	74	1606
6	गुजरात	483	490	135	30	8	245	1391
7	हरियाणा	146	186	46	13	2	62	455
8	हिमाचल प्रदेश	197	217	76	8	1	63	562
9	जम्मू और कश्मीर	33	63	44	10	1	46	197
10	झारखण्ड	164	256	66	6	1	62	555
11	कर्नाटक	435	705	143	27	7	334	1651

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	केरल	213	307	62	10	4	400	996
13	मध्य प्रदेश	225	361	120	25	5	124	860
14	महाराष्ट्र	854	926	392	40	10	239	2461
15	उत्तर–पूर्व	140	153	54	7	6	107	467
16	उड़ीसा	245	507	233	21	6	116	1128
17	पंजाब	260	310	118	28	7	103	826
18	राजस्थान	473	687	232	40	7	191	1630
19	तमिलनाडु	474	683	197	34	6	1413	2807
20	उत्तरांचल	105	147	12	3	0	48	315
21	उत्तर प्रदेश	641	797	148	35	18	365	2004
22	पश्चिम बंगाल	507	813	121	15	0	56	1512
		6997	9915	2905	437	114	4768	25136

सिंगापुर वीजा कार्यालय

88. **श्री हन्नान मोल्लाह : क्या विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से सिंगापुर वीजा कार्यालय के संबंध में कोई पत्र/प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्री से वीजा कार्यालय पुनः खोलने और यदि संभव हो तो उसे कौंसलावास बनाने में सहायता करने का अनुरोध किया है।

(ग) सरकार ने जानकारी प्राप्त की है कि वर्ष 1987 में वीजा कार्यालय अस्थायी रूप से खोला गया था और वर्ष 2004 में बंद कर दिया गया। पूछे जाने पर सिंगापुर ने विश्वास दिलाया है कि यदि भविष्य में कोलकाता में स्थायी वीजा संबंधी कार्य करने के लिए कार्यालय की आवश्यकता पड़ी तो सिंगापुर निश्चित तौर पर इस पर विचार करेगा। यह वास्तविक स्थिति विदेश मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री को बता दी गई है।

आश्वासन के क्रियान्वयन में विलम्ब

89. **श्री विजय कृष्ण** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अतारांकित प्रश्न संख्या 237 के बारे में दिए गए आश्वासन का कार्यान्वयन 20 नवम्बर, 2002 से लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो आश्वासन को पूरा करने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं और इसे कब तक पूरा किया जाएगा?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रश्न का संबंध संसद सदस्यों द्वारा केन्द्रीय भंडार में भ्रष्टाचार के संबंध में, केन्द्रीय सर्तकता आयोग को लिखे गए पत्रों से है। मामले पर निर्णय लेने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग और दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से परामर्श करना आवश्यक पाया गया, जबकि उन्होंने मामले को आगे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेज दिया है। चूँकि कई अभिकरणों से परामर्श किया जाना आवश्यक है, अतः अन्तिम निर्णय लिए जाने में कुछ समय लग रहा है। इस मामले के बारे में सरकार सभी संबंधितों से सम्पर्क बनाए हुए है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 60 की मरम्मत

90. **श्री सुनील खां :**

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में विष्णुपुर से बांकुरा तक जीर्ण–शीर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग 60 की मरम्मत राज्य राजमार्ग से अपने अधिकार में लिए जाने के बाद से नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या गोविन्दधाम से मेजिया तक तीन कमजोर पुलों का शीघ्र निर्माण किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो इन्हें कब तक बनाया जाएगा, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) राज्यीय राजमार्ग से उत्तरदायित्व ले लेने के बाद चालू वार्षिक योजना के दौरान विष्णुपुर (195 कि.मी.) से बौंकुरा (231 कि.मी.) खंड में शुरू किए गए तथा शुरू किए जाने वाले सुधार कार्यों के ब्योरे नीचे तालिका में दिए गए हैं :–

खंड	लंबाई	कार्य का स्वरूप	स्वीकृति का वर्ष	पूर्ण हुआ
195–200 कि.मी.	05 कि.मी.	आवधिक नवीकरण	2002–2003	मार्च, 2003
200–221 कि.मी.	21 कि.मी.	आवधिक नवीकरण	2001–2002	मार्च, 2002
221–231 कि.मी.	10 कि.मी.	सड़क गुणता सुधार	2001–2002	मार्च, 2002
195–205 कि.मी.	10 कि.मी.	दो लेन का बनाना तथा सुदृढ़ीकरण	7.00 करोड़ रु. की लागत पर संशोधित वार्षिक योजना 2004–05 में शामिल किया गया है। राज्य लोक निर्माण विभाग से प्राक्कलन अभी आना है।	

(ग) से (ङ) गोविंद धाम (245 कि.मी.) और मेजिया (271 कि.मी.) के बीच तीन पुल अर्थात् 247.25 कि.मी. में साली पुल, 265.78 कि.मी. में कनीमारा पुल और 269.25 कि. मी. में तारापुर पुल हैं। इन स्थानों पर ये पुल क्षतिग्रस्त, कमजोर और संकीर्ण हैं। कमजोर तथा संकीर्ण पुलों आदि के पुनर्निर्माण सहित रा.रा. 60 के नियोजित विकास के लिए मंत्रालय ने वर्ष 2002–03 में साध्यता अध्ययन की स्वीकृति दी है जो राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा विभागीय रूप से की जा रही है। पुलों के पुनर्निर्माण सहित इस राष्ट्रीय राजमार्ग का समग्र सुधार कार्य साध्यता अध्ययन के परिणाम, पारस्परिक प्राथमिकता तथा धनराशि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप से शुरू किया जाएगा।

आयुर्वेदिक औषधियों का निर्यात

91. **श्री सुरेश कलमाडी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिम देशों में आयुर्वेदिक औषधियों/संपाक की बढ़ती लोकप्रियता के मद्देनजर इन औषधियों/संपाक के निर्यात को बढावा देने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) क्या औषधीय पादपों का उत्पादन करने वाले किसानों को कोई प्रोत्साहन दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) सरकार ने आयुर्वेदिक उत्पादों के विदेशों में निर्यात को सरल बनाने के लिए अनेक पहले की हैं। गुणवत्ता के प्रति सतर्क रहने वाले पाश्चात्य देशों को निर्यात करने के लिए आवश्यक है कि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। अतः अनेक आयुर्वेदिक औषधियों के भेषजसंहिताबद्ध मानक विकसित किए गए हैं। उत्तम विनिर्माण प्रक्रियाएं (जी एम पी) अनिवार्य कर दी गई हैं तथा अंतः प्रतिष्ठान गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं और उत्तम विनिर्माण प्रक्रिया के अनुपालन संबंधी अवसंरचना का विकास करने के लिए विनिर्माताओं को प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार भी आयुर्वेदिक/जड़ी बूटीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से औषधीय पादपों/अशोधित औषधियों के बाजार का समय-समय पर सर्वेक्षण कराती रहती है। परंपरागत औषधि/आयुर्वेदिक औषधि की प्रदर्शनी जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा में वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है।

(ख) और (ग) केंद सरकार केंद्र क्षेत्रक स्कीम को कार्यान्वित कर रही है। इसके अनुसार औषधीय पादपों की कृषि के लिए कृषकों को उनकी कृषि लागत के 30% तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अन्य घटकों में औषधीय संवर्धन कार्यक्रम, वाणिज्य कार्यक्रम और संविदा खेती करना शामिल है।

[हिन्दी]

समेकित रोग निगरानी परियोजना

92. **श्री पारसनाथ यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 9 नवम्बर, 2004 के 'राष्ट्रीय सहारा' में प्रकाशित खबर के अनुसार सरकार द्वारा शुरू की गई इंटिग्रेटेड डिजीज मानीटरिंग परियोजना में उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में इस परियोजना को शुरू न करने के क्या कारण हैं जहां चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) एकीकृत रोग निगरानी परियोजना 8 नवम्बर, 2004 को शुरू की गई थी। एक चरणबद्ध तरीके से परियोजना के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर किया जायेगा जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है:-

चरण I (2004-2005) -

आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, तमिलनाडु, मिजोरम और केरल।

चरण II (2005-2006) -

छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, त्रिपुरा, चंडीगढ़, पांडिचेरी, दिल्ली।

चरण III (2006-2007) -

उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव, लक्षदीप।

जैसाकि ऊपर दर्शाया गया है, उत्तर प्रदेश का कवरेज चरण चरण III में किय जाना है। तथापि "राष्ट्रीय संचारी रोग निगरानी कार्यक्रम" प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत कवर किए गए उत्तर प्रदेश के जिलों को चरण I में कवर किया गया है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य बीमा योजना

93. **श्री रायापति सांबासिवा राव :**

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों हेतु लक्षित स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस लक्ष्य को पूरा करने हेतु अनेक नेशनल इंश्यूरेंस कंपनियों ने विस्तृत अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्ष 2004–2005 के दौरान स्वास्थ्य बीमा हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो इस लक्ष्य को किस सीमा तक प्राप्त किए जाने की संभावना है; और

(ङ) अब तक इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कितने परिवारों को सम्मिलित किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

ऋणों को बट्टे-खाते में डालना

94. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग का राज्यों पर केन्द्र सरकार के बकाए की सम्पूर्ण 250,000 करोड़ रुपए की ऋण धनराशि को बट्टे–खाते में डालने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) राज्यों को दिए जाने वाले ऋण–भार में कितनी कमी आने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बैंक से सहायता

95. **श्री चन्द्रभूषण सिंह :**

श्री बालासाहिब विखे पाटील :

श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को देश में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के विकास हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार विशेषकर गुजरात में उक्त का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सहायता के कुछ हिस्से का उपयोग गुजरात में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग के विकास पर किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) जी हां। विश्व बैंक वित्तपोषित चल रही परियोजनाओं का ब्योरा संलग्न **विवरण-I** में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। ब्योरा संलग्न **विवरण-II** में दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

विश्व बैंक के वित्त पोषण से चल रही परियोजनाओं का ब्योरा

क्रम सं.	परियोजना का नाम	करार की तारीख	समापन तारीख	वचनबद्धता की कुल राशि (मिलियन अमरीकी डालर)	वितरित कुल राशि (मिलियन अमरीकी डालर)
1	2	3	4	5	6
1.	तृतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	11.08.00	30.06.06	516.000	202.004
2.	गुजरात राज्यीय राजमार्ग परियोजना	18.10.00	31.12.05	350.000	143.576

1	2	3	4	5	6
3.	कर्नाटक राज्यीय राजमार्ग परियोजना	26.07.01	31.12.06	360.000	97.870
4.	ग्रांड ट्रंक सड़क सुधार परियोजना	27.07.01	31.12.06	589.000	164.410
5.	केरल राज्य परिवहन परियोजना	06.05.02	31.12.07	255.000	47.104
6.	मिजोरम राज्यीय सड़क परियोजना	06.05.02	31.12.07	60.000	15.000
7.	उत्तर प्रदेश राज्यीय सड़क परियोजना	19.02.03	31.12.08	488.000	54.861
8.	तमिलनाडु सड़क क्षेत्र परियोजना	28.08.03	31.03.09	348.000	15.014
9.	इलाहाबाद बाइपास परियोजना	16.12.03	30.06.09	240.000	12.400
	जोड़			3206.000	752.239

विवरण-II

गुजरात राज्य में परियोजनाओं का ब्योरा

ऋण सं.	4577–इन
कार्यान्वयन एजेंसी	गुजरात सरकार
परियोजना का स्वरूप	राज्य परियोजना
हस्ताक्षर/लागू होने/ समापन की तारीख	18.10.2000/28.11.2000/ 31.12.2005
निवल ऋण राशि	381 मिलियन अमरीकी डालर (संशोधित 350.00 मिलियन अमरीकी डालर)
मूल्यांकन पर परियोजना लागत	533.00 मिलियन अमरीकी डालर
30.6.2004 की स्थिति के अनुसार अनाहरित शेष राशि	220.116 मिलियन अमरीकी डालर
विदेशी सहायता का प्रतिशत	75
30.6.2004 तक संचयी वितरण	129.884 मिलियन अमरीकी डालर

उपग्रह आधारित ग्रामीण अंतरा फलक

96. **श्री भर्तृहरि महताब : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न सामुदायिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उपग्रह आधारित ग्रामीण अंतरा फलक अब कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण संसाधन केन्द्र स्थापित करने में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की क्या भूमिका है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय अनुसंधान संगठन ने चयनित गैर–सरकारी और स्वैच्छिक एजेन्सियों के सहयोग से देश के विभिन्न भागों में उपग्रह आधारित ग्रामीण संसाधन केन्द्र (वी.आर.सी.) की स्थापना करने की नई पहल की शुरूआत की है। इन ग्रामीण संसाधन केन्द्रों का उद्देश्य अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी से व्युत्पन्न विविध सेवाओं और उत्पादों को प्राप्त करना; अर्थात्, दूरवर्ती शिक्षा, टेली–मेडिसिन, सूक्ष्म–जलविभाजक और ग्रामीण स्तरों पर विकासात्मक योजना तैयार करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर आकाशीय सूचना, कृषि विकास से संबंधित अन्योन्यक्रियाशील परामर्शी सेवाएं, मत्स्य उद्योग की संभावनाओं पर परामर्श इत्यादि को सीधे ग्रामीण समुदाय को प्रदान करना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन स्थानीय स्तरों पर विकासात्मक योजना के लिए आई.आर.एस. उपग्रहों के माध्यम से भूमि तथा जल संसाधन संबंधी सूचना और आकाशीय आंकड़ों तथा उपर्युक्त निर्दिष्ट सेवाओं को प्राप्त करने के लिए इन्सैट उपग्रहों के माध्यम से ग्रामीण संसाधन केन्द्रों (वी.आर.सी.) को अंकीय संयोजकता प्रदान करता है।

लघु उद्योग क्षेत्र में महिलाओं हेतु रोजगार के अवसर

97. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ : क्या लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों के माध्यम से विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं का कार्यान्वयन कर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं हेतु रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के पक्ष में रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु नई औद्योगिक इकाइयों हेतु सरकार द्वारा राज्य-वार क्या प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए हैं और क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक उक्त नई इकाइयों की स्थापना हेतु राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार, देशभर में और अधिक रोजगार अवसर सृजित करने के लिए, जिसमें महिलाओं के लिए भी रोजगार अवसर शामिल हैं, विभिन्न कार्यक्रम/योजनाएं जैसे ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) और प्रधानमंत्री रोज़गार योजना (पीएमआरवाई) कार्यान्वित कर रही है। आरईजीपी का कार्यान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा किया जाता है और पीएमआरवाई का कार्यान्वयन प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त देशभर में कॅयर बोर्ड द्वारा महिला कॅयर योजना, एक महिला-उन्मुखी स्वरोज़गार योजना का कार्यान्वयन किया जाता है।

(ग) और (घ) आरईजीपी के तहत, सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 10 लाख रु. तक की लागत की स्वरोजगार परियोजना स्थापित करने के लिए 25% मार्जिन मनी सहायता प्रदान की जाती है, जबकि महिला उद्यमियों के तथा साथ ही साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लाभार्थियों के मामले में, 10 लाख रु. तक की लागत की परियोजना के लिए मार्जिन मनी सहायता 30% है। 10 लाख रु. से ऊपर तथा 25 लाख रु. तक की लागत की परियोजनाओं के लिए, परियोजना की शेष लागत का 10% (अर्थात 10 लाख रु. से अधिक) मार्जिन मनी के रूप में प्रदान किया जाता है। सामान्य वर्ग के उद्यमियों के मामले में 10% के मुकाबले, महिला उद्यमियों का निजी अंशदान परियोजना लागत के 5% तक सीमित किया गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान, आरईजीपी के तहत महिला उद्यमियों को मार्जिन मनी के रूप में प्रदान किए गए अनुमानित प्रोत्साहन तथा संस्वीकृत नई औद्योगिक परियोजनाओं का राज्य-वार ब्योरा संलग्न **विवरण - I** में दिया गया है।

पीएमआरवाई के तहत, शिक्षित बेरोजगारी युवाओं, 18 से 35 वर्षों के बीच की आयु के महिला और पुरुष दोनों, को 2 लाख रु. तक की लागत की स्वरोजगार इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता की जाती है। बैंक ऋण परियोजना लागत का 80% देते हैं। परियोजना लागत के शेष 20% में से, सब्सिडी प्रति लाभार्थी अधिकतम 7500 रु. के अधीन है और शेष राशि लाभार्थी का मार्जिन मनी अंशदान है। महिलाओं के मामले में, आयु में 45 वर्षों तक छूट दी जाती है और मामलों को प्रायोजित करते समय महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, विगत तीन वर्षों के लिए, महिलाओं को संस्वीकृत और संवितरित ऋणों के मामलों का ब्योरा, संलग्न **विवरण - II** में दिया गया है।

महिला कॅयर योजना के तहत, महिला कामगारों को, मोटोराइज्ड रैट और मोटोराइज्ड ट्रैडशिनल रैट के लिए क्रमशः अधिकतम 7500 रु. तक तथा 2625 रु. तक, लागत के 75% की एक बारकी सब्सिडी दी जा रही है। विगत तीन वर्षों के दौरान, महिला कॅयर योजना के तहत रैट्स के संवितरण और संस्वीकृत सहायता का ब्योरा संलग्न **विवरण III** में दिया गया है।

विशेष रूप से महिला उद्यमियों के लिए, राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, क्षेत्रीय कार्यालयों को यह सलाह दी गई है कि, आरईजीपी के तहत, प्रत्येक वर्ष में समर्थित परियोजनाओं की कुल संख्या का कम से कम 30% महिला उद्यमियों का हो। पीएमआरवाई के तहत, मामलों के प्रयोजन के समय, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र दोनों से, महिलाओं सहित पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है।

विवरण I

केवीआई क्षेत्र के आरईजीपी के अन्तर्गत महिला वर्गों के अन्तर्गत उपयोग की गई मार्जिन मनी और संस्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार ब्योरा

(परियोजना की संख्या, मार्जिन मनी लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001–2002		2002–2003		2003–2004	
		संस्वीकृत परियोजनाएं	उपयोग की गई मा. मनी	संस्वीकृत परियोजनाएं	उपयोग की गई मा. मनी	संस्वीकृत परियोजनाएं	उपयोग की गई मा. मनी
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**उत्तरी क्षेत्र**						
1	चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00	2	1.56
2	दिल्ली	0	0.00	3	1.81	0	0.00
3	हरियाणा	44	39.90	209	297.97	272	212.50
4	हिमाचल प्रदेश	51	46.38	110	178.90	93	72.66
5	जम्मू और कश्मीर	9	61.63	0	0.00	139	108.59
6	पंजाब	96	87.26	376	534.93	209	163.28
7	राजस्थान	227	206.80	717	513.13	754	589.06
	कुल–I	427	441.97	1415	1526.74	1469	1147.65
II	**पूर्वी क्षेत्र**						
1	अंडमान व निकोबार	0	0.00	58	23.79	11	8.59
2	बिहार	3	2.91	45	43.16	17	13.28
3	झारखण्ड	16	2.40	54	33.08	29	22.66
4	उड़ीसा	53	48.33	339	76.07	6	4.69
5	प. बंगाल	128	198.66	311	208.61	454	354.69
	कुल–II	200	252.30	807	384.71	517	403.91
III	**उत्तर पूर्वी क्षेत्र**						
1	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	9	18.63	15	11.72

1	2	3	4	5	6	7	8
2	असम	17	15.57	162	121.17	37	28.90
3	मणिपुर	0	0.00	22	24.38	27	21.09
4	मेघालय	0	0.00	58	47.64	66	51.56
5	मिजोरम	0	0.00	37	63.31	11	8.59
6	नागालैंड	0	0.00	24	13.33	11	8.59
7	सिक्किम	0	0.00	3	7.08	33	25.78
8	त्रिपुरा	0	0.00	7	3.12	5	3.91
	कुल—III	17	15.57	322	298.66	205	160.14
IV	**दक्षिणी क्षेत्र**						
1	आन्ध्र प्रदेश	69	62.77	606	810.26	335	261.72
2	कर्नाटक	112	102.34	459	610.13	258	201.56
3	केरल	123	112.24	246	395.72	524	409.38
4	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	2	1.56
5	पांडिचेरी	0	0.00	0	0.00	6	4.69
6	तमिलनाडु	53	46.71	331	228.28	456	356.25
	कुल—IV	357	324.06	1642	2044.39	1581	1235.16
V	**पश्चिमी क्षेत्र**						
1	दादरा—नगर हवेली #	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	दमन दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	गोवा	41	37.63	121	100.59	16	12.50
4	गुजरात	7	6.48	34	25.61	87	67.97
5	महाराष्ट्र	221	200.15	1049	727.07	209	163.28
	कुल—V	269	244.26	1204	853.27	312	243.75
VI	**केन्द्रीय क्षेत्र**						
1	छत्तीसगढ़	11	0.99	80	178.75	163	127.34
2	मध्यप्रदेश	91	81.91	232	207.18	241	188.28

1	2	3	4	5	6	7	8
3	उत्तरांचल	23	3.52	120	137.73	334	260.94
4	उत्तर प्रदेश	391	257.42	385	609.30	904	706.25
	कुल–VI	516	343.84	817	1132.96	1642	1282.81
	कुल योग	1786	1622.00	6207	6240.73	5726	4473.42

नोट: # महाराष्ट्र में शामिल

विवरण-II

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत महिला उद्यमियों को संस्वीकृत मामले और संवितरित मामलों की स्थिति

वर्ष	संस्वीकृत मामलों की संख्या			संवितरित मामलों की संख्या			अनुमानित सृजित रोजगार
	कुल	महिलाएं	महिलाओं का अनुपात (प्रतिशत)	कुल	महिलाएं	महिलाओं का अनुपात (प्रतिशत)	
2001–02	237392	29793	12.55	189860	23786	12.53	35679
2002–2003	227892	28875	12.67	190129	23460	12.34	35190
2003–2004 (मार्च 2004 तक)	255978	34439	13.45	172464	24365	14.13	36548

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक डाटा

विवरण-III

महिला कॅयर योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान रैट्स का संवितरण और संस्वीकृत सहायता का ब्योरा

वर्ष	संवितरित रैट्स की संख्या	संस्वीकृत सहायता
2001–02	221	1506168 रु.
2002–03	1303	3879000 रु.
2003–04	1514	6263000 रु.

[हिन्दी]

बेरोजगार युवकों को पे-फोन/ पी सी ओ का आबंटन

98. **श्री गिरिधारी यादव :**

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्राथमिकता के आधार पर बेरोजगार युवकों को पे–फोन/पी सी ओ आबंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में जारी किए गए अनुदेशों के कथित उल्लंघन से संबंधित रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया है और सरकार द्वारा उन्हें क्या दंड दिया गया है; और

(ङ) नियमों का उल्लंघन न होना सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले सभी आवेदकों को, तकनीकी व्यवहार्यता के अध्यधीन, उनके पंजीकरण के अनुसार पीसीओ उदारपूर्वक आबंटित किए गए हैं। बेरोजगार युवकों को प्राथमिकता देने पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि देश के अधिकांश भाग से पीसीओ मांग पर उपलब्ध हैं।

(ख) से (ङ) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोट-पिट जल की उपयोगिता

99. **मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कोल–पिट से भारी मात्रा में निकाले जाने वाले जल का प्रभावी रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या "स्टोइंग" के पश्चात् जोकि लघु निक्षेपों में रिस जाता है अथवा पेयजल के रूप में इसके शुद्धीकरण के पश्चात् बचे हुए जल के संबंध में कोई अध्ययन/जाँच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसा अध्ययन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) खान से निकाले गए अधिकांश जल को खान में ही धूल को दबाने, कर्मशाला, अग्निशमन, भूमिगत खानों में रेत भराई तथा कोयला क्षेत्र में और उसके इर्द–गिर्द पौधरोपण के लिए उपयोग में लाया जाता है। कुछ जल को शोधन के पश्चात् घरेलू खपत के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। इन सभी उपयोगों के बाद खानों से निकाले गए बकाया जल को समीप की नाली/नाले में डाला जाता है जो स्वाभाविक नाली व्यवस्था के साथ बहता है।

(ख) से (ङ) रेत–भराई की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद शेष जल भूमिगत पम्पों के द्वारा निकाल दिया जाता है तथा फिल्टर करने एवं अन्य प्रयोजनों के लिए सतही जलाशयों में डाल दिया जाता है। इस जल का एक हिस्सा रेत–भराई के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार के पुनः संचरण से जल की अधिकतम मात्रा को प्रभावी रूप से उपयोग में लाया जाता है।

[हिन्दी]

परामर्शदात्री समितियों का गठन

100. **श्री मुनव्वर हसन** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अब तक उनके मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर परामर्शदात्री समितियों का गठन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो जिला, मंडल और राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समितियां किस आधार पर गठित की जाती है; और

(ग) ये समितियां कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन किसी भी स्तर पर कोई परामर्शदात्री समिति नहीं है। तथापि, दूरसंचार जिला स्तर पर टेलीफोन सलाहकार समितियां हैं।

इस समय, टेलीफोन सलाहकार समितियां केवल जिले स्तर पर गठित की जाती हैं। जहां से सिफारिशें प्राप्त हुई हैं वहां पर समितियों का गठन किया गया है।

(ख) टेलीफोन सलाहकार समितियां गठित करना माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। इसका गठन चुने गए जन प्रतिनिधियों से प्राप्त सिफारिशों पर किया जाता है जो समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शिशु मृत्यु दर कमी कार्यक्रम

101. **श्री जुएल ओराम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में शिशु मृत्यु दर कमी कार्यक्रम आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्यक्रम किन–किन राज्यों में आरंभ किया गया है;

(ग) क्या यह कार्यक्रम उड़ीसा में आरंभ किया गया है;

(घ) यदि हां, तो यह कार्यक्रम इस राज्य में कब से आरंभ किया गया है; और

(ङ) इस संबंध में हासिल उपलब्धियों का ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) शिशु मृत्यु दर में कमी लाना बाल स्वास्थ्य के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही पहलों का उद्देश्य रहा है।

(ख) इन पहलों को देश के सभी राज्यों में शुरू किया जा रहा है।

(ग) जी, हाँ।

(घ)
- बाल उत्तरजीविता तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम – 1992
- प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम – 15.10.97

(ङ) नमूना पंजीयन प्रणाली के आंकड़ों (2002) के अनुसार उड़ीसा की शिशु मृत्यु दर 87/1000 थी।

[हिन्दी]

डाक्टरों की पदोन्नति

102. **श्री राजेन्द्र कुमार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में सेवारत डाक्टरों और कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु विभागीय समिति (डी.पी.सी.) के नियमों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 2002 से आज तक डाक्टरों की पदोन्नति में किसी प्रकार की अड़चन रही है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2002 से विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी.) से पदोन्नति के लिए कितने डाक्टर प्रतीक्षा कर रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उस्मानाबाद में दूरभाष केन्द्र

103. **श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में कुल कितने दूरभाष केन्द्र हैं;

(ख) क्या जिले में सभी दूरभाष केन्द्रों में एस.टी.डी. और आई.एस.डी. सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ये सुविधाएं कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) महाराष्ट्र जिले के उस्मानाबाद जिले में कुल 91 टेलीफोन एक्सचेंज हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वूमैन्स रीप्रोडक्टिव हैल्थ संबंधी अध्ययन

104. **श्री हरिभाऊ राठौड़** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने हाल ही में वूमैन्स रीप्रोडक्टिव हैल्थ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके निष्कर्षों के क्या परिणाम रहे हैं;

(ग) क्या देश में काफी प्रतिशत महिलाएं रीप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फैक्शन (आर टी आई) से पीड़ित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस दिशा में महाराष्ट्र में कार्यरत गैर–सरकारी

संगठनों के नाम क्या हैं और राज्य में निराश्रित महिलाओं सहित अन्य महिला कल्याण कार्यकलापों का ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) जी, हां।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन, 2002–03 के दौरान देश के 50 प्रतिशत जिलों को कवर करते हुए जिला स्तरीय गृह सर्वेक्षण किया गया है। इस सर्वेक्षण में महिलाओं के प्रजनक स्वास्थ्य संबंधी संकेतकों सहित अनेक संकेतकों को शामिल किया गया। सर्वेक्षण से पता चला है कि 11.6 प्रतिशत महिलाओं ने प्रजनन मार्गीय संक्रमणों/यौन संचारित संक्रमणों के कुछ लक्षण होने की शिकायत की; 6.4 प्रतिशत महिलाओं के मामले में उनके पतियों को भी प्रजनन मार्गीय संक्रमण/यौन संचारित संक्रमणों के लक्षण थे। 57.1 प्रतिशत महिलाओं को एचआईवी/एड्स संक्रमणों और 39 प्रतिशत को प्रजनन मार्गीय संक्रमणों/यौन संचारित संक्रमणों की जानकारी का होना पाया गया। देश के शेष 50 प्रतिशत जिलों में इस समय सर्वेक्षण चल रहा है।

प्रजनन मार्गीय संक्रमणों/यौन संचारित संक्रमणों का निवारण और उपचार चल रहे प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक अभिन्न घटक है। राज्यों की प्रथम रेफरल यूनिटों में इस्तेमाल के लिए श्रेणी 'क' में 3 किटों, श्रेणी 'ख' में 2 और श्रेणी 'ग' वाले जिलों में 1 किट की दर से प्रजनन मार्गीय संक्रमण/यौन संचारित संक्रमण किटें उपलब्ध कराके सहायता की जा रही है। प्रति जिला 2 की दर से प्रयोगशाला तकनीशियन लगाने हेतु निधियां भी प्रदान की जा रही हैं। प्रजनन मार्गीय संक्रमण/यौन संचारित संक्रमणों के उपचार और रोकथाम में प्रशिक्षण प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन कार्यकुशलता आधारित प्रशिक्षण का एक अभिन्न अंग है।

(ङ) चार मदर गैर सरकारी संगठन नामतः सोसायटी फॉर सर्विस टू वालंटरी एजेंसीज, पुणे, गोदावरी फांउडेशन, जलगांव; पारावारा मेडिकल ट्रस्ट, अहमदनगर; सेवाधाम ट्रस्ट, पुणे महिलाओं के प्रजनक स्वास्थ्य सहित प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम संबंधी जागरूकता पैदा करने वाले कार्यकलापों को चलाने में लगे हुए हैं।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा बाजार से ऋण लेना

105. **श्री सुरेश अंगड़ि** : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बाजार से ऋण लेकर कुल कितनी धनराशि जुटाई गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्यों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या परियोजनाएं कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस प्रकार जुटाई गई धनराशि अति विवेकपूर्ण तरीके से खर्च की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) भारतीय राष्ट्रीय राजमागं प्राधिकरण द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के वित्तपोषण के लिए बाजार ऋण से जुटाई गई धनराशि की स्थिति इस प्रकार है :–

वर्ष	स्रोत	धनराशि (करोड़ रु.)
2001–2002	पूंजी लाभ कर इश्यू	804.44
2002–2003	धारा 54 के तहत छूट बांड	5592.94

(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान शुरू किए गए कार्यों की स्थिति संलग्न **विवरण-I** में दी गई है।

(ग) और (घ) अनेक चालू परियोजनाएं प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों को दिसंबर, 2007 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

(ङ) जी हां।

(च) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न स्रोतों (उपकर आबंटन, बजट अनुदान, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए ऋण और निजी क्षेत्र की भागीदारी का हिस्सा) से प्राप्त और बाजार ऋण से जुटाई गई धनराशी में से किए गए व्यय के ब्योरे संलग्न **विवरण-II** में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 2001-2002 के दौरान प्रदान किए गए ठेके

स्वर्णिम चतुर्भुज पर

संविदा, खण्ड राज्य	राराप्तं.	लम्बाई (कि.मी.)	तिथियाँ निर्माण कार्य आरंभ करने की तिथि/ अनुमानित तिथि	निर्माण कार्य पूरा होने की अनुमानित तिथि	वित्तपोषणकर्ता	ठेकेदार और उसकी राष्ट्रीयता	सर्वेक्षण परामर्शदाता तथा उसकी राष्ट्रीयता	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. आगरा–शिकोहाबाद (जीटीआरआईपी/I–ए) 199.66 कि.मी. – 250.50 कि.मी. उत्तर प्रदेश	2	50.83	3/2002	12/2005	विश्व बैंक	मैसर्स ओरियन्टल स्ट्रक्चरल इंजी. लि.–गैमन भारतीय	आईसीटी प्रा. लि. भारतीय	कार्यान्वयाधीन
2. शिकोहाबाद–इटावा (जीटीआरआईपी/I–बी) 250.5 कि.मी. – 307.5 कि.मी. उत्तर प्रदेश	2	59.02	3/2002	12/2006	विश्व बैंक	चीन कोल कंस्ट्रक्शन ग्रुप का. चीन	आईसीटी प्रा. लि. भारत	कार्यान्वयनाधीन
3. इटावा बाईपास 307.5 कि.मी. – 321.1 कि.मी. उत्तर प्रदेश	2	13.6	4/2001	6/2006	भाराराप्रा	भागीरथ इं. इं. एण्ड अश्विनी कं. क. (सं.उ.) भारतीय	एसएमईसी इंडिया प्रा. लि. भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
4. इटावा – राजपुर (जीटीआरआईपी/I–सी) 321.1 कि.मी. – 393 कि.मी. उत्तर प्रदेश	2	72.825	3/2002	12/2005	विश्व बैंक	मैसर्स पीएटीआई–बीईल मलेशिया–भारत	सीइएस बीइसीए– (सं.उ.) भारत–न्यूजीलैंड	कार्यान्वयनाधीन
5. कानपुर – फतेहपुर (जीटीआरआईपी/II–बी) 470 कि.मी. – 483 (0) 0 कि.मी. – 38 कि.मी. उत्तर प्रदेश	2	51.5	3/2002	6/2006	विश्व बैंक	मैसर्स सोमदत्त बेरहाद एनसीसी–एनईसी (सं.उ.) भारतीय	सीइएस – बीइसीए (सं.उ.) भारत–न्यूजीलैंड	कार्यान्वयनाधीन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. वाराणसी – मोहनिया (जीटीआरआईपी/IV–ए) 317 कि.मी. – 329 (0) 0 कि.मी. – 65 कि.मी. उत्तर प्रदेश (55) बिहार (21)	2	76	3/2002	6/2005	विश्व बैंक	मैसर्स पीसीएल सनवे बेरहाद – सनकॉन (सं.उ.) भारत–मलेशिया	एन डी ली इंटरनेशनल कनाडा	कार्यान्वयनाधीन
7. सासाराम – देहरी ऑन सोन (जीटीआरआईपी/IV–सी) 110 कि.मी. – 140 कि.मी. बिहार	2	30	3/2002	6/2006	विश्व बैंक	मैसर्स सोमदत्त बिल्डर्स – एनसीसी (सं.उ.) भारत	ली इंटरनेशनल कनाडा	कार्यान्वयनाधीन
8. औरंगाबाद–बाराचट्टी (टीएनएचपी/V–ए) 180 कि.मी. से 240 कि.मी. तक बिहार	2	60	9/2001	12/2005	विश्व बैंक	ओरियन्टल स्ट्रक्चर इंजी. लि. एण्ड गेमन इंडिया लि. (संउ.) भारतीय	एसएमईसी इंडिया प्रा. लि. भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
9. राजगंज–बाराकाटा (जीटीआरआईपी/V–बी) 240 कि.मी. – 320 कि.मी. बिहार (10)/झारखण्ड (70)	2	80	3/2002	12/2005	विश्व बैंक	मैसर्स एल एण्ड टी – एचसीसी (सं.उ.) भारत	मैसर्स राइट्स–हालको (सं.उ.) भारत–यू.के.	कार्यान्वयनाधीन
10. गोरहर – बरवा अड्डा (टीएनएचपी/V–सी) 320 कि.मी. से 398.75 कि.मी. झारखण्ड	2	78.75	9/2001	12/2005	विश्व बैंक	प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि. एण्ड सनवे बेरहाद (संउ.) भारत–मलेशिया (संउ.)	एसएमईसी इंडिया प्रा. लि. भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
11. जयपुर बाईपास फेज II रा.रा.–8 का 221 कि.मी. – रा.रा.–11 का 246 कि.मी. चन्दवाजी (दिल्ली–जयपुर रोड)–हरमारा (जयपुर–सीकर रोड) कठोर शून्य, लचीला : 34.7 राजस्थान	8	34.7	12/2001	3/2005	भाराराप्रा	पुंज लॉयड एण्ड प्रोग्रसिव कंस्ट्रक्शन लि. (संउ) भारतीय	मैरीटैक लि. महेन्द्रराज कंस्ट्र–आरवी एसोशियेट्स न्यूजीलैंड–भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
12. किशनगढ़ – नसीराबाद (केयू–I) 363.9 कि.मी. (रा.रा.8) से 15 कि.मी. (रा.रा. 79) राजस्थान	79ए	36.23	11/2001	1/2004	भाराराप्रा	सदभाव इंजी. लि. भारतीय	डार्श कंसलटेंट जर्मनी	4 लेन का किया गया

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. नसीराबाद – गुलाबपुरा (केयू–II) 15 कि.मी. – 70 कि.मी. राजस्थान	79	55.87	11/2001	1/2004	भाराराप्रा	पुंज लॉयड लि. – प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि. भारतीय	डार्श कंसलटेंट जर्मनी	4 लेन का किया गया
14. गुलाबपुरा – भीलवाड़ा बाईपास (केयू–III) 70 कि.मी. – 120 कि.मी. राजस्थान	79	50	11/2001	9/2004	भारारापा	ईसीएसबी– जेएसआरसी (संउ) मलेशिया – भारतीय सं.उ.	एसएनसी लवलीन इंटरनेशनल कनाडा	4 लेन का किया गया
15. भीलवाड़ा बाईपास चित्तौडगढ़ (केयू–IV) 120 कि.मी. – 183 कि.मी. राजस्थान	79	66	11/2001	5/2004	भारारापा	बी सीनैया एण्ड कम्पनी – (प्रोजैक्ट) लि. भारतीय	एसएनसी लवलीन इंटरनेशनल कनाडा	4 लेन का किया गया
16. चित्तौड़गढ़ – मंगलवार (केयू–V) 220 कि.मी. – 170 कि.मी. पु.प. कॉरीडार के साथ साझा राजस्थान	76	48	11/2001	1/2004	भारारापा	मधुकॉन बेनापुरी (संउ) मलेशियन – भारतीय	एसएमईसी इंटरनेशनल प्रा. लि. आस्ट्रेलिया	4 लेन का किया गया
17. मंगलवार – उदयपुर (केयू–VI) 172 कि.मी. – 113.825 कि.मी. पू.प. कॉरीडार के साथ साझा राजस्थान	76	58.175	11/2001	1/2005	भारारापा	साघव – प्रकाश (संउ) भारतीय	एसएमईसी इंटरनेशनल प्रा. लि. आस्ट्रलिया	कार्यान्वयाधीन
18. उदयपुर – केसरियाजी (यूजी–I) 278 कि.मी. – 340 कि.मी. कठोर – शून्य, लचीला : 62 राजस्थान	8	62	10/2001	1/2004	भारारापा	केएमसी कंस्ट्रक्शन लि. भारतीय	स्कॉट विल्सन किरकापैट्रिक स्पेन कंस्ट्र कंसलटिंग इंजी. ग्रुप लि. यू.के. – भारत – यू.के.	4 लेन का किया गया
19. केसरियाजी – रतनपुर (यूजी–II) 340 कि.मी. – 388.4 कि.मी. राजस्थान	8	48.4	10/2001	12/2004	भारारापा	गायत्री–रणजीत (संउ) भारतीय	स्कॉट विल्सन किरकापैट्रिक स्पेन कंस्ट्र कंसलटिंग इंजी. ग्रुप लि. यू.के. –भारत – भारत	कार्यान्वयाधीन
20. रतनपुर – हिम्मतपुर (यूजी–III) 388 कि.मी. से 443 कि.मी. कठोर – शून्य, लचीला : 54.5 गुजरात	8	54.6	11/2001	12/2003	कार्यान्वयाधीन	मुदाजय – आईआरबी मलेशियन – भारतीय सं.उ.	स्तूप कंसलटेंट लि. बंगलादेश कंस्ट्र. भारत– बंगलादेश	4 लेन का किया गया

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. अहमदाबाद–बडोदरा एक्सप्रेस मार्ग फेज II 43.3 कि.मी. (नाडियाड–डकोर एसएच)–93.302 कि.मी. गुजरात	एन.ई 1	50	6/2001	5/2004	एसपीवी	एलजी इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन कं. एण्ड नागार्जुन कंस्ट्रक्शन लि. कोरियन–भारतीय सं.उ.	सीईएस – हालक्रो एसोसियेशन भारतीय–यू.के.	4 लेन का किया गया
22. धनकुनी–कोलाघाट (डब्ल्यू–I) 17.6 कि.मी. – 72 कि.मी. पश्चिम बंगाल	6	54.4	5/2001	6/2005	भाराराप्रा	आरवीएम – पीएटीए (सं.उ.) मलेशियन	आईसीटी – एसएनसी लवलीन भारतीय – कनाडा	कार्यान्वयनाधीन
23. खडगपुर – लक्षमणनाथ (डब्ल्यू बी–IV) 53.41 कि.मी. – 119.275 कि.मी. पश्चिम बंगाल	60	65.86	6/2001	12/2005	भाराराप्रा	बी सीनैया कम्पनी लि. भारतीय	लुईस बरगर इंटरनेशनल – एनआईसीई सं.रा.अ.–भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
24. पुल खण्ड (ओआर/डब्ल्यू बी–I) 0कि.मी. – 119.275 कि.मी. खड़गपुर – बालासोर उड़ीसा	60	0	9/2001	12/2005	भाराराप्रा	गेमन इं. लि. भारतीय	लुईस बरगर इंटरनेशनल – एनआईसीई सं. रा. अ. – भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
25. बालासोर – भद्रक (ओआर–III) 136.5 कि.मी. – 199.14 कि.मी. उड़ीसा	5	62.64	5/2001	12/2005	भाराराप्रा	एल्सामेक्स–टीडब्ल्यूएस–शंकर नारायण शेट्टी (संउ) स्पेन – भारतीय सं.उ.	शेलादिया एसोसियेट्स इं. सं.रा.अ.	कार्यान्वयनाधीन
26. पुल खण्ड (ओआर–V) 199 कि.मी. – 61 कि.मी. बालासोर–चण्डीखोल उड़ीसा	5	11.587	8/2001	12/2005	भाराराप्रा	गेमन इ. लि. भारतीय	लुईस बरगर – इंटरनेशनल एनआईसीई सं.रा.अ.–भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
27. खुर्दा – सुनाखाला (ओआर–IV) 387.7 कि.मी. – 335.642 कि.मी. उड़ीसा	5	52.058	5/2001	12/2005	भाराराप्रा	सुम्बर मित्रा जया – रोहित कुमार – श्री दुर्गा कंस्ट्रक्शन (संउ) इन्डोनेशिया–भारतीय सं.उ.	डीएचवी इंटरनेशनल बीवी नीदरलैंड	कार्यान्वयनाधीन
28. सुनाखाला – गंजम (ओआर–VII) 338 कि.मी. – 284 कि.मी. उड़ीसा	5	55.713	8/2001	6/2006	भाराराप्रा	प्रोग्रेसिव–स्टीको भारतीय – दक्षिण अरेबियन	डीएचवी इंटरनेशनल बीवी नीदरलैंड	कार्यान्वयनाधीन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. गंजम–इच्छापुरम (उड़ीसा–VIII) 284 कि.मी. – 223 कि.मी. उड़ीसा	5	50.8	6/2001	12/2006	भाराराप्रा	बूमि – हाइवे – डीडीबीएल भारतीय मलेशियन संउ	डीएचवी इंटरनेशनल बीवी नीदरलैंड	कार्यान्वयनाधीन
30. इच्छापुरम–कोरलम (आ.प्रा.–4 बी) 233 कि.मी. से 200 कि.मी. आंध्र प्रदेश	5	33	9/2001	6/2005	भाराराप्रा	स्कांसका सीमेन्टेशन इंडिया लि. भारतीय	बीईसीए–सीईएस –राइट्स न्यूजीलैंड–भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
31. कोरलम–पलासा (आ.प्र. 4ए) 200 कि.मी. से 171 कि.मी. तक आन्ध्र प्रदेश	5	29	9/2001	6/2005	भारारापा	स्कांसका सीमेन्टेशन इंडिया लि. भारतीय	बीईसीए–सीईएस– राइट्स न्यूजीलैंड–भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
32. पलासा – श्रीकाकुलम (आ.प्र.–2) 171 कि.मी. – 97 कि.मी. आन्ध्र प्रदेश	5	74	6/2001	4/2005	भारारापा	एसपीसीएल– आईवीआरसीएल भारतीय	बीईसीए–सीईएस– राइट्स न्यूजीलैंड – भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
33. पुल खंड (आ.प्र.–6) 233 कि.मी. – 98 कि.मी. श्रीकाकुलम – इच्छापुरम आन्ध्र प्रदेश	5	0	9/2001	4/2005	भारारापा	नवयुग इंजीनियरिंग कं. लि. भारतीय	बीईसीए–सीईएस– राइट्स (संउ) न्यूजीलैंड – भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
34. श्रीकाकुलम – चम्पावती (आ.प्र.–1) 97 कि.मी. – 49 कि.मी. आन्ध्र प्रदेश	5	48	6/2001	12/2005	भारारापा	यू वन – महारिया दक्षिण कोरियाई भारतीय सं.उ.	शेल्दिया – राइट्स (सं.उ) सं.रा.अ. – भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
35. चम्पावती – विशाखपट्टनम (आ.प्र.–3) 49 कि.मी. – 2.8 कि.मी. आन्ध्र प्रदेश	5	46.2	6/2001	12/2004	भारारापा	यूनिटेक – एनसीसी (सं.उ) भारतीय	शेल्दिया – राइट्स (सं.उ) सं.रा.अ.–भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
36. पुल खण्ड (आ.प्र.–5) 49 कि.मी. – 97 कि.मी. चम्पावती–श्रीकाकुलम आन्ध्र प्रदेश	5		8/2001	9/2003	भारारापा	प्रसाद एण्ड एसईडब्ल्यू (सं.उ.) भारतीय	शेल्दिया – राइट्स (सं.उ.) सं.रा.अ.–भारतीय	4 लेन का किया गया
37. दीवानचेरु (रजामुन्दरी के पास) – गौतमी (आं.प्र. 17) 200 कि.मी. – 164.5 कि.मी. आन्ध्र प्रदेश	5	34.95	6/2001	3/2005	भारारापा	पुंज लॉयड लि. भारतीय	एसएनसी–लवलीन इं. एण्ड आरवी एसोसियेट्स कनाडियन–भारतीय	कार्यान्वयनाधीन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38. पुल खण्ड (आं.प्र.–19) 162 कि.मी. – 200 कि.मी. वी वी खण्ड आन्ध्र प्रदेश	5	2.45	8/2001	12/2004	भाराराप्रा	लारसन एण्ड टूब्रो लि. भारतीय	एसएनसी–लवलीन इं. एण्ड आरवी एसोसियेट्स कनाडियन–भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
39. गौतमी – गुन्डूगोलानू (आं.प्र. 18) 164.5 कि.मी. – 80 कि.मी. आन्ध्र प्रदेश	5	81.08	8/2001	2/2004	भाराराप्रा	लिमक–सोमा (संउ) तुर्किश–भारतीय संउ	एसएनसी–लवलीन इं. एण्ड आरवी एसोसियेट्स कनाडियन–भारतीय	4 लेन का किया गया
40. पुल खण्ड (आं.प्र. 20) 80 कि.मी. – 162 कि.मी. वी वी खण्ड आन्ध्र प्रदेश	5	0	8/2001	3/2005	भाराराप्रा	लारसन एण्ड टूब्रो भारतीय	एसएनसी–लवलीन इं. एण्ड आरवी एसोसियेट्स कनाडियन–भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
41. चिल्कालूरीपेट – अंगोले (आं.प्र.–13) 357.9 कि.मी. – 291 कि.मी. आन्ध्र प्रदेश	5	66	6/2001	6/2005	भाराराप्रा	आई जे एम – गायत्री मलेशियन – भारतीय संउ	केएम इंटरनेशनल एण्ड सीकोन सर्वे लि. स्वीडन–भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
42. ओंगोले–कावली (आं.प्र.–12) 291 कि.मी. – 222 कि.मी. आन्ध्र प्रदेश	5	72	8/2001	6/2005	भाराराप्रा	एचओ–एचयूपी–सिम्पलैक्स (संउ) मलेशियन–भारतीय संघ	केएम इंटरनेशनल एण्ड सीकोन सर्वे लि. स्वीडन–भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
43. कावली–नेलोर (आं.प्र.–11) 222 कि.मी. – 178 कि.मी. आन्ध्र प्रदेश	5	43.8	5/2001	3/2005	भाराराप्रा	केएनआर–पटेल (संउ) भारतीय	केएम इंटरनेशनल एण्ड सीकोन सर्वे लि. स्वीडन–भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
44. नेलोर – टाडा 163.6 कि.मी. – 52.8 कि.मी. आन्ध्र प्रदेश	5	110.52	8/2001	12/2003	बीओटी	सिडबी मलेशिया मलेशियन	लुई बर्जर ग्रुप इं. सं.रा.अ.	4 लेन का किया गया
45. टाडा – चेन्नई (तमिलनाडु–1) 52.8 कि.मी. – 11 कि.मी. तमिलनाडु	55	41.8	6/2001	12/2004	भाराराप्रा	लारसन एण्ड टूब्रो लि. भारतीय	स्कॉट विल्सन किर्कपैट्रिक इं. प्रा. लि.यू.के.	कार्यान्वयनाधीन
46. कटराज – सरोले (पीएस–3) 825.5 कि.मी. – 797 कि.मी. महाराष्ट्र	4	28.5	11/2001	12/2005	भाराराप्रा	सातव कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. एण्ड डेना रेहसाज़ भारतीय–इरेनियन	स्पेन कंसलटेंट – सेमंड्स (संउ) भारतीय	कार्यान्वयनाधीन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47. सरोले – वाथर (पीएस–2) 797 कि.मी. – 780 कि.मी. 773 कि.मी. – 781 कि.मी. को छोड़कर महाराष्ट्र	4	29	11/2001	12/2003	भाराराप्रा	बिरला जीटीएम एंटीप्रोज लि. एण्ड बी जी शिंक कंस्ट्रक्शन टेक्न. लि. भारतीय	स्पेन कंसलटेंट – सेमंड्स (संउ) भारतीय	4 लेन का किया गया
48. वाथर–सतारा (पीएस–1) 760 कि.मी.–725 कि.मी. महाराष्ट्र	4	35	7/2001	12/2003	भारारापा	स्कांसका सीमेन्टेशन इंडिया लि. भारतीय	स्पेम कंसलटेंट – सेमंड्स (संउ) भारतीय	4 लेन का किया गया
49. सतारा–कागल 725 कि.मी. – 592.24 कि.मी. महाराष्ट्र	4	133	2/2002	3/2005	बीओटी	एमएसआरडीसी भारतीय	मैसर्स आईसीटी प्रा. लि. भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
50. बेलगाम बाईपास 515 कि.मी. – 495 कि.मी कर्नाटक	4	18	6/2001	4/2005	भारारापा	सनवे कंस्ट्रक्शन बरहाद एण्ड आर एन शेट्टी एण्ड कं. मलेशियन–भारतीय सं.उ	स्फटन इंटरनेशनल सीईजी यू.के. भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
51. हुबली–हवेरी 404 कि.मी. – 340 कि.मी. कर्नाटक	4	64	6/2001	12/2005	भारारापा	अफकॉन–अपिल (संउ) भारतीय	स्फटन इंटरनेशनल – सीईजी यू.के. भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
52. हवेरी–हरिहर 340 कि.मी. – 284 कि.मी. कर्नाटक	4	56	3/2002	12/2005	एडीबी	यूईएम–एसार (संउ) मलेशियन–भारतीय	आईसीटी प्रा.लि. भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
53. हरिहर–चित्रदुर्ग 284 कि.मी. – 207 कि.मी. कर्नाटक	4	77	3/2002	12/2005	एडीबी	यूईएम–एसार (संउ) मलेशियन–भारतीय	आईसीटी प्रा. लि. भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
54. चित्रदुर्ग बाईपास 270 कि.मी. – 189 कि.मी. कर्नाटक	4	18	3/2002	12/2005	एडीबी	डोलोमाइट बेरहाद – ए एल सुदर्शन (संउ) मलेशियन – भारतीय	लुई बर्जर सं.रा.अ.	कार्यान्वयनाधीन
55. चित्रदुर्ग – सीरा 189 कि.मी. – 122.3 कि.मी. कर्नाटक	4	66.7	3/2002	12/2005	एडीबी	यूईएम–एसार (संउ) मलेशियन–भारतीय	लुई बर्जर सं.रा.अ.	कार्यान्वयनाधीन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56. सीरा–तुमकुर 116.4 कि.मी. – 75 कि.मी. कर्नाटक	4	41.4	3/2002	12/2004	एडीबी	लारसन एण्ड टूब्रो भारतीय	लुई बर्जर सं.रा.अ.	कार्यान्वयनाधीन
57. तुमकुर बाईपास 75 कि.मी. – 62 कि.मी. कर्नाटक	4	13	12/2001	12/2005	भाराराप्रा	ए एल सुदर्शन एण्ड कं. भारतीय	स्तूप कंसलटेंट भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
58. होसुर – कृष्णागिरी 48.6 कि.मी. – 94.0 कि.मी. उत्तर दक्षिण कॉरीडोर के साथ साझा तमिलनाडु	7	45.4	6/2001	1/2004	भाराराप्रा	शक्ति कुमार संवेती लि. एण्ड भोला सिंह जय प्रकाश (संउ.) भारतीय	स्पेन कंसलटेंट भारतीय	4 लेन का किया गया
59. कृष्णागिरी–वनियामवाडी (केआर–1) 0.0 कि.मी. – 49.0 कि.मी. तमिलनाडु	46	49	11/2001	12/2004	भाराराप्रा	पटेल के एन आर (संउ.) भारतीय	मैसर्स राइट्स– सीकॉन–सर ओवेन विलियम्स भारती–यू.के	कार्यान्वयनाधीन
60. वनियामवाड़ी – पाल्लीकोंडा (केआर–2) 49.0 कि.मी. – 100.0 कि.मी. तमिलनाडु	46	51	11/2001	8/2005	भाराराप्रा	स्कांस्का सीमेन्टेशन इंडिया लि. भारतीय	मैसर्स राइट्स– सीकॉन–सर ओवेन विलियम्स भारतीय–यू.के	कार्यान्वयनाधीन
61. पाल्लीकोंडा – रानीपेट और वालेजापेट बाईपास (केआर–3) 100.00 कि.मी. – 145.0 कि.मी. तमिलनाडु	46	45	10/2001	8/2005	भाराराप्रा	स्कांस्का सीमेन्टेशन इंडिया लि. भारतीय	मैसर्स राइट्स— सीकॉन सर ओवेन विलियम्स भारतीय–यू.के	कार्यान्वयनाधीन
62. वालेजापेट – कांचीपुरम 106.4 कि.मी. – 70.2 कि.मी. तमिलनाडु	4	36.2	9/2001	1/2004	भाराराप्रा	लॉरसन एण्ड टूब्रो भारतीय	मैसर्स सौती – धेरजी (सं.उ.) इटालियन–भारतीय	4 लेन का किया गया
63. कांचीपुरम – पूनामाली 70.2 कि.मी. – 13.8 कि.मी. तमिलनाडु	4	56.4	7/2001	12/2005	भाराराप्रा	अफकान इंफ्रास्ट्रक्चर लि. भारतीय	मैसर्स सौती – धेरजी (संउ.) इटालियन–भारतीय	कार्यान्वयनाधीन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरीडोर फेज-I पर								
64. गुवाहाटी बाईपास (पू.प. 14/असम) 156 कि.मी. – 146 कि.मी. असम	37	10.5	9/2001	6/2004	भारारापा	मैसर्स बनवारी लाल अग्रवाल (बीएलए)–मैसर्स सीआईएससी–मैसर्स सी एण्ड सी कंस्ट्रक्शन (संउ.) भारतीय	मैसर्स स्तूप भारतीय	4 लेन का किया गया
65. पूर्णिया – गयाकोटा (पू.प. 12/बिहार) 447 कि.मी. – 419 कि.मी. बिहार	31	28	9/2001	6/2005	भारारापा	मैसर्स लेन्को कंस्ट्रक्शन लि. मैसर्स रानी (संउ.) भारतीय	मैसर्स स्कॉट विल्सन एण्ड क्रिकपैट्रिक यू.के.	कार्यान्वयनाधीन
66. लखनऊ बाईपास (पू.प. 15/उ.प्र.) लखनऊ शहर से गुजरने वाले रा.रा. 56 द्वारा रा.रा. 25 तथा रा.रा. 28 को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश	25, 28 और 56	22.85	9/2001	3/2005	भारारापा	प्रकाश – अटलान्टा (संउ.) भारतीय	मैसर्स सीईएस (इं.) लि. भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
67. लखनऊ कानपुर खण्ड (पू.प. 8/उ.प्र.) 21.80 कि.मी. – 44.0 कि.मी. उत्तर प्रदेश	25	22.2	9/2001	12/2004	भारारापा	विलायती राम मित्तल भारतीय	मैसर्स आर्कटेक कॉन भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
68. लखनऊ कानपुर खण्ड (पू.प. 9/उ.प्र.) 44 कि.मी. – 59.5 कि.मी. उत्तर प्रदेश	25	15.5	9/2001	12/2004	भारारापा	मैसर्स बी.आर. अरोड़ा एण्ड एसोसियेट्स (बीआरए)–मैसर्स टीआर गुप्ता–मैसर्स भारत (संउ) भारतीय	मैसर्स आर्कटेक कॉन भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
69. पालनपुर – दीसा (पू.प. 11/गुजरात) 350.00 कि.मी. से 370.70 कि.मी. गुजरात	14	22.7	8/2001	2/2003	भारारापा	दिनेश चन्द आर. अग्रवाल भारतीय	मैसर्स फ्रीचमैन प्रभू भारत	4 लेन का किया गया
70. रिब्दा से गोंडल खण्ड (पू.प. 10/गुजरात) 160 कि.मी. – 143 कि.मी. गुजरात	8 बी	17	9/2001	10/2002	भारारापा	तरमत–मैसर्स बैकबोन प्रोजेक्ट्स (संउ.) भारतीय	मैसर्स एचएसएस फीडबैक मलेशियन	4 लेन का किया गया

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71. कुंजवानी से विजयपुर (उद–15/ज.क.) 97 कि.मी. – 80 कि.मी. जम्मू कश्मीर	1ए	17.2	1/2001	8/2005	भाराराप्रा	सीमा सड़क संगठन भारतीय	मैसर्स ली. एसोसिएट्स भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
72. भोगपुर से जालंधर (उद–16/जा.) 26 कि.मी. – 4.23 कि.मी. पंजाब	1ए	21.77	8/2001	10/2004	भाराराप्रा	मैसर्स भूमि हाइवे मलेशिया	मैसर्स इंजी. एण्ड मैनेज. ए. भारतीय	4 लेन का किया गया
73. पांची गुजरान से कामसपुर (सोनीपत) तक छह लेन का बनाना (उद–17/ह.) 66.00 कि.मी. – 44.30 कि.मी. हरियाणा	1	21.7	8/2001	2/2005	भाराराप्रा	महरिया–राज (सं.उ.) भारतीय	मैसर्स राइट्स लि. भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
74. हरियाणा/दिल्ली सीमा से मुबारक चौक तक आठ लेन का बनाना (उद–18/दि.) 29.3 कि.मी. – 16.5 कि.मी. दिल्ली	1	12.9	8/2001	2/2005	भाराराप्रा	यू–वन – महारिया (सं.उ.) कोरिया–भारतीय सं.उ.	राइट्स भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
75. मुबारक चौक से माल रोड (दिल्ली) तक आठ लेन का बनाना (उद–3/दि.) 16.2 कि.मी. – 8.2 कि.मी. दिल्ली	1	8.5	11/2001	2/2005	भाराराप्रा	मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लि. भारतीय	राइट्स भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
76. राज/उ.प्र. सीमा से मनिया (उद–19/उ.प्र./रा.) 24 कि.मी. – 41 कि.मी. उत्तर प्रदेश (7)/राजस्थान (10)	3	17	8/2001	11/2004	भाराराप्रा	पीएनसी कंस्ट्रक्शन लि. भारतीय	मैसर्स फ्राफ्ट्स भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
77. सराय चोला से मोरेना (उद–20/म.प्र.) 70.00 कि.मी. – 85.00 कि.मी. मध्य प्रदेश	3	15	9/2001	8/2004	भाराराप्रा	प्रकाश महावीर (सं.उ.) भारतीय	मैसर्स धेरजी इस्टर्न भारतीय	4 लेन का किया गया

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78. मोरेना – रायरु (ग्वालियर बाईपास से शुरू)/ (उद–21/म.प्र.) 85.00 कि.मी. – 103.00 कि.मी. मध्य प्रदेश	3	18	8/2001	2/2005	भाराराप्रा	मैसर्स बैकबोन प्रोजेक्ट्स भारतीय	मैसर्स धेरजी इस्टर्न भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
79. गुर्डला पोचमपल्ली से बोवेनपल्ली शिवरामपल्ली से थोंडापल्ली (उद–23/आ.प्र.) 464.00 कि.मी. – 474.00 कि.मी. और 9.20 कि.मी. – 22.30 कि.मी. आन्ध्र प्रदेश	7	23.1	9/2001	1/2005	भाराराप्रा	यू.वन –महरिया कोरिया–भारतीय सं.उ.	मैसर्स स्पेन कंसलटैंट्स भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
80. नंदी हिल्स क्रास से देवनहल्ली और मीनकुंटे से हब्बल तक छह लेन का बनाना (उद–24/का.) 539 – 556 कि.मी. एवं 527 कि.मी. – 535 कि.मी. कर्नाटक	7	25	9/2001	3/2005	भाराराप्रा	मैसर्स अफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लि. भारतीय	मैसर्स आईसीटी (प्रा.) लि. भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
81. थुंपिपादी से सलेम (उद–26/तमिलनाडु) 180.00 कि.मी. – 199.20 कि.मी. तमिलनाडु	7	19.2	9/2001	1/2005	भाराराप्रा	मैसर्स भागीरथ इंजी. लि. भारतीय	मैसर्स मुकेश ए. भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
82. बंगलोर – सलेम – मदुराई (उद–27/तमिलनाडु) 248.00 कि.मी. – 259.6 कि.मी. रा.रा. – 7 का नामक्कल बाईपास तमिलनाडु	7	8.4	9/2001	4/2004	भाराराप्रा	विजय इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज भारतीय	मैसर्स नाग इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय	4 लेन का किया गया
83. अंगमाली से अलुवा (उद–28/केरल) 332.60 कि.मी. से 316.70 कि.मी. केरल	47	16.6	9/2001	6/2004	भाराराप्रा	तांतिया–टेक्नी भारती (संउ) भारतीय	मैसर्स शेल्दिया ए. सं.रा.अ.	4 लेन का किया गया
	योग	363						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पत्तन संयोजन पर								
84. रा.रा.–17बी मोरमुगोवा हेतु पत्तन संयोजन (रा.रा.–17 पर वेरना जंक्शन से मोरमुगोवा पत्तन) गोवा	17बी	13	4/2001	6/2004	एसपीवी	बीआरओ (बी आर ओ और मोरमुगोवा पोर्ट ट्रस्ट के बीच हुए एक समझौता ज्ञापन के तहत) भारतीय	मै. स्तूप कंसलटैंट्स भारतीय	4 लेन का किया गया
85. जवाहर लाल नेहरू पत्तन (फेज–I) बड़े पत्तनों हेतु पत्तन संयोजन महाराष्ट्र	4 बी और 4	30	2/2002	12/2004	एसपीवी	ठाकुर – म्हात्रे – यूनिटी (संउ.) भारतीय	मैसर्स स्तूप कंसलटैंट्स भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
	योग	43						
अन्य परियोजनाएँ								
86. नंदीग्राम–विजयवाड़ा आन्ध्र प्रदेश	9	35	8/2001	5/2004	बीओटी	सीआईडीबी मलेशिया मलेशियन	एलबीजीआई सं.रा.अ.	4 लेन का किया गया
	योग	35						
				वर्ष 2001–2002 के दौरान प्रदान किए गए ठेके				
स्वर्णिम चतुर्भुज पर								
1. पानागढ़–पलसित 517 कि.मी. से 581 कि.मी. पश्चिम बंगाल	2	64.457	6/2002	6/2005	वार्षिकी	गमुदा मलेशिया– डब्ल्यूएलटी, मलेशिया मलेशियन	हालक्रो लि. यू.के.	कार्यान्वयनाधीन
2. पलसित – धनकुनी 581 कि.मी. – 666 कि.मी. (दुर्गापुर एक्सप्रेसवे) पश्चिम बंगाल	2	65	10/2002	6/2005	वार्षिकी	गोमुदा का कनर्सोटियम (मलेशिया) एण्ड डब्ल्यू सी टी इंजीनियरिंग (मलेशिया) मलेशियन	डोर्श कंसलटेंट जर्मनी	कार्यान्वयनाधीन
3. विवेकानन्द पुल और पहुंच मार्ग पश्चिम बंगाल	2	6	9/2002	4/2006	बीओटी	एआईडीसी ग्रुप सं.रा.अ. का कनसोर्टियम एण्ड एसटीआरएडीसी (फिलीपाइन्स) फिलीपाइन्स – सं.रा.अ.	मैसर्स स्कलैक स्कलैक बर्जरमन एण्ड पार्टनर जर्मनी	कार्यान्वयनाधीन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. अंकापल्ली – तुनी 359 कि.मी. – 300 कि.मी. आन्ध्र प्रदेश	5	58.947	5/2002	12/2004	वार्षिकी	जीएमआर तुनी–अंकापल्ली एक्सप्रेस लि. भारतीय–मलेशियन सं.उ.	डोर्श कंसलटेंट जर्मनी	कार्यान्वयनाधीन
5. तुनी – धर्मावरम 300 कि.मी. – 253 कि.मी. तुनी – राजामुन्दरी की संविदा। आन्ध्र प्रदेश	5 भारतीय	47 मलेशिया	5/2002	2/2005	वार्षिकी	आन्ध्र एक्सप्रेसवे लि. भारतीय	जयदुन लींग मलेशिया	कार्यान्वयनाधीन
6. धर्मावरम – राजामुन्दरी (आं.प्र.–15) 253 कि.मी. – 200 कि.मी. आन्ध्र प्रदेश	5	53	5/2002	11/2004	वार्षिकी	राजामुन्दरी – गम्मन (सं.उ.) एक्सप्रेसवे लि. भारतीय	जयदुन लींग मलेशिया	कार्यान्वयनाधीन
7. नेल्लोर बाईपास 178.2 कि.मी. – 161 कि.मी. आन्ध्र प्रदेश	5	17.166	10/2002	9/2004	वार्षिकी	सोमा एंटरप्राइजेज का कंसोर्टियम एण्ड नवयुग इंजी. कं. लि. भारतीय	मैसर्स स्कॉट विलसन क्रिकपैट्रीक इंडिया प्रा. लि. यू.के.	4 लेन का किया गया
8. कटकराज पुनः संरेखण (पीएस–4) बाईपास के 825 कि.मी. – 30 कि.मी. तक महाराष्ट्र	4	9	11/2002	6/2005	भारराप्रा	मैसर्स शक्ति कुमार एम संचेती लि. भारतीय	स्पेन कंसलटेंट – सीमन्ड्स (सं.उ.) भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
9. महाराष्ट्र सीमा–बेलगाम 592 कि.मी. – 515 कि.मी. कर्नाटक	4	77	6/2002	10/2004	वार्षिकी	नार्थ कर्नाटक एक्सप्रेसवे प्रा. लि. (आई एल एण्ड एफ एस – पुंज लॉयड – सी टी एन एल का कंसोंटियम) भारतीय	सर ओवेन विलियम फ्रिशमैन प्रभू यू.के. – भारत	4 लेन का किया गया
10. बेलगाम – धारवाड़ 495 कि.मी. – 433 कि.मी. कर्नाटक	4	62	4/2002	12/2005	भारराप्रा	सनवे कंस्ट्रक्शन – बेरहाद एण्ड आर एन शेट्टी एण्ड कं. मलेशियन – भारतीय सं.उ.	स्फटन इन्टल लि. सी इ जी इंडिया यू.के. – भारत	कार्यान्वयनाधीन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. तुमकुर – नीलमंगला 62 कि.मी. – 29.5 कि.मी. कर्नाटक	4	32.5	6/2002	12/2003	बीओटी	जस टोल रोड कं. लि. (जायसवाल – अशोका बिल्डकॉन – एसईआरआई इं. का कंसोंटियम) भारतीय	जयदुन लींग – आर्टफैक्ट प्रोजेक्ट मलेशिया–भारत	4 लेन का किया गया
	योग	492						
			वर्ष 2002-2003 के दौरान प्रदान किए गए ठेके					
पत्तन संयोजन पर								
12. हल्दिया पत्तन रा.रा.–41 (रा.रा. 6 पर कोलाघाट से हल्दिया तक) बड़े पत्तनों हेतु पत्तन संयोजन फेज I पश्चिम बंगाल	41	53	9/2002	12/2005	एसपीवी	सीडब्ल्यूएचईसी–एचसीआईएल (संउ.) चाइनिज़ – भारतीय	मैसर्स सी इ एस (ई) लि. भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
13. विशाखापट्नम पत्तन बड़े पत्तनों हेतु पत्तन संयोजन फेज I आन्ध्र प्रदेश	एस आर	12	6/2002	12/2005	एसपीवी	मैसर्स एम. वेंकट राव इंजी. भारतीय	मैसर्स ली एसोसियेट्स साउथ एशिया प्रा. लि. भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
	योग	65						
अन्य परियोनाएँ								
14. दिल्ली – गुडगाँव खण्ड (पहुंच नियंत्रित 8/6 लेन) 14.3 कि.मी. – 42 कि.मी. दिल्ली (9.7)/हरियाणा (18)	8	27.7	4/2002	12/2005	बीओटी	मैसर्स जयप्रकाश इंडस्ट्रीज़ लि. डीएस कंसलटेंट लि. भारतीय	मैसर्स राइट्स शेलदिलया–एलआर काडियाली (सं.उ.) स्वतंत्र परामर्शदाता	कार्यान्वयनाधीन
15. ताम्बरम – टिण्डीवनम 28 कि.मी. से 121 कि.मी. तमिलनाडु	45	93	5/2002	11/2004	वार्षिकी	ताम्बरम – टिंडीवनम एक्सप्रेसवे प्रा. लि. जीएमआर कन्सोंटियम और यूई मलेशिया का कंसोंटियम भारतीय–मलेशियन सं.उ.	नियुक्त किया जाना है	कार्यान्वयनाधीन
	योग	121						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
वर्ष 2003–2004 के दौरान प्रदान किए गए ठेके								
1. पुणे – खेद 12.9 कि.मी. – 42 कि.मी. महाराष्ट्र	50	30	8/2003	8/2005	बीओटी	मैसर्स एटीआर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. भारत		कार्यान्वयनाधीन
	योग	30						
स्वर्णिम चतुर्भुज								
2. इलाहाबाद बाईपास संविदा – 1 (पुल) 158 कि.मी. – 159.02 कि.मी. खागा – वाराणसी की संविदा III बी उत्तर प्रदेश	2	1.02	9/2003	3/2006	विश्व बैंक	लारसन एण्ड टूब्रो लि. भारतीय	स्कोटारूट, फ्रीसमैन प्रभू फ्रांस – भारत	कार्यान्वयनाधीन
3. महापुरा (निकट जयपुर)– किशनगढ़ (6 लेन) 273.5 कि.मी. से 363.865 कि.मी. कठोर : शून्य, लचीला : 90.385 राजस्थान	8	90.38	4/2003	12/2004	बीओटी	जी वी के इंटरनेशनल – बीएससीपीएल का कंसोंटियम भारतीय	बीसीईओएम फ्रेंच इंजी. कंसलटेंट फ्रेंच	कार्यान्वयनाधीन
4. हिम्मतनगर – चिलोडा (अहमदाबाद के पास) (यूजी–4) 443 कि.मी. से 495 कि.मी. गुजरात	8	52	6/2003	8/2005	भारराराप्रा	मैसर्स बैकबोन – तरमत – एनजी (सं.उ) भारतीय	स्तूप कंसलटेंट लि. बंगलादेश कंस. भारत–बंगलादेश	कार्यान्वयनाधीन
	योग	143						
उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरीडोर								
5. लखनऊ–कानपुर (पूप/3) 59.5 कि.मी. – 75.5 कि.मी. उत्तर प्रदेश	25	16	12/2003	5/2005	भारराराप्रा	विलायती राम मित्तल भारतीय		कार्यान्वयनाधीन
	योग	16						
उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरीडोर पर								
6. श्रीनगर बाईपास (सड़क भाग) (उद/30) 286 कि.मी. – 303.8 कि.मी. जम्मू कश्मीर	1 ए	17.8	11/2003	5/2006	भारराराप्रा	पीबीए इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. भारतीय		कार्यान्वयनाधीन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. कन्याकुमारी – पानागुड़ी (उद/32) 203 कि.मी. – 233.6 कि.मी. तमिलनाडु	7	30.6	3/2004	9/2006	भाराराप्रा	पीबीए इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. भारतीय		कार्यान्वयनाधीन
	योग	48						
पत्तन संयोजन पर								
8. तूतीकोरिन पत्तन रा.रा.–7ए (तूतीकोरिन–तिरूनेलवेली खण्ड) द्वितीय चरण के बड़े पत्तनों हेतु पत्तन संयोजन तमिलनाडु	7ए	47.2	2/2004	8/2006	एसपीवी	मैसर्स मेकॉन – जीया एनर्जी सिस्टम (इ.) लि. (संउ) भारतीय	मैसर्स बीसीईओएम फ्रेंच इंजी. कंसलटेंट एण्ड नाग इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. फ्रेंच–भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
9. पारादीप पत्तन रा.रा.–5ए (0 कि.मी. से 77 कि.मी. तक) फेज II के बड़े पत्तनों हेतु पत्तन संयोजन उड़ीसा	5 ए	77	2/2004	2/2007	एसपीवी	मैसर्स हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कं. भारतीय	ली एसोसियेट्स साउथ एशिया प्रा. लि. भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
10. कोचीन पत्तन 5 बड़े पुलों सहित 348/382 कि.मी. – 358/750 कि.मी. फेज II के बड़े पत्तनों हेतु पत्तन संयोजन केरल	47	10	2/2004	8/2006	एसपीवी	मैसर्स मेकॉन – जीया एनर्जी सिस्टम (इं.) लि. (संउ) भारतीय	दलाल–आर्क कंसलटेंसी के सहयोग से मॉट मैक डॉनल्ड भारतीय	कार्यान्वयनाधीन
	योग	134						
अन्य परियोजनाएं								
11. गोरखपुर मे राप्ती नदी पर अतिरिक्त 2 लेन पुल उत्तर प्रदेश	28	0	3/2004	3/2006	भाराराप्रा	यूपीएसबीसी भारतीय		कार्यान्वयनाधीन
	योग	0						

विवरण-II

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अक्तूबर, 2004 के लिए परियोजना व्यय विवरण सारांश

(करोड रु.)

खंड	2003–04 तक संचयी व्यय	2004–05 में			कुल जोड़
		अप्रैल से सितम्बर, 2004 में	अक्तूबर 2004 में	कुल (अप्रैल से अक्तूबर, 2004)	
क. परियोजनाओं पर व्यय					
I. एनएचडीपी चरण–I					
– स्व. चतु. परियोजना	16408.26	2191.32	477.34	2668.65	19076.91
– उ.द.पू.प. परियोजनाएं	1933.24	130.16	10.96	141.12	2074.36
– स्व. चतु. व उ.द.पू.प. से भिन्न परियोजनाएं	1442.84	136.66	13.46	150.12	1592.96
उप जोड़ I	19784.34	2458.14	501.76	2959.89	22744.23
II. एनएचडीपी चरण–II					
– उ.द.पू.प. परियोजनाएं	87.20	55.55	2.87	58.42	145.61
– उ.द.पू.प. से भिन्न परियोजनाएं	14.32	10.02	3.29	13.31	27.63
उप जोड़ II	101.52	65.57	6.16	71.73	173.24
III. एनएचडीपी चरण–III	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30
उप जोड़ III	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30
IV. परियोजनाओं पर विविध व्यय और पी.आई.यू. रिलीज	953.91	–225.19	80.84	–144.36	809.56
कुल व्यय क= I से IV	20839.77	2298.51	589.05	2887.56	23727.33
ख. भारत सरकार के ऋण/बाजार ऋण का ब्याज और अदायगी	1774.84	744.16	0.00	744.16	2518.99
परियोजना पर कुल व्यय और बाजार उधार/ऋण की अदायगी (क+ख)	22614.60	3042.67	589.05	3631.72	26246.32
ग. राजमार्गों का अनुरक्षण	937.02	102.45	32.03	134.47	1071.49
कुल व्यय (क+ख+ग)	23551.62	3145.12	621.08	3766.19	27317.81

[हिन्दी]

वृद्धों को चिकित्सा सुविधाएं

106. **श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वृद्धों को एक ही छत के नीचे चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्संबंधी राज्य–वार ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

नर्सिंग कालेज

107. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में कितने नर्सिंग कालेज/इंस्टीट्यूट हैं;

(ख) इंडियन नर्सिंग काउंसिल के पास अनुमोदन के लिए लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त मामले के संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) अगले पांच वर्षों में विशेषकर मध्य प्रदेश में राज्यवार कितनी प्रशिक्षित नर्सों की आवश्यकता होगी; और

(ङ) देश में इसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित नर्सों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) 31 मार्च, 2004 तक की स्थिति के अनुसार नर्सिंग कालेजों/संस्थानों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला **विवरण** संलग्न है।

(ख) और (ग) भारतीय नर्सिंग परिषद के अनुसार, नीचे दिए गए ब्योरे के अनुसार 24 प्रस्ताव परिषद के पास लंबित हैं :—

(i)	सहायक नर्स धात्री	1
(ii)	जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी	22
(iii)	विज्ञान स्नातक (नर्सिंग)	1

परिषद ने अनुमोदन की प्रदानगी के लिए उपर्युक्त संस्थाओं में अपेक्षित सुविधाओं का मूल्यांकन करने हेतु पहले ही निरीक्षण नियत कर दिया है।

(घ) और (ङ) प्रशिक्षित नर्सों की आवश्यकता से संबंधित राज्यवार आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं क्योंकि यह विभिन्न कारकों जैसे कि राज्यों की स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं में पलंगों की उपलब्धता, प्रदान की जा रही सेवाओं के प्रकारों पर निर्भर करता है। तथापि, देश में ऐसी 1000 से अधिक नर्सिंग शैक्षणिक संस्थाएं हैं जो प्रति वर्ष करीब 40,000 प्रशिक्षित नर्सें तैयार करती हैं। केन्द्र सरकर राज्य सरकारों को नर्सिंग स्कूलों/कालेजों की स्थापना करने/उनका उन्नयन करने में भी मदद करती हैं।

विवरण

दिनांक 31.03.2004 की स्थिति के अनुसार भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा अनुमोदित/ मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थाओं का राज्यवार वितरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ए एन एम	जी एन एम	डी एन ई ए	बी.एस.सी. (एन)	पी.बी.बी. एससी. (एन)	एम.एससी (एन)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्र प्रदेश	32	101	—	51	—	—
2	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड	9	15	—	2	—	—
3	बिहार और झारखंड	23	13	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
4	गुजरात	2	20	–	2	–	–
5	हरियाणा	9	13	–	1	–	–
6	हिमाचल प्रदेश	1	4	–	–	–	–
7	कर्नाटक	4	164	–	90	15	16
8	केरल	14	78	1	8	1	1
9	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	7	21	2	15	3	1
10	महाराष्ट्र और गोवा	16	50	1	10	6	2
11	मिजोरम	2	4	–	1	–	–
12	उड़ीसा	15	7	–	1	1	–
13	पंजाब, दिल्ली और जम्मू व कश्मीर	28	75	1	19	4	2
14	राजस्थान	8	47	–	3	–	–
15	तमिलनाडु और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह और पांडिचेरी	8	54	–	45	6	15
16	त्रिपुरा	–	2	–	–	–	–
17	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल	30	27	–	2	–	–
18	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	20	26	–	2	–	1
19	मध्य भारत बोर्ड	4	4	1	–	–	–
20	दक्षिण भारत बोर्ड	3	16	–	2	1	2
21	सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा	–	6	–	–	–	–
	कुल	235	747	6	254	37	40

(बिहार – 1998, उड़ीसा – 2001, मिजोरम – 2001, गुजरात – दिसम्बर 2002 के संबंध में आंकड़ें)

प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दों की सूची

एएनएम:	सहायक नर्स धात्री
जीएनएम:	जनरल नर्सिंग तथा मिडवाइफरी
डीएनईए:	नर्सिंग शिक्षा तथा प्रशासन में डिप्लोमा
बी.एससी. (एन):	नर्सिंग में विज्ञान स्नातक
पी.बी.बी.एससी. (एन):	नर्सिंग में पोस्ट बेसिक विज्ञान स्नातक
एम.एससी. (एन):	नर्सिंग में विज्ञान निष्णात

[अनुवाद]

चिकित्सा उपकरणों पर सीमा शुल्क में छूट

108. **श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कारपोरेट अस्पतालों द्वारा आयात किए जाने वाले एम. आर. आई. उपकरणों पर सीमा शुल्क में आंशिक छूट देती है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उक्त उपकरणों का आयात किए जाते समय ये रियायतें नहीं दी जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) निर्धन ग्रामीणों की मदद करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में क्लीनिकों/औषधालयों अथवा हस्पतालों में प्रयोग हेतु एम. आर. आई. और अन्य महंगे आयातित उपकरणों पर क्या रियायतें/छूट दिए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) मैगनेटिक रीजोरेन्स इमेजिंग (एम.आर.आई.) प्रणाली के लिए 5% सीमा शुल्क की आकर्षक रियायत है। एम.आर.आई. प्रणाली को उत्पाद शुल्क से भी छूट होने के कारण अतिरिक्त सीमा शुल्क (सी.वी.डी.) से छूट प्राप्त है। एम.आर.आई. प्रणाली के किसी भी आयातक को ये रियायतें/छूट प्राप्त हैं।

(घ) कई तरह के जीवन–रक्षक, दृष्टि–रक्षक, कान–नाक–गला, दांत चिकित्सा से जुड़े और अन्य चिकित्सीय उपकरणों के लिए सीमा शुल्क में पहले से ही रियायत प्राप्त है। हास्पिटल उपकरण (एम.आर.आई. प्रणाली सहित) के लिए भी सीमा शुल्क में 5% की रियायत बिना सी.वी.डी. के प्राप्त है बशर्ते कि उपकरण का आयात केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित राज्यों अथवा किसी स्थानीयं प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किसी सोसाइटी द्वारा संचालित अस्पताल द्वारा किया गया हो। वर्तमान में एम.आर.आई. अथवा अन्य महंगे आयातित उपकरणों पर सीमा शुल्क में और रियायत/छूट देने संबंधी कोई भी मामला वित्त मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

विदेशों में भारतीय राजदूत

109. श्री रामदास आठवले : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार विभिन्न देशों में श्रेणी–वार और देशवार कुल कितने भारतीय राजदूत कार्यरत हैं;

(ख) विभिन्न देशों में भारतीय राजदूतों के कितने पद रिक्त पड़े हैं और इन पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है;

(ग) ये पद देश–वार कब से रिक्त पड़े हुए हैं; और

(घ) उक्त पदों के लिए भारतीय विदेश सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा किसी अन्य सेवा के कार्मिकों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाया गया है और कब तक ऐसे कितने कार्मिकों को विदेश भेजा गया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) इस समय विभिन्न देशों में 108 भारतीय राजदूत/उच्चायुक्त हैं और उनका देशवार और वर्गवार ब्योरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है।

(ख) और (ग) राजदूतों/उच्चायुक्तों के पद जार्डन (1 दिसम्बर 2003), कोट–डी–आइवरी (30–जून, 2004) ओमान (7 अगस्त, 2004), कनाडा (1 सितम्बर, 2004), यूगांडा (27 अगस्त, 2004) और फिजी (6 नवम्बर, 2004) में रिक्त हैं। ये पद संभवतः फरवरी 2005 तक भरे जाएंगे। ये पद उपर्युक्त कोष्ठकों में इंगित तारीख से रिक्त हैं।

(घ) भारतीय राजदूतों/उच्चायुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिशें पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस समय भारतीय विदेश सेवा के 101 अधिकारी राजदूत/उच्चायुक्त के तौर पर तैनात हैं। वर्तमान में 7 गैर–वृत्तिक राजनयकि भारतीय राजदूतों/उच्चायुक्तों के तौर पर कार्य कर रहे हैं।

विवरण

उन देशों की सूची जहाँ यथा 24 नवंबर 2004 को भारतीय राजदूत/उच्चायुक्त तैनात हैं।

क्र.सं.	ग्रेड	उन देशों के नाम जहाँ मौजूदा रूप से भारतीय राजदूत/ उच्चायुक्त तैनात है;	कुल
1	2	3	4
1.	भा. वि. से. का ग्रेड–I	राजदूत– अर्जेण्टीना, बेल्जियम, भूटान, ब्राजील, डेनमार्क, मिश्र, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, जापान, कोरिया (द.), मैक्सिको, नेपाल, नीदरलैंड, नार्वे, फिलीपींस, रूसी परिसंघ, सऊदी अरब, स्पेन, स्विटजरलैंड, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। उच्चायुक्त – बंगलादेश, घाना, जमैका, मलेशिया, मारीशस, नाइजीरिया द. अफ्रीका, यू.के.	31

1	2	3	4
2.	भा. वि. से. का ग्रेड–II	राजदूत – आर्मीनिया, आस्ट्रिया, अज़रबैजान, बहरीन, बेलारूस, चीन कोलंबिया, क्यूबा, फिनलैंड, इंडोनीशिया, आयरलैंड, कतर, सर्बिया एवं मांटेनीग्रो, विएतनाम। उच्चायुक्त – आस्ट्रेलिया, साइप्रस, कीन्या, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, सिंगापुर, श्रीलंका।	21
3.	भा. वि. से. का ग्रेड–III	राजदूत– अफगानिस्तान, अल्जीरिया, अंगोला, बुल्गारिया, कम्बोडिया, चिली, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, इथिओपिया, हंगरी, ईरान, ईराक, इस्राइल, कज़ाखितान, कोरिया(द.), कुवैत, किरयिस्तान, लाओस, लेबनान, लीबिया, मैडागास्कर, मंगोलिया, मोरक्को, म्यांमा, पनामा, पेरू, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, सेनेगल, स्लोवाक गणराज्य, सूडान, सूरीनाम, स्वीडन, सीरिया, ताजीकिस्तान, ट्यूनीशिया, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, संयुक्त अबर अमीरात, यूक्रेन, उजबेकिस्तान, वेनेजुएला, यमन, जिम्बाब्वे। उच्चायुक्त – बोत्सवाना, ब्रूनेई, दर–ए–सलाम, गयाना, मालदीव, मोजाम्बिक, नामीबिया, पापुआ न्यू गिनी, सीशेल्स, तंजानिया, त्रिनिदाद एवं टोबागो, जाम्बिया।	3

[अनुवाद]

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रोजगार सृजन

110. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने वर्ष 2003–04 के दौरान एक करोड़ से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का कर्नाटक में कौन से रोजगार के अवसरों का सजृन करने का प्रस्ताव है;

(घ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) 2003–04 के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कार्यान्वित किए गए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के तहत देश में 4.71 लाख व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित किए गए।

(ग) और (घ) वर्ष 2004–05 के दौरान, आरईजीपी के तहत कर्नाटक में 1654 परियोजनाओं में 1429.34 लाख रुपये की मार्जिन मनी सहयोग के प्रावधान के द्वारा स्वरोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य 33075 व्यक्तियों का है। इसमें केवीआईसी की गतिविधियों, जैसे उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी), प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं, जागरूकता शिविरों आदि द्वारा सहयोग किया जाता है।

(ङ) केवीआईसी ने आरईजीपी के तहत लक्ष्यों को कर्नाटक में केवीआईसी के राज्य कार्यालय तथा राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईसी) को प्रेषित किया है। आबंटित कोषों को केवीआईसी तथा केवीआईबी के राज्य कार्यालय के माध्यम से आवधिक रूप से जारी किया जाता है। सहज कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केवीआईसी तथा केंद्र सरकार द्वारा कार्यक्रम की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

राजस्थान में बाइ-पास सड़कों का निर्माण

111. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजस्थान सरकार से बाइ–पास सड़कों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों के कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने सिरोही के निकट रा.रा. 14 पर बारीगथाटा शहर में, रा.रा. 12 पर कोटा–भीलवाड़ा खंड में जयपुर शहर में रिंग रोड पर बाइपासों के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

(ग) धनराशि की उपलब्धता तथा कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के अध्यधीन उपर्युक्त बाइपासों पर कार्य, परियोजना की स्वीकृति के बाद ही शुरू किया जा सकता है।

[अनुवाद]

क्वायन-बाक्स सुविधा बंद करना

112. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा हाल ही में जारी अधिसूचना के कारण देश के ग्रामीण भागों में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए क्वायन–बाक्स सुविधा बंद कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सुविधा को पुनः आरंभ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। तथापि, मौजूदा नीति के अनुसार मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए क्वायन बॉक्स के प्रयोग की केवल उन्हीं स्थानों पर अनुमति है जहां सेल्यूलर नेटवर्क से प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्ट हैं और जो साथ ही लंबी दूरी के प्रभारण केंद्र भी हैं। यह नीति ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए लागू की गई है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का पुनर्गठन

113. **श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का पुनर्गठन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने 14 अक्टूबर 2004 को खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को भंग कर दिया और खादी तथा ग्रामोद्योग आयुक्त के नाम से प्राधिकरण स्थापित किया जिसे आयोग को सौंपी गई शक्तियां तथा प्रकार्य दिए गए हैं।

सरकार ने केवीआईसी की संरचना, संचालन तथा प्रदर्शन की जांच तथा केवीआईसी के पनुर्गठन के उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति स्थापित करने का निर्णय भी किया है। यह समिति, अन्य बातों के साथ–साथ, केवीआईसी अधिनियम,1956 (1956 का 61), केवीआईसी नियमों, 1957 तथा उनके तहत किए गए विनियमों की समीक्षा करेगी तथा इन कानूनों में सुधारों, यदि कोई हों, के साथ पुनर्निर्माण का सुझाव देगी जिससे (1) खादी व ग्रामोद्योगों के विकास तथा (2) विद्यमान केवीआई कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन तथा/या नए कार्यक्रमों/योजनाओं को आरंभ करने के लिए केवीआईसी को अधिक प्रोफेशनल तथा प्रभावी निकाय बनाने के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार तथा आय सृजन को बढ़ाया जा सके और खादी व ग्रामोद्योग उत्पादों (निर्यात भी शामिल) के लिए बाजारों का विस्तार हो सके।

उड़ीसा में एल्यूमिना संयंत्र स्थापित करने हेतु प्रस्ताव

114. **श्री परसुराम माझी :**

श्री अनन्त नायक :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में एल्यूमीनियम/एल्यूमिना एवं निकेल उत्खनन संयंत्रों की स्थापना हेतु सरकार के पास विचाराधीन प्रस्तावों का ब्योरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इन संयंत्रों की रोजगार क्षमता क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने उन परिवारों को रोजगार देने हेतु कदम उठाए हैं जिनकी भूमि इन संयंत्रों की स्थापना हेतु अधिग्रहित की गई है/किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग) सरकार ने, खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नेशनल एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड (नालको), उड़ीसा के दूसरे चरण के विस्तार को दिनांक 26.10.2004 को अनुमोदित कर दिया था। इस प्रस्ताव का ब्योरा निम्नवत् है :

क्षेत्र	संस्थापित क्षमता	दूसरे चरण के विस्तार के बाद क्षमता
बाक्साइट खान (टी पी वाई)*	48,00,000	63,00,000
एल्यूमिना शोधनशाला (टी पी वाई)	15,75,000	21,00,000
एल्यूमिनियम प्रगालक (टी पी वाई)	3,45,000	4,60,000
ग्रहीत विद्युत संयंत्र (मेगावाट)	960	1200

*टन प्रतिवर्ष

(घ) से (ङ) चूंकि यह विस्तार मौजूदा परिसर में ही होना है इसलिए परिवारों के विस्थापन तथा किसी और भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है।

प. बंगाल में कृषि और ग्रामीण उद्योगों की स्थापना हेतु ऋण

115. **श्री प्रबोध पाण्डा :** क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पश्चिम बंगाल में कृषि और ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय बैंकों से ऋण प्राप्त करने में ग्रामीण क्षेत्र के लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार निकटतम राष्ट्रीय बैंक से बिना किसी प्रक्रियात्मक जटिलताओं के जरूरतमंद व्यक्तियों को ऋणों के संवितरण के लिए कोई योजना लागू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में कृषि और ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्योरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लोन फंडिंग तथा केन्द्र सरकार से मार्जिन मनी सहयोग के साथ खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) पश्चिम बंगाल में संतोषजनक रूप से चल रहा है। 2003 में पश्चिम बंगाल में आरईजीपी इकाइयों पर किए गए एक मूल्यांकन अध्ययन के परिणाम से यह पता चला कि 98 प्रतिशत सैंपल उद्यमों ने मंजूरी के तीन माह के भीतर बैंकों द्वारा ऋण जारी करने की रिपोर्ट दी।

(ख) केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में आरईजीपी को कार्यान्वित कर रही है। आरईजीपी के तहत सहयोग प्रदत्त उद्यमियों को किसी प्रकार के प्रक्रियात्मक विवादों से बचाने के लिए, केवीआईसी की पूर्व स्वीकृति के बिना आरईजीपी के तहत 25 लाख रुपये तक की वैयक्तिक स्व–रोजगार परियोजनाओं को मंजूर करने के लिए अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के अनूसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निपटान पर निर्धारित दरों पर मार्जिन मनी सहयोग अग्रिम प्रदान किया जाता है। उद्यमी आरईजीपी के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए नजदीकी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक शाखा में जा सकते हैं। यह

प्रक्रिया, जहां तक व्यावहारिक हो, उद्यमियों को अवरोध मुक्त ऋण संवितरण सुनिश्चित करने में मदद करती है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2003–04 के दौरान, 1593.51 लाख रुपये की राशि मार्जिन मनी सहयोग के रूप में पश्चिम बंगाल को जारी की गई है, जिसके विरुद्ध कुल 3983.76 लाख रुपये का ऋण योग्य उद्यमियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2004–05 के दौरान, राज्य को मार्जिन मनी सहयोग के रूप में 1492 लाख रुपये की एक राशि आबंटित की गई है ताकि राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण के रूप में 3730 लाख रुपये की मंजूरी में मदद दी जा सके। वर्ष 2004–05 के लिए पश्चिम बंगाल में मार्जिन मनी का जिला–वार वितरण निम्नलिखित है:

क्रम संख्या	जिला	वर्ष 2004–05 के लिए आबंटित मार्जिन मनी (रुपये लाखों में)
1	2	3
1	बांकुरा	72.00
2	वीरभूम	93.00
3	बर्दमान	90.00
4	कूच बिहार	70.00
5	दार्जीलिंग	53.00
6	हुगली	60.00
7	हावड़ा	75.00
8	जलपाईगुड़ी	85.00
9	माल्दा	110.00
10	मिदनापुर (पूर्व)	91.00
11	मिदनापुर (पश्चिम)	85.00
12	मुर्शिदाबाद	95.00
13	नादिया	90.00
14	पुरुलिया	80.00
15	दिनाजपुर (उत्तर)	94.00
16	दिनाजपुर (दक्षिण)	64.00
17	24 परगना (उत्तर)	93.00
18	24 परगना (दक्षिण)	92.00
	कुल	1492.00

[हिन्दी]

सेलवन और प्री-पेड कनेक्शन

116. मो. मुकीम : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि उपभोक्ताओं को उत्तर प्रदेश में विशेषतः सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर और गोंडा जिलों में भारत संचार निगम लि. के सेल–वन और प्री–पेड कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को मांगे जाने पर सेल–वन और प्री–पेड कनेक्शन कब तक उपलब्ध करवाये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) पोस्ट–पेड कनेक्शन मांग पर उपलब्ध हैं और उच्च मांग और नेटवर्क क्षमता की बाध्यताओं के कारण उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर और गोंडा जिलों में प्री–पेड कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

(ग) पोस्ट–पेड सेल्युलर कनेक्शन पहले ही मांग पर उपलब्ध हैं। बीएसएनएल ने उपर्युक्त जिलों सहित उत्तर प्रदेश में नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए क्रयादेश दे रखे हैं और उम्मीद है कि वर्ष 2005 के दौरान ग्राहकों को मांग पर प्री–पेड सेलवन कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

[अनुवाद]

बंगलादेश द्वारा भारतीय आयात पर प्रतिबंध

117. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलादेश ने भारतीय आयातों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि होने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) 07 सितम्बर, 2004 को ढाका में "भारत – बांग्लादेश के युवा पत्रकारों की वार्ता" के उदघाटन सत्र में बोलते हुए बताया गया है कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री श्री मोरशेद खान ने कहा कि "यदि ढाका केवल अपने हित को आगे रखना चाहे तो हम बांग्लादेश में आने वाले सभी भारतीय सामान पर एक एस आर ओ (सांविधिक नियामक आदेश) जारी कर भारत के 3 बिलियन अमरीकी डालर के व्यापार को समाप्त कर सकते हैं"।

बांग्लादेश सरकार ने इस विषय में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है।

(ख) बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने 11 सितम्बर, 2004 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री की टिप्पणियों का उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के युवा पत्रकारों के बीच बांग्लादेश – भारत संबंधों को नियंत्रित करने वाले मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना था और इन्हें उसी प्रकार देखा जाना चाहिए। प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि युवा पत्रकार इन मामलों को उचित रूप से समझेंगे और इनको निष्पक्ष रूप से और वास्तविक रूप से लेंगे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

प्रस्तावित खुदरा मूल्य के अन्तर्गत प्रभारित किया जाने वाला कर

118. **श्री रघुनाथ झा** : क्या **प्रधानमंत्री** केन्द्रीय भण्डार का कार्यकरण के बारे में 29 सितम्बर, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5597 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रस्तावित खुदरा मूल्य (एस.आर.पी.) में सभी कर शामिल हैं और एस.आर.पी. पर कोई अन्य कर नहीं लगाया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय भंडार द्वारा एस.आर.पी. पर अतिरिक्त रूप से लगाए जाने वाले बिक्र कर, भाड़ा इत्यादि के क्या कारण हैं;

(ग) क्या एस.आर.पी. पर अतिरिक्त रूप से वसूल किया जा रहा बिक्री कर, भाड़ा आदि ग्राहकों से लिए जा रहे उच्च मूल्यों को न्याय संगत बनाना है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध मे क्या कार्यवाही प्रस्तावित है;

(ङ) क्या केन्द्रीय भण्डार संदर्भित प्रश्न के अनुबंध में कम्प्यूटर के दिए गए मूल्य, 83,000 रुपए से 85,000 रु. को उचित नहीं ठहरा पाया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (घ) केन्द्रीय भण्डार ने यह सूचित किया है कि प्रस्तावित खुदरा मूल्य में 8% की दर से सी.एस.टी. शामिल होता है किन्तु अलग से लिया जाने वाला स्थानीय बिक्री कर तथा अन्य उगाहियाँ इसमें शामिल नहीं होते।

(ङ) और (च) केन्द्रीय भण्डार द्वारा 83,000 रुपए से कम्प्यूटरों की बिक्री के संबंध में स्थिति, दिनांक 20.09.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5597 के उत्तर में लगे विवरण में दर्शाई गई है।

[हिन्दी]

मोरारजी देसाई योग केंद्र

119. **श्री हेमलाल मुर्मू** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोरारजी देसाई योग केंद्र में हाल ही में हुए प्रशिक्षण के लिए कोई फीस ली गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या योग के माध्यम से योग प्रशिक्षुओं/वहां भर्ती मरीजों के उपचार के लिए कोई विशेष सुविधा प्रदान की गई/बढ़ाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, (एम डी एन आई वाई), नई दिल्ली के सामान्य निकाय की 23.9.2004 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अल्पकालिक योग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए 100/–रु. प्रति माह का मामूली शुल्क लिया जाएगा। तदनुसार, हाल ही में, व्यवस्थित प्रशिक्षण के लिए शुल्क लिया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सर्जित अवसंरचनागत सुविधाओं में आधुनिकीकृत षटकर्म (योग परिमार्जिक क्रियाएं) सुविधाओं के प्रबंध सहित क्रिया खंड, पूर्णतः वातानुकूलित ध्यान मंडप, पूर्णतः वातानुकूलित पुस्तकालय, योग के प्रत्येक अंग पर मुफ्त व्याख्यान, संवर्धित जन उपयोगिता/सुविधा सेवाएं और परिवर्तन कक्ष, स्वच्छ और हरित पर्यावरण आदि शामिल है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व

120. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को जानकारी है कि नौंवी पंचवर्षीय योजना में यथाप्रस्तावित ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है और अब दसवीं पंचवर्षीय योजना में भी यह काफी पीछे चल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां। नौवीं योजना में परिकल्पित विशेष उद्देश्यों में एक उद्देश्य सामान्यतः सार्वभौमिक कवरेज अथवा मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराना था। मुख्यतः निधियों की कमी और ग्रामीण टेलीफोनी की अव्यवहार्यता के संबंध में प्रचालकों की सोच के कारण विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऐसा करना संभव नहीं हो पाया है। तथापि, टेली–घनत्व मार्च 1997 में 0.41% से बढ़ाकर मार्च 2002 में 1.20% हो गया है। 30.9.2004 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के टेली–घनत्व का स्तर बढ़कर 1.66% हो गया है।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विकास के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि द्वारा सब्सिडी की सहायता उपलब्ध कराने हेतु भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 2003 के अंतर्गत नियम बनाए गए हैं। नियमों के अंतर्गत जनगणना–2001 के अनुसार प्रत्येक राजस्व गांव में एक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन के रूप में सार्वजनिक दूरसंचार और सूचना सेवाओं तथा 2000 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक राजस्व गांव में अतिरिक्त सार्वजनिक टेलीफोन का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण टेलीफोनी के लिए सहायता प्रदान करने हेतु एक अव्यपगत सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना की गई है। 01.04.2002 से उक्त निधि का संचालन किया जा रहा है।

नियमानुसार 1.4.2002 से पूर्व सभी ग्रामीण घरों (लगभग 86 लाख) के लिए संस्थापित सीधी एक्सचेंज लाइनों (डीईएल) के लिए यूएसओ निधि से सब्सिडी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। निवल लागत निरपेक्ष अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों में 1.4.2002 के बाद ग्रामीण घरों में संस्थापित सीधी एक्सचेंज लाइनों के संबंध में संगत नियमों के अधीन आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बोली आमंत्रित करने हेतु प्रक्रियाएं पहले ही शुरू की जा चुकी हैं।

अविवेकपूर्ण दूरभाष प्रशुल्क

121. **श्री पी. करूणाकरन** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारर को दूरभाष उपभोक्ताओं से ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी दरों पर अविवेकपूर्ण तरीके से टेलीफोन प्रशुल्क और किराये की वसूली के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) ट्राई ने ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए किराया और कॉल प्रभार निर्धारित किए हैं जो सभी सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं से लिए जाएंगे। मासिक टेलीफोन किराए के प्रभारण के लिए क्षेत्रों का 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्गीकरण किया गया है, जो दूरसंचार प्रशुल्क आदेश, 1999 में विनिर्दिष्ट प्रशुल्क नीति के अनुरूप है। तथापि, सेवा प्रदाताओं को किरायों और कॉल प्रभारों के विभिन्न संयोजनों के साथ वैकल्पिक प्रशुल्क योजनाएं प्रदान कराने की स्वतंत्रता है। तथापि, यदि कोई गलत प्रभारण का मामला जानकारी में आता है, तो बीएसएनएल द्वारा त्रुटि को ठीक करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाती है और बिलों को संशोधित किया जाता है।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति

122. **श्री कैलाश मेघवाल :**

श्री बी. विनोद कुमार :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति की स्थिति क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1992 में तैयार की गई राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति अभी भी सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) वर्ष 1992 से देश में सड़क दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप हुई आर्थिक हानियों और हताहतों की संख्या कितनी है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) वर्ष 1992 में बनाई गई राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति का दिनांक 22. 12.1994 को हुई राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में अनुमोदन किया गया था।

(ग) योजना आयोग ने वर्ष 1999–2000 में देश में 55,000 करोड़ रु. की लागत पर सड़क दुर्घटनाओं की सामाजिक लागत का मूल्यांकन किया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में वर्ष 1992 से सड़क दुर्घटनाओं के कारण मरने वालों की कुल संख्या संबंधी ब्योरा संलग्न **विवरण** में है।

विवरण

सभी सड़कों पर मरने वाले की संख्या दर्शाने वाला ब्योरा

वर्ष	मरने वालों की संख्या
1992	60,113
1993	60,380
1994	64,463
1995	70,781
1996	74,665
1997	76,977
1998	79,919
1999	81,966
2000	78,911
2001	80,888
2002	84,674

राष्ट्रीय राजमार्ग 202 पर यातायात आवागमन

123. **श्री बी. विनोद कुमार** : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हैदराबाद और भोपाल पट्नम को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 को गोदावरी के ऊपर पुल से नहीं जोड़ा गया है जिसकी वजह से यातायात का आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है;

(ख) क्या अनुपलब्ध संपर्क में विलंब आर.आई.जी.एच. टी.एस. के कारण हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण करने में होन वाले विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस परियोजना का वित्तपोषण जापान सरकार द्वारा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पासपोर्ट प्राप्त करने वाले अवैध बांग्लादेशी प्रवासी

124. **श्री निखिल कुमार :**

श्री अधीर चौधरी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार इस बात से अवगत है कि देश में बहुत से अवैध बांग्लादेशी प्रवासी राशन कार्ड और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कार्ड का प्रयोग निवास प्रमाण के सबूत के रूप में करके भारतीय पासपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई दोष रहित प्रणाली अपनाई है जिसमें कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को पासपोर्ट जारी न हो सके; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरे क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) से (घ) पासपोर्ट केवल राशन कार्डों के आधार पर ही नहीं बल्कि स्पष्ट पुलिस जांच रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ आवेदक की पहचान और भारतीय राष्ट्रीयता निर्धारित की जाती है, प्राप्त होने के बाद ही जारी किए जाते हैं। तथापि सरकार को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा धोखाधड़ी से भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने के कुछ मामलों की सूचना प्राप्त हुई है। इनका तत्काल पता लगाया गया और संबंधित पुलिस प्राधिकारियों से उनकी राष्ट्रीयता की पुनः जांच करने का अनुरोध किया गया।

दवाइयों की तस्करी

125. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान देश के अन्य भागों और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की तस्करी के मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इन गतिविधियों में संलिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही/प्रस्तावित कार्यवाही क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए यह सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि उनके अस्पतालों में औषधों की तस्करी की कोई घटना न हो। तथापि, जहां तक दिल्ली में केन्द्र सरकार के अस्पतालों का संबंध है, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध अस्पतालों से औषधों की तस्करी की किसी भी घटना की सूचना नहीं मिली है।

इराक में चुनाव करवाने में भारतीय सहायता

126. **श्री गुरुदास दासगुप्त :**

श्री मोहन सिंह :

श्री पी. के. वासुदेवन नायर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र ने केंद्र सरकार से अगले वर्ष इराक में होने वाले चुनावों को संपन्न करवाने हेतु चुनाव आयोग के अधिकारियों की सहायता का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार का निर्णय और ब्योरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र ने आगामी वर्ष जनवरी में इराक में होने वाले चुनावों के सिलसिले में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने के लिए चुनाव आयोग के एक अधिकारी की सेवाएं मांगी है। इराक में सुरक्षा स्थिति को देखते हुए सहायता के अनुरोध पर निर्णय को टाल दिया गया है।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों तथा छह लेनों का बनाना

127. **श्री सी. के. चन्द्रप्पन :** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल से होकर गुजरने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों वाला तथा कुछ मामलों में छह लेनों वाला बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव तथा व्यय का ब्योरा क्या है;

(ग) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में भूमि अधिग्रहण की स्थिति क्या है;

(घ) परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्या प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, और

(ङ) यह कार्य कब आरंभ होगा और कब तक पूरा हो जाएगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ङ) जी नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है। किसी राष्ट्रीय राजमार्ग को चार अथवा छः लेन का बनाना यातायात की आवश्यकता, धनराशि की उपलब्धता और कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

लोकायुक्त की नियुक्ति

128. **श्री ब्रजेश पाठक :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने "लोकायुक्त" की नियुक्ति के लिए सभी राज्यों को दिशा–निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख तक "लोकायुक्तों" की नियुक्ति करने वाले और न करने वाले राज्यों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या महामहिम राष्ट्रपति ने "भारतीय लोकायुक्त के आठवें अखिल भारतीय सम्मेलन" में सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए लोकायुक्त के कार्यक्षेत्र को मजबूत करने तथा राष्ट्रपति सहित सभी उच्च संवैधानिक कार्यालयों को लोकायुक्त के दायरे में लाने पर जोर दिया था;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध मे प्रभावी कदम उठाए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) क्योंकि लोक आयुक्तों की नियुक्ति करना संबंधित राज्य सरकारों का सरोकार है, अतः कोई मार्गदर्शी सिद्धांत जारी नहीं किए गए हैं।

(ख) यह जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(ग) से (च) इस बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

मुआवजे के भुगतान में विलंब

129. **श्री सुग्रीव सिंह :** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिन लोगों की भूमि को कोयला कंपनियों ने अधिग्रहित किया है, उनको मुआवजे का भुगतान करने में असामान्य विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो मुआवजे के भुगतान के लिए लंबित मामलों का राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ग) मुआवजे के भुगतान, विशेषकर उड़ीसा में महानदी कोल फील्ड लिमिटेड, (एम.सी.एल.) द्वारा जल्द भुगतान कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) जी, हां। कोयला कम्पनियों द्वारा जिनकी भूमि अधिगृहीत की जाती है, उन व्यक्तियों/उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवजे के भुगतान में कभी–कभी अनुचित विलम्ब हुआ है।

(ख) भूमि के मुआवजे के भुगतान के बकाया मामलों की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है:–

क्रम संख्या	राज्य	मामलों की संख्या
1.	झारखण्ड	1911
2.	प. बंगाल	162
3.	महाराष्ट्र	247
4.	मध्य प्रदेश	525
5.	उड़ीसा	71

(ग) महानदी कोलफील्ड्स लि. में कई बकाया मामलों में वे व्यक्ति, जिनकी भूमि अधिगृहीत की गई है, कम्पनी के रिकार्ड के अनुसार के अनुसार अपने दिए गए पते पर अपने संबंधित गांवों में उपलब्ध नहीं हैं। सही मौजूदा पते ढूंढ निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बिना किसी देरी के भुगतान किया जा सके। ऐसे मामलों में स्थानीय समाचार पत्रों में मुआवजा प्राप्त करने के लिए नोटिस भी प्रकाशित किया गया है। इसके बावजूद भी यदि भू–स्वामी निर्धारित समय के भीतर मुआवजा प्राप्त करने में सफल नहीं होते हैं तो मुआवजे को कोयला धारक क्षेत्रों के अधिकरण में जमा कर दिया जाता है।

नई औद्योगिक स्कीमों के लिए प्रस्ताव

130. श्री डी. विट्ठल राव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कुछ नई औद्योगिक स्कीमों के लिए हाल ही में प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या उक्त स्कीमें मंजूरी के लिए अभी लंबित पड़ी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इनके कब तक मंजूर हो जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

जैव-प्रौद्योगिकी संबंधी कार्ययोजना

131. श्री देविदास पिंगले : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में जैव–प्रौद्योगिकी संबंधी कार्ययोजना को मंजूरी देने के लिए कोई प्रस्ताव है, जैसा कि दिनांक 11 अगस्त, 2004 के हिंदी समाचार–पत्र "नवभारत टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रौद्योगिकी की सहायता से उन्नत बीज उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो छोटे किसानों पर उक्त कार्ययोजना का क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) उक्त कार्ययोजना में किन राज्यों को शामिल किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या उक्त कार्ययोजना में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के किसानों को शामिल किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रायल के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल):

(क) जी, नहीं। तथापि, इस समय सरकार संबंधित क्षेत्रों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी नीति तैयार कर रही है।

(ख) सरकार पहले ही विभिन्न फसलों की उत्पादकता में इस प्रौद्योगिकी की सहायता से सुधार लाने के लिए अनुसंधान कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है। जब उन्नत बीज अनुसंधान के द्वारा विकसित हो जाते हैं तब सरकार संबंधित मंत्रालयों के साथ कृषि संबंधी लाभों के आकलन और जैव सुरक्षा मूल्यांकन के बाद ही इन्हें किसानों को उपलब्ध कराने पर विचार करेगी।

(ग) सामान्य रूप से इस प्रौद्योगिकी से स्केल न्यूट्रल मोड में छोटे किसानों तथा बड़े किसानों को लाभ मिलने की संभावना है।

(घ) से (च) क्योंकि अभी तक कार्ययोजना नहीं बनाई गई है, इसलिए अभी तक इनमें शामिल किए जाने वाले राज्यों की पहचान नहीं की जा सकती है। तथापि, जब भी उन्नत बीज उपलब्ध होंगे, वे सभी संबंधित राज्यों को उपलब्ध होंगे।

हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों को हुई क्षति

132. **श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि हरियाणा में भारी वर्षा के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों को भारी क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत करने तथा उन्हें बहाल करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) सरकार ने हरियाणा से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए क्या कार्रवाई की है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी हां। हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ खंड बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

(ख) क्षतिग्रस्त खंडों की मरम्मत कर दी गई है और सड़कें यातायात योग्य स्थिति में हैं।

(ग) और (घ) मंत्रालय ने वर्षा के कारण हुई क्षति की मरम्मत के लिए 35 लाख रु. आबंटित किए हैं और इसके अलावा हरियाणा में राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए सामान्य मरम्मत के अंतर्गत 347 लाख रु. का भी आबंटन किया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भी हरियाणा में वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों, जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गए हैं, की मरम्मत पर 3.58 लाख रु. व्यय किए हैं।

[अनुवाद]

यू एफ ओ का देखा जाना

133. **श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में हाल ही में एक वैज्ञानिक अभियान के दौरान इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के एक वैज्ञानिक ने एक अज्ञात उड़न तश्तरी (यू एफ ओ) को देखा और इसके फोटो खीचे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उड़न तश्तरी की तस्वीरों का विश्लेषण किया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या यू एफ ओ पर जासूसी उपकरण होने का संदेह है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इसका कहां से आने का संदेह है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और गर्वनमेंट कॉलेज, धर्मशाला के वैज्ञानिकों की एक टीम हिमनदीय अपसरण के अध्ययन के लिए एक अभियान हेतु लाहौल और स्पिति जिला, हिमाचल प्रदेश में चन्द्र ताल के निकट समुद्र

टापू हिमनदीय क्षेत्र में थे, तो उन्होंने 3–4 फीट आकार का एक अज्ञात पिण्ड देखा, जिसके साथ बेलूनों का एक सेट संलग्न था। यह पिण्ड पर्वत श्रेणी के ढलान की ओर आसानी से नीचे की ओर जा रहा था तथा बाद में पर्वत श्रेणी के शिखर पर ऊर्ध्व रूप में वापस आया तथा हवा में ऊपर की ओर चला गया। कैम्प स्थल पर कुछ मिनटों के लिए मंडराने के बाद, यह पिण्ड अंत में उत्तर की ओर चला गया और गायब हो गया। इस पिण्ड के दिखाई देने की कुल अवधि लगभग 40 मिनट थी। बाद में इस घटना के बारे में पुलिस और संबंधित सैन्य प्राधिकारियों को सूचित कर दिया गया। इस पिण्ड को कैम्प स्थल से बहुत अधिक दूरी से देखा गया था। इस पिंड का चित्र लिया गया था, लेकिन अत्यन्त अधिक ऊंचाई पर होने के कारण, इस उपकरण की सही प्रकृति का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका।

वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना याचिकाएँ

134. **श्रीमती मेनका गांधी :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के सचिव सहित वरिष्ठ पदों पर बैठे कई अधिकारी विभिन्न उच्च न्यायालयों में अवमानना याचिकाओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों तथा उनके विरुद्ध दायर लंबित शिकायतों का ब्योरा क्या है; और

(ग) 1994–95 से अवमानना याचिकाओं में अधिकारियों की निंदा करते हुए जारी की गई व्यवस्थाओं का वर्षवार ब्योरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ग) भारत सरकार के तथा राज्य सरकारों के सचिवों सहित वरिष्ठ रैंकों पर कार्यरत अधिकारियों के विरुद्ध उनसे संबंधित मामलों में दायर अवमानना याचिकाओं की पैरवी, संबंधित अधिकारी द्वारा अथवा उनके संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा की जाती है। देश भर के भिन्न–भिन्न उच्च न्यायालयों में लम्बित चल रहे ऐसे मामलों के बारे में जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

[हिन्दी]

नियामक प्राधिकरण का गठन

135. **श्री पंकज चौधरी :** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार परिवहन क्षेत्र के लिए एक नियामक प्राधिकरण का गठन करने का है, जिससे कि सड़क रेलवे, नागर विमानन तथा पोत परिवहन सहित यातायात की सभी प्रणालियों पर नजर रखी जा सके और उसमें सुधार किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) सड़क, रेलवे, नागर विमानन और पोत परिवहन सहित यातायात की सभी प्रणालियों को मानिटर करने तथा उनमें सुधार लाने के लिए परिवहन क्षेत्र के लिए किसी नियामक प्राधिकरण का गठन करने हेतु पोत परिहवन, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सड़क परिवहन क्षेत्र में राज्य सरकारों को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 के तहत राज्य परिवहन प्राधिकरण गठित करने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य परिवहन प्राधिकरण गठित किए हैं जो सड़क परिवहन के लिए नियामक के रूप में कार्य करते हैं।

इसी प्रकार पत्तन क्षेत्र में महापत्तनों में किराया एवं लागत आधारित टैरिफ संरचना प्रदान करने के लिए महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के तहत वर्ष 1997 में महापत्तन टैरिफ नियामक प्राधिकरण (टी ए एम पी) का गठन किया गया है।

रेल मंत्रालय ने बताया है कि यद्यपि वर्ष 2003 में रेल टैरिफ नियामक प्राधिकरण गठित करने का निर्णय लिया गया था, फिर भी उन्होंने यह महसूस किया है कि प्राधिकरण गठित करने का यह उचित समय नहीं है।

नागर विमानन मंत्रालय से प्राप्त उपलब्ध सूचना के

अनुसार नागर विमानन नीति बनाई जा रही है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ नियामक प्राधिकरण का पहलू भी शामिल होगा।

लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण

136. श्री मुन्शी राम : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा 1991–92 से 2003–04 के दौरान उत्पादन के प्रतिशत के अनुसार लघु उद्योग क्षेत्र को कुल कितना ऋण उपलब्ध कराया गया;

(ख) क्या लघु उद्योग क्षेत्र को उपलब्ध कराया गया ऋण उसकी ऋण आवश्यकता से कम था तथा इस भारी अन्तर के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कपूर समिति गठित की थी और समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कपूर समिति की क्रियान्वित की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) लघु उद्योगों (एस.एस.आई.) को क्रेडिट सुविधाएं वाणिज्यिक बैंकों सहित प्राईमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन्स द्वारा प्रदान की जाती हैं। 1991–92 से 2003–04 तक प्रतिशत के अर्थों में लघु उद्योगों के उत्पादन (वर्तमान मूल्यों पर) की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिए गए अग्रिम ऋणों का ब्योरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लघु उद्योग क्षेत्र को अग्रिम मार्च, 1992 के अन्त में 17,398 करोड़ रु. से बढ़ कर मार्च, 2004 के अन्त में 58,277 करोड़ रु. के हो गए हैं। लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के लक्ष्य के सन्दर्भ में, क्रेडिट प्रसार की मात्रा को पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। लघु उद्योग सेक्टर को अपर्याप्त क्रेडिट प्रसार के कारण हैं, क्रेडिट की उच्च लागतों, सम्पार्श्विकता अपेक्षाएं, विस्तृत प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं, इत्यादि जिनके कारण बड़ी संख्या में लघु उद्योग/अति लघु यूनिटें बैंकों से अपेक्षित क्रेडिट/सुविधाओं के संबंध में अपनी पहुंच बनाने में सक्षम नहीं हो रही हैं।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने दिसम्बर, 1997 में श्री एस.एल.कपूर, तत्कालीन सदस्य, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (बी.आई.एस.आर.) की अध्यक्षता में एक जनसमिति नियुक्त की थी, जोकि अन्य बातों के साथ–साथ लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट वितरण प्रणाली की समीक्षा करेगा तथा सिस्टम और प्रक्रियाओं में सरलीकरण तथा सुधार के संबंध में सुझाव देगी। समिति ने 30 जून, 1998 को अपनी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को दी, जिसमें 126 सिफारिशें की गई हैं। समिति की प्रमुख सिफारिशें पहले ही स्वीकार कर ली गई हैं तथा बैंकों/अन्य अभिकरणों द्वारा उनका क्रियान्वयन किया गया है, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हैं बैंकों के शाखा प्रबन्धकों को और अधिक शक्तियां प्रदान करना, आवेदन पत्रों का सरलीकरण और बैंकों द्वारा अधिक विशिष्ट लघु उद्योग शाखाओं को खोलना, संयुक्त ऋणों की सीमा को बढ़ाना, बैंकों द्वारा पिछड़े राज्यों में और अधिक ध्यान दिया जाना, शाखा प्रबन्धकों के प्रशिक्षण हेतु विशेष कार्यक्रम, बैंकों द्वारा उपभोक्ता शिकायत तन्त्र को और अधिक पारदर्शी बनाया जाना तथा शिकायतों और उनके मोनीटर, इत्यादि करने के संबंध में प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को अग्रिम और उसकी तुलना में लघु उद्योगों द्वारा उत्पादन (चालू मूल्यों पर)

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	लघु उद्योगों द्वारा उत्पादन (चालू मूल्यों पर)	लघु उद्योग को अग्रिम (मार्च के अंत तक बकाया)	लघु उद्योगों के उत्पादन की तुलना में लघु उद्योगों को अग्रिम का प्रतिशत
1	2	3	4
1991–92	73,072	17,398	23.8
1992–93	85,581	19,388	22.7
1993–94	98,804	21,561	21.8
1994–95	1,22,210	25,843	21.1

1	2	3	4
1995–96	1,48,290	29,482	19.9
1996–97	1,68,413	31,542	18.7
1997–98	1,89,178	38,109	20.1
1998–99	2,12,901	42,674	20.0
1999–2000	2,34,255	45,788	19.5
2000–01	2,61,289	48,445	18.5
2001–02	2,82,270	49,743	17.6
2002–03	3,11,993	52,988	17.0
2003–04	3,57,733	58,277(पी)	16.3

(पी) अनन्तिम

[अनुवाद]

डब्ल्यू एल एल टेलीफोनों का कार्यकरण

137. **श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश भर में, विशेषतः उत्तरांचल में अधिकतर डब्ल्यू एल एल टेलीफोन ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार डब्ल्यू एल एल टेलीफोनों की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

मातृत्व लागत का परिकलन

138. **डा. एम. जगन्नाथ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सामान्य शिशु डिलीवरी तथा सिजेरियन डिलीवरी के मामलों में आने वाली मातृत्व लागत का विश्लेषण करने के लिए सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या मातृत्व व्यय तथा कमरे के किराए, डिलीवरी पूर्व खर्चे चैक–अप की लागत, गर्भपात अथवा मिसकैरिज पर होने वाले खर्च जैसे अस्पताल के संबंधित शुल्कों को निजी आपरेटरों तथा सरकारी बीमा कम्पनियों द्वारा जारी मेडीक्लेम पॉलिसियों के दायरे में शामिल किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) मातृत्व के मामलों में शामिल जोखिम तत्वों के मद्देनजर मेडीक्लेम पॉलिसियों के अन्तर्गत सभी महिलाओं को मातृत्व लाभ उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में डाक घरों का कम्प्यूटरीकरण

139. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में जिला–वार और स्थान–वार कितने डाक घरों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है;

(ख) शेष डाक घरों के जिला–वार कम्प्यूटरीकरण हेतु सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) पश्चिम बंगाल के जितने डाकघरों में कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं उनकी जिलावार तथा स्थानवार संख्या संलग्न **विवरण** में दी गई है।

(ख) दसवीं योजना के अनुसार पश्चिम बंगाल के सभी

प्रधान डाकघरों और विभिन्न जिलों में स्थित बड़े उप–डाकघरों को योजना के अंत तक कम्प्यूटरीकृत कर दिया जाएगा।

(ग) डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण एक अनवरत प्रक्रिया है और निधि की उपलब्धता के आधार पर उन डाकघरों को चरणबद्ध रूप में कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है जहां तुलनात्मक दृष्टि से डाक परियात और कांउटर प्रचालन–कार्य की मात्रा अधिक है। 2006–2007 तक उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित डाकघरों को कम्पयूटरीकृत करने का प्रस्ताव है।

विवरण

पश्चिम बंगाल में कम्प्यूटरीकृत डाकघरों की संख्या (जिलावार एवं स्थानवार)

क्रम सं.	जिला का नाम	संख्या	स्थान (डाकघर का नाम)
1	2	3	4
1.	24 परगना(उत्तर)	6	बारासात, अशोकनगर, बैरकपुर, बसीरहाट, बेलघोरिया, बोंगांव
2.	24 परगना(दक्षिण)	3	बरुईपुर, डायमण्ड हार्बर, काकद्वीप
3.	बांकुरा	1	बांकुरा
4.	बीरभूम	4	सूरी, रामपुरहाट, शांतिनिकेतन, बोलपुर
5.	बरद्वान	6	बरद्वान, आसनसोल, कटवा, दुर्गापुर, रानीगंज, दर्गनपुर
6.	कूचबिहार	1	कूचबिहार
7.	दार्जीलिंग	2	सिलिगुड़ी, दार्जीलिंग
8.	दिनाजपुर (उत्तर)	1	रायगंज
9.	दिनाजपुर(दक्षिण)	1	बेलूरघाट
10.	हुगली	7	सेरामपुर, चिनसुराह, आरामबाग, उत्तरपाड़ा, चंदनगर, रिशरा, हुगली
11.	हावड़ा	2	हावड़ा, सलकिया
12.	जलपाईगुड़ी	2	जलपाईगुड़ी, माल
13.	कोलकाता	38	कोलकाता जीपीओ, पार्क स्ट्रीट, अलीपुर, कोसीपुर, टॉलीगंज, बड़ाबाजार, बेलघाट, बीडन स्ट्रीट, दमदम, बालीगंज, सर्कस एवेन्यु, बीएनसीसी ब्लॉक, बीएन साईं कांप्लेक्स, सेक भवन, इनटाली, पूर्वांचल, बहुबाजार, एस्प्लेनेड, न्यू मार्कॅट, राइटर्स बिल्डिंग, लाल बाजार, योगायोग भवन, कोलकाता यूनिवर्सिटी, इनकम टैक्स बिल्डिंग, गवर्नर्स कैंप, बेलगछिया, आईएसआई, घुघु डंगा, श्याम बाजार एनडीएसओ, शरत बोस रोड, न्यू अलीपुर, जाधवपुर युनिवर्सिटी, रिजेंट पार्क, भवानीपुर, एसई रेलवे, कालीघाट, आर बी एवेन्यू, कोलकाता ए पी सोर्टिंग

1	2	3	4
14.	मालदा	1	मालदा
15.	मिदनापुर(पूर्व)	2	कोंटाई, तामलुक
16.	मिदनापुर(पश्चिम)	3	मिदनापुर, झारग्राम, खड़गपुर टेक
17.	मुर्शिदाबाद	3	बेरहामपुर, काण्डी, रघुनाथगंज
18.	नादिया	4	कृष्णनगर, नवद्वीप, राणाघाट, कल्याणी
19.	पुरुलिया	1	पुरुलिया
	कुल	88	

एम टी एन एल तथा बी एस एन एल के बकाया की वसूली

140. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराज सिंधिया** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष सितंबर के अंत तक केन्द्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों पर एम टी एन एल तथा बी एस एन एल का कितना बकाया है;

(ख) अब तक बकाया को वसूलने तथा निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस प्रकार की वसूली में कितनी सफलता मिली है और बकाये की नवीन स्थिति क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने भुगतान न किए जाने पर टेलीफोन प्राधिकारियों से टेलीफोनों को न काटने को कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दूरसंचार क्षेत्र में आयात हेतु मानक

141. **श्री दुष्यंत सिंह** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार क्षेत्र में आयात के संबंध में कोई नए मानक नियत किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए कितने आयात का अनुमान किया गया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दूरसंचार के क्षेत्र में आयात के संबंध में वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

क्रोम और लौह अयस्क खानों को पट्टे पर दिए जाने के कारण विस्थापित परिवार

142. **श्री अनन्त नायक** : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में क्रोम और लौह अयस्क की खानों को पट्टे पर दिए जाने तथा उनमें कार्य आरंभ होने के कारण कितने परिवारों को विस्थापित किया गया है;

(ख) क्या उन विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) प्रत्येक विस्थापित परिवार को कितना मुआवजा दिया गया है; और

(ङ) उनके पुनर्वास के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्योरा क्या है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ङ) उड़ीसा राज्य सरकार से सूचना भेजने को लिखा गया है। प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रखी जाएगी।

अंतराष्ट्रीय लंबी दूरी के क्षेत्र में पनपते चोर बाजार (ग्रे मार्केट)

143. श्री नवजोत सिंह सिद्धू : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के क्षेत्र में चोर बाजार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं जिससे प्रत्येक वर्ष राजकोष की भारी क्षति हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस मामले में हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं। वर्ष–वार की साख्यिकीय सूचना से अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी के क्षेत्र में चोर बाजार (ग्रे मार्केट) के तेजी से बढ़ने के संकेत नहीं मिले हैं।

(ख) अब तक पता लगाए गए गैर–कानूनी ढंग से अंतर्राष्ट्रीय आवक कॉलों को प्रेषित करने के मामलों का वर्ष–वार विवरण निम्नानुसार है:

1998–1999	–	09
1999–2000	–	10
2000–2001	–	29
2001–2002	–	56
2002–2003	–	46
2003–2004	–	32
2004 अब तक	–	22

वर्ष 1998 में पहले छापे से लेकर अब तक पता लगाए गए 204 उपर्युक्त मामलों में, ऐसे अवैध एक्सचेंजों के कारण लगभग 350 करोड़ रुपए की काल्पनिक क्षति हुई है।

(ग) इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) ऐसे गैर–कानूनी मामलों की कड़ाई से मानिटरिंग करने और ऐसे एक्सचेंजों पर रोक लगाने हेतु तत्काल कदम उठाने के लिए जून 2003 से सभी सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किए गए हैं।

(ii) दूरसंचार परियात को सख्ती से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए इंटरकनेक्शन विनियम के प्रावधानों तथा लाइसेंस करार के प्रावधानों तथा सरकार द्वारा इस विषय में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सख्ती से संचालित करने हेतु अक्तूबर 2004 में भी निर्देश जारी किए गए हैं।

(iii) चार स्थानों अर्थात् दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद और चेन्नई में सतर्कता दूरसंचार अनुवीक्षण सेल खोले गए हैं। ये इकाइयां ऐसे चोर बाजार की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उत्तरदायी होंगी।

(iv) ऐसे चोर बाजार की गतिविधियों में संलिप्त पाए गए प्रचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है।

(v) सार्वजनिक टेलीफोन नम्बर – 1600–110–420 और 011–23731100 की सेवा शुरू की गई है ताकि आम जनता अंतर्राष्ट्रीय कॉलें प्राप्त होने पर इन नम्बरों पर सम्पर्क कर सके और प्राप्त हुए स्थानीय नम्बरों के बारे में सूचना उपलब्ध करा सके और इस प्रकार ऐसे मामलों का पता लगाने में मदद कर सके।

(vi) जनता में सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए मुख्य समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए गए हैं ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय कॉलें प्राप्त होने पर प्राप्त हुए स्थानीय नम्बरों के बारे में सूचना उपलब्ध कराने में सक्रिय रूप से मदद कर सकें।

(vii) ऐसे गैर–कानूनी एक्सचेंजों का पता लगाने के लिए फर्जी कॉलों की व्यवस्था करने हेतु विदेशों में भारतीय दूतावासों को पत्र लिखे गए हैं।

[हिन्दी]

जाली डाक टिकटें

144. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जाली डाक टिकटों का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और अब तक इससे कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या सरकार ने अब तक इस संबंध में कोई जांच करवाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी नहीं। हालांकि, 1999 से देश के विभिन्न भागों में जाली डाक–टिकटों के सर्कुलेशन के कुछ मामले विभाग के ध्यान में आए हैं।

(ख) और (ग) अब तक, लगभग 6,00,00,000/– रु. (छह करोड़ रु. मात्र) मूल्य के जाली डाक–टिकट पकड़े गए हैं। विशिष्ट मामलों के सामने आने पर उचित विभागीय कार्रवाई की जाती है। जांच के लिए ऐसे मामलों की सूचना पुलिस को भी दी जाती है।

(घ) ब्योरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है।

विवरण

सर्किलों द्वारा संदिग्ध जाली डाक–टिकट पकड़े जाने के मामले

सर्किल का नाम		स्थान	पकड़े जाने की तारीख	पकड़े गए/जब्त किए गए जाली डाक–टिकटों का ब्योरा			
				मूल्य वर्ग (रुपयों में)	संख्या	मूल्य (रुपयों में)	कुल मूल्य (रुपयों में)
1		2	3	4	5	6	7
1.	असम	नहरबाड़ी प्रधान डाकघर	अप्रैल 1999	5/–	13	65	73
				1/–	8	8	
2.	दिल्ली	एनडीआरएस टीएमओ	फरवरी 1999	10/–	3	30	180
		जनकपुरी एवं डेसू कॉलोनी डाकघर	जनवरी 2000	10/–	15	150	
3.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता जीपीओ	दिसम्बर 1999	50/–	15	750	750
4.	राजस्थान	जयपुर	जनवरी 1999	2/–	894	1788	5599
				1/–	3811	3811	
5.	बिहार	अशोक नगर (रांची)	मार्च 1999	5/–	7	35	
				10/–	2	20	
		बाढ़ (नालंदा)	सितम्बर 1999	2/–	41	82	
		जमालपुर	अक्तूबर 1999	2/–	12	24	1215
		पटना	मार्च 1999	5/–	198	990	
				5/–	12	60	

1	2	3	4	5	6	7
	बांकीपुर प्रधान डाकघर	मार्च 1999	2/–	2	4	
6. महाराष्ट्र	औरंगाबाद	जून 1999	20/–	2	40	
	ठाणे (मुंबई)	नवंबर 1999	1, 2, 3, 5, 10, 20, 50 और 1/–राजस्व		33048530	
	शिवाजी नगर प्रधान डाकघर, पुणे सिटी प्रधान डाकघर	जनवरी 2003	10/–	6123	61230	33109800
7. उत्तर प्रदेश	नोएडा और मेरठ	मई 2000	1, 2, 3, 5, 10		32100	
	तेतरी बाजार बस्ती	जुलाई 2000	5/–	86	430	
	मेरठ	मई 2003	10/–	50	500	
	गाजियाबाद	जुलाई 2004	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50, .05 से .75		5154839	13648869
	इलाहाबाद	जुलाई 2004	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50, .05 से .75		8461000	
8. उत्तर पूर्व	दीमापुर	सितम्बर 1999	5/–	72	360	360
9. कर्नाटक	कल्लमबल्ला उप–डाकघर	मार्च 2003	20/–	133	2660	2660
10. गुजरात	अहमदाबाद	मई 2003			2300000	2300000
11. छत्तीसगढ़	रायपुर प्रधान डाकघर	जून 2003	2/–	200	400	400
12. स्टैम्पिट कर्नाटक	केएनके/दिल्ली एवं मुम्बई	1999	25पै., 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50		12730910	14327330
	माडीवाला	2002	1, 2, 3, 5, 10, एवं 20		1596420	
13. पंजाब	चण्डीगढ़	जुलाई 2002	1, 2, 3, 5, 10, 20,	50584	117564	161084
			50 राजस्व 1/–	43520	43520	
	कुल					63558320 रु.

[अनुवाद]

भर्ती प्रक्रिया में सुधार

145. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आई.ए.एस., आई.एफ.एस. और अन्य अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया में सुधार के किसी प्रस्ताव का अध्ययन कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश

पचौरी) : (क) और (ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अन्य विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है। सिविल सेवा परीक्षा की वर्तमान योजना की समीक्षा करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने प्रोफेसर वाई. के. अलघ की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनाई थी। प्रोफेसर वाई. के. अलघ समिति की सिफारिशों और उन पर संघ लोक सेवा आयोग की टिप्पणियों की जाँच–पड़ताल की जा रही है।

इसके अलावा यह प्रस्ताव भी किया गया है कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर विभिन्न क्षेत्रों में हुए नवीनतम विकास के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए तथा उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभाशाली व्यक्तियों का पता लगाने के लिए भर्ती तरुणावस्था में की जानी चाहिए। इस सुझाव पर सरकार ने राज्य सरकारों के सभी मुख्य सचिवों, सिविल सेवा परीक्षा में सहभागी संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी से सुझाव मांगे हैं। आम जनता का मत जानने के लिए टिप्पणियों का पाठ प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की वेबसाइट www.darpg.nic.in पर प्रदर्शित किया गया है।

इंटरनेट पर 'जंक मेल' को रोकने हेतु कानून

146. श्री के. एस. राव :

श्रीमती किरण माहेश्वरी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटरनेट पर आने वाली 'जंक मेल' खतरे के स्तर तक पहुंच गई है और सरकार इस बुराई को रोकने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित कानून के कब तक लागू होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंटरनेट पर 'जंक मेल' खतरे के स्तर तक पहुंच रही है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के अध्यक्षता में गठित एक अन्तरमंत्रायली साइबर कानून एवं साइबर अपराध–विज्ञान कार्यकारी दल ने समग्र मुद्दे की जांच की है और इसकी सिफारिशों के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में संशोधन की कार्रवाई आरम्भ की गई है। इस कार्यकारी दल में उद्योग, संस्थानों, विशेषज्ञों तथा संबंधित विभागों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल हैं। 'जंक मेल' के मुद्दे पर गहन अध्ययन भी किया गया है। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे कार्यकलापों तथा समुचित विधान की आवश्यकता एवं पर्याप्तता पर वैश्विक प्रतिपुष्टि में सामंजस्यता आवश्यक है। अतः विभाग वैश्विक स्थिति स्पष्ट जो जाने पर उचित समय पर समुचित कार्रवाई करने का विचार करता है।

तमिल भाषा को सूचना प्रौद्योगिकी के लिए अनुकूल भाषा बनाना

147. श्री पी. मोहन : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक सूचना प्रौद्योगिकी के लिए अनुकूल बनाई गई भारतीय भाषाओं के क्या नाम है;

(ख) क्या तमिल भाषा को सूचना प्रौद्योगिकी के लिए अनुकूल भाषा बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) 18 भारतीय भाषाओं अर्थात् असमीया, बंगला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू के लिए भाषा संसाधन साधनों का विकास किया जा रहा है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) अन्ना विश्वविद्यालय स्थित भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी समाधन स्रोत केन्द्र (आरसीआईएलटीएस) तमिल भाषा के लिए भाषा संसाधन साधनों के विकास पर ध्यान दे रहा है।

सी–डैक के शब्द संसाधन उत्पाद तमिल का भी समर्थन करते हैं।

चेन्नई कविगल जैसे निजी क्षेत्र के विक्रेताओं के स्वस्वामित्व वाले उत्पाद तमिल का समर्थन करते हैं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल के गांवों में टेलीफोन कनेक्शन

148. **श्री बीर सिंह महतो : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में टेलीफोन सेवा से युक्त गांवों की जिले-वार संख्या क्या है;

(ख) उन गांवों की जिले-वार संख्या क्या है जहां अभी टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराई जानी है; और

(ग) ऐसे गांवों में टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में टेलीफोन सेवा से युक्त और टेलीफोन सेवा रहित गांवों की जिले-वार संख्या संलग्न **विवरण** में दी गई है।

(ग) पश्चिम बंगाल में 978 गांवों को छोड़कर सभी राजस्व गांवों में दूरसंचार सुविधा पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है। इन गांवों में दूरसंचार सुविधा इसलिए उपलब्ध नहीं कराई जा सकी क्योंकि इन गांवों की जनसंख्या 100 से कम है तथा सरकार/यूएसओ की नीति के अनुसार ऐसे गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

विवरण

पश्चिम बंगाल में दूरसंचार सुविधा से युक्त और दूरसंचार सुविधा रहित गांवों का जिलेवार ब्योरा

क्र.सं.	जिला	टेलीफोन सेवा से युक्त गांवों की संख्या	टेलीफोन सेवा रहित गांवों की संख्या
1	2	3	4
1.	बर्दवान	2488	0
2.	बांकुरा	3263	175
3.	मुर्शिदाबाद	1837	81
4.	हावड़ा	1016	0
5.	हुगली	1270	0
6.	24-परगना उत्तर	2286	0
7.	24-परगना दक्षिण	1778	0
8.	कूच बिहार	1170	0
9.	जलपाईगुड़ी	703	0
10.	मिदनापुर पूर्व	4473	88
11.	मिदनापुर पश्चिम	5693	112
12.	नादिया	1248	0
13.	माल्दा	1641	0
14.	पुरुलिया	2161	522
15.	उत्तर दीनाजपुर	1827	0
16.	दक्षिण दीनाजपुर	1218	0
17.	दार्जिलिंग	628	0
18.	बीरभूम	2232	0
	कुल	36932	978

पत्तनों के विकास के लिए विदेशी निवेश

149. **श्री रायापति सांबासिवाराव : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक ऐसी "पारदर्शी और स्वतंत्र" नियामक की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय किया है जो अवसंरचना क्षेत्रों में विदेशी निवेश को बढ़ाने में सहायक होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या पत्तनों के विकास से दक्षिण–पूर्वी एशिया के साथ कोरोमंडल पत्तन का संपर्क पुनः स्थापित किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो पत्तनों के विकास से दक्षिण–पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार सुविधाओं में सुधार लाने में किस सीमा तक सहायता मिलेगी; और

(घ) देश में इन पत्तनों के विकास के लिए कितने विदेशी निवेश की आवश्यकता है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) अवसंरचना–क्षेत्रों में विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ाने की दृष्टि से एक विनियामक ढाँचा स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव पोत–परिवहन, सड़क–परिवहन और राजमार्ग–मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

जहाँ तक पत्तन–क्षेत्र का संबंध है, महापत्तन–प्रशुल्क–प्राधिकरण (टैम्प) के रूप में एक प्राधिकरण पहले से ही मौजूदा है, जो महापत्तन–न्यासों में दरों का पैमाना तय करने और अन्य बातों के साथ–साथ पत्तन–क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से, पत्तन–विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997 (1997 के 15) द्वारा महापत्तन–न्यास–अधिनियम, 1963 में संशोधन करके स्थापित किया गया था।

(ख) से (घ) कोरोमंडल तट और दक्षिणी–पूर्वी एशिया के बीच समुद्री व्यापार–संपर्क पहले से ही मौजूद है। समुद्री व्यापार की आवश्यकता ध्यान में रखते हुए, पत्तनों का विकास लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है। बंदरगाहों और पत्तनों के निर्माण और रखरखाव में, सरकार द्वारा स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किए जाने की अनुमति है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान, महापत्तनों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित 11,257 करोड़ रु. का गैर–सरकारी निवेश किया जाना परिकल्पित है।

'टॉल' आधारित बनाओ-चलाओ-
हस्तांतरित करो मॉडल

150. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से राजमार्गों के विकास हेतु वार्षिक दृष्टिकोण के स्थान पर बड़े पैमाने पर 'टॉल' आधारित बनाओ–चलाओ–हस्तांतरित करो का मॉडल अपनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सड़क क्षेत्र के लिए भी एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण के गठन की सिफारिश की गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार योजना आयोग की सिफारिशों से किस सीमा तक सहमत है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अस्पतालों का उन्नयन

151. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार की देश में दुर्घटना एवं आपातकालीन सेवाएं बढ़ाने तथा उन्हें उन्नत करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर राज्य के अस्पतालों की आपातकालीन/संघात सुविधाओं को उन्नत एवं सुदृढ़ करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा इस संबंध में क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हाँ। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित नगरों/शहरों के राज्यीय अस्पतालों की आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक प्रायोगिक (पायलट) परियोजना है जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय राज्यमार्गों के दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में आने वाले राज्य सरकार के चुनिंदा अस्पतालों में दुर्घटना एवं आपातकालीन सेवाओं के संवर्धन और उन्नयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिकतम 1.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) ब्योरा **विवरण** के रूप में संलग्न है।

विवरण

असम:

1. वर्ष 2002–2003 के दौरान नलबाड़ी जिला अस्पताल, नलबाड़ी में आपातकालीन और अभिघात सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रुपये।

अरुणाचल प्रदेश:

1. वर्ष 2001–2002 के दौरान जनरल अस्पताल, नहरलागुन में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 116.97 लाख रुपये।

आन्ध्र प्रदेश:

1. वर्ष 2003–2004 के दौरान सरकारी अस्पताल, नेल्लौर में आपातकालील सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रुपये।

2. वर्ष 2003–2004 के दौरान सरकारी अस्पताल, कुरनूल में अभिघात परिचर्या केन्द्र के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रुपये।

बिहार:

वर्ष 2001–2002 के दौरान इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना को अभिघात केन्द्र की स्थापना के लिए 150.00 लाख रुपये।

2. वर्ष 2001–2002 के दौरान पटना में राजमार्ग अभिघात केन्द्र सहित मॉडेल बिक्रम रेफरल केन्द्र में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रुपये।

3. वर्ष 2001–2002 के दौरान ऑन्सी, जिला मधुबनी में अभिघात केन्द्र के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 62.71 लाख रुपये।

4. वर्ष 2003–2004 के दौरान सदर अस्पताल, छपरा, सारन में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रुपये।

छत्तीसगढ़

1. वर्ष 2002–2003 के दौरान पं.जे.एन.एम. मेडिकल कॉलेज, रायपुर में अभिघात एकक के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 109.00 लाख रुपये।

गुजरात:

1. वर्ष 2001–2002 के दौरान जनरल अस्पताल, नाडियाड, जिला खेड़ा में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रुपये।

2. वर्ष 2002–2003 के दौरान सिविल अस्पताल, अहमदाबाद में दुर्घटना और आपातकालीन सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रुपये।

3. वर्ष 2003–2004 के दौरान पंडित दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, राजकोट में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 146.00 लाख रुपये।

गोवा:

1. वर्ष 2002–2003 के दौरान हॉसपिसियो अस्पताल, मारगाओं में अभिघात और दुर्घटना एकक के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 142.00 लाख रुपये।

हरियाणा:

1. वर्ष 2003–2004 के दौरान सरकारी अस्पताल, सिरसा में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रुपये।

हिमाचल प्रदेश:

1. वर्ष 2002–2003 के दौरान इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, शिमला तथा जोनल अस्पताल, बिलासपुर में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 147.00 लाख रुपये।

जम्मू और कश्मीर:

1. वर्ष 2001–2002 के दौरान मरगुन्द, कंगन में श्रीनगर–लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन/अभिघात सेवाओं के विकास के लिए 150.00 लाख रुपये।

केरलः

1. वर्ष 2001–2002 के दौरान जनरल अस्पताल, ऐरणाकुलम में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रुपये।

2. वर्ष 2002–2003 के दौरान मेडिकल कालेज, कोजीकोड में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 142.00 लाख रुपये।

कर्नाटकः

1. वर्ष 2002–2003 के दौरान संजय गांधी एक्सीडेंट हास्पीटल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट बंगलौर में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 136.50 लाख रुपये।

मध्य प्रदेशः

1. वर्ष 2003–2004 के दौरान जिला अस्पताल, शिवपुरी में आपात सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रुपये।

मिजोरम

1. वर्ष 2001–2002 के दौरान सिविल अस्पताल, लुंगलेई में आपात सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 58.30 लाख रुपये।

2. वर्ष 2001–2002 के दौरान सिविल अस्पताल, ऐजवाल में दुर्घटना और आपात सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 74.30 लाख रुपये।

मणिपुरः

1. वर्ष 2002–2003 के दौरान जे. एन. अस्पताल, इम्फाल की आपात सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 149.92 लाख रुपये।

नागालैण्डः

1. वर्ष 2002–2003 के दौरान सरकारी अस्पताल, मेडजीफेमा में आपात सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 144.00 लाख रुपये।

उड़ीसाः

1. वर्ष 2003–2004 के दौरान एस. सी. बी. मेडिकल कालेज अस्पताल, कटक में कैजुअल्टी और आपात सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपये।

राजस्थानः

1. वर्ष 2003–2004 के दौरान शाहपुरा, किशनगढ़, भीम और सोजात शहर के सरकारी अस्पतालों में आपात सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 116.80 लाख रुपये।

तमिलनाडुः

1. वर्ष 2001–2002 के दौरान जिला मुख्यायल अस्पताल, पेरम्बलूर में दुर्घटना एवं आपात सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 105.00 लाख रुपये।

2. वर्ष 2003–2004 के दौरान जिला मुख्यालय अस्पताल, ओमालूर में दुर्घटना और आपात सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपये।

3. वर्ष 2003–2004 के दौरान सरकारी मुख्यालय अस्पताल, विल्लूपुरम में दुर्घटना और आपात सुविधाओं के विकास हेतु 143.00 लाख रुपये।

4. वर्ष 2003–2004 के दौरान चेंगलपेट्टू मेडिकल कालेज अस्पताल, चेंगलपेट्टू के दुर्घटना अभिघात केन्द्र के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपये।

उत्तरांचलः

1. वर्ष 2002–2003 के दौरान दून अस्पताल, देहरादून की आपात सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपये।

2. वर्ष 2002–2003 के दौरान, गोवर्धन तिवारी बेस अस्पताल, अल्मोड़ा की आपात सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपये।

3. वर्ष 2003–2004 के दौरान जिला अस्पताल, गोपेश्वर, चमोली जिला में आपात सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपये।

टेलीफोन कनेक्शन वापिस करना

152. **श्री चन्द्रभूषण सिंह** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान भारत संचार निगम लि. तथा महानगर टेलीफोन निगम के वापिस किए गए तथा काट दिये गए टेलीफोनों की संख्या 50 लाख का आंकड़ा पार कर गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा टेलीफोन कनेक्शनों के वापिस करने एवं उन्हें काटे जाने के दृष्टिगत राजस्व का कितना घाटा हुआ है;

(ग) क्या यह सच है कि इसी समय 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार 17 लाख से अधिक लोग भारत संचार निगम लि. से फोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, हाँ।

पिछले दो वित्त वर्षों के दौरान बीएसएनएल और एमटीएनएल में वापिस किए गए और काटे गए टेलीफोनों का ब्योरा निम्नवत है:

वर्ष	बीएसएनएल (वापस किए गए/ काटे गए)	एमटीएनएल (वापस किए गए/ काटे गए)
2002–03	17,93,536	4,67,200
2003–04	32,60,135	9,76,937

टेलीफोन वापस किए जाने के बावजूद बीएसएनएल के उपभोक्ताओं की संख्या में 2002–03 के दौरान 47.70 लाख और 2003–04 के दौरान 34.59 लाख की वृद्धि हुई। फोन वापस किए जाने से फालतू हुए उपकरणों का उपयोग प्रतीक्षासूची में दर्ज आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन देने में किया जा रहा है। अतः टेलीफोन वापस किए जाने के कारण किसी भी सीमा तक राजस्व की हानि के बारे में बताना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) 31.03.2004 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल में प्रतीक्षासूची में कुल 17,54,965 आवेदकों के नाम दर्ज थे। सर्किल–वार ब्योरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है।

विवरण

बीएसएनएल की सर्किल–वार प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	सर्किलों के नाम	31.3.2004 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार	151
2.	आंध्र प्रदेश	51934
3.	असम	15797
4.	बिहार	112465
5.	छत्तीसगढ़	2118
6.	गुजरात	58847
7.	हरियाणा	81657
8.	हिमाचल प्रदेश	44935
9.	जम्मू व कश्मीर	39707
10.	झारखंड	8143
11.	कर्नाटक	89730
12.	केरल	419762
13.	मध्य प्रदेश	17300
14.	महाराष्ट्र	159004
15.	पूर्वोत्तर –1	5975
16.	पूर्वोत्तर–2	5387
17.	उड़ीसा	27713

1	2	3
18.	पंजाब	92284
19.	राजस्थान	138019
20.	तमिलनाडु	58995
21.	उत्तरांचल	5729
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	101771
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	43670
24.	पश्चिम बंगाल	144226
25.	कोलकाता	22720
26.	चेन्नई	6929
	कुल	1754965

सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोगार्थ
कर्मचारियों को प्रशिक्षण

153. **श्री भर्तृहरि महताब : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गरीबों को सेवा प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) नागरिकों तक जानकारी पहुँचाने में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों और अन्य सहायक कर्मचारियों को सूचना प्रौद्योगिकी में दक्षता प्रदान के लिए प्रत्येक वर्ष कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वर्ष 2004–05 में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा ऐसे 139 कार्यक्रम प्रायोजित किए गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को दिए जाने वाले प्रवेश स्तर के प्रशिक्षण में भी ई–शासन और सूचना प्रौद्योगिकी में दक्षता का प्रशिक्षण दिया जाता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र भी सरकारी कर्मचारियों को नियमित आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम, जनता को अच्छी सेवाएँ प्रदान करने के लिए अधिकारियों को सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए समर्थ बनाने में सहायक होते हैं।

(ग) अधिकांश केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों ने, आम नागरिकों की, सूचना तक पहुँच में सुधान लाने के आशय से वैब साइट बनाई हैं। कई शहरों और जिलों ने सूचना प्रौद्योगिकी आधारित जानकारी और सेवाएँ प्रदान करने संबंधी सुविधाएँ विकसित की हैं जिससे आम नागरिकों की, सूचना प्राप्त करने की पहुँच में सुधार हुआ है। आंध्र प्रदेश में ई–सेवा, कर्नाटक में भूमि, राजस्थान में जन–मित्र, गुजरात में महती शक्ति, और मध्य प्रदेश में ज्ञानदूत, इस तरह की सुविधाएँ हैं। भारत सरकार ने लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन, सूचना तक लोगों की पहुँच बनाने के आशय से सूचना का स्वातंत्र्य अधिनियम अधिनियमित किया है।

अस्पतालों के उन्नयन हेतु सहायता

154. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष के दौरान सरकार को संबंधित राज्यों में अस्पतालों के उन्नयन हेतु उन्हें सहायता देने के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों विशेषरूप से गुजरात सरकार से कई अनुरोध प्राप्त हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) नौंवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में राज्यवार कुल कितने अस्पताल उन्नत/आधुनिकीकृत किए गये तथा कुल कितनी राशि जारी की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित नगरों/शहरों के राज्यीय अस्पतालों की आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक प्रायोगिक (पायलॅट) परियोजना है जिसके अर्न्तगत राष्ट्रीय राज्यमार्गों के दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में भाने वाले राज्य सरकार के चुनिंदा अस्पतालों में दुर्घटना एवं आपातकालीन सेवाओं के संवर्धन और उन्नयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिकतम 1.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उपर्युक्त परियोजना के अन्तर्गत, इस मंत्रालय को वित्तीय सहायता के लिए गुजरात सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कई प्रस्ताव प्राप्त हुए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन है।

(घ) ब्योरा **विवरण** के रूप में संलग्न है।

विवरण

नौंवी योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के नगरों/शहरों पर स्थित राज्यीय अस्पतालों की आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न राज्यों को राज्य–वार जारी की गई वित्तीय सहायता का ब्योरा

अरुणाचल प्रदेश:

1. वर्ष 2000–2001 के दौरान पासीघाट जनरल अस्पताल, अरुणाचल प्रदेश में आपातकालीन परिचर्या और दुर्घटना सुविधाओं की स्थापना के लिए 59.00 लाख रुपये।

2. वर्ष 2001–2002 के दौरान जनरल अस्पताल, नहरलागुन में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 116.97 लाख रुपये।

बिहार:

1. वर्ष 1999–2000 के दौरान पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना में इंदिरा गांधी केन्द्रीय आपात एकक के आधुनिकीकरण और उसे अधतन बनाने के लिए 53.00 लाख रुपये।

2. वर्ष 2001–2002 के दौरान इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना को अभिघात केन्द्र की स्थापना के लिए 150.00 लाख रुपये।

3. वर्ष 2001–2002 के दौरान पटना में राजमार्ग अभिघात केन्द्र सहित मॉडेल बिक्रम रेफरल केन्द्र में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रुपये।

4. वर्ष 2001–2002 के दौरान ऑन्सी, जिला मधुबनी में अभिघात केन्द्र के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 62.71 लाख रुपये।

गुजरात:

1. वर्ष 2001–2002 के दौरान जनरल अस्पताल, नाडियाड, जिला खेड़ा में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रुपये।

हरियाणा:

1. वर्ष 1999–2000 के दौरान जनरल अस्पताल, करनाल को अभिघात केन्द्र की स्थापना के लिए 150.00 लाख रुपये।

जम्मू और कश्मीर:

1. वर्ष 2001–2002 के दौरान मुरगन्द, कंगन में श्रीनगर–लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन/अभिघात सेवाओं के विकास के लिए 150.00 लाख रुपये।

केरल:

1. वर्ष 2001–2002 के दौरान जनरल अस्पताल, ऐरणाकुलम में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 150.00 लाख रुपये।

मध्य प्रदेश:

1. वर्ष 1999–2000 के दौरान महाराजा यशवन्त राव अस्पताल, इंदौर में अभिघात केन्द्र के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 97.00 लाख रुपये।

मिजोरम:

1. वर्ष 2001–2002 के दौरान सिविल अस्पताल, लुंगलेई में में आपात सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 58.30 लाख रुपये।

2. वर्ष 2001–2002 के दौरान सिविल अस्पताल, ऐजवाल में दुर्घटना और आपात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 74.30 लाख रुपये।

पांडिचेरी:

1. वर्ष 2000–2001 के दौरान जनरल अस्पताल, माहे में आपात सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 78.00 लाख रुपये।

सिक्किम:

1. वर्ष 2000–2001 के दौरान एस.टी.एन.एम., अस्पताल, गंगटोक में आपात परिचर्या एकक के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 70.00 लाख रुपये।

त्रिपुरा:

1. वर्ष 2000–2001 के दौरान त्रिपुरा सुन्दरी अस्पताल (दक्षिण जिला) उदयपुर में में आपात सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 70.00 लाख रुपये।

तमिलनाडु:

1. वर्ष 2001–2002 के दौरान जिला मुख्यालय अस्पताल, पेरम्बलूर में दुर्घटना एवं आपात सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 105.00 लाख रुपये।

उत्तर प्रदेश:

1. 2000–2001 के दौरान किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज, लखनऊ में अभिघात केन्द्र की स्थापना करने के लिए 150.00 लाख रुपये।

सकल घरेलू उत्पाद

155. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003–04 में सभी क्षेत्रों तथा कृषि क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता क्या रही;

(ख) चालू वर्ष में कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद कितना रहा है:

(ग) क्या सरकार की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद को प्राप्त करने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस) : (क) "कृषि, वानिकी तथा मत्स्य" क्षेत्र में प्रचालित मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान 560482 करोड़ रु. है जो 2003–04 के दौरान 2523872 करोड़ रु. के देश के कुल सकल घरेूल उत्पाद का 22.2 प्रतिशत है।

(ख) योजना आयोग द्वारा वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं इसलिए चालू वर्ष में कृषि क्षेत्र में प्रक्षेपित सकल घरेलू उत्पाद उपलब्ध नहीं है।

(ग) दसवीं योजना के सकल घरेलू उत्पाद लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेजों में अपेक्षित उपाए दर्शाए गए हैं।

(घ) दसवीं योजना प्रस्तावों में अन्य बातों के साथ–साथ आधारिक संरचना तथा सामाजिक क्षेत्र में भारी निवेश, प्रयुक्त संसाधनों की क्षमता में बढ़ोतरी करना, सृजित क्षमता का पूरा सहयोग करना, निवेशक हितैषी वातावरण तैयार करना तथा वितरण व्यवस्था की क्षमता में बढ़ोतरी करना शामिल है। कृषि क्षेत्र में दसवीं योजना प्रस्ताव में सिंचाई में बृहत् सार्वजनिक निवेश, व्यापार एवं वाणिज्य के अंतर्राज्यीय अवरोधों को दूर करना, कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम में संशोधन करना, कृषीय–व्यापार तथा कृषीय–उद्योग निर्यात को उदार बनाना, संविदा कृषि को प्रोत्साहन देना, सभी पण्य वस्तुओं में भावी व्यापार की अनुमति देना और भण्डारण एवं व्यापार के वित पोषण संबंधी प्रतिबंधों को हटाना शामिल है।

सहायता इकाइयों का बन्द किया जाना

156. श्री जुएल ओराम : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी (नालको) पर निर्भर कई सहायक इकाइयों को बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ऐसी सहायक इकाइयों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या रुग्ग इकाइयों के लिए नाल्को द्वारा कोई पुनर्वास योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी नहीं, उपलब्ध सूचना के अनुसार, नाकलो पर निर्भर किसी सहायक इकाई को बंद नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन

157. **श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने कोल्हापुर, लातूर, चन्द्रपुर, गढ़चिरोली तथा अमरावती के सरकारी मेडिकल कालेजों तथा सिविल अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं को रीजनल रैफरल सेन्टरों में उन्नत करने हेतु जापान की अनुदान सहायता से लगभग 21.45 करोड़ रुपये की लागत वाली मशीनरी तथा आवश्यक उपकरणों की खरीद हेतु एक प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) जी, हां। 21.45 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कोल्हापुर, लातूर, चन्द्रपुर, गढ़चिरोली और अमरावती में सिविल अस्पतालों और सरकारी मेडिकल कालेजों का क्षेत्रीय रेफरल केन्द्रों में उन्नयन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को वर्ष 2002 में वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय, आर्थिक–कार्य विभाग के माध्यम से जापान सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। जापान दूतावास ने अपने दिनांक 23 नवम्बर, 2004 के पत्र के तहत यह सूचित किया है कि उपर्युक्त प्रस्ताव को वित्तीय सहायता के लिए स्वीकार नहीं किया गया है।

भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का विदेशी दौरा

158. **श्री हरिभाऊ राठौड़ :**

श्री उदय सिंह :

श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

श्री ब्रजेश पाठक :

श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन महीनों में आज तक प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री सहित विभिन्न देशों का दौरा करने वाली भारतीय प्रतिनिधिमण्डलों का देश–वार ब्योरा क्या है;

(ख) उक्त अवसरों पर की गई तथा हस्ताक्षी किए गए समझौतों का उन समझौतों की शर्तों सहित ब्योरा क्या है;

(ग) उक्त समझौतों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले संभावित लाभ कौन से हैं; और

(घ) विदेशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) से (घ) पिछले तीन महीनों के दौरान प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री के दौरों सहित भारतीय शिष्टमंडलों के दौरे का ब्योरा, की गई चर्चाओं के ब्यौरे, हस्ताक्षरित संधियों, हासिल होने वाले संभावित लाभों तथा अन्य देशों के साथ संबंधो को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का देशवार ब्योरा नीचे दिया गया है:

भूटान

I

(क) से (घ) विदेश मंत्री, श्री के. नटवर सिंह ने 12–13 अक्टूबर, 2004 को भूटान का दौरा किया। विदेश मंत्री का स्वागत महामहिम राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक द्वारा किया गया था और सुरक्षा संबंधी मामलों सहित आपसी हितों के द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर वृहत् चर्चा हुई थी। इस दौरे से भारत और भूटान के बीच निकट एवं आपसी हित के द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने तथा इसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक बेहतर अवसर हासिल हुआ।

II

(क) से (घ) विदेश राज्य मंत्री, श्री राव इंद्रजीत सिंह ने छुत्से पेनेलोप के रूप में एच आर एच क्राउन प्रिंस के मानाभिषेक समारोह के अवसर पर भूटान (20–24 अक्टूबर, 2004) का

दौरा किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने मंत्री को भेजने की भारत सरकार की चेष्टा को भूटान की शाही सरकार ने काफी सराहना की थी। इस दौरे के दौरान, राज्य मंत्री (विदेश) ने परियोजना कार्यान्वयन पद्धति पर एक संधि को भी हस्ताक्षरित किया, जिससे भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत चल रही भारत सरकार-समर्थित परियोजनाओं का कार्यान्वयन और निगरानी के सरल होने की आशा है।

श्रीलंका

(क) विदेश मंत्री श्री ई. अहमद ने 24-26 अगस्त, 2004 को श्रीलंका का दौरा किया।

(ख) राज्य मंत्री (विदेश) ने आई ओ आर-ए आर सी देशों की बैठक में भाग लिया जिसका उद्देश्य भारतीय महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना था। किसी संधि पर हस्ताक्षर नहीं हुआ था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) दोनों देशों की सरकारों के बीच विभिन्न स्तरों पर निरन्तर सम्पर्क किया जा रहा है; व्यापक आर्थिक साझेदारी संधि के माध्यम से आर्थिक सहयोग संबंधी फ्रेमवर्क को सुदृढ़ करने का कार्य शुरू हो गया है; रक्षा सहयोग बढ़ रहा है; आधारभूत और परिवहन सम्पर्कों में वृद्धि हो रही है।

ईरान

(क) श्री जे. एन. दीक्षित, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने डॉ. हसन रोहानी, सेक्रेटरी, ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्यूरिटी काउन्सिल के बुलावे पर 17-18 अक्टूबर, 2004 को मुस्लिम गणराज्य ईरान का दौरा किया।

(ख) अपने दौरे के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अपने दूसरे पक्ष डॉ. रोहानी से व्यापक चर्चा हुई। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति होज्जतसलम मोहम्मद खाटमी तथा एक्सपेडिएन्सी काउन्सिल के चेयरमैन होज्जतसलम अलि अकबर रफसंजानी और स्पीकर मजलिस डॉ. गुलाम अली हदद अदल से भी मुलाकात की। श्री दीक्षित ने ईरान के विदेश मंत्री, डॉ. कमल खराजी से भी मुलाकात की। विचार-विमर्शों में, दोनों पक्षों ने अपनी द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने तथा और अधिक सुदृढ़ करने के लिए अपने विचारों का आदान-प्रदान किया। दोनों पक्षों ने ऊर्जा, पारगमन तथा व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहन करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। ईरान और अफगानिस्तान सहित श्रेत्रीय मुद्दों पर विचार विनिमय हुआ। ईरानी पक्ष ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग हेतु भारत के प्रयासों के लिए भारतीय पक्ष की सराहना भी की। इस दौरे के दौरान किसी संधि पर हस्ताक्षर नही हुआ था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) भारत और ईरान अपने बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों के सहयोगात्मक स्वरूप को बढ़ाने तथा सुदृढ़ करने के लिए कटिबद्ध हैं तथा सामरिक सहयोग हेतु एक फ्रेमवर्क तैयार करने की आवश्यकता के प्रति सचेत हैं। जनवरी 2003 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित रोड मैप टू स्ट्राटेजिक कोऑपरेशन संबंधी समझौता ज्ञापन के अनुसार, दोनों देश राजनीतिक वार्त्ता, ऊर्जा, व्यापार तथा पारगमन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए सकेंद्रित नीति अपना रहे हैं।

अफगानिस्तान

(क) श्री जे. एन. दीक्षित, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने 19 अक्टूबर 2004 को अफगानिस्तान का दौरा किया।

(ख) काबुल में अपने संक्षिप्त दौरे के दौरान, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने राष्ट्रपति करजई, उप राष्ट्रपति एवं रक्षा मंत्री मार्शल फाहिम तथा विदेश मंत्री डॉ. अब्दुल्ला से मुलाकात की। बैठकों में दोनों पक्षों ने सामान्य हित के द्विपक्षीय, श्रेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। चर्चा का केन्द्र अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारतीय सहायता कार्यक्रम था। अफगान पक्ष ने अफगानिस्तान के आर्थिक पुनर्निर्माण और पुनर्वास में भारत के व्यापक अंशदान के लिए अपना आभार व्यक्त किया। इस दौरे के दौरान किसी संधि पर हस्ताक्षर नहीं हुआ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) अफगानिस्तान के साथ संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए, उच्च स्तरीय राजनीतिक विनियमों के माध्यम से अफगानी नेतृत्व के विभिन्न विभागों के साथ सघन राजनीतिक सम्पर्क स्थापित किया गया है और भारत सरकार ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए व्यापक मानवीय, वित्तीय और परियोजना सहायता प्रदान की है।

कतर

(क) श्री ई. अहमद, विदेश राज्य मंत्री ने 15–16 सितम्बर, 2004 के दौरान दौरा किया।

(ख) से (घ) महामहिम श्री अहमद बिन अब्दुल्ला अल महमूद, विदेश राज्य मंत्री के साथ विचार–विमर्श हुआ। विचार–विमर्श में द्विपक्षीय संबंध, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामले शामिल थे। इस दौरे के दौरान किसी संधि पर हस्ताक्षर नहीं हुआ था।

संयुक्त अरब अमीरात

(क) डा. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति ने श्री ई. अहमद, विदेश राज्य मंत्री, श्री पी.आर. चौहान, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर 3–4 नवम्बर 2004 को आबूधाबी का दौरा किया और संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रपति शेख जईद सुल्तान बिन अल नाहन के निधन पर शोक संतप्त अल नाहन परिवार को सांत्वना प्रदान की।

(ख) से (घ) दौरा संयुक्त अरब अमीरात, जहाँ भारत के 1.2 मिलियन लोग रहते हैं और हमारे उत्पादों का काफी बड़ा बाजार है, के साथ अपने संबंधों के महत्व को परिभाषित करने के लिए किया गया था। शेख जईद ने इस संबंध को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

ओमान

(क) श्री ई. अहमद, विदेश राज्य मंत्री ने 4 से 7 नवम्बर 2004 के बीच दौरा किया।

(ख) से (घ) विदेश मामले संबंधी मंत्री, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, जनशक्ति मंत्री तथा संस्कृति एवं विरासत मंत्री (महामहिम सईद हैथम बिन तारीक अल सैद, शाही परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य) के साथ चर्चाएं हुई। चर्चाओं में आपसी हित, द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों के मामले तथा ओमान में रह रहे भारतीय श्रमबल से संबंधित मुद्दे शामिल थे। इस दौरे के दौरान किसी संधि पर हस्ताक्षर नहीं हुआ था।

तंजानिया

(क) राष्ट्रपति डा. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम ने 10–14 सितम्बर 2004 के बीच तंजानिया का दौरा किया।

(ख) सम्माननीय राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति मकपा और कई अन्य मंत्रियों के साथ आपसी हित के मामलों पर चर्चा की। विचार–विमर्श के महत्वपूर्ण विषयों में कृषि तथा घरेलू उद्योगों के क्षेत्रों में तंजानिया को दी जाने वाली सहायता शामिल थे। दोनों देशों के बीच सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भी चर्चा हुई थी। तंजानिया के साथ दो समझौते हुए; पहला इसे पहले दिए गए ऋण को समाप्त करना तथा दूसरा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए था। टेलि–एजुकेशन एवं टेलि–मेडिसीन के लिए पान–अफ्रीकी सेटेलाईट/फाईबर–ऑप्टिक नेटवर्क हेतु सहायता पर भी चर्चा हुई थी।

ये दौरे अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारने और सुदृढ़ बनाने के लिए तथा सामान्य रूप से अफ्रीकी देशों और विशेष रूप से तंजानिया एवं दक्षिण अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को प्रोत्साहन देने के लिए लक्षित थे। ये दौरे भारत के 'फोकस अफ्रीका' नीति के अधीन थे।

भारत के 'फोकस अफ्रीका' नीति के एक हिस्से के रूप में, सरकार अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारने और सुदृढ़ बनाने के लिए निरन्तर प्रयासरत रही है। कुछेक अफ्रीकी देशों द्वारा उठाई जा रही आर्थिक कठिनाइयों से निपटने के लिए, भारत अनाज और दवाईयों के रूप में सहयोग देकर इन देशों की सहायता करता रहा है। उनके मानव संसाधन विकास में सहायता देने के लिए भारत अफ्रीकी नागरिकों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण भी देता आ रहा है।

दक्षिण अफ्रीका

(क) से (घ) राष्ट्रपति डा. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम ने 15–17 सितम्बर, 2004 के बीच दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति म्बेकी तथा कुछ अन्य हस्तियों, जिसमें डा. नेल्सन मंडेला शामिल हैं, से मुलाकात की। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों क्षेत्रों में आपसी महत्व के मुद्दों पर चर्चा हुई। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ।

ये दौरे अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारने और सुदृढ़ बनाने के लिए तथा सामान्य रूप से अफ्रीकी देशों और विशेष रूप से तंजानिया एवं दक्षिण अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को प्रोत्साहन देने के लिए लक्षित थे। ये दौरे भारत के 'फोकस अफ्रीका' नीति के अधीन थे।

भारत के 'फोकस अफ्रीका' नीति के एक हिस्से के रूप में, सरकार अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारने और सुदृढ़ बनाने के लिए निरन्तर प्रयासरत रही है। कुछेक अफ्रीकी देशों द्वारा उठाई जा रही आर्थिक कठिनाईयों से निपटने के लिए, भारत अनाज और दवाईयों के रूप में सहयोग देकर इन देशों की सहायता करता रहा है। उनके मानव संसाधन विकास में सहायता देने के लिए भारत अफ्रीकी नागरिकों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण भी देता आ रहा है।

संयुक्त राज्य अमरीका

(क) न्यूयार्क में सितम्बर, 2004 में आयोजित हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 59वें सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री भी गए और संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लिया।

(ख) से (घ) प्रधान मंत्री ने 23 सितम्बर, 2004 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के उनके संबोधन में और प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री की द्विपक्षीय चर्चाओं में अंतर्राष्ट्रीय कार्यसूची के कई महत्वपूर्ण मामलों को शामिल किया गया था। भारत की सक्रिय और रचनात्मक भागीदारी रही थी।

प्रधानमंत्री ने 21 सितम्बर, 2004 को न्यूयार्क में राष्ट्रपति बुश से मुलाकात की। उन्होंने व्यापक मुद्दों पर चर्चा की जिसमें द्विपक्षीय संबंधों, आतंकवाद और विश्वव्यापी व्यापार में वृद्धि शामिल थे। दोनों नेताओं ने आपसी महत्व के व्यापक मामलों पर विचारों का आदान–प्रदान किया तथा विश्व को एक सुरक्षित स्थल बनाने की अभिभावी प्राथमिकता पर सहमति जाहिर की। वे सहमत हुए कि भारत और संयुक्त राज्य के बीच सुदृढ़ साझेदारी, दोनों राष्ट्रों के मूल्यों और परम्पराओं की भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में एकसाथ मिलकर काम करने से व्यापक सुरक्षा और समृद्धि में वृद्धि होगी।

संयुक्त राज्य के साथ संबंधों को आगे और सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार सामरिक साझेदारी के अगले कदमों, उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग दल तथा द्विपक्षीय आर्थिक वार्ता पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। इससे पहले ही दोहरे उपयोग के निर्यातों तथा संयुक्त राज्य से उच्च प्रौद्योगिकी मदों पर उदारवादी लाईसेंसों के रूप में परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। कनाडा के संबंध में भारत को आधारभूत ढांचा के क्षेत्र में निवेश हासिल हो रहा है।

वियतनाम

(क) विदेश मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने 15–18 अक्तूबर, 2004 के बीच हनोई का दौरा किया।

(ख) यह दौरा 12वें भारत–वियतनाम संयुक्त आयोग से संबंधित था और राष्ट्रपति हो ची मिन्ह के साथ पंडित नेहरू की बैठक की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में था। इस दौरे के समस्त क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2004–2006 हेतु एक कार्य योजना के साथ–साथ संयुक्त सम्मत कार्यवृत्त को अपनाया गया था।

(ग) 12वें संयुक्त आयोग और वर्ष 2004–2006 के लिए कार्य योजना के सहमत कार्यवृत्त में सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए गतिविधियों की स्पष्ट रूप से पहचान करने की व्यवस्था है।

(घ) द्विपक्षीय क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संदर्भ में हमारे संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार सभी देशों के साथ नियमित और संपर्क बनाए रखती है इसमें उच्च स्तरीय द्विपक्षीय दौरे बहुपक्षीय संस्थाओं में संपर्क और हमारे मिशन द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले प्रयास शामिल हैं।

थाईलैंड

(क) विदेश मंत्री ने 15/16 अक्तूबर 2004 को अपने हनोई दौरे के दौरान बैंकॉक की यात्रा की।

(ख) किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए क्योंकि यह केवल एक पारगमन यात्रा थी। तथापि विदेश मंत्री के पास बढ़ते हुए द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति को समझने के लिए अपने थाई प्रतिपक्षी से बैठक करने का अवसर था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) द्विपक्षीय क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संदर्भ में हमारे संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार सभी देशों के साथ नियमित और संपर्क बनाए रखती है इसमें उच्च स्तरीय द्विपक्षीय दौरे बहुपक्षीय संस्थाओं में संपर्क और हमारे मिशन द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले प्रयास शामिल हैं।

फिलीस्तीन

(क) विदेश राज्य मंत्री (विदेश मंत्रालय) श्री ई. अहमद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने 17–19 सितम्बर 2004 को फिलीस्तीन का दौरा किया।

(ख) दौरा करने वाले प्रतिनिधिमण्डल ने राष्ट्रपति यासिर अराफात, फिलीस्तीनी नेशनल अथोरिटी के अध्यक्ष और विदेश मंत्री श्री नबिल शा अथ से भेंट की। इन बैठकों के दौरान, मध्य पूर्वी शांति प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों के साथ–साथ परस्पर हित के अन्य द्विपक्षीय क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया। यात्रा के दौरान विदेश राज्य मंत्री (विदेश मंत्रालय) ने 12 टाटा सफारी गाडियां और 2 करोड़ रु. मूल्य की दवांईयां पूर्ण रूप से फिलीस्तीनी नेशनल अथोरिटी को सौंपी। इस यात्रा के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस यात्रा ने फिलीस्तीनी नेशनल अथोरिटी के राहत और पुनर्निर्माण प्रयासों सहित फिलीस्तीनी के हित के लिए भारत सरकार की सतत वचनबद्धता और समर्थन प्रदर्शित किया।

मिस्त्र

(क) से (घ) विदेश मंत्री की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें रेल मंत्री, संसदीय कार्य और शहरी विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री, श्री सीताराम येचुरी सीपी एम पोलित ब्यूरो, श्री राजीव सिकरी सचिव पूर्व और अन्य अधिकारी शामिल थे, ने राष्ट्रपति यासिर अराफात, फिलीस्तीनी नेशनल अथोरिटी के अध्यक्ष के सम्मान के काहिरा में आयोजित शोक सभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

पनामा/कोलंबिया/एल सल्वाडोर/डोमिनकन रिपब्लिक

(क) से (घ) श्री राव इन्द्रजीत सिंह, विदेश राज्य मंत्री ने 30 अगस्त से 9 सितंबर 2004 तक द्विपक्षीय और व्यापार संबंधों को बढ़ाने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता की हमारी उम्मीदवारी का समर्थन पाने, आर्थिक शक्ति के रूप में भारत के उभार को बल देने और क्षेत्र में हमारी वचनबद्धता पर बल देने के लिए पनामा, कोलम्बिया, एल सल्वाडोर और डोमिनिक रिपब्लिक का दौरा किया।

दक्षिण अमेरिकी और कैरेबीयाई क्षेत्रों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर साथ कार्य करने के लिए व्यापक राजनैतिक समझ की पहचान हेतु विद्यमान संबंध को सुदृढ़ और व्यापक बनाने, व्यापार और वाणिज्यि को बढ़ाने के तरीके खोजने पर हमारी नीति बल दे रही है। राजनैतिक संवाद में क्षेत्रीय समूहों को संलग्न करने के लिए पहल की जा रही है। भारत ने पूरे क्षेत्र को शामिल करते हुए मरकोसर, कैन (एंडियन समुदाय) करिकोम और सीका जैसे क्षेत्रीय समूहों के साथ रूपरेखा समझौता संपन्न किया है।

कज़ाकिस्तान

(क) से (घ) विदेश मंत्री ने 21–22 अक्तूबर, 2004 को अलमाती, कज़ाकिस्तान में आयोजित एशिया में संपर्क और विश्वासोत्पादक उपाय पर सम्मेलन (सी आई सी ए) की अनुसचिवीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक में निम्न दस्तावेजों को अपनाया गया :–

1. विश्वासोत्पादक उपायों की सी आई सी ए तालिका
2. सी आई सी ए नियम व प्रक्रिया।

विदेश मंत्री के कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नजरबायेव और विदेश मंत्री टोकायेव के साथ द्विपक्षीय परामर्श के अवसर का भी उपयोग किया। इस यात्रा के दौरान कोई समझौता संपन्न नहीं किया गया। दो द्विपक्षीय बैठकों में तेल और गैस सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक के दौरान चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक भी आयोजित की गई। सी आई सी ए अनुसचिवीय बैठक ने सी आई सी ए के क्रमिक विकास की दिशा में एक कदम बढ़ाया। व्यापक बल और विश्वास को बढ़ाने की अपनी वचनबद्धता को कायम रखने के लिए भारत सी आई सी ए में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है।

चीन

(क) से (घ) राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री जे. एन. दीक्षित ने 17–19 नवंबर, 2004 को चौथी विशेष प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित करने के लिए चीन का दौरा किया।

बेल्जियम

(क) विदेश मंत्री ने 12–14 सितंबर, 2004 को बेल्जियम का दौरा किया।

(ख) विदेश मंत्री ने डच विदेश मंत्री श्री बनार्ड बोत ई यू हाई रीप्रेसेंटेटिव फॉर कॉमन फोरन एण्ड सिक्योरिटी पोलिसी श्री जेवियर सोलाना, विदेशी संबंधों के यूरोपीय आयुक्त, श्री क्रिस पैटेन, विदेशी संबंधों के लिए नामित यूरोपीय आयुक्त, सुश्री बेनिता फेरेरो वाल्डनर और बेल्जियम विदेश मंत्री श्री केरेल डे गुश से भेंट की। वार्ताएं 5वें भारत–यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की तैयारी पर केन्द्रित थीं। दोनों पक्षों ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। इस यात्रा के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह यात्रा, नीदरलैंड में हेग में पांचवे भारत–यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की तैयारी से संबंधित थी।

ब्रिटेन

(क) प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विदेश मंत्री सहित एक प्रतिनिधिमण्डल ने 19–20 सितंबर 2004 को ब्रिटेन का दौरा किया।

(ख) प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक वार्ताएं की। विदेश मंत्री ने ब्रिटेन के विदेश सचिव श्री जैक स्ट्रॉ से अलग से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय ब्रिटिश सामूहिक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और ब्रिटिश संसद में भारत समूह के लेबर पार्टी के मित्रों के प्रतिनिधिमण्डल से भेंट की। यात्रा के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने 'भारत–ब्रिटेनः नए और सक्रिय भागीदारी की ओर' विषय पर एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जिसमें हमारे नीतिगत संबंधों में भावी सहयोग के क्षेत्रों को रेखांकित किया गया।

नीदरलैंड

(क) प्रधानमंत्री ने 7 से 9 नवंबर, 2004 को द हेग में 5वें भारत–यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री वाले एक प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया।

(ख) यूरोपीय संघ के पक्ष का नेतृत्व डच प्रधानमंत्री श्री जेन पीटर बाल्केनेन्डे ने यूरोपीय परिषद के प्रेसिडेंट–इन–ऑफिस के अपने धारित के रूप में किया। जिसमें यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री रोमानो प्रोडी शामिल थे। हम द्विपक्षीय संबंधों तथा संसदीय आदान–प्रदान व सिविल सोसाइटी संपर्क और ऊर्जा, पर्यावरण तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ और गहरा बनाने पर सहमत हुए। हम संयुक्त राष्ट्र संशोधन और आंतकवाद से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री ने महारानी बिएट्रिक्स से मुलाकात की और "भारत यूरोपीय संघ व्यापार गोल मेज" – भारतीय और यूरोपीय सी ई ओ के चयनित समूह में भाग लिया। विदेश मंत्री ने डच विदेश मंत्री बर्नाड बोत के साथ द्विपक्षीय बैठक की यात्रा के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) शिखर सम्मेलन की समाप्ति पर पारस्परिक हित के विभिन्न मुद्दों पर हमारे सांझा दृष्टिकोण प्रदर्शित करने वाली एक संयुक्त प्रैस विज्ञप्ति स्वीकार की गई। सांस्कृतिक सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा पत्र, जिसे संयुक्त प्रैस विज्ञप्ति के साथ संलग्न किया गया है, कला और स्मारकों के कार्यो के संरक्षण और जीर्णोद्धार में तकनीक और तकनीकी जानकारी के साथ विद्वानों और छात्रों का आदान प्रदान करने के साथ संस्कृति के क्षेत्र में हमारे बढ़े हुए सहयोग के लिए एक व्यापक रूपरेखा उपलब्ध कराएगी।

पांचवा भारत–यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन भारत–यूरोपीय संघ संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने एक महान क्षेत्रीय और वैश्विक भागीदार के रूप में भारत की बढ़ती हुई स्थिति को स्वीकार करते हुए "भारत–यूरोपीय संघ नीतिगत भागीदारी" की शुरूआत की।

विदेशी गणमान्य व्यक्तियों का दौरा

159. श्री सुरेश अंगड़ि :

श्री गुरूदास कामत :

श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :

श्री एस. के. खारवेनथन :

श्री विजयकृष्ण :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अगस्त 2004 से अब तक भारत का दौरा करने वाले विदेशी गणमान्य व्यक्ति कौन से हैं;

(ख) प्रत्येक गणमान्य व्यक्ति के साथ किन–किन मुद्दों पर चर्चा की गई;

(ग) क्या उनके साथ कोई द्विपक्षीय समझौता किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इन समझौतों के फलस्वरूप भारत को होने वाले संभावित लाभ सहित तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) अन्य देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) से (ङ) अगस्त, 2004 से आज तक भारत की यात्रा करने वाले विदेश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का देशवार ब्योरा निम्नलिखित है:

नेपाल

(क) से (ङ) नेपाल के प्रधान मंत्री महामहिम श्री शेर बहादुर देउबा ने अपने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रियों से निर्मित एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 8 से 12 सितम्बर, 2004 के बीच भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के साथ व्यापक चर्चा की। इन चर्चाओं का मुख्य विषय नेपाल की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति और माओवादी समस्या से उत्पन्न होने वाले पारस्परिक हित के सुरक्षा संबंधी मुद्दे थे।

अन्य मुद्दे जिन पर चर्चा हुई वे हैं संयुक्त बाढ़ प्रबंधन और नियंत्रण, सीमा के दोनों ओर की जनता को प्रभावित करने वाली बाढ़ की समस्या, शीघ्र की समाप्त होने वाली प्रत्यर्पण संधि और आपराधिक मामलों पर पारस्परिक विधिक सहायता संबंधी समझौता, नेपाल में आर्थिक सहयोग और बुनियादी ढांचागत विकास परियोजनाएं, इत्यादि।

संस्कृति और खेल के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिससे इन क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग के लिए आवश्यक रूपरेखा उपलब्ध होगी।

मौसम अनुमान के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ जिसमें नेपाल में इनसैट ग्राउण्ड रिसीविंग स्टेशन के गठन की परिकल्पना की गई है।

बंगलादेश

(क) बंगलादेश के विदेश मंत्री श्री एम मुर्शीद खान ने 31 अक्तूबर – 2 नवम्बर, 2004 के बीच भारत की यात्रा की।

(ख) इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को प्रगाढ़ करने और पारस्परिक हित के अन्य मुद्दों सहित द्विपक्षीय हित के मामलों पर चर्चा हुई। सीमा प्रबंधन पर भारत की हित चिंताओं, भारतीय विद्रोही दलों और अवैध घुसपैठ के मुद्दे दोहराए गए। बंगलादेश ने आश्वासन दिया कि वह भारत के हितों के विरुद्ध गतिविधियों के लिए अपने क्षेत्र के प्रयोग की अनुमति नहीं देने के लिए प्रतिबद्ध है। बंगलादेश के विदेश मंत्री ने जनवरी, 2005 में ढाका में आयोजित होने वाले 13वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया।

(ग) इस यात्रा के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) दोनों सरकारों के बीच अनेक मुद्दों पर अनेक स्तरों पर नियमित रूप से संस्थागत संपर्क स्थापित होता है; आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ करने और उसके संस्थागत स्वरूप को सुधारने और जनता का जनता से संपर्क बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं, हाल ही में अनेक विशेष उपाय किए गए हैं; जिसमें 100.00 करोड़ रुपये की बाढ़ राहत सहायता और 150 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण पत्र शामिल हैं। भारत सार्क प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है और उसने सार्क गतिविधियों के लिए अधिकांश जिम्मेदारियां संभाली हैं और सार्क के भीतर अन्य प्रकार के आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी सहयोग का सक्रिय प्रवर्तन किया है। भारत इस क्षेत्र में संवर्धित पारस्परिक समझ और सद्भावना बनाए रखने के लिए जनता की जनता के प्रति पहल का सक्रिय समर्थन करता है।

मालदीव

(क) श्री अहमद अब्दुल्ला मालदीव के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने मालदीव के राष्ट्रपति के विशेष दूत के तौर पर 24 से 26 अगस्त, 2004 के बीच भारत की यात्रा की।

(ख) श्री अब्दुल्ला ने 25 अगस्त, 2004 को विदेश मंत्री से मुलाकात की और द्विपक्षीय हित के हाल के घटनाक्रमों मामलों पर विचारों का आदान–प्रदान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित मालदीव के राष्ट्रपति गयूम के पत्र को भी सौंपा।

(ग) इस यात्रा के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत और मालदीव के घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। इन संबंधों को नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान के माध्यम से मजबूत रखा गया है। भारत मालदीव में बुनियादी संरचनात्मक सुविधाएं विकसित करने के अपने प्रयासों में मालदीव को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। हम सिविल और रक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में मालदीव के अधिकर्मियों को प्रशिक्षण सुविधाएं भी प्रदान कर रहे हैं।

श्रीलंका

(क) राष्ट्रपति चंद्रिका भण्डारनाइके कुमारतुंगा (3 से 7 नवंबर, 2004) विपक्ष के नेता रानिल विक्रमसिंघे (10 से 14 अक्तूबर, 2004)

(ख) इस यात्रा के दौरान अनेक प्रकार के द्विपक्षीय संबंधों और पारस्परिक हित के अन्य मामलों पर चर्चा हुई। आगंतुक नेताओं ने भारतीय नेतृत्व को श्रीलंका में शांति प्रक्रिया की स्थिति के संबंध में जानकारी दी।

(ग) इस यात्रा के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) दोनों देशों की सरकारों के बीच अनेक स्तरों पर अनेक बार संपर्क स्थापित हुए; समेकित आर्थिक भागीदारी समझौते के माध्यम से आर्थिक सहयोग के स्वरूप को सुदृढ़ करने का कार्य आरंभ हो चुका है; रक्षा सहयोग में वृद्धि हो रही है; बुनियादी संरचना और परिवहन संपर्कों को बढ़ाया जा रहा है।

पाकिस्तान

(i) (क) से (घ) पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री खुर्शीद एम. कसूरी ने पाकिस्तान के विदेश सचिव के साथ 4 से 8 सितम्बर, 2004 के बीच भारत की यात्रा की और विदेश मंत्री के साथ 5 से 6 सितम्बर, 2004 के बीच चर्चा की। दोनों मंत्री विभिन्न विषयों पर दोनों देशों के बीच अनेक तकनीकी स्तर की बैठकों के लिए सहमत थे। इन विषयों में निम्नलिखित शामिल हैं:– पारस्परिक और परमाणु सी बी एम पर विशेषज्ञ स्तर की बैठकें, मिसाइल परीक्षणों की पूर्व अधिसूचना पर प्रारूप समझौते पर चर्चा; मुन्नाबाओ खोखरापार रेल संपर्क पर रेलवे प्राधिकारियों के बीच बैठक; सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच बैठक; समझौता ज्ञापन संपन्न करने सहित स्वापक नियंत्रण प्राधिकारियों के बीच बैठक; भारतीय तट रक्षकों और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के बीच अन्य बातों के साथ–साथ दोनों के बीच संचार संपर्क स्थापित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर चर्चा हेतु बैठक; और श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच बस सेवा आरंभ करने से संबंधित सभी मुद्दों पर बैठक। दोनों मंत्रियों ने व्यापार से संबंधित मुद्दों पर विचारार्थ विशेषज्ञ समिति की स्थापना; सर क्रीक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अनुप्रस्थ हिस्से में सीमा स्तंभों के संयुक्त सर्वेक्षण; दोनों देशों के बीच वीसा की किस्मों में पर्यटन वीसा के नए वर्ग को शामिल करने आर समूह पर्यटन प्रवर्तन करने; और एक दूसरे के देश में युवा राजनयिकों/संवीक्षाधीनों के अध्ययन दौरों सहित अपने–अपने विदेश कार्यालयों के बीच संवर्धित संपर्क और आदान–प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की है।

(ii) (क) से (घ) पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री शौकत अज़ीज ने सार्क के अध्यक्ष के तौर पर 23 से 24 नवम्बर, 2004 के बीच भारत की यात्रा की। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के साथ अपनी बैठक के दौरान उन्होंने सार्क से संबंधित मामलों पर विचारों के आदन–प्रदान के अलावा द्विपक्षीय मामलों पर भी विचारों का आदान–प्रदान किया।

(ङ) सरकार पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के साथ विश्वास बनाने, वार्ता और सहयोग की सतत प्रक्रिया को सघन करने के प्रयास लगातार जारी हैं। समेकित वार्ता का पहला दौर (फरवरी से सितंबर, 2004) सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान के प्रवर्तन, विश्वास निर्माण और वाणिज्यिक और आर्थिक संबंधों हेतु भारत द्वारा विभिन्न प्रस्ताव रखे गए। दोनों पक्ष समान हित के मामलों और भावी सहयोग के क्षेत्रों का निर्धारण कर चुके हैं। इस प्रक्रिया को उच्चस्तरीय राजनैतिक संपर्कों द्वारा आगे बढ़ाया गया है जिसमें

24 सितंबर, 2004 को न्यूयार्क में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति मुशर्रफ के बीच हुई बैठक और विदेश मंत्री तथा पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच हुए नियमित संपर्क शामिल हैं। 23 से 24 नवंबर को हुई दिल्ली में सार्क के अध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के प्रधान मंत्री की यात्रा से द्विपक्षीय क्षेत्र में प्रगति हुई है।

म्यांमार

(क) (1) महामहिम सीनियर जनरल थानश्वे म्यांमा संघ के स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष (राष्ट्राध्यक्ष) ने 25 से 29 अक्तूबर, 2004 के बीच उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की आधिकारिक यात्रा की।

(2) थाईलैंड के विदेश मंत्री महामहिम सूराकैर्थ साथीरथाई ने हिंदुस्तान टाइम्स विचार गोष्ठी में भाग लेने के लिए 4 से 6 नवंबर, 2004 के बीच भारत की यात्रा की।

(ख) (1) म्यांमा से अति विशिष्ट व्यक्ति की यात्रा के दौरान समान हित के अनेक द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई।

(2) विदेश मंत्री महामहिम सूराकैर्थ साथारथाई के साथ कोई सार्थक द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई क्योंकि भारत यात्रा का उनका मुख्य उद्देश्य हिंदुस्तान टाइम्स विचार गोष्ठी में भाग लेना था।

(ग) (1) अति विशिष्ट व्यक्ति की यात्रा के दौरान 3 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए नामतः

(ii) गैर परम्परागत सुरक्षा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन;

(iii) सांस्कृतिक आदान—प्रदान कार्यक्रम और;

(iv) तमन्थी जल विद्युत परियोजना के संबंध में पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन के लिए समझौता ज्ञापन।

(2) चूंकि यह द्विपक्षीय यात्रा नहीं थी अतः विदेश मंत्री महामहिम सूराकैर्थ साथीरथाई की यात्रा के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए।

(घ) म्यांमा के साथ हस्ताक्षरित दस्तावेजों से सुरक्षा मामलों, सांस्कृतिक आदान प्रदान और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग संभव हो सकेगा।

(ङ) सरकार द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संदर्भ में हमारे संबंध सुदृढ़ करने के लिए सभी देशों के साथ नियमित और घनिष्ट संपर्क बनाए रखती है। इसमें उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राएं, बहुपक्षीय संस्थानों के साथ संपर्क और हमारे मिशनों द्वारा किए जा रहे दिन प्रतिदिन के प्रयास शामिल हैं।

अफगानिस्तान

(क) डा. अबदुल्ला, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने 31 अगस्त, से 3 सितम्बर, 2004 के बीच भारत की आधिकारिक यात्रा की।

(ख) दोनों पक्षों ने समान हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। चर्चाओं का मुख्य बल अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत के सहायता कार्यक्रम पर था।

(ग) जी, हाँ।

(घ) इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी के बीच पारस्परिक सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दोनों संस्थान अफगानिस्तान के राजनयिक संवर्ग के विशेषज्ञता निर्माण और प्रशिक्षण में सहयोग करेंगे। इस समझौता ज्ञापन में अन्य बातों के साथ—साथ अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए संबंधित संस्थानों द्वारा एक दूसरे के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में राजनयिक अधिकर्मियों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है।

(ङ) अफगानिस्तान के साथ संबंध सुदृढ़ करने के लिए अफगान नेतृत्व के एक वर्ग के साथ उच्च स्तरीय राजनैतिक आदान—प्रदानों के माध्यम से सघन राजनैतिक संपर्क हुए हैं और भारत सरकार ने अफगानिस्तान के पुनर्निमाण के लिए व्यापक मानवीय, वित्तीय और परियोजना सहायता प्रदान की है।

न्यूजीलैंड

(क) महामहिम परम माननीय हेलेन क्लार्क, न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री ने अक्तूबर, 2004 में भारत की आधिकारिक यात्रा की।

(ख) यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री क्लार्क ने राष्ट्रपति से

मुलाकात की और प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री से बातचीत की। प्रधानमंत्री क्लार्क ने सी आई आई और फिक्की के उपस्थित व्यक्तियों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। इस यात्रा के दौरान विविध द्विपक्षीय क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई।

(ग) किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार प्रशांत क्षेत्र में सभी देशों के साथ संबंध सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सिंगापुर

(क) सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री डा. टोनी टैन ने 24 अक्तूबर से 2 नवम्बर तक भारत की यात्रा की।

(ख) इस यात्रा के दौरान, डा. टोनी टैन की विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, मानव संसाधन मंत्री तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बातचीत हुई। यह यात्रा घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने में भारत की सुरक्षा संरचना से लाभान्वित होने के लिए थी। इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय क्षेत्रीय ओर बहुपक्षीय मसलों के अन्य व्यापक क्षेत्रों पर चर्चा हुई।

(ग) कोई करार संपन्न नहीं किया गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के सभी देशों के साथ संबंधों के सुदृढ़ीकरण के लिए वचनबद्ध है।

जापान

(क) से (ङ) विदेश मंत्री सुश्री योरिको कावागुची ने 12 से 14 अगस्त, 2004 तक भारत की यात्रा की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा की। यह निर्णय लिया गया कि भारत और जापान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए दावेदारी में एक–दूसरे को समर्थन देंगे और एक–दूसरे के साथ निकटतापूर्ण रूप से कार्य करेंगे। दोनों पक्षों ने आतंकवाद का मुकाबला करने से संबद्ध एक संयुक्त कार्यदल की स्थापना करने और संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर एक द्विपक्षीय वार्ता करने का भी निर्णय लिया।

कोरिया

(क) से (ङ) राष्ट्रपति श्री रोह मू ह्यून ने 4 से 6 अक्तूबर, 2004 तक भारत की यात्रा की। एक प्रत्यर्पण संधि और परस्पर विधिक सहायता से सम्बद्ध एक संधि सम्पन्न की गई। यात्रा के दौरान एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। दोनों पक्षों ने विदेश नीति और सुरक्षा पर एक नई वार्ता करने और द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संपर्कों का व्यापक पुनरीक्षण करने के लिए एक संयुक्त अध्ययन दल की स्थापना करने का भी निश्चय किया।

कुवैत

(क) कुवैत राज्य के विदेश मंत्री शेख डा. मोहम्मद सबाह अल सालेम अल–सबाह ने 24 से 26 अगस्त, 2004 तक भारत की यात्रा की।

(ख) परस्पर हित के व्यापक द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार विमर्श हुए।

(ग) जी, हां।

(घ) से (ङ) (1) प्रत्यर्पण संधि।

(2) आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायका से सम्बद्ध करार।

(3) भारत कुवैत सामरिक परामर्श दल की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन।

जब प्रत्यर्पण संधि प्रवृत्त होगी, प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए दोषी अथवा सिद्धदोष किसी भी व्यक्ति, जो संधि के एक पक्षकार राज्य द्वारा वांछित हो, को प्रत्यर्पित किया जाएगा।

आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता से संबद्ध करार सभी प्रकार के अपराधों की जांच, अभियोजन तथा उनकी रोकथाम, अपराध की वस्तुओं और हथियारों को खोजने, रोकने, जब्त करने, अथवा समापहरण में सहयोग अथवा आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता के माध्यम से दोनों देशों की प्रभावकारिता को सुधारेंगे।

भारत कुवैत सामरिक परामर्श दल की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच स्थायी तथा दीर्घकालिक आधार पर आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए सचिव, विदेश मंत्रालय और अण्डर सेक्रेटरी, विदेश मंत्रालय, कुवैत राज्य के बीच आवधिक बैठकों को सुविधाजनक बनाएगा।

खाड़ी सहयोग परिषद (जी सी सी)

(क) खाड़ी सहयोग परिषद के महासचिव, श्री अब्दुल रहमान बिन हमद अल अतिय्या ने 24 से 26 अगस्त, 2004 तक भारत की यात्रा की।

(ख) भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच आर्थिक सहयोग पर चर्चा हुई।

(ग) जी, हां।

(घ) से (ङ) भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य राज्यों के बीच आर्थिक सहयोग से सम्बद्ध रूपरेखा करार।

यह करार सूचना तथा विशेषज्ञता के आदान–प्रदान, व्यापार के लिए बाधाओं को हटाने, व्यापार संगठनों के बीच संचार और संपर्क को बढ़ाकर, मुद्रा प्रवाह, व्यापार शिष्टमंडलों को प्रोत्साहित करके और एक मुक्त व्यापार करार के माध्यम जैसे विविध उपायों से विविध क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाना चाहता है।

सेनेगल

(क) सेनेगल के विदेश मंत्री ने 8 से 11 सितम्बर, 2004 तक यात्रा की।

(ख) दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने पर विचार–विमर्श किए गए।

(ग) इस यात्रा के दौरान कोई करार संपन्न नहीं किया गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत पश्चिम अफ्रीका के साथ अपने राजनीतिक आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के प्रयत्न कर रहा है। भारत और पश्चिम अफ्रीका के आठ देशों के साथ एक प्रयास टीम 9 का प्रारंभ संबंधों को अधिक निकट लाने में सहयोग देगा। हमारे द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को गति देने के लिए नई ऋण व्यवस्था स्थापित की गई है।

नाइजीरिया

(क) नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने 2 से 3 नवम्बर, 2004 को मार्गस्थ यात्रा की।

(ख) दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए सहयोग पर विचार–विमर्श हुए।

(ग) इस यात्रा के दौरान कोई करार संपन्न नहीं हुआ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत पश्चिम अफ्रीका के साथ अपने राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के प्रयत्न कर रहा है। भारत और पश्चिम अफ्रीका के आठ देशों के साथ एक प्रयास टीम 9 का प्रारंभ संबंधों को अधिक निकट लाने में सहयोग देगा। द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को गति देने के लिए नई ऋण व्यवस्था स्थापित की गई है।

कोमोरोस

(क) से (घ) विदेश और सहयोग मंत्री श्री सोएफ मोहम्मद अल अमीन ने 23 से 27 अगस्त, 2004 को भारत की यात्रा की। यात्रा पर आए मंत्री ने विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह, शिक्षा राज्य मंत्री श्री मोहम्मद अली अशरफ फात्मी और लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री श्री महावीर प्रसाद से मुलाकात की। द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में परस्पर हित के मसलों पर चर्चा की गई। कृषि जैसे विविध क्षेत्रों में कोमरोस के मंत्री ने भारत की सहायता मांगी।

(ङ) भारत की "फोकस अफ्रीका" नीति के एक अंग के रूप में, सरकार अफ्रीकी देशों के साथ हमारे संबंधों को बराबर सुधारने और सुदृढ़ करने का प्रयत्न कर रही है। कुछ अफ्रीकी देशों के समक्ष आ रही आर्थिक कठिनाइयों को जानते हुए भारत खाद्य सामग्री और दवाईयो के रूप में इन देशों को राहत देकर इन देशों को सहायता दे रहा है। उनके मानव संसाधन विकास में सहायता की दृष्टि से भारत विभिन्न क्षेत्रों में अफ्रीकी राष्ट्रिकों को प्रशिक्षण भी दे रहा है।

लेसोथो

(क) से (घ) विदेश मंत्री श्री मोहलाबी जेकोआ ने 11 से 16 अक्तूबर, 2004 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने परस्पर हित

के मसलों पर विदेश राज्य मंत्री श्री राव इन्द्रजीत सिंह की अध्यक्षता में भारतीय शिष्टमंडल के साथ वार्ता की। लेसोथो पक्ष ने कृषि, लघु उद्योगों, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास और सैन्य प्रशिक्षण के क्षेत्रों में भारत की सहायता मांगी। शिष्टमंडल की कृषि मंत्रालय के सचिव ए एण्ड सी तथा लघु उद्योग विभाग के सचिव के साथ बैठकें हुईं और कृषि तथा लघु उद्योग के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग पर चर्चा हुई।

(ङ) भारत की "फोकस अफ्रीका" नीति के एक अंग के रूप में सरकार अफ्रीकी देशों के साथ हमारे संबंधों को बराबर सुधारने और सुदृढ़ करने का प्रयत्न कर रही है। कुछ अफ्रीकी देशों के समक्ष आ रही आर्थिक कठिनाइयों को जानते हुए भारत खाद्य सामग्री और दवाईयों के रूप में इन देशों को राहत देकर इन देशों को सहायता दे रहा है। उनके मानव संसाधन विकास में सहायता की दृष्टि से भारत विभिन्न क्षेत्रों में अफ्रीकी राष्ट्रिकों को प्रशिक्षण भी दे रहा है।

मॉरीशस

(क) से (घ) विदेश मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं क्षेत्रीय सहयोग, श्री कृष्ण कुतारी ने 12 से 19 नवम्बर, 2004 तक भारत की यात्रा की। यात्रा पर आए मंत्री ने प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से मुलाकात की। विश्व व्यापार संगठन जैसे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों क्षेत्रों में परस्पर हित पर चर्चा की गई।

(ङ) भारत की "फोकस अफ्रीका" नीति के एक अंग के रूप में, सरकार अफ्रीकी देशों के साथ हमारे संबंधों को बराबर सुधारने और सुदृढ़ करने का प्रयत्न कर रही है। कुछ अफ्रीकी देशों के समक्ष आ रही आर्थिक कठिनाइयों को जानते हुए भारत खाद्य सामग्री और दवाईयों के रूप में इन देशों को राहत देकर इन देशों को सहायता दे रहा है। उनके मानव संसाधन विकास में सहायता की दृष्टि से भारत विभिन्न क्षेत्रों में अफ्रीकी राष्ट्रिकों को प्रशिक्षण भी दे रहा है।

रूस

(क) से (ङ) । रूस के विदेश मंत्री श्री लावरोव 8 से 10 अक्तूबर, 2004 तक भारत की यात्रा पर आए। बढ़ते हुए भारत रूस व्यापार पर विशिष्ट ध्यान देते हुए द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी चर्चा हुई, और दोनों पक्षों दोनों देशों के बीच वीसा व्यवस्था के सरलीकरण के तौर–तरीकों पर भी चर्चा की। इस यात्रा के दौरान कोई करार संपन्न नहीं किया गया।

II रूस के उप प्रधान मंत्री श्री एलेक्ज़ेन्डर झूकोव ने 18 से 20 नवम्बर, 2004 तक भारत की यात्रा की, रूस के उप प्रधान मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग से सम्बद्ध भारत रूसी अन्तर सरकारी आयोग (आई आर आई जी सी) के 10वें सत्र की सह अध्यक्षता के लिए भारत आए थे। आई आर आई जी सी के 10वें सत्र की बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों से सम्बद्ध एक नयाचार रूस के उप प्रधान मंत्री और भारतीय पक्ष की ओर से सह अध्यक्ष विदेश मंत्री द्वारा संपन्न किया गया।

भारत और रूस के बीच संपन्न यह प्रोटोकाल व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक तथा संस्कृति के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को सुदृढ़ता प्रदान करता है। भारत को आशा है कि रूस के साथ व्यापार बढ़ाने तथा प्रौद्योगिकी और संस्कृति में अन्य आदानों–प्रदानों के माध्यम से रूस में भारत के हित बेहतर होंगे।

उज़बेकिस्तान

(क) से (ङ) उज़बेक विदेश मंत्री श्री सादिक एस साफायेव ने 29 से 30 अक्तूबर, 2004 तक भारत की यात्रा की। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मसले तथा कोंसुलर, वायु सेवाएं, व्यापार एवं वाणिज्यिक संभावना के क्षेत्रों, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन से सम्बद्ध मसलों पर चर्चा हुई। उज़बेक विदेश मंत्री और हमारे विदेश मंत्री के बीच सूचना प्रौद्योगिकी से संबद्ध एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया। भारत और उज़बेकिस्तान के बीच सम्पन्न समझौता ज्ञापन में भारत की सहायता से ताशकंद, उज़बेकिस्तान में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक केन्द्र की स्थापना के लिए व्यवस्था की। प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना में संलिप्तता के माध्यम से भारतीय पक्ष उज़बेकिस्तान में सूचना प्रौद्योगिकी विकास के विविध क्षेत्रों में विकास की आशा करता है।

फ्रांस

(क) फ्रांस के विदेश मंत्री, श्री मीशेल बार्नी ने 27 से 28 अक्तूबर, 2004 तक भारत की यात्रा की।

(ख) दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों का पुनरीक्षण किया और परस्पर हित चिंता के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास पर विचारों का आदान-प्रदान किया। फ्रांस के विदेश मंत्री ने विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के बढ़ाने के लिए भारत को अपना समर्थन दोहराया।

(ग) इस यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं किया गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) फ्रांस भारत का एक सामरिक भागीदार है जिसके साथ हम बहुपक्षीय मंचों पर उच्च स्तरीय यात्राओं के आदान-प्रदान और सहयोग के माध्यम से निकट कार्यकलाप कायम रखने की इच्छा रखते हैं।

जर्मनी

(क) जर्मन चांसलर श्री गैहार्ड शरोएडर वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 6 से 7 अक्तूबर, 2004 को भारत आए।

(ख) दोनों पक्षों की संयुक्त राष्ट्र सुधार सहित द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्री तथा अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर व्यापक चर्चा हुई। सामरिक कार्रवाई में, भारत और जर्मनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता बढ़ाने के लिए एक दूसरे का समर्थन करने पर सहमत हुए।

(ग) जी, हां।

(घ) इस यात्रा के दौरान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा द मैक्स प्लैंक सोसाइटी के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग से सम्बद्ध एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया। यह समझौता ज्ञापन जर्मनी के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाएगा।

(ङ) भारत जर्मनी के साथ अपने संबंधों को विशेष महत्व देता है और दोनों देशों के बीच उपयुक्त स्तर की सामरिक भागीदारी से द्विपक्षीय संबंधों को गहन और व्यापक बनाने का इच्छुक है। मई, 2000 में दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत, 21वीं सदी में भारत जर्मनी के लिए कार्यसूची, संबंधों के सामरिक आयामों को प्रस्तुत करती है। भारत और जर्मनी के वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर के कार्यकलाप हैं।

राष्ट्रमण्डल

(क) राष्ट्रमंडल महासचिव श्री डोनाल्ड मैकिकनोन ने 27 से 29 अक्तूबर, 2004 तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं किया गया।

(ख) चर्चा परस्पर हित चिंता के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और वर्ष 2005 में वालेटा (माल्टा) में आगामी चोगम के लिए तैयारियों के अतिरिक्त छोटे राज्यों के लिए तकनीकी सहायता और समर्थन के क्षेत्र सहित भारत-राष्ट्रमंडल संबंधों को विस्तारित करने पर केन्द्रित रही।

(ग) इस यात्रा के दौरान कोई करार संपन्न नहीं किया गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत राष्ट्रमंडल का संस्थापक सदस्य है और इसने आदान-प्रदान कार्यक्रमों और तकनीकी सहायता में अधिक से अधिक शामिल होकर, राष्ट्रमंडल मंच में सहयोग को विकसित करने में अत्याधिक रुचि दिखाई है।

मेक्सिको

(क) से (घ) मेक्सिको के विदेश मंत्री, डा. एल ई डर्व ने 13 से 14 अगस्त, 2004 को भारत की यात्रा की। एक्ज़िम बैंक, ऋण साख, संयुक्त व्यापार दल, दोहरे कराधान से परिहार के लिए करार और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय निवेश संरक्षण करार जैसे प्रयासों पर चर्चा हुई।

(ङ) लातिन अमरीकी और कैरीबियन क्षेत्र के साथ हमारी नीति का ध्येय द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर एक साथ काम करके अधिकतम राजनीतिक समझबूझ को जानकर वर्तमान संबंधों को सुदृढ़ और व्यापक बनाना, व्यापार और वाणिज्य के तरीकों का पता लगाना है। राजनीतिक वार्ता के लिए क्षेत्रीय दलों को संलिप्त करने के प्रयास किए गए हैं। भारत ने "मर्कोसर" कैन (एण्डीयन समुदाय) कारिकाम और साइका जैसे संपूर्ण क्षेत्र को कवर करके क्षेत्रीय दलों के साथ रूपरेखा करार संपन्न किया है।

वेनेजुएला

(क) से (घ) वेनेजुएला के विदेश मंत्री श्री जीसस अर्नाल्डो पेरेज ने 1 से 2 सितम्बर, 2004 तक भारत की यात्रा की। राजनयिक समूह प्रशिक्षण और दोनों देशों की अकादमियों से सम्बद्ध सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन इस यात्रा के दौरान सम्पन्न किया गया।

(ङ) लातिन अमरीकी और कैरीबियन क्षेत्र के साथ हमारी नीति का ध्येय द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर एक साथ काम करके अधिकतम राजनीतिक समझबूझ को जानकर वर्तमान संबंधों को सुदृढ़ और व्यापक बनाना, व्यापार और वाणिज्य के तरीकों का पता लगाना है। राजनीतिक वार्ता के लिए क्षेत्रीय दलों को संलिप्त करने के प्रयास किए गए हैं। भारत ने "मर्कोसर" कैन (एण्डीयन समुदाय) कारिकाम और साइका जैसे संपूर्ण क्षेत्र को कवर करके क्षेत्रीय दलों के साथ रूपरेखा करार संपन्न किया है।

सूरीनाम

(क) से (घ) भारत सूरीनाम संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए सूरीनाम की विदेश मंत्री सुश्री मारिया ई. लेवेन्स 16 से 18 नवम्बर, 2004 को भारत की यात्रा पर आईं। इस बैठक में, सहयोग और व्यापार के विस्तार के लिए करार सम्पन्न किये गये।

(ङ) लातिन अमरीकी और कैरीबियन क्षेत्र के साथ हमारी नीति का ध्येय द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर एक साथ काम करके अधिकतम राजनीतिक समझबूझ को जानकर वर्तमान संबंधों को सुदृढ़ और व्यापक बनाना, व्यापार और वाणिज्य के तरीकों का पता लगाना है। राजनीतिक वार्ता के लिए क्षेत्रीय दलों को संलिप्त करने के प्रयास किए गए हैं। भारत ने "मर्कोसर" कैन (एण्डीयन समुदाय) कारिकाम और साइका जैसे संपूर्ण क्षेत्र को कवर करके क्षेत्रीय दलों के साथ रूपरेखा करार संपन्न किया है।

[हिन्दी]

तपेदिक

160. **श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 28 सितम्बर, 2004 के "राष्ट्रीय सहारा" में प्रकाशित समाचार के अनुसार प्रतिवर्ष 18 लाख व्यक्ति तपेदिक से पीड़ित होते हैं;

(ख) क्या इस बीमारी से पीड़ित होने वाले सबसे अधिक मरीज इस देश के हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार इस बीमारी के उपचार के लिए प्रत्येक राज्य में विशिष्ट अस्पतालों की स्थापना करने की योजना बना रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां। अनुमानतः देश में प्रतिवर्ष क्षयरोग के 18 लाख नए रोगी प्रकाश में आते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) क्षयरोग के नियंत्रण के लिए, देश में वर्ष 1962 से ही राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम संचालित है। इससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके हैं। इसलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संस्तुम डीओटीएस नीति के आधार पर संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य नए स्पूटल पॉजिटिव रोगियों में से 85% रोगियों की उपचार दर प्राप्त करना और ऐसे रोगियों में से 70% रोगियों का पता लगाना है। प्रोजेक्ट जिलों ने उपचार सफलता की दर 85% से अधिक होने की सूचना दी है जिसका अर्थ है कि ऐसे प्रति 10 रोगियों में से 8 रोगियों का उपचार सफल रहा जिन्हें उपचार के दौरान संशोधित नीति के तहत निदान–सेवा दी गयी। यह आंकड़ा पहले के कार्यक्रम के आंकड़ों से दोगुना अधिक है।

इस कार्यक्रम से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए तथा इस दिशा में सरकार के प्रयासों को बल प्रदान करने के लिए, इस कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेजों, सभी अस्पतालों, निजी प्रेक्टिसकर्ताओं और गैर सरकारी जनरल संगठनों को भी सम्बद्ध करने पर जोर दिया जा रहा है।

देश में डीओटीएस का प्रसार तेजी से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 1998 में 20 मिलियन लोगों को कवर किया गया था और अब 522 जिलों में 900 मिलियन से अधिक लोगों को कवर किया गया है। संशोधित नीति के तहत वर्ष 2005 तक पूरे देश को कवर करने का विचार है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) अनुसंधान साक्ष्य के आधार पर, क्षयरोगियों को आवासीय उपचार सुविधा उपलब्ध कराये जाने को प्रभावी पाया गया है। अति गम्भीर रोगियों को छोड़कर क्षयरोगियों को अस्पताल में भर्ती कराया जाना अपेक्षित नहीं है जिनका निदान जनरल अस्पताल में हो सकता है तथा अलग से क्षयरोग अस्पताल होना अपेक्षित नहीं है। इससे क्षयरोग से जुड़ी भय की संभावना में भी कमी आएगी।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य परिचर्या हेतु नए संस्थानों की स्थापना

161. **श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी :**

श्री रामकृपाल यादव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हेल्थ केयर के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की तरह दो नए संस्थान खोले जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में निवारक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य में विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय निवारक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो स्थापित किए जाने वाले संस्थानों की स्थल–वार संख्या का ब्योरा क्या है;

(ङ) इस संस्थान की स्थापना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(च) क्या इस संस्थान की स्थापना के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (छ) देश में जन स्वास्थ्य संबंधी अच्छे डाक्टरों की कमी को ध्यान में रखते हुए आई.आई.टी. और आई.आई.एम. स्तर के नए जन स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करके और जन स्वास्थ्य में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले मौजूदा संस्थाओं का दर्जा बढ़ाकर जन स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने के वास्ते तंत्र बनाने पर विचार किया गया है। इस संदर्भ में इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए तौर–तरीके तैयार करने हेतु 16–17 सितम्बर, 2004 को "इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ इन इण्डियाः मूविंग फ्राम कनसेप्ट टू रियल्टी" पर दो दिवसीय राष्ट्रीय विचार–विमर्श किया गया।

[हिन्दी]

पिछड़े क्षेत्रों का विकास

162. **श्री रामदास आठवले :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र और अन्य राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्यों के जनजातीय, ग्रामीण, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों में केन्द्र सरकार के पास कितने प्रस्ताव भेजे गए;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में, राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है अथवा इन प्रस्तावों को मंजूरी देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इसके लिए अलग से कितनी धनराशि निर्धारित की है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय, जनजातीय मामले, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कृषि, जल संसाधन, शिक्षा विभाग आदि द्वारा जनजातीय, पर्वतीय, पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्रक एवं केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कार्यान्वित की जा रही कुछ मुख्य स्कीमें/कार्यक्रम हैं : स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), समग्र ग्राम रोजगार योजना (एसजीआरवाई), राष्ट्रीय कार्यक्रम–काम के बदले अनाज, त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति

कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी), त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), जनजातीय उप–योजना, अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सहायता अनुदान, जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता, एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय सम विकास योजना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम आदि। इन स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित अन्य राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त किए जाते हैं तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा विचार करके तदनुसार निधियां प्रदान की जाती हैं।

[अनुवाद]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत धनराशि का उपयोग

163. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी :**

श्री जुएल ओराम :

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई उन परियोजनाओं का ब्योरा क्या है जिनके लिए निधि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से दी गई है;

(ख) क्या वर्ष 2003–04 के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आबंटित निधियों का जिलों में संवितरण किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वास्तविक रूप से राज्य–वार राज्यों को संवितरित निधियों का ब्योरा क्या है; और

(ङ) शेष निधियों के कब तक संवितरित किए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस) : (क) जनता के बृहत प्रयोग हेतु स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए निधियां अवमोचित की जा चुकी हैं जो सम्बद्ध संसद सदस्यों द्वारा अनुसंशित एवं जिला प्राधिकारियों द्वारा मंजूर की जाती हैं। परियोजनाओं की सूची में विद्यालयों एवं पुस्तकालयों हेतु भवन, पेयजल सुविधाओं का प्रावधान, सड़कें, पुल, खेल स्टेडियम, सामुदायिक केन्द्र, शवदाहगृह, सार्वजनिक शौचालय, नालियां, फुटपाथ, बस स्टॉप, स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक सिंचाई और विद्युतीकरण परियोजनाएं एवं विद्यार्थियों के व्यापक हित में सरकारी शैक्षणिक संस्थानों हेतु कम्प्यूटरों की खरीद शामिल है। इस संबंधमें विस्तृत ब्योरा जिला प्रशासनों के पास उपलब्ध है।

(ख) और (ग) वित्तीय वर्ष 2003–04 के दौरान जिलों को 1580 करोड़ रुपऐ की बजटीय राशि एवं 102 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि अवमोचित की गई।

(घ) 2003–04 के दौरान अवमोचित की गई निधियों का राज्य–वार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) जब भी पात्र हों।

विवरण

2003–04 में निधियों का राज्यवार अवमोचन

क्रम. सं.	राज्य	अवमोचित निधि (करोड़ रुपये में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	126
2.	अरुणाचल प्रदेश	6
3.	असम	47
4.	बिहार	116.5
5.	गोवा	8
6.	गुजरात	77.5
7.	हरियाणा	30.5
8.	हिमाचल प्रदेश	14
9.	जम्मू और कश्मीर	22
10.	कर्नाटक	88

1	2	3
11.	केरल	63.5
12.	मध्य प्रदेश	87.5
13.	महाराष्ट्र	136.5
14.	मणिपुर	6
15.	मेघालय	7
16.	मिजोरम	4
17.	नागालैण्ड	5
18.	उड़ीसा	69.5
19.	पंजाब	57.5
20.	राजस्थान	70.5
21.	सिक्किम	3
22.	तमिलनाडु	116.5
23.	त्रिपुरा	6
24.	उत्तर प्रदेश	236
25.	पश्चिम बंगाल	139
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	5
27.	चण्डीगढ़	2
28.	दादरा और नगर हवेली	2
29.	दमन और दीव	2
30.	दिल्ली	22
31.	लक्षद्वीप	2
32.	पांडिचेरी	4
33.	छत्तीसगढ़	36
34.	उत्तरांचल	14.5
35.	झारखंड	49.5
	कुल योग	1682

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में अवमोचित निधियां

वर्ष	अवमोचित निधि (करोड़ रुपए में)
2001–02	1800
2002–03	1600
2003–04	1682

[हिन्दी]

राजस्थान में इंटरनेट सेवाओं का विकास

164. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राजस्थान में दूरसंचार और इंटरनेट सेवाओं के विकास के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या राजस्थान दूरसंचार सर्किल द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार विकास कार्य का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि खर्च की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राजस्थान में दूरसंचार तथा इंटरनेट के विकास के लिए आबंटित की गई धनराशि निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष	धनराशि
1.	2001–02	631.64 करोड़ रु.
2.	2002–03	430.39 करोड़ रु.
3.	2003–04	374.73 करोड़ रु.

(ख) जी, हाँ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में दूरसंचार के विकास पर खर्च की गई धनराशि निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष	धनराशि
1.	2001–02	551.34 करोड़ रु.
2.	2002–03	503.01 करोड़ रु.
3.	2003–04	347.10 करोड़ रु.
4.	2004–05 (31.10.2004 तक)	117.75 करोड़ रु.

[अनुवाद]

निजामुद्दीन पुल पर ट्रैफिक जाम

165. श्री गुरुदास कामत : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नोएडा/गाजियाबाद से दिल्ली को काम पर जाने वाले दैनिक यात्री प्रगति मैदान रोड पर स्थित निजामुद्दीन पुल पर व्यस्ततम समय में अवरुद्ध यातायात में अक्सर फंस जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) व्यस्ततम समय के दौरान निजामुद्दीन–मथुरा रोड पर यातायात को अवरुद्ध होने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आय से ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसम्पत्ति के बारे में शिकायतें

166. श्री रघुनाथ झा :

श्री कैलाश बैठा :

क्या **प्रधानमंत्री** केन्द्रीय भण्डार में भ्रष्टाचार और केन्द्रीय भण्डार के कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत के बारे में 4.12.2001 और 5.8.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2447 और 2140 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन प्रश्नों में उठाए गए सभी बिन्दुओं पर सूचनाएँ एकत्र की ली गई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी बिन्दु–वार ब्योरा क्या है और बिन्दु–वार क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) आश्वासनों को पूरा करने में देरी के क्या कारण हैं और भविष्य में इस तरह की देरी न हो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) आय से अधिक सम्पत्ति रखने की शिकायतों को सीबीआई और आयकर प्राधिकारियों को न दिए जाने के क्या कारण हैं और उन शिकायतों को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा सहित सीबीआई और आयकर प्राधिकारियों को कब तक अग्रेषित कर दिया जाएगा;

(घ) क्या केन्द्रीय भण्डार की जानकारी में बड़ी मात्रा में बैंक डिपाजिट प्रतिभूति निवेश और अन्य बेनामी सम्पत्ति भी आई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ङ) यह आरोप, केन्द्रीय भण्डार के कर्मचारियों की आय के ज्ञात स्रोत से अधिक सम्पत्ति के स्वामित्व के बारे में है। बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम (एम.एस.सी.एस. एक्ट) के अंतर्गत केन्द्रीय भण्डार के मामलों के प्रबंधन से जुड़े कार्य करने की शक्तियाँ केन्द्रीय भण्डार के निदेशक–मण्डल में निहित हैं। केन्द्रीय भण्डार ने अपने एक कर्मचारी के विरुद्ध एक आरोप की जाँच–पड़ताल की है किन्तु वह किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ रहा। अतः सरकार ने इस आरोप की जाँच–पड़ताल के लिए मामला सी.बी.आई. के पास भेजे जाने का निदेश केन्द्रीय भण्डार को दिया है।

[हिन्दी]

सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टरों और दवाइयों की कमी

167. श्री सीताराम सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में, विशेषकर सफदरजंग अस्पताल में, डॉक्टरों और दवाइयों की कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को डाक्टरों और दवाइयों की कमी के कारण रोगियों को होने वाली कठिनाइयों की भी जानकारी है;

(ग) सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को दूर करने और दवाइयों की आपूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा दवाइयों की खरीद के लिए सफदरजंग अस्पताल को कितना धन आबंटित किया गया?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.5.2001 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/8/2001–पी आई सी में दिए गए निर्देशों, जिनमें यह सीमा निर्धारित की गई है कि वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों में से 1/3 रिक्तियों को ही केवल सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है बशर्ते कि यह सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पद कुल मंजूर शुदा पदों के एक प्रतिशत से अधिक न हों, के कारण यह विभाग सफदरजंग अस्पताल सहित विभिन्न सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों के सभी पदों को भरने की स्थिति में नहीं है।

क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिक्तियों के लिए इन निर्देशों को लागू करने में कठिनाई होती है, अतः विभाग ने इस मसले को पहले ही उच्च स्तर पर उठाया है ताकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.5.2001 को जारी निर्देशों की परिधि से तकनीकी/वैज्ञानिक पदों को छूट मिल सके और जनशक्ति की कमी को पूरा किया जा सके। सामान्यतया सफदरजंग अस्पताल सहित केन्द्रीय सरकार के विभिन्न अस्पतालों में दवाओं की कमी नहीं रहती है। इन अस्पतालों में मौजूदा नीति के अनुसार रोगियों को फार्मूलरी के आधार पर निःशुल्क दवाएं वितरित की जाती हैं। अनिवार्य जीवन रक्षक दवाओं के उपलब्ध नहीं होने पर इनको खरीदकर निर्धन रोगियों को निःशुल्क प्रदान किया जाता है।

पिछले दो वर्षों के दौरान सफदरजंग अस्पताल को दवाओं की खरीद हेतु आबंटित निधियों का ब्योरा इस प्रकार है:–

वर्ष	गैर–योजना	योजना
2002–03	540.00 लाख	05.00 लाख
2003–04	611.09 लाख	128.00 लाख

दवाइयों की अवैध बिक्री

168. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबों के इलाज हेतु सरकारी अस्पतालों को आपूर्ति की जा रही दवाइयां अस्पताल कर्मचारियों की मिलीभगत से खुले बाजार में बेची जा रही हैं, जैसा कि 30 सितम्बर, 2004 को हिन्दी 'दैनिक जागरण' में खबर छपी थी;

(ख) यदि हाँ, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) गत अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) ऐसी अवैध गतिविधियों के लिए जिम्मेवार कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण यह सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकारों का दायित्व है कि अस्पतालों को प्रदान की जाने वाली दवाइयों का केवल रोगी परिचर्या में ही उपयोग हो। तथापि, जहां तक दिल्ली में केन्द्रीय सरकार अस्पतालों का संबंध है, डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और सम्बद्ध अस्पतालों की दवाइयों को बेचे जाने की कोई सूचना नहीं है।

[अनुवाद]

सफदरजंग अस्पताल में डाक्टरों की कमी

169. **श्री विजय कृष्ण** :

श्री प्रभुनाथ सिंह :

श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

श्री कैलाश बैठा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल के हृदय रोग विभाग में डॉक्टरों की संख्या स्वीकृत संख्या से कम है जिसके कारण रोगियों को जांच कराने और इलाज कराने में लम्बा समय लगता है;

(ख) यदि हां, तो और डॉक्टरों की नियुक्ति करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिससे कि डॉक्टरों की स्वीकृत संख्या की कमी को पूरा किया जा सके;

(ग) क्या सफदरजंग अस्पताल में हाल ही में डेफ्रिब्रिलेटर के अभाव में एक 20 वर्षीय रोगी की मौत हो गई है;

(घ) यदि हां, तो पर्याप्त संख्या में डिफ्रिब्रिलेटर के न होने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या हृदय रोग विभाग के विभागाध्यक्ष ने उस नौजवान की दुःखांत मौत से उभरी परिस्थितियों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था;

(च) उस दुःखांत परिस्थिति के तकनीकी पहलू पर उनके द्वारा टिप्पणी न किए जाने के क्या कारण थे; और

(छ) हृदय रोग विभाग के विभागाध्यक्ष के खिलाफ क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.5.2001 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/8/2001–पी आई सी में दिए गए निर्देशों, जिनमें यह सीमा निर्धारित की गई है कि वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों में से 1/3 रिक्तियों को ही केवल सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है बशर्ते कि यह सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पद कुल मंजूर शुदा पदों के एक प्रतिशत से अधिक न हों, के कारण यह विभाग सफदरजंग अस्पताल सहित विभिन्न सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों के सभी पदों को भरने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिक्तियों के लिए इन निर्देशों को लागू करने में कठिनाई होती है, अतः विभाग ने इस मसले को पहले ही उच्च स्तर पर उठाया है ताकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.5.2001 को जारी निर्देशों की परिधि से तकनीकी/वैज्ञानिक पदों को छूट मिल सके और जनशक्ति की कमी को पूरा किया जा सके।

(ग) से (छ) सफदरजंग अस्पताल से प्राप्त सूचना के अनुसार रोगी का सफदरजंग अस्पताल में कार्डियो थोरोसिस एण्ड वास्क्युलर सर्जरी विभाग में ऑपरेशन किया गया था और मिट्रल वाल्व प्रोस्थेसिस जिसके कारण पुलमोनरी एडिमा और कार्डियोजेनिक आघात हुआ, के कारण उसकी मौत हो गई। उसे डिफ्राइब्रीलेशन की आवश्यकता नहीं थी।

भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन

170. **श्री गुरुदास दासगुप्त :**

श्री पी. के. वासुदेवन नायर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ने हाल ही में हेग में आमंत्रित पांचवे यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो उसमें जिन विषयों पर चर्चा की गई उनका ब्योरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) जी, हाँ। प्रधानमंत्री ने 8 नवम्बर, 2004 को हेग में हुए 5वें भारत यूरोपीय संघ सम्मेलन में हमारे शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

(ख) एक मुख्य क्षेत्रीय एवं सार्वभौमिक खिलाड़ी के रूप में भारत की बढ़ती महत्ता को स्वीकारते हुए भारत यूरोपीय संघ सामरिक साझेदारी को शुरू करने हेतु एक संधि हुई थी। भारत और यूरोपीय संघ श्रृंखलाबद्ध मुद्दों पर विचार विमर्श को गहन करने पर सहमत हो गए, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सुधार, आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग, संसदीय आदान–प्रदान में संवर्धन, ऊर्जा में सहयोग, पर्यावरण तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शामिल हैं। सम्मेलन में दिए गए संयुक्त प्रैस वक्तव्य से आपसी हित चिंता के विभिन्न मामलों पर हमारी साझा समझ का पता चलता है। सांस्कृतिक सहयोग संबंधी एक संयुक्त घोषणा से संस्कृति में सहयोग को बढ़ाने तथा विद्वानों एवं छात्रों की अदला–बदली के लिए एक फ्रेमवर्क मिलता है। आपसी व्यापार एवं निवेशों को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने भी भारत यूरोपीय संघ बिजनेस राऊण्ड टेबल की बैठक में हिस्सा लिया।

कासरगोड से तिरुवनन्तपुरम तक एक्सप्रेसवे

171. **श्री सी. के. चन्द्रप्पन :**

श्री पी. के. वासुदेवन नायर :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से कासरगोड को

तिरुवनंतपुरम से जोड़ने के लिए एक नए एक्सप्रेसवे बनाने के लिए कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की मुख्य विशेषताओं से संबंधित ब्योरा क्या है और इसके निर्माण पर कितनी लागत का अनुमान है;

(ग) क्या इस परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों से संबंधित अध्ययन को कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ननकाना साहब में स्थिति

172. **श्री ब्रजेश पाठक : क्या विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुरुनानक देवजी के पाकिस्तान स्थित जन्मस्थान ननकाना साहिब में सितम्बर, 2004 को कुछ कट्टरपंथियों द्वारा की गई विध्वंसकारी घटनाओं के कारण सिख समुदाय के लोगों के साथ-साथ भारतीय जनमानस की भावनाओं को गहरा आघात लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने पाकिस्तान के साथ इस बात को उठाकर अपनी आपत्ति जता दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) से (ङ) सरकार को सितम्बर, 2004 में गुरुद्वारा ननकाना साहिब पर हुए हमले की घटना की जानकारी है। भारत में अनेक क्षेत्रों से संदेश प्राप्त हुए हैं जिनमें इस हमले की भर्त्सना की गयी है।

सरकार ने गुरुद्वारा ननकाना साहिब पर हुए हमले की खबरों का तत्काल संज्ञान लिया और विदेश मंत्रालय के सरकारी प्रवक्ता ने 28 सितम्बर, 2004 को दिये गए एक वक्तव्य में आशा व्यक्त की कि पाकिस्तान इस पवित्र धर्मस्थल की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। इस मामले को नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के साथ भी उठाया गया और इस्लामाबाद स्थित हमारे उच्चायोग ने मामले को पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के साथ उठाया।

पाकिस्तान की सरकार ने भी घटना की निंदा की और आगे कहा कि उपद्रवियों से कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जायेगा।

[अनुवाद]

ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन

173. **श्री सुग्रीव सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) आबंटित किए गए;

(ख) क्या ऐसे ग्राम सार्वजनिक टेलीफोनों के आबंटन और उनके उपयोग में घोर अनियमितता हुई है;

(ग) क्या सरकार के पास ऐसे मामलों की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को आबंटित किए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या संलग्न **विवरण** में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान बीएसएनएल द्वारा सर्किलों/राज्यों को आबंटित किए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन

क्र. सं.	सर्किल/राज्य	2001–02	2002–03	2003–04
1.	अंडमान व निकोबार	0	1	0
2.	आंध्र प्रदेश	18	0	0
3.	असम	2501	1007	1354
4.	बिहार	15612	9061	0
5.	झारखंड	9980	9197	634
6.	गुजरात	0	0	0
7.	हरियाणा	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	4507	205	2
9.	जम्मू और कश्मीर	50	177	537
10.	कर्नाटक	4	6	0
11.	केरल	0	0	0
12.	मध्य प्रदेश	312	0	4
13.	छत्तीसगढ़	3677	248	0
14.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	0	0	0
15.	पूर्वोत्तर–I (मेघालय/मिजोरम/त्रिपुरा सहित)	368	389	847
16.	पूर्वोत्तर–II (अरुणाचल प्रदेश/मणिपुर/नागालैंड सहित)	147	135	907
17.	उड़ीसा	10392	5078	318
18.	पंजाब	0	0	0
19.	राजस्थान	33	0	0
20.	तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)	1	0	0
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	8179	6651	35
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	2402	0	0
23.	उत्तरांचल	2162	1627	99
24.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	10357	3147	0
25.	कोलकाता	53	0	0
26.	दिल्ली	0	0	0
	जोड़	70755	36929	4737

[हिन्दी]

यूनानी दवाइयों को प्रोत्साहन

174. **श्री मुन्शी राम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यूनानी चिकित्सा पद्धति के प्रोत्साहन के लिए कोई कार्य योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो आज तक इस संबंध में क्या उपलब्धियां मिली हैं;

(ग) ऐसे औषधालयों की राज्यवार संख्या कितनी है और उनमें कौन–कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने यूनानी औषधालय खोलने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो वे कौन–कौन से राज्य हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने यूनानी चिकित्सा पद्धति समेत भारतीय चिकित्सा पद्धति के संवर्धनार्थ एक नई राष्ट्रीय नीति निर्धारित की है और आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्यो (आयुष) चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन के उद्देश्य से अनेक केंद्रीय क्षेत्रक तथा केंद्र प्रायोजित स्कीमें प्रचालित की हैं। प्रसंगाधीन राष्ट्रीय नीति के अनुसार शैक्षिक अवसंरचना, गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाओं, औषधीय आपूर्ति आदि में सुधार करने के लिए विविध प्रकार की केंद्र क्षेत्रक तथा केंद्र प्रायोजित स्कीमों के तहत वित्त सहायता उपलब्ध है।

इस दिशा में हुई उपलब्धियों में बंगलौर में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा–संस्थान की स्थापना, दिल्ली में एक नया केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलना, राजकीय निजामिया तिब्बिया कॉलेज हैदराबाद का यूनानी चिकित्सा में मॉडल कॉलेज के रूप में विकास करने के लिए उसे 3 करोड़ रु. मंजूर करना, विभिन्न राज्यों में कतिपय यूनानी औषधालयों को 25,000/– प्रति औषधालय प्रतिवर्ष की दर से वित्त सहायता प्रदान करना, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में एक यूनानी चिकित्सा केंद्र खोलना आदि शामिल हैं।

(ग) देश में केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित यूनानी औषधालयों को छोड़कर 866 औषधालयों का विवरण निम्नवत् है:–

आंध्र प्रदेश – 193, असम – 1, बिहार – 110, छत्तीसगढ़ – 6, दिल्ली – 25, हरियाणा – 19, हिमाचल प्रदेश –3, जम्मू कश्मीर – 177, झारखंड – 18, कर्नाटक – 51, केरल – 1, मध्य प्रदेश – 50, महाराष्ट्र – 23, उड़ीसा – 9, पंजाब – 35, राजस्थान – 78, तमिलनाडु – 12, उत्तर प्रदेश – 49, उत्तरांचल – 3, पश्चिम बंगाल – 3

राज्य के औषधालयों में उपलब्ध सुविधाओं का ब्योरा केंद्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा नहीं रखा जाता।

(घ) और (ङ) संविधान की 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि सं. 6 के तहत जन स्वास्थ्य, अस्पताल और औषधालय राज्यों के विषय हैं। यह राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि वे अपने संसाधनों, अपेक्षाओं के आधार पर यूनानी चिकित्सा के औषधालय स्थापित करें। केन्द्र सरकार अपनी ओर से एक केंद्र प्रायोजित स्कीम चलाती है जिसमें राज्य सरकारों से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने की सूरत में 25,000/– रु. प्रतिवर्ष, प्रति औषधालय की दर से औषधियों की आपूर्ति करने हेतु वित्त सहायता की व्यवस्था है।

[अनुवाद]

टेलीफोन की उपलब्धता में वृद्धि

175. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :**

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

श्री तथागत सत्पथी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में टेलीफोन की उपलब्धता में बहुत अधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो देश में कितने प्रतिशत भारतीय टेलीफोन का प्रयोग करते हैं;

(ग) क्या हाल में एमटीएनएल और बीएसएनएल लैंडलाईन के उपभोक्ताओं में बहुत अधिक कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो जुलाई, 2003 और जुलाई 2004

की स्थिति के अनुसार राज्यवार एमटीएनएल और बीएसएनएल के उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है; और

(ङ) उक्त सरकारी एजेंसियों को इस क्षेत्र के निजी आपरेटरों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) 30.09.04 की स्थिति के अनुसार देश में प्रति 100 की जनसंख्या के लिए टेलीफोन लाइनों की संख्या अर्थात् टेलीघनत्व 8.03 था।

(ग) जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान बीएसएनएल के संबंध में लैंडलाइन टेलीफोनों में विलम्ब वृद्धि हुई है वहीं एमटीएनएल के संबंध में हाल में दिल्ली और मुंबई में लैंडलाइन के उपभोक्ताओं की संख्या में कुछ कमी आयी है।

(घ) 31.7.03 और 31.7.04 की स्थिति के अनुसार एमटीएनएल उपभोक्ताओं की संख्या निम्नानुसार है:—

	दिल्ली		मुम्बई	
	31.07.03	31.07.04	31.07.03	31.07.04
लैंडलाइन	21,45,717	18,69,774	23,76,542	23,25,748
डब्ल्यूएलएल	45,860	84,808	51,286	63,967
जीएसएम	1,28,928	2,05,170	1,65,712	2,24,201

31.07.2003 और 31.07.2004 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल के संबंध में सर्किल–वार टेलीफोन संबंधी आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) और अधिक प्रतिस्पर्धी बनने के उद्देश्य से एमटीएनएल और बीएसएनएल नई सेवाएं शुरू करने, मौजूदा नेटवर्क का आधुनिकीकरण और उन्नयन करने, प्रतिस्पर्धात्मक प्रशुल्कों की पेशकश करने तथा उपभोक्ता सेवा बेहतर बनाने आदि सहित अनेक कदम उठा रहे हैं।

विवरण

31.07.2003 और 31.07.2004 की स्थिति के अनुसार सर्किल–वार सीधी एक्सचेंज लाइनें

क्र.सं.	सर्किल/मेट्रो जिले का नाम	31.7.2003 की स्थिति		31.7.2004 की स्थिति	
		लैंडलाइन सीधी एक्सचेंज लाइनें	डब्ल्यूएलएल व सेल्यूलर सहित कुल सीधी एक्सचेंज लाइनें	लैंडलाइन सीधी एक्सचेंज लाइनें	डब्ल्यूएलएल व सेल्यूलर सहित कुल सीधी एक्सचेंज लाइनें
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान एवं निकोबार	35711	40609	37422	45693
2.	आंध्र प्रदेश	3195647	3565078	3150441	3830261
3.	असम	488213	500397	498555	581732

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	847120	1015767	862333	1140052
5.	छत्तीसगढ़	276090	323553	279034	361942
6.	गुजरात	2858576	3191242	2710707	3252047
7.	हरियाणा	1080172	1214745	1092545	1362462
8.	हिमाचल प्रदेश	459438	505119	469206	571914
9.	जम्मू और कश्मीर	266601	271318	287252	349636
10.	झारखंड	417832	499029	436337	581455
11.	कर्नाटक	2729828	3026492	2681744	3165541
12.	केरल	3039578	3346488	3230063	3797599
13.	मध्य प्रदेश	1240134	1357653	1285068	1499255
14.	महाराष्ट्र	3866888	4281776	3820779	4551071
15.	पूर्वोत्तर–I	190573	195432	196410	221668
16.	पूर्वोत्तर–II	143673	146874	149925	175969
17.	उड़ीसा	714090	864852	741776	1013981
18.	पंजाब	2035245	2258183	1982236	2321907
19.	राजस्थान	1721663	1888259	1751583	2138715
20.	तमिलनाडु	2842052	3188622	2838792	3315811
21.	उत्तरांचल	341358	399508	354505	486693
22.	उत्तर प्रदेश पूर्व	1686214	1980263	1647711	2178569
23.	उत्तर प्रदेश पश्चिम	1226776	1416916	1222990	1597700
24.	पश्चिम बंगाल	1132819	1272743	1186590	1446203
25.	कोलकाता	1326317	1362605	1358122	1515833
26.	चेन्नई	1050595	1157847	994447	1208460
	बीएसएनएल	35213203	39271370	35266573	42711969

निजी टेलीफोन ऑपरेटर

176. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी टेलीफोन ऑपरेटरों द्वारा हस्ताक्षरित लाइसेंसिंग समझौते में ऐसा कोई खंड है जो ग्रामीण क्षेत्रों में उनके द्वारा टेलीफोन सुविधा प्रदान करना अनिवार्य बनाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन उपलब्ध कराने के संबंध में समझौते की शर्तों और निबंधनों का पालन न करने पर निजी टेलीफोन ऑपरेटरों को कोई जुर्माना देना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन उपलब्ध कराने के वायदे से मुकरने पर उन पर कितना जुर्माना किया गया;

(ङ) क्या निजी ऑपरेटरों के इस रवैये को बदलने के लिए सरकार के पास कोई विधान बनाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हाँ। निजी बुनियादी टेलीफोन लाइसेंसधारकों द्वारा हस्ताक्षरित लाइसेंस करार में ग्रामीण क्षेत्रों में उनके द्वारा टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में एक खंड शामिल किया गया है।

(ख) संबंधित ब्योर निम्नलिखित हैः

(i) छह निजी बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रचालकों द्वारा, जिन्हें वर्ष 1997–98 में लाइसेंस प्रदान किए गए थे, अपने संबंधित सेवा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में एक निश्चित संख्या में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराए जाने थे।

(ii) वर्ष 2001–02 में प्रदान किए गए लाइसेंसों के अंतर्गत प्रत्येक चरण में किसी सेवा क्षेत्र के शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों की प्रत्येक श्रेणी में समान अनुपात में एक निश्चित संख्या में अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी थीं।

(ग) जी, हाँ।

(घ) सरकार ने निजी बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रचालकों से सेवा आरंभ करने तथा सीधी एक्सचेंज लाइनें और ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने के संदर्भ में रॉलआउट दायित्वों को पूरा नहीं करने के एवज में लगभग 53.75 करोड़ रु. की परिनिर्धारित नुकसानी की वसूली की है।

(ङ) और (च) सरकार निजी प्रचालकों के इस रवैये में बदलाव लाने के लिए कानून बनाने पर फिलहाल कोई विचार नहीं कर रही है। बुनियादी सेवा लाइसेंसों में अधिक मूल्य की निष्पादन बैंक गारंटियां तय की गई हैं। इसके अतिरिक्त, नए एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन के मामले में रॉल आउट दायित्वों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के अलावा लगभग 50 करोड़ रु. के दंड की भी व्यवस्था की गई है।

परिवार कल्याण नीति

177. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2001 में जनगणना आंकड़ों के आलोक में देश की परिवार कल्याण नीति की हाल ही में समीक्षा और इसमें संशोधन किया है; और

(ख) यदि हां, तो परिवार कल्याण नीति में क्या मुख्य परिवर्तन और उपांतरण किए गए हैं और संशोधित नीति का ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर जो वर्ष 1981–91 के दशक में 2.14 थी, वह वर्ष 1991–2001 के दशक में कम होकर 1.93 रह गई है। तथापि, सरकार का लक्ष्य, गुणवत्ता वाली परिवार नियोजन सेवाओं तक अधिक पहुंच बढ़ाने के साथ–साथ परिवार नियोजन के स्वैच्छिक दृष्टिकोण संबंधी अपनी कार्यनीतियों को जारी रखना है।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विदेशी निवेश

178. **श्री दुष्यंत सिंह :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सरकार ने कुछ विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी कंपनियों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इन विदेशी कंपनियों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किए गए सहयोग का ब्योरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) सरकार भारत में वाणिज्यिक प्रतिष्ठान स्थापित करने के प्रयोजन से विदेशी कंपनियों द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष पूंजीनिवेश (एफडीआई) के लिए स्वचालित मार्ग तथा विदेशी पूंजीनिवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के माध्यम से समुचित अनुमोदन प्रदान करती है। सरकार द्वारा वर्ष 1991 से 2003 तक के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में लगभग 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एफडीआई का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

कंपनियों, सहयोगात्मक कार्यकलापों तथा प्रस्तावित पूंजीनिवेश के ब्योरे औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय (एसआईए), औद्योगिक संवर्धन एवं नीति विभाग (डीआईपीपी) के मासिक समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाते हैं। इस एसआईए समाचार पत्र को सरकारी विभागों/मंत्रालयों तथा संसद पुस्तकालय में व्यापक रूप से परिचालित किया जाता है।

अंतर्देशीय जलमार्ग का विकास

179. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू :** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राजमार्गों के विकास के आधार पर अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ऐनेस्थेसियोलॉजिस्टों की कमी

180. **श्री के. एस. राव :**

श्रीमती किरण माहेश्वरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशिक्षित व्यक्तियों के अभाव और प्रतिभा पलायन के कारण राजधानी के अस्पतालों में एनेस्थेसियालॉजिस्टों की बहुत अधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो राजधानी के प्रत्येक अस्पताल में एनेस्थेसियोलॉजिस्टों के रिक्त पदों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण यह सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकारों का दायित्व है कि उनके अस्पतालों में कुशल जनशक्ति की कोई कमी न हो। तथापि, जहां तक केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों का संबंध है सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.5.2001 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/8/2001—पी आई सी में दिए गए निर्देशों, जिनमें यह सीमा निर्धारित की गई है कि वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों में से 1/3 रिक्तियों को ही केवल सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है बशर्ते कि यह सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पद कुल मंजूर शुदा पदों के एक प्रतिशत से अधिक न हों, के कारण यह विभाग एनेस्थेसियोलॉजिस्टों के पदों सहित विभिन्न सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों के सभी पदों को भरने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिक्तियों के लिए इन निर्देशों को लागू करने में कठिनाई होती है, अतः स्वास्थ्य विभाग ने इस मसले को पहले ही उच्च स्तर पर उठाया है ताकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.5.2001 को जारी निर्देशों की परिधि से तकनीकी/वैज्ञानिक पदों को छूट मिल सके और जनशक्ति की कमी को पूरा किया जा सके।

[हिन्दी]

भारत-पाकिस्तान शांति पहल

181. **श्री पारसनाथ यादव :**

श्री गुरूदास दासगुप्त :

श्री पी.के. वासुदेवन नायर :

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

प्रो. महादेवराव शिवनकर :

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :

श्री रघुनाथ झा :

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

श्री निखिल कुमार :

श्री अर्जुन सेठी :

श्री अधीर चौधरी :

श्री मोहन सिंह :

श्री दुष्यंत सिंह :

श्री अनंत कुमार हेगड़े :

श्री असादूद्दीन ओवेसी :

श्री एन. जर्नादन रेड्डी :

श्री सुरेश कलमाडी :

श्री मिलिंद देवरा :

श्री अनन्त नायक :

श्री बालेश्वर यादव :

श्री सुग्रीव सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे प्रधानमंत्री ने हाल ही की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी;

(ख) यदि हां, तो दोनों नेताओं के बीच परस्पर विश्वास उत्पन्न करने वाले उपायों के बारे में हुई चर्चा का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या जम्मू और कश्मीर के मुद्दे सहित दोनों देशों के बीच लंबित सभी मुद्दों को शांतिपूर्वक हल करने के लिए कोई समझौता हुआ है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या उक्त वार्ता में इराक से पाकिस्तान होते हुए भारत में तेल गैस पाइप लाइन बिछाने पर भी चर्चा हुई;

(च) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(छ) दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए जिन ठोस कदमों पर सहमति हुई है उनका ब्योरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) से (छ) प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने न्यूयार्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकों के दौरान 24 सितम्बर, 2004 को राष्ट्रपति मुर्शरफ से मुलाकात की।

उन्होंने अन्य बातों के साथ–साथ द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के नियंत्रण वाली भूमि का उपयोग किसी भी हाल में आतंकवाद के समर्थन के लिए नहीं किये जाने के राष्ट्रपति मुर्शरफ के 6 जनवरी, 2004 के आश्वासन को पूरा किये जाने के महत्व पर बल दिया।

दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि विश्वासोत्पादक उपायों से आस्था और विश्वास का वातावरण बनाने में योगदान मिलेगा और यह कि दोनों सरकारों के बीच विश्वासोत्पादक उपायों की जिन श्रेणियों पर बातचीत चल रही है, उनका क्रियान्वयन व्यावहारिक संभावनाओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

वे इस बात पर सहमत हुए कि सच्ची भावना और उद्देश्यपूर्ण तरीके से जम्मू और कश्मीर मसले का वार्ता पर आधारित शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए संभावित विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए। डा. मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपति मुर्शरफ को यह भी कहा कि भारत जम्मू और कश्मीर मसले का समाधान करने के लिए विभिन्न विकल्पों को आजमाने के लिए तैयार है परन्तु सीमा का पुनर्सीमांकन अथवा देश का एक और बंटवारा नहीं होना चाहिए।

दोनों देशों के बीच बढ़ रहे व्यापार और आर्थिक संबंधों के व्यापक संदर्भ में वे पाकिस्तान से होकर गैस पाइपलाइन भारत लाने की संभावना पर विचार करने के लिए भी सहमत हुए।

24 सितम्बर, 2004 को बैठक के पश्चात् जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्य स्थिति और सहयोग बहाल करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता जारी रखने की अपनी वचनबद्धता दोहरायी।

[अनुवाद]

राज्यों का अधिशेष कोयला

182. **श्री रायापति सांबासिवा राव** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग के पास रक्षित कोयला खानों को तैयार करने वालों को राज्यों को कोयला कंपनियां चलाने के लिए कोयला बेचने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या योजना आयोग यह चाहता है कि सरकार कोयले का व्यापार निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दे या सरकारी क्षेत्र अपना एकाधिकार बनाए रखे;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) दसवीं योजना में स्वतंत्र बिक्री की अनुमति प्रदान करने और राज्य सरकारों के कोयला नियंत्रण आदेश सहित कोलियरी नियन्त्रण आदेश, 2000 को वापस लेने के उद्देश्य से कोयले को अनिवार्य वस्तुओं की सूची से हटाने की परिकल्पना की गयी है। कोयला मंत्रालय ने अनिवार्य वस्तु अधिनियम में अनिवार्य वस्तुओं की सूची से कोयले को हटाने के लिए सहमत हो गया है। केन्द्र सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत कोलियरी नियन्त्रण नियमावली, 2004 जारी की है क्योंकि देश में वर्तमान में कोयले की भूमिका को ध्यान में रखते हुए इसे अनिवार्य समझा गया है।

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम

183. **श्री इकबाल अहमद सारडगी** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए सात अंतर मंत्रालयीय कार्य बलों का गठन किया है;

(ख) क्या इन सभी दलों ने अब तक सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए मामले

184. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कितने मामले दर्ज किए गए और उनमें से राज्यवार अलग–अलग आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.एफ.एस., आई.आर.एस. अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज किए गए मामलों की संख्या क्या है;

(ख) उनमें से कितने मामले ऐसे हैं जिनमें उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अपराध सिद्ध कर पाई है; और

(ग) देश में स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों की संख्या इस प्रकार है:–

वर्ष	2001	2002	2003	2004 (31 अक्तूबर, 2004 तक)
पंजीकृत मामलों की संख्या	701	761	707	639
भारतीय प्रशासनिक सेवा	9	2	9	4
भारतीय पुलिस सेवा	1	–	2	1
भारतीय वन सेवा	–	–	–	1
भारतीय राजस्व सेवा	10	16	9	22

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का कार्य क्षेत्र चूंकि अखिल भारतीय स्तर का है और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज अधिकांश मामलों के प्रभाव भी अन्तरराज्यीय स्वरूप के होते हैं। अतः मामलों में संलिप्त अधिकारियों का राज्यवार अलग–अलग ब्योरा देना संभव नहीं है।

(ख) दिनांक 1.1.2001 से 31.10.2004 तक के दर्ज हुए मामलों में से पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन मामलों की परिणति दोष–सिद्धि में हुई, उनकी संख्या इस प्रकार है:–

वर्ष	2001	2002	2003	2004 (31 अक्टूबर, 2004 तक)
दोष सिद्धि	–	7	21	26

(ग) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधान, देश में स्वच्छ और भ्रष्टाचार रहित प्रशासन देने में स्वतः सक्षम है।

नीति और प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र

185. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंगलोर में नीति और प्रबंधन का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए एक केन्द्र स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह केंद्र यूएनडीपी के अनुदान/सहयोग से स्थापित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या यह केन्द्र किसी अन्य संस्था से भी जुड़ा हुआ है; और

(च) यदि हाँ, तो उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों सहित तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (घ) जी, हाँ। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से भारतीय प्रबंध संस्थान, बैंगलोर में लोक नीति केन्द्र गठित किया गया है। यह केन्द्र वर्ष 2002 से कार्य कर रहा है। यह केन्द्र निम्नानुसार वित्त पोषित होता है:–

1. आधारभूत ढाँचे के लिए भारत सरकार की बजटीय सहायता – 8.82 करोड़ रुपये जिसमें से 7.61 करोड़ रुपये दे दिए गए हैं।

2. तीन वर्ष के दीर्घावधि कार्यक्रम, संकाय प्रबंध और उपकरण संबंधी सहायता इत्यादि के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की 2.159 मिलियन अमरीकी डॉलर की सहायता जिसमें से 1.79 मिलियन यू.एस. डॉलर दे दिए गए हैं।

3. भूमि और संकाय संसाधनों के रूप में भारतीय प्रबंध संस्थान बैंगलोर का कल्पित अंशदान –12.27 करोड़ रुपये।

लोकनीति और प्रबंधन में एक दीर्घावधि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम इस केन्द्र में जून, 2002 से पहले ही शुरु कर दिया गया है। इस समय प्रतिभागियों का तीसरा बैच इस पाठ्यक्रम में हिस्सा ले रहा है। प्रत्येक बैच में लगभग 30 प्रतिभागी होते हैं।

(ङ) और (च) 'अन्तर्राष्ट्रीय तुलनात्मक लोक नीति' पर सात सप्ताह के एक मॉड्यूल का प्रशिक्षण देने के लिए यह केन्द्र मैक्सवैल स्कूल ऑफ सिटीजनशिप एण्ड पब्लिक अफेयर्स, यूनीवर्सिटी ऑफ साइराक्यूस, अमेरिका (यू.एस.ए.) से सहयोग करता है। यह मॉड्यूल, लोक नीति और प्रबंधन के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा है और अन्य देशों के तुलनात्मक

अध्ययन के आधार पर लोक प्रबंधन की वैकल्पिक पद्धतियों के माध्यम से सीखने का अवसर प्रदान करता है।

गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष केन्द्र

186. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात और कर्नाटक के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने दूरभाष केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या इन राज्यों के विभिन्न जिलों में दूरभाष केन्द्रों की स्थापना लंबित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) गुजरात और कर्नाटक राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 2,750 और 2,202 ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं।

(ख) से (घ) मार्च, 2005 तक गुजरात राज्य में वडाला (जूनागढ़ एसएसए), वांधिया (भुज) और वरसामेडी वेल्सपान (भुज) स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्रों में तीन नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने की योजना है, बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो। चालू वित्त वर्ष के दौरान कर्नाटक राज्य में कोई नया एक्सचेंज खोलने की योजना नहीं है।

लघु उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर

187. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :** क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में लघु उद्योग को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या चालू योजनावधि के दौरान लघु उद्योगों के लिए वृद्धि दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और देश में लघु उद्योगों के लिए लक्षित वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिए क्या योजना बनाई गई है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) लघु उद्योग देश के वर्तमान निर्यातों में लगभग 34% का योगदान दे रहे हैं जो विदेशी बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाते हैं। सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि लघु उद्योग वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक बने रहें, उठाए गए कदमों में अन्य बातों के अलावा, आईएसओ 9000 प्रमाणपत्र प्राप्त करने में सहायता की योजना, गुणवत्ता पुरस्कार, निर्यात संबंधी उद्यमिता विकास कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी में आर्थिक सहायता प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा, ऋण तक सरल पहुंच सुनिश्चित करना, 25 लाख रुपये तक के कोलेटरल मुक्त ऋण, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए कैपिटल सब्सिडी, उन्नत आधारभूत तंत्र तथा एसएसआई-एमडीए योजना के तहत विदेशी मेलों में भागीदारी, अध्ययन यात्राओं और विदेशी प्रचार सामग्री के उत्पादन के लिए वैयक्तिक सहायता प्रदान करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

(ग) और (घ) वर्तमान योजना अवधि के दौरान लघु उद्योगों की विकास दर का लक्ष्य 12% निर्धारित किया गया है। योजना के दौरान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सरकार लघु उद्योग क्षेत्र को क्रेडिट, प्रौद्योगिकी, विपणन तथा आधारभूत विकास के संबंध में सहयोग प्रदान कर रही है।

विकलांग व्यक्तियों को सचल सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का आबंटन

188. **श्री जुएल ओराम :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विकलांग व्यक्तियों को सचल सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के आबंटन के कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा और अन्य राज्यों में विकलांग व्यक्तियों को कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र आबंटित किए गए हैं; और

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान भारत संचार निगम लि. के द्वारा इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) एमटीएनएल ने दिल्ली और मुम्बई

में विकलांग व्यक्तियों के लिए सचल पीसीओ आबंटित करने की नीति बनाई है जबकि शेष भारत के लिए बीएसएनएल ने ऐसी कोई नीति नहीं बनाई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

लघु उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता

189. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र की वित्तीय सहायता से राज्य के विभिन्न भागों में लघु उद्योगों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों विशेष रूप से महाराष्ट्र को वर्षवार और राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता दी गई है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) लघु उद्योगों की स्थापना करना वैयक्तिक उद्यमियों का कार्यकलाप है। लघु उद्योग क्षेत्र का विकास, मुख्यतः संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार का उत्तरदायित्व है। केन्द्रीय सरकार बढ़े हुए राजकोषीय एवं क्रेडिट सहयोग, आधारभूत संरचना विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण, विपणन, उद्यमिता विकास आदि से संबंधित विभिन्न योजनाओं, जो महाराष्ट्र सहित देशभर में कार्यान्वित की जाती हैं, के कार्यान्वयन के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों में सहयोग एवं अनुपूरण करती है। निधियों का आबंटन योजना–वार किया जाता है, न कि राज्यवार। एकीकृत आधारभूत संरचना विकास (आईआईडी) योजना के अंतर्गत, घटौदी, जिला यावतमल, महाराष्ट्र में आईआईडी केन्द्र की स्थापना के लिए 200 लाख रु. के केन्द्रीय अनुदान की पूरी राशि जारी की गई थी। ग्राम सांगवी, जिला सतारा, महाराष्ट्र में एक आईआईडी केन्द्र की स्थापना के लिए, हाल ही में एक अन्य प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और आई आई डी योजना के प्रावधानों के अनुसार इसकी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

डेंगू के मामले

190. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी अस्पतालों में आज तक डेंगू के कितने मामले सूचित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने राज्यों में डेंगू की रोकथाम के लिए किसी चिकित्सा दल की नियुक्ति की है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर राज्यवार कितनी धनराशि व्यय की जायेगी;

(घ) क्या सरकार का विचार गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले रोगियों को निःशुल्क उपचार देने के लिए किसी योजना को वित्तीय सहायता देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) विभिन्न राज्यों के सरकारी अस्पतालों में 19 नवम्बर, 2004 तक सूचित किए गए डेंगू के मामलों की संख्या संलग्न **विवरण** में दी गई है।

(ख) और (ग) इपिडेमियोलोजिस्टों, सूक्ष्मजीवविज्ञानी, कीटविज्ञानी तथा चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम गठित की गई है तथा उसे डेंगू सहित सूचित किए गए वेक्टर जनित रोगों के प्रकोप की जांच करने के लिए राज्यों में भेजा गया है। टीम के दौरों पर होने वाले व्यय संबंधित संस्थान द्वारा वहन किया जाता है तथा इस उद्देश्य के लिए अलग से कोई निधि प्रदान नहीं की जाती है।

(घ) और (ङ) डेंगू के इलाज के लिए कोई विशेष एंटी–वाइरल औषधि नहीं है तथा इसके मामले लक्षणों के आधार पर देखे जाते हैं। चिकित्सीय एवं अर्धचिकित्सीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर राज्यों की क्षमता विकसित करने तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2004 के दौरान राज्यवार रिपोर्ट किए गए डेंगू के मामले

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2004 (19 नवम्बर, 2004 तक अनंतिम)	
		मामले	मौतें
1.	आन्ध्र प्रदेश	169	1
2.	बिहार	0	0
3.	चंडीगढ़	0	0
4.	दिल्ली	439	3
5.	गोवा	3	0
6.	गुजरात	0	0
7.	हरियाणा	16	0
8.	कर्नाटक	213	2
9.	केरल	629	8
10.	महाराष्ट्र	371	9
11.	सिक्किम	7	0
12.	पंजाब	2	0
13.	राजस्थान	142	5
14.	तमिलनाडु	490	0
15.	उत्तर प्रदेश	4	0
16.	पांडिचेरी	0	0
	कुल	2485	28

संचार सुविधाओं का विस्तार

191. **श्री रामदास आठवले** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में संचार सुविधाओं के विस्तार के दौरान कथित अनियमितताएं बरती गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षे के दौरान राज्यवार कितने ठेकेदारों को ठेके दिए गए; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान टेलीफोन की तार बिछाने में कुल कितनी धनराशि खर्च हुई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खादी ग्रामोद्योग आयोग को घाटा

192. **श्री सीताराम सिंह** : क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग विगत तीन वर्षों से घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्योरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन इकाइयों के पुनरुज्जीवन के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त आयोग को सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) एक वाणिज्यिक संगठन नहीं है। तथापि, के वी आई सी, अपनी संवर्धनात्मक गतिविधियों के तहत खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन के लिए कुछ व्यापारिक कार्यकलाप करता है। विगत तीन वर्षों के दौरान व्यापारिक प्रचालन में हुई हानि निम्नोक्त है:

वर्ष	राशि (करोड़ रु.)
2001–02	1.06
2002–03	1.13
2003–04	1.31

(ग) सरकार ने, अपने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम

के भाग के रूप में के वी आई सी के नवीनीकरण के लिए कदम उठाने का निर्णय किया है।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान, सरकार द्वारा के वी आई सी को प्रदान की गई वर्ष–वार वित्तीय सहायता निम्नोक्त है:–

वर्ष	राशि (करोड़ रु.)
2001–02	182.18
2002–03	340.55
2003–04	423.60

[अनुवाद]

सी. बी. आई के छापे

193. **श्री विजय कृष्ण :**

श्री रामचन्द्र पासवान :

श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

श्री उदय सिंह :

श्री रमाकान्त यादव :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर, 2004 के दौरान सी. बी. आई. ने देश के विभिन्न भागों में छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उक्त छापों के दौरान दोषी पाये गये व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) जी, हाँ।

(ख) विशेष अभियान के एक भाग के रूप में दिनांक 29.09.2004 को अनेक स्थानों पर सी. बी. आई. ने छापे मारे। इस अभियान के अंतर्गत 65 मामले दर्ज किए गए जिनमें 88 सरकारी कर्मचारी और 142 निजी व्यक्ति/फर्में शामिल हैं।

(ग) इन सभी मामलों में जाँच–पड़ताल प्रगति पर है और जांच पड़ताल के दौरान एकत्र साक्ष्य के आधार पर कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

जार्ज़ मेडीकल विश्वविद्यालय में अभिघात केन्द्र की स्थापना

194. **श्री ब्रजेश पाठक :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दिनांक 30 जनवरी, 2001 को उत्तर प्रदेश में लखनऊ के किंग जार्ज़ मेडिकल विश्वविद्यालय के (किंग जार्ज़ मेडिकल कॉलेज) में अभिघात केन्द्र की स्थापना के लिए उपकरणों, एम्बुलेंस, सिविल कार्य और संचार के लिए वित्तीय सहायता आबंटित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या किंग जार्ज़ मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ ने केन्द्र की वित्तीय सहायता से अभिघात केन्द्र की स्थापना की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या किंग जार्ज़ मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ ने इस धन को एम्बुलेंस, सिविल कार्यों, संचार, अभिघात केन्द्र के उपकरणों को खरीदने में खर्च किया है;

(च) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि उपर्युक्त अभिघात केन्द्र के लिए आबंटित धन का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(छ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त धन के अवैध दुरुपयोग की जांच करने के लिए केन्द्रीय स्तर की उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है/किए जाने का विचार है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किंग जार्ज़ मेडिकल कॉलेज, लखनऊ में अभिघात केन्द्र स्थापित करने हेतु वर्ष 2000–01 के

दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को 1.50 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

(ग) से (ङ) उत्तर प्रदेश सरकार को जारी की गई निधियों का समुपयोजन पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, अभिघात केन्द्र में विभिन्न घटकों पर संस्थान द्वारा खर्च की गई राशि और इस प्रयोजन के लिए स्वीकृत निधियों के कथित दुरुपयोग से संबंधित ब्योरे राज्य प्राधिकारियों से मांगे जा रहे हैं

(च) से (ज) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

चिकित्सा महाविद्यालयों में स्थान

195. **श्री सुग्रीव सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा सरकार से राज्य के तीन सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों अर्थात् एस.सी.बी. मेडिकल कॉलेज, कटक, वी.एस.एस. मेडिकल कॉलेज, बुरेया और एम.के.सी.एस. मेडिकल कॉलेज, बरहामपुर में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में स्थान बढ़ाने के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम के उपबंध और उसके अंतर्गत बने नियमों के अंतर्गत एम.बी.बी.एस. सीटों को बढ़ाने की अनुमति दे रही है। इन उपबंधों के अंतर्गत उड़ीसा सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें कटक, बुरला और बरहामपुर स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की अनुमति मांगी गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशों के आधार पर एस.सी.बी. मेडिकल कालेज, कटक में वर्ष 2003–04 के लिए सीटों को 107 से बढ़ाकर 150 करने की अनुमति दे दी गई थी। तथापि, यह कालेज वर्ष 2004–05 के दौरान दूसरे बैच के नामांकन के लिए दोबार अनुमति प्राप्त करने हेतु आवश्यक सुविधाएं मुहैया नहीं करा सका। इसलिए दोबारा अनुमति नहीं दी जा सकी। तथापि, बुरला और बरहामपुर स्थित मेडिकल कालेजों में सीटें बढ़ाने संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन नहीं किया गया क्योंकि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार इन कालेजों में सीटों की प्रस्तावित वृद्धि के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अधीन प्रस्ताव

196. **श्री मुन्शी राम : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अधीन राज्यों से कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) सरकार द्वारा कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं और कितने प्रस्ताव लंबित हैं और उनकी प्रतिशतता क्या है;

(ग) उक्त प्रस्तावों को स्वीकृति देने में विलंब के कारण क्या हैं;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों को रोजगार के अवसरों से वंचित रखने के लिए जवाबदेही नियत की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2004–05 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) के अंतर्गत 30.09.2004 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कार्यान्वयन बैंकों द्वारा 89163 प्रस्ताव (आवेदन) प्राप्त किए गए हैं।

(ख) कार्यान्वयन बैंकों द्वारा 33,271 प्रस्ताव (आवेदन) संस्वीकृत किए गए हैं, और 30.09.2004 तक 34,791 प्रस्ताव (अवोदन), जिसमें कुल प्राप्त प्रस्तावों (आवेदनों) का 39.02% शामिल है, अनुमोदन के लिए लंबित है।

(ग) सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मामलों का प्रायोजन, लक्ष्य का 125% होना चाहिए। अतः दिए गए किसी भी समय में बैंकों में कुछ आवेदनों के लंबित रहने

की संभावना है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित पात्र आवेदनों पर कार्यान्वयन बैंकों द्वारा विचार किया जाना है और इनका पी एम आर वाई के तहत आवेदनों के निपटान के लिए निर्धारित समय–सीमा के अनुसार निपटान किया जाएगा।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

समीा प्रबंधन संबंधी भारत-भूटान समूह

197. श्री रायापति सांबासिवा राव :

श्री टेक लाल महतो :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और भूटान सीमा पर भारतीय क्षेत्र में एस एस बी बलों की तैनाती सहित सुरक्षा को सुदृढ़ करने के विशेष उपाय करने के लिए सहमत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सहमति विदेश मंत्री की भूटान यात्रा के दौरान बनी थी;

(ग) यदि हां, तो क्या दोनों देशों ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा संबंधी द्विपक्षीय समूह के गठन के बारे में संतोष व्यक्त किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या भूटान सरकार ने आश्वासन दिया है कि भूटान में ऐसे कोई आतंकवादी शिविर नहीं होंगे जो भारत विरोधी गतिविधियां चलाते हों; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) से (ङ) भूटान की शाही सेना ने दक्षिणी और पूर्वी भूटान में अवस्थित भारतीय विद्रोही गुटों को खदेड़ने के लिए दिसम्बर, 2003 और जनवरी, 2004 में सफल सैन्य कार्रवाइयाँ की। कार्रवाई के परिणामस्वरूप उल्फा एन डी एफ बी और के एल ओ के 30 शिविरों को नष्ट कर दिया गया। भारत की सरकार भूटान की शाही सेना के समर्थन में दृढ़ता से खड़ी रही और इसने कार्रवाई समाप्त हो जाने तक सभी प्रकार के वांछित संभारतंत्रीय समर्थन उपलब्ध कराये।

भारत सरकार भूटान को सुरक्षा से संबंधित ऐसी सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है जिससे फलश आउट कार्रवाई के दुष्परिणाम कम से कम हों। एस एस बी को भारत भूटान सीमा पर तैनात किया जा रहा है। यह असम से गुजरने वाले भूटानी वाहनों के साथ चलकर उन्हें संरक्षण भी प्रदान कर रहा है। सुरक्षा मसलों पर सहयोग संवर्द्धित करने के लिए दोनों देशों के गृह मंत्रालयों के अंतर्गत एक संयुक्त भारत–भूटान सीमा सुरक्षा दल गठित किया गया है जिसकी दो उपयोगी बैठकें मार्च और सितम्बर, 2004 में हो चुकी हैं। भारत और भूटान की सुरक्षा एजेंसियों के बीच भी घनिष्ठ क्रियाकलाप होता रहता है। भारत और भूटान के सीमावर्ती जिलों के बीच भी प्रभावी समन्वय है।

अक्टूबर, 2004 में विदेश मंत्री की भूटान यात्रा और दोनों देशों के बीच हुई अन्य उच्च स्तरीय बैठकों के दौरान दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच विद्यमान संयुक्त तंत्र और जारी सहयोग पर संतोष व्यक्त किया है।

भूटान की शाही सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि वह विद्रोही गुटों को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए भूटान के क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगी।

नई पत्तन नीति

198. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रमुख पत्तनों हेतु एक नई नीति पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह नीति अंतःपत्तन और अंतर–पत्तन प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने पर बल देती है;

(ग) यदि हां, तो नई नीति की कब तक घोषणा किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) पत्तनों, वाणिज्यिक पोत–परिवहन और अन्तर्देशीय जल–परिवहन को समाविष्ट करके सामुद्रिक क्षेत्र के बारे में व्यापक नीति, अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में चल रही है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) उपयुक्त नीति उद्घोषित किए जाने के बारे में कोई समय–सीमा विशेष निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) उपर्युक्त नीति में निहित उद्देश्य निम्नानुसार हैं:–

(i) मौजूदा पत्तनों को विश्व के अग्रणी पत्तनों के समान सशक्त और सुविधा–सम्पन्न बनाने की दृष्टि से उन्हें आधुनिकीकृत करना और उनमें सुलभ सुविधाओं का उन्नयन करना।

(ii) अधिक से अधिक आर्थिक फायदा उठाने की दृष्टि से देश के व्यापक तटीय क्षेत्र और डुबाव का पूरा उपयोग करने के प्रयोजन से नये पत्तन विकसित करना।

(iii) देश के कार्गो से पत्तनों तक कम से कम दूरी तय करके पहुंचना सुनिश्चित करने और व्यापार के लिए प्रदेश में पत्तनों और पत्तनों के अन्दर टर्मिनलों को चुनने की सुविधा सुलभ करवाने हेतु पश्च भूमि से सम्पर्क कायम करने को बढ़ावा देना।

(iv) पत्तन–सुविधाओं और पत्तनों की कार्य–कुशलता का समग्र रूप से इष्टतम उपयोग किया जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से पत्तन–विशेषज्ञता और अन्तर–पत्तन सम्पूरकता विकसित करना एवं प्रोत्साहित करना।

(v) अंतर्देशीय और विदेशी दोनों ही तरह के गैर सरकारी निवेश का प्रवाह बढ़ाना सुकर और सुसाध्य बनाना और उसके साथ–साथ एकाधिकारों के उभरने की संभावनाएँ नहीं होने देने की दृष्टि से प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश–वातावरण कायम किया जाना सुनिश्चित करना।

(vi) निवेशों के संबंध में पत्तनों पर अपेक्षित बुनियादी सुविधाओं के ढाँचे की व्यवस्था करने वाले सरकारी प्राधिकारियों/गैर सरकारी क्षेत्र के अंतर्देशीय अथवा विदेशी अथवा संयुक्त उद्यमों हेतु सांस्थानिक रक्षोपायों की व्यवस्था करना और प्रयोक्ताओं को मुहैया करवाई जा रही सेवा के मानकों का पालन किया जाना सुनिश्चित करना।

(vii) कम समय और लागत लगने देने की दृष्टि से मल्टीमॉडल परिवहन को बढ़ावा देना।

(viii) विश्व–टनभार में देश की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल करने और भारतीय ध्वज से युक्त जलयानों द्वारा कार्गो का परिवहन करवा कर उन्हें सहायता पहुंचाने के जरिये देश के विदेशी यातायात के संचालन में भारतीय जहाजों की हिस्सेदारी बढ़ाने की दृष्टि से भारतीय टनभार का अर्जन सुकर और सुसाध्य बनाना।

(ix) स्वदेशी जहाज–डिजाइन और अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ–साथ, जहाज–निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज तोड़ने से संबंधित कार्य–कलापों को बढ़ावा देना और उन्हें सशक्त करना।

(x) विश्व के स्तर पर स्वीकृत उत्कृष्टता से युक्त, योग्य भारतीय समुद्री कार्मिक तैयार करने की दृष्टि से और ऐसी मानव–पूँजी की, विदेशी और भारतीय दोनों प्रकार के जहाजों में बढ़ती हुई मांग से लाभ उठाने की दृष्टि से आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध करवाना।

(xi) अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास और उन्हें समुद्री मार्गों के साथ–साथ, भूतल यातायात के अन्य साधनों से संपर्क के अन्य बिन्दुओं से बने राष्ट्रीय परिवहन तंत्र से जोड़ना।

(xii) पोत–परिवहन और पत्तन–क्षेत्रों को सहायता जुटाने और उन्हें कायम रखने के लिए आवश्यक और प्रशिक्षण सुलभ करवाने, अनुसंधान और विकास तथा अन्य आवश्यक कार्य–कलापों के निष्पादन के उद्देश्य से उपयुक्त संस्थान कायम करना।

(xiii) भारतीय पत्तनों पर तटीय और विदेशी समुद्री यातायात का प्रवाह बढ़ाना प्रोत्साहित करने की दृष्टि से देश के तटीय क्षेत्र में नौचालन के लिए अपेक्षित अत्याधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

[हिन्दी]

निजी कम्पनियों में सेवानिवृत्त दूरसंचार अधिकारी

199. मो. मुकीम : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति के तत्काल पश्चात् अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्राप्त करने के बाद स्वयं को निजी कंपनियों में नामांकित करवा लेते हैं जैसा कि दिनांक 19 नवम्बर, 2004 के हिन्दी दैनिक जागरण में उस आशय पर समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसके विरुद्ध जांच करने के बाद नियमानुसार कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्यवाही कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश हेतु निधियां

200. श्री डी. विट्टल राव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश का वार्षिक योजना आबंटन आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित आबंटन से बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार योजनाओं संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए और धनराशि देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) जी, नहीं। आन्ध्र प्रदेश का वर्ष 2004–05 के लिए वार्षिक योजना आबंटन योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच विचार–विमर्श के बाद, संसाधनों और पहचान की गई आवश्यकताओं के आधार पर 12,790.42 करोड़ रुपये किया गया है।

(ख) से (घ) लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति हेतु धनराशि

201. श्री संतोष गंगवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति हेतु निर्धारित धनराशि कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस पद्धति से जुड़े विभिन्न संगठनों ने सरकार से धनराशि बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एम.टी.एन.एल की सेवाओं का विस्तार

202. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.टी.एन.एल. ने महाराष्ट्र के ओसमानाबाद जिले में अपनी सेवाओं के विस्तार के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उस पर खर्च की गई धनराशि कितनी है; और

(ग) एम.टी.एन.एल. द्वारा इन सेवाओं के विस्तार को कब तक पूर्ण किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सूचना का सभा पटल पर रखा जाना

203. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या प्रधानमंत्री 25, अप्रैल, 2003, 29 जुलाई, 2003 और 2 दिसम्बर, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5141, 1241, 21 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना सभा पटल पर रख दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं और उक्त सूचना के कब तक सभा पटल पर रखे जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (घ) संदर्भहीन प्रश्नों में शामिल मुद्दों पर संबंधित विभागों/अभिकरणों इत्यादि से परामर्श करते हुए कार्रवाई किए जाने की प्रक्रिया चल रही है तथा जितनी जल्दी संभव हो सके दिए गए आश्वासनों को पूरा कर लिया जाएगा।

कन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन

204. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कंट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशनों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि पर नियंत्रण के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ख) इन संगठनों के प्रत्यापन के लिए डीसीजीआई द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) ऐसे कौन से निकारात्मक उपाय किए जा रहे हैं जिससे कि भारतीय रोगियों को गिनिपिग न बनना पड़े?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत में फार्मेस्युटीकल उत्पादों के बारे में नैदानिक परीक्षणों के लिए अच्छी नैदानिक पद्धतियों से संबंधित जारी किए गए दिशा–निर्देशों में संविदा अनुसंधान संगठनों का इस प्रकार उल्लेख किया गया है:– "वह संगठन जिसको प्रायोजक किसी नैदानिक अध्ययन से संबंधित कुछ अथवा सभी कार्यों, कर्तव्यों और/अथवा दायित्वों को हस्तांतरित अथवा प्रत्यायोजित कर सकता है। ऐसे सभी दायित्वों के संविदीय हस्तांतरण को लिखित में परिभाषित किया जाना चाहिए। संविदा अनुसंधान संगठन से तात्पर्य एक वैज्ञानिक निकाय–वाणिज्यिक, शैक्षणिक अथवा अन्य संगठन से है।"

इस समय औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत संविदा अनुसंधान संगठन की मान्यता के लिए कोई उपबंध नहीं है, तथापि, औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अंतर्गत अनुसूची 'वाई' और इस मंत्रालय द्वारा जारी 'अच्छी नैदानिक पद्धतियों' से संबंधित दिशानिर्देशों में भारतीय रोगियों पर नैदानिक परीक्षण करते समय अनुपालन किए जाने वाले निर्धारित मानदंडों के उपबंध हैं।

कर्नाटक में टेलीफोन एक्सचेंज

205. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार 2004–05 के दौरान कर्नाटक में स्थापित टेलीफोन एक्सचेंजों की प्रणाली का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्योरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितने टेलीफोन एक्सचेंजों का उन्नयन किया गया है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान किन टेलीफोन एक्सचेंजों का उन्नयन करने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हाँ। वर्ष 2004–05 के दौरान कर्नाटक में दो नए टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित करने की योजना बनाई गई है।

(ख) स्थानवार ब्योरे नीचे दिए गए हैं:–

1. केराडी (मंगलौर एसएसए)

2. केंजला (मंगलौर एसएसए)

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्नयन किए गए एक्सचेंजों की कुल संख्या निम्नवत है:–

	2001–02	2002–03	2003–04
खोले गए नए एक्सचेंजों की संख्या	132	66	10
उन्नयन किए गए एक्सचेंजों की संख्या	1555	953	745

(घ) चालू वर्ष के दौरान 961 सी–डॉट 256 पोर्ट आरएएक्स को एएन आरएएक्स में उन्नयन किए जाने की योजना बनाई गई है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना

206. श्री परसुराम माझी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन–किन राज्यों में स्वास्थ्य क्षेत्र में सामुदायिक प्रयास पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वित्तपोषित प्रौद्योगिक परियोजना शुरू की गयी है;

(ख) उक्त परियोजना का संक्षिप्त ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस परियोजना को प्रत्येक राज्य में लागू करने हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली और कर्नाटक राज्यों में 1999–2000 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी) की सहायता से "स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक पहलों" पर प्रायोगिक परियोजना आरम्भ की गई थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने इस परियोजना के लिए 2 मिलियन अमरीकी डालर प्रदान किए हैं। इसके तीन घटक हैं, अर्थात स्कूल स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या वित्त व्यवस्था और स्वास्थ्य में बहु–क्षेत्रीय दृष्टिकोण। केरल में स्कूल स्वास्थ्य घटक ग्राम आधारित है और इसमें शिक्षा प्राप्ति में कठिनाई पर ध्यान दिया गया है जबकि दिल्ली में (शहर में) यह अस्वस्थता और अनुपस्थिति पर केन्द्रित है। दिल्ली में सैंकड़ों स्कूलों में स्कूल स्वास्थ्य परियोजना पूरी हो गई है। कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या वित्त घटक समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सुरक्षा नेट के लिए प्रायोगिक माडल पर केन्द्रित है जिससे कि प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पहुंच में सुधार हो सके। उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में स्वास्थ्य घटक के लिए बहु–क्षेत्रीय दृष्टिकोण में जिला स्वास्थ्य योजनाओं के विकास पर बल दिया गया है जिसमें समुदायों तथा स्थानीय सरकारी इकाइयों को सशक्त बनाकर समुदाय द्वारा पता लगाई गई जरूरतों को पूरा किया जाएगा।

(ग) से (ङ) इस समय अन्य राज्यों में इस परियोजना का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

मनोचिकित्सकों की भर्ती

207. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारत में लगभग 6 करोड़ लोग किसी न किसी मानसिक रोग से पीड़ित हैं और इन रोगों के उपचार के लिए देश में लगभग 3600 मनोचिकित्सक ही उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार और अधिक संख्या में मनोचिकित्सकों की भर्ती करने का निर्णय लेगी, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार मनोचिकित्सक और रोगियों का अनुपात 1:16000 है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) यह अनुमान है कि 5 प्रतिशत जनसंख्या अवसाद, न्यूरोटिक्स, तनाव एवं सामंजस्य (एडजस्टमेंट) संबंधी विकारों जैसे विभिन्न मनोवैज्ञानिक विकारों से पीड़ित होती है। लगभग 1 प्रतिशत जनसंख्या गंभीर मानसिक विकारों अर्थात मनोविक्षिप्तता विकारों से पीड़ित होती है और 0.5 प्रतिशत जनसंख्या को गंभीर मानसिक विकारों के सक्रिय उपचार की आवश्यकता हो सकती है। देश में 3000 योग्यता प्राप्त मनश्चिकित्सक, 500 क्लीनीकल मनोवैज्ञानिक, 300 मनश्चिकित्सा संबंधी सामाजिक कार्यकर्ता और लगभग 600 प्रशिक्षित मनश्चिकित्सक नर्सें हैं।

अब सरकार का प्रयास मानसिक रोगियों का रोग के शुरू में निदान करने और सामान्य स्वास्थ्य प्रदानगी प्रणाली के जरिए उनका उपचार करने का है। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों को मानसिक रोगियों का उपचार करने हेतु मनश्चिकित्सा के क्षेत्र में अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

मस्तिष्क ज्वर

208. योगी आदित्यनाथ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मस्तिष्क ज्वर की संभावना वाले राज्यों की प्रतिवर्ष संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार के पास मस्तिष्क ज्वर से प्रतिवर्ष होने वाली मौतों से संबंधित आंकड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो द्वारा रखे गए आंकड़े के अनुसार देश में विगत तीन वर्षों के दौरान मस्तिष्क ज्वर से हुई मौतों की राज्य-वार संख्या संलग्न **विवरण** में दी गई है।

विवरण

मेनिनगोकोकल मेनिनजाइटिस से हुई मौतों की सूचित संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	2002	2003	2004
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	49	86	33
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	3	–
3.	असम	0	–	–
4.	बिहार	0	–	–
5.	छत्तीसगढ़	0	–	–
6.	गोवा	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	3
8.	हरियाणा	7	2	2
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	4	0
11.	झारखंड	0	–	–
12.	कर्नाटक	10	9	26
13.	केरल	4	1	5
14.	मध्य प्रदेश	13	8	6
15.	महाराष्ट्र	96	70	38
16.	मणिपुर	0	8	6
17.	मेघालय	18	16	8
18.	मिजोरम	1	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0
20.	उड़ीसा	2	13	0
21.	पंजाब	28	1	0

1	2	3	4	5
22.	राजस्थान	39	35	0
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	1	1	0
25.	त्रिपुरा	1	0	0
26.	उत्तरांचल	0	–	–
27.	उत्तर प्रदेश	2	4	0
28.	पश्चिम बंगाल	500	292	69
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	0	0
30.	चण्डीगढ़	16	6	6
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0
33.	दिल्ली	50	48	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पांडिचेरी	12	16	3
	कुल	851	623	205

[अनुवाद]

मनोरोग अस्पतालों का उन्नयन

209. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय के लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर का उन्नयन करने के आदेश के बावजूद भी इस संस्थान के लिए धन की कमी है एवं धनराशि जारी करने में देरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या मनोरोग के सबसे पुराने संस्थान में से एक इस संस्थान के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण हेतु सरकार के पास कोई प्रस्ताव लम्बित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ङ) इस मामले में वर्तमान स्थिति का ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) भारत के उच्चतम न्यायालय ने अक्तूबर, 1994 में अपने आदेश में निदेश दिया कि तत्कालीन असम सरकार के अधीन तेजपुर मानसिक अस्पताल को जिसे अब एल जी बी क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर कहा जाता है, प्रशासक मण्डल के हाथों में सौंप दिया जाना चाहिए और इसके लिए 50 प्रतिशत निधियां भारत संघ द्वारा तथा 50 प्रतिशत निधियां पूर्वोत्तर राज्य परिषद द्वारा प्रदान की जाएंगी। तदनुसार, असम सरकार द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसार भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 1995–96 और 1996–97 के दौरान 2–2 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया। इस संस्थान को अब केन्द्रीय सरकार के पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग के अन्तर्गत पूर्वोत्तर परिषद् द्वारा अपने अधिकार में लिया गया है। पूर्वोत्तर परिषद और असम सरकार द्वारा संस्थान को जारी की गई निधियों का ब्योरा नीचे दिया गया है:–

पूर्वोत्तर परिषद	2002–03	:	4.90 करोड़ रुपए
	2003–04	:	1.70 करोड़ रुपए
असम सरकार	2002–03	:	4.90 करोड़ रुपए
	2003–04		1.70 करोड़ रुपए

पश्चिम बंगाल में दूरभाष केन्द्र/डाकघर

210. श्री जोवाकिम बखला : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में खोले गए दूरभाष केन्द्रों, डाकघरों एवं उप–डाकघरों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 2004–05 के दौरान जलपाईगुड़ी में किन–किन स्थानों पर दूरभाष केन्द्र, डाकघर एवं उप–डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ग) जलपाईगुड़ी में डाकघर एवं उप-डाकघर स्थापित किये जाने हेतु सरकार के पास विचारार्थ प्रस्तावों की संख्या कितनी है; और

(घ) ये कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) पश्चिम बंगाल में जलपाईगुडी जिले में 58 टेलीफोन एक्सचेंज, 2 प्रधान डाकघर, 57 उप-डाकघर, 16 अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर तथा 226 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोले गए हैं।

(ख) वर्ष 2004-05 में कोई नया टेलीफोन एक्सचेंज, डाकघर, उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) शून्य।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में संशोधन

211. **श्री असादुद्दीन ओवेसी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पानी को खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम के अधीन लाने के लिए सरकार इसमें संशोधन करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसा विधेयक का कब तक लाये जाने की सम्भावना है; और

(घ) पानी को अधिनियम के अन्तर्गत लाये जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 को संशोधित करने का प्रस्ताव किया है ताकि पेय जल को भी उक्त अधिनियम की परिधि में लाया जा सके।

लोगों को पीने के लिए तथा विभिन्न खाद्य पदार्थों के निनिर्माण में उपयोग के लिए सुरक्षित जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रस्ताव किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के उपरोक्त प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल के निदेशों के अनुसार गठित किए जाने वाले मंत्रियों के दल द्वारा विचार किया जाना है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रहस्यमयी बुखार

212. **श्री रघुराज सिंह शाक्य** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 30 अक्तूबर, 2004 के हिन्दी दैनिक 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित समाचार के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रहस्यमयी बुखार का प्रकोप फैला हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो इस जांच रिपोर्ट का ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसे रहस्यमय रोगों को रोकने हेतु कोई प्रभावी नीति तैयार करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (च) उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य प्राधिकारियों ने सहारनपुर एवं बागपत जिलों में एन्सीफैलाइटिस के कारण हुए ज्वर एवं मौतों की सूचना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को दी है।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में 25 सितम्बर, 2004 से एन्सीफैलाइटिस से प्रभावित बच्चों के 156 मामले सूचित किए गए हैं जिसमें 111 मौतें हुई (30 नवम्बर, 2004 तक) है।

बागपत जिले (ब्लाक खेकड़ा) में 28 सितम्बर से 23 अक्तूबर, 2004 तक 13 मौतें होने की सूचना दी गई है। उसके बाद किसी भी मौत के होने की सूचना नहीं दी गई है।

चिकित्सा परिचर्या प्रदान करना तथा जन स्वास्थ्य उपाय करने का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकार का है। आवश्यकता होने पर केन्द्र सरकार तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

[अनुवाद]

शीर्षस्थ स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानों की स्थिति

213. **श्री राम कृपाल यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रामपुर और ऋषिकेश में स्थापित किए जा रहे सभी छह शीर्षस्थ स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) प्रत्येक संस्थान के बजट का ब्योरा क्या है;

(ग) इन संस्थानों पर पहले ही कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है;

(घ) क्या इन सभी संस्थानों को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत एम्स की तरह के छः संस्थानों के गठन के प्रस्ताव पर व्यय वित्त समिति द्वारा 24.11.2004 को विचार किया गया तथा अब इसे अनुमोदनार्थ आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अनुमोदन प्राप्त होने तक बाउन्डरी की दीवार के निर्माण, विस्तृत परामर्शी सेवाएं देने हेतु परियोजना सलाहकार के चयन की प्रक्रिया तथा एम्स जैसे संस्थानों के लिए आर्कीटेक्चरल संकल्पनाओं/संरचनाओं के चयन जैसे प्रारंभिक कार्यकलाप आरम्भ कर दिए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रत्येक संस्थान के गठन की अनुमानित लागत लगभग 284.50 करोड़ रुपए है तथा प्रतिवर्ष वेतन, रखरखाव आदि पर होने वाली अनुमानित लागत 60 करोड़ रुपए प्रति संस्थान है। 6 करोड़ रुपए बाउन्डरी की दीवार के निर्माण पर व्यय किए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी हां, इन अस्पतालों का निर्माण शुरू होने की तारीख से तीन साल के बाद इनका प्रचालन आरम्भ होने की संभावना है।

पत्तनों का निजीकरण

214. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में पत्तनों के निजीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार महाराष्ट्र में कोंकड़ तटवर्ती क्षेत्रों में भारी यातायात से निपटने के लिए मुर्मगांव और जे.एन.पी.टी. के बीच नया पत्तन स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन, देश में कार्य कर रहे महापत्तनों का निजीकरण किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। महापत्तनों के सिवाय अन्य पत्तन, संबंधित समुद्री राज्य-सरकारों के समग्र अधिकार-क्षेत्र में है।

(ग) और (घ) कोंकण तट पर, मुरगाँव और जवाहरलाल नेहरू पत्तनों के बीच एक नया पत्तन कायम किए जाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

गरीबी के मानदंड

215. **श्री किन्जरपु येरननायडु** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की आधिकारिक गरीबी रेखा में गरीब घोषित करने के मानदंड विश्व में चीन के बाद सबसे नीचे हैं;

(ख) यदि हां, तो गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) चीन की भांति भारत के गरीब लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) योजना आयोग को किसी भी आधार के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं है, जिसके माध्यम से यह कहा जा सके कि भारत की आधिकारिक गरीबी रेखा में गरीब घोषित करने के मानदंड विश्व में चीन के बाद सबसे नीचे हैं। देशों की गरीबी रेखा की सामान्यता तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु जिन बातों को ध्यान में रखा जाता है, वे भिन्न–भिन्न देशों के लिए भिन्न–भिन्न होती हैं।

(ख) गरीबी रेखा को प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के अर्थों में व्यक्त किया जाता है जिसकी खाद्य उपभोग से कैलोरी आहार की एक न्यूनतम मात्रा साथ–ही–साथ वस्त्र, आवास, परिवहन आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अखाद्य व्यय की न्यूनतम मात्रा प्राप्त करने में आवश्यकता होती है।

योजना आयोग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के निर्धारण के मानदंड के रूप में प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय पर आधरित गरीबी रेखा का उपयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर पर 1973–74 की कीमतों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति उपभोग मानदंड 49.09 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है और शहरी क्षेत्रों में 56.64 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की प्रतिव्यक्ति प्रति दिन कैलोरी आवश्यकता के मानदंड पर प्राप्त होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक (बास्केट) मात्रा के समनुरूप है। किसी राज्य विशेष की गरीबी रेखा राज्य विशेष के मूल्य सूचकांकों और अंतर्राज्यीय मूल्य विभेदकों का प्रयोग कर राष्ट्रीय स्तर की गरीबी रेखा से प्राप्त की जाती है। वर्ष 1999–2000 की कीमतों के आधार पर राष्ट्रीय गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में 327.56 रुपये प्रति माह है और शहरी क्षेत्रों में 454.11 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह है।

(ग) सरकार ने गरीबी निवारण के लिए त्रिआयामी कार्य नीति अपनाई है, वे हैं : (i) रोजगार गहन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए आर्थिक विकास को तेज करना; (ii) बुनियादी न्यूनतम सेवाओं का प्रावधान करके मानव और सामाजिक विकास; और (iii) लक्षित गरीबी–रोधी कार्यक्रम।

ग्राम स्तर पर भारत के गरीबों की बुनियादी आवश्यकताओं पर ध्यान रखने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) के रूप में एक पहल शुरू की गई थी। पीएमजीवाई में सरकार के कुछ निश्चित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से चयनित बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता पर विचार किया जाता है। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण और पोषण शामिल हैं।

इसके अलावा, जून 1997 से भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को विशेष कार्ड जारी करके और पीडीएस के अंतर्गत उनको विशेष रूप से सब्सिडाइज्ड कीमतों अर्थात् आर्थिक लागत के 50% पर खाद्यान्न बेचकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल और कारगर बनाया गया है। नई स्कीम अर्थात् लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत प्रत्येक गरीब परिवार 35 किलो खाद्यान्न प्राप्त करने का पात्र है।

अत्यंत गरीब श्रेणी की और टीपीडीएस को केन्द्रित करने और लक्षित करने के उद्देश्य से "अंत्योदय अन्न योजना" सर्वाधिक गरीब परिवारों को अधिक सब्सिडाइज्ड दर अर्थात् 2 रुपये प्रति किलो. पर गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलो. पर चावल मुहैया कराती है। दिनांक 8.7.04 को प्रस्तुत 2004–05 के बजट में यह घोषणा की गई थी कि अंत्योदय अन्न योजना की कवरेज को 1.5 करोड़ परिवारों से बढ़ाकर 2.0 करोड़ परिवारों तक किया जाएगा।

[हिन्दी]

सिंहभूम में ग्रामीण दूरसंचार सेवा

216. श्री सुनिल कुमार महतो : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में ग्रामीण दूरसंचार कार्य संतोषजनक रूप से नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा मोबाइल फोनों की संख्या बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मोबाइल फोन बढ़े हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मोबाईल फोनों की संख्या बढ़ाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

(i) सर्वाजनिक अभिगम्यता सेवा लाइसेंस (यूएएसएल) संबंधी दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं;

(ii) लाइसेंस शुल्क घटा दिया गया है;

(iii) स्पेक्ट्रम प्रभार राजस्व भागीदारी के आधार पर लिए जाएंगे।

(घ) पिछले तीन वर्षों के लिए सेल्युलर मोबाइल उपभोक्ताओं (सीडीएमए सहित) की संख्या निम्नानुसार है:–

31.03.2002 की स्थिति के अनुसार कुल मोबाइल कनेक्शन	–	64,31,520
31.03.2003 की स्थिति के अनुसार कुल मोबाइल कनेक्शन	–	1,40,56,393
31.03.2004 की स्थिति के अनुसार कुल मोबाइल कनेक्शन	–	3,33,11,561

[अनुवाद]

गोवा में पुल का निर्माण

217. **श्री अलीमाऊ चर्चील : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोवा ने दक्षिण गोवा के कनाकोना में गल्गिबाग से टालजोना तक पुल के निर्माण हेतु मंत्रालय से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में अब तक निविदाएं आमंत्रित की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां। दक्षिणी गोवा में दो पुलों अर्थात् गल्गिबाग और टालपोना के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग, गोवा से एक प्राथमिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) लोक निर्माण विभाग, गोवा को कहा गया है कि वह संपूर्ण परियोजना के तकनीकी ब्योरे सुनिश्चित करे और वित्तीय विश्लेषण संबंधी ब्योरे उपलब्ध कराए जिसमें यह स्पष्ट हो कि कैसे ये दो परियोजनाएं बी ओ टी आधार पर वित्तीय रूप से व्यवहार्य हो सकती हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विनियामक मुद्दों के बारे में मशेलकर समिति

218. **श्री अधीर चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री दिनांक 6.8.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2279 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा. आर. ए. मशेलकर समिति ने विभिन्न विनियामक मुद्दों की जांच करते समय लघु थोक दवा एककों के मतों पर विचार करने के कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या बड़े एकक अपने मतों को थोपने में सफल रहे हैं जिससे लघु एककों पर वित्तीय बोझ पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इस समिति द्वारा किन लघु एककों का दौरा किया गया और उनके द्वारा आम आदमी के हितों की रक्षा करने तथा दवाओं के मूल्य कम करने के लघु एककों के प्रयास का समर्थन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा डा. आर. ए. मशेलकर की अध्यक्षता में "नकली औषधियों की समस्या सहित औषध

विनियामक विषयों की गहन जांच" करने के लिए गठित डा. मशेलकर विशेषज्ञ समिति की चर्चाओं के दौरान लघु उद्योग थोक औषध यूनिटों के विचार प्राप्त नहीं किए गए थे।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता। मशेलकर समिति के विचारार्थ विषयों में दवाइयों के मूल्यों और लघु उद्योग यूनिटों को सहायता से सम्बन्धित विषयों को शामिल नहीं किया गया था। समिति ने किसी भी औषध निर्माता इकाई का दौरा नहीं किया लेकिन औषध उद्योग के प्रतिनिधि उक्त समिति के सदस्य थे और समिति द्वारा उनके विचारों को ध्यान में रखा गया था।

दो बच्चों के मानदंड के संबंध में उच्चतम न्यायालय के विचार

219. **श्रीमती मनोरमा माधवराज** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में हरियाणा सरकार के दो या उससे अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों के स्थानीय निकाय के चुनावों में भाग लेने पर रोक लगाने संबंधी कानून को सही ठहराया है;

(ख) यदि हां, तो हरियाणा सरकार के प्रशंसनीय कदम का अनुकरण करते हुए क्या केन्द्र सरकार दो बच्चों के परिवार संबंधी मानदंड का पालन न करने वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरी के अवसर को सीमित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बायो-इक्विवेलेंस सेंटर

220. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बायो इक्विवेलेंस सेंटर बिना किसी स्वीकृति के चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या मानदंडों का उल्लंघन करके इनके अध्ययन के लिए स्वयंसेवकों की सेवाएं ली जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो भारत के औषध महानियंत्रक (डी सी जी आई) द्वारा इसे रोकने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) स्वयं सेवकों को शामिल करते हुए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में निर्धारित मानदंडों के अनुसार औषधि निर्माण के साथ बायो–इक्विवेलेंस अध्ययन करने होते हैं। बायो–इक्विवेलेंस केन्द्रों को संस्थागत इथिक्स समिति से अनुमोदन तथा औषधि नियंत्रक (भारत) के कार्यालय से प्रोटोकोल आदि प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

इस अध्ययन में स्वयं सेवकों को शामिल करने या उन्हें किराए पर लेने के लिए बायो–इक्विवेलेंस केन्द्रों को अच्छे क्लिनिकल प्रैक्टिस मानदंडों का अनुसरण करने की आवश्यकता होती है। केन्द्रों से यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा जारी दिशानिर्देश अर्थात् "इथिकल गाइडलाइन्स फार बायो मेडिकल रिसर्च फॉर ह्यूमन सब्जेक्ट्स" में निर्धारित मानदंडों का अनुसरण करें। इस मंत्रालय को बायो–इक्विवेलेंस केन्द्रों के संबंध में कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

हिमालय क्षेत्र में अन्तर मन्त्रालयीय कृतक बल का गठन

221. **प्रो. महादेवराव शिवनकर** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूरे हिमालय क्षेत्र को एकीकृत रूप से देखने के लिए एक अन्तरमन्त्रालयीय कृतक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कृतक बल का गठन पहले किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस बल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ब्योरा क्या है;

(घ) हिमालय क्षेत्र में पहचाने गए राज्यों के नाम क्या हैं और सरकार द्वारा इन्हें कौन से संसाधन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; और

(ङ) कृतक बल द्वारा कब तक रिपोर्ट दिए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) हिमालय क्षेत्र के एकीकृत विकास हेतु राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए योजना आयोग द्वारा मार्च, 1992 में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था। विशेषज्ञ दल की संरचना और विचारार्थ विषय **विवरण-I** के रूप में संलग्न हैं।

(ख) 1981 में तत्कालीन सदस्य, योजना आयोग, डा. एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक इको-टास्क-फोर्स का गठन किया गया था।

(ग) विशेषज्ञ दल के निष्कर्ष और सिफारिशें **विवरण-II** के रूप में संलग्न हैं।

(घ) विशेषज्ञ समूह रिपोर्ट में यथा उल्लिखित समस्या का सामना करने वाले विभिन्न हिमालयी राज्य हैं – (i) हिमाचल प्रदेश (ii) उत्तर प्रदेश (iii) पूर्वोत्तर राज्य (iv) पश्चिम बंगाल (v) जम्मू व कश्मीर

उत्तर प्रदेश का विभाजन अब उत्तर प्रदेश व उत्तरांचल के रूप में हो गया है। डा. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले कार्यबल की सिफारिशों के फलस्वरूप, अलमोड़ा, उत्तरांचल में गोविन्द वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण व विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग (डोनर) व पूर्वोत्तर परिषद (एनडीसी) की स्थापना भी की। इन संस्थागत मैकेनिज्म के माध्यम से हिमालय के विकास के लिए संसाधन प्रदान किए जाते हैं।

(ङ) डा. एस. जैड. कासिम, तत्कालीन सदस्य, योजना आयोग के विशेषज्ञ दल ने वर्ष 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

विवरण-I

संख्या क्यू 12074/1ई/01/92 ईएण्डएफ
भारत सरकार
योजना आयोग
(ई एण्ड एफ यूनिट)

योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली–110001
27 मार्च, 1992

आदेश

हिमालय क्षेत्र में एकीकृत विकास के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने हेतु विशेषज्ञ दल का गठन करने का निर्णय लिया गया है। विशेषज्ञ दल की संरचना और विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं।

संरचना

1.	डा. एस. जैड. कासिम सदस्य (पर्यावरण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी), योजना आयोग	अध्यक्ष
2.	डा. जयन्त पाटिल, सदस्य (कृषि), योजना आयोग	सदस्य
3.	प्रो. जे. एस. बजाज सदस्य (स्वास्थ्य), योजना आयोग	सदस्य
4.	प्रो. के. एस. वाल्दिया, प्रोफेसर एवं प्रमुख, भूगर्भ विभाग, कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल	सदस्य
5.	डा. हर्ष गुप्ता, सलाहकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
6.	डा. पी. एस. रामाकृष्णन प्रोफेसर, पर्यावरण विज्ञान विभाग, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	सदस्य
7.	डा. डी. एन. तिवारी महानिदेशक आई.सी.एफ.आर.ई. देहरादून	सदस्य

8. डा. विरेन्द्र कुमार सदस्य
जाकिर हुसैन कालेज
नई दिल्ली

9. श्री डी. के. विश्वास सदस्य
सलाहकार
पर्यावरण और वन मंत्रालय
नई दिल्ली

10. डा. आई.के. बड़ठाकुर सदस्य
प्रधान सलाहकार
योजना आयोग

11. डा. ए. एन. पुरोहित सदस्य
निदेशक, जी. बी. पंत हिमालयन
पर्यावरण और विकास संस्थान

12. डा. आर. एस. मान सदस्य
प्रोफेसर, मानव विज्ञान विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय

13. विशेष सचिव सदस्य
योजना आयोग,
भारत सरकार, नई दिल्ली

14. श्री के. राजन सदस्य
सलाहकार (कृषि, ई एण्ड एफ)
योजना आयोग, भारत सरकार
नई दिल्ली

15. श्री आर. सी. झामतानी सदस्य सचिव—
संयुक्त सलाहकार
(पर्यावरण एवं वन)
योजना आयोग

विचारार्थ विषय

1) यह सुनिश्चित करने के मद्देनजर कि सम्पूर्ण क्षेत्र का उपयोग हमारे देश के लिए अधिकतम लाभ किया जाए एकीकृत पर्वतीय विकास हेतु हिमालय क्षेत्र पर राष्ट्रीय नीति के विकास के लिए सिफारिश करना।

2) हिमालय क्षेत्र के वैज्ञानिक, पर्यावरणात्मक और भौतिक संसाधनों का आकलन करना।

3) कार्यकलापों के उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करना जो हिमालय क्षेत्र की पारिस्थितिकी के लिए उपयुक्त हैं और क्षेत्र की समाजार्थिक स्थिति के समनुरूप हैं।

4) हिमालयन क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय संवेदी क्षेत्रों की वहन क्षमता का अनुमान लगाना।

5) प्रस्तावित नीति के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त संगठनात्मक मैकेनिज्म का सुझाव देना।

दल के गैर–सरकारी सदस्य यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के लिए सरकारी मानकों के अनुसार हकदार होंगे।

विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट तीन माह के भीतर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(एन. के. मल्होत्रा)
उपसचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी सदस्य

विवरण-II

निर्णय एवं सिफारिश

सिफारिश सं.-1

हिमालय क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एचडीए) का गठन

दल राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष निकाय बनाने की सिफारिश करता है। ऐसे शीर्ष निकाय का नाम हिमालय क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एचडीए) रखा जाए, उपाध्यक्ष, योजना आयोग के साथ प्रधानमंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाए, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के मंत्री और हिमालय क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोजना प्राधिकरण के रूप में कार्य करें। इसकी सहायता योजना आयोग में पर्यावरण के प्रभारी सदस्य की अध्यक्षता में संबधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के संबद्ध सचिवों और संबंधित राज्यों के संबद्ध राज्यों के संबद्ध सचिवों द्वारा की जाए। यदि प्रधानमंत्री किसी कार्य के चलते व्यस्त हों, तो उपाध्यक्ष द्वारा इसकी अध्यक्षता की जानी चाहिए। प्राधिकरण का सचिवालय योजना आयोग होना चाहिए।

सिफारिश-2

राष्ट्रीय हिमालय क्षेत्र पर्यावरण एवं विकास कोष का सृजन (एनएचईडीएफ)

दल सिफारिश करता है कि हिमालय क्षेत्र में एकीकृत विकास की राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन को त्वरित करने के लिए राष्ट्रीय हिमालय क्षेत्र पर्यावरण एवं विकास कोष आवश्यक होगा। इस कोष को उचित आबंटन के साथ शुरू किया जाना चाहिए और यदि एक बार इसकी कारगरता और भूमिका स्थापित कर दी जाती है, तो आबंटन समुचित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।

सिफारिश-3

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) की विस्तृत भूमिका

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को हिमालय क्षेत्र में अपनी भूमिका अवश्य बढ़ानी चाहिए। इसमें एक अलग से प्रभाग होना चाहिए जो एकीकृत रूप से हिमालय क्षेत्र की समस्याओं का निपटान कर सकें। इस प्रभाग में सक्षम स्टाफ होने चाहिए जो प्रशासन, प्रबंधन और हिमालय क्षेत्र के लोगों के बेहतर जीवन से संबंधित वैज्ञानिक इनपुट से सम्बद्ध हों। एमओईएफ के अंतर्गत जी. बी. पंत हिमालय क्षेत्र पर्यावरण एवं विकास संस्थान का उपयोग मंत्रालयों द्वारा कारगर रूप से समाधान की जाने वाली समस्याओं का पता लगाने के लिए एक नोडल एजेन्सी के रूप में किया जाना चाहिए। इसी प्रकार भारतीय बोटैनिकल सर्वे और भारतीय जूलोजिकल सर्वे को चाहिए कि वे जैवविविधता और पौधे एवं पशुओं को संकटापन्न प्रजातियों की भाग्य की मानीटरिंग करें। दल सिफारिश करेगी कि यदि आवश्यकता हो, तो एमओईएफ को राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त सांविधिक उत्तरदायित्व और प्राधिकार दिया जाना चाहिए। हिमालय क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए राष्ट्रीय पार्कों, अभ्यारण्यों और बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार करने की भी आवश्यकता है। इनके लिए न केवल नीति बनाने और सतर्कता की आवश्यकता है बल्कि वन्य जीवन के प्रबंधन की एक उपयुक्त स्कीम लागू की जाने की आवश्यकता है, यदि एमओईएफ प्रबंधन में यथेष्ट कठिनाई महसूस करता है, तो उनके संरक्षण के लिए राज्यों को पूर्णतः उत्तरदायी बनाने के विकेन्द्रित दृष्टिकोण पर विचार किया जा सकता है।

सिफारिश-4

वैज्ञानिक संस्थानों का संपर्क और सहयोग

देश में कार्यरत बहुत से संस्थान हैं जहां किया जा रहा कार्य विकास प्रक्रिया एवं पर्यावरण संरक्षण दोनों से संबंधित है। भारत सरकार ने जी. बी. पंत हिमालय क्षेत्र पर्यावरण एवं विकास संस्थान की स्थापना एक नोडल एजेन्सी के रूप में की है। अतः यह आवश्यक है कि जीबीपीएचआईईडी की नेतृत्वपरक भूमिका के अंतर्गत विभिन्न अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के साथ एक कारगर नेटवर्क की क्रमबद्ध स्थापना की जाए।

विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों को एक मंच पर ला पाना आसान नहीं है। इन संस्थानों के शैक्षणिक मूलमत वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी सृजन आदि के अनुकूलन में व्यापक विविधता हो सकती है। जहां कुछ संस्थानों का प्रबंधन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, वहीं कुछ संस्थान राज्य सरकारें, अन्य स्वायत्त निकायों द्वारा चलाए जाते हैं।

फिर भी, कई तरीके से हिमालय क्षेत्र नाजुक महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए, एक तंत्र बनाना आवश्यक है जहां भिन्न–भिन्न वैज्ञानिक संस्थान परस्पर–क्रिया कर सकें। वे हिमालय क्षेत्र के पर्यावरण के विकास एवं संरक्षण से संबंधित किसी एक पहलू अथवा अनेको पहलुओं पर कार्य कर सकते हैं। दल सिफारिश करता है कि जीबीपीएचआईईडी को चाहिए कि वह वैज्ञानिक संस्थानों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित करे। वैज्ञानिक समुदाय के लिए प्रसंगों का अध्ययन/अनुसंधान करने के लिए जनशक्ति, अवसंरचना आदि जैसे संसाधनों के एकीकरण का आधार प्रस्तुत करने का-कार्य काफी व्यापक है। कृषि विज्ञान और अन्य की तर्ज पर एक अलग से अखिल भारतीय संघ बनाने की संभावना जिसका नाम हिमालय क्षेत्र वैज्ञानिक संघ रखा जाए और जिसका मुख्यालय जीबीपीएचआईईडी में हो, का अन्वेषण किया जा सकता है। इसे इस क्षेत्र के कुछ चयनित जगह पर वार्षिक सम्मेलन करना चाहिए।

सिफारिश-5

सामाजिक विज्ञान के साथ प्राकृतिक विज्ञान की परस्परिक क्रिया

बहुत से सामाजिक कारकों का विकास और पर्यावरण के मुद्दे दोनों को जिस नजरिये से समाज देखता है, उसका प्रभाव पड़ता है साथ ही विकास पथ की सततता के बारे में जानकारी रखने के लिए कारगर संचार का अनुसरण किया जा रहा है। यह बहुत ही उपयोगी होगा, यदि सामाजिक विज्ञानों का हिमालय क्षेत्र की पर्यावरणीय अनुरूप विकास प्रक्रिया बनाने में प्राकृतिक विज्ञान और तकनीकी इनपुटों के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाता है।

दल महसूस करता है कि देश के सामाजिक आर्थिक विकास को एक व्यापक समग्रता से देखा जाना चाहिए। हिमाचल क्षेत्र की कोई भी एकीकृत नीति देश के सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया का मात्र एक खण्ड होगा। किसी एक या अन्य क्षेत्र के विकास में अपवर्जिता के टापू सामाजिक–राजनीतिक रूप से असतत हो सकते हैं। "हम और वे समष्टि हैं" के किसी भी प्रयास का परिणाम विकास आयोजना साथ–ही–साथ संरक्षण के नजरिये से उप–इष्टतम होगा।

संरक्षण के नजरिये से सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र को तीन उप क्षेत्रों नामतः नीचली पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी और उच्च खण्ड को शामिल करते हुए व्यापक रूप से देखा जाना चाहिए। इनमें जीव और वनस्पति के संबंध में काफी अंतर है तथा अपेक्षित विकास के तरीके अपनाए जाने चाहिए। अतः दल पूर्व में उल्लिखित वार्षिक सत्रों में प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान में एक उचित परस्पर क्रिया की सिफारिश करता है।

सिफारिश-6

राज्यों में विकास परियोजना के लिए दिशा-निर्देश बनाना

आमतौर से एक पर्यावरणीय अनुकूल विकास प्रक्रिया अपनाने में राज्य की कार्रवाई दो व्यापक क्षेत्रों में देखी जा सकती है। पारिस्थितिकी और पर्यावरण का संरक्षित रखने की दृष्टि से पहला विनियमन की प्रक्रिया से संबंधित है। दूसरा उप कार्यक्रमों देखता है जो पर्यावरण और गुणात्मक उन्नयन के उद्देश्य वाले उन उपायों के संबंध में विकास परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना चाहता है। हिमालय क्षेत्र को एक पारिस्थितिकीय छड़मंगुर क्षेत्र माना गया है। इस आलोक में दल सिफारिश करता है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को चाहिए कि वह उन विभिन्न विचारों के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश तैयार करे जिन पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करते समय ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, यह केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा होना चाहिए। इन दिशा–निर्देशों को पारदर्शी बनाना आवश्यक है तथा इन्हें उच्छृंखलता मुक्त होकर सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए।

सिफारिश-7

जैव विविधता और आनुवांशिकी संसाधनों का संरक्षण

व्यापक वंशानुगत आनुवांशिकी विविधता जो हिमालय क्षेत्र के वनस्पति और जीव दोनों में पायी जाती है, उन्हें भावी पीढ़ियों के लिए बचाए रखने की आवश्यकता है। बहुत सी स्थितियों में आनुवांशिकी विविधता और संसाधनों का संरक्षण अपरिहार्य हो सकता है। फिर भी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में किसी क्षेत्र को घोषित करने और इस क्षेत्र में मानव दखल को रोकने से उन जीव जंतुओं पर अथवा उससे सटे क्षेत्र में पर्याप्त प्रभाव पड़ सकता है।

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण व भारतीय प्राणि सर्वेक्षण के संरक्षण में हिमालय क्षेत्र में जेनेटिक संसाधनों के आविष्कार के लिए दल एक समयबद्ध कार्यक्रम की सिफारिश करता है। इस प्रक्रिया को एक सुपरिभाषित समय–सीमा में पूरा करने के लिए परम्परागत विश्वविद्यालयों व अन्य शैक्षिक संस्थानों अथवा एजेंसियों को अवश्य शामिल करना चाहिए।

जीव व वनस्पति तथा उनके प्रसार की पूरी जानकारी से संकट वाले प्रजातियों के एक्स सीटू संरक्षण में जहाँ कहीं भी ऐसे उपाय आवश्यक, वांछनीय या संभाव्य हों, सहायता कर सकते हैं। जर्म प्लास्म व जेनेटिक संसाधनों के संरक्षण का क्रमबद्ध प्रयास होना चाहिए जिसके लिए एक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए।

सिफारिश-8

वन आवरण (कवर) का अनुरक्षण

वानिकी कार्यक्रमों के माध्यम से वन आवरण का अनुरक्षण व उनका उन्नयन अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले हैं। वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत, वन से गैर–वन प्रयोग के विचलन को अत्याधिक विनियमित किया गया है। जहाँ गैर–वर कार्यों के विचलन से नहीं बचा जा सकता है वहां भारत सरकार ने अनिवार्य वानिकीकरण नीति बनाई है। दल सिफारिश करता है कि यह जाँच करने की आवश्यकता है कि क्या हिमालय क्षेत्र में अवक्रमित क्षेत्रों के वानिकीकरण में इस नीति के अंतर्गत उन राज्यों की परियोजनाओं को दी जाने वाली संसाधनों के द्वारा तेजी लाई जा सकती है, तो आवश्यक नहीं है कि उसी राज्य में हो। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा कुछ हिस्से को हिमालय क्षेत्र

में अनिवार्य वानिकीकरण हेतु दिया जा सकता है यद्यपि ऐसी परियोजनाएं हिमालय क्षेत्र से बाहर राज्य में स्थापित हों।

सिफारिश-9

वन प्रबंधन

कुछ राज्यों में हरे-भरे पेड़ों को गिराना मना है। दल का सुझाव है कि हिमालय क्षेत्र के सभी राज्यों में हरे-भरे पेड़ों को गिराना समान रूप से पूरी तरह से निषेध कर दिया जाए; तथापि स्थानीय लोगों को जलावन की लकड़ी तथा चारे की आवश्यकतओं को टहनियों, शाखाओं से पूरा किया जाए तथा स्थानीय समुदायों के वर्तमान अधिकारों की सुरक्षा की जाए। व्यावसायिक स्तर पर वनों के दोहण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए।

वन प्रबंधन, जैसे कि क्षेत्र में परम्परागत रूप से चला आ रहा है, की समीक्षा करने की आवश्यकता है। वन क्षेत्र में प्रजाति विविधता की आवश्यकता को दल स्वीकार करता है। तथापि रोजगार अवसर का सृजन करने और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अवक्रमित क्षेत्रों में वर्तमान वानिकीकरण नीति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। बहु-वृक्ष फसलीकरण में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अंश के रूप में, बागवानी फसल विशेषकर सुपारी, बादाम (नट) के पेड़ों को शामिल करने के अवक्रमित क्षेत्रों को वनस्पति कवर प्रदान करने के साथ ही साथ रोजगार अवसरों के सृजन, स्थानीय समुदायों के आय की बढ़ोत्तरी में सहायक हो सकता है।

कई अन्य देशों के वन प्रबंधन में प्राप्त अनुभवों से देश को बहुत अधिक लाभ हो सकता है। विश्व अनुभव के संग्रह व हिमालयन क्षेत्र की आवश्यकताओं के संदर्भ में प्रबंधन सिद्धान्त के चयन में क्रमबद्ध प्रयास करने की आवश्यकता है।

सिफारिश-10

कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप

हिमालय क्षेत्र ने कृषि विकास को अत्यन्त कम भूमिधारक व बहुत ही कम भूमि : मानव अनुपात द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है। क्षेत्र के बाहर मैदानी क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में पुरुष वर्गों के पलयान से अनेक क्षेत्रों कृषि मुख्य रूप से महिलाओं के हाथ में ही है। कृषि विकास प्रक्रिया में मामला बहुत ही नाजुक है। इस प्रयास पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है कि महिलाओं तक कृषि प्रौद्योगिकी पहुंचे तथा उन्हें वित्तीय क्रेडिट मिले।

क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, वर्षा, विशेषकर मध्यपर्वतीय व उच्चतर इलाकों में, को देखते हुए कृषि विकास को व्यापक तौर पर बिल्कुल नगण्य कहा जा सकता है। मौसमी फसलों को बिना उचित उत्तलन किए लगाना जोकि निश्चित रूप से एक खर्चीला कार्य है, कृषि कार्य को मृदा-कटान तथा अनियमित सतह कटान प्रवण बनाएगा जिससे भूमि का अवक्रमण होगा। कृषि विकास आवश्यक रूप से बागवानी फसलों, फ्यूल व फॉडर पेड़ों, पशुपालन कार्यक्रमों की सहायता आदि के रूप में बारहमासी वनस्पतियों के इर्दगिर्द केन्द्रित होगी।

इसके अतिरिक्त कृषि-वानिकी व रेशम की कीट पालन को उच्च मूल्य सृजन वाले उद्यमों के माध्यम से आय बढ़ाने तथा पारिस्थितिकी संतुलन के अनुरक्षण/उन्नयन दोनों की दृष्टि से बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

बारहमासी विकास को ट्री क्रॉपिंग सिस्टम, उगाए जाने वाली प्रजातियों के अनुसंधान की सहायता से क्रमबद्ध प्रयास किए जाने चाहिए। रेशम के कीटपालन व अन्य पेड़ आधारित फार्मिंग प्रणाली के विकास के लिए एक मास्टर प्लान समयबद्ध तरीके से तैयार किया जाना चाहिए।

संबंधित राज्य सरकारों के लिए यह भी आवश्यक होगा कि वे विषय से संबधित केन्द्रीय प्रशासनिक मंत्रालयों के सम्पर्क में रहें जिससे कि मास्टर प्लान को प्रचालनात्मक रूप देने में पर्याप्त रोपण पदार्थ बढ़ाने में नर्सरी के रूप में सभी पिछड़े लिंकेजेज स्थापित किए जा सकें।

सिफारिश-11

बागवानी उत्पादों का पैकेजिंग व विपणन

दूसरी नाजुक आवश्यकता पर्याप्त और प्रभावी विपणन प्रबंधन स्थापित करने की है विशेषकर जब कृषि उत्पाद खराब होने वाला हो जैसे सेब, आडू, स्ट्राबैरी, आलू बुखारा, लीची आदि।

दल ने यह सिफारिश किया है कि बागवानी कार्यक्रमों के चुनाव में भी कम आकार वाले उच्च मूल्य की फसलों पर ध्यान देना उत्तम होगा जो शीघ्र खराब न होने वाले हों जैसे बादाम

(नट) के विभिन्न प्रकार। उत्पादन कर्ताओं को लाभकारी आय सुनिश्चित करने के लिए बागवानी उत्पादों का विपणन बागवानी कार्यक्रमों की सफलता को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा।

उत्पादनकर्ता संगठनों को राज्यों द्वारा सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे कि वे फल व सब्जियां संग्रह कर केन्द्रीय स्थानों तक ला सकें व तत्पश्चात् देश के विभिन्न भागों में विपणन कर सकें।

लकड़ी के क्रेट के प्रयोग पर अत्याधिक बल दिए जाने के कारण क्षेत्र में पेड़ों के कवर के अनुरक्षण पर पैकेजिंग मैटेरियल की अक्सर होने वाली आवश्यकताओं के कारण बुरा प्रभाव पड़ा है। कृषि में प्लास्टिक के प्रयोग पर राष्ट्रीय समिति व इसके कार्यक्रमों के अधीन कई एजेंसियां है जिन्होंने पालीमेर आधारित पैकेजिंग मैटेरियल डिजाइन किया है जिसे री—साइकिल किया जा सकता है। उत्पादनकर्ताओं व व्यापारियों आदि को लकड़ी के क्रेट का प्रयोग रोकने तथा लकड़ी पर निर्भरता कम करने के लिए प्लास्टिक सामग्री का प्रयोग कराने को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता है।

फलों के प्रसंस्करण के लिए विशेषकर निकृष्ट तथा जो टेबल कार्य हेतु उपयुक्त नहीं है के लिए प्रसंस्करण ईकाइयों की स्थापना हेतु विशेष प्रयास किए गए हैं। दल का विचार है कि इन प्रसंस्करण ईकाइयों में से कुछ सड़ रही हैं। प्रसंस्करण ईकाइयों के कार्य प्रणाली की विस्तृत विश्लेषण व समीक्षा करने तथा सुधारात्मक उपाय करने की आवश्यकता है। मूल्यवर्धन उत्पादनकर्ताओं को उच्च आय सुनिश्चित करने के लिए स्थापनाएं जिससे इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, सराहनीय है।

सिफारिश-12

बागवानी उत्पादनों का पड़ोसी देशों में विपणन

हिमालय क्षेत्रों में कृषि उत्पादों के विपणन का दूसरा पहलू यह है कि उत्पादों को पूर्व में परम्परागत रूप से चीन अथवा बंगलादेश को विपणन किया जाता रहा है। समूह यह मानता है कि भारत सरकार ने सीमावर्ती व्यापार में सुधार करने के लिए विदेश मंत्रालय की मार्फत उपाय शुरू किए थे। यह कदम कृषि उत्पादों की मार्केटिंग के लिए नाजुक है तथा इसे निरंतर रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे उनके उत्पादों के विपणन को बढ़ाने तथा संभवतः बेहतर मूल्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सहायता होगी।

सिफारिश-13

झूमिंग खेती

पूर्वोत्तर क्षेत्र के बहुत से राज्य कृषि प्रचालन की कटाई—छंटाई तथा जलन प्रणाली से व्यापक रूप से परहेज कर रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के दबाव ने 20—30 वर्षों से कटाई—छंटाई और जलन चक्र को 0—5 वर्ष अथवा इससे भी कम कर दिया है। वन आवरण, भूमि कटाव को बढ़ाया है। कृषि प्रक्रियाओं को न्यूनतम ट्रेसिंग एरेंजमेंट के द्वारा धीरे—धीरे बढ़ाने की आवश्यकता है तथा इसे उपयुक्त प्रावधानों के द्वारा कार्यान्वित करना है और मशीनरी, न्यूनतम सिंचाई सुविधाएं उपयुक्त रूप से बोए गए प्लाटों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को समर्थ बनाएगा। मौजूदा झूमिंग खेती विशेषकर सीढ़ीनुमा खेती पर भयंकर प्रभाव डालते हैं। बागवानी, कृषि वानिकी तथा रेशम कीट पालन को बढ़ाना, झूमिंग की खेती करने वालों के पुर्नवास के लिए उपयुक्त स्कीमों के लागू करने को प्रोत्साहित किया जाए।

कार्यक्रम की सफलता क्षेत्र की जनसंख्या की खाद्यान तथा अन्य आवश्यकताओं को पूरा करेगी। समूह जनसंख्या की मूलभूत वस्तुओं को पहुंचाने के लिए एक प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से परे कल्पना नहीं कर सकता यदि झूमिंग पर प्रभाव डालना है।

सिफारिश-14

सिंचाई

पहाड़ी भूभागों में सिंचाई का प्रावधान सरल नहीं है। वर्तमान समय में ढलानों में फसलों की सिंचाई के लिए जल मार्ग बदलने की प्रणाली अपनाई जा रही है। सिंचाई पद्धतियों के लिए प्रौद्योगिकियों का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन किया जाना चाहिए और इसको उचित कार्यक्रमों के अंतर्गत किसानों तक पहुंचाया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में छिड़काव और टपकाने वाली सिंचाई पद्धतियों, विशेषकर बगीचों के लिए, जैसी विकसित सिंचाई यंत्रों के संस्थापन को सक्रियता से बढ़ावा देना चाहिए।

सिफारिश-15

ऊर्जा

हिमालयी क्षेत्र वाणिज्यिक ऊर्जा, विशेषकर जलविद्युत के उत्पादन हेतु संसाधनों में बाहुल है। किंतु मूल समस्या यह रही है कि एक या दो राज्यों को छोड़कर, क्षेत्र में विद्युतीकरण का

विस्तार धीमी गति से हुआ है। यदि जल विद्युत उत्पादन के लाभ स्थानीय निवासियों को नहीं पहुंचते हैं तो इससे उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में समस्याएं पैदा होंगी। ग्रुप ने अनुशंसा की है ऊर्जा स्रोतों को काम में लाने के लिए सभी कार्यक्रमों में, क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्याधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए, चाहे मैदानी भागों की तुलना में विद्युत ग्रिड के विस्तार करने की लागत अपेक्षाकृत अधिक मंहगी होने की संभावना हो, हिमालय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की ऊर्जा आवश्यकताएँ भोजन पकाने, प्रकाश व्यवस्था करने और गरमाहट के लिए उत्पन्न होती हैं। विद्युत वितरण के एक बड़े संजाल से जलाने वाली लकड़ी पर निर्भरता कम होगी और इससे वन संसाधनों की हिफाजत होगी।

हिमालय क्षेत्र बारहमासी नदियों पर आधारित सूक्ष्म–जल विद्युत के उत्पादन स्थलों से भरपूर है। हाल ही में सूक्ष्म जल विद्युत क्षमता के प्रयोग पर जोर दिया गया है। जहां तक सूक्ष्म जल विद्युत इकाई के संचालन एवं रख–रखाव में उचित कौशल निर्माण के जरिए स्थानीय समुदाय को शामिल किया जाता है और वितरण पूर्णतः स्थानीय लोगों को सुपुर्द किया जाता है, इससे क्षमताओं की प्राप्ति सुगम होगी।

इस क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्रों में कम आबादी वाले गांव होना आम बात है। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों जैसे कि प्रकाश–वोल्टीय सैल, गैसीकरण (बायोगैस) के लिए जैविक सामग्री का उपयोग एवं वायु टरबाइनप्रकाश की जरूरतों को पूरा करने तथा गांवों में ऐसे यंत्रों को चलाने में सहायता कर सकता है। ग्रुप अनुशंसा करता है कि ऊर्जा आवश्यकताओं की मांग एवं आपूर्ति के मापदण्डों के व्यवस्थित अध्ययन की कोशिश की जानी चाहिए तथा समयबद्ध ढंग से कार्यान्वित होने के लिए ठोस कार्यक्रम बनाये जाएं। इसके लिए पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों के जरिए एक उचित मिश्रण का प्रयास किया जाना चाहिए।

सिफारिश-16

गैर कृषि आर्थिक गतिविधियां

हिमालयन पर्यावरण तंत्र की सुकुमारता को देखते हुए, समतलों के प्रतिमान का अनुसरण करते हुए बड़े पैमाने पर उद्योगीकरण पर्यावरण रूप से पूर्णतः अस्वस्थ होगा। सेवा अभियांत्रिकी के विकास के लिए कुछ कोशिशें की गई हैं, विशेषतः पहाड़ी क्षेत्रों में इलैक्ट्रॉनिक उपयोग के विस्तार के संबंध में। सेवाओं को शामिल करते हुए उद्योग का विकल्प, जो कि क्षेत्र में विस्तारित किया जा सकता है, को ध्यानपूर्वक हल निकालने की आवश्यकता है।

कृषि आधारित उद्योगों के अलावा, जो कि अत्यंत अनुशंसित हैं, अन्य उद्योग जो कि जंगलों के भोगाधिकारों पर आधारित हैं को खोजने की आवश्यकता है, जो कि क्षेत्र में स्थापित किए जा सकें। यह आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकता है, और इसे उच्च आय सृजित करना चाहिए तथा रोजगार अवसर प्रदान करे, खुमी खेती तथा मधुमक्खी पालन संपन्नता को निदेशित करती हुए अत्याधिक लाभकारी गतिविधियां सिद्ध हुई हैं एवं उनकी पूरी क्षमता के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए।

सिफारिश-17

स्वास्थ्य, पोषण एवं परिवार कल्याण

हिमालयी राज्यों में कुछ प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं हैं जो कि देश के अन्य हिस्सों में प्रचलित हैं और कुछ ऐसी भी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जो कि और सघन रूप से क्षेत्र में देखी जाती हैं जैसे घेंघा, मलेरिया, श्वसन विकार, एसटीडी, एड्स आदि। सामान्यतः कुपोषण, विशेष भू–सासारिक, भू–जलवायु, सामाजिक–आर्थिक तथा क्षेत्र में विद्यमान अन्य परिवर्तनशील अंशदायी कारक हैं।

ग्रुप, इसलिए सिफारिश करता है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, बाल उत्तर जीविता और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन कमी विकार नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर निधियां उपलब्ध कराये। ग्रुप यह भी सिफारिश करता है कि, इस क्षेत्र में विशेषकर उपकेन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के संबंध में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को पर्याप्त रूप से सुधारा जाये जिससे कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं की सुपर्दगी के लिए पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध हों। उपकेन्द्रों की स्थापना का संचय, विशेषतः आदिवासी तथा दुर्गम क्षेत्रों में जितना शीघ्र संभव हो हटा देना चाहिए।

उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं को वास्तविक सुविधाएं प्रदान करके पूरी तरह से संचालित किया जाए जिसमें भवन और आवासीय क्वार्टर, सभी रिक्त पदों को भरना और आवश्यक दवाओं, मरहम पट्टियों और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल हैं। ग्रामीण विकास स्कीमों के संसाधनों जैसे जेआरवाई, विशेष क्षेत्र परियोजना और भवन निर्माण हेतु सस्ती प्रौद्योगिकी अपनाना भौतिक सुविधाओं में संचय को दूर करने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। इन क्षेत्रों में, चिकित्सा सुविधाओं की अत्यंत कमी के कारण सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं में स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए एवं एकीकृत किया जाना चाहिए।

क्षेत्र में नश्वरता और अस्वस्थता के प्रचलन और कारणों के मूल्यांकन हेतु जिला स्तर पर आंकड़ा आधार तैयार करने के लिए प्रत्येक हिमालयी राज्य के कुछ जिलों में प्रायोगिक अध्ययन किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों जैसे कि आईसीएमआर, एनआईएचएफडब्ल्यू, चुनिंदा मैडिकल कॉलेजों (भारतीय पद्धति के कॉलेजों सहित) को यह उपर्युक्त उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिए।

सिफारिश-18

भूकंप-प्रभावित क्षेत्र में रहने के लिए तैयारी

हिमालय के कुछ क्षेत्र भूकंप के लिए बहुत संवेदनशील हैं क्योंकि वे अल्पाइन भूकंपी पट्टी का हिस्सा हैं। पिछले 100 वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में 7.5 की तीव्रता के बराबर या उससे अधिक के एक दर्जन से अधिक भूकंप आ चुके हैं जिसमें 20 अक्टूबर, 1991 का उत्तरकाशी भूकंप भी शामिल है। चूंकि भूकंपों का सही पूर्वानुमान करना कठिन है अतः ग्रुप निम्नलिखित उपायों की अनुशंसा करता है:

1) भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए भवन निर्माण कोड अपनाना। जापान और अन्य देशों द्वारा सस्ते तरीके अपनाये जाते हैं जिनका भूकंप क्षेत्रों में भवनों और मकानों की रचना करते समय कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। केन्द्रीय भवन शोध संस्थान, रुड़की ने कुछ सस्ते डिजाइन तैयार किए हैं।

2) भारतीय स्थितियों के लिए भूकंप रोधी संरचनाओं के मानक विकसित किए जाने चाहिए।

3) भूकंप आने की स्थिति में भविष्य के खतरे को कम करने के लिए लोगों के रहन-सहन के पैटर्न को ही बदल दिया जाना चाहिए और उसे उचित प्रकार से अपनाना चाहिए। सिट के स्तर के ऊपर भारी सामानों को नहीं रखना, जमीन पर भारी वस्तुओं को खुला न छोड़ना, व अपनी प्राथमिक उपचार सामग्री रखना, और सभी समय भोजन की आपातकालीन आपूर्ती तैयार रखना जैसी सावधानियों का पालन करना चाहिए। तैयारी के लिए बहुत से मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। इन पर परिवार और समुदाय में चर्चा करना वांछनीय है। जिससे कि किसी घटना के समय कुछ संगठित प्रयास किये जा सकें। लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं है।

सिफारिश-19

सड़कें और संचार

एक तरह क्षेत्र के निवासियों की पहुंच में सुधार और दूसरी तरफ सड़कों के बड़े नेटवर्क के निर्माण को प्रतिकूल प्रभाव से दुविधा का जन्म होता है। सुरक्षा उपायों के बिना सड़कों के निर्माण के प्रतिकूल प्रभाव ने भू-स्खलनों की गंभीर समस्याएं पैदा की हैं। यह न केवल व्यक्तियों और सामग्री के लाने ले जाने पर प्रभाव डालते हुए गंभीर स्थिति उत्पन्न करता है बल्कि कृषि भूमि और वन भी नष्ट करता है। पर्वतों में सड़कों के निर्माण की कार्यविधि पर इस प्रकार के विशेष अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है जो प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम कर दे और सभी सुरक्षा उपाय, चाहे वह लागत भी बढ़ा दे, किए जाने चाहिए ताकि सड़कों का निर्माण पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाये और पारिस्थितिकीय बाधाएं, भूमि अवक्रमण और भूमि कटाव, जल निकासी पैटर्न में बाधा, वानिकी, वनस्पति और सौंदर्य अवक्रमण न करें। दल ने सिफारिश की है कि विशिष्ट स्थितियों में जैसे कि हिमालय क्षेत्र के लिए सड़कों के डिजाइन और निर्माण के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान से परामर्श लिया जाना चाहिए।

यह भी आवश्यक है कि सड़क नेटवर्क की इस प्रकार से योजना तैयार की जानी चाहिए कि प्रत्येक और सभी परिवारों तक पहुंच का कोई प्रयास न किया जाए। मुख्य सड़कों पर केन्द्रीय संग्रहण प्वाइंट तक गावों और फलोद्यानों से सामग्री को लाने-ले-जाने के लिए अश्वमार्गों, ट्रालियों, रोपवे के वैकल्पिक

निर्माण को खोजे जाने की आवश्यकता होगी। सभी गांव अथवा गावों के समूह जिसकी जनसंख्या 500 अथवा उससे अधिक है, को ऑल–वेदर–रोड से जोड़ा जाना चाहिए।

सिफारिश-20

पर्यटन

हिमालय क्षेत्र ने एक प्रमुख कार्यकलाप तीर्थाटन और आनंद और साहस दोनों के रूप में है, हिमालय क्षेत्र में पर्यटन को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए जबकि आधारिक संरचना सुविधाओं को सृजित करने और प्रमुख आर्थिक कार्यकलाप बनने की आवश्यकता होगी, यह आवश्यक है कि स्थानीय पारिस्थितिकी की लागत पर लक्ज़री होटल, खाद्य स्थलों के निर्माण के प्रभाव को गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए।

होम/कॉटेज टूरिज़्म विशेष रूप से तीर्थयात्री और मध्यम श्रेणी के पर्यटकों के लिए सक्रिय रूप से प्रोन्नत किए जाने की आवश्यकता होगी। पेइंग गेस्ट आवासों के निर्माण के लिए स्थानीय निवासियों को उदार ऋण उपलब्ध होना चाहिए। यह बाहर से आने वाले मध्यम श्रेणी के पर्यटकों के लिए आधारिक संरचना सृजित करने के साथ ही स्थानीय जनसंख्या को आय और रोजगार दोनों उपलब्ध कराएगा।

सिफारिश-21

जनजातीय जनसंख्या विकास

अधिकांश जनजातीय जनसंख्या विलग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। वे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि संबंधित कार्यकलापों पर आश्रित हैं। न केवल उनके जीवन के लिए बल्कि उनके कल्याण के लिए भी खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है। उनके समग्र विकास का अन्य तत्वों रोजगार अथवा उनके काम के अधिकार से संबंध है। अतः दल यह महसूस करता है कि कृषि और अन्य खाद्य सृजक कार्यकलापों को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, आश्रय और उनके बच्चों का संरक्षण भी विकासात्मक योजना के घटकों में होना चाहिए। मानव विकास को समग्र बनाने के लिए समाज में महिलाओं की भूमिका और स्थिति के प्रोन्नयन पर प्रमुख ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारी योजना का अंततोगत्वा उद्देश्य यह होना चाहिए कि सभी मूलभूत सुविधाएं हिमालय क्षेत्र को जनजातीय जनसंख्या की पहुंच में हो जाएं। संबंधित राज्य सरकारों को जनजातियों को समृद्ध करने के लिए कार्य योजना विकसित करनी चाहिए।

सिफारिश-22

राज्यों में संस्थागत प्रबंध

उन राज्यों में जो हिमालयन क्षेत्र में आते हैं हिमालयन क्षेत्र की विशेषताओं, विशेष कर नाजुक पारिस्थितिकीय प्रणाली को ध्यान में सबसे ऊपर रखना होगा। उत्तर प्रदेश में एक अलग पर्वतीय विकास विभाग सृजित किया गया है, जो स्वतः ही इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों की पहचान कराता है। पश्चिम बंगाल के मामले में, एक अलग से दार्जिलिंग हिल काऊंसिल गठित की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जिला परिषदें स्थानीय क्षेत्रों में कार्य करने में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इससे भी बढ़कर समूह महसूस करता है कि अनेकों प्रशासनिक तौर–तरीके अन्यों के साथ–साथ मॉडल और कमोवेश समान्तर दिखाई पड़ते हैं। समूह इन तत्वों की अति कल्पना नहीं कर सकता कि लोगों के कार्यों का पर्वतों पर प्रत्येक प्रशासनिक दृष्टिकोण, विशेषकर विचारधारा, जो सामाजिक–आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर जोर देती हो, को समेकित रूप से समामेलित किया जाना चाहिए पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी बात है।

सिफारिश-23

एनसीजीओज़, स्वैच्छिक संगठनों आदि की भागीदारी

हिमालयी राज्यों के अनेक क्षेत्रों में स्थानीय लोगों ने इस प्रकार की प्रौद्योगिकीयों को अपना लिया है जिसने उन्हें पर्यावरणात्मक संरक्षण पर गंभीर प्रतिकूल प्रभावों के उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ बना दिया है और यह सुनिश्चित किया है कि स्थानीय पारिस्थितिकी में कोई बाधा न पहुंचे। दल ने सुझाव दिया है कि विकास के लिए प्रौद्योगिकियों के सृजन की प्रक्रिया में एकीकृत देशी प्रौद्योगिकियों, जो समय–मान पर खरी उतरी हैं पर पर्याप्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और इसे ध्यानपूर्वक देखा जाना चाहिए और प्रोन्नत किया जाना चाहिए।

इस बात को बड़े रूप में स्वीकार किया गया है कि लोगों के सक्रिय रूप से शामिल होने और योजनाओं के प्रतिपादन और कार्यान्वयन, विशेष रूप से पर्यावरणात्मक सरोकारों और आर्थिक विकास को सामंजस्यपूर्ण बनाने के अर्थ में भागीदारी के बिना उपयुक्त सामाजिक—आर्थिक विकास संभव नहीं होगा। दल ने सिफारिश की है कि स्थानीय लोगों की अनुभूत आवश्यकताओं को पूरी समझ, उनकी बुद्धि के इस संबंध में योगदान किए जाने की उम्मीद की जा सकती है। अनेक एनजीओ स्थानीय समुदायों के उत्थान में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं और स्थानीय समुदायों के बोध को मुखर करने में समर्थ रहे हैं। विकास कार्यक्रमों में एनजीओज़ को सहबद्ध किया जाना चाहिए जो उनकी प्रभावोत्पादकता में सुधार कर सकते हैं। दल यह भी महसूस करता है कि एसोसिएशन ऑफ द इन्टरनेशनल सैन्टर फॉर इनटेगरेटेड डिवैलपमेण्ट ऑफ माउन्टेनज़ (सीआईएमओडी) आगे दिशानिर्देशों के लिए अत्याधिक लाभकारी होगी और गरीबी को दूर करने में सलाह देगी।

सिफारिश-24

निधि का स्रोत

उपर्युक्त सिफारिशों से उद्भूत होने वाली परियोजनाओं, स्कीमों, नये अध्ययनों और अथवा अनुसंधानों के लिए वित्तीय इनपुटों की आवश्यकता होगी। इसी वजह से राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरणात्मक और विकास निधि (एनएचईडीएफ) की सृजन का सुझाव दिया गया है। शुरुआत में यह निधि सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी लेकिन कार्यान्वयन में सफलता और इस रिपोर्ट पर प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर आबंटन की मात्रा उपयुक्त रूप से बढ़ाई जा सकती है।

दल ने किन्हीं नये संस्थानों अथवा अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की सिफारिश नहीं की है लेकिन मौजूदा संस्थानों/एजेंसियों/ स्वैच्छिक संगठनों और हिमालय क्षेत्र से संबंधित राज्यों के बीच लिंकेज और सहयोग के सृजन की आवश्यकता पर बल दिया है। इसने एक संस्थान की नोडल प्वाइंट के रूप में पहचान की है और वार्षिक बैठकों के आयोजन के लिए एक प्लेटफार्म के निर्माण और एक एसोसिएशन बनाने का सुझाव दिया है जिनमें सभी मौजूदा संस्थानों और एजेंसियों को हिमालय क्षेत्र में संधारणीय विकास और समृद्धता के लिए कार्य करने हेतु इकट्ठा किया जाएगा। इस प्रकार के कार्यक्रम कार्यान्वयन में हुआ सभी वैद्य व्यय एनएचईडीएफ द्वारा वहन किया जाएगा।

पिछड़े जिलों की पहचान

222. श्री रामजी लाल सुमन :

श्री नीतीश कुमार :

श्री अनन्त नायक :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अत्यन्त निर्धन और पिछड़े जिलों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन जिलों के विकास के लिए कोई नयी योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस योजना पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है; और

(ङ) इन योजनाओं के कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है और इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा दसवीं योजना में शुरू किए गए एक नए कार्यक्रम राष्ट्रीय सम विकास योजना के पिछड़े जिले पहल में 115 पिछड़े जिले तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 32 जिले कवर किए गए हैं। जिलों की सूची संलग्न **विवरण** में दी गई है।

(ग) इन जिलों की जिला योजनाएं जिला प्राधिकारियों द्वारा पीआरआईज, एनजीओज व अन्य पणधारियों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके लोगों की आवश्यकताओं तथा सामाजिक व वास्तविक अवसंरचना में नाजुक अंतरालों के भरने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर तैयार की जाती है।

(घ) और (ङ) पिछड़े जिले पहल के अंतर्गत कवर किए गए प्रत्येक जिले को तीन वर्षों में 45 करोड़ रुपये का आबंटन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय सम विकास योजना : पिछड़े जिले पहल

I पिछड़े जिलों की सूची

क्रम सं.	राज्य का नाम	जिलों के नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. अदिलाबाद
		2. वारंगल
		3. चित्तूर
		4. महबूब नगर
		5. विजयनगरम्
2.	बिहार	1. वैशाली
		2. समस्तीपुर
		3. शिवहर
		4. जमुई
		5. नवादा
		6. अररिया
		7. दरभंगा
		8. पूर्णियाँ
		9. मधुबनी
		10. सुपौल
		11. मुजफ्फरपुर
		12. कटिहार
		13. लखीसराय
3.	छत्तीसगढ़	1. बस्तर
		2. दांतेवाड़ा
		3. कांकर
		4. बिलासपुर
4.	गुजरात	1. डांग्स
		2. दोहाद
		3. पंचमहल
5.	हरियाणा	1. सिरसा
6.	झारखंड	1. लोहरदग्गा
		2. गुमला
		3. सिमदेगा
		4. सरायकेला
		5. सिंघभूम पश्चिम
		6. गोड्डा
7.	कर्नाटक	1. गुलबर्गा
		2. बीदर
		3. चित्रदुर्गा और
		4. दावनगिरी
8.	केरल	1. पलक्काड़
		2. वायनाड
9.	मध्य प्रदेश	1. मांडला
		2. बरवानी
		3. पश्चिम नीमाड़
		4. सिओनी
		5. शहडोल
		6. उमरिया
		7. बालाघाट
		8. सतना
		9. सिद्धि
10.	महाराष्ट्र	1. गढ़चिरौली
		2. भण्डारा
		3. गोंडिया
		4. चंद्रपुर
		5. हिंगोली
		6. नांदेड
		7. धुले
		8. नंदरबार
		9. अहमदनगर
11.	उड़ीसा	1. क्योंझर
		2. सुंदरगढ़
12.	पंजाब	1. होशियारपुर
13.	राजस्थान	1. बांसवाड़ा
14.	तमिलनाडु	1. तिरुवन्नामलाई
		2. डिंडीगल

1	2	3
		3. कुड्डालोर
		4. नागापट्टिनम
		5. सिवगंगै
15.	उत्तर प्रदेश	1. सोनभद्र
		2. रायबरेली
		3. उन्नाव
		4. सीतापुर
		5. हरदोई
		6. बांदा
		7. चित्रकूट
		8. फतेहपुर
		9. बाराबंकी
		10. मिर्जापुर
		11. गोरखपुर
		12. कुशीनगर
		13. ललितपुर
		14. जौनपुर
		15. हमीरपुर
		16. जालौन
		17. महोबा
		18. कौशाम्बी
		19. आज़मगढ़
		20. प्रतापगढ़
16.	पश्चिम बंगाल	1. पुरूलिया
		2. 24 दक्षिण परगना
		3. जलपाईगुडी
		4. मिदनापुर पश्चिम
		5. दक्षिण दिनाजपुर
		6. बांकुरा
		7. उत्तर दिनाजपुर
		8. बीरभूम
विशेष श्रेणी राज्य		
17.	असम	1. कोकराझार
		2. उत्तरी लखीमपुर
		3. करबी आंगलांग
		4. धीमाजी
		5. उत्तरी कछार हिल्स
18.	अरुणाचल प्रदेश	1. अपर सुबनसिरि
19.	हिमाचल प्रदेश	1. चम्बा
		2. सिरमौर
20.	जम्मू और कश्मीर	1. डोडा
		2. कुपवाड़ा
		3. पुंछ
21.	मणिपुर	1. तमेनलांग
22.	मेघालय	1. पश्चिम गारो हिल्स
23.	मिजोरम	1. लॉंगतलाई
24.	नागालैंड	1. मोन
25.	सिक्किम	1. सिक्किम
26.	त्रिपुरा	1. धलाई
27.	उत्तरांचल	1. चम्पावत
		2. टिहरी गढ़वाल
		3. चमोली
	कुल	115

II. उग्रवाद प्रभावित जिलों की सूची

	राज्य	जिले
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. करीमनगर
		2. खमाम
		3. मेढक
		4. नलगोंडा
		5. निजामाबाद
2.	बिहार	1. औरंगाबाद
		2. गया
		3. जहानाबाद
		4. रोहतास
		5. नालंदा
		6. पटना

1	2	3
		7. भोजपुर
		8. कैमूर
3.	झारखंड	1. हजारीबाग
		2. पलामू
		3. चतरा
		4. गढ़वा
		5. रांची
		6. लातेहार
		7. गिरीडीह
		8. कोडरमा
		9. बोकरो
		10. धनबाद
4.	मध्य प्रदेश	1. डिंडोरी
5.	छत्तीसगढ़	1. कावर्धा
		2. राजनंदगांव
		3. सरगुजा
		4. जशपुर
6.	उड़ीसा	1. गंजम
		2. गजपति
		3. मयूरभंज
7.	उत्तर प्रदेश	1. चंदौली
	योग	32
	कुल योग	147

[अनुवाद]

रोगों की रोकथाम

223. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एच आई वी/एड्स पर विशेष ध्यान दे रही है जबकि दूसरी तरफ, अन्य गंभीर रोग यथा तपेदिक, मलेरिया, न्यूमोनिया, अतिसार, हृदयधमनी रोगों की नीति निर्माताओं द्वारा उपेक्षा की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान उपायों के अलावा इन रोगों की रोकथाम करने के लिए सरकार द्वारा कौन से विशेष कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संक्रामक और गैर-संक्रामक रोग

224. श्री संतोष गंगवार :

श्री खीरेन रिजीजू :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा संक्रामक और गैर–संक्रामक रोगों एवं मलेरिया, यक्ष्मा, कुष्ठ, अंधापन, एड्स और कैंसर जैसे रोगों को नियंत्रित करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त रोगों को नियंत्रित करने हेतु योजनाओं पर प्रति वर्ष कितनी राशि व्यय की जा रही है और इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त की गई; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां से यक्ष्मा और कुष्ठ रोग के अधिक मामले सामने आ रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

घातक विषाणु का प्रकोप

225. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विशेषकर चांदीपुरा (आंध्र प्रदेश) क्षेत्र में घातक विषाणु का प्रकोप फैला हुआ है जैसा कि दिनांक 18 सितम्बर, 2004 के द टाइम्स ऑफ इंडिया में समाचार प्रकाशित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इस विषाणु के कारण अब तक मरने वाले बच्चों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने मामले का पता लगाने के लिए कोई जांच एजेंसी नियुक्त की है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं तथा तत्संबंधी ब्योरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि ऐसे कोई घातक विषाणु का मौजूदा वर्ष के दौरान प्रकोप नहीं हुआ है। तथापि, जून, 2003 और सितम्बर, 2003 के बीच की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश में, जून, 2003 और अगस्त, 2003 के बीच की अवधि में महाराष्ट्र तथा 2004 में गुजरात में बच्चों में तीव्र मस्तिष्कशोथ की घटनाएं हुईं। आंध्र प्रदेश में 183, महाराष्ट्र में 115 और गुजरात में 15 बच्चों की जानें गईं।

(घ) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने जुलाई, 2003 में आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में तथा जुलाई, 2004 में बड़ोदरा, गुजरात में रोगियों की जांच करने के लिए बहु-विषयक दलों का गठन किया।

(ङ) क्लिनिकी, जानपदिक रोग विज्ञान संबंधी तथा कीट विज्ञान और सीरम संबंधी जांच से पता चला कि रोग के फैलने का कारण तीव्र विषाणुज मस्तिष्कशोथ था।

केन्द्रीय सरकार द्वारा जिला और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को जन स्वास्थ्य उपायों के बारे में दिशानिर्देश दिए गए हैं।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शन का घनत्व

226. **श्री बालेश्वर यादव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में टेलीफोन कनेक्शन वाले व्यक्तियों (प्रति सैंकड़ा लोग) की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) इस समय देश में टेलीफोन कनेक्शन का घनत्व कितना है;

(ग) क्या सरकार ऐसा मानती है कि देश के विकास में टेलीफोन क्रांति मील का पत्थर साबित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में दूर-संचार नेटवर्क के विस्तार हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) फोनों की राज्यवार संख्या संलग्न **विवरण** में दी गई है।

(ख) 31.10.2004 की स्थिति के अनुसार समग्र टेलीघनत्व 8.2% है।

(ग) जी, हाँ। दूरसंचार सेवाओं का बढ़ता नेटवर्क तथा उसका उपयोग देश के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में सार्थक योगदान दे रहा है।

(घ) (i) ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में वहनीय और उचित मूल्यों पर दूरसंचार सेवाओं का वित्त पोषण करने के लिए अव्यपगत वैश्विक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) की स्थापना की गई है। यूएसओएफ योजना से सहायता के अंतर्गत अन्य सेवाओं के अलावा सभी राजस्व गांवों को वीपीटी द्वारा कवर करना शामिल है। 30.9.2004 की स्थिति के अनुसार, 607491 गांवों में से 523390 गांवों को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) के माध्यम से जोड़ दिया गया है।

(ii) बीएसएनएल ने मुख्यतः दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए देश के प्रत्येक अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र (एसडीसीए) में कम से कम एक डब्ल्यूएलएल बेस ट्रांससीवर स्टेशन (बीटीएस) की योजना बनाई है क्योंकि तकनीकी-आर्थिक कारणों से भूमिगत केबल बिछाकर इस मांग को पूरा कर पाना व्यवहार्य नहीं है।

विवरण

31.10.2004 की स्थिति के अनुसार देश में टेलीफोन कनेक्शन वाले व्यक्तियों (प्रति सौ व्यक्ति) की राज्यवार संख्या का ब्योरा

क्रम सं.	सर्किल का नाम	कुल टेलीफोन (स्थित + मोबाइल)	समग्र टेलीघनत्व
1	2	3	4
1.	अंडमान एवं निकोबार	46769	12.373
2.	आंध्र प्रदेश	6932744	8.819

1	2	3	4
3.	असम	729539	2.597
4.	बिहार	1676036	1.906
5.	छत्तीसगढ़	366180	1.661
6.	गुजरात	6200173	11.552
7.	हरियाणा	2144557	9.605
8.	हिमाचल प्रदेश	758459	12.041
9.	जम्मू और कश्मीर	464125	4.234
10.	झारखंड	635333	2.242
11.	कर्नाटक	6122530	11.156
12.	केरल	5655309	17.160
13.	मध्य प्रदेश	2968492	4.613
14.	महाराष्ट्र (–) मुम्बई	7815405	9.182
15.	पूर्वोत्तर	439702	3.543
16.	उड़ीसा	1318101	3.453
17.	पंजाब	5497536	20.877
18.	राजस्थान	3290704	5.464
19.	तमिलनाडु (–) चेन्नई	6023812	10.329
20.	उत्तरांचल	500069	5.595
21.	उत्तर प्रदेश	6488080	3.664
22.	पश्चिम बंगाल (–) कोलकाता	1788183	2.545
23.	कोलकाता	3186283	22.803
24.	चेन्नई	3130444	46.207
25.	दिल्ली	7188027	47.396
26.	मुम्बई	7252425	40.909
	कुल	88619017	8.195

[अनुवाद]

कालीसूची में दर्ज आपूर्तिकर्ता

227. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या **प्रधानमंत्री** कालीसूची में दर्ज आपूर्तिकर्ता के बारे में 25 जुलाई, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 454 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजीकरण रद्द किए गए/काली सूची में शामिल किए गए उन आपूर्तिकर्ताओं का ब्योरा क्या है जिन्होंने बाद में उसी नाम से अथवा अन्य नाम से आपूर्ति शुरू कर दी है;

(ख) तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय भंडार ने खुले बाजार से अधिक दर होने के कारण आपूर्तिकर्ताओं से धनराशि वसूल कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और कब तक उनमें प्रत्येक से कितनी धनराशि वसूल की गई है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (घ) इस बारे में सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विशेषज्ञ समिति

228. **श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा. रेड्डी लैब्स और निकोलस पिरामल के बीच संघर्ष के संबंध में फुलग्रेस्टिम के मुद्दे की जांच करने हेतु डी जी, आई सी एम आर की अध्यक्षता में कोई विशेषज्ञ समिति गठित की गई; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और विशेषज्ञ समिति की जांच के क्या परिणाम निकले?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। मैसर्स निकोलस पिरामल ने विवाद खड़ा किया था कि डा. रेड्डी लैब का आर डी एन ए प्रौद्योगिकी से तैयार उत्पाद फिलग्रास्टिम (ग्रास्टिम) मैसर्स एफ. हाफमैन ला राक से आयात किए गए फिलग्रास्टिम (न्यूपोजेन) के समान नहीं है और डा. रेड्डी लैब द्वारा आई एन एन नामक फिलग्रास्टिम के प्रयोग का भी विरोध किया था। आर डी एन ए आधारित प्रौद्योगिकी से प्राप्त प्रोटीन अणुओं की जटिल प्रकृति पर विचार करते हुए शिकायतों को महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति को भेजने का निर्णय किया गया था।

विशेषज्ञ समिति ने अपनी दिनांक 22.8.2003 की रिपोर्ट में निष्कर्ष दिए:

– चूंकि किए गए सभी परीक्षणों के अनुसार ग्रास्टिम और न्यूपोजेन एक समान हैं अतः डा. रेड्डी लैब अपने रीकॉम्बीनेंट ह्यूमन मेथियाबिन जी सी एस एफ हेतु आइ एन एन फिलग्रास्टिम के उपयोग के लिए पात्र हैं;

– विश्व स्वास्थ्य संगठन–आई एन एन समिति के सिफारिशों को देखते हुए कि ब्रांड नाम का चुनाव करते समय आई एन एन के स्टेम का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, डा. रेड्डी लैब को अपने उत्पाद के लिए ब्रांड नाम ग्रास्टिम का उपयोग नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

स्लीपिंग सिकनेस

229. **प्रो. महादेवराव शिवनकर :**

श्री देविदास पिंगले :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में स्लीपिंग सिकनेस का पहला मरीज पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में इस रोग का इलाज संभव है;

(ग) क्या इस रोग के महामारी बनने का खतरा है;

(घ) क्या इस रोग के इलाज हेतु औषधियां भारत में उपलब्ध हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान के अनुसार भारत के मुख्य भू–भाग में संचरण कारक सेट्से मक्खी मौजूद नहीं है। इसलिए इस रोग के महामारी के रूप में फैलने का कोई खतरा नहीं है।

(घ) और (ङ) इस रोग के इलाज के लिए दवाइयां भारत में उपलब्ध हैं। तथापि, कुछ दवाइयों का आयात करना पड़ता है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य परिचर्या हेतु स्वः सहायता समूह

230. **श्री परसुराम माझी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्वास्थ्य परिचर्या का प्रचार–प्रसार करने वाले स्वः सहायता समूह कौन–कौन से हैं;

(ख) क्या इनमें से कोई स्वः सहायता समूह उड़ीसा में कार्य कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य के के.बी.के. जिलों में इन स्वः सहायता समूहों की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम सभापटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, यहां नियम और प्रक्रियाएं हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके मामलों को सभापटल पर पत्र रखे जाने के बाद ही लिया जाएगा। इसलिए, हाथ खड़े करने का कोई फायदा नहीं है।

मद संख्या 4, श्री सुरेश पचौरी।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता–उत्तरपूर्व) : महोदय, मद संख्या 4 श्री सुरेश पचौरी के नाम सूचीबद्ध हैं। वह दिनांक 13 दिसम्बर, 2003 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 422 में प्रकाशित भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2003 से संबंधित पत्र सभापटल पर रखेंगे। वह इन पत्रों को आज तीन सत्रों के पश्चात विलंब के कारण बताए बिना सभापटल पर रखेंगे। सरकार की कार्य पद्धति यह है कि यदि विलंब होता है, तो मंत्री महोदय को सभापटल पर पत्र रखने में हुए विलंब के कारण भी सभापटल पर रखने चाहिए। वह एक वर्ष के विलंब के बाद सभापटल पर पत्र क्यों रख रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से प्रश्न औचित्यपूर्ण है। मंत्री महोदय को कारण बताना चाहिए कि वह वर्ष 2003 के पत्र अब सभापटल पर क्यों रख रहे हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : महोदय, जहां तक अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचना संबंधी पत्र रखने में विलंब के कारणों का संबंध है, मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं कि इस संबंध में अनेक बैठकें हुई थीं। महोदय, जैसा कि आपको पता है कि केवल पिछली बार ही मुझे इस संबंध में स्थिति का पता चला। अतः, मैं सभापटल पर पत्र रखने हेतु आपकी अनुमति मांग रहा हूं।

मोहम्मद सलीम : महोदय, मंत्री महोदय को कारण बताने चाहिए। यह कोई कारण नहीं है। अगली बार उन्हें विलंब के कारणों को साथ में बताना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह पहले उनके ध्यान में नहीं आया था।

श्री सुरेश पचौरी : जहां तक विलंब के कारणों का संबंध है, मैं आपकी अनुमति से इनके कारणों को सभापटल पर रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय मंत्रियों से अनुरोध करता हूं कि वह इस तथ्य को ध्यान में रखें कि यदि विलंब होता है तो, मंत्री महोदय को इसका स्पष्टीकरण भी देना चाहिए।

श्री सुरेश पचौरी : महोदय, मैं सभापटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं:–

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2003 जो 13 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 422 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन, नियम 2003 जो 13 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 423 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियम, 2003 जो 13 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 424 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) सातवां

संशोधन नियम, 2003 जो 13 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 425 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2003 जो 13 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 426 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2003 जो 13 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 427 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 2003 जो 13 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 428 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 2003 जो 13 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 429 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) आठवां संशोधन विनियम, 2003 जो 13 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 430 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 2003 जो 13 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 431 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 2003 जो 13 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 432 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 2003 जो 13 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 433 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 726/04]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(1) राष्ट्रपति द्वारा 21 सितम्बर, 2004 को प्रख्यापित आतंकवाद निवारण (निरसन) अध्यादेश, 2004 (2004 का संख्यांक 1)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 727/04]

(2) राष्ट्रपति द्वारा 21 सितम्बर, 2004 को प्रख्यापित विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश, 2004 (2004 का संख्यांक 2) तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 24 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 32 में प्रकाशित हुआ था (केवल अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 728/04]

(3) राष्ट्रपति द्वारा 24 सितम्बर, 2004 को प्रख्यापित बैंककारी विनियमन (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अध्यादेश, 2004 (2004 का संख्यांक 3)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 729/04]

(4) राष्ट्रपति द्वारा 12 अक्तूबर, 2004 को प्रख्यापित प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (2004 का संख्यांक 4)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 730/04]

(5) राष्ट्रपति द्वारा 11 नवम्बर, 2004 को प्रख्यापित प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन तथा ऋण वसूली विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (2004 का संख्यांक 5)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 731/04]

(6) राष्ट्रपति द्वारा 11 नवम्बर, 2004 को प्रख्यापित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अध्यादेश, 2004 (2004 का संख्यांक 6)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 732/04]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : महोदय, मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा 5 के अंतर्गत 2.4 जीएचजेड से 2.4835 जीएचजेड आवृत्ति बैंड में कम शक्ति वाले उपस्करों का इनडोर उपयोग (लाइसेंस की अपेक्षा से छूट प्रदान करना) नियम, 2004 जो 25 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 542 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 733/04]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:—

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का.आ. 1096 (अ) जो 24 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क (जालंधर–पठानकोट खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का.आ. 760 (अ) जो 2 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरई–कन्याकुमारी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 802 (अ) जो 8 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडीवनम–विल्लुपुरम–त्रिची खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का.आ. 803 (अ) जो 8 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (त्रिची–विरालीमलाई–मदुरई खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का.आ. 810 (अ) जो 13 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद–बंगलौर खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि के अर्जन हेतु बंगलौर, कर्नाटक के राष्ट्रीय राजमार्गों के विशेष भू–अर्जन अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करने के बारे में है।

(छह) का.आ. 883 (अ) जो 3 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 (गुलाबपुरा से स्टेशन नगर) के निर्माण (चार लेनों पर पुनर्संरेखण) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का.आ. 886 (अ) जो 5 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 1957 की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1181 में और संशोधन किए गए हैं।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 734/04]

(3) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 887 (अ) जो 5 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के एक भाग को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 735/04]

(4) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय मोटर वाहन (तीसरा संशोधन) नियम, 2004 जो 10 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 513 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 736/04]

अपराह्न 12-03 बजे

देश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, हम सामान्यतः प्रश्न काल के पश्चात् ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेते हैं। लेकिन आज मुख्य विपक्षी दल ने प्रश्न काल के पश्चात् कुछ महत्वपूर्ण मामले उठाने का अनुरोध किया है। इसलिए, इसे मिसाल बनाए बिना, मैं प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा को बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, देश भर में हजारों की संख्या में भीषण महंगाई से त्रस्त जनता आज दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। पिछले छः–सात महीनों में इतनी अधिक महंगाई हुई है कि जिसने गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग की कमर तोड़कर रख दी है। सभी चीजों के दामों में लगातार वृद्धि होती गई है। जब बजट पेश हुआ था तो चिदम्बरम साहब ने और मनमोहन सिंह जी ने आश्वासन दिया था कि महंगाई को काबू में रखा जाएगा, महंगाई पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ेगी, इस बात का सदन में आश्वासन दिया गया था। अध्यक्ष जी, महंगाई इस समय 7.5 प्रतिशत, 8 प्रतिशत और सितम्बर के महीने में 8 प्रतिशत को भी पार कर गई है। ऐसा लगता है कि यह महंगाई दो बिन्दुओं पर जाएगी और 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने जब चुनाव हुआ था तो सारे देश में जाकर इस बात का प्रचार किया था और कहा था कि कांग्रेस का हाथ आदमी के साथ, परन्तु इस समय कांग्रेस का हाथ आम आदमी से विश्वासघात कर रहा है। इतना भयंकर विश्वासघात किया गया है कि उनकी कमर तोड़कर रख दी गई है।

अध्यक्ष महोदय, रसोई गैस में वृद्धि हुई और उसके अंदर 40 रुपये तक की बढ़ोत्तरी कर दी गई। डीज़ल में बढ़ोत्तरी की गई, पैट्रोल की कीमतों में बढ़ोत्तरी की गई। सब्ज़ियां महंगी हो गईं, दालें महंगी हो गईं और आम आदमी की ज़रूरियात की चीजों के भाव आसमान को छू रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, सीमेंट के दाम बढ़ गए। लोहे के दाम बढ़ गए और अब हालत यह है कि रेल से जो ढुलाई होती है, उसके भी रेट बढ़ा दिए गए हैं। अब रेल से ढुलाई होने वाली हर चीज और महंगी होगी।

महोदय, पिछले छः सालों में होल सेल प्राइस इंडैक्स 4 प्रतिशत से नीचे रहा, 3 से 4 प्रतिशत के बीच रहा और औसत 3.2 प्रतिशत रहा। कंज़ूमर प्राइस इंडैक्स औसत 2 प्रतिशत था, लेकिन इस समय प्राइस इंडैक्स 8 प्रतिशत है और औसत कंज़ूमर प्राइस इंडैक्स 4.5 प्रतिशत को पार कर रहा है। ये दोनों आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो बढ़ती महंगाई को बता रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े आम आदमी के लिए बढ़ती महंगाई को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्राइस इंडैक्स से महंगाई का बहुत छोटा अंश ही शामिल होता है। उसमें डेढ़, दो या ढाई परसेंट अंश ही शामिल होता है। जबकि इसका आम आदमी के लिए 50 प्रतिशत तक फर्क पड़ता है। इसलिए ये आंकड़े आम आदमी के

लिए बढ़ रही महंगाई को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। आम आदमी का 30 से 40 प्रतिशत औसत खर्चा बढ़ गया है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस खर्चे में कमी करे। पानी में कमी करे, चाय में कमी करे, घर में खाने में कमी करे या भूखा रहे?

महोदय, आज से दिल्ली में पानी के 6 गुने से 20 गुने दाम बढ़ा दिए गए हैं। 600 प्रतिशत की वृद्धि एक ही दिन में की गई है। इतिहास में किसी एक दिन में, किसी एक सरकार ने किसी भी चीज में 600 प्रतिशत वृद्धि की हो, यह देखने में नहीं आया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह राज्य सरकार का मामला है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मोहम्मद शाहिद (मेरठ) : अध्यक्ष महोदय, ...*(व्यवधान)*

*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए। प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा कही गई बात के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं उनसे बात समाप्त करने का अनुरोध कर रहा हूं। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, 6 गुने से 20 गुने तक पानी के रेट एक दिन में बढ़ा दिए गए।

हमारे राज में 30 पैसे किलोलीटर की दर से पानी दिया जा रहा था जिसको बढ़ाकर 2 रुपऐ प्रति किलोलीटर कर दिया गया है। अमीर आदमी तो बिसलैरी का पानी पीता है, लेकिन गरीब आदमी ट्यूबवैल का पानी पी रहा है। उसके दाम 20 गुने कर दिए गए हैं।

* कार्यवाही–वृत्तांत मे सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, सोनिया जी यहां बैठी हुई हैं। इन्होंने सब जगह, घूम–घूम कर चुनाव प्रचार के समय जाकर वायदा किया था कि महंगाई नहीं बढ़ेगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइए। जब मैं बोलने के लिए खड़ा हूं तो आपको चुप होकर बैठ जाना चाहिए।

सभी दलों के माननीय सदस्यों ने मुझे सहयोग देने का आश्वासन दिया है। इसका अर्थ है कि हमें नियमों के अनुसार सभा का संचालन करना है। आपकी सुविधानुसार नियमों को हर पल नहीं बदला जा सकता है। यदि आपको निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बोलने का अवसर नहीं मिलता है तो आप मुद्दा उठा सकते हैं। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध कर रहा हूं कि वह यथाशीघ्र अपना भाषण समाप्त करें।

यहां कुछ सूचनाएं हैं। मैं उन्हें संक्षेप में अपनी बात कहने का अवसर दूंगा। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं, अल्पकालिक चर्चा की अनुमति दूंगा। अतः, इसकी अनुमति है। इस पर पूरी चर्चा हो सकती है। मैं केवल उन माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं जिन्होंने बहुत संक्षेप में उल्लेख करने की सूचनाएं दी हैं ताकि हम पूर्ण चर्चा कर सकें। कृपया अन्य लोगों की बात को धैर्य से सुनें। यह सभी दलों पर लागू है। अन्य सदस्यों के विचारों को भी सुना जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : महोदय, आपने उन्हें निदेश दिया है कि दिल्ली सरकार से संबंधित मुद्दा न उठाएं। वह क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसलिए हम व्यवधान डाल रहे हैं। वह केन्द्रीय मुद्दे पर बात कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको बैठना होगा। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। श्री आठवले, मेरे पास अब सभा के संचालन संबंधी प्रक्रिया है कि किस तरह सदस्यों को नाम लेकर चेतावनी दी जाती है और उन्हें सभा से बाहर निकाला जाता है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. मल्होत्रा, आपने अपनी बात कह दी है। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, इनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का यह मतलब है कि कॉमन आदमी को मिनीमम दिया जाए, अमीरों को बेइन्तिहां छूट दी जाए। उनका इंडैक्स 6 हजार को पार कर गया और आम आदमी महंगाई से त्रस्त है।

महोदय, अगर आप रसोई गैस और पानी की बढ़ी हुई कीमतें देखें, तो इनके सहयोगी दल कम्यूनिस्ट और समाजवादी पार्टी के लोग भी इनका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी में है। यू.पी.ए. माइनॉरिटी में है। अगर आप चाहें, तो नियम 184 में वोटिंग करा लें, दो–तिहाई लोग इनकी नीतियों के खिलाफ वोट देंगे, इनके खिलाफ वोट देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आज इनसे सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जो तेजी से महंगाई बढ़ती जा रही है, जो देश के साथ विश्वासघात हुआ, देश को बर्बादी के कगार पर लाया गया, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इन सब बातों के ऊपर प्रधानमंत्री जी यहां आकर अपना वक्तव्य दें। ...*(व्यवधान)* आज जो करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें आडवाणी जी और अटल जी वहां गिरफ्तारी दे रहे हैं, ये यहां पर देश की भावनाओं का प्रतीक है। ऐसा न हो कि देश में इस बात पर क्रांति आ जाए और गरीब आदमी इस सवाल को पूरी तरह से उठाएं।...*(व्यवधान)* इस बारे में हम इसकी निन्दा करते हैं और मैं इस विश्वासघात के लिए प्रोटेस्ट करता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभी को अपनी बात कहने की अनुमति मिलेगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सूचना दी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, आज सारी जरूरी चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इससे आम जनजीवन त्रस्त है। ...*(व्यवधान)* महोदय, पूरे देश में एक आतंकपूर्ण स्थिति है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले छः महीनें में छः फीसदी से अधिक महंगाई बढ़ी है। ये सरकारी आंकड़े हैं, जो अखबारों के जरिए आते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से देखने से महंगाई की छलांग बड़ी तेजी से बढ रही है और पैट्रोल, गैस ओर डीज़ल के जो दाम बढ़ाए गए, जो मुद्रास्फीति बढ़ी है, उसमें सबसे बडा योगदान पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स ~~के दामों~~ के बेतहाशा बढ़ाने से हुआ है। आज वित्त मंत्री जी ने कहा है कि जो बढ़े हुए दाम हैं, उन्हें वे किसी भी कीमत पर वापस लेने को तैयार नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही माननीय सदस्यों को सूचित कर चुका हूं कि मैं इस विषय पर व्यापक चर्चा कराने की अनुमति दूंगा। इसलिए, कृपया संक्षेप में कहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकारी नीतियों का परिणाम है कि पिछले छः महीनों में छः फीसदी से अधिक महंगाई बढ़ी है। आज इस देश का आम आदमी कराह रहा है, परेशानी के दौर से चल रहा है। इसलिऐ मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जनहित के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन के भीतर चर्चा होनी चाहिए और जो सरकार बेलगाम होती जा रही है, इसका जरूरी चीजों के दामों के ऊपर से नियंत्रण खत्म हो गया है, उसके बारे में एक साफ वक्तव्य इस सदन के सामने आना चाहिए, जिससे आम जनता की परेशानी को दूर करने में इस सदन का योगदान हो सके, यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : अध्यक्ष महोदय, ये बहुत सीरियस बातें हैं। देश में महंगाई इतनी बढ़ गई है, इससे आम जनता को बहुत तकलीफ हो रही है, इसे कहने की भी जरूरत नहीं है। आज जहां भी आप जाएंगे, वहां आम जनता, गरीब जनता को बड़ा क्रोध सरकार के ऊपर आ रहा है। असेंशियल कमोडिटीज़ का प्राइस इतना बढ़ गया है, होल सेल प्राइस इंडैक्स और क़ंज्यूमर प्राइस इंडैक्स इतना बढ़ गया है, जितना चार साल में भी नहीं था, उतना इन छः महीनों में डबल से भी ज्यादा बढ़ गया है, आठ प्रतिशत से भी ज्यादा हो गया है। ...*(व्यवधान)* सैंसेक्स आम आदमी के मूल्य सूचकांक का सूचक नहीं हो सकता है। यह मई महीने में इतना बढ़ गया है। सरकार की तरफ से बताया गया कि मेनुप्लेशन हो गया है। ...*(व्यवधान)* यह जो इतना बढ़ गया है, यह मेनुप्लेशन से हुआ या कैसे हुआ। ...*(व्यवधान)* इसका प्राइस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, यह कंप्लीटली स्पेकुलेशन है। यह प्राइस कैसे कम होंगे, पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जो प्राइस बढ़ गया है, सरकार कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी कम कर सकती है, यह आम जनता के लिए अच्छा रहेगा। क्या ऐसा कुछ करने के लिए सरकार सोच रही है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको उनसे संबद्ध होना होगा। मैंने आपको बोलने का अवसर दिया है। इसका दुरुपयोग मत कीजिए। यह पूर्ण चर्चा नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर किसी भी सदस्य को एक मिनट से अधिक समय नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : इसे फाइनैंशियल स्टैंडिंग कमेटी में भी रिकोमेंड किया है। जंबूजी जी उधर बैठे हैं, उन्होंने भी सरकार को रिकोमेंड किया है कि कैसे प्राइस स्टेबल रहेंगे। उसके ऊपर सरकार जरूर विचार करेगी, लेकिन अभी तक उसके ऊपर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। ...*(व्यवधान)* पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में भी इस पर अपने व्यूस दिए हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि प्राइस कैसे स्टेबल रहेंगे, इस पर सरकार को अच्छे ढंग से विचार करना चाहिए, अन्यथा सरकार के ऊपर जनता का विश्वास नहीं रहेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर कुछ कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने कोई सूचना नहीं दी है। उन्होंने सूचना दी है। यदि आपमें धैर्य होता तो मैं आपको बोलने की अनुमति देता। अब मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, महंगाई का सवाल निश्चित रूप से अत्याधिक गंभीर सवाल है। जैसे श्री मल्होत्रा जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और सीपीएम के लोग भी इससे त्रस्त हैं और वे सरकार के साथ सहमत नहीं हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ मल्होत्रा जी से कहना चाहूंगा।

आपने क्या किया और वे लोग क्या कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सामने एक ही सवाल है कि जनहित से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उस पर मुखर होकर बोलेगी, आपका काम करने का तौर–तरीका गलत था, हमने आपका विरोध किया। अगर जनहित से जुड़े हुए मुद्दों की उपेक्षा करेंगे और आम जनता को राहत नहीं मिलेगी तो समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखेगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की ओर से जो साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, उसमें प्रमुखता से यह बात कही गई है कि हम चीजों को नियंत्रित करेंगे। वह भविष्य में आने वाली कठिनाइयों को समझते थे, हम जरूर यह जानना चाहेंगे कि सरकार इस संभावना को जानती थी कि महंगाई बढ़ सकती है और खास तौर से पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ने के साथ जब डीज़ल की कीमत बढ़ती है तो ढुलाई भाड़ा बढ़ता है, आम आदमी की परेशानी बढ़ती है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप केवल वही बात दोहरा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : महंगाई बढ़ेगी तो राष्ट्रीय एवं

[श्री रामजीलाल सुमन]

हम चाहते हैं कि इस पर पूरी बहस हो और सरकार इस मामले पर सफाई दे।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : महोदय, मैंने इस संबंध में सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर बाद में आऊंगा।

...(व्यवधान)

श्री सी. के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति ने लोगों को प्रभावित किया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि आपकी सूचना इस बारे में नहीं है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : महोदय, मैंने प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में सूचना दी है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : इस पर सरकार का बयान आना चाहिए कि उनकी क्या राय है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप संसद के बहुत अनुभवी सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सामान्यतः, मैं जब सभा में होता हूं तो मैं ही सही होता हूं। यहां मैं हमेशा सही हूं। अध्यक्ष हमेशा सही होता है।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, पिछले पखवाड़े के दौरान केरल में पुलिस द्वारा बार–बार अत्याचार ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : केवल संसद सदस्यों से संबंधित मामलों का उल्लेख करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया धैर्य रखिए। यदि आपको बोलने का अवसर नहीं मिलता है तो आप कह सकते हैं।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : महोदय, केरल में प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में है। यह समस्या है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, कीमतों में वृद्धि के मुद्दे का क्या हुआ? क्या यह समाप्त हो गया है?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह खत्म हो गया। मि. मल्होत्रा, उन्होंने जो नोटिस दिया, मैंने उस पर उन्हें बुलाया है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने कोई बात नहीं कही, मैं केवल यह कह रहा हूं कि महंगाई से देश की जनता त्रस्त है और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसके प्रोटैस्ट में हम लोग वाक आउट कर रहे हैं।

अपराह्न 12.17 बजे

(तत्पश्चात् प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता–उत्तर पूर्व) : महोदय, भाजपा ईश्वरत्व से इस मुद्दे पर आ गई है। मैं इसका स्वागत करता हूं।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : महोदय, कृपया मुझे इस विषय पर बोलने की अनुमति दीजिए। मैंने सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी सूचना पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों के बारे में है।

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, गरीब और दलित लोग पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि से प्रभावित हुए हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, यदि आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं देते हैं, तो मैं भी विरोधस्वरूप सभा से बहिगर्मन करता हूं।

अपराह्न 12.08 बजे

(इस समय, श्री किन्जरपु येरननायडु सभाभवन से बाहर चले गए)

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री चन्द्रप्पन। कृपया राज्य से संबंधित मामलों का उल्लेख न करें। केवल संसद सदस्यों से संबंधित मामलों का उल्लेख करें।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : मैं प्रेस की उस स्वतंत्रता से संबंधित समस्या का उल्लेख कर रहा हूं, जिसे हमारे संविधान में सुनिश्चित किया गया है। केरल में प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले हो रहे हैं। केरल पुलिस लगातार ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री एन. एन. कृष्णदास (पालघाट) : महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है। यह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित मामला है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बता दिया है कि संसद सदस्यों से संबंधित मामलों का ही उल्लेख करें।

श्री एन. एन. कृष्णदास : महोदय, यह प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा राष्ट्रीय महत्व का विषय है।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : महोदय, कन्नानौर से संसद सदस्य, जो इस मामले की जांच करने गये थे कि प्रेस के लोगों पर किस तरह हमला किया गया, पर हमला किया गया और उनके वाहन को क्षति पहुंचायी गयी। गत तीन सप्ताहों से केरल में इसी तरह की घटनाएं घट रही हैं।

जो पत्रकार रिपोर्टिंग का कार्य कर रहे थे उन पर त्रिवेन्द्रम और कालीकट में हमला किया गया। अब उन पर कन्नूर में हमला किया गया है। पुलिस उन पर हमला कर रही है। पुलिस महिला पत्रकारों सहित इन पत्रकारों की पिटाई कर रही है। उन्हें जेल में बन्द किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह पत्रकारों से संबंधित मामला है। लेकिन यह राज्य के विषय के अंतर्गत आता है। मैं यहां राज्य के अंतर्गत आने वाले विषयों पर चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : यह प्रेस की स्वतंत्रता से संबद्ध मामला है।

श्री एन. एन. कृष्णदास : यह राज्य सूची के अंतर्गत आने वाला विषय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रेस से संबंधित कानून व्यवस्था राज्य सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : मैं कानून–व्यवस्था से संबंधित मामला नहीं उठा रहा हूं। मैं तो यह मामला उठा रहा हूं कि हमारे संविधान में जिस प्रेस की स्वतंत्रता को इतना अधिक महत्व दिया गया है, केरल में आज उस पर हमला हो रहा है। मेरा मुद्दा यह है। जब प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है तो केरल सरकार ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, यह केरल विधानसभा नहीं है। अतः मैं इस मामलो को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री एन. एन. कृष्णदास : वहां, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : मेरा अनुरोध है कि इस बात की जांच की जाये कि केरल में प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले क्यों हो रहे हैं। मुझे इस मामले को संसद में उठाना पड़ा है।

श्री एन. एन. कृष्णदास : यह राज्य का मामला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा कि माननीय संसद सदस्य से संबंधित जानकारी प्राप्त की जाये और हम इस मामले में दखल देंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : किसी की भी बात को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप जानते हैं कि मैंने इस संदर्भ में सामान्य निर्देश दे रखें हैं।

...*(व्यवधान)**

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : मैं कह रहा हूं कि यदि अध्यक्ष महोदय इस मामले की जांच करायें तो मुझे प्रसन्नता होगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को कह चुका हूं।

---

* कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : यदि आप इसकी जांच कराते हैं, तो मुझे प्रसन्नता होगी।

अध्यक्ष महोदय : यही बात तो मैं कह चुका हूं।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो आपको आपकी समस्या समझने में मदद कर रहा हूं। आप इस मामले से अपने को संबद्ध कर सकते हैं।

श्री एन. एन. कृष्णदास : इस मामले से मैं अपने को संबद्ध करता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यहां राज्य सूची से संबंधित मामलों को नहीं उठाना चाहिए। श्री राधाकृष्णन आप इस बात को भलीभांति जानते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : मेरा दृष्टिकोण इस विषय पर श्री चन्द्रप्पन के दृष्टिकोण से पूरी तरह भिन्न है। मैं इस विषय को एक अलग तरह से प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा कहना यह है कि 'सूचना का अधिकार' मौलिक अधिकार क्यों है?

अध्यक्ष महोदय : आप यह प्रश्न किस से कर रहे हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं यह प्रश्न सभा से कर रहा हूं। इस सभा में भी हमने सूचना के अधिकार से संबंधित विधेयक पर चर्चा की है। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है। प्रेस के लोग सूचना एकत्र कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोका जा रहा है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यही है।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला केन्द्र सूची के विषयों के अंतर्गत नहीं आता। श्री राधाकृष्णन मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं इस मामले के गुणावगुण की जांच अपने स्तर से करूंगा।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन आपने अपनी बात कह दी है।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई कानून होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार की बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित की जाएगी।

...*(व्यवधान)**

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं यह मामला सभा के संज्ञान में लाता हूं ...*(व्यवधान)* हमें मीडियाकर्मियों से, विशेष रूप से केरल में, पर्याप्त सुरक्षा देने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए। अन्यथा मामले का कोई अंत नहीं होगा।

श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट) : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात की जांच करायें कि श्री अब्दुल्लाकुट्टी को आज सभा में क्यों नहीं आने दिया गया। कल उनके आवास पर धावा बोला गया था। उन्हें कहीं जाने नहीं दिया गया। इसके अलावा प्रेस पर आज भी अबाध रूप से हमला जारी रहा। संसद सदस्य को सभा में आने से रोका जा रहा है। मेरी समझ से इसकी जांच होनी चाहिए। यह एक गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं यदि किसी संसद सदस्य को असुविधा हुई है या कोई और समस्या है, तो मैं इसे देखूंगा। मैंने इस बारे में जांच के निदेश दे दिये हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : प्रेस पर हमला, राज्य सूची के अंतर्गत आने वाला विषय नहीं है। प्रेस पर हमला भारत सरकार के अंतर्गत आना चाहिए। यह किसी भी तरह राज्य सूची के अंतर्गत आने वाला विषय नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर आपसे अपने चैम्बर में बात करूंगा।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड) : यह बहुत दुःख की बात है कि शीतकालीन सत्र से पहले दिन ही ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी धैर्य रखें।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : आपकी पार्टी ने एक संसद सदस्य पर हमला किया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री करूणाकरन की बात को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

श्री पी. करूणाकरन : महोदय, हमें यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि इस सत्र के पहले दिन ही हमारे एक माननीय संसद सदस्य सभा की बैठक में शामिल नहीं हो सके।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले को देखूंगा।

श्री पी. करूणाकरन : महोदय; वह इस घटना की जांच पड़ताल कर रहे थे। यह घटना मीडिया कर्मियों पर हुए हमले के बारे में थी। केवल इतनी बात नहीं है। ये हमले सिलसिलेवार हुए हैं जो नवम्बर में कालीकट से शुरू हुए और उसके बाद कारीपुट हवाई अड्डा, त्रिवेन्द्रम, कोचीन और दो बार कन्नानौर में हुए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णदास कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें। अपने दल के सदस्य को बोलने में बाधा न पहुंचाए।

श्री पी. करूणाकरन : यह सत्य है कि मीडिया के लोगों के पास पेन और पेंसिल होती है और उनके पास कोई हथियार नहीं होता है। एक खास वर्ग के लोगों द्वारा उन पर हमला किया गया और पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज किया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री पी. करूणाकरन : महोदय, प्रेस हमारे लोकतांत्रिक ढांचे का चौथा स्तंभ है। हम जानते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका महत्वपूर्ण हैं। यदि हम कोई गलती भी करते हैं तो मीडिया के लोग को बीच में आना–पड़ता है, वे हम पर निगरानी रखते हैं और हमें गलत कार्य करने से रोकते हैं। यह लोकतांत्रिक ढांचे पर ही हमला है। ...*(व्यवधान)* माननीय अध्यक्ष महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे इस मामले की जांच कराएं ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही–वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एन. एन. कृष्णदास : महोदय, माननीय गृह मंत्री को इस संबंध में एक वक्तव्य देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। कृपया बैठ जाइए।

श्री पी. सी. थामस : महोदय, मीडिया का कार्य रिपोर्ट करना है। जब कभी ऐसे मामलों की रिपोर्ट की जाती है जो उपयुक्त नहीं होने या रुचिकर नहीं होती तो मीडिया पर हमला कर दिया जाता है। कुछ लोगों को वहां जाने की, मीडिया के लोगों पर हमला करने की तथा उनके कैमरा छीनने तथा उसे लेकर भागने की अनुमति दी गई। उन्होंने मीडिया के वाहन पर भी हमला किया। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में आजकल यही हो रहा है। एक राजनीतिक दल इन सब के पीछे है, और यह पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है। मैं उस राजनीतिक पार्टी का नाम ले रहा हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : भारत का संविधान है।

...*(व्यवधान)*

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : महोदय, इस समय मैं एक संसद सदस्य के रूप में बोल रहा हूं न कि एक मंत्री के रूप में। मैं कह रहा हूं कि यह एक अनुचित आरोप है। यह गलत है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। अब यह मामला समाप्त हो चुका है।

श्री पी. सी. थामस : आज एक माननीय संसद सदस्य सभा में नहीं आ सके क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी के लोगों द्वारा उन पर गंभीर हमला किया गया जिसका नाम मैं पहले बता चुका हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस विषय पर पहले ही चर्चा की है। इस विषय पर और कोई चर्चा नहीं होगी। मैं माननीय संसद सदस्य के बारे में तथ्यों का पता लगाऊंगा।

अब श्री ब्रजेश पाठक बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम : महोदय, सभा भ्रमित है। माननीय सदस्य ने गृह मंत्री से वक्तव्य की मांग की है। उन्हें वक्तव्य क्यों नहीं देना चाहिए? ...*(व्यवधान)*

श्री एन. एन. कृष्णदास : महोदय, माननीय गृह मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। मैं फिर उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस विषय में वक्तव्य दें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री वक्तव्य देने के लिए बाध्य नहीं हैं। मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मेरा आप से अनुरोध है कि आप गृह मंत्री को वक्तव्य देने के लिए निर्देश दें। प्रेस चौथा स्तंभ है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय संसद सदस्यों, कृपया आप लोग अपने-अपने स्थान पर बैठें।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : महोदय, गृह मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपके सुझाव को नोट कर लिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. सी. थामस : महोदय, हवाई अड्डे पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाना है। उस जगह पर एक दल विशेष का कब्जा हो गया था और उस दल ने वहां अपना झंडा फहरा रखा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। आपने इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बहुत कहा जा चुका है। श्री कृष्णदास, मुझे बहुत खेद है। कृपया अपने स्थान पर बैठें।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : महोदय, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमें राष्ट्र-ध्वज की रक्षा के लिए लड़ना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं? क्या इस बात की छूट है कि कोई भी किसी भी समय जो चाहे वह मुद्दा उठा दे? मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, कृपया सहयोग करें। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप मंत्री रह चुके हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि सहयोग कैसे किया जाता है।

श्री पी. सी. थामस : यह मेरी अंतिम बात है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात का कोई अंत नहीं है। आप पांच मिनट से अपनी अंतिम बात बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो रहा है। यदि उन लोगों ने राष्ट्र-ध्वज का अपमान किया है तो वे इस संसद में क्यों बैठे हैं?

श्री अनंत कुमार : महोदय, हम गृह मंत्री से अनुरोध करते हैं ...*(व्यवधान)* यह मीडिया पर हमला है। यह राष्ट्र-ध्वज पर हमला है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, बहुत हो गया।

...*(व्यवधान)*

श्री एन. एन. कृष्णदास : महोदय, माननीय गृह मंत्री यहां बैठे हुए हैं। उन्हें इस विषय पर वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। आप पांच मिनट बोल चुके हैं। आप उसी बात को बार-बार दोहरा रहे हैं। वक्तव्य उनको देना है। मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप इस बात को जानते हैं।

श्री पी. सी. थामस : हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपके अनुरोध को उन्होंने सुन लिया है। सदन के नेता यहां उपस्थित हैं। माननीय मंत्री जी यहां हैं। मैं नहीं समझता कि किसी नियम के तहत मैं उन्हें वक्तव्य देने के लिए बाध्य कर सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. सी. थामस : एक राजनीतिक पार्टी इसमें अंतर्गस्त है जिसकी सूचना दी जा चुकी है। इसलिए, मैंने यह कहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने इसकी सूचना नहीं दी है। कृपया बैठ जाइए। अब मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं। कृपया आप बैठ जाइए। कल इसकी सूचना दीजिए और मैं इस पर विचार करूंगा। मैं आपकी सूचना पर कल विचार करूंगा।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव) : अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में 14वीं लोक सभा में जब मैं चुनकर आया हूं, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ब्रजेश पाठक जी, जो मुद्दा आप उठाना चाहते हैं, इस बारे में हमारे दफ्तर में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जवाब आया है, हम सोच रहे हैं, हमको देखने दीजिए। अभी जाकर देखेंगे, उसके बाद आपको बतायेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री ब्रजेश पाठक : सर, मैं अपनी बात तो बता दूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम अभी जाकर देखेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। इसके बाद जरूरत होगी तो आप कल इस मुद्दे को उठा सकते हैं।

श्री ब्रजेश पाठक : ठीक है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपके सहयोग के लिए आपको धन्यवाद।

अब श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा बोलेंगे, आप मिर्जापुर जिले के सीमेंट कारखाने के बारे में बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा (मिर्ज़ापुर) : अध्यक्ष जी, हम भूल नहीं गये थे, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : छोड़िए न। सीमेंट फैक्टरी के बारे में बोलिए।

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में सीमेंट कॉरपोरेशन डालोचर्क चुनार है जहां दसियों हजार मजदूर काम कर रहे थे। इन्हीं की सरकार वहां पहले भी थी। इन्होंने कुछ पूंजीपतियों से मिलकर, उसको बेचकर उसे विवादित कर दिया जिसकी तरफ आज भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फैक्टरी बंद होने की वजह से वहां पर बेरोजगारी की मार के चलते वहां नक्सलवाद जैसी समस्या पैदा हो रही है। वहां अभी पी.ए.सी. के 17 जवान मारे गये हैं, ट्रक उलट दिये गये हैं, वहां विस्फोट हो रहे हैं तथा वहां की माताएं–बहनें तरह–तरह के कर्मों पर उतर रही हैं। जो मूलभूत समस्या है, जो ग्रामीण अंचल की समस्या है, जो हिन्दुस्तान के विकास की समस्या है, जो मानव जीवन से जुड़ी हुई समस्या है, इस विषय पर इस सदन में चर्चा होनी चाहिए। यह भी कहा जा रहा है कि सीमेंट फैक्टरी बंद है, उसकी वजह से ही वहां बेरोजगारी के कारण नक्सलवाद पैदा हो रहा है। इसलिए क्यों नहीं फैक्टरी बेचकर मजदूरों के पैसे का भुगतान कर दिया जाए? उनके पैसे का भुगतान होने से उनकी बेटियों की शादी हो जाएगी। उनके लड़के पढ़ लेंगे और घर–आवास बना लेंगे। लेकिन वहां पर इतना रॉ मैटीरियल है कि उस फैक्ट्री को सार्वजनिक क्षेत्र में चलाना बहुत जरूरी है। देश हित में यदि इस सीमेंट फैक्टरी को चलाया जाए तो निश्चित रूप से यह देश हित की बात होगी।

अपराह्न 12.35 बजे

देश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के बारे में – *जारी*

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : सरकार का समर्थन करने वाला दल होने के नाते हमें इसका गहरा दुख है। यह एक गठबंधन सरकार है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया विषय पर आइये।

श्री गुरूदास दासगुप्त : पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि का आदेश देने से पहले सरकार को अपना समर्थन कर रहे दलों की राय जाननी चाहिए थी। वामदलों से विचार-विमर्श नहीं किया गया। हमने इसका विरोध किया और इस पर अपने सुझाव दिए हैं।

जब देश में पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि की गयी तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में कमी आयी थी। हमें इस विषय में संदेह है – यद्यपि यह कहा गया है कि कीमतों में वृद्धि को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से जोड़ा जायेगा – पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि का उपयोग अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए किया गया प्रयास है। देश के लिए राजस्व जुटाने का यह एक आसान उपाय है।

हम सरकार के इस एकपक्षीय निर्णय का कड़ा विरोध करते हैं क्योंकि इस बारे में हम से विचार-विमर्श नहीं किया गया और यह लोगों के लिए कष्टप्रद है। डीज़ल की कीमतों में वृद्धि के कारण रेलवे के मालभाड़े में वृद्धि हुई है। पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि से देश में मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि हुई है जो कि आम लोगों के लिए कष्टप्रद है। अपने दल तथा वामदलों की ओर से, मैं मांग करता हूं कि कीमतों में कमी करके इसे पूर्व स्तर पर लाया जाए। मैं चाहता हूं कि कीमतों में वृद्धि को पूरी तरह वापस लिया जाये।

अतिरिक्त कर जुटाने के लिए सरकार को अभी तक दोहन नहीं किये गये नए क्षेत्रों की खोज करनी चाहिए ताकि सरकार को राजस्व में जो घाटा हुआ इसे पूरा किया जा सके। देश में पर्याप्त धन है। लोग एक विवाह समारोह के लिए 250 करोड़ रुपये तक खर्च कर रहे हैं। उस पर कर नहीं लगाया जा रहा परन्तु पैट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि के माध्यम से आम लोगों पर कर लगाया जा रहा है। अतः मैं इस कीमत वृद्धि को पूरी तरह वापिस लिए जाने की मांग करता हूं।

दूसरा, सरकार को निजी कम्पनियों सहित सभी पैट्रोलियम उत्पादक कम्पनियों को इस घाटे का एक अंश वहन करने के लिए कहना चाहिए। हम जानते हैं कि निजी क्षेत्र की पैट्रोलियम कम्पनियों में विवाद चल रहा है जिसके परिणामस्वरूव सैंसेक्स में गिरावट आयी है। मैं मांग करता हूं कि आम आदमी की सहायता करने के लिए अपने लाभांश में कमी करके निजी कम्पनियों को भी घाटे का एक अंश वहन करना चाहिए। ... *(व्यवधान)*

मैं इस विषय पर भाजपा का साथ नहीं देता क्योंकि मैं जानता हूं कि राजग सरकार के कार्यकाल में पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ी थी ...*(व्यवधान)* मैं आपका साथ नहीं देता।

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त : इस विषय पर मैं राजग का साथ नहीं देता, क्योंकि उनके कार्यकाल में कीमतों में लगातार वृद्धि हुई ...*(व्यवधान)*

मुझे अपनी बात स्पष्ट करने दीजिए। हम आमजन के हितों के विरुद्ध किए गए किसी भी एकतरफा निर्णय का विरोध करेंगे। इसके साथ ही हम भाजपा को कभी-भी स्थिति का राजनीतिक फायदा नहीं उठाने देंगे।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, यह एक दुखद बात है। संप्रग सरकार के सत्ता में आने के बाद, उन्होंने देश के लोगों को बोनस के रूप में यह दिया है। ...*(व्यवधान)*

यदि हम पिछले तीन या चार वर्षों को देखें तो पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में इतनी तीव्र वृद्धि नहीं हुई है। छः महीनों की अवधि के भीतर पैट्रोल की कीमतों में 5.5 रुपये, डीज़ल की कीमतों में 4.5 रुपये तथा रसोई गैस के सिलेंडर की कीमतों में 40 रुपये की वृद्धि हुई। इससे देश के लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कई गुणा वृद्धि हो रही है। जब यह सरकार सत्ता में आयी तो इमली की कीमत 20 रुपये प्रति किलोग्राम थी और अब यह 70 रुपये प्रति किलोग्राम है। यह शर्मनाक है। इस मामले पर व्यापक चर्चा की जानी है। इस देश के आमजन के हितों की रक्षा के लिए मेरी पार्टी इस कीमत वृद्धि को वापिस लिए जाने की मांग करती है। संप्रग ने चुनाव के समय यह आश्वासन दिया था। उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस मुद्दे को शामिल किया था परन्तु अब

छः महीने बाद यह क्या हो रहा है। अतः हमारी पार्टी हर जगह प्रदर्शन कर रही है और इस कीमत वृद्धि को वापिस लिए जाने की मांग भी कर रही है।

[अनुवाद]

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी) : महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री का ध्यान देश में विधवाओं की दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं।

देश में विधवाओं की स्थिति बहुत खराब है विशेषकर उनकी जिनके पास कोई वित्तीय या अन्य अवलम्ब नहीं है। आज तक विधवाओं की सामाजिक सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है।

अतएव, मैं सरकार से आग्रह करूंगी कि विधवा पेंशन शुरु करने के लिए नीति बनायी जाए, निधियों का आबंटन किया जाए ताकि वे भी इन्सानों की तरह जीवन व्यतीत कर सकें और समाज की मुख्य-धारा से जुड़ी रह पायें।

[हिन्दी]

श्री मुन्शी राम (बिजनौर) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे लोक सभा क्षेत्र बिजनौर में तीन सहकारी चीनी मिल हैं जिनमें लाखों बोरी चीनी का भंडारण हुआ पड़ा है जबकि नया उत्पादन भी शुरु हो गया है। जिसके कारण भंडारण की भी परेशानी चीनी मिलों को हो रही है, जिसकी बिक्री की अनुमति सरकार नहीं दे रही है। सबसे अधिक नुकसान इस बात का है कि जिस समय चीनी का मूल्य पिछले महीनों में काफी अधिक था उनको अनुमति मिल जाती तो किसानों को उसका लाभ होता। गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को अपने गन्ने का सही मूल्य मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुनील खां, क्या आप रेलवे कर्मचारियों के बारे में बोल रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : नहीं महोदय, मैं पैट्रोल, डीजल और गैस के बारे में भी बोलूंगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उसके बारे में पहले ही विचार-विमर्श हो चुका है। तथापि मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री सुनील खां : यह पूरी सभा तथा देश के लिए एक गम्भीर चिंता का विषय है कि रेलवे के मालभाड़े तथा पैट्रोल, डीज़ल एवं रसोई गैस आदि की कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई है। उस कीमत वृद्धि के परिणामस्वरूप सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है। गरीब और सामान्यजन बाजार से अपने लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ भी खरीद नहीं पा रहे हैं।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि रसोई गैस, डीज़ल, पैट्रोल आदि की कीमतों में वृद्धि को वापिस लिया जाए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बिना किसी सूचना के मैं किसी को बोलने का अवसर नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : अध्यक्ष जी, सपनों का घर बनाने वालों का घर बनाने का सपना भी महंगा हो रहा है। ईंट निर्माण में जो फ्लाई-ऐश के प्रयोग पर बाध्यता लगाई गयी है कि 25 प्रतिशत राख मिलाकर उसको बनाया जाए, उससे ईंट उद्योग की लागत और गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। मौजूदा समय में भारत में करीब 25 हजार ईंट-भट्टे बंद पड़े हुए हैं जिससे बहुत बड़ी रोजगार की समस्या उत्पन्न हो रही है। खासतौर से गावों के लोगों का पलायन शहरों की ओर बढ़ रहा है। इस धंधे में लगे 10 लाख लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इसका उल्लंघन करने वाले मालिकों पर रोजाना 500 रुपये से लेकर 7000 रुपये तक का आर्थिक दंड और जेल जाने का भी प्रावधान किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैडिकली भी इस राख को मिलाने से फ्लाई ऐश से सांस लेने में तकलीफ होती है तथा तरह-तरह की बीमारियां होंगी। इसलिए मैं मांग करता हूं कि ईंट-भट्टे पर जो फ्लाई-ऐश मिलाने की बाध्यता रखी गयी है उसे वापस लिया जाये जिससे बीमारियां न फैल सकें और बेरोजगारी की समस्या न हो और अच्छी ईंटों का निर्माण हो सके तथा उसकी गुणवत्ता में भी सुधार हो सके।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका) : अध्यक्ष जी, मेरा नाम भी इससे संबद्ध किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सहयोग करेंगे तो मैं आपका नाम कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित करने की अनुमति दूंगा। आप बिना सूचना दिये अपने को सम्बद्ध करना चाहते हैं। अपवाद स्वरूप मैं आपको इसकी अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामकृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष जी, हमने भी नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : दल के बारे में भूल जाइये। यह किसी दल से सम्बद्ध मामला नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सूचना स्वीकृत नहीं हुई है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष जी, यह समाचार पत्रों में छपा है।

अध्यक्ष महोदय : समाचार पत्रों को छोड़िये, पार्लियामेंट की बात कीजिए।

[अनुवाद]

मैं इस विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह संसद से संबंधित नहीं है। अब, मैं श्री अजय चक्रवर्ती के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, आप कृपया मेरे पास आइए। मैं आपको समझाता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठिए। इस समस्या को मुझे निपटाने दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया मेरे चैम्बर में आइए। मैं आपसे बात करूंगा। आप मेरे चैम्बर में आइए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.45 बजे

(इस समय डा. सत्यनारायण जटिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा–पटल के निकट खड़े हो गए)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे बात करूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देवेन्द्र प्रसाद यादव जी, मैं आपसे मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मिलने का अनुरोध करता हूं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं। कृपया मेरे चैम्बर में आइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किसी भी बात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही–वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे लिए समस्याएं भी पैदा कर रहे हैं। मैंने आपके नेताओं को आश्वासन दिया है। मैं नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हूं। आप मुझे नियंत्रित करने नहीं दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देवेन्द्र प्रसाद यादव जी, मैं आपसे मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मिलने का अनुरोध कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 1.45 बजे पुनःसमवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.45 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 1.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.46 बजे

लोक सभा अपराह्न 1.46 बजे पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के धराशायी होने से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 8 – ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लेंगे।

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें:–

"ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के धराशायी होने से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न बैंक समूह अर्थात सरकारी क्षेत्र के बैंक, गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंक तथा विदेशी बैंक आते हैं। बैंकों के इन सभी समूहों के कार्यनिष्पादन की निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित निगरानी तंत्र एवं वार्षिक वित्तीय निरीक्षणों के माध्यम से की जाती है। गत वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी सांविधिक अपेक्षाओं एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने के कारण असफल हुए कुछ बैंकों को छोड़कर गैर–सरकारी क्षेत्र के 32 बैंकों का समग्र कार्यनिष्पादन काफी अच्छा रहा है।

जी.टी.बी. गैर–सरकारी क्षेत्र में एक नया बैंक था। यह सितम्बर, 1994 में अस्तित्व में आया था। इसका कार्यनिष्पादन तब तक काफी संतोषजनक था जब तक 31 मार्च, 2001 के बाद इसमें विशेष रूप से गिरावट देखी गई। तब से जीटीबी की वित्तीय स्थिति से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को चिंता हो रही थी। 31 मार्च, 2002 तथा 31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के कार्यनिष्पादन की समीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वार्षिक वित्तीय निरीक्षणों के द्वारा की गई थी। दोनों वर्ष के लिए बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा बैंक की स्थिति के बारे में मुख्य संकेतक गलत ढंग से प्रमाणित किए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण से बैंक द्वारा प्रकाशित तुलन–पत्र आंकड़ों में व्यापक अंतर का पता चला। बैंक के पूंजी ह्रास को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को नई पूंजी को निवेश करने के निदेश दिए जिससे 9 प्रतिशत की सीआरएआर प्राप्त की जा सके। तथापि, जीटीबी उस घरेलू निवेशक का पता नहीं लगा सका जो अपेक्षित पूंजी निवेश कर सकता था। तत्पश्चात्, बैंक ने जीटीबी में निवेश के लिए केमेन आईलैंड में स्थित एक लिमिटेड पार्टनरशिप, न्यू ब्रिज कैपिटल लिमिटेड के प्रस्ताव को भारतीय रिजर्व बैंक को पेश किया। विनियामक रियायतों एवं विवेकपूर्ण प्रविरिती तथा इसके साथ–साथ विवाद के समाधान में अपेक्षित क्षेत्राधिकार के लिए निवेशक द्वारा

[श्री पी. चिदम्बरम]

कतिपय अनुरोधों के कारण भारतीय रिजर्व बैंक को यह प्रस्ताव स्वीकार्य न था।

घरेलू निवेशकों से अपेक्षित पूंजी जुटा न पाने और साथ ही किसी घरेलू बैंक के साथ स्वैच्छिक विलय में बैंक की असमर्थता को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर सरकार ने ग्लोबल ट्रस्ट बैंक (जीटीबी) पर 24 जुलाई, 2004 को कारोबार की समाप्ति से 23 अक्तूबर, 2004 तक और उसके सहित, की अवधि के लिए अधिस्थगनादेश लागू कर दिया। ऐसा जीटीबी के जमाकर्ताओं, जिनकी संख्या लगभग नौ लाख थी, के हितों और बैंकिंग प्रणाली की रक्षा के लिए किया गया था। यह उल्लेखनीय है कि बैंक की कोई आकस्मिक "असफलता" नहीं हुई। उसकी वित्तीय स्थिति में ह्रास आरबीआई की जानकारी में तब आई जब उसने जुलाई–अक्तूबर, 2002 में बैंक के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की। इससे पहले भी कुछ चिंताजनक गतिविधियां हो रही थीं। आरबीआई ने सुधारात्मक कार्रवाई आरम्भ की और जीटीबी के प्रबंधन को पूंजी लगाने का एक अवसर दिया। जब ये प्रयास असफल हो गए, तब आरबीआई की सिफारिश पर सरकार ने जीटीबी को असफलता से बचाने के लिए अधिस्थगनादेश के अधीन रख दिया।

जीटीबी से भारी मात्रा से आकस्मिक आहरण तथा निदेशकों/प्रबंधन द्वारा किसी अपकरण को रोकने के लिए बैंक को अधिस्थगन के अधीन रखना आवश्यक था। यह कार्रवाई टाली नहीं जा सकती थी। अतः, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए और किसी सर्वांगिक संकट को टालने के लिए उसके पुनरुद्धार के विकल्पों पर विचार किया गया था। ओरियंटल बैंक आफ कामर्स के अलावा, कुछ अन्य निवेशकों ने भी अनौपचारिक तौर पर आरबीआई के समक्ष जीटीबी में अपनी रुचि दर्शाई। इन सभी विकल्पों का मूल्यांकन करने के पश्चात्, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विद्यमान परिस्थितियों में जीटीबी का ओरियंटल बैंक आफ कामर्स के साथ समामेलन सर्वाधिक उपयुक्त समाधान होगा। अतः, सेबी को योजना को अधिसूचित करने के तुरंत बाद, जुलाई, 2004 को पूर्वाह्न में इस संबंध में एक घोषणा की गई। इस प्रारूप योजना को आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए अधिसूचित भी किया गया।

ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स के साथ जीटीबी के समामेलन के प्रारूप स्कीम के प्रति आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्र सरकार की मंजूरी के लिए इस योजना की प्रति वित्त मंत्रालय को भेजी। वित्त मंत्रालय ने 14 अगस्त, 2004 को योजना को अधिसूचित कर दिया है जिसमें ओबीसी के साथ जीटीबी का समामेलन कर दिया गया है। यह योजना पूरी तरह से जमाकर्ताओं और बैंक के हितों की रक्षा करती है। जहां तक निवेशकों का संबंध है, इस योजना के प्रावधानों के अनुसार सभी देयराशियों और देयाताओं को पूरा करने के पश्चात् निधियों की उपलब्धता के अनुसार इस योजना में उनके हितों का भी ध्यान रखा गया है। इस प्रकार उस अधिसूचित योजना में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा की गई है और जीटीबी की असफलता के फलस्वरूप हो सकने वाले किसी भी सर्वांगिक संकट को टाला गया है।

31 मार्च, 2002 और 31 माच्र, 2003 को समाप्त वर्षों की अवधि के लिए जीटीबी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक इसकी सही तस्वीर दिखाने के लिए बैंक की अनुप्रयोज्य आस्तियों की पहचान करने में असफल रहे। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने झूठे प्रमाण–पत्र दिए। इस प्रकार जीटीबी द्वारा दर्शाई गई स्थिति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए निरीक्षण के माध यम से सामने आई सूचना से मेल नहीं खा पाई। भारतीय रिजर्व बैंक ने सांविधिक लेखापरीक्षकों के विरुद्ध संगत सांविधियों के अधीन कार्रवाई के लिए सनदी लेखाकार संस्थान को भी लिखा है। यह योजना समामेलन की तारीख से पहले ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के किसी निदेशक या अधिकारी या कर्मचारी द्वारा किए गए किसी दाण्डिक अपराध या सांविधिक उल्लंघन या चूक की जिम्मेदारी के लिए उसके/उनके खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान करती है।

ऐसी असफलताओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ–साथ, बासिल मानदंडों की तरह पूंजी पर्याप्तता संबंधी मानकों की शुरूआत; आस्ति के वर्गीकरण, आय की पहचान और प्रावधान के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंड; मूल्यांकन मानदंडों और निवेशों के लिए बाजार जोखिम पूंजी की शुरूआत; प्रकाशित लेखे वृद्धि के लिए पारदर्शिता और प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाओं में वृद्धि करना; एक्सपोजर/पूंजी बाजार एक्सपोजर मानदंडों को अनुरूप बनाना; स्थलेतर निगरानी प्रणाली की शुरूआत और पर्यवेक्षी ढांचे को सुदृढ़ बनाना; बैंकों के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण की शुरूआत और त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के लिए एक ढांचे की शुरूआत शामिल है।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक ने अंततः धन की लालसा रखने वाले बैंकों का ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में विलय करने के लिए कदम उठाए हैं। जी. टी.बी. अपनी स्थापना के समय से ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विर्निदिष्ट दिशा–निर्देशों और मानकों का उल्लंघन करता रहा है। इस कारण से न केवल जी.टी.बी बल्कि 12 अन्य निजी बैंक भी अंततः बंद हो गए हैं। जी.टी.बी के बंद होने के बाद छोटे निवेशक तथा छोटे शेयर धारक कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना में यह कहा गया है कि छोटे निवेशकों तथा शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्णय लिया है। तथापि, मुझे यह कहने में अफसोस है कि बहुत पहले से ही भारतीय रिजर्व बैंक इस बैंक तथा इस बैंक के बेईमान प्रबंधन के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने में अनिच्छुक था।

रमेश जेली जो इस बैंक का पूर्व चेयरमैन था उस समय वैश्य बैंक का पदाधिकारी था जब हर्षद मेहता घोटाला हुआ था। उस घोटाले में वैश्य बैंक का अंततः 1000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। उसने इस बैंक के चेयरमैन के रूप में कार्य किया

ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स में विलय के बाद भी ग्लोबल ट्रस्ट बैंक अधिकारी और कर्मचारी वही वेतन और अन्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं जो उन्हें अपने पुराने बैंक में मिलता था जब कि ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभ जी.टी.बी. की तुलना में बहुत कम है। इससे इस संस्थान में एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें एक काडर के अधिकारी और कर्मचारी विभिन्न वेतनमान ले रहे हैं।

महोदय, मैं इस बैंक के बंद होने के कारणों के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। तथापि, मैं कहूंगा कि यह घोटाला जी.टी.बी. के प्रबंधन द्वारा किया गया था और यह जी.टी.बी. के अक्षम और अदक्ष प्रबंधन के कार्यकरण का परिणाम है। मैं वित्त मंत्री से कुछ सवाल करना चाहूंगा और शेष प्रश्न हमारे अन्य सहयोगी श्री गुरूदास दासगुप्त, श्री सी. के. चन्द्रप्पन और श्री बसुदेव आचार्य द्वारा पूछे जाएगें।

मैं माननीय वित्त मंत्री से निम्नलिखित प्रश्न पूछना चाहूंगा:

1. 24 जुलाई को जी.टी.बी. के अधिस्थगन की घोषणा की गई। तथापि, 26 जुलाई को भारतीय रिजर्व बैंक ने ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ इसके विलय की घोषणा कर दी। 25 जुलाई को रविवार होने के बावजूद, जो कि छुट्टी का दिन था, भारतीय रिजर्व बैंक को यह निर्णय लेने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी या किसके हित में यह निर्णय लिया गया?

2. किसी भी संस्था को हाथ में लेने या विलय से पहले उसकी परिसम्पत्तियों और देयताओं का समुचित मूल्यांकन होना चाहिए था। तथापि, इस मामले में ओरयंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को मूल्यांकन कार्य करने का समय नहीं मिला।

3. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसके निदेशमंडल में निजी शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व है। इन दोनों बैंकों के विलय के मामले पर विचार करने के लिए बोर्ड की बैठक नहीं हुई।

4. चौथी बात संयुक्त संसदीय समिति की 2001 की रिपोर्ट जो केवल पारिख घोटाला मामले के सम्बन्ध में है, में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जी.टी.बी. इस घोटाले में लिप्त था। फिर भारतीय रिजर्व बैंक ने जी.टी.बी. के विरूद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं की?

अपराह्न 2.00 बजे

अब मैं पांचवा प्रश्न पूछता हूं। दिनांक 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए जी.टी.बी. का तुलना–पत्र में निवल मूल्य 400 करोड़ रुपये तथा 40 करोड़ रुपये का लाभ दर्शाया गया है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक की जांच रिपोर्ट में जी.टी. बी. का निवल मूल्य ऋणात्मक दर्शाया गया है। रिकार्ड में इस प्रकार के झूठे तथ्य दर्शाने के लिए जी.टी.बी के विरूद्ध भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्री से यही मेरे पांच सवाल है। मेरी उम्मीद है कि वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं जो देश में छोटे निवेशकों के हितों पर चोट करती हैं भविष्य में कभी नहीं होंगी।

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : महोदय, मैं मानता हूं कि मुझे श्री चिदम्बरम को बधाई देना चाहिए। वे हँस रहे हैं।

[श्री गुरूदास दासगुप्त]

संभवतः वह इसे अपमान के रूप में समझ रहे हैं। नहीं, महोदय, मैं वास्तव में श्री चिदम्बरम को उच्चतम न्यायालय के एक अग्रणी वकील हैं, के रूप में धन्यवाद देता हूं। लेकिन उन्हें भारत के वित्त मंत्री के रूप में धन्यवाद नहीं देता। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एक प्रमुख वकील होने के लिए दोषी व्यक्ति का बचाव करने सबसे आवश्यक गुण है। मैं यह कैसे उम्मीद कर सकता हूं कि देश की वित्तीय संस्थाओं का संरक्षक बनने की जिम्मेदारी लेने के बाद वे अपने पेशे को भूल जाएंगे? मैं श्री चिदम्बरम को एक वकील के रूप में धन्यवाद देता हूं।

मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं। क्योंकि उन्होंने अपना बयान इस प्रकार तैयार किया है कि दोषी को बरी कर दिया है। जी.टी.बी. के प्रबंधन में पहले ही दिन से अपराधी सम्मिलित थे। तथापि, इस मामले में दोषी भारतीय रिजर्व बैंक है जो नियामक एजेंसी है और प्राधिकार है, जिसे देश की वित्तीय प्रणाली की वित्तयन, नियंत्रण और निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

महोदय, मैं नहीं समझता कि श्री चिदम्बरम मुझसे नाराज़ होंगे यदि मैं इतिहास का थोड़ा उल्लेख करूं। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि श्री चिदम्बरम का आगमन इस खेल में बाद में हुआ। यह अपराध पूर्व के सरकारों के काल में हुआ था। मैं यह मानता हूं कि चिदम्बरम इसमें बाद में आए।

यह निजी क्षेत्र का एक विशेष बैंक था। इसका गठन तब हुआ था जब उदारीकरण की प्रक्रिया का हर जगह उल्लासोन्माद व्याप्त था। जैसा कि आप जानते हैं 1991–92 के दौरान देश में चारों ओर हर्षोल्लास था। आज के प्रधानमंत्री तब भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे। मैं दोनों घटनाओं को जोड़ना नहीं चाहता लेकिन यह भाग्य की विडम्बना है। इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखने का कोई कारण नहीं है। लेकिन यह भाग्य की विडम्बना है। यह एक दुर्भाग्य था कि पूर्व वित्त मंत्री 1994 में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। आपको ज्ञात है कि उस समय वित्त मंत्री कौन थे। मैं यह सिर्फ इसलिऐ कह रहा हूं कि उस समय हर्षोल्लास का आलम यह था कि देश हर किसी ऐरे–गैरे निजी बैंक की स्थापना के लिए अनुज्ञप्ति दी जा रही थी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन सभी लोगों को यह अनुज्ञप्ति दी गई जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया।

रमेश गेल्ली के बारे में कुछ बातें कही गईं थीं। यह वह व्यक्ति हैं जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूं? जरा सोचिए, वह व्यक्ति जो एक बैंक के बंद होने के लिए जिम्मेदार है वह पद्म श्री प्राप्तकर्ता है। यहाँ कौन गौरवान्वित हुआ है? क्या पद्म श्री गौरवान्वित हुई है? क्या वह व्यक्ति गौरवान्वित हुआ है? क्या यह प्रणाली गौरवान्वित हुई है?

श्री भारद्वाज यहाँ बैठे हुए हैं। वह इस देश के कानून, विनियोजितता, तथा नैतिकता के संरक्षक हैं। क्या वह कृपया इस मामले पर ध्यान देंगे तथा यह पता लगाएंगे कि वे कौन लोग थे जिन्होंने ये निर्णय लिए? गेल्ली पहले से ही अपराधी था। यह महानुभाव एक समय वैश्य बैंक के अध्यक्ष थे।

आपको हर्षद मेहता याद होंगे; मेरे ख्याल से आप उनका नाम नहीं भूले होंगे। आज वह व्यक्ति जिन्दा नहीं है लेकिन उसके कुकृत्य भारत के इतिहास में दर्ज हैं जो लोगों को यह बताता है कि हेराफेरी से पूरी प्रणाली का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है।

वह वैश्य बैंक के अध्यक्ष थे और वैश्य बैंक की इस घोटाले में संलिप्तता का पता चला है। मैं बेचारा संयुक्त संसदीय समिति का सदस्य था। हमने इस मामले को देखा और पाया कि वैश्य बैंक शेयर बाजार को प्रभावित करने के लिए पैसों का अन्यत्र स्थानांतरित करने वाला वाहक था। यह प्रतिवेदन में दर्ज है। ऐसा भी नहीं है कि भारतीय रिजर्व बैंक यह दावा कर सकता है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। अनभिज्ञता कोई सद्‌गुण नहीं है, यह मात्र असफलता से बचाव है।

महोदय, तथ्य यह है कि श्री गेल्ली को संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन, उसके अभ्यारोपित होने, तथा बैंक के अभ्यारोपित होने के बाद अनुमति दी गई थी। एक अन्य प्रतिष्ठित वकील भी वहाँ बैठे हुए हैं। न्यायपालिका में एक आपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्ति को शामिल किया गया है। आप इसे कैसे पसंद करते हैं? आप किस प्रकार की न्यायपालिका चाहते हैं? श्री गेल्ली भारतीय रिजर्व बैंक के दयापूर्ण अनुमोदन से अध्यक्ष बने। आप जानते हैं, वह उल्लासोन्माद इतना जबरदस्त था कि एक पूर्व वित्त मंत्री को इस अवसर पर उपस्थित होना पड़ा। ...*(व्यवधान)* यह पृष्ठभूमि है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको स्पष्टीकरण मांगना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : मैं आपको प्रार्थना करूंगा कि मुझे कुछ समय दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप भाषण दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त : कुल मिलाकर, यह अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण कर रही है। वैश्वीकरण नाराकारी है, उदारीकरण सिद्धांत है, तथा श्री चिदम्बरम नए दर्शन के संरक्षक हैं। मैं कैसे संक्षेप में यह कह सकता हूँ? ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का बंद होना इतिहास की पुनरावृत्ति मात्र है। यह एक ओर जहाँ लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रवंचना, धोखाधड़ी, जोड़–तोड़, जालसाजी, मिथ्याकरण की तुच्छ कहानी की पुनरावृत्ति है वहीं दूसरी ओर, भारतीय रिजर्व बैंक की अपने दायित्वों के निष्पादन में बड़ी विफलता है।

बैंककारी अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत, किसी बैंक में आम लोगों की जमा–पूंजी की सुरक्षा करना भारतीय रिजर्व बैंक की सांविधिक जिम्मेदारी है। इसने अपना दायित्व नहीं निभाया। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, क्या वह तैयार हैं? मेरा आरोप जालसाजी का है; मिथ्याकरण का है; धोखाधड़ी का है; तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन न करने का है। श्री चिदम्बरम अपने खुले विचारों के लिए जाने जाते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, कृपया इस मामले पर गौर करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन के सुझाव को स्वीकार करें।

महोदय, मैं आपको तीन उदाहरण देता हूं कि क्यों मैं इसे जालसाजी का मामला मानता हूं। पहला निरीक्षकों की रिपोर्ट है। आप तो उन बेचारे निरीक्षकों पर विश्वास नहीं करते जो पद में काफी नीचे हैं। हमारे मंत्रियों को तो सिर्फ गर्वनरों और डिप्टी गवर्नरों पर विश्वास है। परन्तु इन नीचे तबके के निरीक्षकों ने दो रिपोर्टें दी जिसमें बताया कि सभी लेखा–परीक्षित रिपोर्टें झूठी थी तथा लेखा परीक्षक ने जिसे अच्छी राशि देकर रखा गया था झूठी रिपोर्ट दी थीं। इसे 2001–2002 में उठाया गया था परन्तु सर्वोच्च प्रबंधन ने न जाने किन कारणों से कोई कार्रवाई नहीं की।

दूसरा, संयुक्त संसदीय समिति–मैं 1992–93 की संयुक्त संसदीय समिति के बारे में नहीं कर रहा हूं, मैं तो श्री त्रिपाठी की अध्यक्षता में बनी उस संयुक्त संसदीय समिति की बात कर रहा हूं जिसने केतन पारीख के मामले पर गौर किया – ने बताया कि इसमें भ्रष्टाचार, दुर्विनियोग तथा अपवर्तन के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा? रिपोर्ट दो वर्ष पूर्व सुपुर्द की गई थी। अतः, ये खुले दस्तावेज हैं। इसके बावजूद, बैंक प्रबंधन को 2004 तक क्यों कार्य करने दिया गया? निरीक्षकों की रिपोर्ट मिथ्याकरण और धोखाधड़ी की बात कहती है। अगर आपका संसद के प्रति सम्मान है – मेरा विश्वास है कि आप संसद का सम्मान करते हैं तो आपको संसद की सृष्टि का भी सम्मान करना चाहिए।

संयुक्त संसदीय समिति संसद से ही तो बनी है, अर्थात सभी दलों के सदस्यों से बनी है। इस संयुक्त संसदीय समिति ने कहाः "इस पर गौर करें।" परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिनांक 31 मार्च, 2002 को ग्लोबल ट्रस्ट बैंक (जीटीबी) की वार्षिक रिपोर्ट ने 400 करोड़ रुपये वास्तविक जमा–पूंजी और 40 करोड़ रुपए का वास्तविक लाभ दिखाया। तुलन पत्र चार्टर्ड आकउंटेटस द्वारा प्रमाणित किया गया था जिसकी सेवाएं उन्होंने ली थीं। परन्तु भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में इसका निवल मूल्य नकारात्मक था। यह बताया गया कि उन्होंने 40 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। परन्तु, निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार, मुनाफे के बजाए घाटा हुआ। श्री चिदम्बरम बताएंगे कि क्या कार्रवाई की गई थी? मैं आपको जिम्मेदार नहीं मानता हूं क्योंकि उस समय कोई और शीर्ष स्थान पर बैठा हुआ था। परन्तु कृपया इसे रफा–दफा करने का प्रयास न करें। क्यों इस रिपोर्ट पर जो 31 मार्च, 2002 की थी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, वित्त मंत्री तथा वित्त मंत्रालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई? मैं कैसे कह सकता हूं कि इसे सत्यापित किया गया है? अगले ही वर्ष तुलन पत्र ने यह बताया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें। अभी दो वक्ता और हैं।

...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता – उत्तर पूर्व) : ये बातें कैसे हुईं और अब कैसे इन पर लीपा–पोती की जा रही है!

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया राष्ट्र को बताएं कि हमारी वित्तीय प्रणाली के संरक्षक कौन–कौन हैं। मैं मानता हूं कि श्री चिदम्बरम एक साहसी पुरुष हैं। वह कड़ा निर्णय लेंगे। वह मेरे सुझावों से भी पूर्णतः सहमत होंगे। क्यों न उनकी अपनी पसंद की दूसरी संयुक्त संसदीय समिति बने। उन्हें सदस्यों का चुनाव करने दिया जाए। उन्हें तत्काल वस्तुपरक अध्ययन करना चाहिए। 2002 में कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2003 में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बीच, उस अवधि के दौरान, एक संयुक्त संसदीय समिति बनी जिसने कहा कि यह व्यक्ति पैसों की जालसाजी कर रहा है। किसने पैसा दिया? बैंक ऑफ कराड ने हर्षद मेहता और अन्य दलालों को पैसा दिया। श्री चिदम्बरम इन तीन व्यक्तियों को जरूर जानते होंगे। अब, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक ने केतन पारीख को पैसा दिया। यह केतन पारीख कौन है? वह एक अपराधी है और अभी जेल में बंद है।

मोहम्मद सलीम : पूरा कोलकाता शेयर बाजार उसके कारण लुढ़क गया।

श्री गुरूदास दासगुप्त : बैंक ऑफ कराड एक निजी बैंक है जो हर्षद मेहता और अन्य दलालों के साथ सॉठ–गॉठ करने के लिए जिम्मेदार है। पॉच वर्ष की अवधि में, दूसरे निजी बैंक ने केतन पारीख के साथ सॉठ–गॉठ किया, जो अब जेल में है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात है। तीन ठोस रिपोर्टों के बावजूद कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? मैंने, श्री चिदम्बरम पर नहीं, बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन प्रबंधन पर लीपापोती करने और कोई कार्रवाई नहीं करने, इस सांविधिक दायित्व के निष्पादन से मना करने, प्रणाली के इस्तेमाल और जोड़–तोड़ में शामिल होने का आरोप लगाया था। भारतीय रिजर्व बैंक जिम्मेदार है। न सिर्फ अभी बल्कि हमारी 1991–92 की संयुक्त संसदीय समिति प्रतिवेदन में भी हमने भारतीय रिजर्व बैंक को दोषी पाया था। परन्तु सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। आगे भी, दूसरी संयुक्त संसदीय समिति में, भारतीय रिजर्व बैंक को दोषी पाया गया।

अब मैं, आपके सामने दूसरा प्रमाण, दूसरा साक्ष्य प्रस्तुत करता हूं जो रिजर्व बैंक को जिम्मेदार साबित करने के लिए पूर्णतः सत्य है। अधिवक्ता श्री चिदम्बरम, कृपया अभियुक्तों के खिलाफ नरम कार्रवाई का आदेश दीजिए लेकिन अभियुक्तों को बचाने का प्रयास न कीजिए। यदि उन्हें आप यह कहते हैं कि आप ऐसी कार्रवाई भारतीय रिजर्व बैंक के खिलाफ नहीं कर सकते तब पूरी भारतीय प्रणाली खतरे में पड़ जाएगी। सारा भारत हमारी ओर देखेगा। मैं सहमत हूं कि यदि आप एक अच्छे वकील के रूप में नरम रुख अपनाते हैं, लेकिन यह कहते हुए बचाव नहीं करते कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ गलत नहीं किया है। यह यहीं खत्म नहीं होता।

एक और जाल–साजी हुई है। बर्बादी के पहले देखिए कैसी जाल–साजी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष रमेश गिल्ली ने ग्लोबल ट्रस्ट बैंक में हिस्सेदारी घटा दी थी। श्री गिल्ली को यह जानकारी थी कि बैंक बंद होने के कगार पर है क्योंकि उसने ही यह सारा कुकृत्य किया था। अतः, वह अपने को बचाने के लिए, अपनी जिम्मेदारी नौ प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत कर रहा था। उसने अपना स्टेक 9 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया। बोर्ड में भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक हैं। वे क्या करते हैं? एक तरफ तो वह आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा वहीं दूसरी ओर वह अपना शेयर कम करता रहा ताकि बैंक के बंद हो जाने की स्थिति में उसको कोई हानि न हो।

दूसरी बात, इसे बंद होने से 2 माह पहले, सभी वित्तीय संस्थागत निवेशकों, सभी एफ.डी.आई. तथा सभी अनिवासी भारतीयों ने अपना स्टेक कम कर लिया था। उनको इसका संकेत कैसे मिला?

इसलिए, यह सब जालसाजी की नियत से सोची–समझी चाल तथा धोखा–धड़ी करने के लिए रचा गया षड्यंत्र था। बैंक के बंद होने से पहले, उन्होंने अपनी रकम निकालकर तथा अपनी पूंजी वापस लेकर अपनी सुरक्षा की। मि. गेली, उसका लड़का, उसकी बहन तथा उसके परिवार, सभी ने अपनी–अपनी रकम कम कर दी। अनिवासी भारतियों ने भी अपने धारणाधिकार कम कर दिए। परिणाम स्वरूप जो कुछ हुआ आप सभी जानते हैं। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हो गया जिसमें सरकार का धारणाधिकार 53 प्रतिशत हो गया और 47 प्रतिशत धारणाकार अन्य लोगों का हो गया। अपराधियों ने अपनी योजना को इस प्रकार बनाया था कि वे अपनी रकम निकाल लें और गरीब निवेशकों को, जिन्होंने उसमें निवेश किया था और जिन्होंने उसके शेयर खरीदे थे, उनको धोखा दिया जा सके। गरीब निवेशकों को पूरी तरह धोखे में रखा गया।

महोदय, प्रश्न यह है कि अब क्या किया जाए? एक व्यक्ति जिसकी विश्वसनीयता संदेहास्पद थी उसको एक बैंक खोलने की अनुमति दी गई। हर्षोल्लास का आलम यह था कि इस बैंक के उद्घाटन समारोह की सभा में जाने से वित्त मंत्री भी अपने–आप को नहीं रोक सके।

पहले ही दिन से पैसे का गबन करने के लिए उन लोगों ने अस्थिरता पैदा की, और उन्होंने उदारीकृत नीति के संरक्षण के तहत एक निजी बैंक के साइनबोर्ड का उपयोग किया तथा नियमों का पालन नहीं किया। कई बार चेतावनी दी गई लेकिन किसी भी चेतावनी पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। और एक व्यक्ति ने नीचतापूर्वक यह सब किया। अब किया क्या जाना है? चिदम्बरम महोदय कहेंगे कि उन्होंने बैंक को संकट से उबार दिया है। हां, मंत्री महोदय जी, आपने इसे उबार दिया है। मैं इसके लिए आपकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन किस की कीमत पर? ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : अच्छी बात है, वे इसके लिए प्रशंसा कर रहे हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त : मैं इस बात से सहमत हूं कि उन्होंने बैंक को उबारा। लेकिन माननीय मंत्री महोदय, आप मुझे बताएगें कि इसके विलय की इतनी जल्दबाजी क्यों की। पिछले 10 वर्षों में भारत में 12 निजी बैंक बंद हो गये हैं। उदारीकरण का मतलब धोखाधड़ी है। महोदय, देश में 12 निजी बैंकों का दिवाला निकल गया है। क्या आपने उनके कारणों की जांच की है? इसमें सबसे हाल का मामला जी.टी.बी. का है।

मेरा मुख्य प्रश्न यह है कि जी.टी.बी. का बंद हो जाने का कारण यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना काम नहीं किया, सेबी ने अपना काम नहीं किया। मैं चाहता हूं कि मि. गेली के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने यह नहीं कहा कि उन्होंने किया है या नहीं।

जुलाई में, बैंक का अधिग्रहण कर लिया गया। आज 1 दिसम्बर, है। यदि बैंक के विलय के लिए आपने इतनी जल्दबाजी दिखाई तो मि. गेली के खिलाफ कार्रवाई में क्यों नहीं? क्या आप अभी भी उनके प्रशंसक हैं क्योंकि वे एक प्रतिभाशाली बैंकर रहे हैं जिन्हें 'पद्म श्री' का सम्मान दिया गया।

श्री चिदम्बरम, हम आप से जानना चाहते हैं। इसमें कई राज छिपे हुए हैं। श्री चिदम्बरम, आप कृपया साहस करके इस राज के बारे में देश को बताइए। हर्षद मेहता का घोटाला हुआ, केतन पारिख का घोटाला हुआ और अब जी.टी.बी. का घोटाला हुआ। आप नहीं बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक, वे लोग जो वित्तीय प्रणाली को चला रहे हैं – वे सुरक्षा देने में पूरी तरह अक्षम साबित हुए हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त : मेरा सवाल उन लोगों से भी है जो ठीक मेरे दायें बैठे हैं ...*(व्यवधान)*

मैं श्री चिदम्बरम से कहना चाहूंगा कि वे कृपया पुरानी सरकार के अपराधों को न दोहराएं। वे एक जांच गठित करें, गेली के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करें और उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें जो दोषी हैं तथा इस षड्यंत्र का पता लगाएं। इस षड्यंत्र का पता लगाने के लिए और एक त्रुटि रहित प्रणाली की स्थापना करने के लिए उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि यह प्रणाली कारगर नहीं है। यह 1991–92 के दौरान कारगर नहीं रही। यह केतन पारिख के मामले में भी कारगर नहीं रही। यह ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के मामले में भी कारगर नहीं रही। कृपया हमें बताएं कि 'गेली' तथा इन राजनीतिक संरक्षकों के हाथों से भारत के वित्तीय प्रणाली को बचाने के लिए आपके पास कौन–कौन सी कारगर प्रणाली है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चिदम्बरम, आप केवल कुछ मिनटों में अपना स्पष्टीकरण दें क्योंकि श्री दासगुप्त ने बहुत अधिक समय ले लिया है।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : मैं उतना समय नहीं लूंगा।

महोदय, बजट पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने कहा था कि मृदुभाषी बनें ताकि अन्य लोग सुनें और आप भी मृदुभाषी बनेंगे। मैं समझता हूं कि यह उनका बहुत ही मृदु वक्तव्य है।

[श्री सी. के. चन्द्रप्पन]

वक्तव्य में पांचवी बात यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्देश दिया था कि, यदि आवश्यक हो, निदेशकों और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जा सकते हैं। क्या यह उन लोगों के प्रति बहुत ही नरम रवैया नहीं है? मैं उन सभी बातों का उल्लेख नहीं करूंगा जिसकी चर्चा हमारे पूर्ववर्ती सदस्य ने की है। भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी ने सिर्फ इतना ही नहीं किया। बल्कि 2002 में सेबी ने एक आदेश दिया था जिसके द्वारा जी.टी.बी. के शेयरों की खरीद–बिक्री करने वाले दलालों को रोका गया था। लेकिन अचानक सेबी ने बैंक बंद होने के ठीक पहले उसे वापस ले लिया। इसका परिणाम क्या हुआ यह श्री दासगुप्त बता चुके हैं। इस आदेश को वापस लेने से जो हुआ वह यह था कि जो लोग डूबती नौका से उतरना चाहते थे, वे उतर गए। वे बड़ी मछलियां बैंक के संस्थापक थे जिसमें गेली 'पदम श्री', उसके सगे–सम्बन्धी और प्रत्येक लोग थे। उन्होंने अपना शेयर निकाल लिया और सेबी ने उन्हें बचने का रास्ता दिया। इसने उनको मार्ग दिखाया जिससे वे निकल सके। इसके बाद श्री चिदम्बरम के बड़े–बड़े साथी, विदेशी निवेशक, अप्रवासी भारतीय, एफ.डी. आई. तथा एफ.आई.आई. की बारी आयी। वे सब भी उसी मार्ग से बच निकले उनको रास्ता सेबी द्वारा दिखाया गया। इसने उनके बचने का मार्ग दिखाया। लेकिन बेचारे निवेशक आम लोग थे – वे लोग मेरे जैसे या संभवतः आपके जैसे लोग थे। आप भी एक साधारण आदमी हैं। उनका निवेश जो बीच में 43 प्रतिशत था वह तब 53 प्रतिशत हो गया था। गरीब लोग जिन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा है और पैसे निवेश करते गए। श्री चिदम्बरम ने उन निवेशकों को उत्तर देते हुए कहा कि प्रत्येक द्वारा लूटे जाने के बाद यदि बैंक में कुछ बचा है, तो निवेशकों के बीच उस राशि को बांटा जाएगा अथवा उनकी क्षतिपूर्ती नहीं की जाएगी। लेकिन जब भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी जल्दी–जल्दी अपना काम कर रहे थे, उन्होंने तब देश–हित या जनहित का ख्याल नहीं रखा। मेरी शिकायत यही है। मैं सारे ब्योरे में नहीं जाना चाहता। श्री चिदम्बरम, जो हमेशा सोचते हैं कि देश में निजी क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है, को जानना चाहिए कि इस अवधि के दौरान 17 निजी बैंक बंद हो गये हैं। मैं उन नामों को दोहराना नहीं चाहता। यह श्री चिदम्बरम और उनके साथियों द्वारा लाई गई नई आर्थिक नीति का 10 वर्षों का परिणाम है। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक इस सूची में 18वां है।

एक और दिलचस्प बात भी है। एक बार इन सभी बैंकों ने जनता को धोखा दिया और बैंक दिवालिया हो गए। अब सरकार सरकारी क्षेत्र के स्वस्थ बैंकों को इनका भार वहन करने को कह रही है। इसके पीछे का तर्क मुझे समझ में नहीं आता। इन सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उन सभी पापों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो हर्षद मेहता के अपराधों जैसा है जिसे निजी क्षेत्र के शक्तिशाली उद्योगपतियों तथा बैंकों द्वारा किए गए हैं। क्या यह बहुत ही गैर–जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं है?

इसके साथ ही मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि जब आप उन सभी बैंकों को जो बंद हो रहे हैं सरकारी क्षेत्र को सौंपने की नीति अपना रहे हैं तो, मैं समझता हूं कि हैदराबाद के कई सहकारी बैंक बंद होने के कगार पर हैं। उन्हें भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस दिया गया और मेरी समझ से उनकी संख्या 17 है। संभवतः यह सीधे तौर पर इस मसले से संबंधित नहीं है लेकिन अच्छा होगा यदि आप इसकी जांच कराएं। कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। संभवतः इसमें गरीब लोग तथा सहकारी बैंक ही अंतर्ग्रस्त है और इसमें कोई बड़ी पार्टी नहीं है।

इन परिस्थितियों में, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और इसके मालिकों द्वारा बहुत ही गंभीर अपराध किया गया है। इसे अब सरकारी क्षेत्र के ऊपर डाला जा रहा है। अब मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने जा रही है जिन्होंने बड़ी मछलियों को डूबती नौका से निकल भागने के लिए जानकारी उपलब्ध कराई। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देश में इसका प्रावधान है लेकिन क्या इन प्रावधानों को लागू किया जा रहा है या नहीं। क्या किसी व्यक्ति पर, जो इन बैंकों के बंद होने के लिए जिम्मेदार है, आरोप लगाया गया है? यदि श्री चिदम्बरम उदार हैं, तो इस पर जांच के लिए दूसरी संयुक्त संसदीय समिति के लिए क्यों सहमत नहीं है जिससे इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए एक बेहतर नीति बनाई जा सके। इसका कारण यह है, मेरा पूरा विश्वास है, कि यह बंद होने वाला निजी क्षेत्र का अंतिम बैंक नहीं है। यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। फिर सरकार इससे कैसे निपटने जा रही है?

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को हमेशा यह बोझ सहन करना चाहिए तथा जो लोग इस

असफलता के लिए जिम्मेदार थे और जिन्होंने जान–बूझकर इस असफलता की योजना बनाई, क्या उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाना चाहिए। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या एक निर्देश की काफी होगा या और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है? क्या जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे? क्या कोई संसदीय जाँच की जाएगी? ये कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, निजी क्षेत्र के बैंकों की इस पूरी असफलता के ये मामले विश्वस्तर पर 15 वर्षों की उदारीकरण और निजीकरण प्रक्रिया के परिणाम हैं। जब भी निजी क्षेत्र के बैंक मुसीबत में होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उन्हें बचाने के लिए कहा जाता है। इस मामले में भी, जब ग्लोबल ट्रस्ट बैंक असफल हो गया, अधिस्थगन लागू कर दिया गया तथा तत्पश्चात् इस बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ विलय कर दिया गया।

माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि ऐसा अचानक या अप्रत्याशित रूप से नहीं हुआ है। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक की वित्तीय हालत भारतीय रिजर्व बैंक के लिए चिंता का विषय बनी हुई थी तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के माध्यम से 31 मार्च, 2001 से 31 मार्च 2002 की अवधि के दौरान ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के कार्य निष्पादन की समीक्षा की थी। अतः, समस्या 2001 में ही शुरू हो चुकी थी तथा यह लगभग स्पष्ट हो चुका था कि यह बैंक एक दिन असफल हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने उपयुक्त समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की?

ग्लोबल ट्रस्ट बैंक ने वर्ष 2001 में ही यह संकेत दे दिया था कि सब कुछ ठीक–ठाक नहीं चल रहा है। कई अवसरों पर खतरे के संकेत दिए गए तथा विनियामक को सतर्क रहने के संकेत भी दिए गए ताकि इस बैंक को पूर्ण असफलता से बचने के लिए विनियामक द्वारा हस्तक्षेप किया जाए और उपयुक्त कदम उठाए जाएं। किंतु ऐसा नहीं किया गया। बैंक के काम–काज को दुरुस्त करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि चेतावनियां दी गई थीं, प्रतिकूल रिपोर्टें आ रही थीं, हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक को पता था कि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक में सब कुछ ठीक–ठाक नहीं चल रहा है, फिर भी बैंक को पूरी तरह असफल होने से बचाने के लिए उपयुक्त समय पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यहाँ तक कि 1997–98 से ही, अग्रिम पोर्टफोलियो चिंता का विषय बन गया था। अग्रिमों के माध्यम से पूंजी बाजार में ज्यादा–से–ज्यादा पैसा लगाना अपनी कब्र खोदने के समान था।

फेरा ने बैंक के काम–काज के बारे में पूछताछ की थी तथा यह पाया गया था कि एक अस्तित्वहीन तेलशोधक के लिए एक उद्योगपति को धन दिया गया था। अतः, इस बैंक द्वारा इन वर्षों के दौरान निरंतर रूप से धांधली की जाती रही थी तथा इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तब वित्त मंत्रालय ने इस बैंक का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ विलय करने का निर्णय लिया था। वर्ष 2002 में बैंक की अनुप्रयोज्य आस्ति 1200 करोड़ रुपये से अधिक थी। इसके बावजूद, कोई कार्रवाई नहीं की गई।

महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के संपूर्ण मामले की जाँच करने के लिए उनके द्वारा क्या किसी संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाएगा या नहीं। पिछली संयुक्त संसदीय समिति ने शेयर बाजार घोटाले पर अपनी रिपोर्ट में यह इंगित किया था कि इस बैंक के कामकाज में कुछ गड़बड़ी है। एक संसदीय स्थायी समिति ने भी इस पर टिप्पणी की और इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के संपूर्ण मामले की जाँच करने के लिए उनके द्वारा क्या किसी संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाएगा। दूसरा, इस बैंक की असफलता के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार है, वह है श्री जेली। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई करेगी। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि एक त्रुटिहीन प्रणाली विकसित करने के लिए, क्या सरकार कोई प्रस्ताव लाएगी ताकि वित्तीय संस्थानों में इस प्रकार की कोई धांधली न की जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय उत्तर दे सकते हैं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल): महोदय, मैं कुछ मिनट के लिए बोलना चाहूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, चूंकि यह मामला पिछले सेशन से चला आ रहा था और उस समय नहीं हो पाया था, इनका नाम नहीं था, इसलिए आज इन्हें चांस दिया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ प्रश्न पूछ सकते हैं या स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : महोदय, मैं आपके द्वारा घंटी बजाए जाने से पहले ही बैठ जाऊंगा। मैं अत्यंत संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं तथा मैं मंत्री महोदय द्वारा उनके वक्तव्य में कही गई बातों के आधार पर मंत्री महोदय से कुछ विशेष प्रश्न मात्र रखना चाहूंगा।

क्या मंत्री महोदय इसकी पुष्टि करेंगे या इससे इन्कार करेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र का कोई भी बैंक जी.टी.बी. के अधिग्रहण के लिए राजी नहीं था तथा ओ.बी.सी. पर यह भार जबर्दस्ती डाला गया।

दूसरा, आपने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिशों के आधार पर ओ.बी.सी. को जी.टी.बी. के अधिग्रहण के लिए कहा गया था। यह कहा गया है कि भा.रि. बैंक ने यह सिफारिश नहीं की थी। वास्तव में, प्रारंभिक चरणों में, भा.रि. बैंक ने कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र का कोई बैंक जी.टी.बी. के अधिग्रहण को राजी नहीं है तथा इसका अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। यदि यह उसी समय किया गया तथा उन्हें भेजा गया, तो यह तभी किया गया जब सरकार ने अपना मन बना लिया और तब तक बैंक का चयन करके भारतीय रिजर्व बैंक को इस पर अपनी सहमति देने के लिए कहा गया। आप कृपया इसकी पुष्टि कीजिए।

तीसरा, प्रत्येक माननीय सदस्य ने ऐसा कहा है और मैं भी इसे दोहरा रहा हूं कि पूरा विलय जल्दबाजी तथा अपरादर्शी तरीके से किया गया। साथ ही, अगले दिन लोगों के बीच ऐसी चर्चा थी कि आपके द्वारा निर्णय लिए जाने से लेकर आपके द्वारा वास्तव में निर्देश जारी किए जाने तक बहुत बड़ी मात्रा में जी.टी.बी. के शेयर बेचे गए। पहले बोल चुके वक्ताओं ने बड़े विदेशी निवेशकों और अन्य लोगों के नाम गिनाए हैं। किन्तु बहुत बड़ी संख्या में आम शेयरधारकों को घाटा उठाना पड़ा है क्योंकि प्रबंधन स्तर के लोगों ने बहुत ज्यादा शेयर बेचे हैं तथा यह प्रतिशत काफी असामान्य है। किसी स्तर पर सूचना लीक हो जाने के कारण प्रबंधन को लाभ पहुंचा है तथा आम लोगों को हानि हुई है और अंदरूनी कारोबार भी हुआ है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि प्रबंधन के लोगों ने इस दौरान कितने शेयर बेचे हैं तथा ये शेयर कितने रुपये में बेचे गए? अब उन शेयरों का मूल्य शून्य हो गया है तथा आम आदमी को बहुत ज्यादा घाटा हुआ है। अतः, आपको अंदरूनी कारोबार का स्पष्टीकरण देना चाहिए।

मेरी अंतिम बात यह है कि बिना किसी कारण के जी.टी. बी. पर कृपा की गई है। इस पर अनुचित तरीके से कृपा की गई है। मुझे बताया गया है, और आप कृपया मेरी बात को ठीक कीजिएगा, कि जी.टी.बी. के कर्मचारी, जिन्हें निजी क्षेत्र की परिलब्धियां मिल रही हैं, को समान परिलब्धियां मिलती रहेंगी जो कि ओ.बी.सी. के कर्मचारियों को मिलने वाली परिलब्धियों से ज्यादा हैं, जबकि दोनों ही बैंकों के कर्मचारी समान ग्रेड में हैं। आपने घाटे में चल रहे एक बैंक को लाभ कमा रहे एक बैंक में मिला दिया और लाभ कमा रहे बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों को निचले वेतनमान में पदस्थापित कर दिया। इस पर काफी असंतोष है। क्या आपको इसकी जानकारी है? यदि हां, तो आप इस बारे में क्या करने जा रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : एक विशेष मामले के तौर पर, मैंने मेजर जनरल खंडूड़ी को स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी है। इसे भविष्य में दोहराया नहीं जाएगा।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर इस छोटी सी चर्चा के दौरान व्यक्त किए गए विचारों के लिए और उनके द्वारा उठाए गए प्रमुख प्रश्नों के लिए आभारी हूं। यह मुझे सूचना के उत्तर में दिए गए वक्तव्य में कुछ और जोड़ने का अवसर प्रदान करता है।

पहली चीज जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं वह यह है कि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक मामले में कार्यवाही इस सरकार द्वारा कार्यभार संभालने के पश्चात् ही की गई थी। अब, मैं इसके लिए किसी तरह की प्रशंसा की इच्छा नहीं रखता।

मैं यही बता रहा हूं कि इस सरकार द्वारा कार्यभार संभालने के कुछ दिनों के भीतर ही जब मुझे ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के हालात के बारे में जानकारी मिली तो मैंने भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया कि मामले पर तेजी से कार्यवाही करें और अपनी सिफारिशें पेश करें। यदि मैं कहूं कि यह गड़बड़ी दो से तीन वर्षों से होती रही हैं। यदि नरमी बरती गई अथवा संलिप्तता रही है तो ऐसा 24 मई से पहले की अवधि से संबंधित है न कि 24 मई, 2004 के पश्चात। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का 'सेंट्रल बैंक' है। भा.रि.बै. बैंकिंग उद्योग का विनियामक भी है। कुछ देशों में बैंकिंग विनियामक सेंट्रल बैंक से भिन्न होता है। हमने भा.रि.बै. के इन कार्यों को इकट्ठा कर दिया है। इसलिए, भा.रि.बै. केवल इस तरह कार्य कर सकता है कि इससे व्यवस्थापरक दुष्परिणाम और जटिलताएं न पैदा हों।

इस मामले में यह दलील संभव है कि भा.रि.बै. ने शायद सर्वथा अपेक्षित अवधि से अधिक अवधि के लिए सहिष्णुता दिखाई थी। यह तर्क देना भी उतना ही संभव है जैसा कि भा.रि.बै. ने किया है कि भा.रि.बै. द्वारा की गई प्रत्येक कार्यवाही में निहित संदेश था कि यह जो कार्यवाही करता है उससे बैंक के कार्य पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए अथवा व्यवस्थाजन्य परिणामों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब मैं निर्णयात्मक नहीं बनना चाहता। प्रत्येक व्यक्ति अपना निष्कर्ष निकाल सकता है। किंतु तथ्य यही है कि श्री रमेश गेली के प्रति कतिपय प्रबंध के अंतर्गत मेहरबानी दिखाई गई थी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यदि किसी ने कोई आपराधिक कार्य किया है तो उसे दंडित किया जाएगा।

मुझे यह भी कहना है कि चूंकि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के मामले में कार्यवाही की गई थी इसलिऐ मैं चुप नहीं रहा। मैं निष्क्रिय नहीं रहा। मैंने नजदीक से स्थिति पर नजर रखी है। जिस योजना के अंतर्गत ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का अधिग्रहण किया है उससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि किसी अतिक्रमण में लिप्त किसी भी निदेशक अथवा कर्मचारी को दंडित किया जाएगा। कोई माफी नहीं होगी। जांच पूरी हो गई है। माह समाप्त होने से पूर्व आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।

इसलिए, पूर्ण आदर सहित मैं निवेदन करता हूं कि मुझे संयुक्त संसदीय समिति का गठन करने का कोई कारण नजर नहीं आता। यदि मैं कार्यवाही नहीं कर पाता, यदि सरकार निष्क्रिय रहती है तभी शायद संयुक्त संसदीय समिति की मांग सही होती। किंतु मैं निष्क्रिय नहीं रहा; सरकार निष्क्रिय नहीं रही। जैसा मैंने कहा कि माह समाप्त होने से पूर्व आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।

मेरे मित्र, श्री अजय चक्रवर्ती ने मुझसे पूछा कि आपने रविवार को निर्णय क्यों लिया। दुर्भाग्य से सरकार रविवार का विश्राम नहीं रखती स्वतः स्थगन शनिवार, 24 जुलाई को था। जमाकर्ताओं के परेशान होने से पहले ही हमने लगातार कार्य किया और 26 जुलाई, जो कि सोमवार था को हमने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ विलय की घोषणा कर दी।

मैं आपको बताता हूं कि सैंकड़ों जमाकर्ताओं ने मुझसे कहा और मुझे पत्र लिखा कि वे प्रसन्न हैं कि हमने 48 घंटे में ही कार्यवाही की। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक की प्रत्येक शाखा को ओ.बी.सी. को शाखा में परिवर्तित कर दिया गया और आज प्रत्येक जमाकर्ता का प्रत्येक रुपया ओ.बी.सी. के हाथों में पूर्णतया सुरक्षित है।

मोहम्मद सलीम : यह केवल छुट्टी ही नहीं बल्कि एक पवित्र दिन है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रत्येक बात पर टीका टिप्पणी न करें।

श्री पी. चिदम्बरम : यह कहना सही नहीं होगा कि ओ. बी.सी. के पास मूल्यांकन कार्य करने हेतु समय नहीं था। अंतिम आदेश पारित होने से पूर्व ओ.बी.सी. ने अपना आवश्यक कार्य कर लिया था। ओ.बी.सी. पूर्णतया संतुष्ट है कि इसने जो खरीदा है वह एक कीमती परिसम्पत्ति है।

ओ.बी.सी. बोर्ड की बैठक 2 जुलाई, 2004 को हुई थी। यह सब बोर्ड की बैठक में प्रतिबिम्बित होता है। यह कहना सही नहीं है कि ओ.बी.सी. बोर्ड की बैठक नहीं हुई अथवा उसने इन मामलों पर विचार नहीं किया।

महोदय, अन्य सभी प्रश्न वास्तव में इस प्रश्न से संबंधित हैं: आपने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? परन्तु मैंने उत्तर दे दिया है। कार्यवाही पूर्ण है। यदि माननीय उपाध्यक्ष महोदय मुझे अनुमति दें तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे दूं। कार्यवाही पूर्ण हो गई है। कार्यवाही की जाएगी। हमसे पूछे गए अधिकतर प्रश्नों

[श्री पी. चिदम्बरम]

का जवाब मिल जाना चाहिए। कोई भी किसी के प्रति नरम नहीं हो रहा है। वस्तुतः जो भी आपराधिक कार्य करने का दोषी पाया जाएगा उसके प्रति नरमी दिखाने वाला मैं अंतिम व्यक्ति हूंगा।

श्री के. एस. राव (एलूरू) : जांच पूरी हो चुकी है। मैं ठीक कह रहा हूं न?

श्री पी. चिदम्बरम : शिकायत दर्ज कराने की जांच पूरी हो गई है और आपराधिक कार्यवाही आरम्भ की जाएगी। उसके पश्चात्, कानून जो भी करेगा वह अपना कार्य करेगा।

मोहम्मद सलीम : इसलिए, आप नरम नहीं हैं। मैं ठीक हूं न?

श्री पी. चिदम्बरम : मैं नहीं हूं। मैंने कहा कि कार्यवाही दर्ज की जाएगी। मैंने इस माह के अंत तक का समय ले लिया है। मैंने कहा है कि इस माह के अंत तक अथवा शायद पहले ही यह कर दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया उनकी बातों मे व्यवधान पैदा न करें।

श्री पी. चिदम्बरम : मेरे माननीय मित्र ने मुझसे पूछा कि कोई भी सरकार क्षेत्र का उपक्रम इसका अधिग्रहण क्यों नहीं करना चाह रहा है? वह सही नहीं है। ओ.बी.सी. सरकारी क्षेत्र का बैंक है। ओ.बी.सी. संतुष्ट है कि इसने एक कीमती परिसम्पत्ति और एक कीमती व्यवसाय हासिल कर लिया है। हां, गैर–निष्पादनकारी आस्तियां हैं। परन्तु अतिशेष में, ओ.बी.सी. समझता है कि यह ओ.बी.सी. के लिए एक अच्छी खरीद है।

यह कहा गया है कि आम जनता को कष्ट हुआ है। यह असत्य है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : प्रश्न यह है कि भा.रि.बै. ने पहले इसकी सिफारिश नहीं की।

श्री पी. चिदम्बरम : नहीं यह सही नहीं है। भा.रि.बै. ने ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को निजी घरेलू निवेशक तलाश करने का पर्याप्त अवसर दिया। भा.रि.बै. ने जी.टी.बी. को विदेशी निवेशक लाने का पर्याप्त अवसर दिया। परन्तु जी.टी.बी. निजी घरेलू निवेशक की तलाश नहीं कर सका। जब जी.टी.बी. विदेशी निवेशक को लेकर आया तो भा.रि.बै. ने मेरे साथ परामर्श करके उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जैसा मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि ऐसा इसलिए है कि यह केगन आइसलैंड में दर्ज सीमित भागीदारी थी। और इसने विनियामक सहिष्णुता, विवेकशील सहिष्णुता और विदेशी क्षेत्राधिकार की मांग की थी। इसलिए, मैंने इसे अस्वीकार कर दिया। मैं समझता हूं कि हमने जो किया वह पूर्णतया सही था।

आपने कहा कि स्वतः स्थगन से पहले और बाद में शेयर क्रय और विक्रय से आम जनता प्रभावित हुई थी। मैं समझता हूं कि यह सही स्थिति नहीं है। वस्तुतः जब आप आम निवेशक से कहते हैं तो कोई समझता है कि ऐसा व्यक्ति जो सौ शेयर अथवा पांच सौ शेयर अथवा एक हजार शेयर खरीदता है। दुर्भाग्य से यह सच्चाई नहीं है। बहुत बड़ी मात्रा में शेयर बेचे गए थे। कोई ऐसा नहीं है जिसने एक सौ अथवा एक हजार शेयर खरीदे हों। मैं समझता हूं कि खुदरा निवेशक उससे अधिक समझदार है। उसे जी.टी.बी. के पतन के बारे में पता था। समाचार पत्रों की बहुत सी रिपोर्ट थीं। वास्तव में, मई 2003 में ही जी.टी.बी. के पतन के बारे में समाचार पत्रों में रिपोर्ट थीं, जी.टी.बी. को धन इकट्ठा करने के लिए कहा जा रहा है; जी.टी.बी. को और पूंजी लाने के लिए कहा जा रहा है। वार्षिक निरीक्षक रिपोर्ट पर प्रायः समाचार पत्रों में चर्चा की गई थी। इसलिए, वस्तुतः कोई भी आम निवेशक इसमें शामिल नहीं था। यह सच है कि ब्लॉक शेयर बेचे गए थे और खरीदे गए थे। मैं बस यही कह सकता हूं कि यदि कोई विक्रेता था तो क्रेता भी था।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : क्रेता कौन है?

श्री पी. चिदम्बरम : थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है। आप मुझे उत्तर क्यों नहीं देने देते?

मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि एक बड़ा क्रेता है – फार ईस्टर्न इंवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड। यह गरीब, साधारण निवेशक को 100 शेयर अथवा 50 शेयर नहीं बेचती, यह शेयर बाजार में 6,25,000 शेयर बेचती है और फिर कोई है जो दूसरी तरफ इसे खरीद रहा है। खरीददार अन्य विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ.आई.आई.) यू.बी.आई. सेक्यूरीटीज (एशिया) लिमिटेड है, जिसने 6,96,549 शेयर खरीदे हैं।

जहाँ तक व्यक्तियों का संबंध है, एक व्यक्ति है – उसके नाम का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है क्योंकि नाम से कोई मतलब नहीं है – जिसने 10 लाख शेयर खरीदे हैं। वह कब खरीदता है? वह अधिस्थगन के बाद खरीदता है। अब, मैं किसी के मन में यह जानने के लिए कैसे समा सकता हूं कि वह व्यक्ति 10 लाख शेयर क्यों खरीद रहा है? इसलिए, कोई साधारण निवेशक प्रभावित नहीं हुआ है।

सेबी को यह पता करने के लिए कहा गया कि क्या खरीददारों और विक्रेताओं के बीच कोई संबंध है; सेबी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि : "आँकड़ा और सूचना का विश्लेषण यह नहीं बताता कि उपर्युक्त व्यक्तियों द्वारा बिक्री सरकार द्वारा अधिस्थगन की संभावित घोषणा या संभावित विनिमय अनुपात के बारे में किसी सूचना पर आधारित थे। यह बताने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि उनके पास मूल्य संवेदी सूचना थी। अधिस्थगन–पूर्व काल में, खरीददारी कई पैमानों पर हुई। दो मामलों को छोड़कर कोई अन्य संकेन्द्रीत खरीददारी का पता नहीं चल सका, एक, लुधियाना के रहने वाले का, तथा दूसरा कानपुर के निवासी का। विश्लेषण से उस अवधि के दौरान किसी समान खरीददारों और विक्रेताओं के समूह का पता नहीं चला। अधिस्थगन–पश्चात् काल के दौरान भी, खरीददार और विक्रेता कई पैमानों पर फैले पाए गए। एक को छोड़कर किसी अन्य संकेंद्रीत खरीददारी का पता नहीं चल सका, दिल्ली में एक व्यक्ति जो व्यापारी है, उसने सुपुर्दगी आधार पर करीब 10 लाख शेयर खरीदे। उक्त लेनदेन में कोई भी प्रतिकूल जानकारी प्राप्त नहीं हुई। यह ध्यान में रखा जाए कि अधिस्थगन–पश्चात् मूल्यों में नगण्य स्तर तक गिरावट हुई थी।"

अब, कोई शेयर क्यों खरीदता है? मैं समझ सकता हूं कि कोई शेयर बेचकर बाहर क्यों निकलना चाहता है। परन्तु जब कोई खरीददार न हो तो विक्रेता भी नहीं हो सकता है। कोई शेयर खरीदना क्यों चाहेगा? यह मेरी समझ के परे है।

श्री गुरूदास दासगुप्त : इसलिए क्योंकि वह ओ.बी.सी. का है।

श्री पी. चिदम्बरम : नहीं, श्री गुरूदास दासगुप्त जी आप गलत बोल रहे हैं। जी.टी.बी. के शेयरधारकों को कुछ भी नहीं मिलेगा और पूरी संभावना है कि उन्हें कुछ नहीं ...*(व्यवधान)* आप गलत कह रहे हैं। आप विनिमय को जरा समझिए। जी.टी.बी. शेयरधारकों को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये शेयर मूल्यविहीन हैं। ...*(व्यवधान)*

महोदय, मैंने इनकी बात को समझा है। यह गलत अवधारणा पर है। हमें जमाकर्ताओं और शेयर–धारकों के बीच अंतर करना चाहिए। जमाकर्ताओं के पैसे सुरक्षित हैं। शेयर–धारकों को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ऋणों और देनदारियों को चुकाने के बाद क्या कुछ बचेगा भी? कुछ भी यहाँ नहीं बचेगा। जी.टी.बी. के शेयरधारकों को कुछ नहीं मिलेगा। अब, क्यों कोई इन शेयरों को ख़रीदता और बेचता है यह समझ के परे है।

महोदय, कोई आम निवेशक शामिल नहीं था क्योंकि जब आप 'आम निवेशक' कहते हैं तो क्या किसी को 100 शेयरों या 1,000 शेयरों को खरीदने के लिए फुसलाया या प्रलोभित किया गया? ये सभी उन व्यक्तियों द्वारा जो शेयरों की खरीद–बिक्री करते हैं की गई बड़ी, थोक लेन–देनें हैं। हो सकता है कि वो दाव लगा रहे होंगे, परन्तु उनका दाव बेकार साबित हुआ है। जी.टी.बी. के शेयरधारकों को कुछ नहीं मिलेगा।

महोदय, कार्रवाई की जाएगी और जब कार्रवाई होगी मैं सदन को सूचित करूंगा।

श्री गुरूदास दासगुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने कहा कि अपराधियों को सजा दी जाएगी। परन्तु क्या वह यह बताने की कृपा करेंगे कि तीन वर्षों तक ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के साथ शामिल रहने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? इसी प्रश्न को वह टाल गए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गुरूदास दासगुप्त जी, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये। हमें अब दूसरे मद पर चर्चा करनी है।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, इन्होंने मुख्य प्रश्न को ही टाल दिया। वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए गलत कार्यों के खिलाफ क्या करने जा रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है। अब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अपराह्न 02.55 बजे

सरकारी विधेयक

(एक) न्यायालय अवमान (संशोधन) विधेयक,* 2004

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, सभा मद सं. 1 लेगी। श्री एच. आर. भारद्वाज विधेयक पुरःस्थापित करें।

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मुझे एक बात पर स्पष्टीकरण चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : महोदय, इस पर अभी चर्चा नहीं की जा सकती। इस पर चर्चा विधेयक पर चर्चा के दौरान ही की जा सकती है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही अगली मद ले ली है। अब किसी भी बात पर स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं इस संविधि के बारे में, जिसे प्रस्तुत किया गया है, स्पष्टीकरण चाहता हूं। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं बैठ जाऊँगा।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया बैठ जाइए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हंस राज भारद्वाज : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 02.56 बजे

(दो) बैंककारी विनियमन (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक,* 2004

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 10 पर चर्चा करेंगे। श्री पी. चिदम्बरम विधेयक पुरःस्थापित करें।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं इस प्रस्ताव का प्रथम चरण में विरोध करता हूं। सहकारी आंदोलन समवर्ती सूची का विषय है। हमें सहकारी बैंकिंग और वाणिज्यिक बैंकिंग में अंतर समझना चाहिए। उस अंतर पर विचार नहीं किया गया है।

प्रश्न यह है कि यह संशोधन भारत में सहकारी आंदोलन

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

* भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड-2 दिनांक 01-12-2004 में प्रकाशित।

* भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड-2 दिनांक 01-12-2004 में प्रकाशित।

की जड़ को ही काट डालेगा। हमें पता है कि ग्रामीण ऋण सहकारी बैंकिंग प्रणाली के जरिए उपलब्ध है। वाणिज्यिक बैंक किसानों के बचाव में आगे नहीं आएंगे। वे ऋण मात्र नजदीक के सहकारी बैंक से ही पा सकते हैं। वे लोगों के पूर्ण समर्थन से कार्य कर रहे हैं। यदि यह कानून प्रभावी होता है तो सहकारी बैंक बिना किसी कारण बताओं नोटिस के पीछे छूट सकते हैं। यदि इस कानून या इस संशोधन को प्रभावी होने की अनुमति मिलती है तो अंतिम परिणति यह होगी कि सभी सहकारी बैंक जो बैंकिंग व्यवसाय करते हैं वे पीछे छूट सकते हैं। उनका चयनित निदेशक मण्डल है। वह चयनित निदेशक मण्डल अधिक्रमित हो जायेंगे।

मैं सहकारी अधिनियम के प्रावधानों को समझ सकता हूं। परन्तु इस अधिनियम में सुरक्षात्मक उपाय हैं। हम सभी जानते हैं कि, कम से कम, कारण बताओ नोटिस के लिए इसमें प्रावधान है। अधिक्रमण पूर्व, संबंधित सहकारी समिति को कारण बताने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है ... *(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, इस पर अभी चर्चा नहीं हो सकती है। इसे तभी उठाया जा सकता है जब चर्चा होगी।

अपराह्न 02.58 बजे

(श्रीमती सुमित्रा महाजन *पीठासीन हुईं*)

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदया, यह राज्य का विषय है। आप उनके विधान बनाने के अधिकार का अतिक्रमण कर रहे हैं। सहकारिता राज्य का विषय है। अवश्य ही इस पर केन्द्र सरकार ने समवर्ती सूची के विषय के रूप में विचार किया है। यह पूर्ण रूप से राज्यों में सहकारी जागरूकता को बढ़ावा देने के राज्यों के अधिकार का अतिक्रमण है। आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की आड़ में विधान ला रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश यह नहीं कहता कि सहकारी निदेशक मण्डल अधिक्रमित किए जायेंगे। वह यह कहता है कि अनुज्ञप्तियां जारी करने से पूर्व पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय होने चाहिए। आप अनुज्ञप्ति जारी रख सकते हैं, आप अनुज्ञप्तियों के क्रियान्वयन के लिए प्रावधान बना सकते हैं। इसे मैं समझ सकता हूं। परन्तु आप क्यों सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के आगे जा रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय ने यह कभी नहीं कहा कि आप कोई ऐसा प्रावधान बनाएं जिसके जरिए कुछ वित्तपोषकों द्वारा जो रिजर्व बैंक पर नियंत्रण रखते हैं, निदेशक मण्डल की अधिक्रमित किया जा सके। उनका लोगों के साथ कोई संपर्क नहीं है। वे किसानों के साथ संबंधित नहीं हैं। वे मात्र अर्थशास्त्री हैं। वे केवल अपने व्यापार से संबंध रखते हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

परन्तु सहकारी बैंक उस दिशा में कार्य नहीं कर रहे हैं। इनका इरादा सेवा भाव का है। वे व्यापार के लिए नहीं हैं। अतः मैं कहूंगा कि यह पूरी तरह से अनियमित और गैर–कानूनी है। इसे उस सहकारी आन्दोलन का अतिक्रमण माना जाएगा जिससे राज्यों का लगाव बहुत ज्यादा है। महाराष्ट्र के मामले में, यदि आप कोई विधान प्रावधानों के अनुसार तथा सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार लाना चाहते हैं तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन, उस शक्ति के आगे आपका क्यों जाना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के आगे आपको क्यों जाना चाहिए? अनुज्ञप्ति जारी करने के नाम पर चयनित सहकारी समितियों या सहकारी मण्डलों को सीधे अधिक्रमित क्यों किया जाना चाहिए? मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। मैं बैंकिंग विनियम में संशोधन लाने के प्रस्ताव का विरोध नहीं करता हूं। यह आप कर सकते हैं परन्तु इस तरह नहीं। यह एक भयावह कानून है। आपको इसे भारत में सहकारी आंदोलन के लक्ष्यों के अनुसार बदलना चाहिए जो एक जन आंदोलन है। यह कोई व्यापारिक आंदोलन नहीं है। यह हानि या लाभ से संबंधित नहीं है। यह सेवा से संबंधित है। आपको ऐसा विधान क्यों लाना चाहिए? आप सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार कुछ निदेश दे सकते हैं, जिसे मैं समझ सकता हूं। परन्तु यह तो हद ही है। अतः, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदया, माननीय सदस्य के प्रति बड़े आदर के साथ मैं कहूंगा कि यह विरोध उचित नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम दो केन्द्रीय अधिनियमों में संशोधन कर रहे हैं। पहला केन्द्रीय अधिनियम जिसमें संशोधन किया जा रहा है वह है बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और दूसरा केन्द्रीय अधिनियमन जिसमें संशोधन किया जा रहा है निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनिमय, 1961। पुरःस्थापन के इस चरण में यदि माननीय सदस्य अध्यक्षपीठ को यह बताने में सक्षम हो कि इन अधिनियमों में संशोधन करने के लिए संसद की विधायी

क्षमता नहीं है तो इस आपत्ति का उत्तर दिया जा सकता है। वह ऐसा नहीं कहते। वह ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये संसद द्वारा बनाए गए दो केन्द्रीय अधिनियम हैं। अतः इन केन्द्रीय अधिनियमों में संशोधन करने में संसद सक्षम है। हम संशोधन के गुणावगुण पर चर्चा कर सकते हैं।

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

अपराह्न 3.03 बजे

बैंककारी विनियमन (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अध्यादेश द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाले विवरण

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं बैंककारी विनियमन (संशोधन) और प्रकी॰॰ उपबंध अध्यादेश, 2004 (2004 का संख्यांक 3) द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 737/04]

अपराह्न 3.04 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

सभापति महोदया : अब, नियम 377 के अधीन मामले लिए जाएंगे।

श्री चन्द्रशेखर साहु।

(एक) संसद सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन किए जाने की आवश्यकता

श्री चंद्रशेखर साहु (बरहामपुर–उड़ीसा) : सभापति महोदया, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित परियोजनओं और कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए माननीय संसद सदस्यों को शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में आकर्षित करता हूं। यद्यपि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एक सतर्कता समिति गठित की गई है, लेकिन यह राज्य सरकार के कृत्यकारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(दो) पूर्वोत्तर क्षेत्र के मणिपुर, असम और नागालैंड राज्यों में विद्रोही संगठनों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए पहल किए जाने की आवश्यकता

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर) : यह अत्यंत उत्साहवर्द्धक बात है कि हमारी सरकार पूर्वोत्तर में विद्रोह की जटिल समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में मणिपुर और असम के किए गए दौरे से क्षेत्र के लोगों को सकारात्मक संकेत मिले हैं। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि क्षेत्र के विकास और प्रगति की राह में विद्रोह एकमात्र रुकावट रही है। यह भी एक तथ्य है कि सिर्फ मणिपुर में ही 19 से ज्यादा विद्रोही गुट सक्रिय हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों के विद्रोही संगठनों के सामने प्रधानमंत्री द्वारा रखे गए वार्ता प्रस्ताव को सभी लोगों द्वारा पूरी गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। अब हमारे साथ एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आन्दोलनकारी मणिपुर–वासियों, सभी विद्रोहियों से बात करने को इच्छुक हैं तथा नागा–वार्ता जारी रखने को भी इच्छुक हैं। प्रधानमंत्री के हाल ही के दौरे तथा उनके खुले और जमीनी दृष्टिकोण से एक उचित वातावरण तैयार हो रहा है। इस समय, केन्द्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और विद्रोहियों को संदेश भेजना चाहिए तथा उनके साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए। ऐसे दूरदर्शितापूर्ण कदम से इस क्षेत्र में विद्रोह की समस्या के राजनीतिक समाधान ढूंढने के अलावा उन्हें वार्ता के लिए इकट्ठा करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी।

(तीन) रियाद और दम्माम से हैदराबाद के लिए सीधी उड़ानें शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री के. एस. राव (एलूरू) : सभापति महोदया, रियांद और दम्माम में रहने वाले आंध्र प्रदेश के मजदूरों ने राज्य सरकार को अभिवेदन प्रस्तुत किया है कि सऊदी अरब में रहने वाले आंध्र प्रदेश के चार लाख मजदूरों में से 37 प्रतिशत जेद्दाह में रहते हैं जबकि 33 प्रतिशत और 30 प्रतिशत क्रमशः रियाद और दम्माम में रहते हैं। उन्होंने रियाद और दम्माम से सीधी विमान सेवाओं के लिए अनुरोध किया है। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से सऊदी अरब में रहने वाले मजदूरों की सहूलियत के लिए रियाद और दम्माम से हैदराबाद तक के लिए सीधी उड़ाने शुरू करने का अनुरोध करता हूं।

(चार) उत्तर प्रदेश में महाराजगंज में मुख्य डाकघर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति महोदया, मेरे क्षेत्र महाराजगंज (उ.प्र.) में मुख्य डाकघर न होने के कारण यहां जनता को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें डाक संबंधी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए जनपद गोरखपुर के कूड़ाघाट में स्थित मुख्य डाकघर तक लगभग 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप जनता को न केवल भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है बल्कि समय और धन की भी बर्बादी होती है। यदि महाराजगंज में ही मुख्य डाकघर की स्थापना कर दी जाये तो वहां की जनता को इतनी अधिक दूर नहीं जाना पड़ेगा तथा उससे समय और धन दोनों की बचत होगी।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनता की डाक संबंधी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए महाराजगंज में यथाशीघ्र मुख्य डाकघर की स्थापना की जाये।

(पांच) राजस्थान के अजमेर शहर के लिए हवाई सेवा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदया, अजमेर राजस्थान की हृदयस्थली है। यह नगर इतिहास, पर्यटन, शिक्षा एवं धर्म की दृष्टि से अत्याधिक महत्व रखता है। यहां पर सुप्रसिद्ध सूफी सन्त ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, पुष्कर नामक सुप्रसिद्ध हिन्दुओं का तीर्थ तथा पर्यटन का महत्वपूर्ण केन्द्र, एशिया का सुप्रसिद्ध मार्बल व्यवसाय का केन्द्र किशनगढ़ तथा सुप्रसिद्ध एवं पुरानी सैनिक छावनी नसीराबाद, भीलवाड़ा जैसा कपड़ा उद्योग का महत्वपूर्ण केन्द्र तथा नागौर जैसा ऐतिहासिक स्थल है, जहां देश विदेश से लाखों व्यक्तियों का आवागमन होता है। अजमेर रेलवे एवं सी. आर.पी.एफ. की दृष्टि से भी विशिष्ट महत्व रखता है। अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) विशेषतः, सिंधी समुदाय के हजारों व्यक्तियों के यहां निवास हैं जो अफ्रीकी देशों तथा सिंगापुर, फिलीपीन्स, इंग्लैण्ड, अमेरिका, दुबई आदि देशों में कारोबार करते हैं और वर्ष में कई बार उनका आना–जाना होता है। इन सभी दृष्टियों से अजमेर का वायुसेवा से जुड़ना आवश्यक है। परन्तु केन्द्र सरकार के अनेक आश्वासनों के बावजूद यहां हवाई अड्डा स्थापित नहीं हो पाया है।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि अजमेर की महत्ता को देखते हुए इसे तुरन्त हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए अजमेर के पास कायड़ नामक स्थान पर भूमि का अधिग्रहण कर हवाई अड्डे का निर्माण शीघ्र कराया जाये।

(छह) मध्य प्रदेश में विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए धनराशि का केन्द्रीय अंश जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी (रीवा) : सभापति महोदया, केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से संचालित योजनाएं तथा राज्य सरकारों के माध्यम से संचालित जो भी योजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही हैं, उन योजनाओं में केन्द्र के द्वारा दी जाने वाली राशि को आबंटित किए जाने में विलंब हो रहा है। इनमें मुख्यतः राजमार्गों एवं केन्द्र संचालित आवास योजनाएं शामिल हैं। धनराशि के अभाव में योजनाएं ठप्प हैं या धीमी गति से चल रही हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत दी जाने वाली धनराशि को बिना विलम्ब किए जारी करने का कष्ट करें।

(सात) गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक संस्थानों में दाखिलों का विनियमन करने के लिए केन्द्रीय विधान बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी. राजेन्द्रन (क्विलोन) : सभापति महोदया, 'टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन और अन्य विरुद्ध कर्नाटक राज्य और अन्य' मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण उत्पन्न हो

रही गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सरकार को एक केन्द्रीय अधिनियम बनाना चाहिए। इस निर्णय से गैर–सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधनों को दाखिला, शुल्क–ढांचा और भर्ती के मामलों में पूरी स्वतंत्रता मिल गई है। टी.एम.ए. पाई मामले और उच्चतम न्यायालय की एक और खंडपीठ द्वारा इसकी व्याख्या के कारण, किसी विनियामक व्यवस्था के अभाव में स्ववित्त पोषित निजी कॉलेजों को अनुचित लाभ कमाने के काफी अवसर मिल गए हैं। इन कॉलेजों के प्रबंधन द्वारा शुल्क में भारी वृद्धि की गई है जिसके कारण कई होनहार विद्यार्थी शुल्क अदा न कर पाने की अपनी असमर्थता के कारण आगे पढ़ने के अवसर से वंचित हो रहे हैं। उपर्युक्त के आलोक में, एक केन्द्रीय अधिनियम बनाया जाना चाहिए जिससे इन संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त शक्तियां मिलें। इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किए जाएं:–

(क) गैर–सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक संस्थानों में सभी दाखिले केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित एक समान प्रवेश परीक्षा के माध्यम से हों;

(ख) सरकार के पास इन संस्थाओं द्वारा लिया जाने वाला अधिकतम शुल्क निर्धारित करने की शक्ति हो;

(ग) अनु. जाति/अनु. जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 22.5 प्रतिशत आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान के साथ–साथ पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के प्रतिनिधित्व के लिए अन्य प्रावधानों को भी बनाए रखा जाए।

(आठ) उत्तर प्रदेश के चायल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में महेवा घाट में यमुना नदी पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सभापति महोदया, चायल संसदीय क्षेत्र में यमुना नदी के महेवा घाट पर पुल बनने से उत्तर प्रदेश के कई जिले एवं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की दूरी में काफी कमी होगी जिससे दोनों राज्यों के व्यापारियों, पर्यटकों एवं जनता का आवागमन काफी सुलभ होगा। साथ ही दोनों राज्यों की जनता को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि दो राज्यों के व्यापारियों, पर्यटकों एवं जनता की परेशानियों को देखते हुए चायल संसदीय क्षेत्र में यमुना नदी के महेवा घाट पर अत्यंत शीघ्र एक पुल का निर्माण किया जाए।

(नौ) भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, पटना को रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन लाए जाने की आवश्यकता

श्री विजय कृष्ण (बाढ़) : सभापति महोदया, मैं सरकार का ध्यान भारत वैगन एंड इंजिनियरिंग कम्पनी लिमिटेड की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदया, इस कम्पनी का उदय एक निजी कम्पनी के रूप में हुआ था। इसका पूर्व का नाम ब्रिटानिया इंजिनियरिंग कम्पनी था। निजी प्रबंधन द्वारा फैक्ट्री को न चलाए जा सकने के कारण 1974 में सरकार ने इस कम्पनी का अधिग्रहण कर लिया था। इसका प्रधान कार्यालय पटना में है तथा इसका मुख्य व्यवसाय विभिन्न प्रकार के वैगनों का निर्माण करना है। इसे लगातार दो बार उत्पादकता पुरस्कार और उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए इंदिरा गांधी स्मारक राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। सभापति महोदया, इस कम्पनी की मान्यता प्राप्त यूनियन ने इस कम्पनी को रेल मंत्रालय के अधीन करने की सिफारिश की है और मेरे विचार में भी यह कम्पनी रेल मंत्रालय के अधीन रहकर अपना कार्य और अधिक कुशलता से कर सकेगी।

अतः सभापति महोदया, मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि रेल मंत्रालय द्वारा बिहार की एकमात्र भारी अभियांत्रिक कम्पनी भारत वैगन एंड इंजिनियरिंग कम्पनी लिमिटेड का शीघ्रातिशीघ्र रेल मंत्रालय में विलय किया जाए जिससे बिहार का औद्योगिक विकास हो सके।

(दस) उत्तर प्रदेश के शाहाबाद फल पट्टी में आम अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : सभापति महोदया, मेरे निर्वाचन क्षेत्र शाहाबाद तथा 93 गांवों को 1997 में फल पट्टी घोषित किया गया परन्तु अब तक राज्य सरकार ने किसानों को फल पट्टी की कोई सुविधा नहीं दी। यहां तक कि जितनी बिजली अन्य फल पट्टियों को मिलती है शाहाबाद फल पट्टी को वह भी नहीं मिल रही है।

मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि शाहाबाद फल पट्टी में मैंगो रिसर्च सेंटर तथा संबंधित अनुसंधान केन्द्र खुलवाने का शीघ्र प्रबंध करें एवं राज्य सरकार को निदेशित किया जाए कि इस क्षेत्र में बिजली कटौती कम की जाए।

(ग्यारह) तमिलनाडु के नागापटि्टनम और तिरूवरूर जिलों में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को पर्याप्त सहायता दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ए. के. एस. विजयन (नागापटि्टनम) : सभापति महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र में नागापटि्टनम और तिरूवरूर जिले पिछले तीन वर्षों से लगातार गंभीर सूखे की मार झेल रहे हैं। हाल ही में केन्द्रीय सूखा निगरानी समिति ने भी इन जिलों का दौरा किया है तथा सूखा राहत के लिए निधि जारी करने हेतु संबंधित विभाग को अपनी रिपोर्टें भी सौंपी है। किन्तु अभी तक निधियां जारी नहीं की गई हैं। इसके अतिरिक्त पूरे तमिलनाडु में हुई घमासान बारिश से समस्या और बढ़ी है। दस लाख एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फसलें (किसानों द्वारा ऋण लेकर उपजाई गई) फसलें नष्ट हो गई हैं। घमासान वर्षा और बाढ़ के कारण पचास से ज्यादा व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है तथा हजारों झोंपड़ियां/छोटे मकान ढह गए। इन जिलों के सभी गावों में संपर्क सड़के भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हैजा आदि महामारियां फैल चुकी हैं तथा सरकारी अस्पतालों में समुचित दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि शीघ्र से शीघ्र राहत उपाय किए जाएं और वर्षा ऋतु के पश्चात् खेती के लिए किसानों को बीज, खाद और कीटनाशकों की आपूर्ति की जाए। जिन लोगों के घर वर्षा में नष्ट हो गए, उन्हें घर बनाने के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत विशेष सहायता भी उपलब्ध कराई जाए।

(बारह) उड़ीसा में महानदी पर दूसरे रेल पुल का निर्माण कार्य शीघ्र किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : सभापति महोदया, तलचर और पारादीप के बीच की रेल लाइन खान मुहाने और समुद्री बंदरगाह के मध्य एक महत्वपूर्ण संपर्क माध्यम है जिससे पूर्वी तट रेल जोन को काफी राजस्व प्राप्त होता है। अत्यंत ज्यादा ट्रैफिक के कारण, रेलवे ने तलचर और पारादीप को आपस में जोड़ने वाली एक दूसरी रेल लाइन के निर्माण के लिए काफी धन राशि लगाई है। किन्तु इस दूसरी रेल लाइन के निर्माण कार्य में वर्ष दर वर्ष देरी होती जा रही है जिसके कारण न केवल निर्माण–कार्य की लागत में वृद्धि होती जा रही है बल्कि भीड़–भाड़ के कारण यातायात घाटा भी हो रहा है।

तलचर से निरगुंडी तक की दूसरी रेल लाइन बन चुकी है और बिरूपा नदी के ऊपर दूसरा रेल पुल लगभग पूरा होने वाला है। पारादीप से राजहंस तक की दूसरी रेल लाइन भी लगभग पूरी होने वाली है। किन्तु महानदी के ऊपर बनने वाले दूसरे मुख्य रेल पुल का निर्माण कार्य शुरू होना अभी भी बाकी है। जब तक महानदी के ऊपर रेल पुल नहीं बनता है, तब तक दूसरी रेल लाइन पर लगाए गए करोड़ों रुपये का निवेश व्यर्थ है।

मैं सरकार से महानदी के ऊपर दूसरे रेल पुल के निर्माण–कार्य में तेजी लाने तथा कटक के निरगुंडी और बरंग रेलवे स्टेशनों के बीच प्रतिदिन होने वाली भीड़ और मार्गावरोध को दूर करने का अनुरोध करता हूं।

(तेरह) पंजाबी को संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ की राजभाषा घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : सभापति महोदया, मैं आप की अनुमति से, अपनी यह बात पंजाबी में कहना चाहूंगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदया : मेरे ख्याल से इंटरप्रेटर नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : मैंने कल लिखित में इसकी सूचना दी थी और मुझे विश्वास है कि इस की व्यवस्था हो गई होगी।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदंम्बरम) : यह हो सकता है कि अनुवाद की व्यवस्था न हो परन्तु फिर भी वे पंजाबी में बोल सकते हैं।

*श्री पवन कुमार बंसल : सभापति महोदया, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है तथा संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यालय भी है। इसकी जनसंख्या लगभग 10 लाख है। यह उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण शहर है, विभिन्न सर्वेक्षणों तथा जनगणना रिपोर्टों से यह स्पष्ट होता है कि वहां के अधिकांश निवासी पंजाबी बोलते हैं, जो कि उनकी मातृभाषा है। तथापि, इस भाषा को इस संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा का दर्जा दिए जाने से लगातार इन्कार किया जाता रहा है। यद्यपि दिल्ली और हरियाणा ने इसे दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान कर दिया है।

तदनुसार, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में चंड़ीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा घोषित करे और प्रशासन तथा अन्य प्राधिकरणों में वर्तमान में हिन्दी तथा अंग्रेजी के साथ–साथ पंजाबी में भी कार्य करने का आदेश दे।

अपराह्न 3.14 बजे

सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विधि (निरसन) विधेयक, 2004

[अनुवाद]

सभापति महोदया : अब, सभा मद संख्या 13 – सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विधि (निरसन) विधेयक को लेगी।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि कतिपय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियमितियों का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

यह एक बहुत साधारण विधेयक है। कुछ अधिनियम अनावश्यक और अप्रचलित हो चुके हैं। राजस्व विभाग में वर्तमान विधियों, नियमों तथा विनियमों की समीक्षा करने हेतु एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। इस समूह ने इन अधिनियमितियों का निरसन करने की सिफारिश की है और इनकी सूची इस विधेयक के अनुलग्नक में दी गई है। इसकी समीक्षा के दौरान यह पाया गया वर्ष सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विधि (अधिनियम) 1988 में एक अपीलीय अधिकरण की स्थापना का प्रावधान था, परन्तु उस अधिकरण की स्थापना नहीं की गई। उसके बाद इस अधिकरण के गठन हेतु सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन किया गया लेकिन ये प्रावधान भी अनावश्यक तथा अप्रचलित थे। इसलिए, इन अनावश्यक प्रावधानों तथा अनावश्यक अधिनियमों का निरसन किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि ये संविधान में बने न रहें तथा संविधि पुस्तक का भार न बढ़ाएँ। इसलिए, यह एक अविवादास्पद विधेयक है। मैं सभी माननीय संसद सदस्यों से विनम्रतापूर्वक यह अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक को पारित करने में अपना सहयोग दें।

सभापति महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

"कि कतिपय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियमितियों का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदया, मेरा इस संबंध में यह अनुरोध है कि सरकार जितने भी निरसन करने वाले विधेयक हैं, उनके बारे में कानूनविदों से जानकारी प्राप्त करके एकसाथ उनको लाए। ऐसे कानून जो अब अनुपयोगी हो गए हैं, जिन कानूनों का वर्चस्व नहीं रह गया है, ऐसे कानूनों को विधि आयोग और विधि मंत्रालय के विशेषज्ञों से बात करके, सबको सूचीबद्ध करके, एकसाथ सबका निरसन कर दिया जाए ताकि सदन का समय बच सके।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदया, मैं भी इसमें एक सुझाव देना चाहता हूं। मंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से ऐसा विधेयक पेश किया है, जिस पर विवाद नहीं है। जब यह पहले वित्त मंत्री थे, उस समय पी. सी. जैन कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने न केवल वित्त विभाग से सम्बन्धित ऐसे कानूनों को बल्कि अन्य विभागों से भी सम्बन्धित अनुपयोगी कानूनों के बारे में कहा था कि ये कानून अब अनुपयोगी हो गए हैं, इनको खत्म कर देना चाहिए। उस समय उन्होंने करीब 148 ऐसे कानूनों को सूचीबद्ध किया था और उनका प्रकाशन किया था।

---

*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

इसलिए सरकार उन सभी कानूनों को रिपील करने के लिए एक विधेयक यहां लाए।

वित्त मंत्री जी बहुत बड़ा परिवर्तन राजस्व और सीमा शुल्क में करने वाले हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि भविष्य में राज्यों के अधिकार, खासकर आर्थिक मामलों में और कर निर्धारण के मामले में, इस बहाने से हड़पा या छीना नहीं जाना चाहिए। अभी केन्द्रीय वित्त मंत्री की राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक हुई थी। वे लोग कहते हैं कि जो कराधान के प्रावधान हैं, खासकर सेवा कर, उसमें राज्यों का 50 प्रतिशत हिस्सा होना चाहिए।

भारत सरकार अपना कर दायरा बढ़ा रही है, लेकिन जो राज्यों के कर दायरे हैं, उसमें वह हस्तक्षेप कर रही है। यह प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। आप वैट लागू करने जा रहे हैं। व्यापारियों में इसका काफी विरोध हो रहा है। लेकिन बहुराष्ट्रीय कम्पनीज और इस देश के बड़े उद्योगपतियों का आग्रह है कि इस प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश को छोडकर सभी राज्य सरकारें इस पर सहमत हो गई हैं। उत्तर प्रदेश को संतुष्ट करने में वित्त मंत्री जी की अहम भूमिका है। लेकिन उसके बावजूद हम आग्रह करना चाहेंगे कि भविष्य में राजस्व और सीमा शुल्क के बारे में जो कराधान प्रावधान हैं, उनके चलते राज्य सरकारों को शिकायत नहीं होनी चाहिए कि उनके अधिकारों में भारत सरकार हस्तक्षेप करना चाहती है या उनका अपहरण करना चाहती हैं। अर्थ के बारे में राज्य सरकारें भारत सरकार की मुखापेक्षी हो जाएं, तो यह स्थिति ठीक नहीं होगी।

इन सुझावों के साथ मंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदया, मैंने इस सुझाव को नोट कर लिया है कि इस वित्त आयोग तथा समीक्षा समिति द्वारा ऐसी जिन विधियों का उल्लेख किया गया है, जिनका निरसन कर दिया जाना चाहिए इनका शीघ्र ही निरसन किया जाना चाहिए। आप कृपया इस बात को समझेंगे कि प्रत्येक मंत्रालय को उससे संबंधित ऐसी विधियों का निरसन करने हेतु विधेयक लाना होगा। मैं निश्चित रूप से इस सुझाव को मंत्रिमंडल के अपने अन्य साथियों के समक्ष रखूंगा और उनसे कहूंगा कि वे ऐसी विधियों का निरसन करने हेतु विधेयक लेकर आएं जो अनावश्यक बन चुके हैं।

जहां तक एक अन्य माननीय संसद सदस्य के सुझाव का संबंध है, मेरे विचार से प्रमुख राजकोषीय नीतिगत परिवर्तनों में राज्यों के वित्त मंत्रियों को सम्मिलित करके हमने एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी है। कल ही मैंने सेवा कर के मामले में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ एक बैठक की है। वैट (वी.ए.टी.) के मामले में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ मैंने तीन बार बैठकें की हैं। मैंने उत्तर–प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की है। अब वे भी सहमत हैं। सभी राज्य इस पर सहमत हैं कि 'वैट' क्रियान्वित किया जाएगा। मैं प्रमुख कर सुधारों तथा राजकोषीय परिवर्तनों के संबंध में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ परामर्श करने की इस परंपरा को जारी रखूंगा।

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि कतिपय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियमितियों का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदया : अब सभा विधेयक पर खंड–वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए

श्री पी. चिदम्बरम : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:–

"कि विधेयक पारित किया जाए"

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अपराह्न 3.26 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

जूट उद्योग के समक्ष आ रही समस्याएं — *जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदया : अब हम श्री बसुदेव आचार्य द्वारा 18 अगस्त 2004 को जूट उद्योग के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में उठाए गए मुद्दों पर आगे चर्चा करेंगे।

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर) : माननीय सभापति महोदया, मुझे इस सम्मानित सभा में अपने विचार रखने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं यद्यपि यह चर्चा विलम्ब से हो रही है। इस विषय पर चर्चा लंबे समय से लम्बित जूट उद्योग की समस्याए केवल मेरे राज्य पश्चिम बंगाल से ही संबंधित नहीं है अपितु ये बिहार, असम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी जूट मिलें स्थापित की जा रही हैं। कुछ उद्योगपति अपने उद्योग का विस्तार करने हेतु पश्चिम बंगाल से निकलकर अन्य राज्यों में जा रहे हैं। यह स्वागत योग्य हैं परन्तु वे श्रमिकों को उनकी उचित मजदूरी का भुगतान नहीं कर रहे हैं। हर संभव तरीके से श्रमिकों के अधिकारों में कटौती की जा रही है और वे उन राज्यों में अधिकाधिक लाभ अर्जित करने हेतु श्रमिक वर्ग की कमजोरी या सीमाओं का अनुचित लाभ उठा रहे हैं जिसका कि आजकल पूंजीवादी समाज में चलन है।

महोदया, मैं आपका ध्यान हमारे राज्य में श्रमिक सघों और प्रबन्धन के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को क्रियान्वित करने की उचित मांग को लेकर इस माह की 29 तारीख से जूट उद्योग के सभी केन्द्रीय श्रमिक संघों द्वारा एक सतत् हड़ताल शुरु किए जाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यद्यपि, पश्चिम बंगाल सरकार के नेक प्रयासों के कारण वह हड़ताल टल गई। प्रत्येक व्यक्ति इस बात से प्रसन्न होगा कि चूंकि अड़ियल नियोक्ताओं ने उनकी अधिकांश मांगें स्वीकार कर लीं अतः श्रमिकों के सतत् रूप से हड़ताल पर जाना आवश्यक नहीं समझा। वाम मोर्चे की सरकार की श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने व उद्योग के हितों का भी ध्यान रखने की नीति के कारण वह हडताल नहीं हुई।

आपको यह जानकर दुख होगा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन के एक प्रतिभागी — मैं किसी दल का नाम नहीं लेना चाहता — ने इस समझौते का विरोध किया है। हमारे माननीय मंत्री जी ने हमारी बहुत सहायता की है। वह दल, जिसका कि मात्र एक सदस्य इस सदन में है इस समझौते से खुश नहीं है क्योंकि वाममोर्चा सरकार ने कामगारों और प्रबन्धन को एक समझौते पर पहुंचने में सहायता की है। पिछले माह की 30 तारीख को उन्होंने एक और हड़ताल का आह्वान किया, जिसे जूट कामगारों ने विफल कर दिया। यह हड़ताल एक सीमित दायरे में हुई और केवल दो या तीन मिलों ने इसमें भाग लिया।

हमारे सामने प्रश्न यह है कि जूट उद्योग कैसे बचेगा। माननीय मंत्री जी यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जूट की वस्तुओं की मांग बढ़ रही है। मैंने समाचार पत्रों में यह पढ़ा है कि हमारे जूट उत्पादों की ब्राजील में बिक्री को सुरक्षित करने के संबंध में चल रहे मामले में हमारी जीत हुई है। अतः अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अधिक मांग होने की सम्भावना है। इसी प्रकार सड़क उद्योग भी सड़को के विकास में जूट के बोरों का उपयोग करेगा। इससे भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। न केवल जूट उद्योग के बने रहने बल्कि इसका विस्तार होने के साथ-साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके छा जाने की भी सम्भावनाएं हैं।

हाल ही में मुझे व्यापक जूट नीति पर विचार-विमर्श के लिए आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला। इस सम्मेलन का आयोजन वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक संगठन जूट विनिर्माता विकास परिषद ने किया था। उन्होंने पहली बार यह सम्मेलन आयोजित किया है। मजदूर संघ के क्षेत्र में मैं पिछले 40 वर्षों से कार्य कर रहा हूं लेकिन पहली बार सरकार ने इसमें संबंधित सभी क्षेत्रों को शामिल करके बैठक आयोजित करने की योजना बनाई है। कृषि, विपणन, अनुसंधान, विकास, तकनीक उन्नयन, श्रम, पर्यावरण आदि सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। इस बैठक में इस क्षेत्र से संबंधित सभी स्तरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

पिछले माह की 25 तारीख को श्री वाघेला ने सलाहकार समिति की एक बैठक बुलाई। दुर्भाग्य से मैं वहां उपस्थित नहीं हो पाया, मैंने उन्हें एक पत्र लिखा था, मुझे यह नहीं पता कि उन्हें पत्र मिला या नहीं। मैंने उनसे सारी कार्यवाही का अध्ययन करके तकनीकी विशेषज्ञों के एक अध्ययन दल का गठन करने

का आग्रह किया था ताकि सलाहकार समिति में इस व्यापक जूट नीति को अंतिम रूप देकर इसे सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

इस उद्योग के बने रहने की पूरी सम्भावनाएं हैं। इसके बाजार के विस्तार की भी पूरी सम्भावना है। वस्त्र के क्षेत्र में भी नए उत्पाद आएंगे। पहले इसे 'गोल्डन फाइबर' कहा जाता था। इसके और भी अनुपंगी उत्पाद आ सकते हैं जिनसे रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकते हैं। इससे लाखों किसानों के हितों की रक्षा होगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक व्यापक जूट–नीति बनाने के लिए विचार–विमर्श आयोजित करने की अपील करता हूं ताकि उद्योग, किसानों तथा कामगारों के हितों की रक्षा हो सके एवं हमारी अर्थव्यवस्था के विकास को गति मिले।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे नियम 193 के अधीन जूट उद्योग के समक्ष आ रही समस्यओं के बारे में हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय कपड़ा मंत्री जी हमारे बीच बैठे हुए हैं। अभी सम्माननीय सदस्य ने जूट समस्या के संबंध में अपने विचार रखे हैं। इसके पहले भी सदन में इस मामले पर बहुत व्यापक रूप से चर्चा हो चुकी है।

यह बात सत्य है कि जूट उद्योग एक ऐसा उद्योग है कि इसका ज्यादातर उत्पादन दक्षिण भारत में होता है और वह सीधे किसानों और कामगारों से जुड़ा हुआ सवाल है। हमें यहां खास तौर पर हमारे किसानों, कामगारों और उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए विशेष चिंतन करना होगा। जहां तक जूट का सवाल है, यह धार्मिक आस्था से भी जुड़ा हुआ सवाल है। चूंकि मैं जानता हूं कि जितने भी जयगुरुदेव महाराज के अनुयायी हैं, वे जूट का कपड़ा पहनते हैं। इसमें दूसरी चीज़ यह है कि दुर्गा पूजा के पंडालों में सभापति महोदया आप गई होंगी, वहां आजकल पंडालों की सजावट जूट से होती है और मूर्तियों को भी जूट से ही भव्य रूप दिया जाता है।

सभापति महोदया, पहले हमारे देश में जूट के बैग्स ही बनते थे, जिनमें सीमेंट, अनाज, खाद्यान्न आदि आता था। लेकिन इधर पिछले कुछ वर्षों से जूट बैग्स लापता हो गये हैं और प्लास्टिक के बैग्स का प्रचलन अधिक हो गया है। प्लास्टिक बैग्स से हमारे पर्यावरण पर भी प्रदूषण का एक सवालिया निशान खड़ा होता है। यहां कपड़ा मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि समय–समय पर हम लोग प्रायः टी.वी. और समाचार पत्रों में देखते हैं कि जो किसान ऋण लेते हैं, उसकी अदायगी न कर पाने के कारण वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं। बहुत सी ऐसी फैक्टरीज़ हैं, जहां तालाबंदी है, वहां समय–समय पर हड़ताल होती रहती है।

सभापति महोदया, जब आप शॉपिंग करने या परचेजिंग करने के लिए मार्केट जाती हैं तो आपने देखा होगा कि जूट के अच्छे–अच्छे बैग्स मिलते हैं, जिनमें हम अपना सामान लेकर आते हैं। लेकिन जिस तरह से आज के आधुनिक युग में प्लास्टिक के सामान का प्रचलन ज्यादा हो गया है, वहीं पर जूट को भी महत्व देना अनिवार्य है। यह किसानों, कामगारों और पर्यावरण से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ सवाल है। इसलिए मैं कपड़ा मंत्री जी से चाहूंगा कि जूट की ऐसी नीति बनायें जिससे किसानों, कामगारों और उद्योगों पर इसका बुरा असर न पड़े, बल्कि उन्हें अपने काम में फायदा मिल सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : श्री के. एस. राव–उपस्थित नहीं

श्री तरित बरन तोपदार – उपस्थित नहीं।

श्री अनवर हुसैन (धूबरी) : सभापति महोदया, जूट उत्पादक एवं जूट उद्योग की ज्वलंत समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहस के लिए इस मुद्दे को उठाने के लिए मैं श्री बसुदेव आचार्य का भी धन्यवाद करता हूं। असम की भौगोलिक स्थिति, स्थलाकृति और जलवायु जूट की उपज हेतु अनुकूल है। भारत में जूट की लगभग 120 लाख गाँठों का उत्पादन होता है जिसमें से असम का हिस्सा लगभग 10 लाख गाँठे हैं। हमारे कामगार वर्ग का 53 प्रतिशत इस उत्पाद से संबंधित है।

हमारे यहां दो समस्याएं हैं। पहला, असम और पूर्वोत्तर में एक भी जूट उद्योग नहीं है। अतः हम स्वतंत्रता के पूर्व ही

[श्री अनवर हुसैन]

पश्चिम बंगाल के उद्योगों के लिए जूट की आपूर्ति कर रहे हैं। हमारी प्रमुख समस्या जूट उत्पादकों की है। वर्ष 2001–02 में जूट का समर्थन मूल्य 785 रु. से 850 रुपये तक था। परन्तु असम में जूट उत्पादकों को अपना उत्पाद 350 रुपये से 400 रुपये तक में बेचना पड़ता है। वास्तव में एक क्विंटल जूट के उत्पादन के लिए जूट उत्पादकों को 350 से 400 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। अतः असम के जूट उत्पादकों को कभी भी समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। इस वर्ष भी यद्यपि समर्थन मूल्य लगभग 900 रुपये है परन्तु असम में जूट 350 से 500 रुपये तक के बीच ही बेचा जा रहा है। यह समर्थन मूल्य का पचास प्रतिशत है। भारतीय जूट निगम के केन्द्र एवं उपकेन्द्र भी हैं। वे उचित समय पर बाजार में नहीं पहुंचते। वे जून या जूलाई में बाजार में नहीं आते बल्कि सितम्बर के आखिर या अक्तूबर में बाजार में आते हैं। परिणामतः जूट उत्पादकों को अपना उत्पाद आढ़तियों व दलालों को बेचना पड़ता है। आढ़तियों एवं दलालों को भारतीय जूट निगम से सम्पर्क है उनके साथ कुछ मिलीभगत है। भारतीय जूट निगम उचित समय पर बाजार में नहीं पहुंचता इसके परिणामस्वरूप किसानों का शोषण होता है।

एक और अन्य मुद्दा जूट खरीदने वाले केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों की अपर्याप्त संख्या है, व इसके साथ ही वे ऐसे स्थानों पर स्थित हैं जहां किसान पहुंच ही नहीं सकते। इसका फायदा उठाकर आढ़ती व दलाल किसानों का शोषण करते हैं। अतएव मैं भारत सरकार से इस मामले की जांच का आग्रह करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि जूट खरीद केन्द्र उचित स्थानों पर खोले जाएं। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक स्थान है मंकाचार। यदि किसी व्यक्ति को मंकाचार की भौगोलिक स्थिति की जानकारी हो तो वह बतायेगा कि यह एक अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है और यहां कोई संचार सुविधा भी नहीं है। भारतीय जूट निगम ने जिला मुख्यालयों या उप–मण्डलीय मुख्यालयों में नहीं अपितु यहां एक उपकेन्द्र खोला है अतः आढ़तियों और दलालों से जूट खरीदने की बजाए भारतीय जूट निगम को किसानों से सीधे जूट खरीदने के लिए उचित स्थलों पर ये केन्द्र खोलने का आग्रह किया जाना चाहिए।

अंत में, भारत के पूर्व राष्ट्रपति मरहूम फखरुद्दीन अली अहमद ने 70 के दशक में बारपेटा में जूट मिल का शिलान्यास किया था। इस जूट मिल की स्थापना अभी की जानी है। अतः मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि असम के जूट उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए बारपेटा तथा धूबरी में जूट मिल की स्थापना की जाए।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : महोदया, इस विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हम अपने देश के जूट उद्योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जूट उद्योग के हालात काफी खराब हैं।

यद्यपि, जूट उद्योग हमारे देश का एक प्राचीन एवम् पारंपरिक उद्योग है और इसकी हालत दिनोंदिन बदतर होती जा रही है। यही बात जूट उत्पादकों पर भी लागू होती है। केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि बिहार, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में भी बहुत से जूट उद्योग हैं।

आज जूट उत्पादकों की बहुत सी समस्याएं हैं। उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं। पूर्ववक्ता इस सभा में पहले ही बता चुके हैं कि भारतीय जूट निगम जूट उत्पादकों अर्थात किसानों से सीधे जूट खरीदने में आगे नहीं आ रहा है। परिणामतः किसान दलालों के चुंगल में आने को मजबूर है। अतः भारतीय जूट निगम (जे.सी.आई) का कार्य संतोषजनत नहीं है। जे.सी.आई. की अकर्मण्यता व उदासीनता के कारण जूट उत्पादक यानि किसान दलालों के चुंगल में आने को मजबूर है।

महोदया, मैं समझता हूं कि यह वस्त्र मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं परन्तु कृषि मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आना चाहिए। इस सदन में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व है। अतः मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि वह इस संबंध में आगे आए और हजारों उत्पादकों, जो कि बहुत दयनीय हालात में रह रहे हैं, रक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाये।

महोदया, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जूट उद्योग देश का एक बहुत पुराना एवं पारंपरिक उद्योग है। जूट उद्योग पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अन्य बहुत से राज्यों में है। परन्तु जूट उद्योग में लगे कामगारों की दशा बहुत खराब है। वे बहुत सी समस्याओं से ग्रस्त हैं। वे बड़ी अनिश्चितता की स्थिति में हैं जो कि दिनोंदिन बदतर होती जा रही है। विशेषकर पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के दोनों किनारों पर बहुत से जूट उद्योग स्थित हैं। किंतु कुछ जूट इकाइयां पहले ही बंद हो चुकी हैं और हजारों जूट कामगारों को काम से हटाया जा चुका है। उन्हें खुले आकाश के नीचे रहने को बाध्य किया जा रहा है। कामगार गंगा के दोनों ओर पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले, हुगली जिले, उत्तर

24 परगना जिले तथा दक्षिण 24 परगना जिले से काम करने के लिए कोलकाता आ रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम से भी कामगार पश्चिम बंगाल में विभिन्न जूट इकाइयों में काम करने के लिए आ रहे हैं। जूट इकाइयों की हालत बहुत खराब है। जूट इकाइयों के कुछ बेईमान मालिक जानबूझकर तालाबंदी की घोषणा कर रहे हैं और जूट कामगारों को उनकी जीविका से वंचित कर रहे हैं।

इसलिए मैं भारत सरकार से हमारे देश के पारम्परिक उद्योग अर्थात जूट उद्योग को बचाने का आग्रह करता हूं।

जैसा कि पहले के वक्ताओं द्वारा कहा गया है जूट उद्योग प्रदूषण मुक्त भी है। पोलीथीन खतरा और प्रदूषण उत्पन्न कर रही है जबकि जूट उत्पाद प्रदूषण मुक्त होते हैं। परन्तु मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद है कि पहले की सरकार अर्थात राजग सरकार पोलीथीन लॉबी के सामने झुक गई और उसने शत–प्रतिशत जूट पैकेजिंग का आदेश वापस ले लिया।

अपराह्न 3.50 बजे

(श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*)

वे सिंथेटिक कामगारों की लॉबी के सामने झुक गए और सिंथेटिक बैग शुरू कर दिए। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से इस संबंध में कदम उठाने तथा चावल, गेहूं, सीमेंट और अन्य उत्पादों के मामले में जूट पैकेजिंग को अनिवार्य घोषित करने का आग्रह करता हूं। हम माननीय मंत्री से मिले और उनसे अनुरोध किया कि जूट कामगार तथा जूट उद्योग को बचाने के लिए आगे आएं। सरकार ने 2005 तक जूट पैकेजिंग को अनिवार्य बनाने हेतु कानून बनाये हैं और आदेश जारी किए हैं। इसे हमेशा के लिए अनिवार्य नहीं बनाया गया है। इसलिए, इस आदेश में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि जूट पैकेजिंग को अनिवार्य बनाया जा सके। केवल जूट उद्योग को ही नहीं अपितु देश के लोगों के हित में भी ऐसा किया जाना चाहिए।

मेरे मित्र ने अभी बताया है कि यदि आप दुर्गा पूजा अथवा दीवाली के पंडालों में जाएं तो आपको पता चलेगा कि कपड़े के नहीं बल्कि जूट के बहुत अच्छे पंडाल बने हुए हैं। आप दुर्गा पूजा अथवा दीवाली के दौरान जूट से बने हुए बहुत कलापूर्ण पंडाल देख सकते हैं। विश्व में बहुत से देश भी जूट का आयात करने में रुचि ले रहे हैं। जूट के बहुत अच्छे कालीन बनते हैं। मैं आपके राज्य केरल में गया था और वहां देखा कि जूट के साथ नारियल की भूसी को मिलाकर बहुत अच्छे कालीन बनाये जा रहे थे। इसलिए, यह बहुत उपयोगी सामग्री है और इसका विभिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा सकता है।

मैं भारत सरकार विशेषकर माननीय वस्त्र मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे जूट उद्योग को बर्बादी से बचाने के लिए आगे आएं। बड़ी संख्या में जूट कामगारों को काम से हटाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री की पहल पर एक समझौता किया गया था जिसके द्वारा दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर सभी यूनीयनों ने हड़ताल का आह्वाहन किया था। जूट उद्योग के कामगारों ने जूट उद्योग के हित में सर्वसम्मति से हड़ताल करने का निर्णय लिया था। पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय मंत्री की पहल पर सभी श्रमिक संघों द्वारा हड़ताल समाप्त करने के लिए मालिकों, सरकार और जूट कामगारों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता कराया गया था। सभी संघों द्वारा बुलाई गई हड़ताल वापस ले ली गई। मुझे उम्मीद है कि माननीय वस्त्र मंत्री जूट उद्योग को बर्बादी से बचाने के लिए आगे आएंगे।

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : मैं माननीय मंत्री का धन्यवाद करता हूं कि नए वस्त्र मंत्री उद्योग के सुधार में गहरी रुचि ले रहे हैं।

लगभग दस दिन पूर्व राष्ट्रीय जूट नीति तैयार करने के लिए कोलकाता में एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था। उत्पादकों तथा श्रमिक संघों सहित उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों ने इसमें भाग लिया था। चर्चा विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित और उप–विभाजित थी। माननीय मंत्री ने मुझे भी आमंत्रित किया था परन्तु दुर्भाग्य से मैं इसमें भाग नहीं ले सका था क्योंकि मैं दूसरी बैठक में व्यस्त था। मुझे विश्वास है कि वह न्यूनतम साझा कार्यक्रम में दिए गए आदेश के अनुसार कार्य कर रहे हैं। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में नई सरकार को एक आदेश है कि इस महत्वपूर्ण उद्योग का पुनर्गठन किया जाए और जूट को प्रोत्साहन दिया जाए। जब जूट पैकेजिंग आदेश को समाप्त करने के मामले में कुछ क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न संकट आया था तो माननीय मंत्री ने इसका समाधान करने के लिए गहरी रुचि ली थी और मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। खाद्य मंत्री अन्य मंत्रियों और प्रधानमंत्री ने भी विभिन्न वर्गों के संसद सदस्यों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर समुचित रूप से गर्मजोशी से और तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। मैं उसके लिए

[श्री रूपचन्द पाल]

सरकार को धन्यवाद देता हूं। परन्तु उद्योग एक नए तरह के संकट का सामना कर रहा है। सबसे पहले परम्परागत वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग नए प्रकार की प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं और घरेलू स्तर पर प्रतिस्पर्धा अलग स्वरूप ले रही है। मैं उनमें से केवल एक का उल्लेख करूंगा।

अभी हाल ही में एक त्रिपक्षीय बैठक में भारतीय जूट निर्माता संघ और श्रमिक संघों के बीच एक समझौता हुआ था। इसका निष्कर्ष यह है कि एक कामगार को कम से कम 264 रुपए की न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। परन्तु देश के कुछ भागों में केवल 80 रुपये ही भुगतान किए जा रहे हैं हालांकि मैं उन क्षेत्रों का नाम नहीं लूंगा। अब उद्योगपति कहते हैं कि यह कठिनाई है कि यदि हम पश्चिम बंगाल में 264 रुपए का भुगतान करते हैं और दूसरे लोग देश के अन्य भागों में केवल 80 रुपए का भुगतान करते हैं। इसलिए, यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। समान जूट मूल्य और समान वेतन ढांचा होना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री को मामले की बहुत चिंता है। जब राष्ट्रीय जूट नीति में श्रम संबंधी मामलों पर विचार विमर्श किया जा रहा है तो सामाजिक सुरक्षा, असंतुलित सामाजिक सुरक्षा, असंतुलित वेतन ढांचे इत्यादि जैसे विभिन्न मामलों पर भी विचार–विमर्श किया जाना चाहिए। स्थायी, अर्ध–स्थायी, नैमित्तिक इत्यादि जैसे विभिन्न प्रकार के कामगार होते हैं। पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार ने न्यूनतम वेतन का कुछ हद तक भरोसा दिलाकर मामले को तय कर दिया है और सभी विभिन्न नामों तथा नैमित्तिक कामगार जैसे शब्दों को हटा दिया है।

जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल जूट उद्योग में अधिकांश कामगार बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों से हैं। विभिन्न प्रांतों, विभिन्न राज्यों तथा विभिन्न धर्म के लोगों के आने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल में सोहार्द है जिस पर हमें गर्व है। कभी–कभी ऐसे अवसर आए हैं जब कुछ उत्पात पैदा किए गए हैं परन्तु व्यापक रूप से देश के विभिन्न भागों के लोग एक साथ शांतिपूर्वक रहते हैं। राजधानी उन लोगों से संबंधित है जो पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं है परन्तु उन्होंने पश्चिम बंगाल को अपने राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया है।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जब यह राष्ट्रीय जूट नीति तैयार करने का प्रयास कर रही है तो इसे जूट उत्पादकों, जूट निगमों पर ध्यान देना चाहिए कि वे ठीक प्रकार से कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय जूट नीति में शामिल करने हेतु दो बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। हमारे यहां उत्कृष्ट जूट वैज्ञानिक हैं और भारत सरकार के बहुत महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

वियतनाम, चीन, लाओस जैसे देश भवन सामग्री, वस्त्र तथा साज–सज्जा के लिए जूट उत्पादों का बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। हम भी अच्छा कार्य कर रहे हैं परन्तु दुर्भाय से आई. जे. आई. आर. ए. जैसे अनुसंधान संस्थानों और ऐसे अन्य निगमों की उपेक्षा की जा रही है। जूट निगम के मामले में हम देखते हैं कि एक नौकरशाह को चुना जाता है और निगम के कार्यों की पूरी जिम्मेदारी दे दी जाती है किंतु दूसरों के मामले में ऐसा नहीं किया जाता। जूट उद्योग की यह कुछ शिकायतें हैं।

पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ने सरकार तथा वस्त्र मंत्री को कतिपय सुझाव देते हुए पत्र लिखा है। मेरे विचार से नए वस्त्र मंत्री के मन में कुछ विचार हैं। वह अनेक लोगों से विचार–विमर्श कर रहे हैं। मुझे भी एन.जे.एम.सी. के मुद्दे पर माननीय मंत्री के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। एक परियोजना बनाने के लिए बातचीत हुई और उप प्रायोगिक परियोजना के अनुभव के आधार पर माननीय मंत्री उस पर आगे कार्यवाही कर सकते हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन निजीकरण का मार्ग अपनाना कोई समाधान नहीं है। वह इस विषय में अत्याधिक रुचि ले रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री भी इस मामले में रुचि ले रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से हर तरह की सहायता से जूट उद्योग निश्चित रूप से उबर सकेगा। यह भी साझा न्यूनतम कार्यक्रम के उद्देश्यों में से एक है।

महोदय, मैंने बताया था कि प्रोत्साहन के मामले में, पैकेजिंग क्रयादेशों के क्रियान्वयन के मामले आदि में एकरूपता नहीं है। इससे समस्याएं पैदा हो रही हैं। लगभग एक करोड़ लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं और इनमें से अधिकांश लोग बिहार, उड़ीसा, आंध्र–प्रदेश और निःसंदेह पश्चिम बंगाल राज्य से हैं। इन लोगों की आजीविका जूट उद्योग पर निर्भर है।

महोदय, जैसा कि आपको मालूम है कि बंगाल के विभाजन से पूर्व गंगा नदी के दोनों ओर जूट मिलें थीं। यद्यपि, गुणवत्ता वाले जूट का उत्पादन बंगालादेश में होता था। अब

जूट, बंगलादेश से आयात किया जा रहा है। हमें प्रसन्नता है कि बंगलादेश, यू.एन.डी.पी. कार्यक्रम की सहायता से अच्छा काम कर रहा है। वहां अनेक आत्मनिर्भर समूह हैं। लेकिन हम में भी अत्याधिक क्षमता है। हम भारत के पूर्वोत्तर भाग, पश्चिम बंगाल, बिहार और आंध्रप्रदेश में भी उच्च गुणवत्ता तथा अधिक उपज देने वाली जूट की किस्म का उत्पादन कर सकते हैं। इस उद्योग को प्रोत्साहन देने तथा संवर्धन किए जाने की आवश्यकता है। अनुसंधान संस्थान जूट से विभिन्न उत्पाद बनाने में सहायता कर सकते हैं लेकिन दुर्भाग्य से, इन अनुसंधान निकायों की उपेक्षा की जा रही है। मैं माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा की गई पहल का स्वागत करता हूं और मेरा विश्वास है कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों से हर प्रकार की सहायता से हमें सफलता प्राप्त होगी। साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह घोषणा की गई है कि जूट उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसकी आगे और उपेक्षा नहीं की जायेगी। मुझे आशा है कि यह नई संप्रग सरकार इस उद्योग को संकट से उबारने तथा इसमें सुधार करने हेतु इसे काफी प्रोत्साहन देगी।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, आज देश में जूट उद्योग अपनी प्रासंगिकता हमारे बदले हुए मूल्यों की वजह से खोता जा रहा है। पिछले चंद वर्षों में हमारे मूल्यों में ह्रास हुआ और जूट उद्योग, जिसमें मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में सहकारी संस्थाओं के अंदर उद्योग लगाये गये थे, बिहार, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में, इन सारे उद्योगों की स्थिति सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर आंकते हुए और उसे मरने के लिए छोड़ देने जैसी स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारी सरकार आई और अब हमें अपेक्षा है कि वैसे जूट उद्योगों को, चाहे वे सहकारी क्षेत्रों में हों या निजी क्षेत्र में, जान मिलनी चाहिए और उनको आर्थिक रूप से पुनःस्थापित करने जैसे कदमों में पहल होनी चाहिए।

बिहार में खास तौर से पूर्वी बिहार में जूट का उत्पादन अच्छा होता है। उत्तरी और मध्य बिहार में भी अच्छी मात्रा में जूट का उत्पादन होता है। जिस जूट उद्योग में इन्नोवेटिव ऐप्रोच की जरूरत है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन्स द्वारा इस दिशा में कार्य करने की बात कही जाती रही है। वैसे जूट कार्पोरेशन, जूट टेक्नोलॉजी मिशन, मार्किटिंग के लिए एनसीजेडी और बहुत सारी स्कीम्स, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछड़े राज्यों में ये स्कीम्स धरती पर कहीं नज़र नहीं आती हैं। उद्योगों के बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज टूटते जा रहे हैं। जूट के रॉ मेटीरियल, जूट में जो डैवलपमेंट होता है, वह किसानों तक नहीं पहुंच पाता। आर एंड डी का कार्य उस क्षेत्र में वहां तक नहीं पहुंच पाता और मार्किटिंग में बॉटलनेक बना हुआ है, जिसकी वजह से उद्योगों का विकास ऐसे क्षेत्रों में आगे नहीं हो पा रहा है। दूसरी ओर कम्पीटिशन की वजह से जो प्लास्टिक लॉबी है, पर्यावरण के व्यापक हित को ध्यान में रखने के बावजूद, मैं समझता हूं कि स्थानीय स्तर पर बहुत ही विकेन्द्रीकृत रूप से प्रचार और प्रसार तथा नियमों और कानूनों के माध्यम से उस पर रोक लगाए जाने की जरूरत है, बारी–बारी से ही सही लेकिन नियम बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि एक ओर पर्यावरण और दूसरी ओर ऐसे उद्योग, जिन पर लाखों की संख्या में लोग निर्भर करते हैं, बच सकें।

हमारे पूर्व वक्ता माननीय सांसद ने सही कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल और असम में जूट उद्योगों में कार्य करते हैं। उनकी जीविका उनसे चलती है। इसलिए एक मजबूत जूट नीति बनाने पर हमारा जोर होगा। दूसरी तरफ जूट उद्योग के क्षेत्र में जितनी भी रिसर्च आर्गनाइजेशन्स हैं, चाहे जूट के रॉ मेटीरियल की बात हो या इंडस्ट्री की बात हो, उनके आउटपुट और आउटकम को डीसैंट्रलाइज किया जाना चाहिए और उसे किसानों और छोटे–मोटे जूट उद्योगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। आज इसकी कमी दिख रही है। जूट उद्योग के क्षेत्र में जो अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर्स हैं, अभी मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ जापान जाने का मौका मिला था, वहां हमने बड़ी मात्रा में जूट से बने हुए छोटे–छोटे हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम्स देखे जो अच्छे दामों पर बिक रहे थे। हमें बताया गया कि ट्रेड फेयर आर्गेनाइजेशन द्वारा ऐसे ऐफर्ट्स किए जाते रहे हैं। कोआर्डीनेशन का काम टैक्सटाइल मिनिस्ट्री द्वारा उस क्षेत्र में अवश्य होना चाहिए और छोटे–मोटे उद्योगों को, गावों और देहातों में, जहां कम मात्रा में लोग जूट का उत्पादन करते हैं, उसके मूल्य संवर्धन के लिए, वे अपने स्तर पर काम कर सकें, इसके लिए व्यापक पैमाने पर कार्यक्रमों का आयोजन मंत्रालय और विभागों द्वारा किए जाने की आवश्यकता है। इसे उस नीति में शामिल

[श्री आलोक कुमार मेहता]

किए जाने की आवश्यकता है। फॉरवर्ड लिंकेज की जो बातें हैं, उसमें मैं समझता हूं कि सिर्फ जूट क्षेत्र ही नहीं है, विभिन्न क्षेत्रों में जहां पर बहुत अधिक उत्पादन है, उसके दो या तीन प्रतिशत भाग की ही अच्छी तरह से मार्किटिंग हो पाती है और अधिकांश जो उसका उत्पाद है, वह बहुत ही कम मूल्य पर स्थानीय मार्केट में या फिर बिचौलियों के द्वारा खरीद लिया जाता है जिससे सीमान्त किसानों को उसका उचित भाव नहीं मिलता है और वे उत्पादन धीरे-धीरे कम करते हैं और दूसरे आइटम की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए जो भी उद्योग इस क्षेत्र में हैं, उसमें जूट के क्षेत्र में जो कॉटेज इंडस्ट्री है, उसके लिए एक नीति के अंदर अलग से प्रावधान होना चाहिए कि उनके विकास के लिए बड़े उद्योगों के साथ उनका भी विकास हो, उसके लिए उसमें पूरा-पूरा प्रावधान होना चाहिए। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सबसे ज्यादा जरूरत सीमान्त और छोटे-छोटे उद्योगों को है जिन्हें यह पता नहीं है कि कहां बेचे और यह भी पता नहीं है कि क्या-क्या बनाए, इसलिए उद्यमता से लेकर अनेक कार्यक्रमों की आवश्यकता उस क्षेत्र में है। उद्यमता कार्यक्रमों के साथ-साथ रुग्ण उद्योग जो इस क्षेत्र में हैं, उनके लिए री-हैबीलिटेशन प्रोग्राम बनाये जाने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि सरकार इस क्षेत्र में अग्रसर भी है लेकिन जिस क्षेत्र में ज्यादा खराब स्थिति है, जिस क्षेत्र में संभावनाएं हैं, मिट्टी उपलब्ध है, काली मिट्टी और मॉइस्चर सारा कुछ उपलब्ध है लेकिन पिछले कुछ समय से चूंकि उद्योग रुग्ण पड़े हुए हैं, उत्पादन के बाद विपणन नहीं मिल रहा है, इसलिए वे छोड रहे हैं, वैसे क्षेत्रों में भी कृषि के री-हैबिलिटेशन की आवश्यकता है, जूट के उत्पादन को बढाये जाने की आवश्यकता है और उसे उद्योग से तथा विपणन से जोड़े जाने की आवश्यकता है।

सदन का ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं सिर्फ एक-दो बिन्दुओं की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। जूट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा जूट बैग के उत्पादन में लगा हुआ है लेकिन हाइ-वैल्यू मार्केटिंग और हाइ-वैल्यू एडीशन पर इस क्षेत्र में जोर दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि जो गोल्डन फाइबर है, उसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होने की संभावना नजर आ रही है। इसलिए जो रिसर्च ऑरगेनाइजेशन हैं, उनको इस क्षेत्र मे लगाया जाना चाहिए और एक्सपोर्ट के बढ़ावे के लिए जो कुछ भी हो सकता है, वह किया जाना चाहिए। जूट किसान और मजदूरपरक राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसलिए सभापति जी के माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि किसानों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ध्यान हमेशा रखते हुए उसे लचीला बनाते हुए हर वर्ष उसे रिवाइज करते हुए इस उद्योग में रॉ-मैटीरियल के उत्पादन को इस उद्योग को, इसके विपणन को हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और इसके माध्यम से राष्ट्रीय उत्पादकता में ये बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री ब्रह्मानन्द पंडा (जगतसिंहपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं पहले ही सूचना दे चुका हुं कि मैं अपना भाषण अपनी मातृभाषा में दूंगा। इसलिए, मुझे मेरी मातृभाषा में भाषण देने की अनुमति दी जाए।

*माननीय सभापति महोदय, मैं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

मैं, यहां उपस्थित अपने सम्माननीय मित्रों को बधाई देता हूं। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश ओर बिहार जैसे राज्यों में किसान जूट की खोती पर निर्भर हैं। वे अपने उत्पाद बाजार में बेचते हैं। जूट के उचित मूल्य निर्धारण के अभाव में, जूट उत्पादकों का शोषण किया जा रहा है। उड़ीसा में जूट उत्पादक सबसे अधिक भुक्तभोगी हैं।

धार्मिक दृष्टि से जूट का काफी महत्व है। हथकरघा उद्योग में इसका उपयोग कई प्रकार से होता है। तथापि, आधुनिक युग में 'कृत्रिम वस्तुओं' का उपयोग जूट उत्पादों तथा जूट उत्पादकों के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। इस देश के धार्मिक इतिहास में जूट की गौरवपूर्ण परम्परा के पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं।

जूट ने इस देश के आर्थिक और राष्ट्रीय जीवन दोनों को प्रभावित किया है। जूट उत्पादक अब असमंजस में हैं।

उड़ीसा में उत्पादित जूट पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों में बिकता है लेकिन किसानों को कभी-भी वास्तव में वाजिब दाम नहीं मिलता है। इस दृष्टि से, मैं माननीय मंत्री से एक राष्ट्रीय जूट नीति बनाने का अनुरोध करता हूं जो जूट उत्पादकों के हितों की रक्षा करेगी। भारत किसानों की भूमि है।

*मूलतः उड़िया में दिऐ गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

भारत का इतिहास किसानों का इतिहास है और यह हमारी धार्मिक परम्पराओं में भी परिलक्षित हुआ है। वर्तमान संप्रग सरकार किसानों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। यदि वे अपनी वचनबद्धता के प्रति गंभीर हैं तो उन्हें किसानों की समस्याओं पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बैग, पर्स, और अन्य अनेक विलास वस्तुओं जैसे विभिन्न प्रकार के हथकरघा उत्पादों में जूट का काफी उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में जूट की काफी मांग है। इसकी निर्यात संभावना भी है। तथापि, हाल ही में कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग बहुत बढ़ रहा है जिससे जूट उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हमें गंभीरतापूर्वक इस पर ध्यान देना चाहिए।

जैसाकि आपको मालूम है कि मैं भगवान जगन्नाथ की भूमि, उड़ीसा का हूं जहां समानता और सामंजस्य है, जहां किसानों और श्रमिकों को अपना हक मिलता है। इसलिए यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि उनकी दशा में सुधार करें।

महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस सम्माननीय सभा में बोलने की अनुमति दी और मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि जूट उद्योग हमारे देश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है और जैसा हमारे कई माननीय मित्रों ने भी कहा है कि एक राष्ट्रीय जूट नीति का निर्माण अवश्य होना चाहिए। हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर इस उद्योग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। करीब 40 लाख परिवार पटसन की खेती पर आज निर्भर हैं और जूट का सामान बनाने वाली इकाइयों में इस समय लगभग 2 लाख 61 हजार कर्मचारी लगे हुए हैं। इससे संबंधित क्रियाकलापों के अंदर भी लगभग 1.4 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वास्तव में जूट उद्योग हमारे देश का कितना महत्वपूर्ण उद्योग है। पिछली एनडीए की सरकार ने इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई नयी योजनाएं प्रारम्भ की थीं। जेएमडीसी की जो पटसन विनिर्माण विकास परिषद् थी उसको सन् 2001–2002 के अंदर गंभीरता से लिया गया। मान्यवर, पश्चिम बंगाल की जूट इकाइयां अच्छा काम कर सकती हैं लेकिन वहां की सरकार की हड़ताल की नीति के कारण सारे उद्योग रुग्ण अवस्था में पड़े हैं और इसका दुष्प्रभाव जूट उद्योग पर भी पड़ा है। बिहार, उड़ीसा, बंगाल, असम या राजस्थान के लोग, जिन्होंने इस उद्योग में पूंजी लगा रखी है वह इन इकाइयों को चालू रखना चाहते हैं लेकिन बंगाल की सरकार और यहां बैठे उनके सांसद यहां तो मजदूरों के हितों के लिए बहुत कुछ कहते हैं लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की कथनी और करनी में आकाश–पाताल का अंतर है। परिणामस्वरूप जूट उत्पादन की कई इकाइयां रुग्णता की शिकार हो रही हैं।

मान्यवर, इस समय करीब 78 मिलें जूट उद्योग के अंदर कार्यरत हैं। उसमें से एक कानपुर की मिल बंद पड़ी है। करीब 37 जूट उत्पादन की इकाइयां रुग्ण अवस्था में पड़ रही हैं। बीआईएफआर के पास 30 के करीब जूट उत्पादन करने वाली इकाइयों के प्रकरण गए हुए हैं जिनको सुलझाने की आवश्यकता है। इसलिए मान्यवर, एक राष्ट्रीय जूट नीति का निर्माण होना चाहिए। राष्ट्रीय जूट प्रोद्योगिकी मिशन स्थापना के अंदर जो अवरोध थे, पिछली एनडीए की सरकार ने उनको हटाने का कार्य किया था लेकिन उसके बाद चुनाव की स्थिति आ गयी। मान्यवर कपड़ा मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि प्रौद्योगिकी मिशन जो जूट के बारे में है उसका सशक्त रूप से क्रियान्वयन किया जाए ताकि जूट उद्योग में उत्पादन करने वाले किसानों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके और जिन इकाइयों में काम हो रहा है वे इकाइयां भी काम करने की स्थिति में रहें और उनको कच्चा माल भी प्राप्त होता रहे। पिछली सरकार ने निर्यात को बढ़ाने के लिए जो कार्य किये उसका परिणाम सामने आया ...*(व्यवधान)* पिछली सरकार ने विदेशी पटसन उत्पादों के समर्थन के लिए कई उपायों की पहल की। पटसन निर्माण विकास परिषद्, जेएमडीसी, जो एक संवैधानिक निकाय है, जिस पर विविध समर्थन उपायों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी है। उन्होंने बाह्य बाजार सहायता योजना–2002, जो एक वर्ष के लिए थी, उसको एक वर्ष और आगे बढ़ाया और इसके अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की गयी। इसके साथ–साथ पटसन के सामानों पर शुल्क हकदारी पास बुक्स स्कीम को जुलाई, 2002 से शुरू किया गया। सन् 2001–2002 के मुकाबले 2002–2003 में पटसन के समान के निर्यात में 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे पता चलता है कि एन.डी.ए. सरकार की नीतियों के कारण किस प्रकार किसानों को समर्थन मूल्य मिलने लगा, निर्यात को प्रोत्साहन मिला जिसके परिणामस्वरूप

[प्रो. रासा सिंह रावत]

वर्ष 2000–01 के मुकाबले वर्ष 2002–03 में 47 प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि हुई। साथ ही साथ सरकार की जो अनुसंधान करने वाली संस्थायें हैं उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रयास किया जाए ताकि किसानों को हमेशा लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके। इसके लिए एन.डी.ए. सरकार ने पूरा प्रयास किया।

सभापति जी, मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मंत्री जी यहां मौजूद हैं। जब योजना आयोग ने स्वयं कह दिया है कि जूट प्रौद्योगिकी मिशन ने इसका अनुमोदन कर दिया है, उसके बाद मिशन ने कपड़ा क्षेत्र में अच्छा काम किया है जूट उत्पादन क्षेत्र में बई इस मिशन को क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है। जैसा मैंने बताया कि पिछली सरकार ने पटसन उद्योग को बढ़ाने के लिए, उसके अनुसंधान और विकास के अतिरिक्त निवेश में वृद्धि के लिए जो विशेषज्ञ समूह का गठन किया था, उसकी जो अनुशंसायें हैं, मिशन को उन्हें लागू करने की आवश्यकता है। पिछली सरकार ने पटसन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सारी योजना तैयार कर दी थी जिसके परिणाम आने थे लेकिन चुनाव की स्थिति आ गई। उस समय जो नीतियां बनी थीं या जो योजनायें उस समय बनी थी, उन नीतियों को सच्चे अर्थों में क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी इस सरकार की है और वस्त्र मंत्रालय से अपेक्षा की जाती है कि उन नीतियों को कारगर ढंग से लागू करें ताकि किसानों को भी लाभ हो और जूट उत्पादकों तथा जूट का सामान तैयार करने वाली ईकाइयों को भी लाभ हो।

महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि प्लास्टिक के उपयोग को बंद किए जाने की आवाज ऑती रहती है। पर्यावरण की दृष्टि से बड़े–बड़े पर्यावरणविद् इस बात को कहते हैं और कई राज्य सरकारों ने इस पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन कहीं–कहीं प्लास्टिक आगे बढ़ता चला जा रहा है। इस पर सख्ती से पाबंदी लगे तो पटसन उद्योग जो सामान तैयार करता है, जैसा थैले और बोरे, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। इस बारे मे हमें सोचने की आवश्यकता है। जो रुग्ण मिलें बी.आई.एफ. आर. मे गई हैं, उनका निस्तारण तेजी से हो ताकि जो बंद ईकाइयां है, उनकी मशीनरी का पूरा उपयोग हो सके। किसान खेत मे जूट पैदा करता है लेकिन उसे बाजार में पहुंचाने की सुविधायें उसे उपलब्ध नहीं हैं। मेरा सुझाव है कि जैसे और मंडियां होती हैं, ऐसे ही जूट की मंडी होनी चाहिए ताकि सामान तैयार करने वाली ईकाइयों को माल भेजा जा सके। इससे किसानों को उनके उत्पादन का पूरा मूल्य मिलेगा। इसके साथ ही जो अनुसंधान केन्द्र हैं, उनकी ओर पूरा ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। वहां काम करने वाले मजदूरों की स्थिति दयनीय है। उनकी ओर पूरा ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों की सरकार कई वर्षों से कार्यरत हैं। उन्हें सोचना चाहिए था कि जहां वह सारी दुनिया में अपना नाम कमाती है परन्तु मजदूरों के प्रति मगर के आंसू बहाती है, वे ईकाइयां चालू रहें, इसके लिए उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती रहे ताकि उन्हें दूसरी परेशानियों का सामना न करना पड़े। बार–बार हड़ताल, घेराव, धरना और सत्याग्रह के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आज न केवल बंगाल में बल्कि सारी दुनिया में उदारीकरण की नीति चल रही है तो लोग पूंजी लगाने के लिए तैयार हैं लेकिन समुचित वातावरण बनाये जाने की आवश्यकता है ताकि इसकी शुरुआत भली प्रकार हो सके। बाह्य बाजार सहायता पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है। नई सरकार इस बारे में सोच सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज जूट के संबंध में निर्यात करने वाली उत्पादकता को बढ़ाये जाने या ईकाइयों को चालू रखने वाली या इससे संबंधित जो नीतियां हैं, उन्हें कारगर ढंग से कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता है। जो इंडियन जूट कार्पोरेशन बना हुआ है, आज उसके काम में थोड़ी शिथिलता आ रही है, इस शिथिलता के क्या कारण हैं। इसे दूर किये जाने की भी आवश्यकता है, ताकि राष्ट्रीय राजकोष में योगदान देने वाले उद्योग मंदी के शिकार न बनें। यदि ये उद्योग मंदी के शिकार बनेंगे तो किसानों को भी नुकसान होगा मजदूरों की भी छंटनी होगी और मजदूरों को पूरा मुनाफा भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए राष्ट्रीय पटसन निगम को सशक्त बनाया जाए। मैंने प्रौद्योगिकी मिशन के बारे में कह दिया है। राष्ट्रीय पटसन नीति का अवश्य निर्माण किया जाए। एक बार जब यह नीति बन जायेगी तो उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उन ईकाइयों के ऊपर भी होगी और इससे खेती करने वालों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। जूट की खेती का क्षेत्र भी बढ़ेगा और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जूट उद्योग के समक्ष जो समस्याएं आ रही हैं, उनका निराकरण करने का पूरा प्रयास किया जाए और इसके साथ–साथ वहां की सरकार की नीतियों के कारण इसमें जो अवरोध उत्पन्न हो गये हैं, चूंकि अब वे भी सरकार के सहयोगी हैं, इसलिए यह होना चाहिए – 'देश के हित में करेंगे काम और काम के बदले लेंगे पूरे दाम' यह नीति चलनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए – 'चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हों' ऐसा होने पर जूट उद्योग और भी रुग्णता का शिकार हो जायेगा। इसलिए कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानकर – राष्ट्र हित मे करेंगे काम और उसके बदले लेंगे पूरे दाम – यदि इस नीति का पालन करेंगे तो अति उत्तम होगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

[अनुवाद]

श्री नारायण चन्द्र वरकटकी (मंगलदोई) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रो. रासा सिंह रावत की बात से पूर्णतः सहमत हूं। मैं कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मैं असम से हूं। असम में बड़ी मात्रा में जूट का उत्पादन होता है। जूट क्षेत्र, देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लगभग चालीस लाख परिवार जूट की खेती पर निर्भर है। जूट उद्योग लगभग 2.61 लाख कामगारों को सीधे रोजगार प्रदान करता है तथा संबद्ध क्रियाकलापों में 1.4 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करता है। इसलिए भारत सरकार को एक उत्साहवर्धक जूट नीति बनानी चाहिए ताकि जूट उद्योग में लगे इन सभी किसानों, कामगारों और लोगों को इस नीति से कुछ सहायता मिल सके।

यह बहुत महत्वपूर्ण भी है कि यह उद्योग विदेशी मुद्रा के माध्यम से प्रति वर्ष 900 से 1000 करोड़ रुपये अर्जित करता है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह डी.पी.ई.बी. तथा ई.एम.ए. के रूप में कुछ निर्यात प्रोत्साहनों के कारण संभव हुआ था लेकिन इस बीच इन प्रोत्साहनों को कम कर दिया गया है। अतः, हमारे पडोसी देश बंगलादेश के साथ हमारी प्रतिस्पर्धा एक बड़ी समस्या बन गई है। हमारी उत्पादन लागत बहुत अधिक है। बंगलादेश जूट के संबंध में यह अधिक कीमती हो गया था जबकि बंगलादेश उन्हें भारत के मुकाबले सभी प्रकार के मूल्यों में फायदा दे रहा है। इसलिए, इसकी भी जांच की जानी चाहिए ताकि हम उन्हें उचित प्रोत्साहन दे सकें। जब तक उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, इस उद्योग को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा।

महोदय, जैसाकि आपको पता है कि हाल ही में एक प्रायोगिक परियोजना चल रही है जहां इस बात पर विचार किया गया है कि जूट का उपयोग सड़क निर्माण के लिए होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि ऐसा हो जाता है तो उत्पादकों को बहुत फायदा होगा। यह पर्यावरण के अनुकूल भी है। नीति निर्धारण के समय इस बात पर सही दिशा में विचार किया जाना चाहिए।

भारत के पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल तथा असम में अनुसंधान संस्थान भी स्थापित किया जाए ताकि किसान और अन्य लोग भी जूट उत्पादन की आवश्यकता को समझ सकें और जूट का उत्पादन बढ़े, अधिक लोगों को काम पर लगाया जा सके तथा उन्हें अधिक रोजगार मिल सके। पूर्वोत्तर हथकरघा एवम् हस्तशिल्प निगम को भी जूट उत्पादों के उत्पादन का प्रशिक्षण देने के लिए नोडल एजेन्सी बनाया जा सकता है जो कि घरेलू बाजार के साथ–साथ निर्यात बाजार हेतु भी लाभप्रद हो सकता है। यही मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय : यह चर्चा सबके लिए है। जो भी व्यक्ति बोलना चाहे, बोल सकता है। अन्यथा मैं मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए बुलाऊं। यह सबके लिए है। मैं समझता हूं कि सब सदस्य बोल चुके हैं। अब माननीय मंत्री जवाब दे सकते हैं।

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सही समय पर हमको जवाब देने के लिए कहा है। मैं बसुदेव जी का भी आभारी हूं जिन्होंने 18 अगस्त को यह चर्चा शुरू की थी और अजय चक्रवर्ती जी का भी आभारी हूं जिन्होंने उस दिन हाउस में कोरम का प्रश्न उठाकर चर्चा को अधूरा रखा और आज 1 दिसम्बर को हम यह चर्चा पूरी करने जा रहे हैं। 18 अगस्त से 1 दिसम्बर तक गंगा में बहुत पानी बह गया है। हो सकता है कि उस दिन के जवाब में जो एक्शन लेने थे, वे आज तक पूरे हो जाते।

[श्री शकर सिंह वाघेला]

सभापति जी, करीब 13 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। मैं सबका आभारी हूं कि इसमें कहीं राजनीति नहीं आई। थोड़ी बहुत राजनीति आई, लेकिन वह ऐसी नहीं है। सबने किसानों की चिन्ता की है, सबने श्रमिकों की चिन्ता की है और सबने उसके डाइवर्सिफिकेशन की बात की है, जूट का ज्यादा उपयोग हो, ऐसा कहा है और उसे गोल्डन फाइबर और इको फ्रैंडली कहा है। मैं उन सबका भी आभारी हूं। करीब 40 लाख परिवार जूट कल्टिवेशन में इनवाल्वड हैं। 100 लाख हैक्टेयर जमीन जूट कल्टिवेशन में है, ढाई लाख वर्कर्स जूट इंडस्ट्री में हैं और 1 करोड़ 4 लाख लोग उस सैक्टर के अंदर आते हैं जो इसकी एलाइड एक्टिविटीज़ पर चलता है।

सभापति जी, 78 जूट मिल्स आज देश में हैं और स्टेटवाइज मैं ब्रेकअप दू तो अच्छा रहेगा। वैस्ट बंगाल में अकेले 61 हैं, बिहार में 3 हैं, उत्तर प्रदेश में 3 हैं, आंध्र प्रदेश मे 7 हैं, असम मे एक है, उड़ीसा में एक है, त्रिपुरा में एक है, मध्य प्रदेश में एक है, इस तरह कुल 78 हैं। इनमें से कुछ की हालत काफी नाजुक है। 17 मिलें अभी इसमें सिक हैं और तकरीबन लॉस मेकिंग हैं। 7 मिलें एनजेएमसी के पास हैं और बाकी प्राइवेट एन्टरप्राइज़ेज हैं। जूट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात हुई, इसमें हमने हर साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस के भाव बढ़ाए हैं – 2000 से 2004 तक। 2003–2004 में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस 860 रुपये था, उसको 30 रुपये बढ़ाकर हमने 890 रुपये किया है। प्रोक्योरमैंट की आज जो स्थिति है, इसमें पर्चेज करने वाले कुल सैन्टर्स 480 हैं। इसमें डायरैक्ट बाइ जेसीआई 171 हैं, स्टेट लैवल कोआपरेटिव 69 हैं, और जो विलेज लैवल की प्राइमरी सोसाइटीज होती हैं, वे 250 हैं। पिछले साल हमने जो करीब 11 लाख बेल्स का पर्चेज़ किया था, अभी शुरु में ही पौने चार लाख बेल्स का पर्चेज़ हो गया है। आने वाले दिनों में और भी सैन्टर्स इसके लिए खोलेंगे।

नेशनल जूट पॉलिसी की बात कई माननीय सदस्यों ने की है। इस पर काफी होमवर्क हुआ है। सबसे कंसल्ट करके अभी 25 तारीख को हमने मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति रखी थी। इसमें भी नेशनल जूट पॉलिसी का विषय रखा गया था।

महोदय, अच्छे सुझाव आए हैं। कलकत्ता में भी एक हाई पावर्ड कमेटी गई थी। सभी सैक्शन्स से वह मिली और प्रयास किया कि कैसे एक नैशनल जूट पॉलिसी बनाई जाए जो सबके लाभ की साबित हो। इस बारे में भी हमने सोचा है।

महोदय, 18 अगस्त से आज तक जितने भी एक्शन लिए गए हैं, वे सब आपको मालूम हैं। इसमें जो प्लास्टिक और जूट का जिक्र हुआ, हम इसको बार–बार और हर साल नहीं करना चाहते हैं। अभी तक जो एक्शन हुआ है, उसमें यह है कि 100 प्रतिशत फूडग्रेन और 90 प्रतिशत शुगर की पैकेजिंग जूट की बोरी में की जाए। यह ईको–फ्रैंडली है, बहुत अच्छी आइटम है। इससे एनवायरमेंट को काफी फायदा है। हम चाहते हैं कि जूट, फूडग्रेन और शुगर की परमानेंट पैकेजिंग में आ जाए, तो ज्यादा अच्छा है। जूट पैकेजिंग एक्ट बनाना, बार–बार एडवाइजरी कमेटी को बुलाना, बहुत खर्चीला होता है।

महोदय, जो इंडस्ट्रीज़ सिक हुई हैं, उनमें जो प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, इनमें अच्छी गुणवत्ता तथा समान विशिष्टता वाले अप्रसंस्करित जूट की आपूर्ति अस्थायी है। बंगलादेश में जूट की अच्छी क्वालिटी चली गई, लेकिन हमारे यहां जो किसान हैं, वे अच्छे ढंग से खेती करते हैं, अच्छा सीड डालते हैं। चायना में जो रिसर्च हुई है, उसके अनुसार काम करने के बाद भी, जो अच्छी क्वालिटी होती है, उसके मुकाबले अच्छी क्वालिटी के जूट का 50 प्रतिशत प्रोडक्शन भी नहीं होता है। हमारे यहां जूट की बहुत लो क्वालिटी होती है। इसलिए किसान को उसकी पैदावार के अच्छे दाम नहीं मिल पाते है। अतः हमारा और जूट ग्रोअर्स का प्रयास यह है कि यहां अच्छी क्वालिटी का जूट हो। इसमें हाई लेबर कास्ट भी एक प्रमुख कारण है। दूसरा कारण सिंथेटिक से प्रतिस्पर्धा के कारण माँग समाप्त होना भी है, और तीसरा कारण अलाभकारी प्रबन्धन प्रक्रियाएं हैं।

महोदय, बहुत साल पहले गांव के लोग जिस रस्से से गाय और भैंस बांधते थे, वह रस्सा जूट का हुआ करता था, लेकिन अब सिंथेटिक का हो गया है। कुएं से पानी खींचने के लिए जिस रस्सी का इस्तेमाल किया जाता था, वह रस्सी पहले जूट की हुआ करती थी, लेकिन उसका स्थान भी अब प्लास्टिक ने ले लिया है। जिस खाट पर हम सोते थे, वह जूट की रस्सी से ही बुनी जाती थीं। कुछ नारियल की रस्सी से बुनी जाती थी, लेकिन अब इस काम के लिए भी प्लास्टिक के तारों से बनी पट्टियों का इस्तेमाल किया जाता है जो सिंथेटिक रिवोल्यूशन आया है, उसने जूट को रिप्लेस जरूर किया है, लेकिन इसके रीजन और भी अनेक हैं। हम तो जितनी मदद कर सकते हैं, वह कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि फूडग्रेन और शुगर को सिर्फ जूट की बोरी में पैकेजिंग हेतु अलग रखा जाए। प्लास्टिक, जूट को ज्यादा रिप्लेस न करे।

आज जूट इंडस्ट्री में लगी मशीनरी आउट आफ डेट हो गई है। गुजरात और मुम्बई में लगी मिलों के मालिक मालामाल हो गए, लेकिन श्रमिक सिक हो गये और जो पैसा मशीनरी की मॉडर्नाइजेशन में लगाना था, वह नहीं लगाया गया। अनइकनौमिकल मैनेजमेंट प्रैक्टिस हुई है। इसमें अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए, वह भी हम नहीं कर पाये। हमने जूट की 'टफ्स' योजना और जे.एम.डी.सी. के अन्तर्गत जूट इंडस्ट्रीज की मॉडर्नाइजेशन के लिए भी काम किया है।

[अनुवाद]

8 जुलाई, 2000 को जूट उद्योग के आधुनिकीकरण की योजना शुरू की गयी थी। यह आधुनिकीकरण 'टफ्स' के पैटर्न पर है। इसमें ब्याज की दर के भार पर पांच प्रतिशत की ब्याज राजसहायता दी जाती है। इसके साथ ही मशीनरी और उपकरणों की लागत पर पन्द्रह प्रतिशत की पूंजीगत राजसहायता दी जाती है। इस प्रकार कुल राजसहायता 20 प्रतिशत होती है।

[हिन्दी]

महोदय, इसके लिए 20 प्रतिशत सबसिडी का भी प्रावधान ई.एम.ए. में है जो 1989–90 में इम्पलीमेंट हुआ। यह 14–15 साल पुराना मामला है। 2007 तक ई.एम.ए. को चलाया जाए, ऐसी गवर्नमेंट की इच्छा है। ऐसी भी गवर्नमेंट की अपील आई है, बाकी जो पैसे हैं वह भी समय–समय पर देते रहेंगे। इसके अलावा बाकी एनसीजेडी जो है और प्रमोशन ऑफ डायवर्सीफिकेशन जूट प्रोडक्शन इन द स्माल एंड मीडियम सैक्टर्स, इसके लिए भी इसमें हमने बहुत से प्रोजेक्ट रखे हैं। इसमें कई इंसेटिव भी हैं, इसकी भी आने वाले समय में आपको डिटेल देंगे।

मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन जो चीजें हमने आज तक मिनिस्ट्री में चार्ज लेने के बाद की हैं, जो स्टैंडिंग एडवायजरी कमेटी रिकंवीन करके हमने जूट की बात कही वह एकदम इम्प्लीमेंट करके कलकत्ता हाई–कोर्ट का आर्डर होने के बावजूद भी सब के साथ मिल कर पब्लिक सैक्टर आर्गनाइजेशन में नौ अगस्त को हमने एक मीटिंग बुला कर जूट पेक्ट वाला 90 प्रतिशत और सौ प्रतिशत वाला हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। ...*(व्यवधान)*

इसमें दस प्रतिशत का हिसाब रहता ही नहीं है। 90 प्रतिशत जूट है या दस प्रतिशत प्लास्टिक है, यह बिना मतलब का क्लाज है, इसलिए सौ प्रतिशत अच्छा रहेगा। इसमें जो फोरमेलिटी करनी पड़ेंगी, वे हम करेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सांताश्री चटर्जी : जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम एक अवधि विशेष तक के लिए वैद्य है, मान लीजिए वर्ष 2005 तक। यह जारी रहनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : ठीक है, यह रिजर्व हो जाएगा तो फिर उसमें बार–बार जाना नहीं पड़ेगा, स्टैंडिंग एडवायज़री कमेटी की भी जरूर नहीं पड़ेगी, अगर यह ओ के हो जाएगा। इसके अलावा जो प्रणव बाबू के यहां कंसल्ट करने के लिए हमने 45 एमपीज़ बुलाए थे कि इसके बारे में आने वाले दिनों में क्या किया जाए, प्रणव बाबू के आफिस में बैठ कर वेस्ट बंगाल के सब पार्टीस के एमपीज़ को इनवाइट करके कंसल्ट किया गया था। ...*(व्यवधान)*

श्री सांताश्री चटर्जी : एक पार्टी को छोड़ कर किया था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शंकर सिंह वाघेला : वस्त्र मंत्रालय ने खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को भारतीय मानक ब्यूरो के मानदंडों का कड़ाई से कार्यान्वयन किये जाने को आस्थगित करने और सभी संबंधित व्यक्तियों की संतुष्टि के लिए नए मानकों को अधिसूचित करने हेतु राजी कर लिया है।

[हिन्दी]

कई पुराना माल बिजनेसमैन के पास पड़ा था, उन्होंने सितम्बर एंड तक परमीशन मांगी कि बीआईएस का नया स्टैंडर्ड डेवलप हो, उसके पहले हमारा स्टाक पूरा हो तो वह भी हमने एक्सटेंशन देकर, जो पुराना स्टाक था, उसे निकालने में भी हमने उन्हें मदद की।

[श्री शंकर सिंह वाघेला]

टी.डी.–5 के लिए अप्रसंस्करित जूट के निम्नतम समर्थन मूल्य के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा बढ़ाया गया, एक्स–असम, 890 रुपए का जो भी है, उसका टी.डी.–5 वाली जो क्वालिटी आनी चाहिए, वह हमारे पास नहीं आती है। इसके लिए जरूर चिन्ता है, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस का बहुत कम मतलब रहता है, क्योंकि वह क्वालिटी नहीं आती है, इसलिए उसे देने का भी ज्यादा सवाल नहीं होता है।

[अनुवाद]

एन.जे.एम.सी. की कतिपय बंद मिलों के पुनरुद्धार के प्रयास किये जा रहे हैं। एन.जे.एम.सी. की कुछ मिलों के पुनरुद्धार हेतु सिफारिशें करने के लिए सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया गया था।

श्री सांताश्री चटर्जी : कुछ मिलों के लिए ही क्यों? यह सभी मिलों के लिए किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : यह प्रयोग के ऊपर है। इसमें हमने निकिसन और खर्दा, दो मिलों का जायजा लिया है।

[अनुवाद]

उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने अपनी बैठक बुलायी और 8.11.2004 को कुछ मिलों का दौरा किया। समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जो कि मंत्रालय के विचाराधीन है। इस संबंध में हम उचित समय पर आगे बढ़ेंगे।

विभिन्न मंत्रालयों के बीच एक ड्राफ्ट केबिनेट नोट परिचालित किया गया है कि जे.सी.आई. द्वारा भारत सरकार को देय ब्याज और दंडात्मक ब्याज सहित जे.सी.आई. पर भारत सरकार का बकाया ऋण माफ करके उसका तुलनपत्र बराबर किया जाए। वित्त मंत्रालय ने वस्त्र मंत्रालय के प्रस्ताव से सहमति जतायी। शीघ्र ही अंतिम केबिनेट नोट को केबिनेट सचिवालय में भेजा जाएगा।

[हिन्दी]

ऐसे बहुत से इसमें एक्शन हैं, जिनमें हमने कई बार इन्हें मदद करने की कोशिश की है, बहुत से एमपीज़ और लेबर युनियंस के साथ की है। मैं खुद भी कलकत्ता दुर्गा पूजा के दिनों में गया था, हमने एक जूट पंडाल में पूजा का इनआगरेशन किया। वहां इसका बहुत अच्छा प्रयोग है और मैं समझता हूं कि दुर्गा की जूट के ऊपर बहुत मेहरबानी हो रही है और गवर्नमेंट के ऊपर भी हो रही है। इसलिए आने वाले दिनों में जरूर जूट का डायवर्सीफिकेशन, प्रोडक्शन, जूट के भाव, जूट के फार्मर्स और लेबर्स, सब के अच्छे दिन आने की संभावना है। इसमें हमें जो भी काम करना चाहिए, वह हम पूरा दिल लगा कर करेंगे।

[अनुवाद]

इतना ही नहीं अक्तूबर 2004 के दूसरे सप्ताह में कोलकाता में जूट क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पक्षों के साथ वस्त्र मंत्रालय ने व्यापक बहस आयोजित की थी।

श्री बसुदेव आचार्य जी, 458.34 करोड़ रुपये, लगभग 460 करोड़ रुपये के परिव्यय के एक जूट प्रौद्योगिकी मिशन (जी.टी.एम.) को भी योजना आयोग ने सिद्धान्ततः स्वीकृति दी है। जे.टी.एम. के कार्यान्वयन के लिए वस्त्र मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है और अब सी.सी.ई.ए. द्वारा जे.टी.एम. की अंतिम स्वीकृति के लिए ई.एफ.सी. स्मरणपत्र का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

460 करोड़ रुपये के जूट के टेक्नोलाजी मिशन की एप्रूवल प्लानिंग कमीशन ने कर दी है, इसमें थोड़ी फारमेलिटी बाकी है, वह भी हो जायेगी।

[अनुवाद]

19–20 नवम्बर, 2004 को वस्त्र मंत्रालय ने एक व्यापक राष्ट्रीय जूट नीति तैयार करने के लिए कोलकाता में एक दो दिवसीय सम्मेलन बुलाया था।

[हिन्दी]

इसमें एन.जी.ओज़. को बाकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, सब को कन्सल्ट करके इसे भी हम आने वाले दिनों में रखने वाले हैं।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में जूट के विकास के लिए वस्त्र मंत्रालय ने दो विशिष्ट योजनाओं को स्वीकृति दी है। पहली योजना पांच वर्षों की अवधि में 5.90 करोड़ रुपये के परिव्यय से गुवाहाटी में भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संघ के पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र (आई.जे.आई.आर.ए.) के सुदृढ़ीकरण से संबंधित है। अभी तक चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आई.जे.आई.आर.ए. ने 92 लाख रुपये जारी किये हैं। आई.जे.आई.आर.ए. ने भूमि का अधिग्रहण कर लिया है और क्षेत्रीय केन्द्र पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण की प्रक्रिया में है। अन्य योजना जूट विविधिकरण का राष्ट्रीय केन्द्र (एन.सी.जे.डी.) के पूर्वोत्तर भाग से संबंधित है। इस योजना के अंतर्गत अभीतक 53 लाख रुपये की धनराशि जारी की गयी है।

[हिन्दी]

इसके बाद और जितनी भी हम डाइवर्सीफिकेशन की कोशिश कर रहे हैं, इसकी डिमांड आने वाले दिनों में बहुत है। आज जूट के सूट केसेज, जूट की बहुत अच्छी–अच्छी ज्वेलरी 25 रुपये में, 50 रुपये में मिलती हैं, जिसे दो–चार दिन उपयोग करके फेंक सकते हैं। जूट के शूज और महिलाओं के पर्सेज बन रहे हैं। इतना डाइवर्सीफिकेशन आ रहा है, मैं समझता हूं कि इसमें आने वाले दिनों में बहुत अच्छा स्कोप है। इन चीजों के साथ, जूट के बारे में 460 करोड़ रुपये टैक्नोलोजी मिशन के ग्रांट हो जाएंगे। भारत सरकार भी पूरी चिन्तित है और इसे एम्पलायमेंट जनरेशन में मानती है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, यू.पी.ए. गवर्नमेंट है, इसलिए सारे मैम्बर्स ने जो भी सजेशंस दिये हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, उसे गवर्नमेंट करेगी। इसमें पैसे की चिन्ता नहीं है। आने वाले दिनों में तकरीबन 25 करोड़ रुपये डालकर दो मिलों पर प्रयोग हम करने जा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको कन्सल्ट करके इसमें हम आगे स्टैप्स लेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : 25 करोड़ रुपये खर्च करके आप कौन सी दो मिलों पर प्रयोग करना चाहते हैं?

श्री शंकर सिंह वाघेला : मैंने अभी बताया कि खरदा और निकसन दो मिलें हैं।

श्री जीवाभाई अम्बालाल पटेल (मेहसाना) : जो दो मिलें चालू करने की आपने बात की, इसमें टैक्सटाइल में कौन सी हैं–आर्सिल, कॉटन या पोलिएस्टर–आप कौन सी मिलें चालू कर रहे हैं और पुरानी मशीनों से चालू कर रहे हैं या नई टैक्नोलोजी लाकर चालू कर रहे हैं? इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री शंकर सिंह वाघेला : यह विषय टोटली जूट का है, स्ट्रिक्टली जूट का है। वेस्ट बंगाल में कोलकाता में हमारी 6 मिलें हैं और एक और है, कुल सात मिलें हैं। उन 6 मिलों में से दो मिलों पर प्रयोग हम अच्छे लोगों के साथ बैठकर और अगर जरूरत पड़ती है तो 20–25 करोड़ रुपये डालकर भी, मशीनरी ठीक–ठाक करके सारे एम्पलाइज की जिम्मेदारी लेकर जो भी करना चाहिए, निकिसन और खरदा मिल का करेंगे। यह मामला केवल जूट के बारे में है।

श्री जीवाभाई अम्बालाल पटेल : कॉटन की आज इतनी मिलें बन्द हैं, उनके बारे में सरकार ने क्या सोचा है?

श्री शंकर सिंह वाघेला : कॉटन का सब्जैक्ट इसमें नहीं है। जब कॉटन का सबजैक्ट आयेगा तो मैं जरूर कहूंगा और आपके ध्यान में जरूर लाऊंगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : सभापति महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

[हिन्दी]

आप उसमें क्या करना चाहते हैं?

श्री शंकर सिंह वाघेला : वहां इतनी ऑफ डेटिड मशीनें हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। अगर उसे रिवाइव करना है तो एम्पलाइज की तनख्वाह ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : दो मिलों को आपने क्यों चुना है?

श्री शंकर सिंह वाघेला : यह केवल टोकन प्रयोग है, अगर हम इसमें सक्सेस होंगे तो 6 और भी चालू करेंगे

[अनुवाद]

लेकिन इन दो मिलो को भी लिया जाए ...*(व्यवधान)*

श्री सांताश्री चटर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इन सभी छह मिलों का चरणबद्ध पुनरुद्धार देखना चाहते हैं जैसा कि आपके राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में उसके प्रति प्रतिबद्धता दिखायी गई है। कृपया उसके बारे में कहें।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : यदि इन दो मिलों में यह सक्सेस रहा तो बाकी चार मिलों में भी उसी पैटर्न पर देखेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, इसके आगे कोई प्रश्न नहीं।

अब लोक सभा 2 दिसम्बर, 2004 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 4.55 बजे

तत्पश्चात लोकसभा, गुरुवार, 2 दिसम्बर, 2004/11 अग्रहायण, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री एम. अप्पादुरई	1
	श्री भाल चन्द्र यादव	
2.	श्री अलीमाऊ चर्चील	2
3.	श्री पारसनाथ यादव	3
	प्रो. महादेवराव शिवनकर	
4.	श्री रायापति सांबासिवा राव	4
	श्री मधुसूदन मिस्त्री	
5.	श्री सुरेश चन्देल	5
	डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य	
6.	श्री इकबाल अहमद सारडगी	6
	श्री किरिप चालिहा	
7.	श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	7
	श्री थावरचन्द गेहलोत	
8.	श्रीमती सी. एस. सुजाता	8
9.	श्री चन्द्रभूषण सिंह	
	श्री मुनवर हसन	
10.	श्री भर्तृहरि महताब	10
11.	श्री जसुभाई दानाभाई बारड़	11
12.	श्री गिरिधारी यादव	12
	श्री हरिकेवल प्रसाद	
13.	श्रीमती किरण माहेश्वरी	13
	श्री के. एस. राव	
14.	खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	14
	श्री जी. करुणाकर रेड्डी	
15.	श्रीमती मनोरमा माधवराज	15
16.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	16
17.	श्री जुएल ओराम	17
18.	श्रीमती मिनाती सेन	18
	श्री सी. के. चन्द्रप्पन	
19.	श्री हरिभाऊ राठौड़	19
	श्री राजनरायन बुधौलिया	
20.	श्री सुरेश अंगड़ि	20

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	योगी, आदित्यनाथ	208
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	87, 155, 181, 187, 214
3.	अंगड़ि, श्री सुरेश	105, 159
4.	आठवले, श्री रामदास	37, 109, 162, 191
5.	'बचदा' श्री बची सिंह रावत	137
6.	बैठा, श्री कैलाश	4, 166, 169
7.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	95, 97, 154, 186
8.	बर्मन, श्री हितेन	21
9.	बर्मन, श्री रनेन	9
10.	बखला, श्री जोवाकिम	9, 210
11.	बेल्लारमिन, श्री ए. वी.	27
12.	भडाना, श्री अवतार सिंह	73
13.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	41, 111, 164
14.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	10, 83, 132
15.	बोस, श्री सुब्रत	9
16.	चक्रवर्ती, श्री अजय	37, 38, 77, 139
17.	चालिहा, श्री किरिप	51
18.	चन्द्रप्पन, श्री सी. के.	58, 127, 171
19.	चिन्ता मोहन, डा.	35
20.	चौधरी, श्री पंकज	70, 135
21.	चौधरी, श्री अधीर	74, 124, 181, 218
22.	चर्चील, श्री अलीमाऊ	217
23.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	58, 126, 170, 181
24.	देवरा, श्री मिलिन्द	47, 181
25.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	26

1	2	3
26.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	181
27.	गांधी, श्रीमती मेनका	69, 134
28.	गंगवार, श्री संतोष	68, 201, 224
29.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	62
30.	हसन, श्री मुनव्वर	100
31.	हेगड़े, श्री अनंत कुमार	181
32.	जगन्नाथ, डा. एम.	55, 75, 138, 176
33.	जयाप्रदा, श्रीमती	35
34.	जेना, श्री मोहन	16
35.	झा, श्री रघुनाथ	50, 118, 166, 181
36.	जोगी, श्री अजीत	82
37.	कलमाड़ी, श्री सुरेश	25, 91, 181
38.	कामत, श्री गुरूदास	49, 117, 159, 165
39	कनोडीया, श्री महेश	76
40.	करूणाकरन, श्री पी.	54, 121
41.	खां, श्री सुनील	15, 90
42.	खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	99
43.	खन्ना, श्री अविनाश राय	18
44.	खारवेनथन, श्री एस.के.	40, 159
45.	कृष्ण, श्री विजय	14, 89, 159, 169, 193
46.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	29, 106, 160, 190
47.	कुसमरिया, डा. रामकृष्ण	30, 107
48.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	44
49.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	219
50.	महतो, श्री बीर सिंह	37, 39, 148
51.	महतो, श्री सुनिल कुमार	37, 216
52.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	83, 146, 180
53.	महताब, श्री भर्तृहरि	96, 153, 185
54.	महतो, श्री टेक लाल	197
55.	माझी, श्री परसुराम	17, 114, 206, 230

1	2	3
56.	मल्लिकार्जुनैया, श्री एस.	45
57.	मेघवाल, श्री कैलाश	3, 122, 168, 207
58.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	175
59.	मोदी, श्री सुशील कुमार	31
60.	मोहन, श्री पी.	1, 84, 147
61.	मुकीम, मो.	48, 116, 199
62.	मोल्लाह, श्री हन्नान	11, 88, 158
63.	मुन्शी राम, श्री	62, 71, 136, 174, 196
64.	मुर्मू, श्री हेमलाल	52, 119
65.	नायर, श्री पी.के. वासुदेवन	126, 170, 171, 181
66.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	12, 103, 157, 202
67.	नायक, श्री अनन्त	19, 114, 142, 181, 222
68.	निखिल कुमार, श्री	56, 124, 181
69.	निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद	43
70.	नीतीश कुमार, श्री	222
71.	ओराम, श्री जुएल	101, 156, 163, 188
72.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	181, 211, 225
73.	पाण्डा, श्री प्रबोध	46, 115
74.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	23, 158, 204, 220, 228
75.	पासवान, श्री रामचन्द्र	193
76.	पाठक, श्री ब्रजेश	59, 128, 158, 172, 194
77.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	6, 95
78.	पाटील, श्री प्रकाशबापू वी.	51
79.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	7, 112, 120
80.	पिंगले, श्री देविदास	63, 131, 229
81.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	90, 98
82.	प्रसाद, श्री लालमणि	16
83.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	32, 93, 108, 161

1	2	3
84.	राजेन्द्र कुमार, श्री	28, 102
85.	राणा, श्री काशीराम	39
86.	राव, श्री के. एस.	83, 146, 180
87.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	93, 149, 182, 197
88.	राव, श्री डी. विट्टल	61, 130, 200
89.	राठोड़, श्री हरिभाऊ	104, 158, 189
90.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	110, 163, 205
91.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	55, 81, 145
92.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	169, 181
93.	रेड्डी, श्री एस. पी. वाई.	2, 42, 85
94.	रेड्डी, श्री सुखरम सुधाकर	113
95.	रिजीजू, श्री खीरेन	224
96.	साहु, श्री चन्द्रशेखर	24
97.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	94, 150, 183, 198
98.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	65
99.	सत्पथी, श्री तथागत	72, 175
100.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	78, 140, 159, 177
101.	सेठ, श्री लक्ष्मण	55
102.	सेठी, श्री अर्जुन	57, 125, 181
103.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	8, 86, 151, 184
104.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	38
105.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	212
106.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	181, 214, 223
107.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	181, 221, 229
108.	शुक्ला, श्रीमती करूणा	13

1	2	3
109.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	79, 143, 179
110	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	95, 152
111.	सिंह, श्री दुष्यंत	5, 141, 178, 181
112.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	158, 159, 193
113.	सिंह, श्री मोहन	126, 181
114.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	67, 133, 169, 203, 227
115.	सिंह, श्री सीताराम	53, 167, 192
116.	सिंह, श्री सुग्रीव	60, 129, 173, 181, 195
117.	सिंह, श्री सूरज	34
118.	सिंह, श्री उदय	64, 158, 193
119.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	80, 144
120.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	209
121.	सुमन, श्री रामजीलाल	44, 222
122.	थामस, श्री पी. सी.	36
123.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	72, 175
124.	विनोद कुमार, श्री बी.	22, 122, 123
125.	वीरेन्द्र कुमार, श्री	66
126.	यादव, श्री बालेश्वर	20, 181, 226
127.	यादव, श्री गिरिधारी	98
128.	यादव, श्री पारसनाथ	92, 181
129.	यादव, श्री राम कृपाल	161, 213
130.	यादव, श्री रमाकान्त	193
131.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	75, 215
132.	जाहेदी, श्री महबूब	33

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	
परमाणु ऊर्जा	
कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	
कोयला और खान	
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	5, 7, 8, 15, 17, 20
विदेश	6, 13
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	1, 9, 10, 18, 19
महासागर विकास	
अप्रवासी भारतीय कार्य	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	12
योजना	4
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	2
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	11, 14, 16
लघु उद्योग	3
अंतरिक्ष	
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	
कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	11, 28, 54, 110, 113, 115, 192, 196
परमाणु ऊर्जा	10
कोयला और खान	34, 44, 60, 99, 114, 129, 142, 156, 182
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	1, 2, 9, 13, 17, 19, 22, 35, 38, 39, 41, 43, 48, 52, 53, 56, 67, 68, 72, 75, 77, 78, 84, 85, 86, 87, 98, 100, 103, 112, 116, 120, 121, 137, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 147, 148, 152, 164, 173, 175, 176, 178, 186, 188, 191, 199, 202, 205, 210, 216, 226
विदेश	29, 32, 37, 47, 55, 63, 79, 81, 88, 109, 117, 124, 126, 158, 159, 170, 172, 181, 197
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	8, 18, 20, 25, 26, 30, 33, 42, 57, 58, 62, 66, 69, 76, 80, 91, 92, 93, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 119, 125, 138, 151, 154, 157, 160, 161, 167, 168, 169, 174, 177, 180, 190, 194, 195, 201, 204, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 218, 219, 220, 223, 224, 225, 228, 229, 230
महासागर विकास	
अप्रवासी भारतीय कार्य	

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	4, 6, 14, 16, 24, 50, 51, 59, 64, 89, 118, 128, 134, 145, 153, 166, 184, 185, 193, 203, 227
योजना	31, 61, 94, 130, 162, 183, 200, 215, 221, 222
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	23, 49, 82, 131
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	3, 5, 7, 12, 15, 21, 27, 36, 40, 45, 65, 71, 73, 83, 90, 95, 105, 111, 122, 123, 127, 132, 135, 149, 150, 165, 171, 179, 198, 214, 217
लघु उद्योग	46, 74, 97, 136, 187, 189
अंतरिक्ष	70, 96, 133
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन	155, 163

पी.एल.एस. – 48/5/1/ 2004 (एन.)
251

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।